

आचार्य तुलसी की साहित्य सम्पदा

(भाग-१)

समणी कुसुमप्रज्ञा

आचार्य तुलसी की साहित्य सम्पदा





समणी कुसुमप्रज्ञा

जैन विश्व भारती प्रकाशन

प्रकाशक :

जैन विश्व भारती

लाडनू (राजस्थान)

ISBN No. 81-7195-034-5

प्रियधर्मी स्वर्गीय पूज्य पिताश्री नाथुलालजी तातेड़ (धानीन) की
पुण्य स्मृति में श्रीमती पानीदेवी शांतिलाल एवं पौत्र दिलीप
रजनीश तातेड़ द्वारा एस. सी. ज्वेलर्स, एम. जी. रोड़,
तुलसी भवन, घाटकोपर (वेस्ट) बम्बई-86
के सौजन्य से

प्रथम संस्करण : सन् १९९४

पृष्ठ : २८०


मूल्य : ४०.०० रुपये

मुद्रक :

जैन विश्व भारती प्रेस, लाडनू



राष्ट्रपति
भारत गणतंत्र
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDIA



संदेश

आचार्य तुलसी का अणुव्रत आंदोलन व्यक्ति की नैतिक शक्ति को सुदृढ़ करके उसकी सृजनात्मक क्षमता के विकास का आंदोलन है। इस आंदोलन में व्यक्ति और राष्ट्र दोनों का हित निहित है।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि समी कुसुमप्रज्ञा ने आचार्य तुलसी के विचारों को सूचीबद्ध किया है। इससे उनके साहित्य पर शोध का सरल मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

इस कार्य के लिए मेरी शुभकामनाएं।

शंकर दयाल शर्मा

§ शंकर दयाल शर्मा §

नई दिल्ली

24 फरवरी, 1994

सत्यम्

साहित्य एक ऐसी विधा है, जिस पर जितना श्रम किया जाए उतना ही लाभ है। स्वयं का ही नहीं, दूसरों का लाभ इसमें ज्यादा निहित है, पर श्रम करना कितना कठिन है ! वह भी पूरे मनोयोग से करना और भी कठिन है। मैंने अपना साहित्य लिखा या लिखाया, उस समय ऐसी कोई कल्पना नहीं की थी कि इस साहित्य का इतना मंथन किया जाएगा, पर नियति है कि इस साहित्य पर इतना मंथन हुआ है।

समणी कुसुमप्रज्ञा दुवली-पतली है, पर बड़ी श्रमशील है। वह श्रम करती अघाती ही नहीं, करती ही चली जाती है। उसने कुछ ऐसे अपूर्व ग्रन्थ तैयार कर दिए हैं, जो युग-युगान्तर तक लाखों-लाखों लोगों के लिए लाभकारी एवं उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे। 'एक वृद्ध : एक सागर' (पांच खंडों में) एक ऐसा ही सूक्ति-संग्रह है, जिसकी मिशाल मिलना मुश्किल है। यह दूसरा ग्रन्थ तो और भी अधिक श्रमसाध्य है। इसमें समूचे साहित्य का अवगाहन कर उसका सार प्रस्तुत कर दिया है। इसके माध्यम से सैकड़ों शोध-विद्यार्थी आसानी से रिसर्च कर सकते हैं।

समणी कुसुमप्रज्ञा श्रम के इस क्रम को चालू रखे। केवल यही नहीं, अध्यात्म के क्षेत्र में जितनी गहराई में उतर सके, उतरने का प्रयत्न करे। हमारे धर्मसंघ की सेवा का जो अपूर्व अवसर मिला है, उससे वह स्वयं लाभान्वित हो तथा दूसरों को भी लाभान्वित करे। समणी उभयथा स्वस्थ रहे, यही शुभाशंसा है।

जयपुर

२५-३-९४ शुक्रवार

अणुव्रत अनुशास्ता गणाधिपति तुलसी



शिवम्

‘अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य तुलसी’ यह नाम किसी व्यक्ति का वाचक नहीं, व्यापक धर्म की अवधारणा का प्रतिनिधि है। अणुव्रत अनुशास्ता ने धर्म को व्यापक बनाकर उसे सत्य के सिंहासन पर आसीन किया है।

‘वाचना प्रमुख आचार्य तुलसी’ यह नाम विशाल ज्ञान-राशि का प्रतिनिधि है। जो कहा, वह श्रुत बन गया। जो लिखा, वह वाङ्मय बन गया।

दृष्ट, श्रुत और अनुभूति की संयोजना का एक दीर्घकालिक इतिहास है। समणी कुसुमप्रज्ञा ने विशाल ज्ञानराशि की संकेत पदावलि को प्रस्तुत पुस्तक में संदर्शित करने का प्रयास किया है। इससे पाठक को उस विशाल श्रुत से परिचित होने का अवसर मिलेगा। समणी कुसुमप्रज्ञा का प्रयास अपने आप में अर्थवान् है।

वनीपार्क, जयपुर
१९-३-९४

आचार्य महाप्रज्ञ

सुन्दरम्


गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी तेरापंथ धर्मसंघ के आचार्य रूप में जितने प्रख्यात हुए हैं, 'अणुव्रत अनुशास्ता' के रूप में उससे भी अधिक प्रसिद्धि आपने अर्जित की है। आपका कर्तृत्व अमाप्य है। उसे मापने का कोई पैमाना दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। आपके कर्तृत्व का एक घटक है—आपका साहित्य। हिन्दी, राजस्थानी और संस्कृत में आप द्वारा लिखे गए गद्यात्मक और पद्यात्मक ग्रंथ साहित्य-भंडार की अमूल्य धरोहर हैं।

हिन्दी भाषा में आपके प्रवचनों और निबन्धों की बहुत पुस्तकें हैं। विषयों की दृष्टि से वे बहुआयामी हैं। उनका अनुशीलन किया जाए तो बहुत ज्ञान हो सकता है। अहिंसा, आचार, धर्म, अणुव्रत आदि सैकड़ों विषयों में आपके अनुभव और चिन्तन ने विचारों के नए क्षितिज उन्मुक्त किए हैं। कोई शोधार्थी किसी एक विषय पर काम करना चाहे तो विकीर्ण सामग्री को व्यवस्थित करना बहुत श्रमसाध्य प्रतीत होता है। समणी कुसुमप्रज्ञा ने इस क्षेत्र में एक नया प्रयोग किया है। निष्ठा और पुरुषार्थ को एक साथ संयोजित कर उसने आचार्य तुलसी के साहित्य का एक व्यवस्थित पर्यवेक्षण किया है और प्रायः सभी पुस्तकों के लेखों एवं प्रवचनों को विषयवार प्रस्तुति देने का कठिन काम किया है। इसके साथ कुछ परिशिष्ट जोड़कर शोध का मार्ग सुगम बना दिया है। उसके द्वारा की गई साहित्य की मीमांसा भी पठनीय है। समणी कुसुमप्रज्ञा का श्रम पाठकों और शोध विद्यार्थियों के श्रम को हल्का करेगा, ऐसी आशा है।

प्रकाशकीय

गणाधिपति तुलसी बहुआयामी साहित्य के सृजनकार हैं। अणुव्रत आदोलन के प्रवर्तक तुलसीजी एक महान् साधक एवम् आध्यात्मिक युगपुरुष भी हैं। अपने साहित्य के माध्यम से वे मानवीय मूल्यों के प्रति जन-चेतना का सृजन अनेक वर्षों से अपनी लेखनी एवम् व्यवहार द्वारा कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनका डायरी-लेखन भी उनके आत्मवादी विचार-दर्शन का सागोपाग अभिलेख है।

उनके व्यापक साहित्य का पर्यवेक्षण करना कोई सहज कार्य नहीं है, बल्कि अत्यन्त दुष्कर भी है। आदरणीया समणी कुसुमप्रज्ञाजी ने गणाधिपति तुलसीजी के साहित्य का पर्यवेक्षण कर एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। उनकी इस प्रस्तुति से अध्यात्म एव साहित्यजगत् समग्र रूप से उपकृत होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है। जैन विश्व भारती इस कृति का प्रकाशन कर गौरव की अनुभूति कर रही है।



लाडनू (राजस्थान)
दि० ५-४-१९९४

श्रीचन्द्र बैगानी
अध्यक्ष
जैन विश्व भारती

भूमिका

भारत के धर्म-पुरुषों में आचार्य तुलसी का अप्रतिम स्थान है। वे "तिरापन्थ सघ" के शलाका पुरुष हैं। उनका सम्पूर्ण जीवन त्याग और तपस्या से ओतप्रोत रहा है। ग्यारह वर्ष की अल्पायु में साधु बने और किशोर होते-होते बाईस वर्ष की अवस्था में संघ के आचार्य-पद पर प्रतिष्ठित हो गए। आज वे अस्ती पार कर चुके हैं, किंतु उनका चैतन्य और उनकी कर्मठता किसी युवक को भी लजा सकती है।

आचार्यश्री बड़े मेधावी हैं। उनकी बुद्धि वचन से ही प्रखर रही है। उन्होंने जैन वाङ्मय का ही नहीं, भारतीय वाङ्मय का गहन-गम्भीर अध्ययन किया। उनकी प्रज्ञा उत्तरोत्तर विकसित होती गई। उन्होंने अपने संघ को अद्भुत गरिमा प्रदान की और उसके पटल को बहुत ही व्यापक बनाया।

आचार्यश्री ओजस्वी वक्ता हैं। जब वे बोलते हैं तो हजारों नर-नारियों की भीड़ उन्हें मंत्र-मुग्ध होकर सुनती है। अपने प्रवचनों में वे धर्म के गूढ तत्त्वों की ही चर्चा नहीं करते, उन्हें इतना बोधगम्य बना देते हैं कि उनकी बात सहज ही सामान्य-से-सामान्य व्यक्ति के गले उतर जाती है।

आचार्यश्री जितने प्रभावशाली वक्ता हैं, उतने ही प्रभावशाली लेखक भी हैं। उनके लेखन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने लिखने के लिए कभी कुछ नहीं लिखा। उनका जीवन लोक-मंगल के लिए समर्पित है। इसलिए उनका लेखन भी एक ऊँचे ध्येय से प्रेरित है।

आज से लगभग चालीस वर्ष पूर्व आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का सूत्रपात किया था। उसी काल में आचार्य तुलसी ने अणुव्रत-आंदोलन का प्रवर्तन किया। अणुव्रत-आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पूरे देश की परिक्रमा की और पन्द्रह-सोलह वर्ष उस अनुष्ठान की पूर्ति में लगा दिए। मनुष्य अच्छा मनुष्य बने, उसके अन्दर मानवीय गुणों का विकास हो, अपने कर्त्तव्य को वह जाने और निष्ठापूर्वक उसका पालन करे, समष्टि के हित में वह अपना हित अनुभव करे, यह अणुव्रत का अभिप्रेत था। इसके लिए उन्होंने घर-घर अलख जगाया। आज तो अणुव्रत के साथ मानव-जीवन के परिशोधन के लिए और भी कई आयाम जुड़ गए हैं, जिनमें

प्रेक्षा-ध्यान तथा जीवन-विज्ञान प्रमुख है। अणुव्रत का कमल अब अपनी पूरी आभा के साथ खिलने लगा है।

आचार्यश्री ने असख्य प्रवचन दिए हैं, साथ ही विपुल साहित्य की रचना की है। उस अनन्त भण्डार की जानकारी पाठको को हो सके, इस दृष्टि से उनकी एक अनुक्रमणिका चार विशाल खंडों में प्रकाशित हुई है। उससे पाठको को अनुमान हो सकता है कि आचार्यश्री ने कितने बड़े परिमाण में पाठको को जीवनोपयोगी साहित्य उपलब्ध कराया है।

उस साहित्य महोदधि में आचार्यश्री की अन्तेवासिनी शिष्या विदुषी समणी कुसुमप्रज्ञा ने गहरी डुबकी लगाकर बड़े ही मूल्यवान रत्न निकाले हैं और आचार्यश्री के साहित्य का प्रामाणिक रूप में मंथन करके उसका नवनीत पाठकों को दिया है।

साहित्य का प्रयोजन क्या है, साहित्य की कसौटी क्या है, साहित्य के भेद क्या हैं, इन सब पर प्रकाश डालते हुए लेखिका ने साहित्य की विधाओं में निबध, कथा, संस्मरण, जीवनी, पत्र, डायरी, सदेश, गद्य-काव्य, भेट-वार्ता, यात्रा-वृत्त आदि का विवेचन किया है और आचार्यश्री के संपूर्ण साहित्य को उसकी कसौटी पर कसा है।

उसके बाद आता है आचार्यश्री का प्रवचन-साहित्य। उसकी गुणवत्ता के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, इसका उन्होंने विशद विवेचन किया है। तत्पश्चात् प्रवचनों की विषय-वस्तु, वैशिष्ट्य, मनोवैज्ञानिकता, नवीन-पुरातन का संगम, आस्था और तर्क का समन्वय, धर्म और विज्ञान, सस्कृति आदि-आदि की गहरी भीमासा की है। “चिन्तन के लिए” क्षितिज के अन्तर्गत, अहिंसा के सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक पहलुओं पर आचार्यश्री के प्रवचनों तथा लिखित साहित्य का सागोपांग अनुशीलन किया है। उसके बाद “धर्म चिन्तन” खण्ड में धर्म और विज्ञान, धर्म और सम्प्रदाय, धर्म के मूलभूत सिद्धांत, धार्मिक विकृतियाँ, धर्म और अणुव्रत, धर्म-क्रांति आदि के सन्दर्भ में आचार्यश्री के साहित्य का विवेचन किया है।

अनंतर राष्ट्र-चिन्तन और समाज-दर्शन की भूमि पर आचार्यश्री के साहित्य पर विचार किया है और अन्त में उनके साहित्य की विशेषताओं पर विह्वल दृष्टि डाली है। वह कहती है, “आचार्य तुलसी की पुस्तकों का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य यह है कि वे वृहत्तर मानव-समाज की चेतना को ऋकृत करके उसमें सांस्कृतिक मूल्यों को सम्प्रेषित करने में शत-प्रतिशत सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त विचारों की नवीनता के बिना कोई भी कृति अपनी अहमियत स्थापित नहीं कर सकती। आचार्य तुलसी ने लगभग सभी विषयों पर अपना मौलिक चिन्तन प्रस्तुत किया है, अतः उनके द्वारा लिखित पुस्तकों के अक्षरों के भीतर जो तथ्य उद्गीर्ण हुए हैं, उन्हें काल की अनेक परतों भी

आवृत्त या धूमिल नहीं कर सकती ।”

लेखिका ने स्थान-स्थान पर आचार्य तुलसी के प्रवचनों अथवा पुस्तकों में उद्धरण देकर उसके महत्त्व को दर्शाया है। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तथा विश्व की शायद ही कोई समस्या हो, जिस पर आचार्यश्री तुलसी ने अपने विचार प्रकट न किए हों। लेखिका की मूल प्रवृत्ति एक शोध-कर्त्री की रही है। यही कारण है कि वह आचार्य तुलसी के साहित्य के अनन्त भण्डार का इतनी गहराई से पर्यालोचन और मूल्यांकन कर सकी है।

आचार्य तुलसी का एक विशिष्ट योगदान यह भी रहा है कि उन्होंने हिन्दी साहित्य की प्रत्येक विद्या को अपनी लेखनी द्वारा समृद्ध किया है। उनके विपुल साहित्य से निश्चय ही मां-भारती के भंडार की श्री-वृद्धि हुई है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि आचार्य तुलसी की अब तक प्रकाशित समस्त कृतियों और प्रवचनों पर समशी कुसुमप्रज्ञा ने अत्यन्त परिश्रमपूर्वक प्रस्तुत पुस्तक की रचना की है। इससे एक ही स्थान पर न केवल आचार्यश्री की रचनाओं का परिचय तथा सम्यक् विवेचन प्राप्त होता है, अपितु उनके मूल्यांकन पर भी प्रकाश पड़ता है।

मेरी निश्चित मान्यता है कि यह पुस्तक एक बड़े अभाव की पूर्ति करती है। आलोचना साहित्य में इस पुस्तक को ऊचा स्थान प्राप्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इस मूल्यवान् कृति के लिए लेखिका को हार्दिक साधुवाद देता हूँ।

सस्ता साहित्य मंडल,
एन-७७, कनाट सर्कस,
नई दिल्ली-११०००१
दिनांक १७ जून, १९९४

—यशपाल जैन

स्वकीयम्

‘साहित्य आत्मा की अनुभूतियों का रहस्य खोलने वाली अद्भुत कुजी है।’ जयशंकर प्रसाद का उपरोक्त कथन सत्य ही नहीं, अक्षरशः सत्य है। साथ ही युगधारा को मोड़ने तथा सभ्यता-संस्कृति को प्राणवान् बनाए रखने में भी साहित्य का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। जिस समाज व राष्ट्र का साहित्य जितना विशद एवं समृद्ध होता है, वह समाज एवं देश उतना ही प्रकाशमान होता है। पाठक की अन्तश्चेतना को झकझोरने वाला ही महान् साहित्यकार होता है। प्रेमचन्द ने साहित्यकार को दीपक की उपमा दी है। जो स्वयं तप्त होकर भी दूसरो को निष्पृह एवं निर्लिप्त भाव से प्रकाश देता है।

आचार्य तुलसी एक ऐसे सृजनधर्मा साहित्यकार है, जिन्होंने सामयिक सत्य को त्रैकालिक समस्याओं के समाधान के रूप में अनुष्ठेय बनाकर जन-कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। सत्य की साधना उनके साहित्य के कण-कण में प्रतिबिम्बित है, इसलिए यह साहित्य समाज और राष्ट्र की चेतना को झकझोर कर उसे नया आलोक देने में समर्थ है। निराशा, कुंठा एवं नकारात्मक भावों से तो उनका दूर का भी रिश्ता नहीं है, बल्कि वे तो विधेयक भावों के पुरस्कर्ता हैं। यही कारण है कि उनके साहित्य के कल्पवृक्ष की सघन-शीतल छाया में बैठकर सुख, शांति और आनन्द की अनुभूति की जा सकती है। उस छाया के स्नेहिल और शीतल स्पर्श से अशान्ति, उन्माद, दुःख और त्रास जैसे तत्त्व विलीन हो जाते हैं।

उनका साहित्य जितना सरल एवं सुबोध है, व्यक्तित्व उतना ही अगम्य, अकथ्य, अलौकिक एवं अनिर्वचनीय है। लाखों लोगों की भक्तिभरी श्रद्धा प्राप्त करने पर भी वे स्वयं को मानव ही मानते हैं तथा मानव को सही मानव बनने का उपदेश देते हैं।

उनकी यह उदग्र अभीप्सा है कि भारत फिर एक बार विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो। प्राचीन काल की भाँति पुनः अध्यात्म की दीक्षा प्राप्त करने विदेशी यहाँ आएँ और प्रेरणा प्राप्त करें। इसके लिए वे भारतीय जनो को प्रेरणा देते रहते हैं—‘अणुव्रतों के द्वारा अणुवर्मों की भयकरता का विनाश हो। अभय के द्वारा भय का विनाश हो और त्याग के द्वारा संग्रह का ह्रास हो। ये घोष सभ्यता, संस्कृति और कला के प्रतीक बनें और इस कार्य में

सबका सहयोग जुड़े तो जीवन की दिशा बदल सकती है।' आचार्य तुलसी उन महापुरुषों की शृंखला में हैं, जो स्वयं युग की धारा में नहीं बहे, किन्तु अपने कर्तृत्व, नेतृत्व एवं विचारों से युग की धारा को मोटककर अपने साथ कर लिया।

सेमुअल स्माइल्स कहते थे—“बुरी पुस्तकें एक विप होती हैं; जो समाज में बुराई के बीज डालती हैं। इन पुस्तकों के लेखक अपनी कब्रों में भी भावी पीढ़ियों की हत्या करते रहते हैं।” आचार्य तुलसी ने विकृत साहित्य की बढ़ती संख्या को देखकर उसके सामने आदर्श की एक मशाल प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, जिससे लोगों के मस्तिष्क की धुलाई हो सके।

आचार्य तुलसी के विशाल वाङ्मय को विषयों में वर्गीकृत करने का एक सकल्प जागा और वह 'आचार्य तुलसी साहित्य : एक पर्यवेक्षण' के रूप में सम्पन्न हो गया। उसके साथ 'गद्य साहित्य . पर्यालोचन और मूल्यांकन' नाम से एक भूमिका भी जोड़ी गयी। यह भूमिका इतनी विस्तृत हो जाएगी, ऐसी कल्पना नहीं थी। किन्तु सहज रूप से, किसी अदृश्य प्रेरणा से लेखनी चलती रही, जिसे रोकना संभव नहीं था। लिखते समय एक प्रेरणा यह भी कार्य कर रही थी कि जिस साहित्य के स्वाध्याय ने मुझे अनिर्वचनीय, अनुत्तर आनन्द की अनुभूति में तदात्म किया है, उसकी अनुभूति दूसरों को कराने का सामर्थ्य मेरे में न होते हुए भी, उसके कुछ अंश का अनुभव कराने का असफल-सफल प्रयास मुझे करना चाहिए। यदि कुछ चेतनाएँ भी इस उपक्रम से स्पष्टित होंगी तो इसमें लगे श्रम की सार्थकता है। मैं निःसंकोच भाव से कहना चाहती हूँ कि बहुत कुछ लिख दिए जाने पर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सागर से कुछ बूंदें निकालने का कार्य ही सम्पन्न हो सकता है। राम के सेतुबंध के अवसर पर गिलहरी ने जिस श्रम का अनुदान दिया, वैसा ही मेरा यह कार्य है। अभी तो बहुत कुछ शेष है। उस शेष को निःशेष करने के लिए अनेक सशक्त अंगुलियों का श्रम अपेक्षित ही नहीं, अनिवार्य भी है।

भूमिका के रूप में लिखी गयी 'गद्य साहित्य : पर्यालोचन एवं मूल्यांकन' के बारे में अनेक लोगों का सुझाव था कि इसे स्वतन्त्र रूप से प्रस्तुत किया जाए तो इसकी उपयोगिता अधिक रहेगी। इसी सुझाव का प्रतिफल है—आचार्य तुलसी की साहित्य-सम्पदा, भाग-१।

तुलसी और सूर ने राम और कृष्ण के जीवन-चरित्र को लिखकर उन पर कोई अहसान या विनिमय नहीं चाहा, वरन् अपने समर्पण एवं श्रद्धा को सजीव अभिव्यक्ति दी। आचार्य तुलसी की साहित्य-सम्पदा के कुछ रत्न प्रस्तुत करने में लगे मेरे श्रम के पीछे भी गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा एवं समर्पण की अनुभूति ही काम कर रही है, अन्य कोई कामना नहीं।

मेरी अगली साहित्यिक यात्रा का पथ अभी गुरुदेव के इगित की प्रतीक्षा में है। उनके द्वारा सौंपा हुआ निर्युक्ति एवं भाष्य की संपादित प्राचीनतम विशाल श्रुतराशि अभी अप्रकाशित पड़ी है। फिर भी इतना मानसिक सकल्प है कि अवकाशप्राप्त क्षणों में आचार्यवर के गद्य-साहित्य की भाति पद्य-साहित्य का विवेचन, विश्लेषण एवं समालोचन भी जनता के समक्ष प्रस्तुत करूँ। यह कहना कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि गद्य की अपेक्षा उनका पद्य अधिक सहज, सरल, सशक्त, प्रभावी, मार्मिक एवं हृदयग्राही है।

अनेक बार मेरे समझ यह चिंतन उपस्थित किया गया कि कोई स्वतंत्र ग्रन्थ लिखा जाना चाहिए था। इसकी क्या उपयोगिता है? पर जाने कैसी स्थिति है कि मेरे मन में कभी स्वतंत्र रूप से कुछ लिखने की इच्छा जागती ही नहीं। इन पांच वर्षों में जितना भी लेखन हुआ है, वह परमाराध्य गुरुदेव के व्यक्तित्व की परिक्रमा करने वाला ही है। सैकड़ों पृष्ठ लिखने के बाद भी रह-रह कर मेरे मन में एक बात आती है—काश! मेरे सैकड़ों-सैकड़ों हाथ होते, तब संभवतः उस विशाल एवं विराट् व्यक्तित्व का कुछ अंश जनता के समक्ष प्रस्तुत कर पाती। भविष्य में भी मेरी लेखनी गुरुदेव के महनीय व्यक्तित्व के उन गुणों को प्रस्तुत करती रहे, जो अहमहमिकया की होड़ में है तथा जनता को जिनसे सक्रिय प्रशिक्षण मिल सकता है। महाश्रमणी साध्वीप्रमुखा कनकप्रभाजी के शब्दों में आचार्यश्री का कर्तृत्व धरती से उदित होकर आकाश तक पहुंच गया है। उसको शब्दों में बांधने का प्रयत्न आकाश के भुजाओं में बांधने जितना अर्थहीन है। यद्यपि आचार्य तुलसी के चरणों में मेरी अनंत आस्था निवास करती है, पर वह रूढ़ नहीं है, उसमें उन्होंने बुद्धि और तर्क का योग भी कर दिया है। इस ग्रन्थ को लिखते समय मेरे मानस में आचार्य तुलसी द्वारा युवाचार्य महाप्रज्ञ को दिए गए निर्देश की पंक्तियां मार्गदर्शक थी—‘तुम शिष्य हो, अनुयायी हो, अनुरागी हो, इसलिए मेरी अत्यधिक प्रशंसा कर सकते हो। परन्तु मैं चाहता हूँ, तुम मेरी जीवनी प्रशंसात्मक नहीं, अपितु आलोचनात्मक लिखो, जिससे पढ़ने वालों को लगे कि जीवन को यथार्थ के धरातल पर उतारा गया है।’

मैंने पूरा प्रयास किया है कि भक्ति के अतिरेक में कहीं ऐसा न हो कि अतिशयोक्ति हो जाए और यथार्थ पीछे छूट जाए। एक समालोचक अध्येता की भांति मैंने उनके सम्पूर्ण साहित्य का अवगाहन किया है और उसको स्वल्प प्रस्तुति दी है।

एक बात पर पाठक विशेष ध्यान देगे कि आचार्य तुलसी वर्तमान में गणाधिपति तुलसी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी युवाचार्य महाप्रज्ञ को आचार्य बना दिया है। चूंकि यह घटना सुजानगढ़

१९९४ के फरवरी मास में घटित हुई और तब तक इस पुस्तक का काफी अंश प्रकाशित हो चुका था ? अतः एकरूपता बनाए रखने लिए मैंने आचार्य तुलसी एवं युवाचार्य महाप्रज्ञ नामों का ही प्रयोग किया है ।

आचार्य तुलसी रचनात्मक श्रद्धांजलि चाहते हैं । विशेष अवसरों पर वे अनेक बार हम लोगों को प्रेरणा दे चुके हैं—'तुम लोग गीतिकाओं, भाषणों एवं शब्दचित्रों के माध्यम से मेरी प्रशस्ति करते हो, लेकिन मैं केवल प्रशस्ति सुनकर प्रसन्न नहीं होता । मैं चाहता हूँ, ऐसे अवसरों को निमित्त बनाकर साधु-साध्विया शोधपूर्ण निबंध लिखें अथवा ठोस कार्य करें ।' गुरुदेव की यह प्रेरणा मेरे मानस पर सदैव अंकित रहती है, इसलिए कोरी प्रशस्ति में मेरा विश्वास नहीं है । कुछ-न-कुछ सृजन कार्य चलता रहे और समय अप्रमत्त भाव से बीतता रहे, ऐसी भावना मानस में मर्दव तरंगित रहती है ।

इस कार्य के सम्पादन में आचार्य महाप्रज्ञजी, महाश्रमणी साध्वीप्रमुखाजी तथा महाश्रमण मुनि मुदितकुमारजी के प्रेरक मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद ने मेरे पथ को आलोकित किया है । माध्वी सिद्धप्रज्ञाजी के निष्काम सहयोग ने भी मेरे कार्य को हल्का किया है । मुनिश्री धर्महचिजी तथा साध्वीश्री निर्वाणश्रीजी के अमूल्य मुष्काव मेरे लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए हैं । प्रेस मैनेजर श्री जगदीशप्रसादजी तथा श्रीमती कमला वैद के सहयोग की स्मृति भी अपेक्षित है । गुरुदेव की सृजनधर्मी प्रेरणा एवं असीम शक्ति सप्रेषण दोनों का योग मुझे मिला है । इस योग ने ही कुछ कर गुजरने की आकांक्षा पैदा की है । अणूत्रत अनुशास्ता को राष्ट्रीय एकीकरण निमित्त 'इंदिरा गांधी पुरस्कार' मिला । समस्त भारतीय जन-मानस ने अध्यात्म के पुरोधा का इस सम्मान-प्रसंग पर पुलकित हृदय से अभिनंदन किया । इस अवसर पर मेरे मन में भी गुरुदेव को बधाई देने की प्रबल भावना उद्भूत हुई । इसी भावना से प्रेरित उनके विचार इस कृति के रूप में उन्हीं के चरणों में अर्पित करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है ।

अनुक्रम

गद्य साहित्य : पर्यालोचन और मूल्यांकन

साहित्य का स्वरूप	१	० अहिंसा की शक्ति	८८
साहित्य की कसौटी	२	० अहिंसा की प्रतिष्ठा	८९
साहित्य का उद्देश्य	७	० अहिंसा का प्रयोग	९१
साहित्यकार	९	० हिंसक क्रांति	९३
साहित्य का वैशिष्ट्य	१५	० अहिंसा का सामाजिक	
साहित्य के भेद	१८	स्वरूप	९४
साहित्यिक विधाएं	१९	० वैचारिक अहिंसा	९६
० निबंध	१९	० अहिंसात्मक प्रतिरोध	९८
० कथा	२५	० अहिंसा सार्वभौम	१००
० सस्मरण	२७	० अहिंसा और वीरता	१०१
० जीवनी	२८	० लोकतंत्र और अहिंसा	१०२
० पत्र	२९	० अहिंसा और युद्ध	१०३
० डायरी	३०	० अहिंसा और	
० संदेश	३०	विम्वशाति	१०६
० गद्यकाव्य	३१	० निःशरणीकरण	१०८
० भेंटवार्ता	३२	० आचार्य तुलसी के	
० यात्रावृत्त	३२	अहिंसक प्रयोग	१०९
० प्रवचन-साहित्य	३३		
भाषा-शैली	५६	धर्म-चिंतन	११७
चिंतन के नए क्षितिज	७८	० धर्म का स्वरूप	११७
अहिंसा दर्शन	७८	० धार्मिक कौन ?	११८
० अहिंसा का स्वरूप	८०	० धर्म और राजनीति	१२०
० अहिंसा की मौलिक		० धर्म और विज्ञान	१२२
अवधारणा	८२	० धर्म और संप्रदाय	१२३
० अहिंसक कौन ?		० धार्मिक सद्भाव	१२६
० हिंसा के विविध		० अमाप्रदायिक धर्म	
० अहिंसा का		अणुव्रत	

० धार्मिक चिकित्सा	१३१	० अतीत का विमर्श :	
० धर्मशास्त्र	१३५	व्यापक का व्यापक	२००
राष्ट्र-चिन्तन	१३९	० शोकावस्था की भूमि :	
० राष्ट्रीयता	१३९	संस्कृत की शक्ति	२००
० भारतीय संस्कार	१४१	० राष्ट्र-निर्माण	२००
० राष्ट्रीय विकास	१४६	० अर्थ-व्यवस्था	२०६
० राजनीति	१४९	० असाद विचार को	
० संग्रह	१५०	शक्ति का संकेत	२०५
० चुनाव	१५१	० शक्ति का शक्ति	
० मानव एवं विधायक	१५२	विचार-शक्ति	२०५
० लोकतंत्र	१५५	० शक्ति की शक्ति को	२०६
० राष्ट्रीय एकात्मता	१५७	० अन्तर्गत शक्ति के	
समाज-दर्शन	१६३	अन्तर्गत शक्ति के	
० परिवार	१६५	द्वारा शक्ति शक्ति	२०६
० सामाजिक शक्ति	१६७	० असाध्य	२०६
० संकेत	१६९	० उद्देश्य-शक्ति	२०६
० अज्ञानवाद	१७०	० शक्ति के शक्ति	
० सामाजिक शक्ति	१७२	शक्ति	२०६
० नया मोट	१७५	० शक्ति शक्ति शक्ति	
० नागरी	१७६	शक्ति	२०६
० युवक	१७८	० शक्ति की शक्ति	२१०
० समाज और अर्थ	१८७	० शक्ति की शक्ति	
० व्यवसाय	१९०	शक्ति शक्ति शक्ति	
० स्वस्थ समाज-निर्माण	१९३	शक्ति शक्ति	२११
साहित्य-परिचय	१९७	० शक्ति का शक्ति	२१२
० अणुशक्ति आन्दोलन	१९८	० शक्ति-शक्ति शक्ति	२१२
० अणुशक्ति के आन्दोलन के	१९९	० शक्ति शक्ति शक्ति	
० अणुशक्ति के संदर्भ के	१९९	शक्ति शक्ति शक्ति	२१३
० अणुशक्ति शक्ति-प्रगति	२००	० शक्ति ! शक्ति	
० अणुशक्ति कयो शक्ति ?	२००	शक्ति !!	२१३
० अणुशक्ति शक्ति	२०१	० शक्ति की शक्ति	
० अतीत का अनावरण	२०१	शक्ति	२१४

- | | | | |
|-------------------------|-----|--------------------------------|-----|
| ○ जैन तत्त्व प्रवेश | | ○ प्रवचन-पाथेय, | |
| भाग १, २ | २१४ | भाग १-११ | २२८ |
| ○ जैन तत्त्व विद्या | २१५ | ○ प्रश्न और समाधान | २२९ |
| ○ जैन दीक्षा | २१५ | ○ प्रेक्षा-अनुप्रेक्षा | २२९ |
| ○ ज्योति के कण | २१६ | ○ प्रेक्षाध्यान : प्राणविज्ञान | २३० |
| ○ ज्योति से ज्योति जले | २१६ | ○ वीति ताहि विसारि दे | २३० |
| ○ तत्त्व क्या है ? | २१६ | ○ वूद-वूद से घट भरे | |
| ○ तत्त्व-चर्चा | २१७ | भाग १, २ | २३० |
| ○ तीन सदेश | २१७ | ○ वूद भी : लहर भी | २३१ |
| ○ तेरापंथ और मूर्तिपूजा | २१८ | ○ वैसाखिया विश्वास की | २३२ |
| ○ दायित्व का दर्पण | | ○ भगवान् महावीर | २३३ |
| आस्था का प्रतिबिम्ब | २१८ | ○ भोर भई | २३३ |
| ○ दीया जले अगम का | २१९ | ○ भ्रष्टाचार की | |
| ○ दोनो हाथ . एक साथ | २१९ | आधारशिलाए | २३४ |
| ○ धर्म . एक कसौटी, | | ○ मजिल की ओर, | |
| एक रेखा | २२० | भाग १, २ | २३४ |
| ○ धर्म और भारतीय | | ○ महामनस्वी आचार्य | |
| दर्शन | २२१ | श्री कालूगणी : | |
| ○ धर्म : सब कुछ है, | | जीवनवृत्त | २३५ |
| कुछ भी नहीं | २२१ | ○ मुक्ति : इसी क्षण मे | २३६ |
| ○ धर्म-सहिष्णुता | २२१ | ○ मुक्तिपथ | २३६ |
| ○ धवल समारोह | २२२ | ○ मुखड़ा क्या देखे | |
| ○ नया मोड | २२२ | दरपन मे | २३७ |
| ○ नयी पीढी | | ○ गैरा धर्म : केन्द्र | |
| नए सकेत | २२३ | और परिधि | २३७ |
| ○ नवनिर्माण की पुकार | २२३ | ○ राजधानी मे आचार्य | |
| ○ नैतिकता के नए चरण | २२४ | श्री तुलसी के संदेश | २३८ |
| ○ नैतिक-संजीवन भाग १ | २२४ | ○ राजपथ की खोज | २३९ |
| ○ प्रगति की पगडंडिया | २२५ | ○ लघुता से प्रभुता मिले | २४० |
| ○ प्रज्ञापर्व | २२५ | ○ विचार दीर्घा | २४० |
| ○ प्रज्ञापुरुष जयाचार्य | २२६ | ○ विचार-चीथी | २४१ |
| ○ प्रवचन डायरी | | ○ विश्व शांति और | |
| भाग १-३ | २२७ | उसका मार्ग | २४१ |

○ व्रतदीक्षा	२४१	संकलित एवं संपादित साहित्य	२४८
○ शांति के पथ पर (दूसरी मजिल)	२४२	○ अणुव्रत अनुशास्ता के साथ	२४८
○ श्रावक आत्मचितन	२४२	○ अनमोल बोल आचार्य तुलसी के	२४८
○ श्रावक सम्मेलन मे	२४३	○ एक वृद्ध : एक सागर (भाग १-५)	२४८
○ संदेश	२४३	○ तुलसी-वाणी	२५०
○ संभल सयाने !	२४३	○ पथ और पाथेय	२५०
○ सफर : आधी गताब्दी का	२४४	○ सप्त व्यसन	२५०
○ समण दीक्षा	२४४	○ सीपी सूक्त	२५१
○ समता की आख चरित्र की पांख	२४५	○ हस्ताक्षर	२५१
○ समाधान की ओर	२४६	○ शैक्ष-शिक्षा	२५२
○ साधु जीवन की उपयोगिता	२४६	पद्य एवं संस्कृत साहित्य	२५३
○ सूरज ढल ना जाए	२४६	○ पद्य साहित्य	२५३
○ सोचो ! समझो ! भाग १,३	२४७	○ सस्कृत साहित्य	२५३
		आचार्य तुलसी के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां	२५४
		पुस्तक संकेत-सूची	२५५

गद्य साहित्य : पर्यालोचन और मूल्यांकन

साहित्य का स्वरूप

साहित्य मानव की अनुभूतियों, भावनाओं और कलाओं का साकार रूप है। इसमें भाषा के माध्यम से जीवन की अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए मैथ्यू आर्नोल्ड आदि पाश्चात्य विद्वानों ने साहित्य को जीवन की व्याख्या एवं आलोचना माना है। जहाँ तक जीवन की पहुँच है, वहाँ तक साहित्य का क्षेत्र है। जीवन-निरपेक्ष साहित्य अपना महत्त्व खो देता है अतः विद्वानों ने साहित्य की यही कसौटी मताई है कि वह जीवन से उत्पन्न होकर सीधे मानव जीवन को प्रभावित करता है। यों और दो चार होते हैं, यह चिर सत्य है पर साहित्य नहीं है क्योंकि जो मनोवेग तरंगित नहीं करता, परिवर्तन एवं क्रोध कर गुजरने की शक्ति नहीं देता, वह साहित्य नहीं हो सकता अतः अभिव्यक्ति जहाँ आनंद का स्रोत बन जाए, वही वह साहित्य बनता है।

प्रेमचंद अपने समय के ही नहीं, इस आताछंदी के प्रख्यात कथाकारों में से एक रहे हैं। उन्होंने साहित्य का जो स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसे एक अंश में पूर्ण कहा जा सकता है। वे कहते हैं—“जिस साहित्य में हमारी सुस्मृति नहीं जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हममें शक्ति व गति पैदा न हो, हमारा सौंदर्यप्रेम और स्वाधीनता का भाव जागृत न हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश उपलब्ध न हो, जो हममें सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सर्वथा दृढ़ता उत्पन्न न करे, वह हमारे लिए अर्थपूर्ण नहीं है, उसे साहित्य की कौटि में परिगणित नहीं किया जा सकता।” उन्होंने साहित्य को समाज की शरीर के मरिचक के रूप में स्वीकार किया है।

साहित्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ‘मनु’द्वारा नै नीतिशास्त्र में किया है। साहित्य को हमारे प्राचीन मनीषियों ने मुकुमार वस्तु कहा है। रवीन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के स्वरूप को दार्शनिक परिधान देने हुए कहते हैं—“भाव का भाषा से, प्रकृति के स्वरूप से, अतीत का वर्तमान से, दूर का निकट से तथा मस्तिष्क के अंतर्गत से, अतीत साहित्य है।”

हजारी प्रसाद द्विवेदी

‘मनु’ की सर्वप्रथम श्रुति और

साधना का प्रकाश साहित्य है। अतः साहित्य का मर्म वही समझ सकता है, जो साधना और तपस्या का मूल्य समझे।^१ ऐसा साहित्य कभी पुराना नहीं हो सकता क्योंकि विज्ञान, समाज तथा सांस्कृतिक तत्त्व समय की गति के अनुसार बदलते हैं, पर साहित्य हृदय की वस्तु है। जो साहित्य नामधारी वस्तु लोभ और घृणा पर आधारित है, वह साहित्य कहलाने के योग्य नहीं है, वह हमें विशुद्ध आनंद नहीं दे सकता।

प्रसिद्ध समालोचक बाबू गुलाबराय कहते हैं—“जहां हित और मनोहरता की युति है, वही सत्साहित्य की सृष्टि होती है। “हित मनोहारि च दुर्लभ वच.”—साहित्य इसी दुर्लभ को सुलभ बनाता है।”^२

साहित्य की कसौटी

“जो साहित्य मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, हृदय को परदुःखकातर और सवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है”—हजारीप्रसाद द्विवेदी की ये पक्तियाँ साहित्य की कसौटियों को समग्र रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। ये साहित्य के भावतत्त्व को प्रकट करने वाली हैं पर बाह्य रूप से टालस्टॉय ने तीन प्रकार के नकारात्मक साहित्य का उल्लेख किया है—

- 1 Borrowed—कहीं से उधार लिया हुआ।
- 2 Imitated—कहीं से नकल किया हुआ।
- 3 Countefiet - खोटा साहित्य।

इन तीनों प्रकार के साहित्य में मौलिकता एवं प्रभावोत्पादकता नहीं होती अतः उन्हें साहित्य की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। प्रसिद्ध साहित्यकार नवीनजी का कहना है कि मेरे समक्ष सत्साहित्य का एक ही मापदण्ड है वह यह कि किस सीमा तक कोई साहित्यिक कृति मानव को उच्चतर, सुन्दरतम, अधिक परिष्कृत एवं समर्थ बनाती है।”

वही साहित्य प्रभविष्णु हो सकता है, जिसमें निम्न चार तत्त्वों का समावेश हो—१. जीवन्त सत्य, २. स्वतंत्रता, ३. यथार्थ ४. क्रांति।

आचार्य तुलसी का साहित्य इन सभी विशेषताओं को अपने भीतर समेटे हुए है।

जीवन्त सत्य

उन्होंने साहित्य की सामग्री एवं विषय रेक में रखी पुस्तकों से नहीं

१. हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रथावली, भा० ७, पृ० १३९, १६०

२. वही, पृ० १६८

अपितु उन जीवित व्यक्तियों से ली है जो प्रतिदिन हजारों की संख्या में उनके चरणों में उपस्थित होते हैं। यही कारण है कि उनके साहित्य में जीवन्त सत्य का दर्शन होता है। यह सत्य कभी-कभी उनकी स्वयं की अनुभूति में भी प्रकट हो जाता है—

- मैंने अपने छोटे से जीवन में गुस्सैल व्यक्ति बहुत देखे हैं पर उत्कृष्ट कोटि के क्षमाशील कम देखे हैं। गर्वित व्यक्तियों से मेरा आमना-सामना बहुत हुआ है पर विनम्र व्यक्ति कम देखे हैं। लोगों को फसाने के लिए व्यूह रचना करने वाले मायावी व्यक्ति बहुत मिले पर ऋजुता की विशेष साधना करने वाले कितने होते हैं? लोभ के शिखर पर आरोहण करने वाले अनेक व्यक्तियों से मिला हूँ पर सतोष की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए व्यक्ति कम देखे हैं। इसी प्रकार पढ़े-लिखे लोगों से मेरा सम्पर्क आए दिन होता है पर बहुश्रुत व्यक्तियों से साक्षात्कार करने का प्रसंग कभी-कभी ही मिल पाता है।^१
 - स्याद्वाद से मैं यह सीख पाया हूँ कि सत्य उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसके मन में अपनी मान्यताओं का आग्रह नहीं होता।
 - मैं आचार की समता लेकर चलता हूँ अतः दो विरोधी विचार भी मेरे सामने एक घाट पानी पी सकते हैं।
 - अति हर्ष और विपाद, अति श्रम और विश्राम आदि अतियों से बचे रहने के कारण मैं आज भी अपने आपको तारुण्य की दहलीज पर खड़ा अनुभव कर रहा हूँ।
 - विरोधों से डरने वालों को मैं उचित परामर्श देना चाहता हूँ कि वे एक तटस्थद्रष्टा की भाँति उसे देखते रहे और आगे बढ़ते रहे, भविष्य उन्हें स्वतः बतला देगा कि घड़े हुए ये कदम प्रगति को किस प्रकार अपने में समेटे हुए चलेगे।
- जीवन के ये अनुभूत सत्य हर किसी को प्रेरणा देने में पर्याप्त हैं।

स्वतंत्रता

साहित्य के परिवेश में स्वतंत्रता का अर्थ है—मौलिकता। आचार्य तुलसी के साहित्य की मौलिकता इस बात से नापी जा सकती है कि उन्होंने समाज के उन अनछुए पहलुओं का स्पर्श किया है जिसकी ओर आम साहित्यकार का ध्यान ही नहीं जाता। उन्होंने अनेक शब्दों को नया अर्थ भी प्रदान किया है। स्वतंत्रता का अर्थ प्रायः विदेशी सत्ता से मुक्ति या नियम की पराधीनताओं से मुक्ति माना जाता है पर उन्होंने उसे एक मौलिक अर्थवत्ता प्रदान की है—

“यदि व्यक्ति स्वतंत्र है तो किसी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करेगा। वह एक क्षण में प्रसन्न और एक क्षण में नाराज नहीं होगा, एक क्षण में विरक्त और एक क्षण में वासना का दास नहीं बनेगा।^१

पदार्थवादी दृष्टिकोण ने व्यक्ति को इतना भौतिक और यात्रिक बना दिया है कि उसके सामने जीवन का मूल्य नगण्य हो गया है। वे वैज्ञानिक प्रगति के विरोधी नहीं पर विज्ञान व्यक्ति पर हावी हो जाए, इसके घोर विरोधी हैं तथा इसमें भयंकर दुष्परिणाम देखते हैं। विज्ञान पर व्यंग्य करता हुआ उनका निम्न वक्तव्य अनेक लोगों की मौलिक सोच को जागृत करने वाला है—“१० अगस्त १९८२ का धर्मयुग देखा। उसके तीसरे पृष्ठ पर एक विज्ञापन छपा है नोविनो सेल का। विज्ञापन के ऊपर के भाग में एक आदमी का रेखाचित्र है और उसके निकट ही रखा हुआ है एक कैल्क्युलेटर। कैल्क्युलेटर सेल से काम करता है। उस रेखाचित्र के नीचे दो वाक्य लिखे हुए हैं— कैल्क्युलेटर लगातार काम करेगा इसका आश्वासन तो हम दे सकते हैं पर ये महाशय भी ऐसे ही काम करेंगे, इसका आश्वासन भला हम कैसे दे सकते हैं? एक आदमी का आदमी के प्रति कितना तीखा व्यंग्य है? कहां विद्युतघट के रूप में काम करने वाला सेल और कहा ऊर्जा का अखूट केंद्र आदमी? सेल का निर्माता आदमी है वही आदमी अपने सजातीय का ऐसा क्रूर उपहास करे, कितनी बड़ी विडम्बना है!”^२ युगधारा को पहचानने के कारण इस प्रकार के अनेक मौलिक चिन्तन उनके साहित्य में यत्र-तत्र मिल जाएंगे। यह वेधकता और मौलिकता उनके साहित्य की अपनी निजता है।

यथार्थ

हिंदी साहित्य में आदर्श और यथार्थ के सघर्ष की एक लम्बी परम्परा रही है। इसी आधार पर साहित्य के दो वाद प्रतिष्ठित हैं—आदर्शवाद और यथार्थवाद। यथार्थवादी जीवन की साधारणता का चित्रण करता है जबकि आदर्शवादी जीवन के असाधारण व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति देता है। आदर्श केवल गुणों का चित्रण उपस्थित करता है जबकि यथार्थ गुण और अवगुण दोनों को अपने अचल में समेट लेता है। आदर्श कहीं-कहीं अवगुण को भी गुण में परिवर्तित कर देता है। आचार्य तुलसी में आदर्शवाद और यथार्थवाद की समन्वित छाया परिलक्षित होती है इसलिए उनके साहित्य को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का प्रतीक कहा जा सकता है। वे इस तथ्य को मानकर चलते हैं कि यथार्थ को उपेक्षित करने वाला आदर्श केवल उपदेश या कल्पना हो सकती है, ठोस के घरातल पर उतरने की क्षमता उसमें नहीं होती।

१. जैन भारती, २६ जून, ५५

२. कुहासे में उगता सूरज, पृ० ३७

आदर्श के बारे में उनकी अवधारणा यथार्थ के निकट है पर संतुलित है—“आदर्श वह नहीं होता, जिसके अनुसार कोई व्यक्ति चल ही नहीं सके और आदर्श वह भी नहीं होता जिसके अनुसार हर कोई आसानी से चल सके। आदर्श वह होता है जो व्यक्ति को साधारण स्तर से ऊपर उठाकर ऊर्चाई के उस बिंदु तक पहुंचा दे जहां सकल्प की उच्चता और पुरुषार्थ की प्रबलता से पहुंचा जा सकता है।

आदर्श और यथार्थ की अन्विति होने से उनका साहित्य अधिक जनभोग्य, प्रेरक तथा आकर्षक हो गया है। जीवन के हर क्षेत्र में यहां तक कि प्रशासनिक अनुभवों में भी यथार्थ और आदर्श के समन्वय की पुट देखी जा सकती है। उनका कहना है—“अनुशासन एक कला है। इसका शिल्पी यह जानता है कि कब कहा जाए और कहां सहा जाए। सर्वत्र कहा हीजाए तो धागा टूट जाता है और सर्वत्र सहा ही जाए तो वह हाथ से छूट जाता है।”
क्रांति

नेपोलियन बोनापार्ट कहते थे—क्रांति अति हानिकारक कूड़े के ढेर के सदृश है, जिसमें अति उत्तम वानस्पतिक पैदावार होती है। आचार्य तुलसी क्रांति को उच्छृंखलता, उद्वंडता और अशांति नहीं मानते। उनकी दृष्टि में इन तत्त्वों से जुड़ी क्रांति, क्रांति नहीं, भ्रांति है। वे क्रांति का अर्थ करते हैं—“सामाजिक धारणाओं, व्यवस्थाओं और व्यवहारों का पुनर्जन्म। इसका सूत्र-पात वही कर सकता है जो स्वयं विपयान कर दूसरों को अमृत पिलाता है।” उनके साहित्य का हर पृष्ठ बोलता है कि उनकी विचारधारा एक अहिंसक क्रांतिकारी की विचारधारा है। वे स्वयं अपनी अनुभूति को लिखते हुए कहते हैं—“यदि मैंने समय के साथ चलने की समाज को सूझ नहीं दी तो मैं अपने कर्त्तव्य से च्युत हो जाऊंगा। इसलिए समाज की आलोचना का पात्र बनकर भी मैंने समय-समय पर प्रदर्शनमूलक प्रवृत्तियों, धार्मिक अधपरंपराओं और अधानुकरण की वृत्ति पर प्रहार करके समाज में क्रांति घटित करने का प्रयत्न किया है।”

उनके साहित्य में मुख्यतः सामाजिक एवं धार्मिक क्रांति के विंदु मिलते हैं। सामाजिक क्रांति के रूप में उन्होंने समाज की आडम्बरप्रधान विकृत प्रवृत्तियों को बदलने के लिए रचनात्मक उपाय निदिष्ट किए हैं।

दहेज प्रथा के विरोध में युवापीढी में अभिनव जोश भरते हुए तथा उसके प्रतिकार का मार्ग सुझाते हुए उनकी क्रांतवाणी पठनीय ही नहीं, मननीय भी है—अपनी पीढी की तेजस्विता और यशस्विता के पहरे बनकर एक साथ सैकड़ों-हजारों युवक-युवतियां जिस दिन बुलंदी के साथ दहेज के विरुद्ध

आवाज उठाएंगे, अहिंसात्मक तरीके से समाज की इन घिनौनी प्रवृत्ति, पर अंगुलिनिर्देश करेंगे तो दहेज की परम्परा चरमराकर टूट पड़ेगी ।^१

समाज में क्रांति पैदा करने का उनका दृढ संकल्प समय-समय पर मुखरित होता रहता है—“समाज के जिस हिस्से में शोषण है, भूठ है, अधिकारो का दमन है, उसे मैं बदलना चाहता हूँ और उसके स्थान पर नैतिकता एवं पवित्रता से अनुप्राणित समाज को देखना चाहता हूँ । इसलिए मैं जीवन भर शोषण और अमानवीय व्यवहार के विरोध में आवाज उठाता रहूँगा ।”

धर्मक्रांति का स्वरूप उनके शब्दों में इस प्रकार है—“धर्मक्रांति का स्वरूप है—जो न धर्मग्रंथों में उलझे, न धर्मस्थानों में । जो न स्वर्ग के प्रलोभन से हो और न नरक के भय से । जिसका उद्देश्य हो जीवन की सहजता और मानवीय आचारसहिता का ध्रुवीकरण ।

धर्मक्रांति द्वारा उन्होंने धर्म को मंदिर-मस्जिद के कटघरे से निकाल कर आचरण के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया है ।

उन्होंने धर्मक्रांति के पांच सूत्र दिए हैं—

१. धर्म को अन्धविश्वास की कारा से मुक्त कर प्रबुद्ध लोक-चेतना के साथ जोड़ना ।
२. रूढ़ उपासना से जुड़े हुए धर्म को प्रायोगिक रूप देना ।
३. परलोक सुधारने के प्रलोभन से ऊपर उठाकर धर्म को वर्तमान जीवन की शुद्धि में सहायक बनाना ।
४. युगीन समस्याओं के सदर्थ में धर्म को समाधान के रूप में प्रस्तुत करना ।
५. धर्म के नाम पर होने वाली लड़ाइयों को आपसी वार्तालाप के द्वारा निपटाकर सब धर्मों के प्रति सद्भावना का वातावरण निर्मित करना ।^२

तथाकथित धार्मिकों के जीवन पर व्यंग्य करती उनकी ये पक्तियाँ कितनी क्रांतिकारी बन पड़ी हैं—

पानी को भी छानकर पीने वाले, चींटियों की हिंसा से भी कांपने वाले, प्रतिदिन धर्मस्थान में जाकर पूजा-पाठ करने वाले, प्रत्येक प्राणी में समान आत्मा की अस्तित्व स्वीकार करने वाले धार्मिकों को जब तुच्छ स्वार्थ में फसकर मानवता के साथ खिलवाड़ करते देखता हूँ, धन के पीछे पागल होकर इन्सानियत का गला घोटते देखता हूँ तो मेरा अन्तःकरण बेचैन हो जाता है ।^३

१. अनैतिकता की धूप : अणुव्रत की छतरी, पृ० १७८

२. कुहासे में उगता सूरज, पृ० १४६

३. एक बूढ़ : एक सागर, पृ० १७०१

यह क्रांतवाणी उनके क्रांत व्यक्तित्व की द्योतक ही नहीं, वरन् धार्मिक, सामाजिक विकृतियों एवं अधरूढियों पर तीव्र कटाक्ष एवं परिवर्तन की प्रेरणा भी है। इस सदर्थ में नरेन्द्र कोहली की निम्न पक्तिया उद्धरणीयः एवं मननीय है—“मदिरा की भांति केवल मनोरजन करने वाला साहित्यः मानसिक समस्याओं को भुलाने में सहायता देकर मानसिक राहत दे सकता है पर इसमें उनके निराकरण के प्रयत्न की उपेक्षा होने से समस्या समाप्त नहीं होती, वरन् भुला दी जाती है। ... किसी की पीड़ा का उपचार इजेक्शन देकर सुला देना नहीं है अतः किसी राष्ट्र में समस्याओं की चुनौती स्वीकार करने के लिए जो क्षमता होती है—इस प्रकार के साहित्य से वह क्षीण होकर क्रमशः नष्ट हो जाती है। सक्रियता का लोप राष्ट्र में असहायता का भाव उत्पन्न करता है, जो अंततः राष्ट्र के पतन का कारण होता है। जो साहित्य किसी राष्ट्र को महान् नहीं बनाता, वह महान् साहित्य कैसे माना जा सकता है ?”

इस प्रकार जीवत सत्य, स्वतन्त्रता, यथार्थ एवं क्रांति इन चारों कसौटियों पर आचार्य तुलसी का साहित्य स्वर्ण की भांति खरा उतरता है ॥

साहित्य का उद्देश्य

जीवन में सत्य, शिव और सुन्दर की स्थापना के लिए साहित्य की आवश्यकता रहती है। यद्यपि यह सत्य है कि साहित्य का उद्देश्य या संप्रेषण भिन्न-भिन्न लेखकों का भिन्न-भिन्न होता है किंतु जब-जब साहित्य अपने मूल उद्देश्य से हटकर केवल व्यावसायिक या मनोरजन का साधन बन जाता है, तब-तब उसका सौन्दर्यपूरित शरीर क्षत-विक्षत हो जाता है। साहित्य मानसिक खाद्य होता है अतः वह सोद्देश्य होना चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य के उद्देश्य को इन शब्दों में अंकित करते हैं—‘साहित्य ऐसा होना चाहिए, जिसके आकलन से दूरदर्शिता बढ़े, बुद्धि को तीव्रता प्राप्त हो, हृदय में एक प्रकाश की, सजीवनी शक्ति की धारा बहने लगे, मनोवेग परिष्कृत हो जाए और आत्म-गौरव की उद्भावना तीव्र होकर पराकाष्ठा तक पहुंच जाए।’

कथा मनीषी जैनेन्द्र आत्माभिव्यक्ति को साहित्य का प्रयोजन मानते हैं। उनके अनुसार विश्वहित के साथ एकाकार हो जाना अर्थात् बाह्य जीवन से अतर् जीवन का सामजस्य स्थापित करना ही साहित्य का परम लक्ष्य है। आचार्य शुक्ल साहित्य का उद्देश्य एकता मानते हुए लिखते हैं—‘लोक-जीवन में जहा भिन्नताएं हैं, असमानताएं हैं, दीवारे हैं, साहित्य वहां जीवन की एकरूपता स्थापित करता है।’

राष्ट्रपति डॉ० शंकरदयाल शर्मा केवल विषय प्रतिपादन या तथ्यों के प्रस्तुतीकरण को ही साहित्य का उद्देश्य मानने को तैयार नहीं हैं। वे तो लिखने की सार्थकता तभी स्वीकारते हैं जब लिखे तथ्य को कोई याद रखे, तिलमिलाए, सोचने को बाध्य हो जाए, गुनगुनाता रहे तथा ऊभ-चूभ करने को विवश हो जाए। अतः साहित्य का उद्देश्य यही होना चाहिए कि यथार्थ को इतने प्रभावशाली और हृदयस्पर्शी ढंग से व्यक्त किया जाए कि पाठक उस सोच को क्रियान्वित करने की दिशा में प्रयाण कर दे। अतः साहित्य समाज का दर्पण या एक्सरे ही नहीं, कुशल मार्गदर्शक भी होता है। लोक-प्रवाह में बहकर कुछ भी लिख देना साहित्य की महत्ता को सदिग्ध बना देना है। सक्षेप में लेखन के उद्देश्य को निम्न विदुओं में प्रकट किया जा सकता है—

- अंधकार से प्रकाश की ओर चलने और दूसरों को ले चलने के लिए लिखा जाए।
- जडता, अंधविश्वास और अज्ञान से मुक्ति पाने के लिए लिखा जाए।
- शोषण और अन्याय के विरुद्ध तनकर खड़ा होने की प्रेरणा देने के लिए लिखा जाए।
- व्यक्ति और समाज को बदलने और दायित्वबोध जगाने के लिए लिखा जाए।
- अपनी वेदना को दूसरों की वेदना से जोड़ने के लिए लिखा जाए।
- पाशविक वृत्तियों से देवत्व की ओर गति करने के लिए लिखा जाए।

आचार्य तुलसी के साहित्य में इन सब उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ दृष्टिगोचर होती है क्योंकि उन्होंने कलम एवं वाणी की शक्ति का उपयोग सही दिशा में किया है। उनका लेखन एवं वक्तव्य लोकहित के साथ आत्महित से भी जुड़ा हुआ है। वे अनेक बार इस बात की अभिव्यक्ति देते हुए कहते हैं— “आत्मभाव का तिरस्कार कर यदि साहित्य का सृजन या प्रकाशन होता है तो वह मुझे प्रिय नहीं होगा।”⁹ इन पक्तियों से स्पष्ट है कि साहित्यकार कहलवाने के लिए कोई कलात्मक चमत्कार प्रस्तुत करना उन्हें अभीष्ट नहीं है। यही कारण है कि उनके साहित्य में सत्य का अनुगुजन है, मानवीय संवेदना को जागृत करने की कला है, तथा युग की अनेक ज्वलंत समस्याओं के समाधान का मार्ग है। उनका साहित्य सामाजिक विसंगतियों के विरुद्ध आवाज ही

नहीं उठाता बल्कि उनका समाधान तथा नया विकल्प भी प्रस्तुत करता है, जिससे पाठक सहजतया मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में स्थान दे सके। चुराई को देखकर वे कहीं भी निर्लिप्त द्रष्टा नहीं बने प्रत्युत् हर त्रुटि के प्रति अंगुलिनिर्देश करके समाज का ध्यान आकृष्ट किया है। उनका साहित्य संघर्ष करते मानव में शांति तथा न्याय के प्रति अदम्य उत्साह और उल्लास पैदा करता है। संक्षेप में आचार्य तुलसी के साहित्य के उद्देश्यों को निम्न बिंदुओं में समेटा जा सकता है—

- ० कांता सम्मत उपदेश द्वारा व्यक्ति-व्यक्ति का सुधार
- ० मन में कल्याणकारी भावों की जागृति
- ० जीवन के सही लक्ष्य की पहचान तथा मानवीय आदर्शों की प्रतिष्ठा।
- ० भावचित्र द्वारा पाठक के मन में सरसता पैदा करना।
- ० किसी विचार या सिद्धांत का प्रतिपादन।
- ० पुराने साहित्य को नवीन शैली में युगानुरूप प्रस्तुत करना जिससे साहित्य की मौलिकता नष्ट न हो, नई पीढ़ी का मार्गदर्शन हो सके तथा स्वाध्याय की प्रवृत्ति भी बढ़े।
- ० समाज में गति एवं सक्रियता पैदा करना।
- ० भौतिकवाद के विरुद्ध अध्यात्म एवं नैतिक शक्ति की प्रतिष्ठा।

निष्कर्षतः उनके साहित्य का मूल उद्देश्य यही है कि जन-जीवन को चरित्रनिष्ठा, पवित्रता, मानवता, सदभावना और जीवनकला का सक्रिय प्रशिक्षण मिले।

साहित्यकार

साहित्यकार किसी भी देश या समाज का अग्रगण्य होता है। वह समाज और देश को वैचारिक पृष्ठभूमि देता है, जिसके आधार पर नया दर्शन विकसित होता है। वह शब्द शिल्पी ही साहित्यकार कहलाने का गौरव प्राप्त करता है, जिसके शब्द मानवजाति के हृदय को स्पन्दित करते रहते हैं। साहित्यकार के स्वरूप का विश्लेषण स्वयं आचार्यश्री तुलसी के शब्दों में यों उतरता है—“साहित्यकार सत्ता के सिंहासन पर आसीन नहीं होता, फिर भी उसकी महत्ता किसी सम्राट् या प्रशासक से कम नहीं होती। शासक के पास दंड होता है, कानून होता है, जबकि साहित्यकार के पास लेखनी होती है और होता है मौलिक चिंतन एवं पैनी दृष्टि। कहा जा सकता है कि साहित्यकार के शब्द समाज की विसगतियों एवं विकृतियों के विरुद्ध वह क्रांति पैदा कर सकते हैं, जो बड़े से बड़ा कुवेरपति या सत्ताधीश भी नहीं कर सकता। विनोबाभावे साहित्यकार को देवार्कष रूप में स्वीकार करते हैं, जिसके

दिल में समष्टिमात्र के प्रति प्रेम और मगलभाव भरा हुआ होता है।

पाश्चात्य विद्वान् साहित्यकार को सामान्य मनुष्य में कुछ भिन्न कोटि का प्राणी मानते हैं। वे सच्चे साहित्यकार में अलौकिक गुण स्वीकार करते हैं, जिससे वह स्वयं को विस्मृत कर मस्तिष्क में बुने गये ताने-वाने को कागज पर अंकित कर देता है। युगीन चेतना की जितनी गहरी एवं व्यापक अनुभूति साहित्यकार को होती है, उतनी अन्य किसी को नहीं होती। अतः अनुभूति एवं स्वेदना साहित्यकार की तीसरी आख होती है। इसके अभाव में कोई भी व्यक्ति साहित्य-सृजन में प्रवृत्त नहीं हो सकता क्योंकि केवल कल्पना के बल पर की गयी रचना सत्य से दूर होने के कारण पाठक पर उतना प्रभाव नहीं डाल सकती। प्रेमचंद भी अपनी उसी अनुभूति को साहित्यकारों तक संप्रेषित करते हुए कहते हैं—“जो कुछ लिखो, एकचित्त होकर लिखो। वही लिखो, जो तुम सोचते हो। वही कहो, जो तुम्हारे मन को लगता है। अपने हृदय के सामंजस्य को अपनी रचना में दर्शाओ, तभी प्राणवान् साहित्य लिखा जा सकता है”^१ आर्याप्रसाद त्रिपाठी इस बात को निम्न शब्दों में प्रकट करते हैं— साहित्यकार अपने समय और समाज का प्रतिनिधि होता है। उसका यह दायित्व है कि समाज और देश की नाडी को परखे, उसकी घडकन को समझे और फिर सृजन करे। सृजन की वेदना को स्वयं भेले पर समाज को मुस्कान के फूल अर्पित करे^२। विद्वानों द्वारा दी गई साहित्यकार की कुछ कसौटियां निम्न विदुओं में व्यक्त की जा सकती हैं—

साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिन सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है। वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सचाई भी नहीं है। बल्कि उनसे भी आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सचाई है।

प्रेमचंद

सच्चे साहित्यकार का यही लक्षण है कि उसके भावों में व्यापकता होती है। वह विश्वात्मा से ऐसी हारमनी प्राप्त कर लेता है कि उसके भाव प्रत्येक प्राणी को अपने ही भाव मालूम देने लगते हैं इसलिए साहित्यकार स्वदेश का होकर भी सार्वभौमिक होता है।..... दुनिया के दुःख दर्द से आंख मूदने वाला महान् साहित्यकार नहीं हो सकता।

हजारीप्रसाद द्विवेदी

साहित्यकार की सबसे बड़ी कसौटी है कि वह अपने प्रति सच्चा रहे। जो अपने प्रति सच्चा रहकर साहित्य सृजन करता है, उसका साहित्य स्वतः

१. साहित्य का उद्देश्य, पृ० १४२

२. कबीर साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० १५

ही लोकमंगल की भावना से सलग्न हो जाता है ।

जैनेन्द्र

जो अपने पथ की सभी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देता हुआ सभी आघातों को हृदय पर भेलता हुआ लक्ष्य तक पहुँचता है, उसी को युग-स्रष्टा साहित्यकार कह सकते हैं ।

महादेवी वर्मा

“लेखको की मसि शहीदो की रक्त बिन्दुओ से अधिक पवित्र है”—
हजरत मुहम्मद की ये पंक्तियाँ ऐसे ही प्रेरक एवं सजीव साहित्यकारों के लिए लिखी गयी हैं ।

डॉ० प्रभुदयाल डी० वैश्य ने समाज की दृष्टि से साहित्यकार को तीन वर्गों में बाटा है—१. प्रतिक्रियावादी २ सुधारवादी ३ क्रान्तिकारी ।

प्रथम वर्ग का साहित्यकार समाज की सम्पूर्ण मान्यताओं एवं व्यवस्थाओं को ज्यों की त्यों स्वीकार कर लेता है । सामाजिक त्रुटि को देख कर भी उसकी उपेक्षा करना हितकर समझता है । दूसरे वर्ग के अंतर्गत वे साहित्यकार आते हैं जो सामाजिक त्रुटियों को देखते/अनुभव करते हैं पर उन्हें विनष्ट न करके सुधार का प्रयत्न करते हैं । सुधार में उनकी समझौता-वादी वृत्ति होती है । तीसरे वर्ग के अन्तर्गत वे साहित्यकार हैं जो कातद्रष्टा तथा परिवर्तनवादी हैं । वे न केवल सामाजिक विपमताओं एवं त्रुटियों की तीव्र आलोचना करते हैं, अपितु उन्हें मिटाने का भी भरसक प्रयत्न करते हैं । ऐसे व्यक्तियों का सदा समाज द्वारा विरोध होता है ।

आचार्य तुलसी को तीसरी कौटि के साहित्यकारों में परिगणित किया जा सकता है । उन्होंने अपनी लेखनी से समाज में फैले विघटन, टूटन, धनास्था एवं अविश्वास के स्थान पर नया सगठन, एकता, आस्था और आत्मविश्वास भरने का प्रयत्न किया है । समाज की विकृतियों एवं परम्परा पोषित अधरूढ़ियों को केवल दर्शाया ही नहीं, उसे मांजकर, निखारकर परिष्कृत एवं व्यवस्थित रूप देने का सार्थक प्रयत्न किया है । इस क्रान्तिकारी परिवर्तन के पुरोधा होने से उन्हें स्वतः युगप्रवर्तक का खिताब मिल जाता है ।

उन्होंने सामाजिक जीवन के उस पक्ष को प्रकट करने की कोशिश की है, जो नहीं है पर जिसे होना चाहिए । वे इस बात को मानकर चलते हैं कि साहित्यकार मात्र छायाकार या अनुकृतिकार नहीं होता है वरन् स्रष्टा होता है । स्रष्टा होने के कारण अनेक संघर्षों को भेलना भी उसकी नियति होती है । उनकी निम्न पंक्तियाँ इसी सचाई को उजागर करने वाली हैं—

“साहित्य-सृजन का मार्ग सरल नहीं, काटो का मार्ग है। आलोचना और निन्दा की परवाह न करते हुए साहित्यकार को जीवन शुद्धि के राजमार्ग पर जनता को ले जाना होता है, स्वार्थपरता, भोगलिप्सा और आठम्वर के विपरीत वातावरण ने आकुल लोक-जीवन में निःस्वार्थता, त्याग और सादगी का अमृत ढालना होता है, तभी उसका कर्तृत्व, माधना और सृजन सफल है।”

आ० तुलसी की लेखनी यथार्थ का पुनर्मूजन करती है अतः वे क्रातद्रष्टा साहित्यकार तो है ही पर अध्यात्म-योगी एवं अप्रतिबद्धबिहारी होने के कारण साहित्यकार से पूर्व अध्यात्म के साधक भी हैं। इसी कारण उनके साहित्य को बहुत व्यापक परिवेग मिल गया है। आचार्य तुलसी जैसे साहित्यकार आज कम हैं जिनके साहित्य से भी अधिक भव्य, विशाल, आकर्षक एवं तेजस्वी उनका वास्तविक रूप है तथा जो केवल अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में ही मारी चर्चाएँ करते हैं और अध्यात्म को मध्यविन्दु रखकर ही सारा ताना-बाना बुनते हैं। जीवन के प्रति प्रबल आत्मविश्वास, सत्य के प्रति अटूट आस्था और निरन्तर अध्यात्म में रहने का अभ्यास—जीवन की ये विशेषताएँ उनके साहित्य में जुड़ने के कारण वे पठनीय एवं सक्षम साहित्यकार बन गए हैं। प्रसिद्ध उपन्यासकार नरेन्द्र कोहली का मतव्य है कि पठनीयता के लिए लेखक की सरलता, सहजता एवं ऋजुता एक अनिवार्य गुण है। यदि लेखक के मन में ग्रथिया नहीं हैं, कहीं दुराव-छिपाव नहीं है, कहीं अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं है, तो निश्चित रूप से वह लेखक सहज और ऋजु होता है। पाठक उसकी योग्यता तथा ईमानदारी पर विश्वास करता है, शका बीच में रह नहीं पाती अतः वह उसे पढ़ता चला जाता है।¹ आचार्य तुलसी सहजता और ऋजुता के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। साहित्य मूजन उनके लिए न जीविकोपाजन का साधन है न व्यसन बल्कि वह उसे अपनी साधना का ही एक अंग मानते हैं। इसी कारण उनका साहित्य सहजता एवं ऋजुता से पूरी तरह ओतप्रोत है।

वे स्वयं न केवल सफल साहित्यस्रष्टा हैं बल्कि उन्होंने अनेकों को इस मार्ग में प्रस्थित करके प्रेरक एवं प्रभावी साहित्यकारों की एक पूरी शृंखला खड़ी की है। जैसे पाश्चात्य जगत् में होमर साहित्य के आदिस्रष्टा माने जाते हैं। वैसे ही तेरापंथ धर्मसंघ में आचार्य तुलसी को हिन्दी साहित्य सृजन का आदि प्रेरक कहा जा सकता है। उनकी प्रेरणा ने साहित्य की जो अविरल धार बहाई है, वह किसी भी समाज के लिए आश्चर्य एवं प्रेरणा की वस्तु हो सकती है। आज से ४० साल पहले उठने वाला प्रश्न कि 'क्या पढ़ें' अब 'क्या-क्या पढ़ें' में रूपायित हो

गया है। वे अपनी साहित्य सृजन की अनुभूति को इस भाषा में प्रकट करते हैं "साहित्य सृजन की प्रेरणा देने में मुझे जितना आत्मतोष होता है, उतना ही आत्मतोष नया सृजन करते समय होता है।" अपने शिष्य समुदाय में साहित्य के क्षेत्र में नयी परम्परा स्थापित करने की प्रेरणा-मदाकिनी मुखारविंद से समय-समय पर प्रवाहित होती रहती है—“आज समाज की चेतना को झकझोरने वाला साहित्य नहीं के बराबर है। इस अभाव को भरा हुआ देखने के लिए अथवा साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में जो शुचितापूर्ण परम्पराएं चली आ रही हैं, उनमें उन्मेषों के नए स्वस्तिक उकेरे हुए देखने के लिए मैं बेचैन हूँ। मेरे धर्मसंघ के सुधी साधु-साध्वियां इस दृष्टि से सचेतन प्रयास करें और कुछ नई सभावनाओं को जन्म दें, यह अपेक्षा है।”

इसी संदर्भ में उनकी दूसरी प्रेरणा भी मननीय है - “साहित्य वही तो है जो यथार्थ को अभिव्यक्ति दे। वह कृत्रिम बनकर अभिव्यक्त हो तो उसमें मौलिकता सुरक्षित नहीं रहती। मैं अपने शिष्यों से यह अपेक्षा रखता हूँ कि वे इस गुरुतर दायित्व को जिम्मेवारी से निभायेंगे।”

आचार्य तुलसी एक बृहद धार्मिक समुदाय के आध्यात्मिक नेता हैं। उनके वटवृक्षीय व्यक्तित्व के निर्देशन में अनेको प्रवृत्तियां चालू हैं अतः वे साहित्य सृजन में अधिक समय नहीं निकाल पाते किन्तु उनके मुख से जो भी वाक्य निःसृत होता है, वह अमूल्य पाथेय बन जाता है। आचार्य तुलसी के साहित्यिक व्यक्तित्व का आकलन उनके साहित्य की कुशल संपादिका महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा कनकप्रभाजी इन शब्दों में करती हैं—“उनका कवित्व हर क्षण जागृत रहता है, फिर भी वे काव्य का सृजन कभी-कभी करते हैं। उनका लेखन हर क्षण जागरूक रहता है, किन्तु कलम की नोक से कागज पर अकन यदा कदा ही हो पाता है। इसका कारण कि वे कवि और लेखक होने के साथ-साथ प्रशासक भी हैं, आचार्य भी हैं।” फिर भी उन्होंने सरस्वती के अक्षय भंडार को शताधिक ग्रंथों से सुशोभित किया है।

प्रसिद्ध साहित्यकार सोलज्जेनोविसन साहित्यकार के दायित्व का उल्लेख करते हुए कहते हैं—मानव-मन, आत्मा की आंतरिक आवाज, जीवन-मृत्यु के बीच सघर्ष, आध्यात्मिक पहलुओं की व्याख्या, नश्वर ससार में मानवता का बोलबाला जैसे अनादि सार्वभौम प्रश्नों से जुड़ा है साहित्यकार का दायित्व। यह दायित्व अनन्त काल से है और जब तक सूर्य का प्रकाश और मानव का अस्तित्व रहेगा, साहित्यकार का दायित्व भी इन प्रश्नों से जुड़ा रहेगा।

आचार्य तुलसी के साहित्यिक दायित्व का मूल्यांकन भी इन कसौटियों पर किया जाए तो उपर्युक्त सभी प्रश्नों के उत्तर हमें प्राप्त हो जाते

है। आंतरिक आवाज वही प्रकट कर सकता है जो दृढ़ मनोवली और आत्म-विजेता हो। उनकी निम्न अनुभूति हजारों-हजारों के लिए प्रेरणा का कार्य करेगी—“मेरे संयमी जीवन का सर्वाधिक सहयोगी और प्रेरक साथी कोई रहा है तो वह है—सघर्ष। मेरा विश्वास है कि मेरे जीवन में इतने संघर्ष न आते तो शायद मैं इतना मजबूत नहीं बन पाता। सघर्ष से मैंने बहुत कुछ सीखा है, पाया है। सघर्ष मेरे लिए अभिशाप नहीं, वरदान साबित हुए हैं।” इसी प्रसंग में उनका एक दूसरा वक्तव्य भी हृदय में आध्यात्मिक जीषा भरने वाला है—“मैं कहूँगा कि मैं राम नहीं, कृष्ण नहीं, बुद्ध नहीं, महावीर नहीं, मिट्टी के दीए की भाँति छोटा दीया हूँ। मैं जलूँगा और अधकार को मिटाने का प्रयास करूँगा।”

आचार्य तुलसी ने भौतिक वातावरण में अध्यात्म की लौ जलाकर उसे तेजस्वी बनाने का भगीरथ प्रयत्न किया है। उनकी दृष्टि में अपने लिए अपने द्वारा अपना नियन्त्रण अध्यात्म है। वे अध्यात्म साधना को परलोक से न जोड़कर वर्तमान जीवन से जोड़ने की बात कहते हैं। अध्यात्म का फलित उनके शब्दों में यो उद्गीर्ण है—अध्यात्म केवल मुक्ति का पथ ही नहीं, वह ज्ञाति का मार्ग है, जीवन जीने की कला है, जागरण की दिशा है और रूपांतरण की सर्वांग प्रक्रिया है।

कहा जा सकता है कि आचार्य तुलसी ऐसे सृजनधर्मा साहित्यकार हैं जिन्होंने प्राचीन मूल्यों को नए परिधान में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने साहित्य सृजन के लिए लेखनी उस काल में उठायी जब मानवीय मूल्यों का विघटन एवं विखराव हो रहा था। भारतीय समाज पर पश्चिमी मूल्य हावी हो रहे थे। उस समय में प्रतिनिधि भारतीय सन्त लेखक के दायित्व का निर्वाह करके उन्होंने भारतीय सस्कृति के मूल्यों को जीवित रखने एवं स्थापित करने का प्रयत्न किया है।

वे केवल अपने अनुयायियों को ही नहीं, सम्पूर्ण साहित्य जगत् को भी समय-समय पर सम्बोधित करते रहते हैं। आज के साहित्यकारों की त्रुटिपूर्ण मनोवृत्ति पर अंगुलि-निर्देश करते हुए वे कहते हैं—“आज के लेखक की आस्था श्रृंगार रस प्रधान साहित्य के सृजन में है क्योंकि उसकी दृष्टि में सौन्दर्य ही साहित्य का प्रधान अंग है। लेकिन मैं मानता हूँ कि सौन्दर्य से भी पहले सत्य की मुरक्षा होनी चाहिये। सत्य के बिना सौन्दर्य का मूल्य नहीं हो सकता।

प्रेमचंद्र ने सत्य को साहित्य के अनिवार्य अंग के रूप में ग्रहण किया

१. एक बूंद : एक सागर, पृ० १७३०

२. एक बूंद : एक सागर, पृ० १७१२

है। उनकी दृष्टि में यदि लेखक में सत्यजन्य पीड़ा नहीं है तो वह सत्साहित्य की रचना नहीं कर सकता। आचार्य तुलसी ने भी साहित्य की गुहता का अकन करते हुये अपने साहित्य में सत्य और सौन्दर्य का सामंजस्य स्थापित किया है। उनकी यह प्रेरणा एव साहित्यिक आदर्श साहित्यकारों की चेतना को भङ्कृत कर उन्हें युगनिर्माण की दिशा में प्रेरित करते रहेगे।

साहित्य का वैशिष्ट्य

राष्ट्र, समाज तथा मनुष्य को प्रभावित करने वाले किसी भी दर्शन और विज्ञान की प्रस्तुति का आधार तत्त्व है—साहित्य। सत्साहित्य में तोप, टैंक और एटम से भी कई गुना अधिक ताकत होती है। अणुबस्त्र की शक्ति का उपयोग निर्माणात्मक एव ध्वसात्मक दोनों रूपों में हो सकता है, पर अनुभवी साहित्यकार की रचना मानव-मूल्यों में आस्था पैदा करके स्वस्थ समाज की संरचना करती है। साहित्य द्वारा समाज में जो परिवर्तन होता है; वह सत्ता या कानून से होने वाले परिवर्तन से अधिक स्थायी होता है। अतः दुनिया को बदलने में सत्साहित्य की निर्णायक भूमिका रही है। हजारों प्रसाद द्विवेदी तो यहाँ तक कह देते हैं कि साहित्य वह जादू की छड़ी है, जो पशुओं में, ईंट-पत्थरों में और पेड़-पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है।”

सत्साहित्य की महत्ता को लोकमान्य गंगाधर तिलक की इस आत्मानुभूति में पढा जा सकता है—“यदि कोई मुझे सम्राट् बनने के लिए कहे और साथ ही यह शर्त रखे कि तुम पुस्तकें नहीं पढ सकोगे तो मैं राज्य को तिलाञ्जलि दे दूंगा और गरीब रहकर भी साहित्य पढूंगा।” यह पुस्तक-कीय सत्य नहीं, किन्तु अनुभूति का सत्य है। अतः साहित्य के महत्त्व को वही आक सकता है, जो उसका पारायण करता है। फिर वह साहित्य पढे बिना वैसी ही दुर्बलता एव मानसिक कमजोरी की अनुभूति करता है, जैसे बिना भोजन किए हमारा शरीर।

साहित्य ही वह माध्यम है, जो हमारी संस्कृति की सुरक्षा कर उधे पीढी दर पीढी सञ्जात करता है। महावीर, बुद्ध, व्यास और वाल्मीकि ने साहित्य के माध्यम से जिन आदर्शों की सृष्टि की, वे आज भी भारतीय संस्कृति के गौरव को अभिव्यक्त करने में पर्याप्त हैं। जहाँ साहित्य नहीं, बड़ा जीवन सरस एव रम्य नहीं हो सकता। जीवन में जो भी आनन्दबोध, सौंदर्यबोध और सुखबोध है, उसकी अनुभूति साहित्य द्वारा ही संभव है। साहित्य द्वारा प्राप्त आनन्द की अनुभूति द्विवेदीजी के साहित्यिक शब्दों में पढी जा सकती है—“साहित्य वस्तुतः एक ऐसा आनन्द है जो अंतर में अटाए नहीं बट सकता। परिपक्व दाड़िम फल की भाँति वह अपने रंग और रस को

अपने भीतर बंद नहीं रख पाता। मानव का अंतर भी जब रस और आनंद से आप्लावित हो जाता है तो वह गा उठता है, काव्य करने बैठता है, प्रवचन देता है तथा तथ्यात्मक जगत् से सामग्री एकत्रित करके छंदों में, स्वरो में, अनुच्छेदों में, परिच्छेदों में, सर्गों में, अंकों में अपना उच्छलित आनंद भर देता है और श्रोता तथा पाठक को भी उस आनंद में सराबोर कर देता है।” हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा अनुभूत यह आनंद आचार्य तुलसी के साहित्य में पदे-पदे पाया जाता है। उनका काव्य साहित्य तो मानो आनंद का सागर ही है जिसमें निमज्जन करते-करते पाठक अलौकिक अनुभूति से अनुप्रीणित हो जाता है।

आचार्य तुलसी ने अपने साहित्य में ऐसे चिरन्तन सत्यों को उकेरा है, जिसके समक्ष देश और काल का आवरण किसी भी प्रकार का व्यवधान उपस्थित करने में अक्षम और असफल रहा है। उन्होंने मानव-मन और बाह्य जीवन में बिखरे संघर्षों का चित्रण इतनी कुशलता से किया है कि वह साहित्य सार्वजनिक एवं सार्वकालिक बन गया है। त्रिजयेन्द्र स्नातक उनके साहित्य के बारे में अपनी टिप्पणी व्यक्त करते हुए करते हैं—“मैं निःसंकोच भाव से कह सकता हूँ कि आचार्य श्री की वाणी सदैव किसी महत्त्वपूर्ण अर्थ का अनुगमन करती है।” उनका साहित्य इसलिए महत्त्वपूर्ण नहीं कि वह विपुल परिमाण में है बल्कि इसलिए उसका महत्त्व है कि मनुष्य को सच्चरित्र बनाने का बहुत बड़ा लक्ष्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। वे ऐसे सृजन-धर्मा साहित्यस्रष्टा हैं, जिनके अंतःकरण में करुणा का स्रोत कभी सूखता नहीं। समाज को बदलकर उसे नए साचे में ढालने की प्रेरणा उनके सांस-सांस में रमी हुई है। समाज की विसंगतियों की इतनी सशक्त अभिव्यक्ति शायद ही किसी दूसरे लेखक ने की हो। वे इस बात में आस्था रखते हैं कि यदि समाज की बुराइयों और विकृत परम्पराओं में परिवर्तन नहीं आता है तो उसमें साहित्यकार भी कम जिम्मेवार नहीं है।

आचार्य तुलसी ने केवल उन्हीं तथ्यों या समस्याओं को प्रस्तुति नहीं दी है, जिसे समाज पहले ही स्वीकृति दे चुका हो। उन्होंने अनेक विषयों में समाज को नया चिंतन एवं दिशादर्शन दिया है अतः बार-बार पढ़ने पर भी उनका साहित्य नवीन एवं मौलिक प्रतीत होता है। कहीं-कहीं तो समाज की विकृतियों को देखकर वे अपनी पीड़ा को इस भांति व्यक्त करते हैं कि पाठक उसे अपनी पीड़ा मानने को विवश हो जाता है— मैं बहुत बार देखता हूँ कि मुझे थोड़ा-सा जुखाम हो जाता है, ज्वर हो जाता है, श्वास भारी हो जाता है, पूरे समाज में चिंता की लहर दौड़

जाती है। मेरी थोड़ी सी वेदना से पूरा समाज प्रभावित होता है। किंतु मेरे मन में कितनी पीड़ाएं हैं क्या इसकी किसी को चिन्ता है ?”^१

वे उसी साहित्य के वैशिष्ट्य को स्वीकारते हैं जो साम्प्रदायिकता, पक्षपात एवं अश्लीलता आदि दोषों से विहीन हो। यही कारण है कि सम्प्रदाय के घेरे में रहने पर भी उनका चिंतन कहीं भी साम्प्रदायिक नहीं हो पाया है। लोग जब उन्हें एक सम्प्रदाय के कटघरे में बांधकर केवल तेरापथ के आचार्य के रूप में देखते हैं तो उनकी पीड़ा अनेक बार इन शब्दों में उभरती है—“लोग जब मुझे सकीर्ण साम्प्रदायिक नजरिए से देखते हैं तो मेरी अंतर आत्मा अत्यंत व्यथित होती है। उस समय मैं आत्मालोचन में खो जाता हूँ—अवश्य मेरी साधना में कहीं कोई कमी है, तभी तो मैं लोगों के दिलों में विश्वास पैदा नहीं कर सका।”^२

उनकी लेखनी एवं वाणी धर्म और संस्कृति के सही स्वरूप को प्रकट करने के लिए चली है। उनके सार्थक शब्द मृतप्रायः नैतिकता को पुनरुज्जीवित करने के लिए निकले हैं। उनका साहित्य समाज में समरसता, समन्वय और एकता लाने के लिए जूझता है। सस्ती लोकप्रियता, मनोरंजन एवं व्यवसायबुद्धि से हटकर उन्होंने वह आदर्श साहित्य-ससार को दिया है, जो कभी धूमिल नहीं हो सकता।

उनके साहित्य में प्रौढता एवं गहनता का कारण है—गभीर ग्रंथों का स्वाध्याय। वे स्वयं अपनी अनुभूति बताते हुए कहते हैं—“मेरा अपना अनुभव यह है कि जिसको एक बार गभीर विषयों के आनंद का स्वाद आ जाए वह छिछले, विलासी एवं भावुकतापूर्ण साहित्य में कभी अवगाहित नहीं हो सकता।”

काल की दृष्टि से उनके साहित्य का वैशिष्ट्य है—त्रैकालिकता। युग समस्या को उपेक्षित करने वाला, उसकी मांग न समझने वाला साहित्य अनुपादेय होता है। केवल वर्तमान को सम्मुख रखकर रचा जाने वाला साहित्य युग-साहित्य होने पर भी अपना शाश्वत मूल्य खो देता है। वह जितने वेग से प्रसिद्धि पाता है उतने ही वेग से मूल्यहीन हो जाता है। इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर उन्होंने अपने साहित्य में युगसत्य और चिरन्तन सत्य का समन्वय करके अतीत के प्रति तीव्र अनुराग, वर्तमान के उत्थान की प्रबल भावना, भविष्य के प्रतिबिम्ब तथा उसको सफल बनाने हेतु करणीय कार्यों की सूची प्रस्तुत की है। जैसे इक्कीसवीं सदी का जीवन (वैसाखियां.....पृ० १५) इक्कीसवीं सदी के निर्माण में युवकों की भूमिका (सफर...१६१) आदि

१. आह्वान पृ० सं० २२

२. एक वृद्ध : एक सागर पृ० १७३०

लेख भावी जीवन की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि ५० साल पूर्व का साहित्य भी उतना ही प्रासंगिक एवं मननीय है जितना वर्तमान का। निष्कर्ष की भाषा में कहा जा सकता है कि आचार्य तुलसी ने विनाश के स्थान पर निर्माण, विषमता के स्थान पर समता, अव्यवस्था के स्थान पर व्यवस्था, अनैक्य के स्थान पर ऐक्य, घृणा के स्थान पर प्रेम तथा भौतिकता के स्थान पर अध्यात्म के पुनरुत्थान की चर्चा की है। अतः उनके साहित्य को हर युग के लिए प्रेरणापुत्र कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

साहित्य के भेद

काल की दृष्टि से साहित्य के दो भेद किए जा सकते हैं—सामयिक और शाश्वत। सामयिक साहित्य में वार्तमानिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा धार्मिक आदि अनेक युगीन समस्याओं का चिन्तन होता है पर शाश्वत साहित्य में जीवन की मूल वृत्तियों तथा शाश्वत मूल्यों का विवेचन होता है, जो त्रैकालिक होते हैं।

हजारीप्रसाद द्विवेदी ने विषय की दृष्टि से साहित्य के तीन भेद किये हैं^१ : १. सूचनात्मक साहित्य २. विवेचनात्मक साहित्य ३. रचनात्मक साहित्य।

१. कुछ पुस्तकें हमारी जानकारी बढ़ाती हैं। उनको पढ़ने से हमें अनेक नई सूचनाएँ मिलती हैं। लेकिन ऐसे साहित्य से व्यक्ति की बौद्धिक चेतना उत्तेजित नहीं होती।

२. विवेचनात्मक साहित्य हमारी जानकारी बढ़ाने के साथ-साथ बोधन शक्ति को भी जागरूक एवं सचेष्ट बनाये रखता है। जैसे दर्शन, विज्ञान आदि।

३. रचनात्मक साहित्य की पुस्तकें हमें सुख-दुःख, व्यक्तिगत स्वार्थ एवं संघर्ष से ऊपर ले जाती हैं। यह साहित्य पाठक की दृष्टि को इस तरह कोमल एवं संवेदनशील बनाता है कि व्यक्ति अपने क्षुद्र स्वार्थ एवं व्यक्तिगत सुख-दुःख को भूलकर प्राणिमात्र के प्रति तादात्म्य स्थापित कर लेता है तथा सारी दुनिया के साथ आत्मीयता का अनुभव करने लगता है। इस साहित्य को ब्रह्मानन्द सहोदर की सज्ञा दी जा सकती है क्योंकि यह साहित्य हमारे अनुभव के ताने-बाने से एक नये रसलोक की रचना करता है। इसे ही मौलिक साहित्य की कोटि में रखा जा सकता है।

आचार्य तुलसी का अधिकांश साहित्य रचनात्मक साहित्य में परिगणित किया जा सकता है। क्योंकि उनकी सत्यचेतना परिपक्व एवं संस्कृत है। उन्होंने जो कुछ कहा या लिखा है वह सांसारिक क्षुद्र स्वार्थों से ऊपर

होकर लिखा है अतः उनका साहित्य निर्मलता एवं प्रेरणा का स्रोत बहाता है। उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा की है साथ ही प्रगतिशील विचारों का समावेश भी किया है।

साहित्यिक विधाएं

साहित्यकार के मन में जो भाव या संवेग उत्पन्न होते हैं, उनकी अभिव्यक्ति नाना विधाओं में होती है। जैसे भीतर के हर्ष को विविध अवसरों पर कभी गाकर, कभी गुनगुनाकर तथा कभी अश्रुमोचन द्वारा प्रकट किया जाता है वैसे ही भावों और मन-स्थितियों को व्यक्त करने के लिये साहित्य की विविध विधाओं का आविष्कार तथा प्रयोग किया जाता है।

हिन्दी साहित्य में मुख्यतः निम्न विधाएं प्रसिद्ध हैं—(१) निबन्ध (२) रेखाचित्र (३) सस्मरण (४) रिपोर्ताज (५) डायरी (६) साक्षात्कार (भेंट वार्ता) (७) गद्यकाव्य (८) जीवनी (९) आत्मकथा (१०) यात्रा-वृत्त (११) एकांकी (१२) कहानी (१३) उपन्यास (१४) पत्र आदि।

आचार्य तुलसी का साहित्य मुख्यतः निबन्ध, संस्मरण, डायरी, साक्षात्कार, गद्यकाव्य, जीवनी, कहानी, पत्र, आत्मकथा आदि विधाओं में मिलता है फिर भी उनके साहित्य में प्रवचन की गंगा, निबन्धों की यमुना और काव्य की सरस्वती—यह त्रिवेणी ही अधिक प्रवाहित हुई है। आचार्य तुलसी ने अपनी प्रत्येक साहित्यिक विधा में सत्य और शिव के साथ सौन्दर्य को समाहित करने का प्रयत्न किया है। उनका साहित्य श्रोता एवं पाठक को कुछ सोचने एवं करने को बाध्य करता है क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति तीखी, धारदार एवं प्रभावी है। उनकी साहित्यिक विधाओं में मानव के अन्तर्मन में होने वाली हलचल को अभिव्यक्ति मिली है, समाज की विद्रूपता को उद्घाटित करने का सार्थक प्रयास हुआ है, परिस्थिति एवं घटना को कथ्य का माध्यम बनाया गया है तथा प्राचीन के साथ युगीन मूल्यों की प्रस्तुति हुई है। यही कारण है कि उनका विशाल साहित्य त्रैकालिक होते हुये भी उपयोगी और सामयिक बन पड़ा है। यह साहित्य सामयिक समस्याओं को छिन्न-भिन्न करने, उनको तरासने तथा व्यक्ति-व्यक्ति में अनाकुल रहकर उनको सहन करने की क्षमता पैदा करता है। उनके द्वारा प्रयुक्त कुछ साहित्यिक विधाओं का परिचय नीचे दिया जा रहा है—

निबन्ध

हिन्दी गद्य साहित्य में निबन्ध का अपना एक विशिष्ट स्थान है। आधुनिक निबन्ध के जन्मदाता पाश्चात्य विद्वान् मौनतेन का मतव्य है कि निबन्ध विचारों, उद्धरणों एवं कथाओं का मिश्रण है। बाबू गुलाबराय के शब्दों में "निबन्ध वह गद्यात्मक अभिव्यक्ति है जिसमें एक सीमित आकार के भीतर

किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन किसी विशेष निजीपन, सौष्ठव, सजीवता, रोचकता तथा अपेक्षित संगति एवं संबद्धता से किया जाता है।” इस विधा में प्रतिभा निर्दिष्ट रूप से विषय के साथ बंधकर अपने विचार एवं भाव प्रकट करती है अतः विशेष रूप से बंधी हुई गद्य रचना निबध के रूप में जानी जाती है। परन्तु पाश्चात्य विद्वान् जानसन के विचार इससे भिन्न हैं। वे कहते हैं—“मुक्त मन की मौज, अनियमित, अपक्व और अव्यवस्थित रचना निबध है। इसी प्रकार क्रेबल ने भी इसे सस्ती एवं हल्की रचना के रूप में स्वीकार किया है। किन्तु ये विचार सर्वमान्य नहीं हैं क्योंकि निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। प्रसिद्ध साहित्यकार विजयेन्द्र स्नातक का अनुभव है कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबध में ही सबसे अधिक संभव है।” आचार्यश्री तुलसी के लगभग सभी निबंधों के विचार सुसंबद्ध तथा प्रभावकता के साथ प्रस्तुत हुए हैं।

निबंध में लेखक के व्यक्तित्व का वैशिष्ट्य उजागर होता है अतः उसमें आत्माभिव्यजना आवश्यक है। जीवन की अवहेलना का दूसरा नाम निबंधकार की मृत्यु है।^१ आचार्य तुलसी के प्रायः सभी निबंध जीवन्त एव प्रेरक हैं इसी कारण उनमें भावों को तरंगित कर व्यक्तित्व-रूपान्तरण की क्षमता उत्पन्न हो गई है। उनके निबध एक नई सोच के साथ प्रस्तुत हैं अतः आदमी के भीतर एक नया आदमी पैदा करने की उनमें क्षमता है। उनके निबध मौलिक विचारों, नवीन निष्कर्षों एवं सूक्ष्म तार्किकता से सवलित हैं अतः वे पाठक के हृदय को गुदगुदाते हैं, आंदोलित करते हैं। अधिकांश निबंधों में सर्वेक्षण की सूक्ष्मता और विश्लेषण की गंभीरता के गुण समाविष्ट हैं। इन निबंधों में गंभीरता के साथ सरसता, प्राचीनता के साथ नवीनता एवं विज्ञान के साथ अध्यात्म का भी अद्भुत समावेश हुआ है।

मानव मन की मनोवृत्तियाँ एव सामाजिक बुराइयों का विश्लेषण बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से उनके निबंधों में उजागर है। आश्चर्य होता है कि वे अपने निबधों में एक साथ मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, धार्मिक नेता, अर्थ-शास्त्री और इनसे ऊपर साहित्यकार के रूप में समान रूप से प्रतिबिम्बित हो गए हैं। इन सबसे ऊपर उनके निबंधों का यह वैशिष्ट्य है कि प्रायः निबंधों का प्रारम्भ इतनी रोचक शैली में है कि उसे पढ़ने वालों की उत्सुकता बढ़ती जाती है और पाठक उसे पूरा पढ़ने का लोभ संवरण नहीं कर पाता। वे पाठकों से उदासीन नहीं हैं। अपने दिल की बात पाठक के दिल तक पहुंचकर करते हैं

१. समीक्षात्मक निबध पृ० ३२

२. आधुनिक निबंध पृ० ३

अतः पाठक के साथ उनका सीधा तादात्म्य स्थापित हो जाता है। सादगी, सयम एवं त्याग से मडित उनका व्यक्तित्व इन निबंधों में सर्वत्र उपस्थित है, अतः ये उच्च कोटि के निबंध कहे जा सकते हैं। डा० जानसन या क्रेवल के सामने यदि ये निबंध रहते तो सभव है उन्हें निबंध के बारे में अपनी परिभाषा बदलनी पड़ती। उनके निबंधों की आलोचना इस रूप में की जा सकती है कि उनमें पुनरुक्ति बहुत हुई है पर ऐसा होना अनिवार्य था क्योंकि किसी भी धर्मनेता को समाज में परिवर्तन लाने के लिए बार बार अपनी बात को कहना पड़ता है और तब तक कहना होता है जब तक कि पत्थर पर लकीर न खिच जाए, पानी बर्फ के रूप में न जम जाए या यो कहे कि व्यक्ति या समाज बदलने की भूमिका तक न पहुंच जाए।

निबंध की विकास-यात्रा

निबंध की विकास-यात्रा को विद्वानों ने चार युगों में बांटा है—(१) भारतेन्दु युग (२) द्विवेदी युग (३) प्रसाद युग (४) प्रगतिवादी युग। कुछ विद्वान् अंतिम दो को क्रमशः शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग के नाम से भी अभिहित करते हैं। भारतेन्दु युग भारतीय समाज के जागरण का काल है। उन्होंने अपने निबंधों में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याओं को उजागर किया है। महावीरप्रसाद द्विवेदी के निबंध विचार प्रधान हैं। साथ ही उन्होंने निबंध में भाषा-संस्कार पर भी अपेक्षित ध्यान दिया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के निबंध नए विचार, नयी अनुभूति एवं नवीन शैली के साथ पाठकों के समक्ष उपस्थित हुए हैं अतः उनके युग में विचारप्रधान, समीक्षात्मक एवं भावात्मक निबंधों का चरम विकास हुआ।

शुक्लोत्तर युग में हजारीप्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्रकुमार, डा० नगेन्द्र, अमृतराय नागर, महादेवी वर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। आचार्य तुलसी के निबंध विचारों की दृष्टि से इन विद्वानों की तुलना में कहीं कम नहीं उतरते हैं।

मेरे अपने विचार से तो निबंध का अगला अर्थात् पांचवा युग आचार्य तुलसी का कहा जा सकता है, जिन्होंने साहित्य में व्यक्तित्व रूपान्तरण की चर्चा करके भारतीय संस्कृति को पुनरुज्जीवित करने का प्रयत्न किया है। तथा वेहिचक आज की दिशाहीन राजनीति, धर्मनीति, एवं समाजनीति की दुर्बलताओं की ओर इंगित करते हुए उन्हें परिष्कार के लिए नया दिशादर्शन दिया है। आचार्यश्री के निबंध में रूक्षता एवं शुष्कता के स्थान पर रोचकता एवं सहृदयता का गुम्फन प्रभावी है।

निबंध के भेद

यद्यपि विषय की दृष्टि से विद्वानों ने निबंध के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक

सामाजिक आदि अनेक भेद किए हैं पर शैली की दृष्टि से उसके मुख्यतः चार भेद हैं :—

१. भावात्मक
२. विचारात्मक
३. वर्णनात्मक या विवरणात्मक
४. आख्यानात्मक या कथात्मक

भावात्मक निबन्ध

इसमें लेखक का हृदय बोलता है। इन निबन्धों में निजी अनुभूति की गहनता एवं सघनता इस रूप में अभिव्यक्त होती है कि कोई भी विचार लेखक की भावना के रंग में रंगकर बाहर निकलता है। इनमें तर्क-वितर्क को उतना महत्व नहीं होता जितना भावों के आवेग को दिया जाता है।

आचार्य तुलसी की अनेक रचनाओं को इस कोटि में रखा जा सकता है। 'अमृत संदेश', 'दोनो हाथ : एक साथ', 'सफर आधी शताब्दी का', 'मनहसा मोती चुगे', 'जब जागे तभी सवेरा' आदि पुस्तकों के निबन्धों को इस कोटि में रखा जा सकता है।

विचारात्मक निबन्ध

इन निबन्धों में किसी सामाजिक, राजनैतिक या धार्मिक समस्या का अथवा किसी नवीन तथ्य का प्रतिपादन या विश्लेषण होता है। ये निबन्ध बौद्धिकता प्रधान होते हैं। इनमें तर्क, चिन्तन, दर्शन आदि का भी यथास्यल समावेश होता है पर विषय गांभीर्य बना रहता है। इन निबन्धों में भाषा कसी रहती है।

'क्या धर्म बुद्धिगम्य है?' 'कुहासे में उगता सूरज', 'बैसाखियां विश्वास की' आदि पुस्तकों के निबन्धों/प्रवचनों को इस कोटि में रखा जा सकता है।

विचारात्मक निबन्धों में विचार भाव के आगे आगे चलता है पर भावात्मक निबन्ध में भाव विचार के आगे चलता है। अतः इन दोनों को ज्यादा भिन्न नहीं किया जा सकता। क्योंकि साहित्य में भावशून्य विचार बौद्धिक व्यायाम है साथ ही विचारशून्य भाव प्रलापमात्र है।

वर्णनात्मक या विवरणात्मक

इनमें किसी स्थिर दृश्य या घटना का चित्रण होता है तथा विस्तार से किसी बात का स्पष्टीकरण होता है। कुछ विद्वान वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक को भिन्न-भिन्न भी मानते हैं। आचार्य तुलसी के प्रवचन बहुसता से इसी कोटि में रखे जा सकते हैं।

आख्यानात्मक या कथात्मक

इस कोटि के निबन्धों में कथा को माध्यम बनाकर विचाराभिव्यक्ति की

जाती है। 'बूंद-बूंद से घट भरे' 'मजिल की ओर' तथा 'प्रवचन पाथेय' अदि पुस्तको के प्रवचनो को इस कोटि मे रखा जा सकता है।

निबंधों में प्रयुक्त शैली

निबध व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। हर व्यक्ति की अपनी अलग शैली होती है। रामप्रसाद किचलू कहते है कि किसी निबधकार की शैली सागर सी गभीर, किसी की उच्छ्वल तरंगों सी गतिशील एव किसी की धुआधार यौवन सी रंगीली एवं सलौनी सुरभि विखेरकर सुवक-सुवक खो जाने वाली होती है।^१ निबध मे मुख्यतः पाच शैलियो का प्रयोग होता है—
१. समास २. व्यास ३. धारा ४. तरंग ५. विक्षेप।

आचार्य तुलसी के निबधो मे स्फुट रूप से पांचो शैलियो के दर्शन होते हैं। कही वे समास शैली मे अभिव्यक्ति देते हैं तो कही व्यास शैली मे पर इन दोनो शैलियो मे भी उनकी सारग्राही प्रतिभा का दर्शन पाठक को प्राय. मिल जाता है। जहां भाव प्रधान निबध हैं, वहा धारा, तरंग एव विक्षेप शैली का निदर्शन भी उनके साहित्य में मिलता है।

आचार्यश्री की शैली मे त्रैयक्तिकता, भावनात्मकता, सरसता, सरसता, सहजता एव रोचकता के गुण प्रभूत मात्रा मे विद्यमान हैं। कही-कही व्यग्य का पुट भी दर्शनीय है। कहा जा सकता है कि उनके व्यक्तित्व की सजीवता एव जीवटता उनके निबन्धो में भी समाविष्ट हो गई है अतः उनकी शैली उनके व्यक्तित्व की छाप से अकित है। यही कारण है दीप्ति, काति, भव्यता एवं विशदता आदि गुण सर्वत्र दृग्गोचर होते है।

निबंधों के शीर्षक

शीर्षक किसी भी निबंध का आईना होता है, जिसमें से निबध की विषय वस्तु को देखा जा सकता है। प्रायः शीर्षक पढ़कर ही पाठक के मन में निबध/लेख पढने की लालसा उत्पन्न होती है अत. पाठक की उत्कठा उत्पन्न करने मे शीर्षक का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

आचार्य तुलसी के निबधो और लेखो के प्रायः शीर्षक इतने जीवन्त, आकर्षक और रोचक हैं कि शीर्षक पढते ही उस निबध को पूरा पढ़ लेने की सहज ही इच्छा होती है। जैसे—१. "एक मरान्तक पीडा : दहेज" २. "धार्मिक समस्याएं : एक अनुचितन" ३ "सतान का कोई लिंग नही होता" आदि। उनका साहित्य अनेक हाथो से सपादित होने के कारण उसमे शीर्षक, भाषा आदि दृष्टियों से वैविध्य होना बहुत स्वाभाविक है। कही कही एक ही लेख भिन्न भिन्न संपादको द्वारा सपादित पुस्तक मे भिन्न-भिन्न शीर्षक से आय है।

जैसे 'प्रवचन डायरी' के अनेक प्रवचन 'नैतिक संजीवन' में शीर्षक परिवर्तन के साथ प्रस्तुत हैं ।

कहीं-कहीं एक ही शीर्षक भिन्न-भिन्न सामग्री के साथ भी आया है । जैसे "अहिंसा" तथा "अक्षय तृतीया," आदि शीर्षक अनेक बार पुनरुक्त हुए हैं, पर सामग्री भिन्न है ।

कुछ शीर्षकों ने सहज ही सूक्ति वाक्यों का रूप भी धारण कर लिया है । जैसे :—

१. जो चोटो को नहीं सह सकता, वह प्रतिमा नहीं बन सकता ।
२. जहां विरोध है, वहां प्रगति है ।
३. सतीप्रथा आत्महत्या है ।
४. युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है ।

अनेक शीर्षक लोकोक्ति, कहावत एवं विशिष्ट घोषों के साथ जुड़े हुए भी हैं—

१. सवहु सयाने एकमत २. पराधीन सपनेहुं सुख नाही ३. जितनी सादगी : उतना सुख ४. वीति ताहि विसारि दे ५. निदक नियरे राखिए ।

अनेक शीर्षक आगमसूक्त तथा विशिष्ट धर्मग्रंथों के प्रेरक वाक्यों से संबधित हैं । जैसे :—१. णो हीणे णो अइरित्ते, २. तमसो मा ज्योतिर्गमय ३. पढमं णाणं तओ दया ४. जो एगं जाणई सो सव्वं जाणइ ॥

कुछ शीर्षक अपने भीतर रहस्य एवं कुतूहल को समेटे हुए हैं, जिनको पढ़ते ही मन कौतूहल और उत्सुकता से भर जाता है—

१. जो सब कुछ सह लेता है २. ऐसी प्यास, जो पानी से न बुझे ३. जब सत्य को भुठलाया जाता है, ४. जहां उत्तराधिकार लिया नहीं, दिया जाता है ।

अनेक शीर्षक साहित्यिक एवं बौद्धिक हैं । साथ ही आनुप्रासिक एवं औपमिक छटा से संपृक्त हैं :—

१. समस्या के बीज : हिंसा की मिट्टी
२. निज पर शासन : फिर अनुशासन
३. संसद खड़ी है जनता के सामने
४. पूजा पाठ कितना सार्थक : कितना निरर्थक ।

कुछ प्रवचनों के शीर्षक वर्ग विशेष को संबोधित करते हुए भी हैं जैसे—१ महिलाओं से, २. व्यापारियों से, (युवकों से) ३. कार्यकर्ताओं से, शांतिवादी राष्ट्रों से, ४. विद्यार्थियों से ।

अनेक शीर्षक औपदेशिक हैं, जो वर्ग विशेष को उद्बोधन देते हुए प्रतीत होते हैं :—

१. युवापीढ़ी स्वस्थ परम्पराएं कायम करे २. महिलाएं स्वयं जागे

३. न स्वयं व्यथित बनो, न दूसरो को व्यथित करो ।

कई शीर्षक प्रश्नवाचक हैं, जो पाठक को सोच की गहराई में उतरने को विवश कर देते हैं, जिससे पाठक अपने परिपार्श्व का ही नहीं, दूरदराज की समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में भी समाधान प्राप्त करता है—

- कैसे मिटेगी अशांति और अराजकता ?
- कौन करता है कल का भरोसा ?
- क्या आदतें बदली जा सकती हैं ?
- क्या है लोकतंत्र का विकल्प ?

इस प्रकार प्रायः शीर्षक विषय से सबद्ध तथा रोचक हैं ।

कथा

साहित्य की सबसे सरस एवं मनोरंजक विधा है—कथा । बहुत विवेचन एवं विश्लेषण के बाद भी जो अकथ्य रह जाता है, उसे कथा बहुत मार्मिकता से प्रकट कर देती है अतः प्राचीन काल से ही कथा के माध्यम से गूढतम रहस्य को प्रकट करने का प्रयत्न होता रहा है । वेद, उपनिषद्, महाभारत तथा आगमों में आई कथाएँ इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । बाण ने कथा को तुलना नववधू से की है, जो साहित्य-रसिकों के मन में अनुराग उत्पन्न करती है । कादम्बरी में वे कहते हैं—

“स्फुरत् कलालापविलासकोमला, करोति रागं हृदि कौतुकाधिकम् ।

रसेन शय्या स्वयमभ्युपागता, कथा जनस्याभिनवा वधूरिव ॥

प्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्रजी का मानना है कि साहित्य के माध्यम से डाले जाने वाले जितने प्रभाव हो सकते हैं, वे कथा विधा में अच्छी तरह उपस्थित किये जा सकते हैं । चाहे सिद्धान्त प्रतिपादन अभिप्रेत हो, चाहे चरित्र चित्रण की सुदरता इष्ट हो, चाहे किसी घटना का महत्व निरूपण करना हो अथवा किसी वातावरण की सजीवता का उद्घाटन ही लक्ष्य हो या क्रिया का वेग अंकित करना हो या मानसिक स्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण करना हो—सभी की अभिव्यक्ति इस विधा द्वारा संभव है । कहानी की कला इसी बात में प्रकट होती है कि संक्षेप में सीधी एवं सरस बात कहकर अपने कथ्य को पाठक तक पहुंचा दिया जाए । एडगर एलेन आदि पाश्चात्य विद्वानों का मानना है कि कथा ऐसी गद्यकला है जिसको घटने में आधा घंटा से दो घंटे तक के समय की आवश्यकता रहती है । प्रेमचंद का मानना है कि वह ध्रुपद की तान है, जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी सम्पूर्ण प्रतिभा दिखा देता है । एक क्षण में चित्र को इतने माधुर्य से परिपूरित कर देता है कि जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता ।^१

आज कथा साहित्य ने कुछ विकृत रूप धारण कर लिया है क्योंकि उसमें कृष्ण, विकृति, संत्रास तथा आवेशों को उत्तेजित करने के ही स्वर अधिक मिलते हैं, प्रसन्न अभिव्यक्ति के नहीं। साथ ही उनमें सांस्कृतिक मूल्यों का विघटन, जीवन की विशृंखलता एवं विसंगतियाँ भी उभरी हैं किंतु आचार्य तुलसी ने जो कथाएँ लिखी हैं या उपदेशों में कही हैं, वे एक विशिष्ट प्रभाव को उत्पन्न करने वाली हैं क्योंकि उनमें समग्र जीवन के अनेक पहलुओं की अभिव्यक्ति है।

उन्होंने केवल मनोरंजन के लिए कथा का सहारा नहीं लिया बल्कि जटिल से जटिल विषय को कथा के माध्यम से सरल करके पाठक के सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। उनके द्वारा प्रयुक्त कथाओं में चिन्तन एवं मनन से प्राप्त दार्शनिक एवं सामाजिक तथ्यों की प्रस्तुति के साथ ही साथ प्रत्यक्ष जीवन से निःसृत तथ्यों का प्रगटीकरण भी हुआ है। यही कारण है कि जब वे अपने प्रवचन में कथा का उपयोग करते हैं तो उसका प्रभाव वक्ता के हृदय तक पहुंचता है। यहाँ उनके द्वारा प्रयुक्त एक कथा प्रस्तुत की जा रही है जिसके द्वारा उन्होंने राजनेताओं को मार्मिक ढंग से प्रतिबोधित किया है—

एक व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से बहुत सम्पन्न था; पर था कजूस। अपना और अपने परिवार का पेट काटकर उसने करोड़ों रुपये एकत्रित किये। उन सब रूपयों को उसने हीरो-पन्नों में बदल लिया। सारे जवाहरात एक पेटी में रखकर उसने ताला लगा दिया। उसे अपने बाल-बच्चों का भी भरोसा नहीं था। इसलिए पेटी की चाबी वह अपने सिरहाने रखकर सोने लगा। एक वार की बात है। रात्रि के समय उसके घर में चोर घुस गए। उन्होंने तिजोरी तोड़ी और जवाहरात की पेटी निकाली। उसी समय घर के लोग जाग गए। चोर पेटी लेकर भाग गए। लड़को ने पिता को संबोधित कर कहा—‘पिताजी ! आपके जीवन भर की इकट्ठी की गई सम्पत्ति चोर ले जा रहे हैं।’ पिता निश्चिन्तता से बोला—‘पुत्रो ! तुम चिन्ता मत करो। ये चोर मूर्ख हैं। पेटी ले जा रहे हैं, पर चाबी तो मेरे पास है। बिना चाबी पेटी कैसे खोलेंगे और कैसे जवाहरात निकालेंगे ?’

आज के हमारे राजनेता भी सोचते हैं कि जब सत्ता की चाबी हमारे पास है तो हमारे चरित्र के आभूषणों की पेटी कोई चुराकर ले भी जाए तो क्या अन्तर पड़ेगा ? पर वे नहीं जानते कि पेटी का ताला टूट जाएगा। तब चाबी का क्या उपयोग होगा ? जब किसी व्यक्ति के चरित्र की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, तब उसके पास सत्ता की चाबियाँ भी कौन रहने देगा ?^१

‘बूंद भी : लहर’ भी पुस्तक उनका कथा संकलन है। यद्यपि उनकी

कथाओं में साहित्यिक शैली नहीं है पर दिल तक पहुँचकर बात कहने की शक्ति है इसलिए ये जनभोग्य हैं। आज की सस्ती कथाओं के सामने आचार्य तुलसी ने इन कथाओं के माध्यम से एक आदर्श प्रस्तुत किया है।

इतना अवश्य है कि उन्होंने गद्य में स्वतंत्र कथा-लेखन कम किया है। प्रवचनों में विषय को स्पष्ट करने के लिए ही कथाओं का आश्रय लिया है। कही कही विषय की गभीरता एवं जटिलता को सरस बनाने हेतु कथाओं का उपयोग हुआ है। काव्य साहित्य में उन्होंने अनेक कथाओं को अपनी रचना का आधार बनाया है तथा उन कथाओं को अपनी कल्पना के रंग में रंगकर कमनीय एवं पठनीय बना दिया है। जैन कथाओं को काव्य के माध्यम से प्रस्तुति देकर आचार्य तुलसी ने उन कथानकों को प्राणवान् बनाया है। 'चंदन की चुटकी भली' काव्यकृति में १८ आख्यानों का संकलन है। संक्षेप में उनकी कथा में प्रेमचन्द की सहजता, प्रसाद की भावुकता, जैनेन्द्र की मनोवैज्ञानिकता एवं अज्ञेय की समाज-सुधार दृष्टि का सुन्दर समन्वय हुआ है।

संस्मरण

साहित्य की सबसे अधिक जीवन्त, रोचक और मधुर विधा है— संस्मरण। क्योंकि न इसमें भाषा की दुरुहता होती है और न अति कल्पना लोक में विचरण। घटना प्रधान आकलन होने से यह साहित्य की सरस विधा मानी जाती है, जो पाठक पर सीधा प्रभाव डालती है। डा० त्रिगुणायत इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं—“भावुक कलाकर जब अतीत की अनंत स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को अपनी कोमल कल्पना से अनुरंजित कर व्यञ्जनामूलक शैली में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से विशिष्ट बनाकर रोचक ढंग से यथार्थ रूप में व्यक्त करता है, तब उसे संस्मरण कहा जाता है।”

संस्मरण गद्य की आत्मनिष्ठ विधा है पर उसमें सचाई की सौरभ होती है। आचार्य तुलसी समय-समय पर अपने संस्मरणों को अभिव्यक्ति देते रहते हैं पर पिछले डेढ़ साल से वे इस विधा में अनवरत लिख रहे हैं। बचपन से लेकर आचार्यपदारोहण तक के संस्मरणों का सुंदर आकलन किया जा चुका है। वे संस्मरण साप्ताहिक केन्द्रीय विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित हो चुके हैं। इन संस्मरणों में भाषा का जाल नहीं, अपितु आत्माभिव्यक्ति है। अतः ये सहज, सरल, सुबोध और आकर्षक हो गए हैं। इन संस्मरणों को पढ़कर पाठक यह अनुभव करता है कि आचार्य तुलसी बीते क्षणों को पुनः जीने का सशक्त उपक्रम कर रहे हैं तथा पाठक को भी अतीत के प्रेरक क्षणों से साक्षात्कार करने का अवसर मिल रहा है। यहाँ हम उनके मुनि जीवन में गुरु के अपार वात्सल्य का एक संस्मरण प्रस्तुत कर रहे हैं—

“मैं जब कभी अस्वस्थ होता, पूज्य गुरुदेव की कृपा इतनी अधिक

स्फुरित होती कि बार-बार बीमार होने की इच्छा जाग जाती। बीमारी के क्षणों में गुरुदेव इतना वात्सल्य उडेलते कि उसमें सराबोर होकर मैं सब कुछ भूल जाता। उस समय आप मुझे अपने निकट बुलाते, नब्ज देखते, स्थिति की जानकारी करते, औषधि एवं पथ्य के बारे में निर्देश देते और कई वार दिन में भी अपने पास ही सुलाते। कभी दूसरे कमरे में होता तो बार-बार साधुओं को भेजकर स्वास्थ्य के बारे में पूछते। कहां एक बाल मुनि और कहां सघ के शिखर पुरुष आचार्य ! कहां जुखाम, बुखार जैसी साधारण घटनाएं और कहां पूरे धमसंघ का प्रशासन। पर गुरुदेव का वह अमृत-सा भीठा वात्सल्य एक बार तो रोग जनित पीड़ा का नाम-निशान ही मिटा देता।

एक वार मुझे ज्वर हो गया। ज्वर के कारण रात को वेचैनी बढ़ी, मैं जितना वेचैन था, गुरुदेव की वेचैनी उससे भी अधिक थी। उस रात आप नींद नहीं ले सके। आपने मेरा हाल चाल जानने के लिए कई वार साधुओं को मेरे पास भेजा। गुरुदेव के इस अनुग्रह से साधु-साध्वियों पर अतिरिक्त प्रभाव हुआ। इस प्रसंग को मैं जब भी याद करता हूँ, अभिभूत हुए बिना नहीं रहता।”

जीवनी

जीवनी वह गद्यविधा है जिसमें लेखक किसी अन्य व्यक्ति का वस्तुनिष्ठ जीवन वृत्त प्रस्तुत करता है। उसमें किसी महान् व्यक्ति की जीवन घटनाओं का उल्लेख होता है। पाश्चात्य विद्वान लिटन स्ट्रैची ने जीवनी लेखन की कला को सबसे सुकोमल एवं सहानुभूतिपूर्ण कहा है। इस विधा का समाज-निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि एक महापुरुष की विखरी हुई प्रेरक घटनाओं को इसमें एकसूत्रता प्रदान की जाती है। इस विधा में कोरा तथ्य निरूपण या कोरी कल्पना नहीं होती बल्कि किसी व्यक्ति का आंतरिक एवं बाह्य व्यक्तित्व उजागर किया जाता है। आचार्य तुलसी ने इस विधा में तीन चार ग्रन्थ लिखे हैं। ‘भगवान् महावीर’, ‘प्रज्ञापुरुष जयाचार्य’ ‘महामनस्वी कालूगणी का जीवनवृत्त’ आदि पुस्तकें जीवनी साहित्य के अन्तर्गत रखी जा सकती हैं। इनमें क्रमशः भगवान् महावीर, तेरापथ के चतुर्थ आचार्य जीतमलजी तथा अष्टमाचार्य कालूगणी के व्यक्तित्व को सजीव अभिव्यक्ति दी है। संस्मरणात्मक जीवन लेखन से ये जीवनी ग्रन्थ बहुत रोचक एवं जनसामान्य के लिए हृदयग्राह्य बन गए हैं। भाषा की सरलता एवं वर्णन क्षमता की उच्चता इन जीवनी ग्रन्थों में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रही है। साथ ही व्यक्ति के विशेष विचारों एवं सिद्धान्तों का समावेश करने से ये वैचारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो गये हैं।

पत्र

पत्र लेखन की परम्परा बहुत प्राचीन है पर इसे साहित्यिक रूप आधुनिक युग (भारतेन्दु युग) में दिया गया है। पत्र केवल प्रगाढ़ आत्मीय संबंधों की सरस अभिव्यक्ति ही नहीं होते, अनौपचारिक शिक्षा का जो सजीव चित्र इनमें उभर पाता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। डा. शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि 'कागज पे रख दिया है कलेजा निकाल के' उक्ति इस विधा पर पूर्णतया घटित होती है। दिनकर इस विधा को कला के लिए कला का साक्षात् प्रमाण मानते थे। उनका कहना था कि निबंधों की शैली में लेखक के व्यक्तित्व का वैशिष्ट्य उजागर होता है, परन्तु पत्र लेखन में तो लेखक का स्वभाव, चिंतन-मनन, उत्पीड़न, उल्लास, उन्माद और अन्तर्हृन्द सभी नितान्त सहज भाव से मुखर हो उठते हैं।^१

जैसे पंडित नेहरू के 'पिता के पत्र पुत्री के नाम' तथा गांधीजी के अनेक पत्र साहित्यिक एवं राजनैतिक दृष्टि से अपना विशिष्ट महत्त्व रखते हैं वैसे ही आचार्य तुलसी के अनेक पत्र ऐतिहासिक महत्त्व रखते हैं। उन्होंने साधु-साध्वियों को संबोधित करके हजारों पत्र लिखे हैं, जो अध्यात्म जगत् की अमूल्य धाती हैं। राजस्थानी भाषा में मां वदनाजी एव मंत्री मुनि मगन-लालजी को लिखे गए पत्रों में संवेदना का ऐसा निर्भर प्रवाहित है; जिसकी कल-कल ध्वनि आज भी पाठक को बाधने में सक्षम हैं। अपने हाथ से दीक्षित मां वदनाजी को लिखे पत्र की कुछ पंक्तियां यहां उद्धृत हैं—“यह पत्र स्वान्तः सुखाय’ या ‘त्वच्चेतः प्रसत्तये’ लिख रहा हूं। आपके शान्त, सरल एवं निष्काम जीवन के साथ किसी भी साधक के मन में स्पर्धा हो सकती है। मितभाषिता, मधुर मुस्कान, स्वाध्याय तल्लीनता, सहृदयता, बाह्याभ्यन्तर एकता, सबके प्रति समानता, ये सब ऐसी विशेषताएं हैं जो बरबस किसी को आकृष्ट किए बिना नहीं रहतीं।

मैं अपने आपको धन्य मानता हूं सहज भोली-भाली सूरत में अपनी माता को संयम-साधना में तल्लीन देखकर।^२

आचार्य तुलसी के पत्र सादगी, संयम और सृजन के संदेश हैं। पत्रों के माध्यम से उन्होंने हजारों व्यक्तित्वों को प्रेरणा दी है। तथा उनके जीवन में नव उत्साह का संचार किया है। उनके पत्र केवल समाचारों के वाहक ही नहीं होते उनमें संयम को परिपुष्ट करने, कषायों को शांत करने तथा अध्यात्म पथ पर आरोहण के लिए आवश्यक उपायों के निर्देश भी प्राप्त होते हैं। पत्रों की भाषा और भावाभिव्यक्ति इतनी सरल और सशक्त है

१. दिनकर के पत्र भूमिका पृ० ११

२. मां वदना पृ० ८७

कि पढ़ने वाला उन भावों में उन्मज्जन निमज्जन किए बिना नहीं रह सकता ।
डायरी

इस विधा में लेखक अपने अनुभवों को लिखता है । अतः यह नितान्त वैयक्तिक सम्पत्ति होती है किन्तु प्रकाश में आने के बाद यह सार्वजनिक हो जाती है । यथार्थता और स्वाभाविकता ये दो गुण इसके आधार होते हैं ।

हर्ष, विषाद, उल्लास, निराशा आदि भावनाओं को उत्पन्न करने वाली घटनाएं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में रोज ही घटित होती हैं, किन्तु सामान्य व्यक्ति उन्हें भूल जाता है जबकि साहित्यकार या साधक व्यक्ति के संवेदनशील हृदय में उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया या मानसिक स्थिति को व्यक्त करने की आतुरता जाग जाती है, उद्वेलन के इन्ही क्षणों में डायरी लिखी जाती है ।

आचार्य तुलसी प्रायः प्रतिदिन डायरी लिखते हैं पर अभी तक डायरी के पन्ने प्रकाशित नहीं हुए हैं । उनकी अप्रकाशित डायरी की निम्न पंक्तियां उनके समत्व साधक का रूप प्रस्तुत करती हैं—“आज के युग के मकान साधु-सतो के अनुकूल कम पड़ते हैं । सब कुछ कृत्रिम हो गया है । अतएव प्रकृति में चलने वालों के लिए कठिनाइयां आती हैं फिर भी हम जैसे-तैसे सामंजस्य बिठा लेते हैं । संतुलन नहीं खोते हैं, यह अच्छी बात है ।”

‘खोये सो पाए’ पुस्तक के कुछ लेखों में डायरी विधा के दर्शन होते हैं क्योंकि उसमें हिसार में २१ दिन के एकान्तवास में चैतन्य की अनुभूति के क्षणों में प्रतिदिन के विचारों को लिपिवद्ध किया गया है । इन विचारों को पढ़कर लगता है कि वे साहित्यकार के समनन्तर साधक हैं । आचार्य तुलसी की डायरी कितनी स्पष्ट, सरल व सहज है, यह इन लेखों को पढ़ने से अनुभव हो सकता है । इसी पुस्तक का एक अंश उनके साधनात्मक अनुभव की अभिव्यक्ति देता हुआ सामान्य जन को भी प्रेरणा देता है—“हमारा वर्तमान का अनुभव बताता है कि इन्द्रियों और मन की मांग को समाप्त किया जा सकता है । अपने जीवन में पहली बार एक प्रयोग कर रहा हूँ । इस समय इन्द्रियां निश्चित हैं और मन शांत है । खान, पान, जागरण, देखना, बोलना, किसी भी प्रवृत्ति के लिए मन पर बाध्यता नहीं है ।”

संदेश

शब्दों में प्रवाहित भाव और विचार कमजोरों को ताकत देने, दुष्टों को दुष्टता से मुक्त करने, मूर्खों को प्रतिबोध देने और मानव में मानवता का संचार करने का सामर्थ्य रखते हैं, इसलिए शब्द ही टिकता है, न सिंहासन, न कुर्सी, न मुकुट, न बैंक-बैलेस और न धनमाल । शब्द जब किसी आत्मबली

साधक के मुख से निःसृत होते हैं तब वे और अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। आचार्य तुलसी का प्रत्येक शब्द सार्थकता लिए हुए है, अतः प्रेरक है।

धर्मनेता होने के कारण अनेको अवसरो पर वे अपने संदेश प्रेषित करते रहते हैं। कभी पत्रिका में आशीर्वचन के रूप में तो कभी किसी कार्यक्रम के उद्घाटन में, कभी मृत्युशय्या पर लेटे किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास जगाने तो कभी किसी शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने, कभी राष्ट्रीय एकता परिषद् को उदबोधित करने तो कभी-कभी सामाजिक सघर्ष का निपटारा करने। सैकड़ों परिस्थितियों से जुड़े हजारों संदेश उनके मुखारविन्द से निःसृत हुए हैं, जिनसे समाज को नई दिशा मिली है। उन सबको यदि प्रकाशित किया जाय तो कई खंड प्रकाशित हो सकते हैं। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की घोषणा होने पर अपने एक विशेष संदेश में वे कहते हैं—

“मैं केवल आत्मनिष्ठा और अहिंसा की साधना की दृष्टि से काम कर रहा हूँ। न कोई आकांक्षा और न कोई स्पृहा। मेरे कार्य का कोई मूल्यांकन करता है या नहीं, इसकी भी कोई चिन्ता नहीं। मैंने विरोधों में कभी हीन-भावना का अनुभव नहीं किया और प्रशस्तियों में कभी अहंकार को पुष्ट नहीं किया दोनों स्थितियों में सम रहने की साधना ही मेरी अहिंसा है ?”

उनके संदेश व्यक्ति, सस्था, समाज या उत्सव से संबंधित होते हुए भी पूरी तरह से सार्वजनिक हैं, इसीलिए आम व्यक्ति को उन्हें पढ़ने में कहीं अरुचि प्रतीत नहीं होती अपितु उसे अपनी समस्या का समाधान नितरता हुआ प्रतीत होता है। उनके संदेशों का वैशिष्ट्य यह है कि उनमें व्यक्ति, समाज या सस्था की विशेषताओं का अंकन है तो साथ ही साथ विसंगतियों का उल्लेख कर उन्हें मिटाने का उपाय भी निर्दिष्ट है। इन संदेशों में प्रेरणा सूत्र, आलवन सूत्र तथा अध्यात्म-विकास के सूत्र उपलब्ध होते हैं, जिन्हें सुन-पढ़कर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में अनेक उपलब्धियां प्राप्त कर समाज और सस्थानों को भी लाभ पहुंचा सकता है।

गद्यकाव्य

हिन्दी में भावात्मक निबन्ध गद्यकाव्य कहलाते हैं। डा० भगवतीप्रसाद मिश्र का मतव्य है कि किसी कथानक, चरित्र या त्रिचार की कल्पना और अनुभूति के माध्यम से गद्य में सरस, रोचक और स्मरणीय अभिव्यक्ति गद्यकाव्य है। यह सामान्य गद्य की अपेक्षा अधिक अलंकृत, प्रवाहपूर्ण, तरल एवं माधुर्य-मंडित रचना होती है। इस विधा में दर्शन की गहराई को जिस चातुर्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है, वह पठनीय होता है। 'अतीत का विसर्जन:

अनागत का स्वागत' पुस्तक में 'युवापीढी का उत्तरदायित्व' लेख को गद्यकाव्य का उत्कृष्ट नमूना कहा जा सकता है। इसमें कसी मंजी शैली में रूपक के माध्यम से इतनी मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है कि हर युवक एक बार स्पर्दित हो जाए।

यद्यपि आचार्य तुलसी ने सलक्ष्य इस कोटि के निबन्धों की रचना बहुत कम की है। पर 'समता की आंख चरित्र की पाख' जैसी कृतियों को गद्यकाव्य की कोटि में रखा जा सकता है।

भेंट-वार्ता

यह हिन्दी गद्य की सर्वथा नवीन विधा है। साहित्य, राजनीति, दर्शन, अध्यात्म, विज्ञान आदि किसी भी क्षेत्र की महान् विभूति से मिलकर किसी समस्या एवं प्रश्नों के सदर्थ में उनके विचार या दृष्टिकोण को जानने या उन्हीं की भाषा-शैली तथा भाव-भंगिमा में व्यक्त करने की साहित्यिक रचना भेंट-वार्ता है। भेंट-वार्ता महान् और लघु के बीच ही शोभा देती है। लघु के हृदय की श्रद्धाभावना देखकर महान् के हृदय में सब कुछ समाहित करने की भावना जाग उठती है। पर कभी-कभी दो भिन्न क्षेत्रों की विभूतियों के मध्य वार्तालाप भी इस विधा के अतर्गत आता है। कभी-कभी काल्पनिक इन्टरव्यू भी इस विधा में समाविष्ट होते हैं। इसमें अपनी कल्पना से किसी साहित्यकार को अवतीर्ण कर उनसे स्वयं ही प्रश्न पूछकर उत्तर देना बड़ा ही रोचक होता है।

यद्यपि आचार्य तुलसी ने किसी व्यक्ति का इन्टरव्यू नहीं लिया पर उनके साथ हुए विशिष्ट व्यक्तियों के साक्षात्कार उनके साहित्य में प्रचुर मात्रा में हैं। लगभग सभी राष्ट्रेनेताओं एवं बुद्धिजीवियों के साथ उनकी वार्ताएं हुई हैं, कुछ प्रकाशित हैं तथा कुछ अभी भी अप्रकाशित हैं।

'जैन भारती' में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के बीच हुई लगभग ५० वार्ताएं प्रकाशित हैं। पर वे अभी पुस्तक के रूप में प्रकाशित नहीं हुई हैं।

यात्रा-वृत्त

यात्रा का अर्थ है—एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। यात्रा वृत्त में यात्रा के दौरान अनुभूत प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं सामाजिक तथ्यों का चित्रण किया जाता है। यात्रावृत्त की दृष्टि से कुछ ग्रंथ काफी प्रसिद्ध हैं। जैसे राहुल साकृत्यायन का 'मेरी तिब्बत यात्रा', डा० भगवतीशरण उपाध्याय का 'सागर की लहरों पर', धर्मवीर भारती का 'ढिले पर हिमालय' तथा नेहरू का 'आंखों देखा रूस' और रामेश्वर टाटिया का 'विश्व यात्रा के संस्मरण' आदि।

आचार्य तुलसी महान् यायावर है। वे कहते हैं—“यात्रा मे मेरी अभिरुचि इतनी है कि एक स्थान पर रहकर भी मैं यात्रायित होता रहता हूँ।” उन्होने देश के लगभग सभी प्रांतों की यात्राएं की हैं पर स्वयं कोई स्वतंत्र यात्रा ग्रंथ नहीं लिखा है फिर भी उनके कुछ लेख जैसे ‘मेरी यात्रा’ ‘मैं क्यों घूम रहा हूँ’ आदि यात्रावृत्त के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं। इसके साथ उनके प्रवचन साहित्य में यात्रा के संस्मरणों का उल्लेख भी स्थान-स्थान पर हुआ है। उन्होने अपने काव्य ग्रन्थों में स्फुट रूप से यात्रा का वर्णन किया है पर उसे यात्रावृत्त नहीं कहा जा सकता।

आचार्य तुलसी की यात्राओं का रोचक एवं मार्मिक चित्रण महाश्रमणी साध्वीप्रमुखा कनकप्रभाजी ने किया है। अब तक उनकी यात्राओं के छह ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं—

(१) दक्षिण के अचल में (दक्षिण यात्रा) (२) पाव पाव चलने वाला सूरज (पंजाब यात्रा) (३) बहता पानी निरमला (गुजरात यात्रा) (४) जब महक उठी मरुधर माटी (भारवाड यात्रा) (५) अमृत बरसा अरावली में (मेवाड यात्रा) (६) परस पाव मुसकाई घाटी (मेवाड यात्रा)।

इन यात्रा ग्रन्थों में तथ्यपरकता, भौगोलिकता, रोचकता, सरसता तथा सहजता आदि यात्रावृत्त के सभी गुण समाविष्ट हैं। ये ग्रन्थ इतनी सरस शैली में यात्रा का इतिहास प्रस्तुत करते हैं कि पाठक को ऐसा लगता है मानो वह आचार्य तुलसी के साथ ही यात्रायित हो रहा हो। इन यात्रा ग्रन्थों को पढ़कर ही प्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्रजी ने लेखिका साध्वीप्रमुखा कनकप्रभाजी को कहा ‘लिखना तो हमें आपसे सीखना पड़ेगा’। इस एक वाक्य से इन यात्रा ग्रन्थों की गरिमा अभिव्यक्त हो जाती है।

(विद्वानों ने प्रवचन साहित्य को साहित्यिक विधा के अंतर्गत नहीं माना है पर आचार्य तुलसी ने इस विधा में नए प्रयोग किए हैं तथा विपुल परिमाण में इस विधा में अभिव्यक्ति दी है। अतः स्वतंत्र रूप से उनके प्रवचन साहित्य के वैशिष्ट्य को यहां उजागर किया जा रहा है।)

प्रवचन साहित्य

भारतीय परम्परा में आत्मद्रष्टा ऋषियों एवं धर्मगुरुओं के प्रवचनों का विशेष महत्त्व है क्योंकि शब्दों का अचिन्त्य प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। ‘मा भै’ : उपनिषद् की इस वाणी ने अनेकों को निर्भय बना दिया।

‘खण जाणाहि’ महावीर के इस उद्बोधन ने लाखों को अप्रमत्त जीवन जीने का दिशा बोध दे दिया तथा ‘अप्पदीवो भव’ बुद्ध की इस अनुभवपूत वाणी ने हजारों के तमस्मय जीवन को आलोक से भर दिया। आचार्य तुलसी की वाणी आत्मिक अनुभूति की वाणी है। उनके शब्दों में अध्यात्म की वह तेजस्वी शक्ति है, जो क्रूर से क्रूर व्यक्ति का हृदयपरिवर्तन करने में सक्षम है। उन्होंने अपने ७० साल के संयमी जीवन में हजारों वार प्रवचन किया है। लम्बी पदयात्राओं में युवावस्था के दौरान तो उन्होंने दिन में चार-चार या पांच-पांच वार भी जनता को उद्बोधित किया है। एक ही तत्त्व को अलग-अलग व्यक्तियों को वार-वार समझाने पर भी उनका मन और शरीर कभी थकान की अनुभूति नहीं करता।

उनके प्रवचन करने का उद्देश्य आत्मविकास एवं स्वानन्द है। वे प्रवचन करके किसी पर अनुग्रह का भार नहीं लादते वरन् उसे साधना का ही एक अंग मानते हैं। इस बात की अभिव्यक्ति वे अनेकों वार देते हैं कि मेरे उपदेश और प्रवचन को यदि एक भी व्यक्ति ग्रहण नहीं करता है तो मुझे किंचित् भी हानि या निराशा नहीं होती क्योंकि उपदेश देना मेरा पेशा नहीं वरन् साधना है, वह अपने आप में सफल है।^१ उनकी प्रवचन साधना मात्र चस्तुस्थिति की व्याख्या नहीं अपितु साधना एवं दर्शन से व्यक्ति और समाज को परिवर्तित कर देने की चेष्टा है। इसी कारण अन्यान्य अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहने पर भी उनका प्रतिदिन प्रवचन का क्रम नहीं टूटता। एक मंत्र के मन में निहित समष्टि-कल्याण की भावना का निदर्शन निम्न वाक्यों में पाया जा सकता है—“मैं चाहता हूँ जन-जन में सद्गुण भर जाएं, पापों से घुटती हुई दुनिया को प्रकाश मिले। मुझे जो जागृति मिली है, वह औरों को भी दे सकूँ ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। इसके लिए मैं सतत प्रयत्नशील हूँ।”^२

वे केवल अपने श्रद्धालुओं के लिए ही प्रवचन नहीं करते, मानव मात्र की मंगल भावना से ओतप्रोत होकर ही उनके प्रवचनों की मंदाकिनी प्रवाहित होती है। वे वार-वार इन विचारों की अभिव्यक्ति देते हैं कि केवल जैन या केवल ओसवालो में बोलकर मैं इतना खुश नहीं होता, जितना सर्वसाधारण में बोलकर होता हूँ।^३

एक वार उनकी प्रवचन सभा में कुछ हरिजन भाई भी अग्रिम पंक्ति में आकर बैठने लगे। परिपार्श्व में बैठे महाजनो ने उन्हें संकेत से दूर बैठकर सुनने की बात कही। आचार्य तुलसी का कर्षणा प्रधान मानस उस भेद को

१. जैन भारती, १४ अक्टू० १९६२

२. जैन भारती, १९ नवम्बर १९५३

३. एक वृंद : एक सागर, पृ० १६९२

सह नहीं सका। तत्काल उस कृत्य की तीखी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा—“धर्मस्थान हर व्यक्ति के लिए खुला रहना चाहिए। जाति और रंग के आधार पर किसी को अस्पृश्य मानना, उन्हे मानवीय अधिकारों से वंचित रखना मानवता का अपराध है। धर्म के क्षेत्र में जातिजन्य उच्चता नहीं, कर्मजन्य उच्चता होती है। धार्मिक उच्चता हरिजन या महाजन सापेक्ष नहीं है। मेरे प्रवचनस्थान पर किसी भी जाति के लोगों को प्रवचन सुनने का निषेध नहीं हो सकता। यदि कोई अनुयायी हरिजन को प्रवचन सुनने का निषेध करता है, इसका अर्थ यह है कि वह मुझे प्रवचन करने का निषेध करता है। मैं तो देश के हर वर्ग, जाति और सम्प्रदाय के लोगों से इंसानियत और भाईचारे के नाते मिलकर उन्हे जीवन का लक्ष्य परिचित कराना चाहता हूँ।”

इस प्रकार वर्गभेद, जातिभेद, रंगभेद और सम्प्रदायभेद के बढ़ते उन्माद को रोककर भावात्मक एकता की स्थापना भी उनके प्रवचन का मुख्य उद्देश्य रहा है।

उन्होंने अपने प्रवचन में समाज सेवा और राष्ट्र की विपन्न स्थितियों एवं विसंगतियों पर दुःख प्रकट किया है पर कहीं भी निराशा का स्वर नहीं है। इस सदर्थ में उनकी निम्न उक्ति अत्यन्त मार्मिक है—“कई लोग संसार को स्वर्ग बनाना चाहते हैं किंतु वह बनता नहीं। मैं ऐसी कल्पना नहीं करता यही कारण है कि मुझे निराशा नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि मनुष्य लोक कहीं राक्षसलोक या दैत्यलोक न बन जाए। उसे यदि प्रवचन द्वारा मनुष्यलोक की मर्यादा में रखने में सफल हो गए तो मानना चाहिए हमने बहुत कुछ कर लिया।” उनके इस सतुलित दृष्टिकोण के कारण यह प्रवचन साहित्य जीवन के साथ ताजा सम्बन्ध स्थापित करता है।

वे हर तथ्य का प्रतिपादन इतनी मनोवैज्ञानिकता के साथ करते हैं कि उसे पढ़ने और सुनने पर लगता है कि वह पाठक व श्रोता की अपनी ही अनुभूति है।

प्रवचन की विषयवस्तु

उनके प्रवचनों के विषय न तो इतने गहन गभीर है कि उन्हे समझने के लिए किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़े और न इतने उथले हैं कि उनमें वच्चो का वचकानापन झलके। चाहे धर्म हो या दर्शन, मनोविज्ञान हो या इतिहास, राजनीति हो या सिद्धान्त, अध्यात्म हो या विज्ञान लगभग सभी विषयों पर कलात्मक प्रस्तुति उनके प्रवचनों में हुई है। अतः उनके प्रवचनों में विषय की विविधता है। वे नदी की धारा की भाँति प्रवहमाव

और नवीनता लिए हुए हैं। उनके प्रवचनों को ऐसी दीपशिखाएँ कहा जा सकता है जो युग-युग तक पीडित एवं शोषित जनता का पथदर्शन कर सकती हैं।

प्रवचन का वैशिष्ट्य

किसी भी प्रवचनकार की सबसे बड़ी विशेषता उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता है। यद्यपि यह क्षमता एक राजनेता में भी होती है पर नेता जहाँ ऊपर से चोट करता है, वहाँ आत्मसाधक प्रवचनकार का लक्ष्य अन्तर्मानस पर चोट करना होता है। आचार्य तुलसी के प्रवचन राजनेता की भाँति कोरी भावुकता नहीं बल्कि विवेक को जागृत करते हैं। उनकी दृष्टि नेता की भाँति केवल स्वार्थ पर नहीं बल्कि परमार्थ पर रहती है।

आचार्य तुलसी सत्यं शिवं सुन्दरं के प्रतीक हैं। यही कारण है कि उनके प्रवचनों में केवल सत्य का उद्घाटन या सौन्दर्य की सृष्टि ही नहीं हुई है अपितु शिवत्व का अवतरण भी उनमें सहजतया हो गया है। उनके प्रवचनों के सार्वभौम वैशिष्ट्य को कुछ बिन्दुओं में व्यक्त किया जा सकता है।

व्यावहारिक प्रस्तुति

उनके प्रवचन की सर्वभौमिकता का सबसे बड़ा कारण है कि वे गहरे विचारक होते हुए भी किसी विचार से बंधे हुए नहीं हैं। उनका आग्रहमुक्त/निर्वृन्द मानस कहीं से भी अच्छाई और प्रेरणा ग्रहण कर लेता है। उनकी प्रत्युत्पन्न मेधा हर सामान्य प्रसंग को भी पैनी दृष्टि से पकड़ने में सक्षम है। वे घटना को श्रोता के समक्ष इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि वे उससे स्वतः उत्प्रेरित हो जाते हैं। सामान्य घटना के पीछे रहे गहरे दर्शन को वे बातों ही बातों में बहुत सहजता से चित्रित कर देते हैं।

विशेष क्षणों में उपजा हुआ चिन्तन बड़े-बड़े विचारकों के लिए भी चिन्तन की एक खुराक दे जाता है। इस तथ्य का स्वयंभू साक्ष्य है—बंगला देश के शरणार्थियों के संदर्भ में की गयी आचार्य तुलसी की निम्न टिप्पणी—

“आप अपने को शरणार्थी मानते हैं पर मेरी दृष्टि में आधुनिक युग का सबसे बड़ा शरणार्थी सत्य है। वह नि सहाय है उसे कहीं सहारा नहीं मिला रहा है। जब तक सत्य शरणार्थी रहेगा, तब तक मनुष्य को सुख-शांति कैसे मिला सकती है ?”

कर्मवाद का दार्शनिक तथ्य उनकी प्रतिभा के पारस से छूकर किस प्रकार सामान्य घटना के माध्यम से उद्गीर्ण हुआ है, यह द्रष्टव्य है—

पंजाब यात्रा का प्रसंग है। एक ट्रक ढकेला जा रहा था। आचार्य तुलसी ने उसे देखकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करते हुए कहा—“किसी भी व्यक्ति के दिन सदा समान नहीं होते। सबको सहयोग देकर चलाने वाला

व्यक्ति भी भाग्य ठंडा हो जाने पर दूसरो के सहयोग का मुंहताज बन जाता है। ट्रक का इजन प्रतिदिन कितने लोगो को अपने गंतव्य तक पहुंचा देता है, कितने भारी भरकम सामान को कहा से कहा पहुंचा देता है पर ठंडा होने पर उसे ढकेलना पडता है। वह परापेक्षी हो जाता है।

प्रस्तुत प्रसंग की स्पष्टता के लिए एक प्रवचनाश को उद्धृत करना भी अप्रासंगिक नहीं होगा। 'आत्मा' गाव मे पदार्पण करने पर अपने प्रवचन का प्रारम्भ करते हुए आचार्य तुलसी ने कहा—“आज हम आत्मा मे आए हैं। आज क्या आये है हम तो पहले से ही यही थे। आज तो वे लोग भी यहां पहुंच गये हैं जो सामान्यतः बाहर घूमते हैं। बाहर घूमने वाले लोग भटक जाए यह बात समझ मे आती है पर जो वर्षों से 'आत्मा' मे वास करते हैं, वे क्यों भटके ?”

अनेक घटनाओं एव कथाओं के प्रयोग से उनके प्रवचन मे सजीवता एव रोचकता आ गयी है। इस कारण से उनके प्रवचन बाल, वृद्ध एव प्रौढ सबके लिये ग्रहणीय बन गये है। इसके साथ आगम, गीता, महाभारत, उपनिषद्, पंचतंत्र आदि के उद्धरण भी वे अपने प्रवचनो मे देते रहते हैं। वार्तमानिक खोज एवं नयी सूचनाओं के उल्लेख उनके गम्भीर एवं चहुंमुखी ज्ञान की अभिव्यक्ति देते हैं।

उनके प्रवचन साहित्य की अनेक पुस्तके आगम सूक्तो एव अध्यायो की व्याख्या रूप भी हैं। उन प्रवचनो को पढने से ऐसा लगता है कि महावीर वाणी को आधुनिक सदर्थ मे नई प्रस्तुति देने का सशक्त उपक्रम किया गया है।

महावीर वाणी के माध्यम से आज की समस्याओं का समाधान होने से इस साहित्य मे दृढ चरित्रो को उत्पन्न करने की क्षमता पैदा हो गयी है तथा बुराइयों को कुचलकर अच्छाई की ओर बढ़ने की प्रेरणा भी निहित है। 'बूद-बूद से घट भरे' 'मजिल की ओर' आदि पुस्तके आगमिक व्याख्या रूप ही हैं।

निर्भीकता

आचार्य तुलसी के प्रवचनो मे क्रांति के स्फूर्तिग उद्दलते रहते हैं। उनकी क्रांतिकारिता इस अर्थ मे अधिक सार्थक है कि वे अपनी बात को निर्भीक रूप से कहते है। वर्ग विशेष की बुराई के प्रति कभी-कभी वे बहुत प्रचंड एव तीखी आलोचना करने से भी नहीं चूकते। वे इस बात से कभी भयभीत नहीं होते कि उनकी बात सुनकर कोई नाराज हो जायेगा। उनका स्पष्ट कथन है—“मैं किसी पर व्यक्तिगत रूप से प्रहार करना नहीं चाहता पर सामूहिक रूप मे बुराई पर प्रहार करना मेरा कर्तव्य है। वह चाहे व्यापारी वर्ग मे हो, राजकर्मचारी मे हो या किसी दूसरे वर्ग मे।” राजनेताओं की

१. पाव पाव चलने वाला सूरज, पृ० ३४९

२. जैन भारती, ७ सित० १९७९

सत्तालोलुप दृष्टि पर कड़ा प्रहार करते हुए उनका कहना है—“जिस समय मत के साथ प्रलोभन और भय जुड़ जाये, वह खरीदफरोखती की वस्तु बन जाये, उसके साथ मार-पीट, लूट-खसोट और छीना-भपटी के किस्से बन जाए, इससे भी बड़े हादसे घटित हो जाये। यह सब क्या है? क्या आजादी की सुरक्षा ऐसे कारनामों से होगी?ऐसे घिनौने तरीकों से विजय पाना और फिर विजय की दुन्दुभि बजाना, क्या यह लोकतंत्र की विजय है? ऐसी विजय से तो हार भी क्या बुरी है? ”^१

केवल विज्ञान पर आश्रित रहकर यांत्रिक एवं निष्क्रिय जीवन जीने वाले देशवासियों को प्रतिबोधित करते हुये उनका कहना है—“जिस देश के घर-घर में कम्प्यूटर और रोबोट उतर आये, रेडियो और टी० वी० का प्रभाव छा जाए, मनुष्य का हर काम स्वचालित यन्त्रों से होने लगे, मनुष्य यन्त्र की भांति निष्क्रिय होकर बैठ जाए, क्या वह देश विकसित या विकास-शील बन सकता है ?

केवल बुराईयों के प्रति अगुलिनिर्देश ही नहीं, वर्ग-विशेष की विशेषताओं को सहलाया भी गया है अतः उनके प्रवचनों में संतुलन बना हुआ है। सदियों से शोषित एवं पिछड़ी महिला जाति के गुणों को प्रोत्साहन देते हुए वे कहते हैं—“मैं देखता हूँ आजकल बहिनो का साहस बढ़ा है, आत्मविश्वास जागृत हुआ है, चितन की क्षमता भी विकसित हुई है और उनमें जातीय गौरव की भावना प्रज्वलित हुई है। ”^२

वेधकता

आचार्य तुलसी के प्रवचन इतने वेधक होते हैं कि अनायास ही अन्तर में भाँकने को विवश कर देते हैं। सम्भवतः दर्शन और अध्यात्म के सैकड़ों ग्रंथ पढ़ने के बाद भी व्यक्ति के मस्तिष्क में वह विचार किरण फूटे या न फूटे जो आचार्यश्री के प्रवचन की कुछ पंक्तियों में स्फुरित हो जाती है। उनकी निम्न पंक्तियाँ कितनी अन्तर्भेदिनी बन गयी हैं—

० “मैं पूछना चाहता हूँ कौन नहीं है दास ? कोई मन का दास है, कोई इंद्रियों का दास है, कोई वासना का दास है, कोई वृत्तियों का दास है तो कोई सत्ता का दास है। पहले तो क्रीत होने के बाद दास माना जाता था पर आज तो अधिकांश लोग बिना खरीदे दास हैं। ”

० “एक शेर या दैत्य पर नियन्त्रण करना सरल है, पर उत्तेजना के क्षणों में अपने आप पर नियन्त्रण कर पाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ”^३

१. कुहासे में उगता सूरज, पृ० ८८

२. दोनों हाथ : एक साथ, पृ० २८

३. एक बूद : एक सागर, पृ० ३२१

यही कारण है कि उनके प्रवचनों में शब्दों का आडम्बर नहीं, अपितु हृदय को झकझोरने वाली प्रदीप्त सामग्री होती है।

प्रायोगिकता

प्रवचन में केवल सैद्धांतिक पक्ष की प्रस्तुति ही उन्हें अभीष्ट नहीं है वे उसे प्रयोग से बराबर जुड़ा रखना चाहते हैं। वे बात-वात में ऐसा प्रशिक्षण दे देते हैं, जिसे श्रोता या द्रष्टा जीवन भर नहीं भूल सकता।

लाडनू का प्रसंग है। प्रवचन के बाद एक युवक ने सूचना देते हुए कहा—‘एक घड़ी (समय सूचक यन्त्र) की प्राप्ति हुई है। जिस किसी भाई की हो वह आकर ले जाए।’ इतना सुनते ही आचार्यश्री ने स्मित हास्य विखेरते हुए कहा—‘एक घड़ी’ मैंने भी आप लोगों के बीच खोई है। देखता हूँ कौन-कौन लाकर देता है? सारा वातावरण हारय से मुखरित ही नहीं हुआ वरन् अभिनव प्रेरणा से ओतप्रोत हो उठा। श्रोताओं को यह प्रशिक्षण मिल गया कि जो सुना है उसको आत्मसात् करके ही हम गुरुचरणों में सच्ची दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं।

संस्मरणों की मिठास

उनके प्रवचनों में अध्यात्म एवं नीतिदर्शन का गूढ विश्लेषण ही नहीं होता, संस्मरणों एवं अनुभवों का माधुर्य भी होता है, जो कथ्य को इस भाँति संप्रेषित करता है कि वर्षों तक के लिए वह घटना स्मृति-पटल पर अमिट बन जाती है।

रायपुर के भयंकर अग्नि-परीक्षा-कांड के विरोध के पश्चात् चूरू चातुर्मास में स्वरागत समारोह के अवसर पर वे कहते हैं—“लोग कहते हैं कि अन्तरिक्ष में जाने पर चंद्रयात्री भारहीनता का अनुभव करते हैं पर हम तो पृथ्वी पर ही भारहीन जीवन जी रहे हैं।” इतने विशाल सघ के नेता की यह प्रसन्न अभिव्यक्ति निश्चित रूप से उन लोगों के लिए प्रेरक है, जो अपने परिवार के कुछ सदस्यों का नेतृत्व करने में ही खेदखिन्न एवं तनावयुक्त हो जाते हैं।

उन्हीं की भाषा में प्रस्तुत उनके जीवन का निम्न संस्मरण छोटी सी बात पर प्रतिक्रिया करके आपा खो देने वालों को प्रेरणा देने में पर्याप्त होगा—“सन् १९७२ की बात है। हमने रतनगढ़ से प्रस्थान किया। जून-जुलाई की तपती दोपहरी थी। विरोधी वातावरण के कारण स्थान नहीं मिला। हमारे विरोध में भ्रातिपूर्ण बातें कही गयीं, अतः विरोध भडक उठा। पर हमें आचार्य भिक्षु के जीवन से सीख मिली थी—“जो हमारा ही विरोध, हम उसे समझे विनोद।” रतनगढ़ गाव की सीमा पर

ः जैन दर्शन में घड़ी समय के एक विभाग/४८ मिनट को कहते हैं।

गोशाला के सामने बड़े-बड़े वृक्ष थे। हमने उन्हीं की छाया में पडाव डाल दिया। लगभग दो तीन घंटे हम वहां रहे। वहां बैठकर आगम का काम किया, साहित्य की चर्चा की और भी आवश्यक काम किए। हमारी इस घटना के साक्षी थे—प्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्रजी। उन्हें महत आश्चर्य हुआ कि इस प्रतिकूल वातावरण में भी हम पूरी निश्चिन्तता से काम कैसे कर सके ?”^१

अनुभूत सत्यों की अभिव्यक्ति

उनके प्रवचनों की सरसता का हेतु संस्मरणों की पुट तो है ही, साथ ही वे समय-समय पर अपने जीवन के अनुभूत सत्यों को भी प्रकट करते रहते हैं जिससे यह साहित्य जीवन्त एव जीवट हो गया है। बर्ट्रेण्ड रसेल अपने जीवन के अनुभवों को इस भाषा में प्रस्तुत करते हैं—“अपने लम्बे जीवन में मैंने कुछ ध्रुव सत्य देखे हैं—पहला यह कि घृणा, द्वेष और मोह को पल-पल मरना पड़ता है। दूसरा यह कि सहिष्णुता से बड़ी कोई प्रेम-प्रीति नहीं होती। तीसरा यह कि ज्ञान के साथ-साथ विवेक को भी पुष्ट करते चलो, भविष्य की हर सीढ़ी निरामय होगी”। आचार्य तुलसी ने ऐसे अनेक मार्मिक अनुभूत सत्यों को समय-समय पर अभिव्यक्त किया है। आचार्य काल के २५ वर्ष पूरे होने पर वे अपने अन्तर्मन को खोलते हुए कहते हैं—मैंने अपने जीवन में कुछ सत्य पाए हैं, उन्हें मैं प्रयोग को कसौटी पर कसकर जनता के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ—

- ० विश्व केवल परिवर्तनशील या केवल स्थितिशील नहीं है। यह परिवर्तन और स्थिति का अविकल योग है।
- ० परिस्थिति-परिवर्तन व हृदय-परिवर्तन का योग किए बिना समस्या का समाधान नहीं हो सकता।
- ० केवल सामाजिकता और केवल वैयक्तिकता को मान्यता देने से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता।
- ० वर्तमान और भविष्य—दोनों में से एक भी उपेक्षणीय नहीं है।
- ० भौतिकता मनुष्य को विभक्त करती है। उसकी एकता अध्यात्म के क्षेत्र में ही सुरक्षित है।
- ० कोई भी धर्म-संस्थान राजनीति और परिग्रह से निर्लिप्त रहकर ही अपना अस्तित्व कायम रख सकता है।
- ० आध्यात्मिक एकता का विकास होने पर ही सह-अस्तित्व का सिद्धांत क्रियान्वित हो सकता है तथा जातिवाद, भाषावाद, सम्प्रदायवाद, प्रातवाद और राष्ट्रवाद की सीमाएँ टूट सकती हैं।^२

१. दीया जले अगम का, पृ० १८-१९

२. अतीत का विसर्जन : अनागत का स्वागत, पृ० १४१-४३

आचार्यकाल के पचास वर्ष पूर्ण होने पर वे सगठन मूलक १३ सूत्रों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उनमें से कुछ अनुभव-सूत्र इस प्रकार हैं—

१. वही सगठन अधिक कार्य कर सकता है, जो अनुशासन, ज्ञान और चरित्र से सम्पन्न होता है।

२. व्यापक क्षेत्र में कार्य करने के लिए दृष्टिकोण को उदार बनाना जरूरी है। सकीर्ण दृष्टि वाला कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता।

३. प्रगति के लिए प्राचीन परम्पराओं को बदलना आवश्यक है। किंतु विवेक उसकी पूर्ण पृष्ठभूमि है।

४. प्रगति और परिवर्तन के साथ संघर्ष भी आता है। उसे झेलने के लिए मानसिक सतुलन आवश्यक है। असतुलित व्यक्ति संघर्ष में विजयी नहीं हो सकता।

५. सगठन की दृष्टि से सस्था का मूल्य निश्चित है। पर उससे भी अधिक मूल्य है गुणात्मकता का। मैंने प्रारंभ से ही व्यक्ति-निर्माण पर ध्यान दिया। उसमें मुझे कुछ सफलता मिली। इसका मुझे सतोप है।

६. केवल विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला संघ चरित्र की शक्ति के बिना चिरजीवी नहीं हो सकता, तो केवल चरित्र को मूल्य देने वाला जनता के लिए उपयोगी नहीं बन सकता।

७. सुविधावादी दृष्टिकोण मनुष्य को कर्तव्यविमुख, सिद्धांतविमुख और दायित्वविमुख बनाता है।^१

ये अनुभव उनके जीवन की समग्रता एवं आनंद को अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार के अनुभूत सत्यो का संकलन यदि उनके साहित्य से किया जाए तो एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज बन सकता है। ये अनुभव सम्पूर्ण मानव जाति का दिशादर्शन करने में समर्थ हैं।

पुरुषार्थ की परिक्रम

आचार्य तुलसी पुरुषार्थ की जलती मशाल हैं। उनके व्यक्तित्व को एक शब्द में बन्द करना चाहे तो वह है—पौरुष। उनके पुरुषार्थी जीवन ने अनेक विरोधियों को भी उनका प्रशंसक बना दिया है। इसके एक उदाहरण हैं—ध्यातिप्राप्त विद्वान् पं० दलसुखभाई मालवणिया। वे आचार्यश्री के पुरुषार्थी व्यक्तित्व का शब्दाकन करते हुए कहते हैं—

“प्रमाद के प्रवेश के लिए जीवन में असख्य भाग हैं। उन सबकी चौकसी रखनी होती है और निरन्तर अप्रमत्त बने रहना होता है। आचार्य तुलसी में मैंने इस पुरुषार्थ की भांकी पाई है। वह न चैन लेते हैं और न लेने देते हैं।” उनका प्रवचन साहित्य श्रम की संस्कृति को

उज्जीवित करने का महत् प्रयत्न है। पुरुषार्थहीन एवं अकर्मण्य जीवन के वे घोर विरोधी हैं। उनकी दृष्टि में तलहटी से शिखर तक पहुंचने का उपाय पुरुषार्थ है। पुरुषार्थी के द्वार पर सफलता दस्तक देती है, वह हारी वाजी को जीत में बदल देता है। इसके विपरीत अकर्मण्य व्यक्ति की क्षमताओं में जग लग जाता है और वह कुछ न करने के कारण उम्र से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। ममाज की अकर्मण्यता को भ्रकभोरती हुई उनकी यह उक्ति कितनी वेधक है—“यह एक प्रकार की दुर्बलता है कि व्यक्ति खेती के लिए श्रम तो नहीं करता पर अच्छी फसल चाहता है। वही मथने का श्रम नहीं करता, पर मक्खन पाना चाहता है। व्यवसाय में पुरुषार्थ का नियोजन नहीं करता, पर धनपति बनना चाहता है। पढ़ने में समय लगाकर मेहनत नहीं करता, पर परीक्षा में अच्छे अंको से उत्तीर्ण होना चाहता है। ध्यान-साधना का अभ्यास नहीं करता, पर योगी बनना चाहता है।”

इसी सन्दर्भ में उनकी निम्न अनुभूति भी प्रेरक है—“मेरे मन में अनेक बार विकल्प उठना है कि सूरज आता है, प्रकाश होता है। उसके अस्त होते ही फिर अंधकार छा जाता है। प्रकाश और अंधकार की यात्रा का यह शाश्वत क्रम है। ये काम करते-करते नहीं अघाते तो फिर हम क्यों अघाएं ?”

शताद्रिदियों से दासता के कारण जर्जर देश की अकर्मण्यता को भ्रकभोरने में उनका प्रवचन साहित्य अर्हभूमिका रखता है। उनकी हार्दिक अभीप्सा है कि पूरा समाज पुरुषार्थ के वाहन पर सवार होकर यात्रा करे और जीवन के सीधे सपाट रास्ते में मृजन का एक नया मोड़ दे। ‘चरैवेति, चरैवेति’ का आप्तवाक्य उनके कण-कण में रमा हुआ है अतः अकर्मण्यता और सुविधावाद पर जितना प्रहार उनके साहित्य में मिलता है, उतना अन्यत्र दुर्लभ है।

अडोल आत्मविश्वास

उनका प्रवचन साहित्य हमारे भीतर यह आत्मविश्वास जागृत करता है कि समस्या से घबराना कायरता है। समस्याएं मनुष्य की पुत्रिया हैं अतः वे हर युग में रहती हैं, केवल उनका स्वरूप बदलता है। उनका कहना है कि “समस्या न आए तो दिमाग निकम्मा हो जाएगा। मैं चाहता हू कि समस्याएं आए और हम हसते-हंसते समाधान करते रहे। मनुष्य द्वारा उत्पादित समस्याओं का समाधान करने के लिए आकाश से कोई देवता नहीं आएगा,

१. एक वृद्ध . एक सागर, पृ० १३६३

२. वही, पृ० १६९३

पृथ्वी पर ही किसी को भगवान् बनना पड़ेगा।” वे इस बात को अपने प्रवचनों में बार-बार दोहराते रहते हैं कि किसी भी समस्या या प्रश्न को इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता कि वह जटिल है। विवेक इस बात में है कि हर जटिल पहली को सुलभाने का प्रयत्न किया जाए। इसी अडोल आत्म-विश्वास के कारण उन्होंने अपने साहित्य में हर कठिन समस्या को समाधान तक पहुँचाने का तीव्र प्रयत्न किया है। वे अनेक बार यह प्रतिबोध देते हैं— “संसार की कोई ऐसी समस्या नहीं है, जिसका समाधान न किया जा सके। आवश्यकता है अपने आपको देखने की और किसी भी परिस्थिति में स्वयं समस्या न बनने की।” उनके साहित्य में देश, समाज, परिवार एवं व्यक्ति की हजारों समस्याओं का समाधान है। उनके कदमों में कहीं लडखडाहट, शका, थकावट या बेचैनी नहीं है। यही कारण है कि उनके हर कदम, हर श्वास, हर वाक्य तथा हर मोड़ में नया आत्म-विश्वास झलकता है।

मनोवैज्ञानिकता

आचार्य तुलसी महान् मनोवैज्ञानिक है। वे हजारों मानसिकताओं से परिचित हैं इसलिए उनके प्रवचन में सहज रूप से अनेकों मनोवैज्ञानिक तथ्य प्रकट हो गए हैं।

हजारीप्रसाद द्विवेदी का मानना है कि जो साहित्यकार मानव मन को मथित और चलित करने वाली परिस्थितियों की उद्भावना नहीं कर सकता तथा मानवीय सुख-दुःख को पाठक के समक्ष हस्तामलक नहीं बना देता, वह बड़ी सृष्टि नहीं कर सकता।^१

वे कितने बड़े मनोवैज्ञानिक हैं इसका अकन निम्न घटना से गम्य है— एक बार पदयात्रा के दौरान रूपनगढ़ गाव में, सेवानिवृत्त एक सेना के अफसर से आचार्यश्री वार्तालाप कर रहे थे। इतने में एक जैन भाई वहाँ आया और कान में धीरे से बोला—यह आदमी शराब पीता है अतः आपके साथ बात करने लायक नहीं है। पर आचार्यश्री उस अफसर से बात करते रहे। आचार्यश्री की प्रेरणा से उस भाई ने दस मिनट में शराब छोड़ दी। थोड़ी देर बाद आचार्यश्री उस जैन भाई की ओर उन्मुख होकर पूछने लगे। ‘आप व्यापार तो करते होंगे?’ वह बोला—‘यहाँ मेरी दुकान है। मैं घी-तेल का व्यापार करता हूँ।’ यह बात सुन मैंने पूछा—‘आप तो जैन हैं। घी-तेल में मिलावट तो नहीं करते हैं?’ वह बोला—‘महाराज! हम गृहस्थ हैं।’ मेरा दूसरा प्रश्न था—‘तोल-माप में कमी-वेशी तो नहीं करते?’ वह बोला—‘महाराज! आप जानते हैं। व्यापार में यह सब तो चलता है।’ मैंने

१. एक वृद्ध : एक सागर, १९१-९२

कहा—‘भाई ! मिलावट पाप है, तोल-माप में कमी-वैषी करना ग्राहको को धोखा देना है। एक धार्मिक व्यक्ति यह सब करे, उसका क्या प्रभाव होता होगा ?’ वह बोला—‘आपका कहना सही है। पर क्या करूँ ? गृहस्थ को सब कुछ करना पड़ता है।’ मैंने उस भाई को समझाने के लिए सारी शक्ति लगा दी। पर वह टस से मस नहीं हुआ। न उसने मिलावट छोड़ी न और कुछ।

मैंने उस भाई को स्पष्टता से कहा—‘आपके गुरु किमी शराबी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको खराबी का अन्देशा रहता है, जबकि उस व्यक्ति ने पूरी शराब छोड़ दी। आप जैसे व्यक्तियों के साथ बात करने में हमारी गरिमा कैसे बढ़ेगी ? आप जैन होकर भी अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं हैं। शराब पीने वाला तो केवल अपना नुकसान करता है, जबकि व्यापार में की जाने वाली हेराफेरी से तो हजारों का नुकसान होता है। आप अपने गुरुओं पर तो अंकुश लगाना चाहते हैं, पर स्वयं पर कोई अंकुश नहीं है। ऐसी धार्मिकता से किसका कल्याण होगा ?’ मेरी बात सुन उस भाई को अपनी भूल का अहसास हो गया।^१

आचार्य तुलसी ने जनसामान्य के मन में उठने वाले सदेही, सकल्पो-विकल्पो एव मानसिक दुर्बलताओं को उठाकर उसका सटीक समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। विषय के प्रतिपक्ष में उठने वाले तर्क उठाकर उसे समाहित करने से उनकी वर्णन शैली में एक चमत्कार उत्पन्न हो गया है तथा विषय की स्पष्टता भी भली-भाँति हो गई है। इस प्रसंग में निम्न उदाहरण को रखा जा सकता है—

“कुछ व्यक्ति कहा करते हैं हम त्याग तो करले लेकिन भविष्य का क्या पता ? कभी वह टूट जाए तो ? यह तो ऐसी बात हुई कि कोई भोजन करने से पहले ही यह कहे कि मैं तो भोजन इसलिए नहीं करूँगा कि कहीं अजीर्ण हो जाए तो ? क्या उस अप्रकट अजीर्ण के डर से भोजन छोड़ा जा सकता है ? इसी प्रकार व्रत लेने से पहले ही टूटने की आशंका करना व्यर्थ है।”

नवीनता और प्राचीनता का संगम

उनके प्रवचन साहित्य को नवीनता और प्राचीनता का संगम कहा जा सकता है। उनका चिन्तन है कि “पुराणमित्येव न साधु सर्वं” यह सत्य है तो “नवीनमित्येव न साधु सर्वं” यह भी सत्य है। अतः दोनों का समन्वय अपेक्षित है। इस सन्दर्भ में वे अपनी अनुभूति इस भाषा में प्रस्तुत करते हैं—
“मैं अतीत और वर्तमान दोनों के सम्पर्क में रहा हूँ। पुरानी स्थिति का मैंने

अनुभव किया है और नई स्थिति में रह रहा हूँ। मैंने दोनों को साथ लेकर चलने का प्रयत्न किया है। इसलिए मैं रूढ़िवाद और अति आधुनिकता इन दोनों अतियों से बचकर चलने में समर्थ हो सका हूँ।^१

प्राचीन को अपनाते समय भी उनका विवेक एवं मौलिक चिंतन सदैव जागृत रहा है। वे अनेक बार लोगों की सुप्त चेतना को झकझोरते हुए कहते हैं—“तीर्थं करो ने कितना ही कुछ खोज लिया हो, आपकी खोज बाकी है। आपके सामने तो अभी भी सघन तिमिर है। आप प्रयत्न करें, किसी के खोजे हुए सत्य पर रुके नहीं, क्योंकि वह आपके काम नहीं आएगा।”^२ आचार्य तुलसी डा० राधाकृष्णन् के इस अभिमत से कुछ अशो में सहमत है कि “आज यदि हम अपनी प्रत्येक गतिविधि में मनु द्वारा निर्दिष्ट जीवन पद्धति को ही अपनाए तो अच्छा था कि मनु उत्पन्न ही नहीं हुए होते।” एक सगोष्ठी में लोगों की विचार चेतना को जागृत करते हुए वे कहते हैं—“महावीर ने जो कुछ कहा वही अन्तिम है, उससे आगे कुछ है ही नहीं—इस अवधारणा ने एक रेखा खींच दी है। अब इस रेखा को छोटा करने या मिटाने का साहस कौन करे ?”^३

उनके साहित्य को पढ़ते समय ऐसा महसूस होता है कि प्राचीन संस्कारों एवं परम्पराओं से बंधे रहने पर भी युग को देखते हुए उसमें परिवर्तन लाने एवं नवीनता को स्वीकारने में वे कहीं पीछे नहीं हटे हैं। उनका स्पष्ट कथन है कि “प्राचीनता में अनुभव, उपयोगिता, दृढ़ता और धैर्य का एक लवा इतिहास छिपा है तो नवीनता में उत्साह, आकांक्षा, क्रियाशक्ति और प्रगति की प्रचुरता है अतः अनावश्यक प्राचीनता को समेटते हुए आवश्यक नवीनता को पचाते जाना विकास का मार्ग है।”^३ एक को खंडित करके दूसरे को प्रस्तुत करना सत्य के प्रति अन्याय है।

उन्होंने नवीन और प्राचीन के सन्धिस्थल पर खड़े होकर दोनों को इस रूप में प्रस्तुति दी है कि नवीन प्राचीन का परिवर्तित रूप प्रतीत हो न कि ऊपर से लपेटी या थोपी वस्तु। यही कारण है कि उनके प्रवचनों में प्रतिपादित तथ्य न रूढ़ हैं और न अति आधुनिक बल्कि अतीत और वर्तमान दोनों का समन्वय है। इसी कारण उन्हें केवल प्रवचनकार ही नहीं अपितु युग-ब्याख्याता भी कहा जा सकता है।

आस्था और तर्क का समन्वय

प्रवचनकार के साथ आचार्य तुलसी एक महान् दार्शनिक भी हैं।

१. बीती ताहि विसारि दे, पृ० ७८

२. बहता पानी निरमला, पृ० ९३

३. एक बूद . एक सागर, पृ० ७८५

आस्था और तर्क के सम्बन्ध में उनकी मौलिक विचारणा इस विषय का एक निदर्शन है। वे कहते हैं—‘उत्तम तर्क वही होता है, जो श्रद्धा के प्रकर्ष में फूटता है।’^१ उनके चिन्तन में सत्य दृष्टि यही है कि जहाँ तर्क काम करे, वहाँ तर्क से काम लो और जहाँ तर्क काम नहीं करे, वहाँ श्रद्धा से काम लो, क्योंकि आस्था में गतिशीलता है पर देखने-विचारने की क्षमता नहीं है। तर्क शक्ति हर तथ्य को सूक्ष्मता से देखती है पर चलने की सामर्थ्य नहीं रखती।^२

वे अपने जीवन का अनुभव बताते हुए एक प्रवचन में कहते हैं—‘यदि हम कोरे आस्थावादी होते तो पुराणपन्थी बन जाते। यदि हम कोरे तार्किक होते तो अपने पथ से दूर चले जाते। हमने यथास्थान दोनों का सहारा लिया, इसलिए हम अपने पूर्वजों द्वारा खींची हुई लकीरों पर चलकर भी कुछ नई लकीरे खींचने में सफल हुए हैं।’

धर्म की व्यावहारिक प्रस्तुति

आचार्य तुलसी आध्यात्मिक जगत् के विश्रुत धर्मनेता हैं। उनके प्रवचनों में धर्म और अध्यात्म की चर्चा होना बहुत स्वाभाविक है। पर उन्होंने जिस पैनेपन के साथ धर्म को वर्तमान युग के समक्ष रखा है, वह सचमुच मननीय है। जीवन की अनेक समस्याओं को उन्होंने धर्म के साथ जोड़कर उसे समाहित करने का प्रयत्न किया है। ईश्वर, जीव, जगत् पुनर्जन्म आदि आध्यात्मिक चिन्तन बिन्दुओं पर उन्होंने व्यावहारिक प्रस्तुति देकर उसे जनभोग्य बनाने का प्रयत्न किया है। धर्म की रूढ़ परम्पराओं एवं धारणाओं का जो विरोध उनके साहित्य में प्रकट हुआ है, उसने केवल बौद्धिक समाज को ही आकृष्ट नहीं किया वरन् प्रधानमन्त्री से लेकर मजदूर तक सभी वर्गों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कहा जा सकता है कि उनका प्रवचन साहित्य धर्म के व्यापक एवं असांख्यिक स्वरूप को प्रकट करने में सफल रहा है।

वे अपनी यात्रा के तीन उद्देश्य बताते हैं—१ मानवता या चरित्र का निर्माण। २ धर्म समन्वय। ३ धर्मक्रांति। यही कारण है कि उन्होंने केवल धर्म को व्याख्यायित करके ही अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं मानी बल्कि धार्मिक को सही धार्मिक बनाने में भी उनके चरण गतिशील रहे हैं। क्योंकि उनका मानना है “धर्म को जितनी हानि तथाकथित धार्मिकों ने पहुंचाई है उतनी तो अधार्मिकों ने भी नहीं पहुंचाई।”

२१ अक्टू० १९४९ को डा० राजेन्द्रप्रसाद आचार्यश्री से मिले। उनके ओजस्वी विचार सुनकर वे अत्यन्त प्रभावित हुए। राष्ट्रपतिजी ने पत्र द्वारा अपनी प्रतिक्रिया इस भाषा में प्रेषित की—“उस दिन आपके दर्शन पाकर मैं

१. एक बूद : एक सागर, पृ० १३५९

२. वही, पृ० ४११

बहुत अनुगृहीत हुआ। " जिस सुलभ रीति से आप धर्म के गूढ तत्त्वों प्रचार कर रहे हैं उन्हें सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और आशा कर कि इस तरह का शुभ अवसर मुझे फिर मिलेगा।"

आचार्यश्री तुलसी अपने प्रवचनों में अनेक बार इस बात को दोहराते हैं कि धर्म सादगी और सयम का संदेश देता है। वही भी यदि दिखावा एवं विलासिता का प्रदर्शन होता है तो फिर सयम की संस्कृति सुरक्षित कौन रहेगा? धर्म की स्थिति का विश्लेषण उनकी दृष्टि में प्रकार है—“धर्म का क्रान्तिकारी स्वरूप जनता के समक्ष तभी आया, वह जनमानस को भोग से त्याग की ओर अग्रसर करे किन्तु आज त्याग के लिए अग्रसर हो रहा है। यह वह कीटाणु है जो धर्म के स्वरूप को विना रहा है।”^१

उनका स्पष्ट कथन है कि धर्म कहने, सुनने और समझने का तत्त्व नहीं, अपितु अनुभव करने और जीने का तत्त्व है। वे तो निर्भीकतापूर्वक तक कह देते हैं—“आज के चन्द्रयान व राकेट के युग में केवल मस्जिदों एवं धर्मस्थानों की शोभा बढ़ाने वाला धर्म अब बहुत दिनों तक चल वाला नहीं है।”^२ यदि धर्म और अध्यात्म को प्रयोगात्मक नहीं बनाया, एक दिन वह अमान्य हो जाएगा।^३ धर्म के क्षेत्र में उनकी यह दृष्टि कितनी वैज्ञानिक और व्यावहारिक है।

धर्म और विज्ञान का समन्वय

एक सम्प्रदाय के गुरु एवं धर्मनेता होते हुए भी उनके प्रवचनों में धर्म की व्याख्या ही नहीं करते वरन् विज्ञान का समावेश भी उनमें है। व्यवहार में दोनों की दिशाएँ भिन्न-भिन्न हैं क्योंकि साहित्य में भावनाओं और संवेगों को प्राथमिकता दी जाती है जबकि विज्ञान के लिए ये काल्पनिक हैं। उनकी पैनी दृष्टि ने दोनों के बीच पूरकता को देखा ही नहीं उसे समझने का भी प्रयत्न किया है। उनकी दृष्टि में कोरा विज्ञान विध्वंसक तथा कोरा अध्यात्म रूढ़ है, अतः “आध्यात्मिक-वैज्ञानिक-व्यक्तित्व” की कल्पना ही नहीं की उसे प्रयोग की धरती पर उतार कर इतिहास में एक नए अध्याय का सृजन भी किया है। धर्मशास्त्र के विरुद्ध विज्ञान की नयी खोज का प्रसंग उपस्थित होने पर भी उनका बौद्धिक, उदार एवं अनाग्रही मानस वैज्ञानिक सत्य को स्वीकारने में हिचकिचाता नहीं और न ही धर्मशास्त्र के प्रति अनास्था व्यक्त करता है। चन्द्रयात्रियों ने चाँद का जो स्वरूप व्यक्त किया उसे सुनकर आचार्य तुलसी ने

१. जैन भारती, २४ जुलाई १९६६

२. जैन भारती, १० अक्टू० १९७१

३. जैन भारती, जन० १९६८

अपनी सन्तुलित एवं सटीक टिप्पणी व्यक्त करते हुए कहा—“यह अच्छा ही हुआ, जिस सत्य से हम आज तक अनजान थे वह आज अनावृत हो गया। हो सकता है, सत्य का यह अनावरण हमारी परम्पराओं पर चोट करने वाला हो, हमारे लिए प्रिय नहीं हो, फिर भी वे लोग बर्बाद के पात्र हैं, जिन्होंने अथक परिश्रम से एक महान् तथ्य का उद्घाटन किया है। हम न तो प्रत्यक्ष तथ्यों को असत्य या अप्रामाणिक बनाने की चेष्टा करें और न ही अध्यात्म के प्रति अपनी आस्था को शिथिल करें।” दो विरोधी तथ्यों में तराजू के पलड़े की भांति निष्पक्ष मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति ही महान् हो सकता है, सत्यद्रष्टा हो सकता है। उनकी यह उदार टिप्पणी निश्चित ही सब धर्माचार्यों के लिए एक चुनौती है।

आचार्यश्री तुलसी के चिन्तन एवं कर्तृत्व ने डा० वी० डी० वैश्य की निम्न पक्तियों को सार्थक किया है—“भारत की जीनियस (प्रतिभा) के सच्चे प्रतिनिधि वैज्ञानिक नहीं, अपितु सन्त हैं।”

जीवन-मूल्यों का विवेचन

आचार्य तुलसी की अवधारणा है कि इस धरती का सबसे महत्त्वपूर्ण प्राणी मानव है। यदि उसका सही निर्माण नहीं होगा तो निर्माण की अन्य योजनाएं निरर्थक हो जाएंगी। सामाजिक दृष्टि से भी डकार्ड को पृथक् रख कर निर्माण की वात करना असम्भव है। निर्माण की प्रक्रिया में आचार्य तुलसी व्यक्ति-सुधार से समाज-सुधार की बात कहते हैं। वे अपने विश्वास को इस भाषा में दोहराते हैं—“जब तक व्यक्ति-निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक समष्टि निर्माण की वात का महत्त्व दिवास्वप्न से ज्यादा नहीं होगा।” वे मानते हैं मंत्री, प्रमोद, करुणा और अहिंसा की पीध से मनुष्य के मन और मस्तिष्क को हरा-भरा बनाया जाए, तभी इस धरती की हरियाली अधिक उपयोगी बनेगी।

जीवन-निर्माण के सूत्रों का सहज, सरल भाषा में जितना उल्लेख आचार्य तुलसी ने अपने प्रवचन साहित्य में किया है, उतना अन्यत्र दुर्लभ है। उनकी भाषा में जीवन-कला का व्यावहारिक सूत्र सन्तुलन है—“जो व्यक्ति थोड़ी-सी खुशी में फूल जाता है, और थोड़े से दुःख में संतुलन खो देता है, आपा भूल जाता है, वह जीवन-कला में निपुण नहीं हो सकता।” उनके विचार में जीवन के सम्यक् निर्माण के लिए आवश्यक है कि मानव को जीवन के उद्देश्य से परिचित कराया जाए। उनकी दृष्टि में जीवन का

१. साहित्य और समाज, पृ० ३०

१. जैन भारती, ३० नव० १९६९

२. तेरापंथ दिग्दर्शन, पृ० १३५

उद्देश्य भौतिक धरातल पर नहीं, आध्यात्मिक स्तर पर निर्धारित करना आवश्यक है। जीवन के उद्देश्य से परिचित कराने वाली उनकी निम्न उक्ति अत्यन्त प्रेरक है—“जीवन का उद्देश्य इतना ही नहीं है कि सुख-सुविधापूर्वक जीवन व्यतीत किया जाए, शोषण और अन्याय से धन पैदा किया जाए, बड़ी-बड़ी भव्य अट्टालिकाएं बनायी जाए और भौतिक साधनों का यथेष्ट उपयोग किया जाए। उसका उद्देश्य है—उज्ज्वल आचरण, सात्त्विक वृत्ति और प्रतिक्षण आनंद का अनुभव।”

सामयिक सत्यों की प्रस्तुति

एक धर्माचार्य द्वारा सामयिक सदर्भों से जुड़कर युग की समस्याओं को समाहित करने का प्रयत्न इतिहास की दुर्लभ घटना है। पर्यावरण प्रदूषण आज की ज्वलत समस्या है। मानव के यांत्रिकीकरण और प्रकृति से दूर जाने की बात देखकर वे लोगो को चेतावनी देते हुए कहते हैं—“आदमी जितना प्रबुद्ध और सम्पन्न होता जा रहा है, प्रकृति से वह उतना ही दूर होता जा रहा है। न वह प्राकृतिक हवा में सोता है, न प्राकृतिक ईंधन से बना खाना खाता है और न प्रकृति के साथ क्रीडा करता है। शायद इसी कारण प्रकृति अपने तेवर बदल रही है और मनुष्य को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है।”

प्रचुर मात्रा में प्रकृति का दोहन असतुलन की समस्या को भयावह बना रहा है। प्रकृति के अनावश्यक दोहन एवं उपयोग के बारे में वे मानव जाति का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहते हैं—“मूखी धरती को भिगोने की क्षमता मनुष्य में हो या न हो, वह पानी का दुरुपयोग क्यों करे? पाच किलो पानी से जो काम हो सके, उसमें सावर खोलकर पचास किलो पानी नालियों में बहा देना पानी के सिकट को बढ़ाने की बात नहीं है क्या? वे तो वैज्ञानिकों को यहाँ तक चेतावनी दे चुके हैं—‘जब से मनुष्य ने पदार्थ की ऊर्जा में हस्तक्षेप शुरू किया, उसी दिन से मनुष्य का अस्तित्व विनाश के कगार पर खड़ा है।’”

वर्तमान क्षण के सुख में डूबा मनुष्य भविष्य की कठिनाइयों की ओर से आँख मूंद रहा है। उनकी यह अभिप्रेरणा अनेक प्रसंगों में मुखर होती है। वे जन-साधारण को सयम का सदेश देते हुए कहते हैं—“जब तक मानव सयम की ओर नहीं मुड़ेगा, पिशाचिनी की तरह मुह बाएँ खड़ी विषम समस्याएँ उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी।”

१-२. अणुन्नत, १६ अप्रैल ९०

३. कुहासे में उगता सूरज, पृ. ३८

४. एक बूद एक सागर, पृ. १४०९

संस्कृति के स्वर

सतता संस्कृति की वाहक होती है अतः सत ही अधिक प्रामाणिक तरीके से सांस्कृतिक तत्त्वों की सुरक्षा कर सकते हैं। आचार्य तुलसी के प्रवचन साहित्य में भारतीय संस्कृति का आलोक सर्वत्र विखरा मिलेगा। भारतीय चिंतनधारा में उनकी विचारणा एक नया द्वार उद्घाटित करने वाली है। उनकी दृष्टि में संस्कृति कोई अनगढ़ पापाण का नाम नहीं अपितु चिंतन, अनुभव और लगन की छैनियों से तराशी गयी मुघड प्रतिमा संस्कृति है। उनके विचारों में संस्कृति पहाड़ों, तीर्थक्षेत्रों और विशाल भवनों में नहीं अपितु जन-जीवन में होती है।^१ इसी सूक्ष्म एवं विशाल दृष्टि के कारण उनके प्रवचनों में लोकसंस्कृति को उन्नत एवं समृद्ध बनाने के अनेक तत्त्व निहित हैं। भारतीय संस्कृति में पनपी जड़ता को उन्होंने प्रवचनों के माध्यम में तोड़ने का भरसक प्रयत्न किया है।

उनका स्पष्ट चिंतन है कि पाश्चात्य संस्कृति की नकल करके हम न तो उन्नत बन सकते हैं और न ही अपने अस्तित्व की रक्षा करने में समर्थ हो सकते हैं। वे अनेक बार अपने प्रवचनों में इस खतरे को प्रकट कर चुके हैं कि भारतीय संस्कृति को विदेशी लोगों से उतना खतरा नहीं, अपितु इस संस्कृति में जीने वालों से है क्योंकि वे अपनी संस्कृति को महत्त्व न देकर दूसरों को महत्त्व प्रदान कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाने के मूत्र वे समय-समय पर अपने प्रवचनों में प्रदान करते रहते हैं—“अणुव्रतों के द्वारा अणुव्रतों की भयकरता का विनाश हो, अभय के द्वारा भय का विनाश हो, त्याग के द्वारा सग्रह का ह्रास हो, ये घोष सभ्यता, संस्कृति और कला के प्रतीक बने तभी जीवन की दिशा बदल सकती है।”

संस्कृति के सदम में संकीर्णता की मनोवृत्ति उन्हें कभी मान्य नहीं रही है। वे हिन्दू संस्कृति को बहुत व्यापक परिवेश में देखते हैं। हिन्दू शब्द की जो नवीन व्याख्या आचार्यश्री ने दी है, वह देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में पर्याप्त है। वे कहते हैं—“यदि हिंदू शब्द की गरिमा बढ़ानी है तो उसे वैदिक विचारों के संकीर्ण घेरे से निकालना होगा। हिंदुत्व के सिंहासन पर जब तक वैदिक विचार छाया रहेगा, तब तक जैन, बौद्ध और अन्य धर्म उनके निकट कैसे जा सकेंगे? अतः हिन्दू शब्द को धर्म विशेष के साथ जोड़ना उसे साम्प्रदायिक और संकीर्ण बनाना है।”^२

संस्कृति को व्याख्यायित करती उनकी निम्न पक्तियाँ कितनी वेधक बन पड़ी हैं—“हिंदू होने का अर्थ यदि मुसलमान के विरोध में खड़ा होना हो

१. एक वृद्ध : एक सागर, पृ० १४२०

२. अतीत का विसर्जन अनागत का स्वागत, पृ० ५०, ५१

तो मैं उसे संस्कृति की संज्ञा नहीं दे सकता। मुसलमान होने का अर्थ यदि हिंदू के विरोध में खड़ा होना हो तो उसे भी मैं संस्कृति की संज्ञा देना नहीं चाहूंगा।^१ उनकी दृष्टि में संस्कृति की श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता ही किसी संस्कृति का मूल्य-मानक है। इससे हटकर साम्प्रदायिकता, जातीयता आदि के वटखरो से उसे तोलना यथार्थ से परे होना है।

आचार्य तुलसी शिक्षा को संस्कृति के पूरक तत्त्व के रूप में ग्रहण करते हैं। उनकी दृष्टि में शिक्षा संस्कृति को परिष्कृत करने का एक अंग है। इस क्षेत्र में उनका स्पष्ट कथन है कि शिक्षा का सम्बन्ध आचरण के परिष्कार के साथ होना चाहिए। यदि आचरण परिष्कृत नहीं है तो शिक्षित और अशिक्षित में कोई अंतर नहीं हो सकता है। शिक्षा के संदर्भ में उनकी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी है—“शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास या डिग्री पाना ही हो, यह दृष्टिकोण की सकीर्णता है। क्योंकि शिक्षा का सम्बन्ध शरीर, मन, बुद्धि और भाव सबके साथ है। एकांगी विकास की तुलना शरीर की उस स्थिति के साथ की जा सकती है, जिसमें सिर बड़ा हो जाए और हाथ पाव दुबले-पतले रहे। शरीर की भांति व्यक्तित्व का असतुलित विकास उसके भौंडेपन को प्रदर्शित करता है।” वे शिक्षा के साथ नैतिक विकास का होना अत्यन्त आवश्यक मानते हैं। यदि शिक्षा का आधार नैतिक बोध नहीं हुआ तो वह अशिक्षा से भी अधिक भयकर हो जाएगी। वे मानते हैं जिस शिक्षा के साथ अनुशासन, धैर्य, सहअस्तित्व, जागरूकता आदि जीवन-मूल्यों का विकास नहीं होता, उस शिक्षा की जीवित दृष्टि के आगे प्रश्नचिह्न उभर आता है। अतः शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है, जीवन मूल्यों को समझना, यथार्थ को जानना तथा उसे पाने की योग्यता हासिल करना।^३

आज की यात्रिक एवं निष्प्राण शिक्षापद्धति में जीवन विज्ञान के माध्यम से उन्होंने नव प्राणप्रतिष्ठा की है तथा इसके अभिनव प्रयोगों से शिक्षा द्वारा अखंड व्यक्तित्व निर्माण की योजना प्रस्तुत की है।

जीवन विज्ञान के साथ-साथ वे शिक्षा में क्रांति लाने हेतु त्रिआयामी चर्चा प्रस्तुत करते हैं। वे मानते हैं शिक्षा तभी प्रभावी बनेगी जब विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक तीनों को प्रशिक्षित और जागरूक बनाया जाए। शिक्षा सस्थान में पवित्रता बनाए रखने के लिए वे तीन बातें आवश्यक मानते हैं—

१ साम्प्रदायिकता से मुक्ति

१ एक बूढ़ . एक सागर, पृ० १४२२

२. क्या धर्म बुद्धिगम्य है ?, पृ० १३७

३. जैन भारती, २२ जून ८६

२. दलगत राजनीति से मुक्ति

३ अनैतिकता से मुक्ति ।^१

उन्होंने अपने साहित्य में शिक्षा के इतने पहलुओं को छुआ है कि उन सबका समाकलन किया जाए तो अनायास ही पूरा शोधप्रबन्ध लिखा जा सकता है ।

भविष्य की चेतावनी

आचार्य तुलसी ऐसे व्यक्तित्व का नाम है, जो वर्तमान में जीते हैं और भविष्य पर अपनी गहरी नज़रें टिकाए रखते हैं । यही कारण है कि उनकी पारदर्शी दृष्टि आने वाले कल को युगो पूर्व पहचान लेती है । अपने प्रवचनों में वे भविष्य में आने वाले खतरों एवं बाधाओं से आगाह करते हुए उससे बचने का संदेश भी समाज को बराबर देते रहते हैं ।

सन् १९५०, दिल्ली के टाउन हाल में प्रबुद्ध एवं पूंजीपति लोगों को भविष्य की चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा—“एक समय था जबकि हिंदुस्तान के बहुत बड़े भाग में राजाओं का एक छत्र शासन था किन्तु समय के अनुकूलन चलने के कारण जनता ने उन्हें पछाड़ दिया । राजाओं के वाद धनिकों पर भी युग का नेत्र विंदु टिक सकता है और उसका सम्भावित परिणाम भी स्पष्ट है । ऐसी स्थिति में उन्हें सोचना चाहिए कि जो ब्रह्मपुत्र और आत्मगौरव स्वेच्छापूर्वक त्याग में है, डूबे के बल से छोड़ने में नहीं है ।”^२ आज आसाम और बंगाल की विषम स्थितियाँ तथा धनिकों को दी जाने वाली चेतावनियाँ उनकी ४३ साल पूर्व कही बात को सत्य साबित कर रही हैं ।

आज राजनीतिज्ञ लोग निःशस्त्रीकरण और अहिंसा के विकास की बात सोच रहे हैं पर आचार्य तुलसी ने सन् १९५० में दिल्ली की विशाल सभा में अहिंसा के भविष्य की उद्घोषणा करते हुए कहा—“वह दिन आने वाला है, जब पशुवल से उकताई दुनिया भारतीय जीवन में अहिंसा और शांति की भीख मागेगी ।”^३

प्रवचन की भाषा शैली

आचार्य तुलसी की प्रवचन साधना किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है । उन्होंने समाज के लगभग सभी वर्गों को सम्बोधित किया है, इसलिए पात्र-भेद के अनुसार मप्रेषणीयता की दृष्टि से उनके प्रवचनों की भाषा-शैली में अन्तर आना स्वाभाविक है, साथ ही समय की गति के अनुसार भी उन्होंने अपनी भाषा में परिवर्तन किया है । वे स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं

१. एक बूढ़ : एक सागर, पृ० १३४६

२ १९५०, टाउन हाल, दिल्ली

३. सन् १९५०, दिल्ली

—“जब जैसी जनता सामने होती है, मैं अपने प्रवचन का विषय, भाषा और शैली बदल लेता हूँ।” आचार्यकाल के प्रारम्भिक वर्षों में उनके प्रवचन प्रायः राजस्थानी भाषा में होते थे किन्तु आज वे सुरक्षित नहीं हैं। बाद में जन-जन तक अपनी क्रांत वाणी को पहुँचाने के लिए उन्होंने राष्ट्र-भाषा हिन्दी को प्रवचन का माध्यम बनाया। हिन्दी प्रवचनों की उनकी पचासो पुस्तकें प्रकाश में आ चुकी हैं तथा अनेक पुस्तकें प्रकाशनाधीन हैं।

उनकी विद्वत्ता भाषा में उलझकर जटिल एवं बोझिल नहीं, अपितु अनुभूति की उष्णता से तरल बन गयी है। आस्तिक हो या नास्तिक, विद्वान् हो या अनपढ़, धनी हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध सभी एक रस, एकतान होकर उनकी वाणी के जादू से बंध जाते हैं। उनकी वाणी में वह आकर्षण है कि जो प्रभाव रोटरी क्लब और वकील एसोसिएशन के सदस्यों के बीच पड़ता है, वही प्रभाव संस्कृत और दर्शन के प्रकाण्ड पण्डितों के मध्य पड़ता है। पूरे प्रवचन साहित्य में भाषागत यही आदर्श दिखलाई पड़ता है कि वे अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। अतः उनके प्रवचन साहित्य में कठिन से कठिन दार्शनिक विषय भी व्यावहारिक, सहज, सरस, सजीव, सुबोध एवं अर्थ-पूर्ण भाषा में व्यक्त हुए हैं। लाग फेलो की निम्न उक्ति उनके प्रवचन की भाषा-शैली में पूर्णतया खरी उतरती है—“व्यवहार में, शैली में और अपने तीर तरीकों में सरलता ही सबसे बड़ा गुण है। नरेन्द्र कोहली कहते हैं—‘पाठक सब कुछ क्षमा कर सकता है, पर लेखक में बनावट, दिखावा, लालसा को क्षमा नहीं कर सकता।’” अनुभूति की सचाई अभिव्यक्त होने के कारण उनके प्रवचन साहित्य की भाषा साहित्यिक न होने पर भी सरल और प्रवाह-मयी है। उसमें आत्मबल और संयम का तेज जुड़ने से वह प्रभावी बन गयी है। यही कारण है कि वे अपनी वाणी के प्रभाव में कहीं भी सदिग्ध नहीं हैं—

“मैं जानता हूँ, मेरे पास न रेडियो है, न अखबार है और न आज के प्रचार योग्य वैज्ञानिक साधन हैं। .. लेकिन मेरी वाणी में आत्मबल है, आत्मा की तीव्र शक्ति है और मुझे अपने संदेश के प्रति आत्मविश्वास है फिर कोई कारण नहीं, मेरी यह आवाज जनता के कानों से नहीं टकराए।”

प्रवचन शैली के बारे में अपना अभिमत व्यक्त करते हुए वे कहते हैं—“प्रवचन शैली का जहाँ तक प्रश्न है, मैं नहीं जानता उसमें कोई विशिष्टता है। न मैं दार्शनिक लहजे में बोलता हूँ और न मेरी भाषा पर कोई साहित्यिक प्रभाव ही होता है। मैं तो अपनी मातृभाषा (राजस्थानी) अथवा

१. प्रेमचन्द्र, पृ० १९३

२. १५ अगस्त १९४७, प्रथम स्वाधीनता दिवस पर प्रदत्त

राष्ट्रभाषा में अपने मन की बात जनता के सामने रख देता हूँ । उससे यदि जनता आकृष्ट होती है तो यह उसकी गुणग्राहकता है । मैं तो मात्र निमित्त हूँ ।”^१

उनकी प्रवचन शैली का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य चित्रात्मकता है । प्रवचन के मध्य जब वे किसी कथा को कहते हैं तो ऐसा लगता है मानो वह घटना सामने घट रही है । स्वरो का उतार-चढ़ाव तथा शरीर के हाव-भाव सभी उस घटना को सचित्र एवं सजीव करने में लग जाते हैं ।

उनकी प्रवचन शैली में चमत्कार आने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि वे सभा के अनुरूप अपने को ढाल लेते हैं । डाक्टरों की एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए वे कहते हैं—

“आज मैं डाक्टरों की सभा में आया हूँ तो स्वयं डाक्टर बनकर आया हूँ । जो व्यक्ति जहाँ जाये उसे वही का हो जाना चाहिए । आप डाक्टर हैं तो मैं भी एक डाक्टर हूँ । आप देह की चिकित्सा करते हैं, तो मैं आत्मा की चिकित्सा करता हूँ । आप विभिन्न उपकरणों से रोग का निदान करते हैं तो मैं मनुष्यों के हृदय को टटोलकर उसकी चिकित्सा करता हूँ । आप प्रतिदिन नये-नये प्रयोग करते रहते हैं तो मैं भी अपनी अध्यात्म प्रचार पद्धति में परिवर्तन करता रहता हूँ ।”

आचार्य तुलसी ने अपने प्रवचनों में अनेकांत शैली का प्रयोग किया है । अनेक स्थानों पर तो वे जीवन के अनुभवों को भी अनेकांत शैली में प्रस्तुत करते हैं । अनेकांत शैली का एक अनुभव निम्न पंक्तियों में देखा जा सकता है—“मैं अकिंचन हूँ । गरीब मानें तो सबसे बड़ा गरीब हूँ और अमीर माने तो सबसे बड़ा अमीर हूँ । गरीब इसलिए हूँ क्योंकि पूजा के नाम पर मेरे पास एक नया पैसा भी नहीं है और अमीर इसलिए हूँ क्योंकि कोई चाह नहीं है ।”

उनकी प्रवचन शैली का वैशिष्ट्य है कि वे समय के अनुसार अपनी बात को नया मोड़ दे देते हैं । उनके प्रवचनों की प्रासंगिकता का सबसे बड़ा कारण यही है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव सबको देखते हुए वे अपनी बात कहते हैं । होली के पर्व पर लोगों की धार्मिक चेतना को झकझोरते हुए वे कहते हैं—

“आज होली का पर्व है । लोग विभिन्न रंग घोलते हैं, तो क्या मैं कह दूँ कि आज का मानव दुरंग है । क्योंकि उसके पास दो पिचकारियाँ हैं । दीखने में कुछ और है और कहने में कुछ और । वह बातों में इतना चित्तनशील लगता है मानो उससे अधिक धार्मिक कोई और है या नहीं । मन्दिर में जब

१. बहता पानी निरमला, पृ० १२०

२. जैन भारती, २८ अक्टू० १९६५

वह पूजन करता है तब लगता है मानो उसमें दैवत्व का निवास है, किन्तु बाजार में वह यमराज बन जाता है। पाठ पूजा करते समय वह प्रह्लाद को भी मात करता है, पर जब उसे अधिकार की कुर्सी पर देखो तो शायद हिरणाकुश वही है। ' 'उस मानव को दुरगा नहीं क़हू तो क्या क़हू।''

विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए उनकी वाणी कितनी हृदयस्पर्शी एवं सामयिक बन पड़ी है—“विद्यार्थियों ! मैं स्वयं विद्यार्थी हूँ और जीवन भर विद्यार्थी बने रहना चाहता हूँ। विद्यार्थी रहने वाला जीवन भर नया आलोक पाता है, विद्वान् बन जाने के बाद प्राप्ति का मार्ग रुक जाता है।

प्रवचन साहित्य एक समीक्षा

उनके विशाल प्रवचन साहित्य में विषय की गम्भीरता, अनुभवों की ठोसता एवं व्यावहारिक ज्ञान की भाँकी स्पष्ट देखी जा सकती है। फिर भी इस साहित्य की समालोचना निम्न बिन्दुओं में की जा सकती है—

जनभोग्य होने के कारण इसमें नया शिल्पन एवं साहित्यिक भाषा के प्रयोग कम हुए हैं पर जीवन की सचाइयों से यह साहित्य पूरी तरह संपृक्त है। उनके इस साहित्य का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य यह है कि यह निराशा में आशा की ज्योति प्रज्वलित करता है तथा जन-जन में नैतिकता की अलख जगाता है। वे मानते हैं कि यदि मैं अपने प्रवचन में नैतिकता की बात नहीं कहूँगा तो मेरे प्रवचन की सार्थकता ही क्या है ?

एक ही प्रवचन में पाठक को विषयान्तर की प्रवृत्ति मिल सकती है। अनेक स्थलों पर भावों की पुनरावृत्ति भी हुई है पर जिन मूल्यों की वे चर्चा कर रहे हैं, उन्हें जन-जन में आत्मसात करवाने के लिए ऐसा होना बहुत आवश्यक है। उनकी विशाल प्रवचन सभा में भिन्न-भिन्न रुचि एवं भिन्न वर्गों के लोग उपस्थित रहते हैं। अतः उन सबको मानसिक खुराक मिल सके यह ध्यान रखना प्रवचनकर्त्ता के लिए आवश्यक हो जाता है। इसीलिए अनेक स्थलों पर अवान्तर विषयों का समावेश मूल विचार में आघात करने के स्थान पर उसके अनेक पहलुओं को ही स्पष्ट करता है।

साहित्य का सत्य देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलता है अतः इस साहित्य में भी कहीं-कहीं परस्पर विरोधी बातें मिलती हैं पर यह विरोधाभास उनके जीवन के विभिन्न अनुभवों का जीवन्त रूप है तथा आग्रह मुक्त मानस का परिचायक है।

सहजता, सरलता, प्रभावोत्पादकता, भावप्रवणता एवं व्यावहारिकता से सशिल्लभ उनका प्रवचन साहित्य युगो-युगो तक विश्व चेतना पर अपनी अमिट छाप छोड़ता रहेगा।

भाषा शैली

सत्य की अभिव्यजना तथा अन्तर्जगत् को प्रकट करने का एकमात्र साधन भाषा है। यदि इसके बिना भी हम अपने भावों को एक-दूसरे तक पहुँचा सके तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती पर यह हमारे भावों का अनुवाद दूसरो तक पहुँचाती है अतः मनुष्य के हर प्रयत्न के अध्ययन में भाषा का महत्त्वपूर्ण योगदान है। भाषा के बारे में आचार्य तुलसी का अभिमत है—
“भाषा के मूल्य से भी अधिक महत्त्व उसमें निबद्ध ज्ञान राशि का है, जो मानवीय विचार धारा में एक अभिनव चेतना और स्फूर्ति प्रदान करती है। भाषा अभिव्यक्ति का साधन है, साध्य नहीं।”

भाषा के बारे में जैनेन्द्रजी का मतव्य बहुते स्पष्ट एवं मननीय है—
“मेरी मान्यता है कि भाषा स्वयं कुछ रहे ही नहीं, केवल भावों की अभिव्यक्ति के लिए हो। भाव के साथ वह इतनी तद्गत हो कि तनिक भी न कहा जा सके कि भाव उसके आश्रित हैं। अर्थात् भाव उसमें से पाठक को ऐसा सीधा मिले कि बीच में लेने के लिए कहीं भाषा का अस्तित्व रहा है, यह अनुभव न हो।” अतः भाषा की सफलता बनाव शृंगार में नहीं, अपितु भावानुरूप अर्थाभिव्यक्ति में है।

आचार्य तुलसी की भाषा इस निकष पर खरी उतरती है। वे जनता के लिए बोलते या लिखते हैं अतः हर स्थिति में उनकी भाषा सहज, सरल, व्यापक, हार्दिक, सुबोध एवं सशक्त है। भाषा की बोधगम्यता के पीछे उनकी साधना की शक्ति बोलती है—निर्ग्रन्थ व्यक्तित्व मुखर होता है। उनकी भाषा आत्मा से निकलती है और दूसरो को भी आत्मदर्शन की ताकत देती है। इस बात की पुष्टि हजारीप्रसाद द्विवेदी भी करते हैं—“गहन साधना के बिना भाषा सहज नहीं हो सकती। यह सहज भाषा व्याकरण और भाषाशास्त्र के अध्ययन से भी प्राप्त नहीं की जा सकती, कोशों में प्रयुक्त शब्दों के अनुपात में इसे नहीं गढ़ा जा सकता।” कबीर, रहीम, राजिया और आचार्य भिक्षु आदि को यह भाषा मिली और इसी परंपरा में आचार्य तुलसी का नाम भी स्वतः जुड़ जाता है।

उनकी भाषा आकर्षक एवं प्रसाद गुण-सम्पन्न है। इसका कारण है। कि जो उनके भीतर है, वही बाहर आता है। मैथिलीशरण गुप्त इस मत की

पुष्टि यो करते हैं—'मन यदि उलझनों से भरा है तो भाषा की गति अत्यन्त धीमी, दुर्बोध और चकरीली हो जाती है।' आचार्य तुलसी का मन तनाव और उलझनों से कोसों दूर रहता है अतः उनकी भाषा में विसंगति का प्रसंग ही नहीं आता। साधना की आच में तपा हुआ उनका मानस कभी कथनी और करणी में द्वैत नहीं डालता।

“जिस दिन मानव को वस्तु की अभिव्यक्ति में विलक्षणता लाने की गति मति जागी, उसी दिन से शैली का विवेचन तथा विचार प्रारम्भ हुआ।” आचार्य क्षेमचन्द्र सुमन की यह अभिव्यक्ति शैली के प्रारम्भ की कथा कहती है पर जब से आदमी ने किसी विषय में सोचना या लिखना प्रारम्भ किया तभी शैली का प्रादुर्भाव हो गया क्योंकि शब्दों की कलात्मक योजना ही शैली है। “शैली भाषा की अभिव्यक्ति शक्ति की परिचायक है।” अंग्रेजी कवि पोप शैली को व्यक्ति के विचारों की पोशाक मानते हैं किन्तु शैली विचारक मरे इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि शैली लेखक के विचारों की पोशाक नहीं, अपितु जीव है, जिसके अन्दर मांस, हड्डी और खून है।¹³ शैली के परि-प्रेक्ष्य में ही उनका एक अन्य उद्धरण भी मननीय है—‘शैली भाषा का वह गुण है, जो लाघव से रचयिता के मनोभावों, विचारों अथवा प्रणाली का संवहन करती है।’¹⁴ शैली किसी से उधार मागी या दी नहीं जाती क्योंकि वह किसी भी साहित्यकार के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग होती है। यही कारण है कि किसी भी रचना को पढ़ते ही यह ज्ञान किया जा सकता है कि यह अमुक व्यक्ति की रचना है।

शैली साहित्य की उच्चतम निधि है। पाश्चात्य एवं प्राच्य विद्वानों की सैकड़ों परिभाषाएँ शैली के बारे में मिलती हैं पर प्रसिद्ध समालोचक बाबू गुलावराय ने दोनों मतों का समन्वय करके इसे मध्यम मार्ग के रूप में ग्रहण किया है। वे शैली को न नितान्त व्यक्तिपरक मानते हैं और न वस्तुपरक ही। उनका मानना है कि शैली में न तो इतना निजीपन हो कि वह सनक की हृद तक पहुँच जाए और न इतनी सामान्यता हो कि नीरस और निर्जीव हो जाए। शैली अभिव्यक्ति के उन गुणों को कहते हैं, जिन्हें लेखक या कवि अपने मन के प्रभाव को समान रूप से दूसरों तक पहुँचाने के लिए अपनाता है।¹⁵

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार उपयुक्त शब्दों का चुनाव, स्वर और व्यंजनों की मधुर योजना, वाक्यों का सही विन्यास तथा विचारों

१. साहित्य विवेचन, पृ० ४४

२. आधुनिक गद्य एवं गद्यकार, पृ० १

३-४. M. Murra, Problems of style, पृ० ७१, १३६

५. सिद्धांत और अध्ययन; पृ० १९०

का विकास शैली के मौलिक तत्व है। यही कारण है कि कोई भी साहित्यकार केवल सुन्दर भावों से युक्त होने पर ही अच्छा साहित्यकार नहीं हो सकता, उसमें प्रतिपादन शैली का सौष्ठव होना भी अनिवार्य है। यदि शैली सुघड है तो वक्तव्य वस्तु में सार कम होने पर भी वह ग्रहणीय बन जाती है।

पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार अच्छी शैली के लिए लेखक के व्यक्तित्व में विचार, ज्ञान, अनुभव तथा तर्क इत्यादि गुणों की अपेक्षा होती है। जो व्यक्तित्व जितना सप्रण, विशाल, सवेदनशील और ग्रहणशील होगा, उसकी शैली उतनी ही विशिष्ट होगी क्योंकि शैली को व्यक्तित्व का प्रतिरूप कहा जाता है (स्टाइल इज द मैन इटसेल्फ)। समर्थ व्यक्तित्व अपनी प्रत्येक रचना में अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व के साथ प्रतिबिम्बित रहता है। लेखक का प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक पद, प्रत्येक शब्द उसके नाम का जयघोष करता सुनाई देता है।

यद्यपि शैली व्यक्तित्व से प्रभावित होती है फिर भी कुछ ऐसे तत्व हैं, जो उसे विशिष्ट बनाते हैं—

१. देश और काल की स्थितियाँ शैली को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। अगर तुलसी, सूर, विहारी या आचार्य भिक्षु इस युग में आते तो उनके कहने या लिखने का तरीका बिलकुल भिन्न होता।
२. वक्तव्य विषय को हृदयगम कराने हेतु विविध रूपकों, कथाओं, दोहों एवं सोरठों का प्रयोग।
३. विविध शास्त्रीय तत्वों का उचित सामंजस्य।
४. विषय और विचार में तादात्म्य।
५. सत्यस्पर्शी कल्पना।
६. लेखक के मन और आत्मा, बुद्धि और भावना तथा हृदय और मस्तिष्क का सामंजस्य एवं सतुलन।
७. व्यजना ऐसी हो, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म स्थिति में ले जाने के लिए पाठक को चुनौती दे, जिसे पढ़े बिना पाठक प्रसंग छोड़ने में असमर्थ हो जाए।
८. वाक्य विन्यास जटिल न होकर सरल हो, जिसको पढ़कर हर वर्ग के पाठक को वही आनन्द हो जो किसी कठिनाई पर विजय पाने वाले को होता है।

आचार्य तुलसी की लेखनशैली की अपनी विशेषताएँ हैं। उन्होंने अपने हर मनोगत भावों की अभिव्यक्ति इतने रमणीय, आकर्षक और प्रभावोत्पादक ढंग से दी है कि उनकी रचना पढ़ते ही पाठक के भीतर अभिनव हर्ष एवं शक्ति का संचार होने लगता है। शैलीगत नवीनता उनको प्रिय है इसलिए वे अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं—“नए रूप, नयी विधा

और नए शिल्पन से मेरा व्यामोह है, यह बात तो नहीं है फिर भी नवीनता मुझे प्रिय है क्योंकि मेरा यह अभिमत है कि शैलीगत नव्यता भी विचार संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। सृजन की अनाहत धारा स्रष्टा और द्रष्टा दोनों को ही भीतर तक इतना भिगो देती है कि लौकिक शब्दों में लोकोत्तर अर्थ की आत्मा निखरने लगती है।”

शैली लेखक के सोचने और देखने का अपना तरीका है अतः प्रत्येक साहित्यकार की शैली के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। आचार्य तुलसी की भाषा-शैली की कुछ निजी विशेषताओं का अकन निम्न बिन्दुओं में किया जा सकता है—

प्राचीन जीवन-मूल्यों की सीधी-साधी भाषा में प्रस्तुति किसी सोए मानस को झकझोर कर नहीं जगा सकती। उन्होंने प्राचीन मूल्यों को आधुनिक भाषा का परिधान पहनाकर उसकी इतनी सरस और नवीन प्रस्तुति दी है कि उसे पढ़कर कोई भी आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। पांच महाव्रत के स्वरूप को अनुभूति के साथ जोड़ते हुए वे कहते हैं—“मैं शांति-पूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ क्या अहिंसा इससे भिन्न है? मैं यथार्थ जीवन जीना चाहता हूँ, क्या सत्य इससे भिन्न है? मैं प्रामाणिक जीवन जीना चाहता हूँ, क्या अस्तेय इससे पृथक् चीज है? मैं शक्ति-सम्पन्न और वीर्यवान् जीवन जीना चाहता हूँ, क्या ब्रह्मचर्य इससे भिन्न है? मैं सयमी जीवन जीना चाहता हूँ क्या अपरिग्रह इससे भिन्न है?”

काव्य की भांति उनके गद्यसाहित्य में भी कही-कही ऐसी भाषा का प्रयोग हुआ है, जिसमें कलात्मकता एकदम मुखर हो उठी है तथा उसमें आल-कारिता की छवि भी निखर आयी है। प्रस्तुत वाक्यों में यमक एवं श्लेष का चमत्कार दर्शनीय है—

१. ‘हमने तो टप्पे^२ को टाल दिया था किन्तु टप्पे वाली की भावना इतनी तीव्र थी कि टप्पा लेना ही पड़ा।’

२. ‘आज इतवार है पर एतवार है क्या?’^३

३. ‘यदि जीवन पाक नहीं है तो पाकिस्तान बनाने से क्या होने वाला है?’

गद्य साहित्य में भी उनका उपमा वैचित्र्य अनुपम है। अनेक नई उपमाओं का प्रयोग उनके साहित्य में मिलता है। निम्न उदाहरण उनके उपमा प्रयोग के सफल नमूने कहे जा सकते हैं—

०. ‘बच्चे-बच्चे के मुख पर झूठ और कपट ऐसे हैं मानो वह ग्रीष्म ऋतु की लू है। जो कहीं भी जाए, सब जगह व्याप्त मिलेगी।’^३

१. एक बूंद : एक सागर, पृ० १७०६

२. राजस्थान में ‘टप्पा’ चक्कर खाने को कहते हैं।

३. जैन भारती, २१ मई ५३ पृ० २७४

० 'वीच मे भौतिकता का विशालकाय समुद्र पड़ा है अब आपको चुराई रूपी रावण की हत्या कर अशांति युक्त शत्रु सेना को मारकर शांति सीता को लाना है ।'

लोकोक्तियों को सामाजिक जीवन का नीतिशास्त्र कहा जा सकता है क्योंकि वे लोकजीवन के समीप होती हैं । मुहावरों एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से उनकी भाषा व्यंजक एवं सजीव बन गई है । अनेक अप्रचलित लोकोक्तियों को भी उन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया है । राजस्थानी लोकोक्तियों का तो उन्होंने खुलकर प्रयोग किया है, जिससे उनके साहित्य में अर्थगत चमत्कार का समावेश हो गया है—

१. जहा चाह, वहा राह

१ जाओ लाख, रहो साख

२. पेड़ो भलो न बोस को, बेटी भली न एक

३. तीजे लोक पतीजे ।

साहित्यिक मुहावरे नहीं अपितु जन-जीवन एवं ग्राम्य जीवन के बोलचाल में आने वाले मुहावरों का प्रयोग उनकी भाषा में अधिक मिलता है । क्योंकि उनका लक्ष्य भाषा को अलंकृत करना नहीं अपितु सही तथ्य को जनता के गले उतारना है । भारतीय ही नहीं विदेशी कहावतों का प्रयोग भी उनके साहित्य में यत्र-तत्र हुआ है ।

'अरबी कहावत है कि गधा दूसरी बार उसी गड्ढे में नहीं गिरता— गधे की यह समझ मनुष्य में आ जाए तो अनेक हादसों को टाला जा सकता है ।'^१

लोकोक्तियों के अतिरिक्त शास्त्रीय उद्धरण एवं महापुरुषों के सूक्ति-वाक्यों के प्रयोग उनकी बहुश्रुतता का दिग्दर्शन कराते हैं—

१. मरणसम नत्थि भय ।

२. नो हरिसे, नो कुज्भे ।

३. इयाणि णो जमह पुव्वमकासी पमाएण ।

४. न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।

कबीर, राजिया, रहीम, आचार्य भिक्षु आदि के सँकड़ो दोहे तो उनको अपने नाम की भाँति मुखस्थ हैं अतः समय-समय पर उनके माध्यम से भी वे जन-चेतना को उद्बोधित करते रहते हैं, जिससे उनकी भाषा में चित्रात्मकता, सरसता एवं सरलता आ गई है ।

प्राच्य के साथ साथ पाश्चात्य विद्वानों के विचार एवं घटना-प्रसंग भी प्रचुर मात्रा में उनके साहित्य में देखे जा सकते हैं—

० लेनिन का अभिमत रहा है कि प्रथम श्रेणी के व्यक्तियों को चुनाव

में नहीं जाना चाहिए ।

० गांधीजी ने कहा था—‘वह दुर्भाग्य का दिन होगा, जिस दिन राष्ट्र में संत नहीं होंगे ।’

० नेपोलियन कहा करता था—‘मैं जिस मार्ग से आगे बढ़ना चाहता हूँ, वहाँ बीच में पहाड़ आ जाए तो एक बार हटकर मुझे रास्ता दे देते हैं ।’

वे भाषा को गतिशील धारा के रूप में स्वीकार करते हैं । यही कारण है कि उन्होंने अपने साहित्य में अन्य भाषा के शब्दों का भी यथोचित समावेश किया है । हिन्दी में प्रचलित अरबी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, गुजराती, वगाली आदि भाषाओं के अनेक शब्दों को उन्होंने अपनी भाषा का अंग बना लिया है जैसे—

मजहब, बरकरार, बेगुनाह, फुरसत, चगा, जमाना, बुनियाद, तूफान, गुजाइश, बियावान, टेशन, टाईम, यग, करेक्टर, मेन, गुड, प्रोग्रेस, रिजर्व एकला आदि ।

राजस्थानी मातृभाषा होने के कारण हिंदी साहित्य में भी अनेक विशुद्ध राजस्थानी शब्दों का प्रयोग उनके साहित्य में मिलता है—‘ठिकाना’ (स्थान) सीयालो (शीतकाल) जाणवाजोग (जाननेयोग्य) टावर आदि ।

कही-कही प्रसंग वश अंग्रेजी के वाक्यों का प्रयोग भी उनके साहित्य में हुआ है—

“लोग स्टेण्डर्ड ऑफ लिविंग को गौण मानकर स्टेण्डर्ड ऑफ लाइफ को ऊँचा उठाए ।”

संस्कृत कोश एवं व्याकरण के प्रकाण्ड पण्डित होने के कारण हिन्दी में सधियुक्त एवं समस्त पदों का प्रयोग भी बहुलता से उनके साहित्य में मिलता है—हर्षात्फुल्ल, समाकलन, अभिव्याप्त, चिंताप्रधान, फलश्रुति तीर्थेश आभिजात्य, दुरभिसंधि आदि ।

कहा जा सकता है कि उनकी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशी एवं विदेशी इन चारों शब्दों का प्रयोग यथायोग्य हुआ है ।

उन्होंने अपनी भाषा में युग्म शब्दों का भी भरपूर प्रयोग किया है । इससे भाषा में बोलचाल की पुष्टि आ गई है—

मार-काट, अक-बक, लूट-खसौट, नौकर-चाकर, ठाट-वाठ, कर्ता-धर्ता, साज-वाज, टेढा-मेढा, उथल-पुथल, आदि ।

शब्दों के चालू अर्थ के अतिरिक्त उनमें नया अर्थ खोज लेना उनकी प्रतिभा का अपना वैशिष्ट्य है । भाषागत इस वैशिष्ट्य के हमें अनेक उदाहरण मिल सकते हैं । उदाहरण के लिए यहाँ एक प्रसंग प्रस्तुत किया जा

सकता है—

पत्रकारों की एक विशेष गोष्ठी में एक पत्रकार ने आचार्य तुलसी के समक्ष जिज्ञासा प्रस्तुत करते हुए कहा—‘आचार्यजी ! आपने समाज के हर वर्ग के उत्थान की बात कही है। आप कायस्थों के लिए भी कुछ कर रहे हैं क्या ?’

आचार्य तुलसी ने कायस्थ शब्द की दार्शनिक व्याख्या करते हुए कहा—“हम कायस्थों के लिए सदा से करते आ रहे हैं। क्योंकि आपकी तरह मैं भी कायस्थ हूँ। कायस्थ अर्थात् शरीर में स्थित रहने वाला। संसार का कौन प्राणी कायस्थ नहीं है ?”

हिन्दी में प्रायः क्रिया वाक्यान्त में लगती है पर भाषा में प्रभावकता लाने के लिए उनके साहित्य में अनेक स्थलों पर इस क्रम में व्यत्यय भी मिलता है—

“कैसे हो सकती है वहाँ अहिंसा जहाँ व्यक्ति प्राणों के व्यामोह से अपनी जान बचाए फिरता है ?”

आचार्य तुलसी शब्द को केवल उसके प्रचलित अर्थ में ही ग्रहण नहीं करते। प्रसंगानुसार कुछ परिवर्तन के साथ उसे नवीन संदर्भ भी प्रदान कर देते हैं। इस संदर्भ में निम्न वार्तालाप द्रष्टव्य है—

एक बार एक राष्ट्रनेता ने निवेदन किया—‘आचार्यजी ! यदि आपको अणुव्रत का कार्य आगे बढ़ाना है तो प्लेन खोल दीजिए। आचार्यजी ने स्मित हास्य बिखेरते हुए कहा—‘आप प्लेन की बात करते हैं, हमारे प्लान (योजना) को तो देखो।’ इस घटना से उनकी प्रत्युत्पन्न मेधा ही नहीं, शब्दों की गहरी पकड़ की शक्ति भी पहचानी जा सकती है।

इसी प्रकार प्रसंगानुसार एक शब्द के समकक्ष या प्रतिपक्ष में दूसरे सानुप्रासिक शब्द को प्रस्तुत करके प्रेरणा देने की कला में तो उनका कोई दूसरा विकल्प नहीं खोजा जा सकता। वे कहते हैं—

० प्रणस्ति नहीं, प्रस्तुति करो, व्यथा नहीं, व्यवस्था करो, चिंता नहीं चिंतन करो।

० मुझे दीनता, हीनता नहीं, नवीनता पसंद है।

लाडनू विदाई समारोह में विश्वविद्यालय के सदस्यों को प्रेरणा देते हुए वे कहते हैं—“जीवन में संतुलन रहना चाहिए। न अहं न हीनता, न आवेग न दीनता, न आलस्य और न अतिक्रमण।”

सूक्तियों में जीवन के अनुभवों का सार इस भांति अभिव्यक्त होता है कि मानव का सुपूत मन जग जाए और वह उसे चैतावनी के रूप में ग्रहण कर सके। उनके साहित्य में गागर में सागर भरने वाले हजारों सूक्त्यात्मक वाक्य हैं, जिनसे उनकी भाषा चुम्बकीय एवं चामत्कारिक बन गयी है—

- अनुशासन का अस्वीकार जीवन की पहली हार है ।
- हम सहन करे, हमारा जीवन एक लयात्मक संगीत बन जाएगा ।
- स्वतंत्रता का अर्थ होता है—अपने अनुशासन द्वारा संचालित जीवन यात्रा ।
- अविश्वास की चिनगारी सुलगते ही सत्ता से गरिमा के साथ हट जाना लोकतंत्र का आदर्श है ।
- वह हर प्राणी शस्त्र है, जो दूसरे के अस्तित्व पर प्रहार करता है ।
- साम्प्रदायिक उन्माद इंसान को भी शैतान बना देता है ।
- जो व्यक्ति कांटो की चुभन से धवराकर पीछे हट जाता है, वह फूलों की सौरभ नहीं पा सकता ।

भाषा में प्रवाह लाने के लिए या कथ्य पर जोर देने के लिए वे कभी-कभी शब्दों की पुनरावृत्ति भी कर देते हैं । युवापीढी को रूपक के माध्यम से प्रेरणा देते हुए वे कहते हैं—

◦ “तुम्हारा हर चिन्तन, तुम्हारी हर प्रवृत्ति, तुम्हारी हर प्रतिभा, तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी शक्ति, सामर्थ्य और तुम्हारी हर सास इस भुवन को सींचने के लिए, सुरक्षा के लिए सम्पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे ।”^{११}

◦ ‘युद्ध वरवादी है, अशांति है, अस्थिरता है और जानमाल की भारी तवाही है ।’^{१२} इस वाक्य को यदि यों कहा जाता कि युद्ध वरवादी, अशांति, अस्थिरता और जानमाल की तवाही है तो वाक्य प्रभावक नहीं बनता ।’

उन्होंने लगभग छोटे-छोटे बोधगम्य वाक्यों का प्रयोग किया है । कही-कही काफी लम्बे वाक्य भी प्रयुक्त हैं पर शृंखलाबद्धता के कारण उनमें कही भी शैथिल्य नहीं आया है । उनके साहित्य में भाषा की द्विरूपता के दो कारण हैं—

१ अनेक सम्पादकों का होना ।

२ लेखन और वक्तव्य की भाषा में बहुत बड़ा अन्तर होता है आचार्यश्री इन दोनों भूमिकाओं से गुजरे हैं इसलिए कही-वही इनमें सम्मिश्रण भी हो गया है ।

छायावादी एवं रहस्यवादी शैली प्रायः काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने हेतु अपनायी जाती है । पर आचार्य तुलसी ने गद्य साहित्य में भी इस शैली का प्रयोग किया है । संसद को मानवाकार रूप में प्रस्तुत कर उसकी पीड़ा को उसी के मुख से कहलवाने में वे कितने सिद्धहस्त बन पड़े हैं—

१. अतीत का विसर्जन : अनागत का स्वागत, पृ० ५२-५३

२. अणुव्रत · गति प्रगति, पृ० १५१

“संसद जनता के द्वार पर दस्तक देकर पुकार रही है—प्रजाजनों। आपने अच्छे-अच्छे लोगों का चयन कर मेरे पास भेजा। पर न जाने क्यों ये सब मेरी इज्जत लेने पर उतारू हो रहे हैं। इस समय मैं घोर सकट में हूँ। मुझे बचाओ। मेरी रक्षा करो।”..... तीन प्रकार के व्यक्तियों को मुझसे दूर रखो। एक वे व्यक्ति जो केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। दूसरे वे जो गलत तरीके से वोट पाकर सत्ता के गलियारे तक पहुंचते हैं और तीसरे वे व्यक्ति, जो असंयमी हैं। ऐसे लोग न तो अपनी वाणी पर सयम रख सकते हैं और न अपने व्यवहार में सन्तुलन रख पाते हैं। इन लोगों का असंयत आचरण देखकर मेरा सिर शर्म से नीचा हो जाता है। इसलिए आप दया करो और ऐसे लोगों को मुझ तक पहुंचने से रोको।”

आचार्य तुलसी की शैली का यह वैशिष्ट्य है कि वे किसी भी विषय का स्पष्टीकरण प्रायः स्वयं ही गम्भीर प्रश्न उठाकर करते हैं। श्रोता या पाठक को ऐसा लगता है मानो वे भी उसमें भाग ले रहे हों। तत्पश्चात् समाधान की ओर विषय को मोड़ते हैं, इससे विषय प्रतिपादन के साथ पाठक का तादात्म्य हो जाता है। तर्कपूर्ण एवं वैज्ञानिक शैली में की गयी उनकी इक्कीसवीं सदी की चर्चा कितनी हृदयस्पर्शी बन गयी है—

“कैसा होगा इक्कीसवीं सदी का जीवन ? यह एक प्रश्न है। इसके गर्भ में कुछ नई सम्भावनाएं अगड़ाई ले रही हैं तो कुछ आशंकाएं भी सिर उठा रही हैं। एक ओर सुविधाभोगी संस्कृति को पाव जमाने के लिए नई जमीन उपलब्ध करवाई जा रही है तो दूसरी ओर पुरुषार्थजीवी संस्कृति को दफनाने के लिए नई कब्रगाह की व्यवस्था सोची जा रही है। कुछ नया करने और पाने की मीठी गुदगुदी के साथ कुछ न करने का दश भी इसी सदी को भोगना होगा।” इसमें इतनी वारीकी से सत्य अभिव्यक्त हुआ है कि विषय वस्तु का आरपार संक्षेप में एक साथ प्रकाशित हो उठा है।

कही-कही उनके प्रश्न समाज की विसंगति पर तीखा व्यंग्य भी करते हैं। ये व्यंग्यात्मक प्रश्न किसी भी व्यक्ति के हृदय को तरंगित एवं भङ्कृत करने में समर्थ हैं। सतीप्रथा पर व्यंग्य करती उनकी निम्न उक्ति विचारणीय है—

“दाम्पत्य सम्बन्ध तो टूट्ट है। स्त्री के लिए पतिव्रता होना और पति के साथ जलना गौरव की बात है तो पुरुष के लिए पत्नीव्रत का आदर्श कहां चला जाता है ? उसके मन में पत्नी के साथ जलने की भावना क्यों नहीं जागती ? पति की मृत्यु के बाद स्त्री विधवा होती है तो क्या पत्नी की मृत्यु के बाद पुरुष विधुर नहीं होता ? स्त्री के लिए पति परमेश्वर है तो पुरुष

१. कुहासे में उगता सूरज, पृ० ७६-७७

२ एक बूद : एक सागर, पृ० १७३६

के लिए पत्नी को परमेश्वर मानने में कौन-सी बाधा है ?”

आज के मनुष्य की जीवन-शैली पर व्यग्य करते ये प्रश्न किसी भी सचेतन प्राणी को झकझोरने में समर्थ है—

“आज मनुष्य की जीवन-शैली कैसी है ? वह उसे किधर ले जा रही है ? वह किसी के लिए नीड बुनता है या बुने हुए नीडों को उजाड़ता है ? वह किसी को जीवन देता है या जीने वाले की सांसों को छीनता है ? वह किसी को जोड़ता है या पीढियों से जुड़े हुए रिश्तों में दरार डालता है ? वह किसी के आंसू पोंछता है या बिना ही उद्देश्य चिकोटी काटकर रूलाता है ? वह जीवन को संवारने के लिए धर्म की शरण में जाता है या उसकी वैसाखियों के सहारे लडाईं के मैदान में उतरता है ? वह किसी की बात सुनता है या अपनी ही बात मनवाने का आग्रह करता है ? इन सवालों के चौराहों पर फैलते जा रहे गुमनाम अंधेरो को रास्ता कौन दिखाएगा ? समाधान की ज्योति कौन जलाएगा ?”

जहां उन्हें किसी बात पर जोर डालना होता है तब भी वे इसी शैली को अपनाते हैं क्योंकि निषेध के साथ जुड़े उनके प्रश्नों में भी एक बुनियादी सन्देश ध्वनित होता है। उदाहरण के लिए देश के समक्ष प्रस्तुत किए गये निम्न प्रश्नों को देखा जा सकता है—

“यदि इस देश के लोग गरीब हैं तो वे श्रम से विमुख क्यों हो रहे हैं ? यदि देश की जनता को भर पेट रोटी भी नहीं मिलती तो करोड़ों रुपये प्रसाधन-सामग्री में क्यों बहाए जाते हैं ? देश में सूखे की इतनी समस्या है तो विलासिता का प्रदर्शन किस बुनियाद पर किया जा रहा है ? यदि भारतीय लोगों में कर्तव्यनिष्ठा है तो राष्ट्रीय, सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों से आंखमिचौनी क्यों हो रही है ? यदि उनमें ईमानदारी है तो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार क्यों छा रहा है ? यदि उन्हें स्वच्छता का आकर्षण है तो गन्दगी क्यों फैल रही है ?”

कभी-कभी प्रश्न उपस्थित करके ही वे अपने वक्तव्य को पाठक तक संप्रेषित करना चाहते हैं। उनके ये प्रश्न इतने मार्मिक, वेधक और सटीक होते हैं कि पाठक के मन में हलचल उत्पन्न किए बिना नहीं रहते। युवापीढी के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रश्नचिह्नों की कुछ पक्तियां मननीय हैं—

“क्या हमारी प्रबुद्ध युवापीढी शून्य को भरने की स्थिति में है ? क्या वह किसी बड़े दायित्व को ओढ़ने के लिए तैयार है ? क्या वह परिवार से भी पहला स्थान समाज को देने की मानसिकता बना सकती है ?”

१ कुहासे में उगता सूरज, पृ० ६२

२ चुनाव के सदर्थ में प्रदत्त एक विशेष संदेश

भापा-शैली का यह वैशिष्ट्य आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के बाद आचार्य तुलसी के साहित्य में ही प्रचुर मात्रा में देखा जा सकता है। इस शैली में व्यक्त तथ्य को पाठक पढ़ता ही नहीं, अपितु मन-ही-मन उसका उत्तर भी सोचता है। प्रश्नों के माध्यम से मानव-मन के अन्तर्द्वन्द्वों को प्रस्तुत करने से पाठक और लेखक के बीच संवाद-शैली जैसी जीवन्तता बनी रहती है। पाठक केवल मूक ही नहीं बना रहता।

निषेध में विधेय को व्यक्त करने की उनकी अपनी शैलीगत विशेषता है—

“मैं नहीं मानता कि समय और समर्पण दो वस्तु है।”

आचार्य तुलसी धर्माचार्य होते हुए भी एक महान् तार्किक है। वे अपनी बात को सहेतुक प्रस्तुत करते हैं। अतः उनकी भाषा में प्रायः कारण एव कार्य की लम्बी शृंखला रहती है। उदाहरण के लिए भगवान् महावीर के व्यक्तित्व को प्रस्तुति देने वाली निम्न पंक्तियों को देखा जा सकता है—

“वे यथार्थवादी थे, इसलिए अति कल्पना की चौखट में उनकी आस्था फिट नहीं बैठती थी। वे अनेकांतवादी थे, इसलिए किसी भी तत्त्व के प्रति उनके मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं था। वे सत्य के साक्षात् द्रष्टा थे, इसलिए उनकी अवधारणाओं का आधार आनुमानिक नहीं था। वे भरे हुए अमृतघट थे, इसलिए किसी उपयुक्त पात्र की प्रतीक्षा करते रहते थे।”^१

उनके साहित्य में केवल कारण एवं कार्य की ही चर्चा नहीं रहती, परिणाम का स्पष्टीकरण भी रहता है। उनका शैलीगत चातुर्य निम्न पंक्तियों में देखा जा सकता है, जहाँ कारण, कार्य एवं परिणाम—तीनों को एक ही वाक्य में समेट दिया गया है—

“आर्थिक क्रांति हुई, अर्थ-व्यवस्था बदली पर अर्थ के प्रति व्यामोह कम नहीं हुआ। सैनिक क्रांति हुई, शासन बदला पर जनता सुखी नहीं हुई। सामाजिक क्रांति हुई, समाज को बदलने का प्रयत्न हुआ, जातीय वहिष्कार जैसी घटनाएं भी घटी पर स्वस्थ समाज की संरचना नहीं हुई।”^२

किसी भी तथ्य के निरूपण में वे ऐकान्तिक हेतु प्रस्तुत नहीं करते। यद्यपि सुख की धारणा के बारे में पाश्चात्य एव प्राच्य अनेक चिंतकों ने पर्याप्त चिंतन किया है, पर इस विन्दु पर आचार्य तुलसी का चिंतन संतुलित होने की प्रतीति देता है—

“सुख का हेतु अभाव भी नहीं है और अतिभाव भी नहीं है, क्योंकि अतिभाव में विलासिता का उन्माद बढ़ता है, जिसके पीछे संरक्षण का रौद्र भाव रहता है तथा अभाव में अन्य अपराध बढ़ते हैं क्योंकि उसके पीछे प्राप्ति

१. बीती ताहि विसारि दे, पृ० ४९

२. नैतिक संजीवन, पृ० ५०

की आर्त्तवेदना है। अतः सुख का हेतु स्वभाव है। इसी प्रसंग में धर्म के सदर्थ में उनकी निम्न पंक्तियाँ भी पठनीय हैं—

“किसी ने धर्म को अमृत बताया और किसी ने अफीम की गोली। ये दो विरोधी तथ्य हैं। पर इन दोनों ही तथ्यों में सत्याश हो सकता है। प्रेम और मैत्री की बुनियाद पर खड़ा हुआ धर्म अमृत है तो साम्प्रदायिक उन्माद से ग्रस्त धर्म अफीम का काम करने लग जाता है।”

इसी शैली में उनका निम्न वक्तव्य भी उद्धरणीय है—

“मेरा अभिमत है कि बाहर भी देखो और भीतर भी। अन्तर्जगत् से उपेक्षित रहना अपने विकास को नकारना है। बाह्य जगत् के प्रति उपेक्षा करना, जो कुछ हम जी रहे हैं, उसे अस्वीकार करना है। जितनी अपेक्षा है, उतना बाहर देखो। जितनी अपेक्षा है, उतना आत्मदर्शन करो।”

प्रवचनकार होने के कारण वे प्रसंगवश एक साथ जुड़ी हुई अनेक बातों को धाराप्रवाह कह देते हैं। इस कारण कहीं-कहीं उनकी भाषा और शैली बहुत दुरूह हो गयी है। इस परिप्रेक्ष्य में निम्न उद्धरण द्रष्टव्य है—

“जब तक व्यक्ति व्यक्ति रहता है, तब तक उसके सामने महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए परिग्रह या संग्रह, परिग्रह या संग्रह के लिए शोषण या अपहरण, शोषण के लिए बौद्धिक या कायिक शक्ति का विकास, बौद्धिक और दैहिक शक्ति-संग्रह के लिए विद्या की दुरभिसंधि, स्पर्धा आदि-आदि समस्याएँ नहीं होती।”

उनके अनुभूतिप्रधान एवं व्यक्तिप्रधान निबंधों में प्रथम पुरुष का प्रयोग हुआ है। ‘मैं’ सर्वनाम का प्रयोग करके उन्होंने अपनी अनुभूतियों एवं अभिमतों को उपन्यस्त किया है। जैसे—‘ऐसे मिला मुझे अहिंसा का प्रशिक्षण’, ‘मेरी यात्रा’ आदि। अनुभूत घटनाएँ या संवेदनाएँ उन्होंने आत्माभिव्यजन के प्रयोजन से नहीं, बल्कि पाठक के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए लिखी हैं। व्यक्तिवादी शैली में निबद्ध निम्न वाक्य तनावग्रस्त एवं गमगीन व्यक्तियों को अभिनव प्रेरणा देने वाला है—

“मैं कल जितना खुश था, उतना ही आज हूँ। मेरे लिए सभी दिन उत्सव के हैं, सभी दिन स्वतंत्रता के हैं।”

• मेरा स्वागत ही स्वागत होता तो शायद अहंभाव बढ जाता। मुझे पग-पग पर विरोध ही विरोध भेलना पडता तो हीनता का भाव भर जाता। मैं इन दोनों स्थितियों के बीच रहा। न अहं, न हीनता। इसलिए मैं बहुत बार अपने विरोधियों को वधाई देता हूँ।” हिन्दी साहित्य में इस शैली का दर्शन रामचन्द्र शुक्ल के निबंधों में मिलता है।

किसी भी साहित्यकार के सामर्थ्य की परीक्षा इससे होती है कि वह अपने अनुभव को सही भाषा में व्यक्त कर पाया या नहीं। आचार्य तुलसी की सृजनात्मक क्षमता इतनी जागृत है कि अनुभूति और अभिव्यक्ति में अन्तराल नहीं है। भाषा पर उनका इतना अधिकार है कि अपने हर भाव को वे सही रूप में अभिव्यक्त करने में सक्षम हैं। यही कारण है कि लेखन में ही नहीं, वक्तृत्व में भी उन्होंने अक्षरमैत्री का विशेष ध्यान रखा है।

वैसे तो आचार्य तुलसी बहुत सीधी-साधी भाषा में अपनी बात पाठक तक संप्रेषित कर देते हैं, पर जहाँ उन्हें सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक कुरीतियों पर प्रहार करना होता है, वहाँ वे व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे उनका कथ्य तीखा और प्रभावी होकर लोगों को कुछ सोचने, भीतर झाँकने एवं बदलने को मजबूर कर देता है। धार्मिकों की रूढ़ि एवं परिणामशून्य उपासना पद्धति पर किए गये व्यंग्य-वाणों की वीछार की एक छटा दर्शनीय है—

‘सत्तर वर्ष तक धर्म किया, माला फेरते-फेरते अगुलिया घिस गई पर मन का मूल नहीं उतरा। चढ़ते-चढ़ते मंदिर की सीढ़िया घिस गई पर जीवन नहीं बदला। सतों के पास जाते-जाते पाव घिस गए पर व्यवहार में बदलाव नहीं आया। क्या लाभ हुआ धार्मिकों को ऐसे धर्म से?’

दान देकर अपने अहं का पोषण करने वाले लोगों के शोषण को शोषित वर्ग के मुख से कितनी मार्मिक एवं व्यंग्यात्मक शैली में कहलवाया है—

‘हमारा शोषण और उनका अहं पोषण, इसमें पुण्य कैसा? वे दानी बने और हम दीन, यह क्यों? वे हमारा रक्त चूसे और हमें ही एक कण डालकर पुण्य कमाए, यह कैसी विडम्बना?’

धर्म के क्षेत्र में होने वाले भ्रष्टाचार पर किया गया व्यंग्य सोच की खिडकी को खोलने वाला है—

० ‘ब्लैक के प्लेग ने भगवान के घर को भी नहीं छोड़ा। घूस देने पर उनके दरवाजे भी रात को खुल जाते हैं।’

राजनीति स्वच्छ या अस्वच्छ नहीं होती। पर भ्रष्ट एवं सत्तालोलुप राजनेता उसकी उजली छवि को धूमिल बना देते हैं। राजनीति की अर्थवत्ता पर की गयी उनकी टिप्पणी व्यंग्यमयी प्रखर शैली का एक निदर्शन है—

‘जनता को सादगी और शिष्टाचार का पाठ पढ़ाने वाले नेता जब तक स्वयं अपने जीवन में सादगी नहीं लायेंगे, फिजूलखर्ची से नहीं बचेगे तो वे जनता का पथदर्शन कैसे कर सकेंगे?’

आचार्य तुलसी का जीवन अनेक विरोधी युगलों का समाहार है। वे

सूर्यसम प्रखर तेजस्वी है तो चाद की भांति सौम्य भी हैं। सागर के समान गंभीर है तो आकाश की ऊचाई भी उनमें समाविष्ट है। चट्टान की भांति अडिग, अचल है तो रबड़ के समान लचीले भी हैं। वज्रवत् कठोर है तो फूल से अधिक कोमल भी है। इसी भावना का प्रतिनिधित्व करने वाला संस्कृत साहित्य में एक मार्मिक श्लोक मिलता है—

वज्रादपि कठोराणि, मृद्वनि कुसुमादपि ।

लोकोत्तराणा चेतासि, को नु विज्ञातुमर्हति ॥

उनके व्यक्तित्व की यह विशेषता साहित्य की शैली में भी प्रतिबिम्बित हुई है। दो विरोधों का समायोजन साहित्य का बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है। उन्होंने प्रकृतिकृत एवं पुरुषकृत विरोध का सामंजस्य कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। महावीर के विरोधी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति का निम्न उदाहरण दर्शनीय है—

“वे जीवन भर मुक्त हाथों से ज्ञानामृत वाटते रहे, पर एक बूंद भी खाली नहीं हुए।”^१

धर्म और विज्ञान के विरोधी स्वरूप में सामंजस्य करते हुए उनका कहना है—

“धर्म और विज्ञान का ऐक्य नहीं है तो उनमें विरोध भी नहीं है। पदार्थ-विश्लेषण और नई-नई वस्तुओं को प्रस्तुत करने की दिशा में विज्ञान आगे बढ़ता है तो आंतरिक विश्लेषण की दिशा में धर्म की साधना चलती है।”^२

जहाँ वे एक उपदेष्टा की भूमिका पर अपनी बात कहते हैं, वहाँ उनकी भाषा बहुत सीधी-सपाट एवं अभिधा शैली में होती है। उनका उपदेश भी पाठक को उबाता नहीं, वरन् मानस पर एक विशेष प्रभाव डालकर जीने का विज्ञान सिखाता है। उपदेशात्मक ध्वनि के वाक्यों की कुछ कड़ियाँ इस प्रकार हैं—

० ‘युवापीढ़ी का यह दायित्व है कि वह संघर्ष को आमंत्रित करे, मूल्यांकन का पैमाना बदले, अह को तोड़े, जोखिम का स्वागत करे, स्वार्थ और व्यामोह से ऊपर उठे तथा इस सदी के माथे पर कलक का जो टीका लगा है, उसे अगली सदी में सक्रात न होने दे।’

० ‘मैं देश के पत्रकारों को आह्वान करना चाहता हूँ कि वे जन-जीवन को नयी प्रेरणाओं से ओत-प्रोत कर, लूट-खसोट, मार-काट आदि सवादों को महत्त्व न देकर निर्माण को महत्त्व दें। जातीय, सांप्रदायिक आदि सकीर्ण विचारों को उपेक्षित कर व्यापक विचारों का प्रचार करें।’

१. चीती ताहि विसारि दे, पृ० ४९

२. एक बूद : एक सागर, पृ० ७४१

एक बात की सिद्धि में उसके समकक्ष अनेक उदाहरणों को प्रस्तुत कर देना उनकी अपनी शैलीगत विशेषता है, जिससे कथ्य अधिक स्पष्ट एवं सुबोध हो जाता है। सत्य का यात्री कभी लकीर का फकीर नहीं होता, इस बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने अनेक उदाहरण साहित्यिक भाषा में प्रस्तुत किए हैं—

“प्रकाश की यात्रा करने वाला कोई भी मनुष्य अपनी मुट्ठी में सूरज का बिम्ब लेकर जन्म नहीं लेता। अमृत की आकाक्षा रखने वाला कोई भी आदमी अगम्य लोको में घर बसाकर नहीं रहता। ऊर्जा के अक्षय स्रोतों की खोज करने वाला व्यक्ति विरासत में प्राप्त टेक्नालॉजी को ही आधार मानकर नहीं चलता। इसी प्रकार सत्य की यात्रा करने वाला साधक पुरानी लकीरो पर चलकर ही आत्मतोष नहीं पाता।”

किसी विशिष्ट शब्द की व्याख्या भी वे अनेक रूपों में करते हैं, जिससे पाठक को वह हृदयगम हो जाए। उस स्थिति में शब्द या वाक्यांश की पुनरुक्ति अखरती नहीं, अपितु एक विशेष चमत्कार और प्रभाव को उत्पन्न करती है। इसे भी एक प्रकार में समानान्तरता का उदाहरण कहा जा सकता है—

अणुव्रती, अकाल मौत, महावीर की स्मृति तथा युवा आदि शब्दों को स्पष्ट करने वाली पक्तियाँ द्रष्टव्य हैं—

अणुव्रती बनने का अर्थ है—अहिंसक होना, शोषण न करना।

अणुव्रती बनने का अर्थ है—नए सामाजिक मूल्यों की प्रस्थापना करना।

अणुव्रती बनने का अर्थ है—अणु से पूर्ण की ओर गति करना।

अणुव्रती बनने का अर्थ है—मनुष्य बनना।

अकाल मौत का अर्थ है—प्रसन्नता में कमी।

अकाल मौत का अर्थ है—मैत्री भाव में कमी।

अकाल मौत का अर्थ है—स्वास्थ्य में कमी।

महावीर की स्मृति का अर्थ है—पराक्रमी होना।

महावीर की स्मृति का अर्थ है—विषमता के विषवृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकना।

महावीर की स्मृति का अर्थ है—सत्यशोध के लिए विनम्र और उदार दृष्टिकोण अपनाना।

महावीर की स्मृति का अर्थ है—संयम की शक्ति का स्फोट करना

युवा वह होता है, जो तनावमुक्त होकर जीना जानता है।

युवा वह होता है, जो प्रतिश्रोत में चलना जानता है।

- युवा वह होता है, जो वर्तमान में जीना जानता है ।
- युवा वह होता है, जो परिस्थितियों में जीना जानता है ।
- युवा वह होता है, जो पुरुषार्थ का प्रयोग करना जानता है ।
- युवा वह होता है, जो आत्मविश्वास को बढ़ाना जानता है ।
- युवा वह होता है, जो अनुशासित होकर रहना जानता है ।¹

लोकप्रसिद्ध धारणा का निषेध वे उस धारणा को प्रस्तुत करने करते हैं । उनके इस शैलीगत वैशिष्ट्य के कारण वक्तव्य तो प्रभावी बनता है, पाठक की भ्रान्त धारणा का निराकरण भी हो जाता है ।² कथ्य के साथ वह सीधा सम्बन्ध भी स्थापित कर पाता है ।

शैली के इस वैशिष्ट्य के बारे में 'व्यावहारिक शैली विज्ञान' में भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि एक बात का निषेध कर दूसरी बात कहना शैली को आकर्षक बनाता है । इसमें बड़े सहज रूप से दूसरी बात रेखांकित हो उठती है । हिंदी में कुछ ही लेखक इस शैली का प्रयोग करते हैं, जिनमें प्रेमचंद और हजारीप्रसाद द्विवेदी मुख्य हैं । प्रेमचंद 'मानसरोवर' में कहते हैं—“खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है । जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ते रहने की लालसा का ।”

साधु-संस्था के बारे में लोगों की अनेक धारणाओं का निराकरण करके नई अवधारणा को प्रस्तुत करने वाली उनकी निम्न पंक्तियाँ पठनीय हैं—“साधु भिखमगे नहीं, भिक्षु हैं । बोझ नहीं, बल्कि संसार का बोझ उतारने वाले हैं । अभिशाप नहीं, बल्कि जगत् के लिए वरदानस्वरूप हैं । वे कलक नहीं, बल्कि जगत् के शृंगार हैं ।”

इसी प्रकार शब्द के अर्थ का स्पष्टीकरण भी कभी-कभी वे इसी शैली में करते हैं—

- ० विनय का अर्थ दीनता, हीनता या दबवूपन नहीं, वह तो आत्म-विकास का मार्ग है ।
- ० अपरिग्रह का अर्थ यह नहीं कि भूखे मरो, उत्पादन या क्रय-विक्रय मत करो । इसका वास्तविक अर्थ है कि दूसरों के अधिकार छीनकर, प्रामाणिकता और विश्वासपात्रता को गवाकर, एक शब्द में, अन्याय द्वारा सग्रह मत करो ।
- ० समर्पण का अर्थ किसी दूसरे के हाथ में अपना भाग्य सौंप देना नहीं, अपितु समर्पित होने का अर्थ है—सत्य को पाने की दिशा में प्रस्थान करना ।

१. बीती ताहि विसारि दे, पृ० ८५

२. अणुव्रती सद्य का चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन, पृ० १२

धर्मनेता होने के कारण वे कर्तव्य की एक लम्बी शृंखला व्यक्ति या वर्गविशेष के सम्मुख रख देते हैं, जिससे कम-से-कम एक विकल्प तो व्यक्ति अपने अनुकूल खोज कर उसके अनुरूप स्वयं को ढाल सके। यह जैलीगत वैशिष्ट्य उन्हें अन्य साहित्यकारों में विलक्षण बना देता है। युगों से प्रताड़ित अवहेलित नारी जाति के सामने करणीय कार्यों की सूची प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं—

“महिलाएँ अपनी क्षमताओं का बोध करे, स्वाभिमान को जागृत करे, युगीन समस्याओं को समझे, समस्याओं को समाज के सामने रखें, उन्हें दूर करने के लिए सामूहिक आवाज उठाएँ और आगे बढ़ने के लिए स्वयं अपना रास्ता बनाएं।”

“स्त्री को अपने व्यक्तित्व को उजागर करने के लिए चारित्रिक सादर्य को निखारना होगा, आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा, आत्मनिर्भरता की आवश्यकता का अनुभव करना होगा, चित्तन एव अभिव्यक्ति को नया परिवेश देना होगा, स्वाभिमान को जगाना होगा, निरभिमानता का विकास करना होगा, अनासक्ति का अभ्यास करके सग्रहवृत्ति को नियंत्रित करना होगा, युगीन समस्याओं को समझना होगा, प्रदर्शनप्रियता से ऊपर उठकर आत्माभिमुख बनना होगा, अनाग्रही वृत्ति को विकसित करना होगा तथा सहिष्णुता, मृदुता एवं विनम्रता को आत्मसात् करना होगा।”

यद्यपि समानान्तरता का प्रयोग काव्य में अधिक मिलता है, पर हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद एवं हजारीप्रसाद द्विवेदी ने गद्य साहित्य में भी इसका प्रचुर प्रयोग किया है। इसी क्रम में आचार्य तुलसी की भाषा में भी प्रचुर मात्रा में लयात्मकता एवं समानान्तरता प्रवाहित होती दृग्गोचर होती है।

समानान्तरता का आशय है कि समान ध्वनि, समान शब्द, समान पद एवं समान उपवाक्यों की पुनरुक्ति। जैसे वेकन अपने निबंधों में तीन शब्द, तीन पदबंध तथा तीन वाक्य समानान्तर रखते थे—

कुछ पुस्तके चखने की होती हैं, कुछ निगलने की होती हैं और कुछ चबाकर खाने और पचाने की।

रूपीय समानान्तरता के प्रयोग आचार्यश्री के साहित्य में अधिक मिलते हैं—

० कुछ लोग निराशा की खोह में सोये रहते हैं। वे अतीत में जाते हैं, भविष्य में उड़ान भरते हैं। जो नहीं किया, उसके लिए पछताते हैं। नयी आकांक्षाओं के सतरंगे इन्द्रधनुष रचते हैं। कभी समय को कोसते हैं। कभी परिस्थिति को दोष देते हैं और कभी अपने भाग्य का रोना रोते हैं। ऐसे लोग निपेधात्मक भावों के खटोले में बैठकर जिन्दगी के दिन पूरे करते हैं।¹

० दिनभर दुकान पर बैठकर ग्राहको को धोखा देना, रिश्वत लेना, भूठे केस लड़ना, चोरी, भूठ आदि मे लगे रहना और इनके दुष्परिणामो से बचने के लिए मंदिर मे प्रतिमा की परिक्रमा करना, साधु-संतो के चरण स्पर्श करना, भजन-कीर्तन मे भाग लेना वास्तव मे धार्मिकता नही है।^१

आचार्य तुलसी का शब्द-सामर्थ्य बहुत समृद्ध है। अतः समतामूलक अर्थीय समानान्तरता के प्रयोग उनके साहित्य मे प्रचुर मात्रा मे मिलते है। भोलानाथ तिवारी का अभिमत है कि अर्थीय समानान्तरता आंतरिक है और इसका बाहुल्य शैली मे अपेक्षाकृत गभीरता का द्योतक होता है।^२ आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का एक प्रयोग है—

‘मनुष्य की चरितार्थता प्रेम मे है, मंत्री मे है, त्याग मे है।’

आचार्यश्री के साहित्य मे अर्थीय समानान्तरता के उदाहरण द्रष्टव्य है—

० ‘अकर्मण्य व्यक्ति मे कैसा साहस ! कैसी क्षमता ! कैसा उत्साह !’ यह अर्थीय समानान्तरता का ही एक रूप है कि किसी भी बात या भाव पर बल देने के लिए वे शब्द के दो तीन पर्यायो का एक साथ प्रयोग करते है—

० ‘कोई भी बाधा, रुकावट या मुसीबत आपके सत्यबल और आत्मबल के समय टिक नही पाएगी।’

ओजस्विता और जीवन्तता उनकी शैली के सहज गुण हैं इसीलिए बेलाग और स्पष्ट रूप से कहने मे वे कही नही हिचकते। शैलीगत यह वैशिष्ट्य उनके सम्पूर्ण साहित्य मे छाया हुआ है। वे वर्गविशेष पर अगुलि-निर्देश करते समय निर्भीक होकर अपनी बात कहते है। यह वैशिष्ट्य उनके अपने फक्कड़पन, मस्ती एव दुनियावी स्वार्थ से ऊपर उठने के कारण है। राजनैतिको ने सामने प्रस्तुत प्रश्न इसी शैली के उदाहरण कहे जा सकते हैं—

“राष्ट्र को स्थिर नेतृत्व प्रदान करने के नाम पर क्यों सिद्धातहीन समझौते और स्तरहीन कलाबाजिया दिखाई जा रही हैं ? सम्प्रदायवाद, जातिवाद, भाषावाद और प्रान्तवाद को भडका करके क्यों सत्ता की गोटिया बिठाई जा रही हैं ? राष्ट्रपुरुष की छवि निखारने के नाम पर क्यों अपने स्वार्थो की पूर्ति की जा रही है ?^३

उनकी कथन शैली का यह अनन्य वैशिष्ट्य है कि वे केवल समस्या को प्रस्तुत ही नही करते, उसका समाधान एव दूसरा विकल्प भी दर्शाते है। इससे उनके साहित्य में पाठक को एक नयी खुराक मिलती है। देश के

१. एक बूंद : एक सागर, पृ० ६२

२. व्यावहारिक शैली विज्ञान, पृ० ८६

३. जैन भारती, १६ दिस. ७९

नागरिकों को आह्वान करते हुए वे कहते हैं—

“संयम का मूल्यांकन होता तो बढ़ती हुई आवादी की समस्या जटिल नहीं होती। अपरिग्रह का मूल्य समझा जाता तो गरीबी की समस्या को पांव पसारने का अवसर नहीं मिलता। पुरुषार्थ को महत्व मिलता तो बेरोजगारी की समस्या नहीं बढ़ती। अहिंसा की मूल्यवत्ता स्थापित होती तो आतंकवाद की जड़ें गहरी नहीं होती। एकता और अखंडता का मूल्यांकन होता तो धर्म, भाषा, जाति आदि के नाम पर देश का विभाजन नहीं होता। मानवीय एकता या समता का सिद्धांत प्रतिष्ठित होता तो जातीय भेदभावों को पनपने का अवसर नहीं मिलता, छुआछूत जैसी मनोवृत्तियों को अपने पंख फैलाने के लिए खुला आकाश नहीं मिलता।”^१

आचार्य तुलसी को आत्मविश्वास का पर्याय कहा जा सकता है। वे प्रवचन में तो अपनी बात पूरे आत्मविश्वास से कहते ही हैं, लेखन में भी उनका आत्मविश्वास प्रखरता से अभिव्यक्त हुआ है—

० “मैं विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि दृढ़ मकल्प शक्ति के साथ प्रामाणिकता स्वीकार कर, नैतिकता पर डटकर खड़े हो जाओ तो देखोगे तुम ही सुखी हो।”^२

० हमारा भविष्य हमारे हाथ में है—यह आस्था मजबूत हो जाए तो समस्याओं की सौ-सौ आधिया भी व्यक्ति के भविष्य को अधकारमय नहीं बना सकती।^३

० मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब तक हिंदुस्तान के पास अहिंसा की सम्पत्ति सुरक्षित है, कोई भी भौतिकवादी शक्ति उसे परास्त नहीं कर सकेगी।

० “मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है, जब समस्त मानव समाज में भावात्मक एकता स्थापित होगी और बिना किसी जातिभेद के मानव-मानव धर्म के पथ पर आरूढ़ होंगे।”

नकारात्मक साहित्य समाज में विकृति, सत्रास एवं घुटन पैदा करता है। आचार्य तुलसी ने कहीं भी निराशा एवं निषेध का स्वर मुखर नहीं किया है। उनके सम्पूर्ण साहित्य में इस वैशिष्ट्य को पृष्ठ-पृष्ठ में देखा जा सकता है, जहाँ उन्होंने अधकार में भी प्रकाश की ज्योति जलाई है, निराशा में भी आशा के गीत गाए हैं तथा दुःख में से सुख को प्राप्त करने की कला बताई है—

१. क्या धर्म बुद्धिगम्य है ? पृ० १०४

२. एक बूढ़ : एक सागर, पृ० १५९२

३. वही, पृ० १४८८

- मैं सोचता हू थोड़े-से अंधेरे को देखकर ढेर सारे प्रकाश से आख नहीं मूद लेनी चाहिए। आज समाज में उल्लुखों की नहीं, हंसों की आवश्यकता है, जो क्षीर और नीर में भेद कर सके।
- मैं हर क्षण उत्साह की सास लेता हू, इसलिए सदा प्रसन्न रहता हू।
- “वचन से ही अहिंसा के प्रति मेरी आस्था पुष्ट हो गयी। आस्था की वह प्रतिमा आज तक कभी भी खंडित नहीं हुई।”
- मुझे कभी सफलता मिली, कभी न भी मिली, पर सुधार के क्षेत्र में मैं कभी निराश होता ही नहीं, निराश होना मैंने सीखा ही नहीं। मैं जिदगी भर आशावान् रहकर अडिग आत्मविश्वास के साथ काम करता रहूंगा।”

अन्य साहित्यकारों की भांति वे किसी भी लेख में लम्बी भूमिका नहीं लिखते हैं। सीधे कथ्य की अभिव्यक्ति ही करना चाहते हैं। भूमिका में अनेक बार पाठक केवल शब्दों के जाल में उलझ जाता है, उसे कुछ नई प्राप्ति का अहसास नहीं होता।

प्रवचन साहित्य में ही नहीं, निवधों में भी उन्होंने पौराणिक, ऐतिहासिक तथा काल्पनिक घटनाओं से अपने कथ्य की पुष्टि की है। अनेक स्थानों पर तो उन्होंने छोटे-छोटे कथा-व्यंग्यों एवं संस्मरणों के माध्यम से भी अपनी बात का समर्थन किया है। यह शैलीगत वैशिष्ट्य उनके सम्पूर्ण साहित्य में छाया हुआ है। यही कारण है कि उनका साहित्य केवल विद्वद्-भोग्य ही नहीं, सर्वसाधारण के लिए भी प्रेरणादायी है।

उनके निवधों में वार्तालाप शैली का प्राधान्य है। इससे पाठक के साथ निकटता स्थापित हो जाती है। वार्तालाप का एक उदाहरण द्रष्टव्य है—

एक बार मोरारजी भाई ने कहा—‘आचार्यजी ! नेहरूजी के साथ आपके अच्छे संबंध हैं। आप उन्हें अध्यात्म की ओर मोड़ सके तो बहुत लाभ हो सकता है।’

मैंने उनसे पूछा—‘यह प्रयत्न आप क्यों नहीं करते ?’

वे बोले—‘हम नहीं कर सकते। आप चाहे तो यह काम हो सकता है।’

हमने सलक्ष्य प्रयत्न किया। तीन वर्षों के बाद मोरारजी भाई फिर मिले। वे बोले—‘हमारा काम हो गया।’

मैंने पूछा—‘क्या नेहरूजी बदल रहे हैं ?’

वे बोले—‘हां, उनके चिन्तन में ही नहीं, व्यवहार में भी बदलाव आ रहा है।’

कही-कही वे अपने कथ्य को इतनी भावुकतापूर्ण शैली में कहते हैं कि पाठक उसमें वहने लगता है। ग्रामीणों के बारे में वे कितनी भावपूर्ण अभिव्यक्ति दे रहे हैं—

“जब मैं इन भोले-भाले, महज, निश्छल और फटे-पुराने कपड़ों में लिपटे ग्रामीणों को देखता हूँ तो मेरा मन पसीज उठता है। ये मेरी छोटी-सी प्रेरणा से शराब, तम्बाकू आदि नशीली वस्तुओं को छोड़ देते हैं तथा अपनी मादसीपूर्ण जिन्दगी और भक्ति-भावना से मेरे दिल में स्थान बना लेते हैं।”

युवापीढ़ी के प्रति अपने आंतरिक स्नेह को अभिव्यक्त करते हुए उनका वक्तव्य कितना संवेदनशील और हृदयग्राह्य बन गया है—

“युवापीढ़ी सदा से मेरी आशा का केन्द्र रही है। चाहे वह मेरे दिखाए मार्ग पर कम चल पायी हो या अधिक चल पायी हो, फिर भी मेरे मन में उसके प्रति कभी भी अविश्वास और निराशा की भावना नहीं आती। मुझे युवक इतने प्यारे लगते हैं, जितना कि मेरा अपना जीवन। मैं उनकी अद्भुत कर्मजा शक्ति के प्रति पूर्ण आश्चस्त हूँ।”^{१२}

उनकी प्रतिपादन-शैली का वैशिष्ट्य है कि वे शब्द और विषय की आत्मा को पकड़कर उसकी व्याख्या करते हैं। किसी भी शब्द या विषय की रूढ़ व्याख्या उन्हें पसंद नहीं है। अहिंसा की मूल आत्मा को व्यक्त करती उनकी कथन-शैली का चमत्कार दर्शनीय है—

“जो लोग अहिंसा को सीमित अर्थों में देखते हैं, उन्हें चीटी के मर जाने पर पछतावा होता है, किन्तु दूसरों पर झूठा मामला चलाने में पछतावा नहीं होता। अप्रामाणिक साधनों से पैसा कमाने में हिंसा का अनुभव नहीं होता। अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति में दूसरों का बड़े से बड़ा अहित करने में उन्हें हिंसा की अनुभूति नहीं होती।”

धर्म की सीधी व्याख्या उनके अनुभव में इस प्रकार है—

“मेरा धर्म किसी मंदिर या पुस्तक में नहीं, बल्कि मेरे जीवन में है, मेरे व्यवहार में है, मेरी भाषा में है।”

उनके प्रवचनों में ही नहीं, लेखन में भी यह विधेयता है कि वे किसी भी विषय या व्यक्ति के विविध रूपों को एक साथ सामने रख देते हैं। यह उनकी स्मृति-शक्ति का तो परिचायक है ही, साथ ही पाठक के समक्ष उस विषय की स्पष्टता भी हो जाती है। नारी के अनेक रूपों को प्रकट करने वाली निम्न पंक्तियाँ उनके इस शैलीगत वैशिष्ट्य को उजागर करती हैं—

“कभी नारी सुघड़ गृहिणी के रूप में उपस्थित होती है तो कभी पूरे

१. एक बूंद : एक सागर, पृ० १७१३

२. वही, पृ० १७११

घर की स्वामिनी बन जाती है। बगीचे में पौधों को पानी देते समय वह मालिन का रूप धारण करती है तो रसोईघर में अपनी पाक-कला का परिचय देती है। कपड़ों का ढेर सामने रखकर जब वह धुलाई का काम शुरू करती है तो उसकी तुलना घोविन से की जा सकती है तो बच्चों को होम वर्क कराते समय वह एक ट्यूटर की भूमिका में पहुंच जाती है। कभी सीना-पिरोना, कभी बुनाई करना, कभी भाड़ू-बुहारी करना तो कभी बच्चों की परवरिश में खो जाना।”

अनुशासन के विविध पक्षों की साहित्यिक एवं क्रमबद्ध अभिव्यक्ति का उदाहरण पढ़िये—

“अनुशासन वह कला है, जो जीवन के प्रति आस्था जगाती है। अनुशासन वह आस्था है, जो व्यवस्था देती है। अनुशासन वह व्यवस्था है, जो शक्तियों का नियोजन करती है। अनुशासन वह नियोजन है, जो नए सृजन की क्षमता विकसित करता है। अनुशासन वह सृजन है, जो आध्यात्मिक चेतना को जगाता है। अनुशासन वह चेतना है, जो अस्तित्व का बोध कराती है। अनुशासन वह बोध है, जो कलात्मक जीवन जीना सिखाता है।”

इसी सन्दर्भ में अध्यात्म की व्याख्या भी पठनीय है—

“अध्यात्म केवल मुक्ति का ही पथ नहीं, वह शांति का मार्ग है, जीवन जीने की कला है, जागरण की दिशा है और है रूपान्तरण की सजीव प्रक्रिया।”

आचार्य तुलसी जीवन की हर समस्या के प्रति सजग हैं। अनेक स्थलों पर वे एक क्षेत्र की अनेक समस्याओं को प्रस्तुत करके एक ऐसा समाधान प्रस्तुत करते हैं, जो उन सब समस्याओं को समाहित कर सके। शैलीगत यह वैशिष्ट्य उनके साहित्य में अनेक स्थलों पर देखने को मिलता है—

“समाज में जहां-कहीं असंतुलन है, आक्रमण है, शोषण है, विग्रह है, असहिष्णुता है, अप्रामाणिकता है, लोलुपता है, असयम है, और भी जो कुछ अवाञ्छनीय है, उसका एक ही समाधान है—सयम के प्रति निष्ठा।”

निष्कर्ष की भाषा में कहा जा सकता है कि उन्होंने गद्य-साहित्य की लेखन-शैली में अनेक नयी दिशाओं का उद्घाटन किया है। उनकी भाषा अनुभूतिप्रधान है, इस कारण उनका साहित्य केवल बुद्धि और तर्क को ही पैना नहीं करता, हृदय को भी स्पंदित करता है। उनका शब्द-चयन, वाक्य-विन्यास तथा भावाभिव्यक्ति—ये सभी विषयों की आत्मा को स्पष्ट करने में लगे हुए दिखाई देते हैं। कहा जा सकता है कि उनकी भाषा-शैली स्वच्छ, स्पष्ट, गतिमय, संप्रेषणीय, गम्भीर किन्तु बोधगम्य, मुहावरेदार तथा श्रुति-मधुर है।

चिन्तन के नए क्षितिज

आचार्य तुलसी एक ऐसे व्यक्तित्व है, जिन्हें चिन्तन का अक्षय कोप कहा जा सकता है। उनके चिन्तन की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित नहीं हुई है, बल्कि उनकी वाणी ने जीवन की विविध दिशाओं का स्पर्श किया है। यही कारण है कि कोई भी महत्त्वपूर्ण विषय उनकी लेखनी से अछूता रहा हो, ऐसा नहीं लगता। उनके चिन्तन की खिडकियाँ समाज को नई दृष्टि देने के लिए सदैव खुली रहती हैं। उन्होंने हजारों विषयों पर अपने मौलिक विचार व्यक्त किए हैं पर उन सबको प्रस्तुत करना असम्भव है। फिर भी अहिंसा, धर्म और राष्ट्र के सन्दर्भ में उन्होंने जो नई सूझ और नई दृष्टि समाज को दी है, उसका आकलन हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ उन विषयों पर उनके उद्धरणों एवं विचारों को ही ज्यादा महत्त्व दिया गया है, जिससे एक शोध-विद्यार्थी को उन पर थीसिस लिखने की सुविधा हो सके।

अहिंसा दर्शन

अहिंसा मानवीय जीवन की कुञ्जी है। अतः इसका सामयिक और इहलौकिक ही नहीं, अपितु सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक महत्त्व है। 'अहिंसा एक अखण्ड सत्य है। उसे टुकड़ों में नहीं बाटा जा सकता। एशिया, यूरोप और अमेरिका की अहिंसा अलग-अलग नहीं हो सकती।' महावीर अहिंसा के सन्दर्भ में कहते हैं कि ज्ञानी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह किसी की हिंसा न करे। यदि करोड़ों पक्षों का जाता होने पर भी व्यक्ति हिंसा में अनुरक्त है तो वह अज्ञानी ही है। "पुरिसा ! तुमसि नाम सन्चेव ज हतव्व ति मन्नसि"—पुरुष जिसे तू हनन योग्य मानता है, वह तू ही है—यह ऐसा मंत्र महावीर ने मानव जाति को दिया है, जिसके आधार पर विश्व की सभी आत्माओं में समत्व प्रतिष्ठित हो सकता है।

यो तो अहिंसा सभी महापुरुषों के जीवन का आभूषण है, किन्तु कुछ कालजयी व्यक्तित्व ऐसे अमिट हस्ताक्षर छोड़ जाते हैं, जो स्वयं ही अहिंसक जीवन नहीं जीते, वरन् समाज को भी उसका सक्रिय एवं प्रयोगात्मक प्रशिक्षण देते हैं। इस दृष्टि से बीसवीं सदी के महनीय पुरुष आचार्य तुलसी को मानव जाति कभी भूल नहीं पाएगी, क्योंकि उन्होंने अहिंसा के प्रशिक्षण की बात कहकर अहिंसक शक्ति को सगठित करने का भागीरथ प्रयत्न

किया है। उनके अहिंसक विचारों की विशदता और विपुलता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि उनकी प्रकाशित पुस्तकों में अहिंसा से सम्बन्धित लगभग २०० लेख हैं।

उनके अहिंसक व्यक्तित्व के सन्दर्भ में प्रसिद्ध साहित्यकार यशपालजी का कहना है—“आचार्य तुलसी के पास कोई भौतिक बल नहीं, फिर भी वे प्रेम, करुणा एवं सद्भावना के द्वारा अहिंसक क्रांति का शंखनाद कर रहे हैं। विनोबा तो अन्तिम समय में ऐकात्मिक साधना में लग गए पर आचार्य तुलसी के चरण ८० वर्ष में भी गतिमान् हैं। उनकी अहिंसक साधना अविराम गति से लोगों को सही इन्सान बनाने का कार्य कर रही है।”

आचार्य तुलसी के कण-कण में अहिंसा का नाद प्रस्फुटित होता रहता है। किसी भी विपम परिस्थिति में हिंसा की क्रियान्विति तो दूर, उसका चिन्तन भी उन्हें मान्य नहीं है। लोक-चेतना में अहिंसा को जीवन-शैली का अंग बनाने के लिए उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के साथ ही अणुव्रत आन्दोलन का सूत्रपात किया। कृतज्ञ राष्ट्र ने उनकी चार दशकों की तपस्या का मूल्यांकन किया और उन्हें (सन् १९९३ में) ‘इन्दिरा गांधी पुरस्कार’ से सम्मानित किया। पुरस्कार समर्पण के अवसर पर वे राष्ट्र को उद्बोधित करते हुए कहते हैं—“मैं अपने समूचे सघ एवं राष्ट्र से यही चाहता हूँ कि सब जगह एकता और सद्भावना का विस्तार हो तथा देश में जितने भी विवादास्पद मुद्दे हैं, उन्हें अहिंसा के द्वारा सुलझाया जाए। अहिंसा के प्रचार-प्रसार में उनके आशावादी दृष्टिकोण की झलक निम्न पक्तियों में देखी जा सकती है—

“कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, आप अहिंसा का मिशन लेकर चल रहे हैं तो क्या आप सारे संसार को पूर्ण अहिंसक बना देंगे? उन्हें मेरा उत्तर होता है—अब तक के इतिहास में ऐसा कोई युग नहीं आया, जबकि सारा संसार अहिंसक बना हो। फिर भी युग-युग में अहिंसक शक्तियाँ अपने-अपने ढंग से अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए प्रयत्न करती रही हैं। आज हम लोग भी वही प्रयास कर रहे हैं। पर मैं इस भाषा में नहीं सोचता कि हमारे इस प्रयास से सारा संसार अहिंसक या धार्मिक बन जाएगा। वस्तुतः सारे संसार के अहिंसक और धार्मिक बनने की बात कर्णप्रिय और लुभावनी तो है ही पर व्यावहारिक और सम्भव नहीं है। व्यावहारिक और सम्भव उतनी ही है कि हमारे प्रयास से कुछ प्रतिशत लोग अहिंसक और धार्मिक बन जाएँ। पर इसके दावजूद भी हम अपने कार्य में सफल हैं। मैं तो यहाँ तक भी सोचता हूँ कि यदि एक व्यक्ति भी हमारे प्रयत्न से अहिंसक या धार्मिक नहीं बनता है तो भी हम असफल नहीं हैं।”

अहिंसक शक्ति के संगठन के सन्दर्भ में उनकी यह प्रस्थापना कितनी मौलिक एवं प्रेरक है—“अहिंसा और धर्म की शक्ति में तेज नहीं आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि दो ठाकू, चोर या उपद्रवी मिल जायेंगे किन्तु दो अहिंसक या धार्मिक नहीं मिल सकते। मेरा निश्चिन्त अभिमत है कि हिंसा में जितनी शक्ति लगाई गई, उम शक्ति का लधांग भी यदि अहिंसा की सृष्टि में लगता तो ऐसी विनक्षण शक्ति पैदा होती, जिसके परिणाम चीकाने वाले होते।” उनका आत्म-विश्वास अनेक अवसरों पर उन शब्दों में अभिव्यक्त होता है—“जिस दिन सामूहिक रूप से अहिंसा के प्रशिक्षण एवं प्रयोग की बात सम्भव होगी, हिंसा की मारी शक्तियों का प्रभाव क्षीण हो जाएगा।”

अहिंसा के प्रशिक्षण हेतु उनकी सन्निधि में दो अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेसों का आयोजन भी हो चुका है। प्रथम सम्मेलन दिसम्बर १९८८ में हुआ, जिसमें ३५ देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन फरवरी १९९१ में हुआ। इन दोनों सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य था बढ़ती हुई हिंसा की विविध समस्याओं का समाधान तथा अहिंसा का विधिवत् प्रशिक्षण देकर एक अहिंसावाहिनी का निर्माण करना। अहिंसक शक्तियों को संगठित करने में यह लघु किन्तु ठोस उपक्रम बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। इन सम्मेलनों में ऐसी प्रशिक्षण प्रणाली प्रस्तुत की गयी, जिससे मनुष्य की शक्ति ध्वंस में नहीं, अपितु रचनात्मक शक्तियों के विकास में लगे तथा अहिंसा की सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन किया जा सके।

अहिंसा का स्वरूप

भारतीय संस्कृति अध्यात्मप्रधान संस्कृति है। अध्यात्म की आत्मा अहिंसा है। भारतीय ऋषि-मुनियों ने अहिंसा का जो शाश्वत गीत गाया है, वह आज भी हमारे समक्ष आदर्श प्रस्तुत करता है। अहिंसा चिरन्तन जीवन-मूल्य है, अतः यह तो नहीं कहा जा सकता कि उसकी खोज किसने की, पर महात्मा गांधी कहते हैं कि उस हिंसायुग जगत् में जिन्होंने अहिंसा का नियम ढूँढ निकाला, वे ऋषि न्यूटन से कहीं ज्यादा बड़े आविष्कारक थे। वे वैलिंग्टन से ज्यादा बड़े योद्धा थे, उनको मेरा साष्टांग प्रणाम है।^१

महावीर ने अहिंसा को जीवन का विज्ञान कहा है। वेद, उपनिषद्, स्मृति, महाभारत आदि अनेक ग्रन्थों में इसका स्वरूप विश्लेषित हुआ है। पर इसके स्वरूप में आज भी बहुत विप्रतिपत्ति है। यही कारण है कि अनेक

१ अमृत सन्देश, पृ० ४४।

२. मेरे सपनों का भारत, पृ० ८२।

परिभाषाएं भी इसको व्याख्यायित करने में असमर्थ रही है। आचार्य तुलसी ने इसे आधुनिक परिवेश में परिभाषित करने का प्रयत्न किया है।

अहिंसा के विषय में उनका चिन्तन न केवल भारतीय चिन्तन के इतिहास में नया चिन्तन प्रस्तुत करता है, अपितु पाश्चात्य विचारधारा में भी नई सोच पैदा करने की सामर्थ्य रखता है। उनके वाङ्मय में अहिंसा की सैकड़ों परिभाषाएं विखरी पड़ी हैं, जो अहिंसा के विविध पहलुओं का स्पर्श करती हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

- सत्, चित् और आनन्द की अनुभूति ही अहिंसा है।
- सब प्राणियों के प्रति आत्मीय भाव होने का नाम अहिंसा है। अर्थात् सबके दर्द को अपना दर्द मानना अहिंसाभाव है।
- मन, वाणी और कर्म इन तीनों को विशुद्ध और पवित्र रखना ही अहिंसा है।^१
- शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक--हर प्रवृत्ति में भावक्रिया रहे, यही अहिंसा की साधना का फलित रूप है।
- अहिंसा का अर्थ है—स्वयं निर्भय होना और दूसरों को अभयदान देना।
- प्राप्त कष्टों को समभाव से सहन करना अहिंसा का विशिष्ट रूप है।
- अहिंसा का अर्थ है—बाहरी आकर्षण से मुक्ति तथा स्व का विस्तार।
- जहां भोग का त्याग हो, उन्माद का त्याग हो, आवेग का त्याग हो, वहां अहिंसा रहती है।
- यदि छोटी-छोटी बातों पर तू-तू मै-मै होती है तो समझना चाहिए, अहिंसा का नाम केवल अधरो पर है, जीवन में नहीं।
- अहिंसा का अर्थ अन्यायी के आगे दबकर घटने टेकना नहीं, बल्कि अन्यायी की डच्छा के विरुद्ध अपनी आत्मा की सारी शक्ति लगा देना है।
- हम किसी दूसरे को न मारे, न पीटे, इतनी ही अहिंसा नहीं है। हम अपने आपको भी न मारे, न पीटे और न कोसे—यही अहिंसा का मूल हार्द है।
- जो निष्काम कर्म है, वही तो आंतरिक अहिंसा है।^२
- अहिंसा के जगत् में इस चिन्तन की कोई भाषा नहीं होती कि मैं

१ मुक्तिपथ, पृ० १३ ।

२ जैन भारती, २६ नव० ६१ ।

ही रहूँ, मैं ही बचू या अन्तिम जीत मेरी ही हो। वहाँ की भाषा यही होती है—अपने अस्तित्व में सब हो और सबके अस्तित्व का विकास हो।^१

इतने व्यापक स्तर पर अहिंसा की व्याख्या इतिहास का दुर्लभ दस्तावेज है।

अहिंसा की मौलिक अवधारणा

अहिंसा के विषय में तेरापन्थ के आद्य गुरु आचार्य भिक्षु ने कुछ मौलिक अवधारणाओं को प्रतिष्ठित किया। उन नयी अवधारणाओं को तत्कालीन समाज पचा नहीं सका, अतः उन्हें बहुत सघर्ष एवं विरोध झेलना पड़ा। पर वर्तमान में आचार्य तुलसी ने उनको आधुनिक भाषा एवं आधुनिक सन्दर्भ में प्रस्तुत करने का प्रणय प्रयत्न किया है। उनमें कुछ अवधारणाओं को विद्वु रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है—

- शुद्ध अहिंसा है—हृदय-परिवर्तन के द्वारा किसी को अहिंसक बनाना। जब तक हिंसक का हृदय परिवर्तन नहीं होता, तब तक वह किसी न किसी रूप में हिंसा कर ही लेगा। अतः साधन-शुद्धि अहिंसा की अनिवार्य शर्त है।
- बड़ों की रक्षा के लिए छोटों को मारना, बहुमत के लिए अल्पमत का उत्सर्ग कर देना हिंसा नहीं है—यह मानना अहिंसा को लज्जित करना है। हिंसा न छोड़ सकें, यह मानवीय कमजोरी है, पर उसे अहिंसा मानने की दोहरी गलती क्यों करे ?
- अनिवार्य हिंसा को अहिंसा मानना उचित नहीं। आकाक्षाओं के लिए होने वाली हिंसा, जीवन की आवश्यकता-पूर्ति करने वाली हिंसा अनिवार्य हो सकती है, पर उसे अहिंसा नहीं कह सकते।^२
- किसी को अहिंसक बनाने के लिए हिंसा का प्रयोग करना अहिंसा का दुरुपयोग है।
- आप लोग न मारें तो मैं भी आपको नहीं मारूँ, आप यदि गाली न दें तो मैं भी गाली न दूँ, ऐसा विनिमय अहिंसा में नहीं होता।^३
- अहिंसक बनने का उद्देश्य यह नहीं कि कोई न मरे, सब जिन्दा रहें, उसका उद्देश्य यही है कि व्यक्ति अपना आत्मपतन न होने

१. मेरा धर्म : केन्द्र और परिधि, पृ० ६५।

२. शांति के पथ पर, पृ० ४७।

३. एक वृद्ध : एक सागर, पृ० २७०।

दे। कोई किसी को जिला सके, यह सर्वथा असम्भव बात है। पर कोई किसी को मारे नहीं, यह अहिंसा और मैत्री का व्यावहारिक एव सम्भावित रूप है।^१ इसी बात को रूपक के माध्यम से समझते हुए वे कहते हैं—पड़ोसी को दुर्गंध न आए, इसलिए हम घर को साफ-सुथरा बनाये रखे, यह सही बात नहीं है। दूसरो को कष्ट न हो इसलिए हम अहिंसक रहे, अहिंसा का यह सही मार्ग नहीं है। आत्मा का पतन न हो, इसलिए हिंसा न करे, यह है अहिंसा का सही मार्ग। कष्ट का वचाव तो स्वयं हो जाता है।^१

अहिंसक कौन ?

अहिंसक कौन हो सकता है, इस विषय में भारतीय मनीषियो ने पर्याप्त चिन्तन किया है। आचार्य तुलसी मानते हैं कि अहिंसा की जय बोलने वाले तथा उसकी महिमा का बखान करने वाले अनेक अहिंसक मिल जाएंगे पर वास्तव में अहिंसा को जान वाले कम मिलेंगे। अतः अनेक बार दृढतापूर्वक वे इस तथ्य को दोहराते हैं—“अहिंसा को जितना खतरा तथाकथित अहिंसको से है, उतना हिंसको से नहीं। अहिंसको का वचनापूर्ण व्यवहार तथा उनकी कथनी और करनी में असमानता ही अहिंसा पर कुठराघात है।” आचार्यश्री ने विभिन्न कोणों से अहिंसक की विशेषताओं का आकलन किया है, उनमें से कुछ यहाँ प्रस्तुत हैं—

- मौत के पास आने पर जो धैर्य से उसका आह्वान करे, वही सच्चा अहिंसक हो सकता है।
- अहिंसक व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है। उसका अन्तःकरण शीतलता की लहरों पर क्रीडा करता रहता है।
- अहिंसक वही है, जो मारने की क्षमता रखता हुआ भी मारता नहीं है।
- अहिंसक वही हो सकता है, जिसकी दृष्टि बाह्य भेदों को पार कर आंतरिक समानता को देखती रहती है।
- अहिंसक सच्चा वीर होता है। वह स्वयं मरकर दूसरे की वृत्ति बदल देता है, हृदय परिवर्तित कर देता है।
- यदि हिंसक शक्तियों का मुकाबला करने में अहिंसा अममर्थ है तो मैं इसे अहिंसको की दुर्बलता ही मानूँगा।

१. प्रवचन पाथेय, भाग ८, पृ० २९, ३०।

२ आचार्य तुलसी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ९८।

- ० निम्न सात सूत्रों से जिसका जीवन परिवेष्टित है, वही अहिंसक है। व्यक्ति स्वयं को तोले कि उसका जीवन किसकी परिक्रमा कर रहा है—

- (१) शांति की अथवा क्रोध की।
- (२) नम्रता की अथवा अभिमान की।
- (३) संतोष की अथवा आकांक्षा की।
- (४) ऋजुता की अथवा दंभ की।
- (५) अनाग्रह की अथवा दुराग्रह की।
- (६) सामजस्य की अथवा वैषम्य की।
- (७) वीरता की अथवा दुर्बलता की।

आचार्य तुलसी द्वारा उद्गीत अहिंसक की ये कसौटिया उसके सर्वांगीण व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने वाली है।

हिंसा के विविध रूप

हिंसा ऐसी चिन्तनगारी है, जो निमित्त मिलते ही भड़क उठती है। हिंसा के बारे में आचार्य तुलसी का मन्तव्य है कि किसी को मार देने तक ही हिंसा की व्याप्ति नहीं है। अहिंसा को समझने के लिए हिंसा के स्वरूप एवं उसके विविध रूपों को समझना आवश्यक है। आचार्य तुलसी हिंसा के जिस सूक्ष्म तल तक पहुँचे हैं, वहाँ तक पहुँचना हर किसी व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं है। वे हिंसा को बहुत व्यापक अर्थ में देखते हैं। हिंसा के स्वरूप-विश्लेषण में उनके मंथन से निकलने वाले कुछ निष्कर्ष इस भाषा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं—

- ० राग-द्वेष युक्त प्रवृत्ति से किया जाने वाला हर कार्य हिंसा है।^१
- ० हिंसा मात्र तलवार से ही नहीं होती, मिलावट और शोषण भी हिंसा है, जिसके द्वारा लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। सक्षेप में कहे तो जीवन की हर असंयत प्रवृत्ति हिंसा है।
- ० किसी से अतिश्रम लेने की नीति हिंसा है।
- ० अपने विश्वास या विचार को बलपूर्वक दूसरे पर थोपने का प्रयास करना भी हिंसा है, फिर चाहे वह अच्छी धार्मिक क्रिया ही क्यों न हो।
- ० जैसे दूसरो को मारना हिंसा है, वैसे ही हिंसा को रोकने के लिए आत्म-बलिदान से कतराना भी हिंसा है।

- मैं तोड़-फोड़ करने वालों और घेराव डालने वालों को ही हिंसक नहीं मानता, किन्तु उन लोगो को भी हिंसक मानता हूं, जो अपने आग्रह के कारण वैसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं तथा मानवीय सवेदनाओ का लाभ उठाकर उन्ही से अपना जीवन चलाते हैं।
- युद्ध करना ही हिंसा नहीं है, घर में बैठी औरत यदि अपने पारिवारिक जनो से कलह करती है तो वह भी हिंसा है।
- किसी के प्रति द्वेष भावना, ईर्ष्या, उसे गिराने का मनोभाव, किसी की बढ़ती प्रतिष्ठा को रोकने के सारे प्रयत्न हिंसा मे अन्तर्गर्भित हैं।

आचार्य तुलसी मानते हैं कि हिंसा और आत्महनन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हिंसा हमारे सामने कितने रूपों में प्रकट हो सकती है, उसका उन्होंने मानसिक एव भावनात्मक स्तर पर सुन्दर विवेचन किया है। यहा उनके द्वारा प्रतिपादित विचारयात्रा के कुछ सन्दर्भ मननीय हैं—

- स्व हिंसा का अर्थ है—आत्मपतन। जहा थोड़ी या ज्यादा मात्रा मे आत्मपतन होगा, वही हिंसा होगी। वास्तव में आत्मपतन ही हिंसा है।
- व्यक्ति कहता कुछ है और करता कुछ है। यह कथनी-करनी की असमानता अप्रामाणिकता है। इससे आत्महनन होता है, जो हिंसा का ही एक रूप है।
- स्वामी की अनुमति के बिना किसी की कोई वस्तु लेना चोरी है। चोरी आत्महनन है, जो हिंसा का ही एक रूप है।
- अखण्ड ब्रह्मचर्य का संकल्प लेकर चलने पर भी यदि व्यक्ति को वासना सताती हो तो यह स्पष्ट रूप से उसका आत्महनन है, जो हिंसा का ही एक रूप है।
- सम्पूर्ण अपरिग्रह का व्रत लेकर चलने पर भी यदि मन की मूर्च्छा नहीं टूटी है तो यह उसका आत्महनन है, जो हिंसा का ही एक रूप है।
- प्रतिकूल परिस्थिति एवं प्रतिकूल सामग्री के कारण किसी के मन में अशांति हो जाती है तो यह उसका आत्महनन है, जो हिंसा का ही एक रूप है।
- व्यक्ति अपने आपको ऊचा और दूसरो को हीन मानता है। यह उसका अभिमान है, आत्महनन है, जो हिंसा का ही एक रूप है।
- काय, भाषा एव भाव की ऋजुता के अभाव में किसी के साथ

प्रवचना करना मायाचार है। यह आत्महन्तन है, जो हिंसा का ही एक रूप है।

आचार्य तुलसी की दृष्टि में हिंसा के पीपक तन्त्र पूर्वाग्रह, भय, अहं, सन्देह, धार्मिक असहिष्णुता, साम्प्रदायिक उन्माद आदि हैं।^१ उनकी स्पष्ट अवधारणा है कि हिंसा जीवन के लिए जरूरी हो सकती है, पर जीवन का माध्य नहीं बन सकती। समस्या बड़ी होती है, जहाँ उसे माध्य मान लिया जाता है।^२

हिंसा वैभाविक प्रतिक्रिया है, अतः वह जीवन-मूल्य नहीं बन सकती, क्योंकि कोई आदमी लगातार हिंसा नहीं कर सकता। इसके अनिश्चित हिंसा की सन्धि बड़ी दुर्बलता यह है कि वह निश्चित आश्रयान नहीं बन सकती। वह पारस्परिक संघर्षों, विवादों एवं समस्याओं को मुलभूत में अमफल रही है इसलिए उस पर विश्वास करने वाले भी संदिग्ध और भयभीत रहते हैं।

पूर्ण अहिंसक होते हुए भी आचार्य तुलसी का दृष्टिकोण सन्तुलित है। वे मानते हैं कि यह सम्भव नहीं कि सर्वसाधारण वीतराग बन जाए, अपने स्वार्थों की बलि कर दे, भेदभाव को भुला दे और जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक हिंसा को छोड़ दे।^३

अनावश्यक हिंसा के विरोध में जितनी सशक्त आवाज आचार्य तुलसी ने अपने साहित्य में उठाई है, उस नदी में हमारा कोई साहित्यकार उनके समकक्ष नहीं उठ सकता। उनका मानना है कि युद्ध जैसी बड़ी हिंसाओं ने सभी चिन्तित हैं पर वास्तव में छोटी हिंसाएँ ही बड़ी हिंसा को जन्म देती हैं। अतः उन्होंने अपने साहित्य में हिंसा के अनेक मुखौटों का पर्दाफाश करके मानवीय चेतना को उद्वृष्ट करने का प्रयास किया है। अरब देशों में अमीरों के मनोरंजन के लिए ऊंट-दौड़ के साथ शिशुओं की होने वाली हत्या के मन्दर्भ में वे अपनी तीव्र आलोचना प्रकट करते हुए कहते हैं—

“एक और क्षणिक मनोरंजन और हमरी ओर मानुस प्राणों के साथ गुना क्रूर मजाक ! क्या मनुष्यता पर पशुता हावी नहीं हो रही है ? कहा तो यह जाना है कि बच्चा भगवान् का रूप होना है पर बच्चों की इस प्रकार बलि दे देना, क्या यह अमीरी का उन्माद नहीं है। इसे दूर करने के लिए जनमत को जागृत करना आवश्यक है।”

दोसवीं नदी में वैज्ञानिक परीक्षणों के दौरान एक नयी हिंसा का दौर और शुरू हो गया है। वह है—कन्या भ्रूण की हत्या। इसके लिए वे

१. अणुव्रत : गति प्रगति, पृ० १५७।

२. लघुता से प्रमुक्ता मिले, पृ० २११।

३. २१ अप्रैल, ५० दिल्ली, पत्रकार सम्मेलन।

४. वैमान्त्रियां विश्वास की, पृ० ६२।

वहिनो को भारतीय सस्कृति की गरिमा से अवगत कराते हुए उन्हें मातृत्व-बोध देना चाहते हैं—

“क्या मा की ममता का स्रोत सूख गया ? पापाण खण्ड जैसे वच्चे को भी भार न मानने वाली मां एक स्वस्थ और संभावनाओं के पुंज शिशु का प्राण ले लेती है, क्या वह क्रूर हिंसा नहीं है ?” व्यक्ति प्राणी जगत् के प्रति संवेदनशील नहीं हैं, इसलिए आज हिंसा प्रबल है। प्राचीनकाल में प्रसाधन के रूप में प्राकृतिक चीजों का प्रयोग होता था। लेकिन आज अनेक जीवित प्राणियों के रक्त और मांस से रंजित वह सौन्दर्य-सामग्री कितने ही वेजुवान प्राणियों की आहों से निर्मित होती है। इस अनावश्यक हिंसा का समाधान व्यंग्य भाषा में करते हुए वे कहते हैं—

“प्रसाधन सामग्री के निर्माण में निरीह पशु-पक्षियों के प्राणों का जिस वर्बरता के साथ हनन होता है, उसे कोई भी आत्मवादी वांछनीय नहीं मान सकता। जिस प्रसाधन सामग्री में मूक प्राणियों की कराह घुली है, उनका प्रयोग करने वाले अपने शरीर को भले ही सुन्दर बना लें पर उनकी आत्मा का सौन्दर्य सुरक्षित नहीं रह सकेगा।”

आज की घोर हिंसा एवं आतंक को देखकर भी उनका मन कम्पित या निराश नहीं होता। उनका विश्वास कभी डोलता नहीं, अपितु इन शब्दों में स्फुटित होता है—“समूची दुनिया अहिंसा अपना नहीं सकती, इसलिए हमें निराश, चिन्तित या पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो इसी भावना से अहिंसा को लेकर चलना है कि कही अहिंसा की तुलना में हिंसा बलवान्, स्वच्छन्द और अनियंत्रित न बन जाए।”³ अहिंसा की तुलना में हिंसा शक्तिशाली हो रही है। अतः मात्रा के इस असन्तुलन को मिटाने की प्रेरणा एवं भविष्य की चेतावनी देते हुए उनका कहना है—“यदि अहिंसा के द्वारा हिंसा का मुकाबला नहीं किया गया तो निश्चित समझिए कि एक दिन मन्दिर, मठ, स्थानक, आश्रम और हमारी सस्कृति पर धावा होने वाला है।”⁴ हिंसा की इस समस्या को समाहित करने के लिए वैज्ञानिकों को सुझाव देते हुए वे कहते हैं कि-पहले अन्वेषण किया जाए कि मस्तिष्क में हिंसा के स्रोत कहाँ विद्यमान हैं ? क्योंकि स्रोतों की खोज करके ही उन्हें परिष्कृत करने और बदलने की बात सोचकर हिंसक शक्ति को नियंत्रित तथा अहिंसा को शक्तिशाली बनाया जा सकता है।⁵

१. वैसाखिया विश्वास की, पृ० ५९।

२. सफर : आधी शताब्दी का, पृ० ९५।

३. प्रवचन पाथेय भाग-९, पृ० २६६।

४. एक वूद : एक सागर, पृ० २६७।

५. सफर : आधी शताब्दी का, पृ० ५८।

प्रायः धर्मग्रन्थो मे हिंसा के दुष्परिणामो का करुण एवं रोमांचक वर्णन मिलता है पर आचार्य तुलसी ने आधुनिक मानसिकता को देखकर हिंसा को नरक से नहीं जोड़ा पर अहिंसा के प्रति निष्ठा जागृत करने के लिए उसका मनोवैज्ञानिक पथ प्रस्तुत किया है—

- ० हिंसा करने वाला किसी दूसरे का अहित नहीं करता बल्कि अपनी आत्मा का अनिष्ट करता है—अपना पतन करता है।^१
- ० हम किसी के लिए सुख के साधन बनें या न बनें, कम से कम दुःख का साधन तो न बनें। सन्तापहारी बनें या न बनें, कम से कम सन्तापकारी तो न बनें।^१

निरपराध प्राणियों को मौत के घाट उतारने वाले आतकवादियों की अन्तश्चेतना जागृत करते हुए वे कहते हैं—“यदि कत्ले-आम करना चाहते हो तो आत्मा के उन घोर अपराजित शत्रुओं का करो, जिनसे तुम बुरी तरह जकड़े हुए हो, जो तुम्हारा पतन करने के लिए तुम्हारी ही नगी तलवारे लिए हुए खड़े हैं।^३”

अहिंसा का क्षेत्र

अहिंसा का क्षेत्र आकाश की भांति व्यापक है। आचार्य तुलसी मानते हैं कि अहिंसा को परिवार, कुटुम्ब, समाज या राष्ट्र तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। उसकी गोद में जगत् के समस्त प्राणी सुख की सांस लेते हैं। उसकी विशालता को व्याख्यायित करते हुए आचार्य तुलसी का कहना है—अहिंसा में साम्प्रदायिकता नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, वरन् एक सार्वभौमिक व्यापकता है, जो संकुचितता और संकीर्णता को दूर कर एक विशाल सार्वजनिक भावना लिए हुए है।

उनके द्वारा प्रतिपादित अहिंसा कितनी व्यापक एवं विशाल है, यह निम्न उक्ति से जाना जा सकता है—“किसी भी विचार या पक्ष के विरोध में प्रतिरोध होते हुये भी अहिंसा यह अनुमति नहीं देती कि हमारे दिलों में विरोधी के प्रति दुर्भाव या घृणा का भाव हो।”^४

अहिंसा की शक्ति

अहिंसा की शक्ति अपरिमेय है, पर आवश्यकता है उसको सही प्रयोक्ता मिले। आचार्य तुलसी इसकी शक्ति को रूपक के माध्यम से समझाते

१. अहिंसा और विश्व शांति, पृ० ८ ।

२. शांति के पथ पर, पृ० ६१ ।

३. एक वृद्ध : एक सागर, पृ० ४७७ ।

४. अणुव्रत : गति-प्रगति, पृ० १५६ ।

हुये कहते हैं—“माटी का एक दीया भी अंधकार की सघनता को भेदने में सक्षम है। इसी प्रकार अहिंसा की दिशा में उठा हुआ एक-एक पग भी मंजिल तक पहुंचाने में कामयाबी दे सकेगा” पर अहिंसा की शक्ति की थाह पाना उनके लिए असंभव है, जो हिंसा की शक्ति में विश्वास करते हैं तथा इंसानियत की अवहेलना करते हैं। अहिंसा के अमाप्य व्यक्तित्व में योगक्षेम की जो क्षमता है, वह अतुल और अनुपमेय है। इसी भावना को आचार्य तुलसी समाज के हर वर्ग की चेतना को झकझोरते हुए कहते हैं—“अगर नेता, साहित्यकार, दार्शनिक, कलाविद् और कवि हिंसा के वातावरण को फैलाना छोड़कर अहिंसा के पुनीत वातावरण को फैलाने में जुट जाएं तो संभव है कि अहिंसक क्रांति की शक्ति का उज्ज्वल आलोक कण-कण में छलक उठे।”

अहिंसा की शक्ति के प्रति अपना अमित विश्वास व्यक्त करते हुये वे कहते हैं—“अहिंसा में इतनी शक्ति है कि हिंसक यदि अहिंसक के पास पहुंच जाए तो उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है पर इस शक्ति का प्रयोग करने हेतु बलिदान की भावना एवं अभय की साधना अपेक्षित है।”

अहिंसा की प्रतिष्ठा

भारतीय संस्कृति के कण-कण में अहिंसा की अनुगूज है। यहाँ राम, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर और गांधी जैसे लोगों ने अहिंसा के महान् आदर्श को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। उस महान् भारतीय जीवन-शैली में हिंसा की घुसपैठ चिन्तनीय प्रश्न है।

अहिंसा की प्रतिष्ठा प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मंच से भी आज अहिंसा की प्रतिष्ठा का चिन्तन चल रहा है। राजीव गांधी एवं गोर्वाच्योव ने विश्व शांति और अहिंसा के लिए दस प्रस्ताव पारित किये, उनमें अधिकांश सुभाव अहिंसा से संबन्धित है। आचार्य तुलसी का गहरा आत्मविश्वास है “हिंसा चाहे चरम सीमा पर पहुंच जाये पर अहिंसा की मूल्यस्थापना या प्रतिष्ठा कम नहीं हो सकती, क्योंकि हिंसा हमारी स्वाभाविक अवस्था नहीं है। तूफान और उफान किसी अवधिविशेष तक ही प्रभावित कर सकते हैं, वे न स्थायी हो सकते हैं और न ही उनकी प्रतिष्ठा हो सकती है।” आचार्य तुलसी देश की जनता को झकझोरते हुए कहते हैं—“प्रश्न अब अहिंसा के मूल्य का नहीं, उसकी प्रतिष्ठा का है। मैं मानता हूँ, यह अहिंसा का परीक्षा-काल है, अहिंसा के प्रयोग का काल है। इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाते हुए

१. कुहासे में उगता सूरज, पृ० २७

२. अणुव्रत . गति प्रगति, पृ० १४१।

अहिंसा यदि इन समस्याओं का समाधान देती है तो उसका तेजस्वी रूप स्वयं प्रतिष्ठित हो जायेगा, अन्यथा वह हतप्रभ होकर रह जायेगी।^१

अहिंसा को तेजस्वी और गतिशाली बनाए बिना उसकी प्रतिष्ठा की बात आकाण-कुसुम की भांति व्यर्थ है। इसको स्थापित करने के लिये वे भावनात्मक परिवर्तन, हृदय-परिवर्तन या मस्तिष्कीय प्रशिक्षण को अनिवार्य मानते हैं।^२

आचार्य तुलसी की दृष्टि में अहिंसा की प्रतिष्ठा में मुख्यतः चार बाधाएँ हैं—

१. साधन-शुद्धि का अभाव ।
२. अहिंसा के प्रति आस्था की कमी ।
३. अहिंसा के प्रयोग और प्रशिक्षण का अभाव ।
४. आत्मीय भावना का ह्रास ।

अहिंसा की प्रतिष्ठा में पहली बाधा है—साधन-शुद्धि का अभाव । साध्य चाहे कितना ही प्रशस्त क्यों न हो, यदि साधन-शुद्धि नहीं है तो अहिंसा का, शांति का अवतरण नहीं हो सकता । क्योंकि हिंसा के साधन से शांति कैसे संभव होगी ? रक्त से रंजित कपड़ा रक्त से साफ नहीं होगा । आचार्यश्री कहते हैं—“किसी भी समस्या का समाधान हिंसा, आगजनी और लूट-खसोट में कभी हुआ नहीं और न ही कभी भविष्य में होने की संभावना है।”

अहिंसा की प्रतिष्ठा में दूसरी बाधा है—अहिंसा के प्रति आस्था की कमी । इस प्रसंग में वे अपने अनुभव को इन शब्दों में व्यक्त करते हैं—“अहिंसा की प्रतिष्ठा न होने का कारण मैं अहिंसा के प्रति होने वाली ईमानदारी की कमी को मानता हूँ । लोग अहिंसा की आवाज तो अवश्य उठाते हैं, किन्तु वह आवाज केवल कठोर से आ रही है, हृदय से नहीं।^३

अहिंसा की प्रतिष्ठा में तीसरी बाधा है—अहिंसा के प्रशिक्षण का अभाव । अहिंसा की परम्परा तब तक अक्षुण्ण नहीं बन सकती, जब तक उसका सफल प्रयोग एवं परीक्षण न हो । अहिंसा की प्रतिष्ठा हेतु प्रयोग एवं परीक्षण करने वाले शोधकर्त्ताओं के समक्ष वे निम्न प्रश्न रखते हैं—

- ० शस्त्र की ओर सबका ध्यान जाता है, पर शस्त्र बनाने और रखने वाली चेतना की खोज किस प्रकार हो सकती है ?
- ० अहिंसा का संबन्ध मानवीय वृत्तियों के साथ ही है या प्राकृतिक

१. अणुव्रत : गति-प्रगति, पृ० १४०

२. अमृत-संदेश, पृ०-२३

३. अणुव्रत : गति-प्रगति, पृ० १४५

वातावरण के साथ भी है ?

- आतक या हिंसा की स्थिति को शांत करने के लिए कही अहिंसा का प्रयोग हुआ ?
- अहिंसा को न मारने तक ही सीमित रखा गया है अथवा उसकी जड़े अधिक गहरी है ।
- कहा जाता है कि अहिंसक व्यक्ति के सामने हिंसक व्यक्ति हिंसा को भूल जाता है, यह विश्वसनीय सचाई है या मिथ्या ही है ?
- हिंसा के विकल्प अधिक है, इसलिए उसके रास्ते भी अधिक है । अहिंसा के विकल्प और रास्ते कितने हो सकते हैं ?
- शस्त्र-हिंसा में परम्परा चलती है तो फिर अशस्त्र-अहिंसा में परम्परा क्यों नहीं चलती ? किसी व्यक्ति को अपने विरोध में शस्त्र का प्रयोग करते देख प्रतिरोध की भावना जागती है इसी प्रकार अहिंसक व्यक्ति की मैत्री भावना का भी प्रभाव होता है क्या ?

इसी प्रकार के तथ्यों को सामने रखकर अहिंसा के क्षेत्र में शोध हो तो कुछ नयी बातें प्रकाश में आ सकती हैं और अहिंसा की तेजस्विता स्वतः उजागर हो सकती है ।^१

अहिंसा की प्रतिष्ठा में चौथी बाधा आत्म-तुला की भावना का विकास न होना है । वे अपनी अनुभवपूत वाणी इस भाषा में प्रस्तुत करते हैं—“अहिंसा के जगत् में इस चिन्तन की कोई भाषा ही नहीं होती कि मैं ही बचूंगा या अंतिम जीत मेरी ही हो । वहां की भाषा यही होती है—अपने अस्तित्व में सब हो और सबके अस्तित्व का विकास हो ।^१

अहिंसा की प्रतिष्ठा के विषय में उनके विचारों का निष्कर्ष इस भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है—“जब तक मस्तिष्क प्रशिक्षित नहीं होगा, वहां रहे हुए हिंसा के संस्कार सक्रिय रहेंगे । उन संस्कारों को निष्क्रिय किए बिना केवल सगोष्ठियों और नारों से अनंत काल तक भी अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं हो सकेगी ।^३ यदि अहिंसक शक्तियां सगठित होकर अहिंसा के क्षेत्र में रिसर्च करें, अहिंसा-प्रधान जीवन-शैली का प्रशिक्षण दें और हिंसा के मुकाबले में अहिंसा का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से अहिंसा का वर्चस्व स्थापित हो सकता है ।^४

अहिंसा का प्रयोग

धर्मशास्त्रों में अहिंसा की महिमा के व्याख्यान में हजारों पृष्ठ भरे

१. सफर · आधी शताब्दी का, पृ० ५९
२. मेरा धर्म : केंद्र और परिधि पृ० ६५
३. अणुव्रत पाक्षिक १६ अग०, ८८
४. कुहासे में उगता सूरज पृ० २६

पडे है। वर्तमान काल मे गांधी के बाद आचार्य तुलसी का नाम आदर से लिया जा सकता है, जिन्होंने अहिंसा को प्रयोग के धरातल पर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया है।

यद्यपि आचार्य तुलसी पूर्ण अहिंसक जीवन जीते है, पर उनके विचार बहुत सन्तुलित एवं व्यावहारिक है। अहिंसा के प्रयोग एवं परिणाम के बारे मे उनका स्पष्ट मन्तव्य है कि दुनिया की सारी समस्याएं अहिंसा से समाहित हो जाएंगी, यह मैं नही मानता पर इसका अर्थ यह नही कि वह निर्बल है। अहिंसा में ताकत है पर उसके प्रयोग के लिए उचित एवं उपयुक्त भूमिका चाहिए। बिना उपयुक्त पात्र के अहिंसा का प्रयोग वैसे ही निष्फल हो जाएगा जैसे ऊपर भूमि मे पड़ा बीज।^१

अहिंसा का प्रयोग क्षेत्र कहा हो ? इस प्रश्न के उत्तर मे उनका चिन्तन निम्नित ही अहिंसा के क्षेत्र मे नयी दिशाएं उद्घाटित करने वाला है—“मैं मानता हूं अहिंसा केवल मन्दिर, मस्जिद या गुरुद्वारा तक ही सीमित न रहे, जीवन व्यवहार मे उसका प्रयोग हो। अहिंसा का सबसे पहला प्रयोगस्थल है—व्यापारिक क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र है राजनीति।”

वर्तमान मे अहिंसक शक्तियों के प्रयोग में ही कोई ऐसी भूल हो रही है, जो उसकी शक्तियों की अभिव्यक्ति मे अवरोध ला रही है। उसमे एक कारण है उसका केवल निषेधात्मक पक्ष प्रस्तुत करना। आचार्य तुलसी कहते हैं कि विधेयात्मक प्रस्तुति द्वारा ही अहिंसा को अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है।

जो लोग अहिंसा की शक्ति को विफल मानते हैं, उनकी भ्रान्ति का निराकरण करते हुए वे कहते हैं—“आज हिंसा के पास शस्त्र है, प्रशिक्षण है, प्रेस है, प्रयोग है, प्रचार के लिए अरबों-खरबों की अर्थ-व्यवस्था है। मानव जाति ने एक स्वर से जैसा हिंसा का प्रचार किया वैसा यदि संगठित होकर अहिंसा का प्रचार किया होता तो धरती पर स्वर्ग उतर आता, मुसीबतों के बीहड़ मार्ग मे भव्य एव मुगम मार्ग का निर्माण हो जाता, ऐसा नही किया गया फिर अहिंसा की सफलता मे सन्देह क्यों ?^२ वे स्पष्ट शब्दों मे कहते हैं—“मैं तो अहिंसा की ही दुर्बलता मानता हू कि उसके अनुयायियों का संगठन नही हो पाया। कुछ अहिंसा-निष्ठ व्यक्तियों का संगठन मे इसलिए विश्वास नही है कि वे उसमे हिंसा का खतरा देखते है। मैं अहिंसा की वीर्यवत्ता के लिए संगठन को उपयोगी समझता हूं। हिंसा बहा है, जहा वाध्यता हो। साधना के सूत्र पर चलने वाले प्रयत्न व्यक्तिगत स्तर पर

१. प्रवचन पाथेय भाग-९, पृ० २६५।

२. जैन भारती, १७ सित० ६१।

जितने शुद्ध होते हैं, समूह के स्तर पर भी उतने ही शुद्ध हो सकते हैं। सामूहिक अभ्यास से उस शुद्धता में तेजस्विता और अधिक निखर आती है।”

अहिंसा को प्रायोगिक बनाने के लिए वे अपनी भावना प्रस्तुत करते हुए कहते हैं—“मैं चाहता हूँ कि एक शक्तिशाली अहिंसक सेना का निर्माण हो। वह सेना राजनीति के प्रभाव से सर्वथा अछूती रहे, यह आवश्यक है।” मेरी दृष्टि में इस अहिंसक सेना में पांच तत्त्व मुख्य होंगे—

१. समर्पण—अपने कर्तव्य के लिए जीवन की आहुति देनी पड़े तो भी तैयार रहे।
२. शक्ति—परस्पर एकता हो।
३. संगठन—संगठन में इतनी दृढता हो कि एक ही आह्वान पर हजारों व्यक्ति तैयार हो जाए।
४. सेवा—एक दूसरे के प्रति निरपेक्ष न रहे।
५. अनुशासन—परेड में सैनिकों की तरह चुस्त अनुशासन हो।^१

अहिंसक क्रांति

संसार में अन्याय, शोषण एवं अनाचार के विरुद्ध समय-समय पर क्रांतियाँ होती रही हैं पर उनका साधन विशुद्ध नहीं रहने से उनका दीर्घकालीन परिणाम सन्दिग्ध हो गया। आचार्य तुलसी स्पष्ट कहते हैं कि क्रांति की सफलता और स्थायित्व मैं केवल अहिंसा में ही देखता हूँ।^३ हिंसक क्रांति से शांति और समता आ जाएगी, यह दुराशामात्र है। यदि आ भी जाएगी तो वह चिरस्थायी नहीं होगी। उसकी तह में अशांति और वैमनस्य की ज्वाला धधकती रहेगी।^४ अहिंसक क्रांति से उनका तात्पर्य है बिना कोई रक्तपात, हिंसा, युद्ध और शस्त्रास्त्र के सहयोग से होने वाली क्रांति। उनका यह अटूट विश्वास है कि भौतिक साधनों से नहीं, अपितु प्रेम की शक्ति से ही अहिंसक क्रांति सम्भव है। अहिंसक क्रांति के सफल होने का सबसे बड़ा कारण वे मानते हैं कि हिंसात्मक क्रांति करने वालों की तोड़-फोड़ के साधनों में जितनी श्रद्धा होती है, उतनी श्रद्धा अहिंसात्मक क्रांति वालों को अपने शांति-साधनों में नहीं होती।..... अहिंसात्मक क्रांति को सफल होना है तो उसमें प्रतिरोधात्मक शक्ति पैदा करनी होगी।^५ इस दृढ़ निष्ठा से ही अहिंसा तेजस्वी एवं सफल हो सकती है।

१ अणुन्नत गति प्रगति, पृ० १५५।

२. एक बूद : एक सागर, पृ० १७३४।

३. बेगलोर १६-९-६९ के प्रवचन से उद्धृत।

४. प्रवचन पाथेय भाग-९, पृ० २६५।

५. गृहस्थ को भी अधिकार है धर्म करने का, पृ० २५।

अहिंसा का सामाजिक स्वरूप

अहिंसा कोई नारा नहीं, अपितु जीवन का शाश्वत दर्शन है। समय की आधी इसे कुछ धूमिल कर सकती है पर समाप्त नहीं कर सकती।^१ अहिंसा केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही नहीं, अपितु सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसकी उपयोगिता निर्विवाद है। आचार्य तुलसी के अनुसार अहिंसा वह सुरक्षा कवच है, जो घृणा, वैमनस्य, प्रतिशोध, भय, आसक्ति आदि घातक अस्त्रों के प्रहार को निरस्त कर देता है तथा समाज में शांति, सह-अस्तित्व एवं मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाए रख सकता है। वे मानते हैं अहिंसा का पथ जटिल एवं ककरीला हो सकता है पर महान् बनने हेतु इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। अहिंसा ही वह शक्ति है, जो समाज में मानव को पशु बनने से रोके हुए है।^२

आचार्य तुलसी ने अहिंसा को समाज के साथ जोड़कर उसे जन-आन्दोलन या क्रांति का रूप देने का प्रयत्न किया है। अहिंसा के सन्दर्भ में नैतिकता को व्याख्यायित करते हुए वे कहते हैं—“अहिंसा का सामाजिक जीवन में प्रयोग ही नैतिकता है। जिसमें दूसरों के प्रति मैत्री का भाव नहीं होता, कर्षणा की वृत्ति नहीं होती और दूसरों के कष्ट को अनुभव करने का मानस नहीं होता, वह नैतिक कैसे बन सकता है ?”^३

अहिंसा को सामाजिक सन्दर्भ में व्याख्यायित करते हुए वे कहते हैं—दूसरों की सम्पत्ति, ऐश्वर्य और सत्ता देखकर मुंह में पानी नहीं भर आता, यह अहिंसा का ही प्रभाव है। “अहिंसा के द्वारा जीवन की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, इसलिए वह असफल है—चिन्तन की यह रेखा भूल भरे विन्दुओं से बनी है और बनती जा रही है।” समाज के सन्दर्भ में अहिंसा की उपयोगिता स्पष्ट करते हुए उनका मन्तव्य है—व्यक्ति निरंकुश न हो, उसकी महत्त्वाकांक्षाएं दूसरों को हीन न समझे, उसकी प्रतिस्पर्धाएं समाज में सघर्ष न करें—इन सब दृष्टियों से अहिंसा का सामाजिक विकास होना आवश्यक है।^४

अहिंसा और समाज के सन्दर्भ में प्रतिप्रश्न उठाकर वे सामाजिक प्राणी के लिये अहिंसा की सीमारेखा या इयत्ता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं—“सामाजिक प्राणी के लिये यह कैसे सम्भव हो सकता है कि वह खेती, व्यवसाय या अर्जन न करे और यह भी कैसे सम्भव है कि वह अपने अधिकृत

१. क्रुहासे में उगता सूरज, पृ० १४ ।

२. प्रवचन डायरी, पृ० २३ ।

३. गृहस्थ को भी अधिकार है धर्म करने का, पृ० ९ ।

४. गृहस्थ को भी अधिकार है धर्म करने का, पृ० ११ ।

पदार्थों या अधिकारों की सुरक्षा न करे। अर्थ और पदार्थ का अर्जन और सरक्षण हिंसा के बिना नहीं हो सकता।इस सन्दर्भ में महावीर ने विवेक दिया तुम अहिंसा का प्रारम्भ उस विन्दु पर करो, जहाँ तुम्हारे जीवन की अनिवार्यताओं में भी बाधा न आए और तुम क्रूर व आक्रामक भी न बनो।^१ इस दृष्टिकोण से प्रत्येक सामाजिक प्राणी समाज में रहते हुए अहिंसा का पालन कर सकता है तथा इस व्यावहारिक दृष्टिकोण से उसकी सामाजिकता में भी कहीं अन्तर नहीं आता।

आचार्य तुलसी एक सामाजिक प्राणी के लिए मध्यम मार्ग प्रस्तुत करते हुए कहते हैं—“हिंसा जीवन की अनिवार्यता है और अहिंसा पवित्र जीवन की अनिवार्यता। हिंसा जीवन चलाने का साधन है और अहिंसा आदर्श तक पहुँचने या लक्ष्य को पाने का साधन है।”“हिंसा जीवन की शैली बन जाए, यह खतरनाक विन्दु है।”^२

अहिंसक समाज रचना आचार्य तुलसी का चिरपालित स्वप्न है। इस दिशा में अणुव्रत के माध्यम से वे पिछले पचास सालों से अनवरत कार्य कर रहे हैं। २२ अप्रैल १९५० दिल्ली में पत्रकारों के बीच एक वार्ता में आचार्य तुलसी ओजस्वी वाणी में अपनी अन्तर्भावना प्रकट करते हैं—“मैं सामूहिक अशांति को जन्म देने वाली हिंसा को मिटाकर अहिंसा प्रधान समाज का निर्माण करना चाहता हूँ। उसकी आधारशिला में निम्न नियम कार्यकारी बन सकते हैं—

- ० जाति, धर्म, सम्प्रदाय, वर्ण आदि का भेद होने के कारण किसी मानव की हत्या न करना।
- ० दूसरे समाज या राष्ट्र पर आक्रमण न करना।
- ० निरपराध व्यक्ति को नहीं मारना, सब प्राणियों के प्रति आत्मौपम्य भाव का विकास।
- ० जीवन-यापन के लिए आवश्यक सामग्री के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का संग्रह न करना।
- ० मद्यपान और मासाहार नहीं करना।
- ० रक्षात्मक युद्ध में भी शत्रुपक्षीय नागरिकों की हत्या न करना।
- ० वडप्पन की भावना का अन्त करना, किसी के अधिकार का हनन न करना।
- ० व्यभिचार न करना।^३

१ एक बूढ़ . एक सागर, पृ० २७८।

२ सफर . आधी शताब्दी का, पृ० ५७

३ २१ अप्रैल ५०, दिल्ली, पत्रकार वार्ता।

इसके साथ ही वे अहिंसक समाज की प्रतिष्ठा में निम्न प्रवृत्तियों का होना आवश्यक मानते हैं—

१. वर्तमान शिक्षा-प्रणाली की पुनर्रचना—वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बुद्धि-पाटव और तर्कशक्ति का विकास हो रहा है पर चरित्र-शील व्यक्ति पैदा नहीं हो रहे हैं।
२. संयमी एवं त्यागी पुरुषों को महत्त्व देना। सत्ताधारी एवं पूजापतियों को महत्त्व देने का अर्थ है—जन-साधारण को पूजा एवं सत्ता के लिए लोलुप बनाना। संयम को प्रधानता देने से पूजापति भी संयम की ओर अग्रसर होंगे। जहाँ संयम होगा, वहाँ हिंसा नहीं हो सकती।
३. इच्छाओं का अल्पीकरण—“आज आर्थिक असमानता चरम सीमा पर है। कोई धनकुवेर धन का अंवार लगा रहा है तो उसका पड़ोसी भूख से मर रहा है। यह असमानता हिंसा को जन्म दे रही है। इसे मिटाये बिना समाज में अहिंसा का विकास कम सम्भव है।”^१

इस स्थिति में परिवर्तन के लिए आचार्य तुलसी का सुभाव है कि व्यक्ति, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था—इन तीनों में सापेक्ष और सतुलित परिवर्तन हो, तभी स्वस्थ समाज या अहिंसक समाज की परिकल्पना की जा सकती है।

आचार्य तुलसी का दृढ़ विश्वास है कि समाज की अनेक कठिन समस्या का हल अहिंसा द्वारा खोजा जा सकता है। पर उसके लिये हिंसा के स्थान पर अहिंसा, शस्त्र-प्रयोग के स्थान पर निःशस्त्रीकरण तथा क्रूरता की तुलना में करुणा का मूल्यांकन करना होगा।^२

वैचारिक अहिंसा

महावीर ने वैचारिक एवं मानसिक हिंसा को प्राण-वियोजन से भी अधिक घातक माना है। इस सन्दर्भ में आचार्य तुलसी का मन्तव्य है कि प्राणी की हत्या करने वाला शायद उसी की हत्या करता है पर विचारों की हत्या करने वाला न जाने कितने प्राणियों की हत्या का हेतु बन जाता है।^३ अपने एक प्रवचन में आश्चर्य व्यक्त करते हुए वे कहते हैं—“व्यक्ति धन के लिए लड़ सकता है, पत्नी के लिए भी संघर्ष कर सकता है, यह सम्भव है। पर विचारों के लिए लड़े, बड़े-बड़े महायुद्ध करे, लाखों व्यक्तियों के खून

१ ५ अगस्त ७०, पत्रकार वार्ता, रायपुर।

२. अमृत सन्देश, पृ० ४५।

३. गृहस्थ को भी अधिकार है धर्म करने का, पृ० १७।

से होली खेले. यह तो आश्चर्यचकित करने वाली बात है।^१

वैचारिक हिंसा को स्पष्ट करते हुए उनका कहना है—“किसी की असत् आलोचना करना, किसी के विचारों को तोड़-मरोड़कर रखना, आक्षेप लगाना, किसी के उत्कर्ष को सहन न करके उसके प्रति घृणा का प्रचार करना तथा अपने विचारों को ही प्रमुखता देना वैचारिक हिंसा है।^२ इसी सन्दर्भ में उनका निम्न वक्तव्य भी वजनदार है—“घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, वासना और दुराग्रह—ये सब जीवन में पलते रहें और अहिंसा भी सधती रहे, यह कभी सम्भव नहीं है।”^३

आज की बढ़ती हुई वैचारिक हिंसा का कारण स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं—“वैचारिक हिंसा में प्रत्यक्ष जीवघात न होने से वह जन-साधारण के बुद्धिगम्य नहीं हो सकी। यही कारण है कि आज लोग जितना जीव मारने से घबराते हैं, उतना परस्पर विरोध, अप्रामाणिकता, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थ आदि से नहीं घबराते।^४

महावीर ने अनेकात के द्वारा वैचारिक अहिंसा को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया। अनेकात के माध्यम से उन्होंने मानव जाति को प्रतिबोध दिया कि स्वयं को समझने के साथ दूसरों को भी समझने की चेष्टा करो। अनेकात के बिना सम्पूर्ण सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। आचार्य तुलसी ने न केवल उपदेश से बल्कि अपने जीवन के सैकड़ों घटना प्रसंगों से वैचारिक अहिंसा का सक्रिय प्रशिक्षण भारतीय जनमानस को दिया है।

सन् १९६२ के आसपास की घटना है। अणुव्रत गोष्ठी के कार्यक्रम में नगर के लब्धप्रतिष्ठ वकील को भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए निमन्त्रित किया गया। उन्होंने वक्तव्य में अणुव्रत के सम्बन्ध में कुछ जिज्ञासाएँ एवं शकाएँ उपस्थित कीं। उन्हें सुनकर अनेक श्रद्धालुओं ने उनको उपालम्भ दे डाला। शाम को कार्यक्रम की समाप्ति पर वकील साहब ने अपने प्रातः-कालीन वक्तव्य के लिए क्षमायाचना करने की इच्छा व्यक्त की। इसे सुनकर आचार्यश्री ने कहा—“आपके विचार तो बड़े प्राञ्जल और प्रभावोत्पादक थे। मैंने बहुत ध्यान से आपकी बात सुनी है। मैं तो आपके विचारों की सराहना करता हूँ कि कोई समीक्षक हमें मिला तो सही।”^५ आचार्यवर के इन उदार विचारों को सुनकर वकील साहब अभिभूत हो गए और बोले—

१. प्रवचन पाथेय भाग-९, पृ० ५१।

२. पथ और पाथेय, पृ० ३२, ३३।

३. गृहस्थ को भी अधिकार है धर्म करने का, पृ० १५।

४. पथ और पाथेय, पृ० ३३।

५. जैन भारती, २५ फरवरी १९६२।

“अपने से विरोधी विचारों को सुनना, पचा लेना, एवं ग्राह्य की प्रशंसा करना—यह कार्य आचार्य तुलसी जैसे महान् व्यक्ति ही कर सकते हैं। सचमुच आप स्वस्थ विचार एवं स्वस्थ मस्तिष्क के धनी हैं।”

अहिंसात्मक प्रतिरोध

प्रतिरोध हिंसात्मक भी होता है और अहिंसात्मक भी। हिंसात्मक प्रतिरोध क्षणिक होता है किन्तु अहिंसात्मक प्रतिरोध का प्रभाव स्थायी होता है। महावीर ने प्रतिरोधात्मक अहिंसा का प्रयोग दासप्रथा के विरोध में किया। उसी कडी में गांधीजी ने भी इसका प्रयोग सत्याग्रह आन्दोलन के रूप में किया, जो काफी अंशों में सफल हुआ।

आचार्य तुलसी अपने दीर्घकालीन नेतृत्व के अनुभवों को बताते हुए कहते हैं—“जन-जन के लिए अहिंसा तभी व्यवहार्य और ग्राह्य हो सकती है, जब उसमें प्रतिरोध की शक्ति आए। इसके बिना अहिंसा तेजहीन हो जाती है। निर्वीर्य अहिंसा में आज के युग की आस्था नहीं हो सकती।”^१

जब तक प्रतिरोधात्मक शक्ति जागृत नहीं होती, व्यक्ति अन्याय के विरोध में आवाज नहीं उठा सकता। इसी बात पर टिप्पणी करते हुए वे कहते हैं—“समाज या परिवार में जो कुछ भी गलत घटित होता है, उस समय यदि आप यह सोचें कि उससे आपका क्या विगाडता है? बुराई के प्रति यह निरपेक्षता या तटस्थता बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए अपने भीतर सोई प्रतिवाद की शक्ति को जागृत करना बड़ा जरूरी है। इससे अहिंसा का वर्चस्व बढ़ेगा और समाज में बुराइयों का अनुपात कम होगा।”^२

आचार्य तुलसी मानते हैं कि तटस्थता और विनम्रता अहिंसात्मक प्रतिरोध के आधार स्तम्भ हैं। उनकी दृष्टि में किसी भी विचार के प्रति पूर्वाग्रह या अहंभाव टिक नहीं सकता। पक्ष विशेष से बन्धकर प्रतिरोध की बात करना स्वयं हिंसा है। वहां अहिंसात्मक प्रतिरोध सफल नहीं होता।^३

प्रतिरोध करने वाले व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में उनका मन्तव्य है कि अहिंसात्मक प्रतिकार के लिए व्यक्ति में सबसे पहले असाधारण साहस होना नितान्त अपेक्षित है। साधारण साहस हिंसा की आग देखकर काप उठता है। जहां मन में कम्पन होता है, वहां स्थिति का समाधान हिंसा में दिखाई पड़ता है। दर्शन का यह मिथ्यात्व व्यक्ति को हिंसा की प्रेरणा देता है। हिंसा और प्रतिहिंसा की यह परम्परा बराबर चलती रहती है। इस परंपरा का अन्त करने के लिये व्यक्ति को सहिष्णु बनना पड़ता है।

१. अतीत का विसर्जन : अनागत का स्वागत, पृ० १३३।

२. बीती ताहि बिसारि दे, पृ० १११।

३. अणुव्रत : गति प्रगति, पृ० १५६।

सहिष्णुता के अभाव में मानसिक सन्तुलन विगड़ जाता है। मन सन्तुलित न हो तो अहिंसात्मक प्रतिकार की बात समझ में नहीं आती, इसलिये वैचारिक सहिष्णुता की बहुत अपेक्षा रहती है।^१

मृत्यु से डरने वाला तथा कष्ट से घबराने वाला व्यक्ति थोड़ी-सी यातना की सम्भावना से ही विचलित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति हिंसात्मक परिस्थिति के सामने घुटने टेक देते हैं। इस विषय में आचार्य तुलसी का अभिमत है-- "जो व्यक्ति कष्टसहिष्णु होते हैं, वे विपन्न स्थिति में भी अन्याय और असत्य के सामने झुकने की बात नहीं सोचते। ऐसे व्यक्ति अहिंसात्मक प्रतिकार में अधिक सफल होते हैं। उनकी कष्ट-सहिष्णुता इतनी बढ़ जाती है कि वे मृत्यु तक का वरण करने के लिये सदा उद्यत रहते हैं। जिन व्यक्तियों को मृत्यु का भय नहीं होता, वे सत्य की सुरक्षा के लिए सब-कुछ कर सकते हैं। प्रतिरोधात्मक अहिंसा का प्रयोग इन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।"^२

कुछ व्यक्ति हड़ताल, घेराव आदि साधनों को अहिंसात्मक प्रतिकार के रूप में स्वीकार करते हैं किन्तु इस विषय में आचार्य तुलसी का दृष्टिकोण कुछ भिन्न है। वे स्पष्ट कहते हैं-- "घेराव में हिंसात्मक उपकरणों का सहारा नहीं लिया जाता, यह ठीक है, फिर भी वह अहिंसा का साधन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें उत्सर्ग की भावना विलुप्त है। अपनी शक्ति से किसी को बाध्य करना अहिंसा नहीं हो सकती क्योंकि बाध्यता स्वयं हिंसा है। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आन्दोलन, सत्याग्रह, घेराव आदि साधनों की भूमिका में विशुद्धता, तटस्थ दृष्टिकोण, देशकाल और परिस्थितियों का सही विचार और आत्मोत्सर्ग की भावना निहित हो तो मैं समझता हूँ कि अहिंसा को इन्हीं स्वीकार करने में कोई सकोच नहीं होता।"

इस कथन का तात्पर्य यह है कि अन्याय से अन्याय को परास्त करना दुर्बलता है तथा अन्याय को स्वीकार करना भी बहुत बड़ी कायरता और हिंसा है। उनका अपना अनुभव है कि यदि माग में औचित्य है तो उसे स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं रहनी चाहिए अन्यथा हिंसा के सामने झुकना सिद्धांत की हत्या करना है।" सद्भावना, मैत्री, प्रेम, करुणा की वृत्ति से हिंसा को पराजित किया जा सकता है। बलप्रयोग, दबाव या बाध्यता चाहे अहिंसात्मक ही क्यों न हो, उसमें सूक्ष्म हिंसा का भाव रहता है। अहिंसात्मक प्रतिरोध की शक्ति बलिदान की भावना तथा अभय की साधना से ही सफल हो सकती है। क्योंकि स्वयं हिंसा भी बलिदान के

१. अणुव्रत के आलोक में, पृ० ५०

२. अणुव्रत के आलोक में, पृ० ५०।

अभाव में मफल नहीं हो सकती। अतः अहिंसात्मक प्रतिरोध हेतु ईमानदार और वलिदानी व्यक्तियों की आवश्यकता है अन्यथा उमकी आवाज का मूल्य अरण्य रोदन से अधिक नहीं होगा।

अनुशास्ता होने के कारण आचार्य तुलसी ने अपने जीवन में अहिंसात्मक प्रतिरोध के अनेक प्रयोग किए, जो मफल रहे। कलकत्ता की धार्मिक सभाओं में मनोमालिन्य चरम सीमा पर पहुंच गया। जयपुर चातुर्मास के दौरान आचार्य तुलसी ने एकामन तप प्रारम्भ कर दिया, साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि मैंने जो मकल्प किया है, वह दवाव टालने हेतु नहीं है। मैं दवाव को हिंसा मानता हूं। यदि इममें भी हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, तो मैं और भी तगडा कदम उठा सकता हूं।” आचार्यश्री के इस अहिंसात्मक प्रतिरोध से पारस्परिक सीहार्द एव नामजस्य का मुन्दर वातावरण निर्मित हुआ और उलभी हुई गुत्थी को एक समाधायक दिशा मिल गई।

अहिंसा सार्वभौम

द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से त्रस्त होकर अहिंसा और शांति के क्षेत्र में कार्य करने वाली कुछ अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं का उदय हुआ। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, इन्स्टीट्यूट फोर पीस एण्ड जस्टीस, इंटरनेशनल पीस रिसर्च, कोपरेशन फोर पीस तथा गांधी शांति सेना आदि। उसी परम्परा में आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन के अन्तर्गत ‘अहिंसा सार्वभौम’ की स्थापना करके अहिंसा के इतिहास में एक नयी कटी जोड़ने का प्रयत्न किया है। उन्होंने अहिंसा का ऐसा सर्वमान्य मच उपस्थित किया है, जहां में अहिंसा की आवाज दिगन्तो तक पहुंच सकती है।

एक ओर मनुष्य की शांति प्राप्त करने की चाह तो दूसरी ओर घातक परमाणु अस्त्रों का निर्माण—इस विसंगति को तोड़कर अहिंसा को प्रयोग से जोड़ने एव उमके प्रति आस्था निर्मित करने में अहिंसा सार्वभौम ने अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। प्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्रजी आदि अनेक विद्वान् इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। आचार्य तुलसी अहिंसा सार्वभौम को एक बहुत बड़ी क्रांति मानते हैं। इसकी व्याख्या करते हुए वे कहते हैं—“अहिंसा सार्वभौम में अहिंसा के गुणगान नहीं हैं, अहिंसा की परिभाषा नहीं है, अहिंसा की व्याख्या नहीं है, इममें हैं अहिंसा का अनुशीलन, शोध और उसके प्रयोग। प्रायोगिक होने के कारण यह एक वैज्ञानिक प्रस्थापना है।”

‘राजस्थान विद्यापीठ’ उदयपुर के सस्थापक जनार्दन राय नागर ने

१. जैन भारती, २८ दिसम्बर, १९७५

२. सफर : आधी शताब्दी का, पृ० ६१।

इस नए अभियान के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा— “आज की विषम परिस्थितियों में आवश्यक है कि अहिंसा का स्वर उठे, लोक-चेतना जागे और हिंसा के विरुद्ध लोकशक्ति अपना मार्ग प्रशस्त करे। अहिंसा सार्वभौम इसी का प्रतीक है। गांधीजी के बाद अहिंसा के क्षेत्र में आचार्य तुलसी द्वारा महत्त्वपूर्ण कार्य हो रहा है। आचार्य तुलसी मजहब से दूर भारतीय सस्कृति को एक शुद्ध, ठोस एव आध्यात्मिक आधार प्रदान कर रहे हैं।”

अहिंसा सार्वभौम की एक अंतरंग परिपद् को सम्बोधित करते हुए आचार्य तुलसी इसका उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहते हैं— “मेरा यह निश्चित अभिमत है कि ससार में हिंसा थी, है और रहेगी। हिंसा की तरह अहिंसा का भी त्रैकालिक अस्तित्व है। हिंसा की प्रबलता देखकर अहिंसा की निष्ठा शिथिल हो जाए या समाप्त हो जाए, यह चिन्तन का विषय है। हिंसा का पलड़ा अहिंसा से भारी न हो, ऐसी जागरूकता रखनी है। यह काम निराशा और कुण्ठा के वातावरण में नहीं होगा। प्रसन्नता, उत्साह और लगन के साथ काम करना है, अहिंसा की शक्ति को उजागर करना है। अहिंसा सार्वभौम की सफलता का पहला कदम यही होगा।”

अहिंसा और वीरता

आचार्य तुलसी कहते हैं— “अहिंसा का पथ तलवार की धार से भी अधिक तीक्ष्ण है। इस स्थिति में कोई भी कायर और दुर्बल व्यक्ति इस पर चलने का साहस कैसे कर सकता है ?”

कुछ लोग अहिंसा का सम्बन्ध कायरता से जोड़ते हुए कहते हैं— जैनधर्म की अहिंसा ने हमें कायर बना दिया है। इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य तुलसी का स्पष्ट मन्तव्य है— “कायरता अहिंसा का अंचल तक नहीं छू सकती। सोने के थाल बिना सिंहनी का दूध कहा रह सकता है ? उसी प्रकार अहिंसा का वास वीर हृदय को छोड़कर अन्यत्र असम्भव है। यह अटल सत्य है। अहिंसा और कायरता का वही सम्बन्ध है, जो ३६ के अको में तीन और छ. का है।”^१ अहिंसा तो साहस और पुरुषार्थ का पर्याय है। वह कभी नहीं कहती कि हम अपनी सुरक्षा ही न करे। जिस प्रकार भय दिखाना हिंसा है, उसी तरह भयभीत होना भी हिंसा ही है।^२ जो लोग स्वयं की कमजोरी पर आवरण डालने के लिये अहिंसा का सहारा लेते हैं, ऐसे तथाकथित

१ अमरित वरसा अरावली में, पृ० २८१।

२ एक बूद : एक सागर, पृ० २७३।

३. शांति के पथ पर, पृ० ५७।

४. २५-४-६५ के प्रवचन से उद्धृत।

अहिंसक ही अहिंसा को कमजोर बनाते हैं।” वे मानते हैं--“अहिंसा व्यक्ति या समाज को कमजोर बनाती है—यह भ्रम इसलिये उत्पन्न हुआ कि मही अर्थ में अहिंसा में विश्वास रखने वाले धार्मिकों ने अपनी दुर्बलता को अहिंसा की ओट में पाला-पोसा। इसी बात को वे व्यग्यात्मक भाषा में प्रस्तुत करते हैं-- “शेर के सामने खरगोण कहे कि मैं अहिंसक हूँ, इसलिए तुमको नहीं मारता तो क्या वह अहिंसक हो सकता है ?” इसी सन्दर्भ में उनकी दूसरी टिप्पणी भी महत्त्वपूर्ण है--“मैं कायरता को अहिंसा नहीं मानता। डर से छुपने वाला यदि अपने को अहिंसक कहे तो मैं उसे प्रथम दर्जे की कायरता कहूँगा। वह दूसरो को क्या मारे जो स्वयं ही मरा हुआ है।”^{१२} आचार्य तुलसी अहिंसक को शक्ति सम्पन्न होना अनिवार्य मानते हैं अतः खुले शब्दों में आह्वान करते हैं--“जिस दिन अहिंसक मौत से नहीं घबराएगा। वह दिन हिंसा की मौत का दिन होगा। हिंसा स्वतः घबराकर पीछे हट जायेगी और अपनी हार स्वीकार कर लेगी।”^{१३}

लोकतंत्र और अहिंसा

“लोकतंत्र से अहिंसा निकल गयी तो वह केवल अस्थिरपंजर मात्र बचा रहेगा”—आचार्य तुलसी की यह उक्ति राजनीति में अहिंसा की महत्ता को प्रतिष्ठित करती है। अहिंसा को तेजस्वी और वर्चस्वी बनाने हेतु उनका चिन्तन है कि एक शक्तिशाली अहिंसक दल का निर्माण किया जाए, जो राजनीति के प्रभाव से सर्वथा अछूता रहे पर राजनीति को समय-समय पर मार्गदर्शन देता रहे।

हिंसा में विश्वास रखने वाले राजनीतिज्ञों को वे चेतावनी देते हुए कहते हैं--“मैं राजनीतिज्ञों को एक चेतावनी देता हूँ कि हिंसात्मक क्रांति ही सब समस्याओं का समुचित समाधान है वे इस भ्रांति को निकाल फेंके। अन्यथा स्वयं उन्हें कट्टे परिणाम भोगना होगा। हिंसक क्रांतियों से उच्छृंखलता का प्रसार होता है। आज के हिंसक से कल का हिंसक अधिक क्रूर होगा, फिर कैसे शांति रह सकेगी ?”

लोकतंत्र अहिंसा का प्रतिरूप होता है, क्योंकि उसमें व्यक्ति स्वातन्त्र्य को स्थान है। पर आज की बढ़ती हिंसा से वे अत्यन्त चिन्तित ही नहीं, आश्चर्यचकित भी हैं--“दिन है और अंधकार है—इस उक्ति में जितना

१. एक बूद : एक सागर, पृ० २५२।

२. एक बूद : एक सागर, पृ० २७४।

३. पथ और पाथेय, पृ० ३६।

४. जैन भारती, ३१ मार्च १९६८।

अन्तर्विरोध है, उतना ही अतर्विरोध इस स्थिति में है कि लोकतंत्र है और हिंसा की प्रबलता है।” अभय, समानता, स्वतंत्रता, सहानुभूति आदि तत्त्व लोकतंत्र को जीवित रखते हैं। लोकतंत्र में अहिंसा के विकास की सर्वाधिक सम्भावनाएँ होती हैं। यदि लोकतंत्र में अच्छाईयों का विकास न हो तो इससे अधिक आश्चर्य की बात क्या होगी ?^१

अहिंसक लोकतंत्र की कल्पना गांधीजी ने रामराज्य के रूप में की पर वह साकार नहीं हो सकी क्योंकि गांधीवाद के सिद्धांतों एवं आदर्शों ने वाद का रूप तो धारण कर लिया पर उनका जीवन में सक्रिय प्रशिक्षण नहीं हो सका। आचार्य तुलसी ने अहिंसक जनतंत्र की कल्पना प्रस्तुत की है, उसके मुख्य बिंदु निम्न हैं—

१. व्यक्ति स्वातंत्र्य का विकास।
२. मानवीय एकता का समर्थन।
३. शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।
४. शोषण मुक्त व नैतिक समाज की रचना।
५. अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना।
६. सार्वदेशिक निःशस्त्रीकरण के सामूहिक प्रयत्न।
७. मंत्री व शांति सगठनों की सार्वदेशिक एकसूत्रता।^२

अहिंसा और युद्ध

युद्ध की विभीषिका का इतिहास अति-प्राचीन है। प्राचीनकाल से ही आवेश की क्रियान्विति युद्ध के रूप में होती रही है। जिस देश में युद्ध के प्रसंग जितने अधिक उपस्थित होते थे, वह देश उतना ही अधिक शौर्य सम्पन्न समझा जाता था। युद्ध के बारे में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार ईसा पूर्व ३६०० वर्ष से लेकर आज तक मानव जाति कुल २९२ वर्ष ही शांति से रह सकी है। इस बीच छोटे बड़े १४५१४ युद्ध लड़े गए। उन युद्धों में तीन अरब से भी अधिक लोगों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी।

वर्तमान युग के नाभिकीय एवं अणु रासायनिक युद्ध का परिणाम विजेता और विजित दोनों राष्ट्रों को सदियों तक समान रूप से भोगना पड़ता है। युद्ध भौतिक हानि के अतिरिक्त मानवता के अपाहिज और विकलांग होने में भी बहुत बड़ा कारण है।^३ इससे पर्यावरण इतना प्रदूषित हो जाता है कि सालों तक व्यक्ति शुद्ध सास और भोजन भी प्राप्त नहीं कर सकता। वैज्ञानिक इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि भविष्य में युद्ध में

१. अतीत का विसर्जन . अनागत का स्वागत, पृ० ११७।

२. जैन भारती, २८ दिस० १९६५।

३. अणुव्रत, १ दिस० १९५६।

प्रत्यक्ष रूप में भाग लेने वाले कम और दुष्परिणामों का शिकार बनने वाले संसार के सभी प्राणी होंगे। युद्ध के भयावह परिणामों की उद्घोषणा करते हुए आचार्य तुलसी का कहना है—“युद्ध वह आग है, जिसमें साहित्यकारों का साहित्य, कलाकारों की कला, वैज्ञानिकों का विज्ञान, राजनीतिज्ञों की राजनीति और भूमि की उर्वरता भस्मसात् हो जाती है।”^१ इसी सन्दर्भ में उनके काव्य की निम्न पंक्तियाँ भी पठनीय हैं—

साथ उनके हो गई कितनी कलाएँ लुप्त है।

युद्ध से उत्पन्न क्षति भी क्या किसी से गुप्त है।

देखते ही अमित जन-धन का हुआ संहार है।

हाय ! फिर भी रक्त की प्यासी खड़ी तलवार है।^२

वैयक्तिक अहंकार, सत्ता की महत्त्वाकांक्षा, स्वार्थ तथा स्वयं को शक्तिशाली सिद्ध करने की इच्छा आदि युद्ध के मूल कारण हैं। आचार्य तुलसी मानते हैं कि युद्ध मूलतः असन्तुलित व्यक्ति के दिमाग में उत्पन्न होता है।^३ युद्ध और अहिंसा के बारे में भारतीय मनीषियों ने गहन चिंतन किया है। भारत-पाक युद्ध के समय रामधारीसिंह दिनकर आचार्य तुलसी के पास आकर बोले— “आचार्यजी ! आप न तो युद्ध को अच्छा समझते हैं, न समर्थन करते हैं और न ही युद्ध में भाग लेने हेतु अनुयायियों को आदेश देते हैं। देश के ऊपर आए ऐसे सकट के समय में आपकी अहिंसा क्या कहती है ? आचार्य तुलसी ने इस प्रश्न का सटीक एवं सामयिक उत्तर देते हुए कहा— “मैं युद्ध को न अच्छा मानता हूँ और न समर्थन ही करता हूँ—यहाँ तक इस कथन में अवश्य सचाई है किन्तु युद्ध में भाग लेने का निषेध करता हूँ, यह कहना सही नहीं है। क्योंकि जब तक समाज के साथ परिग्रह जुड़ा हुआ है, मैं हिंसा और युद्ध की अनिवार्यता देखता हूँ। परिग्रह के साथ लिप्सा का गठवधन होता है। लिप्सा भय को जन्म देती है और भय निश्चित रूप से हिंसा और संघर्ष को आमंत्रण देता है। समाज में जीने वाला और समाज की सुरक्षा का दायित्व ओढ़ने वाला आदमी युद्ध के अनिवार्य कारणों को देखता हुआ भी नकारने का प्रयत्न करे—इसे मैं खण्डित मान्यता मानता हूँ।”^४

युद्ध की परिस्थिति अनिवार्य होने पर समाज के कर्तव्य का स्पष्टीकरण करते हुए उनका निम्न कथन न केवल चौकाने वाला, अपितु करणीय की ओर यथार्थ इंगित करने वाला है—“जहाँ व्यक्ति युद्ध के मैदान से भागता

१. एक वृद्ध : एक सागर, पृ० ११४२ ।

२. भरतमुक्ति, पृ० १००

३. जैन भारती, १८ अग० १९६८ ।

४. अणुव्रत : गति प्रगति पृ० १४७ ।

है, समाज पर आई कठिन घड़ियों के समय घरो में छिपकर अनी वचाने का उपाय करता है, वहाँ भले ही वह स्थूल रूप से हिंसा से है किंतु सूक्ष्मता से और गहरे में वह हिंसक ही है। वहाँ हिंसा ही हो अहिंसा नहीं। क्योंकि जहाँ व्यक्ति प्राणों के व्यामोह से अपनी जान फिरता है, वहाँ कायरता है, भय है, मोह है, इसलिए हिंसा है। मारना भी हिंसा है, भागना भी हिंसा है, किंतु जहाँ व्यक्ति सर्वथा अनिर्भय है, वहाँ अहिंसा है।¹

इसी सन्दर्भ में उनकी दूसरी टिप्पणी भी मननीय है—“व्यक्ति में जीता है अतः समाज और राष्ट्र की सुरक्षा का दायित्व ओढ़ने का व्यक्ति युद्ध के अनिवार्य कारणों को देखता हुआ भी उसे नकार नहीं सकता जहाँ युद्ध की स्थिति को टाला न जा सके वहाँ अहिंसा का अर्थ यह नहीं कायरतापूर्वक युद्ध के मैदान से भागा जाए।”² साथ ही वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु युद्ध अनिवार्य हो सकता है, एक सामाजिक उससे विमुख नहीं हो सकता पर युद्ध में होने वाली हिंसा को अहिंसा कोटि में नहीं रखा जा सकता। अनिवार्य हिंसा भी अहिंसा नहीं सकती।³

युद्ध की स्थिति में भी अहिंसा को जीवित रखा जा सकता है, हिंसा अल्पीकरण हो सकता है—इस बारे में आचार्य तुलसी ने पर्याप्त चिंतन किया है। वे कहते हैं—“युद्ध में होने वाली हिंसा को अहिंसा नहीं माना जा सकता किंतु उसमें अहिंसा के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र खुला है। जैसे—जाना न बने, निरपराध को न मारे, अपाहिजों के प्रति क्रूर व्यवहार न करे, अस्पताल, धर्मस्थान, स्कूल, कालेज आदि पर आक्रमण न करे, आवादी वाले स्थानों पर बमबारी न करे आदि नियम युद्ध में भी अहिंसा की प्रतिष्ठा करते हैं।³

क्या युद्ध का समाधान अहिंसा बन सकती है? इस प्रश्न के समाधान में उनका मतव्य है—“युद्ध का समाधान असंदिग्ध रूप से अहिंसा और मैत्री है। क्योंकि शस्त्र परम्परा से कभी युद्ध का अंत नहीं हो सकता। शक्ति सन्तुलन के अभाव में बंद होने वाले युद्ध का अंत नहीं होता। वह विराम दूसरे युद्ध की तैयारी के लिये होता है।”⁴ इस सन्दर्भ में उनका निम्न प्रवचन उद्धरणीय है—“मनुष्य कितना भी युद्ध करे, अंत में उसे समझीता

१. दायित्व का दर्पण : आस्था का प्रतिबिम्ब, पृ० १३-१४।

२. शांति के पथ पर, पृ० ७०।

३. अणुव्रत : गति प्रगति, पृ० १५१।

४. अणुव्रत : गति प्रगति, १५०-१५१।

करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ मनुष्य की यह अन्तिम शरण प्रारंभिक शरण बने।”^१

आचार्य तुलसी के चिंतन में युद्ध में अहिंसक प्रयोग के लिए समुचित भूमिका, प्रभावशाली नेतृत्व, अहिंसा के प्रति अनन्य निष्ठा तथा उसके लिये मर मिटने वाले बलिदानियों की अपेक्षा रहती है।^२ आक्रमण एवं युद्ध का अहिंसक प्रतिकार करने वाले में आचार्य तुलसी तीन विशेषताएँ आवश्यक मानते हैं—

१. वह अभय होगा, मीत से नहीं डरेगा।

२. वह अनुशासन और प्रेम से ओत-प्रोत होगा, मानवीय एकता में आस्था रखेगा।

३. वह मनोवली होगा—अन्याय के प्रति असहयोग करने की भावना किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ेगा।^३

युद्ध अनिवार्य हो सकता है, फिर भी युद्ध के वारे में उनका अंतिम सुभाव या निर्णय यही है कि युद्ध में जय निश्चित हो फिर भी वह न किया जाए क्योंकि उसमें हिंसा और जनसंहार तो निश्चित है पर समस्या का स्थायी समाधान नहीं है……युद्ध आज के विकसित मानव समाज पर कलंक का टीका है।”^४ वे कहते हैं—“युद्ध परिस्थितियों को दबा सकता है पर शांत नहीं कर सकता। दबी हुई चीज जब भी अवसर पाकर उफनती है, दुगुने वेग से उभरती है।”

लोगों को मस्तिष्कीय प्रशिक्षण देते हुए वे कहते हैं—“युद्ध करने वाले और युद्ध को प्रोत्साहन देने वाले किसी भी व्यक्ति को आज तक ऐसा कोई ऐसा महत्त्वपूर्ण प्रोत्साहन नहीं मिला, जो उसे गौरवान्वित कर सके। युद्ध तो बरवादी है, अशांति है, अस्थिरता है और जानमाल की भारी तबाही है।”^५

अहिंसा और विश्वशांति

आचार्य तुलसी की दृष्टि में शांति उस आह्लाद का नाम है, जिससे आत्मा में जागृति, चेतनता, पवित्रता, हल्कापन और मूल-स्वरूप की अनुभूति होती है।”^६ आज सारा संसार शांति की खोज में भटक रहा है पर आणविक अस्त्रों के निर्माण ने विश्व शांति के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। पूरी

१. तेरापथ टाईम्स, १८ फरवरी १९८१।

२. अणुव्रत : गति प्रगति, पृ० १५१।

३-४. क्या धर्म बुद्धिगम्य है ? पृ० ७३।

५. कुहासे में उगता सूरज, पृ० २७।

६. अणुव्रत, १५ अक्टूबर १९५७।

दुनिया में प्रति मिनिट एक करोड़ चालीस लाख से भी अधिक रुपये हथियारों के निर्माण में खर्च हो रहे हैं। स्वयं परमाणु अस्त्र निर्माता भी अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिये भयभीत हैं। आचार्य तुलसी की अहिंसक चेतना आज की इस स्थिति से उद्वेलित है। अणुशक्ति पर विश्वास रखने वालों को वे व्यग्य में पृच्छते हैं—“शांति के लिए सब कुछ हो रहा है—ऐसा सुना जाता है। युद्ध भी शांति के लिए, स्पर्धा भी शांति के लिए, अशांति के जितने बीज हैं, वे सब शांति के लिए—यह मानसिक भ्रुकव भी कितनी भयकर भूल है। बात चले विश्वशांति की और कार्य हो अशांति के तो शांति कैसे सम्भव हो? विश्वशांति के लिये अणुवम आवश्यक है, यह घोषणा करने वालों ने यह नहीं सोचा कि यदि यह उनके शत्रु के पास होता तो।” यद्यपि आचार्य तुलसी व्यक्तिगत चिन्तन के स्तर पर शांति एवं सद्भाव की स्थापना के लिए अणुशस्त्रों के निर्माण के कट्टर विरोधी हैं। फिर भी भारत के वारे में उनकी निम्न टिप्पणी चिन्तन की नयी दिशाएँ उद्घाटित करने वाली है—“भारत विज्ञान और एटमवम का देश नहीं, अध्यात्म और अहिंसा का देश है। अहिंसा और अध्यात्म के देश में विज्ञान न हो, वम न हो, ऐसी बात नहीं, किन्तु हम इन चीजों को प्रधानता नहीं देते हैं, यह इस सस्कृति की विशेषता है।”

आचार्य तुलसी का चिन्तन है कि शांति और सद्भाव को प्रतिष्ठित करने से पूर्व अशांति और असद्भाव के कारणों को जान लेना जरूरी है। उनकी दृष्टि में सयमहीन राष्ट्रीयता की भावना, रगभेद और जातिभेद की भित्ति पर टिकी हुई उच्चता और नीचता की परिकल्पना, अधिकार-विस्तार की भावना और अस्त्रों की होड़—ये सभी विश्वशांति के लिये खतरे हैं।^२ वे स्पष्ट कहते हैं जब तक जीवन में दम्भ रहेगा, क्षोभ रहेगा, तब तक शांति का अवतरण हो सके, यह कम सम्भव है।^३ वे अनेक बार इस सत्य को अभिव्यक्त करते हैं कि इच्छाओं का विस्तार ही विश्वशांति का सबसे बड़ा खतरा है। अतः दूसरों के अधिकारों पर हाथ न उठाना ही विश्वशांति का मूलस्रोत है।^४

हिंसक क्रांति द्वारा विश्व-शांति लाने वाले लोगों को आचार्य तुलसी की चेतावनी है कि हिंसा की धरती पर शांति की पौध नहीं उगायी जा सकती। अहिंसा की विशाल चादर के प्रयोग से ही विश्वशांति की

१. जैन भारती, २३ जून १९६८।
२. जैन भारती, ६ जुलाई १९५८।
३. प्रवचन डायरी, भाग १, पृ० १५७।
४. एक बूद : एक सागर, पृ० १२६७।

कल्पना सार्थक की जा सकती हैं क्योंकि शांति के सारे रहस्य अहिंसा के पास हैं। अहिंसा से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है, शस्त्र भी नहीं है।^१

उनके दिमाग में यह प्रत्यय स्पष्ट है कि अहिंसा और अनेकात की आखों में ही विश्वशांति का सपना उतर सकता है पर वह बलप्रयोग में नहीं, हृदयपरिवर्तन द्वारा ही सम्भव है।

इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने अणुव्रत का रचनात्मक उपक्रम मानव जाति के समक्ष उपस्थित किया। न्यूनतम मानवीय मूल्यों के प्रति वैयक्तिक वचनबद्धता प्राप्त कर विश्व को हिंसा से मुक्ति दिलाने का यह अनूठा प्रयोग है। व्रतो को आन्दोलन का रूप देकर उनके द्वारा शांति स्थापित करने का यह विश्व के इतिहास में पहला प्रयास है। अणुव्रत के कुछ नियम जैसे—मैं निरपराध प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, तोड़-फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा। मैं किसी पर आक्रमण नहीं करूंगा। आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूंगा। विश्वशांति तथा निःशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न करूंगा। साम्प्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलाऊंगा। मानवीय एकता में विश्वास करूंगा। जाति रंग के आधार पर किसी को ऊँच-नीच नहीं मानूंगा। अस्पृश्य नहीं मानूंगा—ये सभी नियम विश्वशांति के आधारभूत स्तम्भ हैं। यदि हर व्यक्ति इन नियमों को स्वीकार कर अणुव्रती बन जाए तो विश्व-शांति की स्थापना बहुत सम्भव है।

प्रकाशित रूप से आचार्य तुलसी का सबसे प्राचीन सन्देश है—‘अशांत विश्व को शांति का सन्देश।’ इस पूरे सन्देश में उन्होंने विश्वशांति के लिए १३ सूत्रों का निर्देश किया है, जिसे पढ़कर महात्मा गांधी ने अपनी टिप्पणी व्यक्त करते हुए कहा—“क्या ही अच्छा होता जब सारी दुनिया उस महापुरुष के व्रताएँ मार्ग पर चलती।”

कोरियन पर्यटक एक प्रोफेसर ने जब आचार्य तुलसी से अहिंसा, शांति और अणुव्रत का सन्देश सुना तो वह आश्चर्य मिश्रित दुःखद स्वरों में बोला—“काश ! हम पश्चिम वालों को यह सन्देश कोई सुनाने वाला होता तो हम निरन्तर महायुद्धों में पड़कर वर्वाद नहीं होते।”

निःशस्त्रीकरण

शस्त्रीकरण के भयावह दुष्परिणामों से समस्त विश्व भयाक्रांत है इसीलिए आज निःशस्त्रीकरण की आवाज चारों ओर से उठ रही है। महावीर ने आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व इस सत्य को अभिव्यक्त किया था कि शस्त्र परम्परा का कहीं अन्त नहीं होता। इसके लिए व्यक्ति के मन में जो शस्त्र बनाने की चेतना है, उसे मिटाना आवश्यक है। आचार्य तुलसी की

अवधारणा है कि ये भौतिक शस्त्र उतने खतरनाक नहीं जितना सचेतन मनुष्य है। सचेतन शस्त्र को परिभाषित करते हुए वे कहते हैं—“शस्त्र व वनता है, जो असंयत होता है। शस्त्र वह वनता है, जो क्रूर होता है। वह वनता है, जो प्राणी-प्राणी में भेद समझता है।”^१ उनका मानना कि केवल कुछ प्रक्षेपास्त्रों को कम करने से निःशस्त्रीकरण का नारा बुल नहीं किया जा सकता।

शक्ति सन्तुलन के लिए भी वे शस्त्र-निर्माण की बात से सहमत नहीं हैं क्योंकि इससे अपव्यय तो होता ही है साथ ही किसी के गलत हाथों में दुरुपयोग होना भी बहुत सम्भव है। आज से ३३ साल पूर्व भारत के सम्बन्ध में कही गयी उनकी यह उक्ति अत्यन्त मार्मिक एवं प्रेरणादायी है—“आज हमारे पास राकेट नहीं, बम नहीं। मैं कहूँगा यह भारत के पास नहीं। भारत इस माने में दरिद्र ही रहे। कारण यह कि डर तो न रहे। डर तो उनको है, जिनके पास बम है। हमारे पास तो सबसे बड़ी सम्पत्ति अहिंसा की है। जब तक हमारे पास यह सम्पत्ति सुरक्षित है, कोई भी भौतिकवादी हमारे सामने देख नहीं सकेगा। अगर हमने यह सम्पत्ति खो दी तो हमारा बचाव होना मुश्किल है।”^२ उनका स्पष्ट मन्तव्य है कि जिस राष्ट्र की नीति में दूसरे राष्ट्रों को दवाने के लिए शस्त्रों का विकास किया जाता है, वह राष्ट्र विश्वशांति के लिए सबसे अधिक बाधक है।

अहिंसक विश्व रचना की उनके दिल में कितनी तडप है, यह उनकी निम्न उक्ति से पहचानी जा सकती है—“जिस दिन अणु-अस्त्रों पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध लगेगा, क्रूर हिंसा रूपी राक्षसी को कील दिया जायेगा, वह दिन समूची मानव जाति के लिए महान् उपलब्धि का दिन होगा। यह मेरा व्यक्तिगत सपना है।”^३ वे कहते हैं सामजस्य और समन्वय के बिना कोई रास्ता नहीं कि शस्त्र-निर्माण के स्थान पर अहिंसा की प्रतिष्ठा हो सके क्योंकि अभय, सद्भाव और सहिष्णुता निःशस्त्रीकरण के बीज हैं।^४

आचार्य तुलसी के अहिंसक प्रयाग

“अहिंसा में मेरा अधविश्वास नहीं है। वह मेरे जीवन की प्रकाश-रेखा है। मैंने इससे अपने जीवन को आलोकित करने का प्रयत्न किया है। मैं इससे बहुत सन्तुष्ट और प्रसन्न हूँ”—“आचार्य तुलसी की यह अनुभव-पूत वाणी उनके अहिंसक व्यक्तित्व की प्रतिध्वनि है। उनके साये में आने

१ लघुता से प्रभृता मिले, पृ० ३७।

२ जैन भारती, १७ जुलाई १९६०।

३. कुहासे में उगता सूरज, पृ० २४।

४. कुहासे में उगता सूरज, पृ० २८-२९।

वाला हिंसक व्यक्ति भी अहिंसा की भावधारा से अनुप्राणित हो जाता है। उनके जीवन के सैकड़ों ऐसे प्रसंग हैं, जहाँ तीव्र हिंसात्मक वातावरण में भी वे अहिंसात्मक प्रयोग करते रहे। वे कभी अपनी ममता, सहिष्णुता और धृति से विचलित नहीं हुए। उनकी इसी क्षमता ने उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर प्रतिष्ठित कर दिया है। अपने अनुभवों को वे इस भाषा में प्रस्तुत करते हैं—“मेरे जीवन में अनेक प्रसंग आए हैं, जहाँ कुछ लोगों ने मेरे प्रति हिंसा का वातावरण तैयार किया। वे लोग चाहते थे कि मैं अपनी अहिंसात्मक नीति को छोड़कर हिंसा के मैदान में उतर जाऊँ, पर मेरे अन्तःकरण ने कभी भी उनका साथ नहीं दिया और मैंने हर हिंसात्मक प्रहार का प्रतिकार अहिंसा से किया।”

आचार्य तुलसी हर विरोधी एवं विषम स्थिति को विनोद कैसे मानते रहे, इसका अनुभव बताते हुए वे कहते हैं—“अहिंसा का नाशक कटु मत्स्य भी नहीं बोल सकता, फिर वह कटु आक्षेप, प्रत्याक्षेप या प्रत्याक्रमण कैसे कर सकता है? इसी बोधपाठ ने मुझे हर परिस्थिति में संयत और सन्तुलित रहना सिखाया है।”

समाचार-पत्रों में जब वे आतंकवादियों की हिंसक वारदानों के विषय में सुनते या पढ़ते हैं तो अनेक बार अपनी अन्तर्भावना इन शब्दों में व्यक्त करते हैं—“मेरे मन में अनेक बार यह विकल्प उठता है कि उपद्रवी और हिंसक भीड़ के बीच में खड़ा हो जाऊँ और उन लोगों से कहूँ कि तुम कौन होते हो निरपराध एवं निर्दोष प्राणियों को मौत के घाट उतारने वाले?”

आचार्यश्री ने अपने जीवन में विष को अमृत बनाया है, संघर्ष की अग्नि को ममत्व के जल से शांत करने का प्रयत्न किया है, उनके जीवन की सैकड़ों ऐसी घटनाएँ हैं, जो उनके इस अहिंसक व्यक्तित्व की अमिट रेखाएँ हैं। पर उन सबका यहाँ संकलन एवं प्रस्तुतीकरण सम्भव नहीं है। यहाँ उनके जीवन के कुछ अहिंसक प्रयोग प्रस्तुत किए जा रहे हैं—

साम्प्रदायिक उन्माद

आचार्य बनने के बाद आचार्य तुलसी का प्रथम चातुर्मास वीकानेर में था। चातुर्मास समाप्ति के पञ्चात् मार्गशीर्ष कृष्णा प्रतिपदा के मध्याह्न में उन्होंने विहार किया। पूर्व निर्धारित मार्ग पर अभी कुछेक कदम ही आगे बढ़े थे कि अप्रत्याशित रूप में महत्सा एक अन्य सम्प्रदाय के आचार्य का जुलूम उन्हें सामने की दिशा से आता हुआ दिखाई दिया। मंकरे मार्ग में एक जुलूम भी मुष्किल ने गुजर रहा था, वहाँ दो जुलूमों का एक साथ गुजरना तो सम्भव ही नहीं था। सामने वाले जुलूम में ‘हटो’ ‘हटो’ का

स्वर प्रखरता से मुखर हो रहा था। आचार्य श्री ने स्थिति की गंभीरता का आकलन किया और बिना इसे प्रतिष्ठा का विन्दु बनाए पास के चौक में एक ओर हटते हुए सामने वाले जुलूस के लिए रास्ता छोड़ दिया। हालांकि आचार्यश्री का यह निर्णय जुलूस में सम्मिलित गर्म खून वाले अनुयायियों को बहुत अप्रिय लगा पर तेरापन्थ सघ के अनुशासन की ऐसी गौरवशाली परम्परा रही है कि आचार्य का कोई भी प्रिय अप्रिय निर्णय बिना किसी ननुनच के स्वीकार्य होता है। इसलिए जुलूस में सम्मिलित सभी सन्त तथा हजारों लोग भी आचार्यश्री का अनुगमन करते हुए एक तरफ हट गए। सामने वाले जुलूस के गुजर जाने के पश्चात् ही उन्होंने अपने गन्तव्य के लिए प्रस्थान किया। पूरे शहर में इस घटना की तीव्र प्रतिक्रिया हुई।

प्रतिपक्ष के समझदार लोगो ने भी यह महसूस किया कि आचार्यश्री ने सूझ-बूझ एवं अहिंसक नीति के आधार पर सही समय पर सही निर्णय लेकर शहर को एक सम्भावित रक्तरजित सघर्ष से बचा लिया। तत्कालीन वीकानेर नरेश महाराज गगार्सिहजी ने कहा—“आचार्यश्री भले ही अवस्था में छोटे हों, पर उनकी यह सूझ-बूझ वृद्धो की सी है। उन्होंने बड़ी समझ-दारी एवं शांति से काम लिया।” यह उनकी अहिंसा एवं शांतिवादिता की प्रथम विजय थी।

सन् १९६१ के आसपास की घटना है। आचार्यश्री वाडमेर, वायत्त होते हुए जसोल पधार रहे थे। विरोधियों ने ऐसे पेम्पलेट निकाले की कही धर्मवृद्धि के स्थान पर सिरफोडी न हो जाए। इससे भी आगे उन्होंने नियत प्रवचनस्थल पर वंचनापूर्वक अड्डा जमा लिया। इससे श्रद्धालुओं के मन में रोष उभर आया। आचार्यश्री इस विरोधी विप को भी शंकर की तरह पी गए। वे शहर के बाहर ही किसी के मकान में ठहर गए। पर लोग तो वहां भी पहुंच गए।

उनमें कुछ श्रद्धालु थे तो कुछ आचार्यश्री की आंखों में रोष की झलक देखने आए थे। आचार्यवर ने दोनों ही पक्षों के लोगों की मनःस्थिति को ध्यान में रखते हुए कहा—“हमें विरोध का उत्तर शांति से देना है। मुझे ताज्जुब हुआ जब मैंने यह पढा कि धर्मवृद्धि के स्थान पर कही सिरफोडी न हो जाए। क्या हम आग लगाने आते हैं? सन्यस्त होकर भी क्या हम रोटी, कपडा और स्थान के लिए झगडे? हममें क्रांति के भाव जागे कि गाली का उत्तर भी शांति से दे सके। मैंने सुना है कि कुछ अनुयायी कहते हैं—आचार्यश्री को जाने दो फिर देखेंगे। यदि मेरे जाने के बाद उनकी आंखों में उवाल आ गया तो मैं कहना चाहता हूं कि तुम लोगो ने केवल नारे लगाए हैं आचार्य तुलसी को नहीं पहचाना है। ‘शठे शठय समाचरेद्’ यह राजनीति का सूत्र हो सकता है, धर्मनीति का नहीं। हमें तो बुरो के दिल

को भी भलाई से बदलना है। जो अड़ता है, उनसे हमें टल जाना है। दूसरा जलता है तो हमें जल बन जाना है।^१ यद्यपि आए हुए उभार को रोकना समुद्र के ज्वार को रोकना है पर आचार्यश्री के इस औजस्वी वक्तव्य ने न केवल श्रद्धालु लोगो को शान्त कर दिया, वरन् विरोधियो को भी सोच की एक नयी दृष्टि प्रदान की।

आचार्यश्री के जीवन में जब-जब विरोध के क्षण आए, वे इसी बात को बार-बार दोहराते रहे—“विरोधी लोग क्या करते हैं इस ओर ध्यान न देकर, हमें क्या करना चाहिए, यही अधिक ध्यान देने की बात है। हमें विरोध का शमन विरोध और हिंसा से नहीं, अपितु शान्ति और अहिंसा से करना है। अपना अनुभव डायरी में लिखते हुए वे कहते हैं—“अहिंसा का जोश आज मेरे हृदय में रह-रहकर उफान पैदा कर रहा है, मेरा सीना इससे तना हुआ है और यही मुझमें अहिंसा को जनशक्ति में केन्द्रित करने की एक अज्ञात प्रेरणा जागृत कर रहा है।”

विधायक दृष्टिकोण

आचार्य तुलसी का दृष्टिकोण विधायक है। यही कारण है कि वे हर बुराई में अच्छाई खोज लेते हैं। वे मानते हैं—“जहा तक अहिंसा का प्रश्न है, वहा हमारा आचरण और व्यवहार अलौकिक होना चाहिए—इस सिद्धांत में मेरी गहरी आस्था है।”^२ आचार्य तुलसी के जीवन की सैकड़ों घटनाएँ इस आस्था की परिक्रमा कर रही हैं।

जोधपुर (सन् १९५४) में अणुघ्नत का अधिवेशन था। साम्प्रदायिक लोगो ने विरोध में अनेक पर्चे निकाले। दीवारें ही नहीं, सड़को को भी पोस्टरों से पाट दिया। मध्याह्न में आचार्यवर पादविहार कर अधिवेशन स्थल पर पहुंचे। वहा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा— साम्प्रदायिक लोग कभी-कभी अनजाने में हित कर देते हैं। यदि आज सड़को पर ये पोस्टर बिछे नहीं होते तो पैर कितने जलते? दुपहरी के समय में डामर की सड़को पर नंगे पैर चलना कितना कठिन होता? इन पोस्टरों ने हमारी कठिनाई कम कर दी इस अवसर पर आचार्यश्री ने यह घोषण किया “जो हमारा हो विरोध, हम उसे समझें विनोद।”^३

जहां दृष्टिकोण इतना विधायक और उदार हो वहा विरोध की कोई भी स्थिति व्यक्ति को विचलित नहीं कर सकती। उस व्यक्तित्व के सामने अभिशाप वरदान में तथा शत्रुता मित्रता में परिणत हो जाती है।

१. जैन भारती १७ सित० १९९१।

२. एक बूद : एक सागर, पृ० १६३७।

३. धर्मचक्र का प्रवर्तन, पृ० २६४।

कानपुर का प्रसंग है। स्थानीय अनेक पत्र-पत्रिकाओं में आचार्यश्री के विरोध में तरह-तरह की बातें छपीं। इस स्थिति से उद्वेलित होकर एक वकील आचार्यवर के उपपात में पहुंचा और बोला "अमुक पत्र का सम्पादक मेरा किराएदार है। आप विरोध का प्रत्युत्तर लिखकर दे दें, मैं उसे वैसा ही छपवा दूंगा।" आचार्यवर ने उत्तर दिया - "कीचड़ में पत्थर डालने से क्या लाभ? आलोचना का उत्तर मैं कार्य को मानता हूँ। यदि स्तर का विरोध या आलोचना हो तो उसके उत्तर में शक्ति तगामी जाए अन्यथा शक्ति तगाना व्यर्थ है। निरुद्देश्य और निरर्थक विरोध अरण्य पलाप की तरह एक दिन स्वयं शांत हो जाएगा। मुझे तो विरोध देखकर दुःख नहीं, बल्कि नादानी पर हंसी आती है। ये विरोध तो मेरे सहयोगी हैं। इनसे मुझे अधिक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। यदि विरोध से ध्वराने लगे तो कुछ भी कार्य नहीं कर सकेंगे।"

बाल दीक्षा का विरोध

जयपुर में जब बाल-दीक्षा के विरुद्ध में विरोध का वातावरण बना तो तेरापंथी लोगों में भी कुछ आक्रोश उभरने लगा। संगठित संघ होने के कारण अनेक स्थानों से हजारों-हजारों लोग उसका प्रतिकार करने के लिए पहुंच गए। यद्यपि उन्हें शांत रखना कोई सहज कार्य नहीं था, पर अहिंसा की तेजस्विता प्रकट करने के लिए यह हर स्थिति में आवश्यक था। उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रतिबोध देते हुए कहा - "हिंसा को हिंसा से जीतना कोई मौलिक विजय नहीं होती। हिंसा को अहिंसा से जीतना चाहिए। हम साधन-शुद्धि पर विश्वास करते हैं, अतः पथ की समस्त नाधाओं को रनेह और गौहार्द से ही पार करना होगा। उत्तेजित होकर काम को निगाड़ा ही जा सकता है, सुधारा नहीं जा सकता। मैं यह नहीं कहता कि आप विरोधों के सामने झुक जाएं। यह तो उन्हीं की सफलता मानी जाएगी। किन्तु आप यदि उस समय भी शांत रहें तो यह आपकी सफलता होगी। मैं आशा करता हूँ कि कोई भी तेरापंथी भाई न उत्तेजित होगा और न उत्तेजना नदे, वैसा कार्य करेगा। दूसरा नया कुत्त कर रहा है, यह उसके सोचने की बात है। पर हमारा मार्ग मदैव शांति का रहा है और इसी में हमारी सफलता के बीज निहित हैं।" आचार्यश्री का उपर्युक्त प्रतिबोध सचमुच ही शक्ति सिद्ध हुआ। लोगों के मनो में उफान रहे आक्रोश को अहिंसा की तेजस्विता ने जल के छीटे का सा काम किया। अहिंसा की तेजस्विता ने जल के छीटे का सा काम किया।

अग्नि-परीक्षा बनाम

आचार्य तुलसी

र. मे था। वहाँ उनका अभूतपूर्व

स्वागत हुआ। किन्तु उस चातुर्मास के दौरान कुछ लोग उनकी लोकप्रियता को सह नहीं सके। उनके खण्डकाव्य 'अग्नि-परीक्षा' को आधार बनाकर कुछ गलत तत्त्वों ने साम्प्रदायिक हिंसा का वातावरण तैयार कर दिया। उन्होंने आचार्यश्री पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने सीता को गाली दी है। जनता इस बात को सुनकर भडक उठी। स्थान-स्थान पर आचार्यश्री के पुतले जलाए गये, पथराव हुआ तथा और भी हिंसात्मक वारदातें होने लगी। इस वातावरण को देखकर पत्रकारों को संबोधित करते हुए आचार्यश्री ने अपना संक्षिप्त वक्तव्य दिया—“मैं अहिंसा और समन्वय में विश्वास करता हूँ। मेरे कारण से दूसरों को पीडा पहुंची, इससे मुझे भी पीडा हुई। प्रस्तुत चर्चा के दौरान कुछ विद्वानों के मूल्यवान् सुभाव मेरे सामने आए हैं। अग्रिम सस्करण में उन पर मैं गंभीरतापूर्वक विचार करूंगा।”

इसके बावजूद भी विरोधी सभाओं का आयोजन हुआ, जुलूस आदि निकाले गये। स्थिति जटिल एवं गंभीर बन गई। उस स्थिति में भी वे वीर अहिंसक की भांति अडोल रहे तथा शांति स्थापना हेतु अपना मतव्य व्यक्त करते हुए कहा—“मेरे लिए प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा का प्रश्न मुख्य नहीं है। यदि शांति के लिए मेरा शरीर भी चला जाए तो भी मैं उसे ज्यादा नहीं मानता। प्रतिष्ठा की बात पहले भी नहीं थी, किन्तु परिस्थिति कुछ दूसरी थी। आज स्थिति उससे भिन्न है। मुझे निमित्त बनाकर हिंसा का वातावरण उभारा जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि मैं हिंसा का कारण बनूँ, पर किसी प्रकार बना दिया गया हूँ। मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं देता। मैंने अपने मिशन को चलाने का बराबर प्रयत्न किया है और आगे भी करता रहूंगा। ऐसी स्थिति केवल मेरे लिए ही बनी है, ऐसा नहीं है। महावीर, गांधी और विनोबा के साथ भी ऐसा ही हुआ है।”

उनकी कष्टना और अहिंसा की पराकाष्ठा तो उस समय देखने को मिली, जब हिंसा के दौरान कुछ विरोधी व्यक्ति पुलिस के द्वारा पकड़े गये तब उनके प्रति अधिकारियों से अपना आत्मनिवेदन उन्होंने इस भाषा में रखा—“आज जो लोग गिरफ्तार हुए, उसकी मुझे पीडा है। मुझे उनके प्रति सहानुभूति है। मेरे मन में उनके प्रति किसी प्रकार का रोप नहीं है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि यदि संभव हो सके तो आज रात्रि में ही गिरफ्तार लोगों को मुक्त कर दिया जाए।”

विरोधी लोगों द्वारा पंडाल जलाने पर भी वे वही स्थिरयोगी बनकर बैठे रहे। आचार्यश्री का यह स्पष्ट मंतव्य है कि अहिंसक कायर नहीं हो सकता। जो मरने से डरता है, वह अहिंसा का अंचल भी नहीं छू सकता। लोगों के निवेदन करने पर भी वे दृढतापूर्वक कहते हैं—मैं यही बैठा हूँ देखता हूँ क्या होता है? उस भयावह स्थिति में भी वे प्रकम्पित नहीं हुए।

उनकी इस दृढ़ता और मजबूती को देखकर आगे लगाने वालों ने भी मन में लज्जा और कायरता का अनुभव किया।

इस विषय एवं हिंसक वातावरण में भी वे लोगों को अोजस्वी में कहते रहे—“आज मैं इस अवसर पर अपने शुभचिन्तकों को से संयमित रहने का निर्देश देता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे किसी स्थिति में अहिंसा को नहीं भूलेंगे। हमारी विजय शांति में है। शांति प्रथकती, थकता है विरोध।” इस घटना से उनकी अहिंसा के प्रति निष्ठा और शांतिप्रियता की स्पष्ट झलक मिलती है।

उदार दृष्टिकोण

यह निर्विवाद सत्य है कि उदार व्यक्ति ही अहिंसा का पालन कर सकता है। बिना उदारता के व्यक्ति विपक्ष को सह नहीं सकता। आचार्य तुलसी उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। इसका ज्वलन्त निदर्शन है—मेवाड़ और कलकत्ता का घटना प्रसंग। कानोड़ गाव से विहार कर आचार्यवर आगे पधार रहे थे। उनके साथ में सैकड़ों लोग नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। आचार्यवर को ज्ञात हुआ कि जुलूस जिस मार्ग से आगे बढ़ रहा है, उस मार्ग में अन्य मुनियों का व्याख्यान हो रहा है। आचार्य तुलसी दो क्षण रुके और निर्देश की भाषा में श्रावकों से कहा—“नारे बंद कर दिए जाएं। श्रद्धालुओं ने प्रश्न उपस्थित किया—हम किसी को बाधा नहीं पहुंचाना चाहते पर अपने मन के उत्साह को कैसे रोके? सदा से ही ऐसा होता रहा है। फिर आज यह नयी बात क्यों उठी? आचार्यवर ने उनके मानस को समाहित करते हुए कहा—“आगे मुनियों का प्रवचन हो रहा है। नारे लगाने से श्रोताओं को सुनने में बाधा पहुंचेगी।” मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनी बात को समझाते हुए आचार्यश्री ने कहा—“तुम्हारी धर्मसभा में साधु-साध्वियों का या मेरा प्रवचन होता है, उस समय दूसरे लोग नारे लगाते हुए वहां से गुजरे तो तुम्हें कैसा लगेगा?” आचार्यश्री की यह बात उनके अंतःकरण को छू गयी और सभी अनुयायी शांतभाव से आगे बढ़ने लगे। शांत जुलूस को देखकर दर्शक तो आश्चर्यचकित हुए ही, दूसरे संप्रदाय के लोगों पर भी इतना गहरा असर हुआ कि वे सहयोग की भावना प्रदर्शित करने लगे। यह समन्वय एवं सह-अस्तित्व का मार्ग है।

सन् १९५९ कलकत्ता चातुर्मास की समाप्ति पर एक पत्रकार आचार्यश्री के चरणों में उपस्थित हुआ और बोला—मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आचार्यश्री ने कहा—“मैंने अभिशाप और दुराशीप कब दी थी? तुमने चार महीने जी भरकर हमारे विरुद्ध लिखा, न लिखने की बात भी लिखी पर मैंने कभी तुम्हारे प्रति दुर्भावना नहीं की, क्या यह आशीर्वाद नहीं

है ? मैं उस समय भी अपनी साधना में था, आज भी अपनी साधना में हूँ । तुम्हारे प्रति मुझे कोई रोप नहीं है । हा, इस बात की प्रसन्नता है कि किसी भी समय यदि मनुष्य में अध्यात्म के भाव जागते हैं तो वह श्रेय का पथ है ।” यह घटना उनके सहिष्णु व्यक्तित्व की कथा कह रही है । आलोचनाएं सुन-सुनकर आचार्यश्री की मानसिकता इतनी परिपक्व हो गयी है कि उनके मन पर विरोधी वातावरण का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता ।

विनोबा भावे के छोटे भाई शिवाजी भावे महाराष्ट्र यात्रा में आचार्यश्री से मिले । मिलने का प्रयोजन बताते हुए उन्होंने कहा—“आपके विरोध में प्रकाशित साहित्य विपुल मात्रा में मेरे पास पहुंचा है । उसे देखकर मैंने सोचा, जिस व्यक्ति के विरोध में इतना साहित्य छपा है, जो विरोध का प्रतिकार विरोध द्वारा नहीं करता, निश्चय ही वह कोई प्राणवान् एवं जीवन्त व्यक्ति होना चाहिए । आपसे मिलने के बाद मन में आता है कि यदि मैं यहाँ नहीं आता तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा धोखा रह जाता ।”

युवाचार्य महाप्रज्जी कहते हैं—“ऐसा लगता है कि आचार्य तुलसी की जन्म कुंडली ख्याति और संघर्ष की कुंडली है । ख्याति और संघर्ष को अलग-अलग नहीं किया जा सकता । ख्याति संघर्ष को जन्म देती है और संघर्ष ख्याति को जन्म देता है । यह अनुभव से निष्पन्न सचाई है ।”

आचार्यश्री के जीवन में अनेक बार बाह्य और अंतरंग संघर्ष आये हैं । पर उन्होंने हर संघर्ष को समताभाव से सहन किया है ।

आचार्यश्री देवास में प्रवचन कर रहे थे । अचानक कुछ अज्ञानी लोगो ने पत्थर फेका । वह आचार्यश्री की पीठ पर लगा पर वे शांत रहे और इस घटना को तटस्थ भाव से देखते रहे । एक बार वे उज्जैन के रास्ते से गुजर रहे थे । एक भाई ने ड्रग एवं फूलमाला से स्वागत किया । पर आचार्यश्री मुस्कराकर आगे बढ़ गए । आचार्यश्री दोनों घटनाओं में मध्यस्थ रहे । न क्रोध, न प्रसन्नता । इन दोनों घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में वे स्वानुभव की चर्चा करते हुए कहते हैं—“समय कितना विचित्र होता है । देवास में पर्वतपुत्र (पत्थर) से कुछ लोगो ने स्वागत किया तो यहाँ पर तरुवरपुत्र (पुष्प) से स्वागत हो रहा है । पर हम तो दोनों को ही अस्वीकार करते हैं । वे कहते हैं—“मैं अपने विषय में अनुभव करता हूँ कि जैसे-जैसे अहिंसा का मर्म हृदयगम हुआ है, वैसे-वैसे अधिक मध्यस्थ बना हूँ ।”

महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा कनकप्रभाजी के शब्दों में उनका व्यक्तित्व निन्दा के वातूल से विचलित नहीं होता तथा प्रशंसा की थपकियों से प्रमत्त नहीं बनता, इसलिए वे महापुरुष हैं ।

इन घटनाओं के आलोक में आचार्य तुलसी की अहिंसा का मूर्त्तरूप स्वतः हमारे दृष्टिपथ पर अवतरित हो जाता है । उनकी यह तेजस्वी अहिंसा दूसरों के लिए भी अहिंसा, प्रेम और मैत्री का बोधपाठ बन सकती है ।

धर्म-चिन्तन

धर्म का स्वरूप

भारतीय सस्कृति की आत्मा धर्म है। यही कारण है कि यहा अनेक धर्म पल्लवित एव पुष्पित हुए हैं। सबने अपने-अपने ढंग से धर्म की व्याख्या की है।

सुप्रसिद्ध लेखक लार्ड मोर्ले ने लिखा है—“आज तक धर्म की लगभग १० हजार परिभाषाए हो चुकी हैं, पर उनमें भी जैन, बौद्ध आदि कितने ही धर्म इन व्याख्याओं से बाहर रह जाते हैं।” लार्ड मोर्ले की इस बात से यह चिन्तन उभर कर सामने आता है कि ये सब परिभाषाए धर्म-सम्प्रदाय की हुई हैं, धर्म की नहीं। आचार्य तुलसी कहते हैं—“सम्प्रदाय अनेक हो सकते हैं, पर उनमें निहित धर्म का सन्देश सबका एक है।”

आचार्य तुलसी ने क्लिष्ट शब्दावली से बचकर धर्म के स्वरूप को सहज एव सरल ढंग से प्रस्तुत किया है। उनके साफ, स्पष्ट, प्रौढ एव सुलभे हुए विचारों ने जनता में धर्म के प्रति एक नई जिज्ञासा, नया आकर्षण और नया विश्वास जागृत किया है। वे इस सत्य को स्वीकारते हैं कि हम जिस युग में धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, वह उपलब्धि की दृष्टि से वैज्ञानिक, शक्ति की दृष्टि से आणविक और शिक्षा की दृष्टि से बौद्धिक है। क्या अबौद्धिक, अबैज्ञानिक और शक्तिहीन पद्धति से धर्म का उत्कर्ष सम्भव है ?

. उनके द्वारा प्रतिपादित धर्म की कसौटी पर कट्टर नास्तिक भी अपने को धार्मिक कहने में गौरव का अनुभव करता है। धर्म के स्वरूप को विश्लेषित करती उनकी ये पक्तिया कितनी वैज्ञानिक एव वेधक बन पडी हैं—“मैं उस धर्म का पक्षपाती नहीं हूँ, जो केवल क्रियाकाण्डों तक सीमित है, जो जड़ उपासना पद्धति से सम्बन्धित है, जो अवस्था-वेशेप के बाद ही किया जाता है। अथवा जिसमें अन्य सब कार्यों से निवृत्त होने की अपेक्षा रहती है। मेरी दृष्टि में धर्म है—जीवन का स्वभाव।” वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं—“जो धर्म जीवन को परिवर्तन की दिशा नहीं देता, मनुष्य के व्यवहार में जीवन्त नहीं होता, वह धर्म नहीं, सम्प्रदाय है, क्रियाकाण्ड है, उपासना है।”

पथ, सम्प्रदाय या वर्ग तक ही धर्म को सीमित करने वालों की विवेक-चेतना जागृत करते हुए वे कहते हैं—“धर्म न तो पथ, मत, सम्प्रदाय,

मन्दिर या मस्जिद में है और न धर्म के नाम पर पुकारी जाने वाली पुस्तकें ही धर्म हैं। धर्म तो सत्य और अहिंसा है। आत्मशुद्धि का साधन है।" जिन लोगों ने सामाजिक सहयोग को धर्म का वाना पहना दिया है, उनको प्रति-बोध देते हुए उनका कहना है—“किसी को भोजन देना, वस्त्र की कमी में सहायता प्रदान करना, रोग आदि का उपचार करना अध्यात्म धर्म नहीं, किन्तु पारस्परिक सहयोग है, लौकिक धर्म है।”^१

आचार्य तुलसी एक ऐसे धर्म के पक्षधर हैं, जहां सुख-शांति की पावन गंगा-यमुना प्रवाहित होती है। इस विषय में वे कहते हैं—“मैं तो उसी धर्म का प्रचार व प्रसार करने में लगा हुआ हूँ, जो त्रस्त, दुःखी व व्याकुल मानव-जीवन को आत्मिक सुख-शांति व राहत की ओर मोड़ने वाला है, जो नारकीय धरातल पर खड़े जन-जीवन को सर्वोच्च स्वर्गीय धरातल की ओर आकृष्ट करने वाला है।”^२

इस सन्दर्भ में उनकी दूसरी टिप्पणी भी विचारणीय है—“मैं जिस धर्म की प्रतिष्ठा देखना चाहता हूँ, वह आज के भेदात्मक जगत् में अभेदात्मक स्वरूप की कल्पना है। धर्म को मैं निर्विशेषण देखना चाहता हूँ। आज तक उसके पीछे जितने भी विशेषण लगे, उन्होंने मनुष्य को बांटने का ही प्रयत्न किया है। इसलिए आज एक विशेषणरहित धर्म की आवश्यकता है, जो मानव-मानव को आपस में जोड़ सके। यदि विशेषण ही लगाना चाहे तो उसे मानव-धर्म कह सकते हैं। इस धर्म का स्थान मन्दिर, मठ या मस्जिद नहीं, अपितु मनुष्य का हृदय है।”^३

धार्मिक कौन ?

धर्म और धार्मिक को अलग नहीं किया जा सकता। धर्म धार्मिक के जीवन में मूर्त रूप लेता है किन्तु आज धार्मिक का व्यवहार धर्म के सिद्धान्तों से विपरीत है। आचार्य तुलसी कहते हैं—“मेरा विश्वास अधार्मिक को धार्मिक बनाने से पहले तथाकथित धार्मिक को सच्चा धार्मिक बनाने में है। आज अधार्मिक को धार्मिक बनाना उतना कठिन नहीं, जितना कठिन एक धार्मिक को वास्तविक धार्मिक बनाना है।^४ धर्मस्थान में धार्मिक और बाहर निकलते ही अन्याय, अत्याचार एवं शोषण—इस विरोधाभासी दृष्टिकोण के वे सख्त विरोधी हैं। धार्मिक के दोहरे व्यक्तित्व पर व्यंग्य करते हुए आचार्य तुलसी कहते हैं—“आज धार्मिक भगवान् से

१. एक वृद्ध : एक सागर, पृ० ७४१ ।

२. जैन भारती, ३० मई १९५४ ।

३. हिसार, स्वागत समारोह में प्रदत्त प्रवचन से उद्धृत ।

४. ५-७-८४ जोधपुर में हुए प्रवचन से उद्धृत ।

मिलना चाहते हैं, किन्तु पड़ोसी से मिलना नहीं चाहते । वे मन्दिर में जाकर भक्त कहलाना चाहते हैं लेकिन दुकान और बाजार में ग्राहको को धोखा देने से बचना नहीं चाहते ।”

धर्म जीवन का रूपान्तरण करता है । पर जिनमें परिवर्तन घटित नहीं होता उन धार्मिकों को सम्बोधित करते हुए वे कहते हैं—“मैं उन धार्मिकों से हैरान हूँ, जो पचास वर्षों से धर्म करते आ रहे हैं, किन्तु जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है ।”

धार्मिक की सबसे बड़ी पहचान है कि वह प्रेम और करुणा से भरा होता है । धार्मिक होकर भी व्यक्ति लडाई, भगडे, दगे-फसाद करे, यह देखकर आश्चर्य होता है । इस विषय में आचार्य तुलसी दुःख भरे शब्दों में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं—“धार्मिक अधर्म से लडे, यह तो समझ में आता है, किन्तु एक धार्मिक दूसरे धार्मिक से लडे, यह दुःख का विषय है ।”

वे धर्म और नैतिकता को विभक्त करके नहीं देखते । धार्मिक होकर यदि व्यक्ति नैतिक नहीं है तो यह धर्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा विरोधाभास है । वे इस बात को गणितीय भाषा में प्रस्तुत करते हैं—“आज देश की लगभग ८० करोड़ की आबादी में सत्तर करोड़ जनता धार्मिक मिल सकती है पर जहाँ तक ईमानदारी का प्रश्न है, दो करोड़ भी सम्भव नहीं है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि वेईमान धार्मिकों की संख्या अधिक है ।”^१ वे कहते हैं—“एक धार्मिक कहलाने वाला व्यक्ति चरित्रहीन हो, हिंसा पर उतारू हो, आक्राता हो, धोखाधड़ी करने वाला हो, छुआछूत में उलझा हुआ हो, शराब पीता हो, दहेज की माग करता हो और भी अनेक अनैतिक आचरण करता हो, क्या वह धार्मिक कहलाने का अधिकारी है ?”^२

सच्चे धार्मिक की पहचान बताते हुए वे कहते हैं—“अशांति में जो अदमी शांति को ढूँढ निकालता है, अपवित्रता में से जो पवित्रता को ढूँढ लेता है, असन्तुलन में से जो सन्तुलन को खोज लेता है और अन्धकार में से प्रकाश को ढूँढ लेता है, वह धार्मिक है ।”^३

वे धार्मिक की कसौटी मन्दिर या धर्मस्थान में जाना नहीं मानते अपितु उसकी सही कसौटी दुकान पर बैठकर पवित्र रहना मानते हैं ।^४ इसी बात को वे साहित्यिक शैली में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं—

१. विज्ञप्ति स० ८२७ ।

२. एक वूद : एक सागर, पृ० ६१ ।

३. क्या धर्म बुद्धिगम्य है ? पृ० १२ ।

४ १३-७-६९ के प्रवचन से उद्धृत ।

“अप्रमाणिक या अनैतिक जीवन में धार्मिक होने का दावा फटे टाट में रेणमी पैवन्द लगाने जितना उपहासास्पद है।”

उनके साहित्य में उन लोगों के समक्ष अनेक ऐसे प्रश्न उपस्थित हैं, जो पीढियों से अपने को धार्मिक मानते आ रहे हैं। ये प्रश्न उन्हें अपने बारे में नए ढंग से सोचने को विवश करते हैं तथा अन्तर में भाकने के लिए प्रेरित करते हैं। यद्यपि ये प्रश्न बहुत सामान्य एवं व्यावहारिक हैं पर रूपांतरण घटित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यहाँ कुछ प्रश्नों को उपस्थित किया जा रहा है:—

१. समता या मैत्री का व्रत लिया है, पर दूसरों के प्रति क्रूरता कम हुई या नहीं, इसकी आलोचना करे।
२. सत्य के प्रति निष्ठा दरसाई है, पर ईमानदारी की वृत्ति बढ़ी या नहीं, इसका अनुवीक्षण करे।
३. सरल जीवन विताने का संकल्प लिया है। पर वक्रता का भाव छूटा या नहीं, इसे टटोले।
४. समय का पथ चुना है, पर जीवन की आवश्यकताएं कम हुई या नहीं, मुड़कर देखे।^१

धर्म और राजनीति

धर्म और राजनीति दो भिन्न-भिन्न धाराएँ हैं। दोनों का उद्देश्य भी भिन्न-भिन्न है। धर्म व्यक्तित्व रूपांतरण की प्रक्रिया है और राजनीति राज्य को सही दिशा में ले चलने वाली प्रक्रिया। आचार्य तुलसी के शब्दों में राजनीति का सूत्र है—दूसरों को देखो और धर्मनीति का सूत्र है—अपने आपको देखो।” आचार्य तुलसी की यह बहुत स्पष्ट अवधारणा है कि धर्म जब अपनी मर्यादा से दूर हटकर राज्य सत्ता में घुलमिल जाता है तो वह विपत्ति से भी अधिक घातक बन जाता है।^२ उनका चिन्तन है कि यदि राजनीति से धर्म का विसंबंधन नहीं रहा तो वह विरोध, संघर्ष और युद्ध का साधनमात्र रह जाएगा।^३ जहाँ कहीं धर्म का राजनीति के साथ गठबन्धन कर उसे जनता पर थोपा गया, वहाँ हिंसा और रक्तपात ने समूचे राष्ट्र में तवाही मचा दी।^४ इसका कारण स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं—“राजनीति अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए हिंसा के कंधे पर सवारी कर लेती है पर धर्म का हिंसा के साथ दूर का भी रिश्ता नहीं है।”

१. पथ और पाथेय, पृ० ९१-९२।
२. धर्म और भारतीय दर्शन, पृ० ५।
३. जैन भारती, ८ मई १९५५।
४. एक बूढ़ : एक सागर, पृ० ७४०।

आचार्य तुलसी के उपरोक्त चिन्तन ने उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण पैदा किया है कि अनेक राष्ट्र-नायक समय-समय पर उनके चरणों में उपस्थित होते रहते हैं पर आचार्यश्री अपना अनुभव इन शब्दों में व्यक्त करते हैं—धर्माचार्य और राजनीतिक के मिलन का अर्थ यह कभी नहीं है कि धर्म और राजनीति एक हो गए। राजनीति ने बहुत बार हमारे दरवाजे पर आकर दस्तक दी है, पर हमने उसे विनम्रतापूर्वक लौटा दिया।”

धर्म और राजनीति को विरोधी मानते हुए भी आचार्य तुलसी आज की भ्रष्ट, स्वार्थी, पदलोलुप और मायायुक्त राजनीति की छवि को स्वच्छ बनाने के लिए राजनीति में धर्मनीति का समावेश आवश्यक मानते हैं। उनका चिन्तन है कि निस्पृह होने के कारण धर्मनेता में ही वह शक्ति होती है कि वे राजनीति पर अकुश रख सकें, उसे उच्छृंखल होने से बचा सकें। वे अनेक बार अपनी प्रवचन सभाओं में स्पष्ट कहते हैं—“यदि धर्म नहीं रहा तो राजनीति अनीति बन जाएगी। उसकी सफलता क्षणस्थायी होगी या फिर वह असफल, भ्रष्ट और दलबदलू हो जाएगी। पर, आचार्य तुलसी धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप नैतिक नियन्त्रण और मार्गदर्शन तक ही उचित मानते हैं, उससे आगे नहीं। प्रसिद्ध साहित्यकार सरदारपूर्णसिंह ‘सच्ची वीरता’ में यहाँ तक लिख देते हैं कि हमारे असली और सच्चे राजा ये साधु पुरुष ही हैं।

धर्म और राजनीति में समन्वय करता हुआ उनका निम्न उद्धरण आज की दिशाहीन राजनीति को नया प्रकाश देने वाला है—“धर्म के चार आधार हैं—क्षाति, मुक्ति, आर्जव और मार्दव। मुझे लगता है लोकतन्त्र के भी चार आधार हैं। लोकतन्त्र के सन्दर्भ में क्षाति का अर्थ होगा—सहिष्णुता। मुक्ति का अर्थ होगा—निर्लोभता या पद के प्रति अनासक्ति। ऋजुता का अभिप्राय होगा—मन, वचन और शरीर की सरलता, कुटिलता का अभाव तथा मार्दव का अर्थ होगा—व्यवहार की मृदुता, विरोधी दल पर छोटाकशी का अभाव।”^१

धर्म और राजनीति इन दो विरोधी तत्त्वों में सामंजस्य करते हुए उनका चिन्तन कितना सटीक है—“यद्यपि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि धर्म की विकृतियों को मिटाने के लिए राजनीति और राजनीति की विकृतियों को मिटाने के लिए धर्म का अपना उपयोग है। पर जब इन्हें एकमेक कर दिया जाता है तो अनेक प्रकार की समस्याएँ खड़ी होती हैं। अभी कुछ राष्ट्रों में इन्हें एकमेक किया जा रहा है पर इससे समस्याएँ भी बढ़ी हैं।”^२

१. १-१२-६९ के प्रवचन से उद्धृत।

२. जैन भारती, १६ अगस्त १९७०।

आचार्य तुलसी ने राष्ट्र की अनेक समस्याओं का हल राजनेताओं के समक्ष प्रस्तुत किया है क्योंकि उनकी दृष्टि में राजनैतिक वादों की समस्याओं का हल भी धर्म के पास है। साम्यवाद और पूजीवाद का सामंजस्य करते हुए ५० वर्ष पूर्व कही गयी उनकी निम्न टिप्पणी कितनी महत्त्वपूर्ण है—

“अमर्यादित अर्थ-लालसा समस्या का मूल है। पूजीपति शोषण की मुरझा दान की आड में चाहते हैं। पर अब वह युग बीत गया है। पूजीपति यदि संग्रह के विसर्जन की बात नहीं समझे तो वैपश्य का चालू प्रवाह न एटमवम और उद्जनवम से रुकेगा और न अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण से। आज के त्रस्त जन-हृदय में विप्लव है।.....संग्रह की निष्ठा आज हिंसा को निर्मंत्रण है। आवश्यकताओं का अल्पीकरण अपरिग्रह की दिशा है। यही पूजीवाद और साम्यवाद के तनाव को मिटाने का व्यवहार्य मार्ग है।”

उनके इसी समाधायक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह ने हजारों की उपस्थिति में आचार्यश्री के चरणों में अपनी भावना प्रस्तुत करते हुए कहा—“आपको सरकार की नहीं, अपितु सरकार को आपकी जरूरत है।”

धर्म और विज्ञान

धर्म और विज्ञान को विरोधी तत्त्व मानकर बहुत सारे धर्माचार्य विज्ञान की उपेक्षा करते रहे हैं। यही कारण है कि अध्यात्म और विज्ञान परस्पर लाभान्वित नहीं हो सके। आचार्य तुलसी ने इस दिशा में एक नई पहल करते हुए दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का सफल प्रयत्न किया है। वे धर्म और विज्ञान को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं जिनको कि अलग नहीं किया जा सकता। वे बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि धर्म की तेजस्विता विज्ञान से ही संभव है, क्योंकि विज्ञान प्रयोग से जुड़ा होने के कारण धर्म को दृढ़ होने से बचाता है। साथ ही प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करके विज्ञान ने जो शक्ति मानव के हाथों में सौंपी है, उस शक्ति का मही उपयोग धार्मिक हाथों से ही संभव है।^१

उनका अनुभव है कि धर्म और विज्ञान एक-दूसरे के पूरक और सापेक्ष होकर चले तो भारतीय संस्कृति में नव उन्मेष संभव है। क्योंकि विज्ञान जहाँ बाह्य मुख-भुविधा प्रदान करता है, वहाँ अध्यात्म आन्तरिक पवित्रता एवं मुख-शांति देता है। सन्तुलित एवं शांतिपूर्ण जीवन के लिए दोनों आवश्यक हैं। अन्यथा ये दोनों खण्डित सत्य को ही अभिव्यक्ति देते रहेंगे।^{१३}

१. नैतिकता की ओर, पृ० ४।

२. जैन भारती, १४ सितम्बर १९६९।

३. २७-८-६९ के प्रवचन से उद्धृत।

अपने एक प्रवचन में दोनों की उपयोगिता एवं कार्यक्षेत्र पर प्रकाश डालते हुए वे कहते हैं—“विज्ञान की आशातीत सफलता देखकर लगता है, विज्ञान के बिना मनुष्य की गति नहीं है। पर साथ ही आंतरिक शक्ति के विकास बिना बाह्य शक्ति का विकास अपूर्ण ही नहीं, विनाशकारी भी है।^१ एक गेय गीत में भी वे इस सत्य का सगान करते हैं—

“कोरी आध्यात्मिकता युग को त्राण नहीं दे पाएगी,
कोरी वैज्ञानिकता युग को प्राण नहीं दे पाएगी,
दोनों की प्रीत जुड़ेगी, युगधारा तभी मुड़ेगी।”

उनका सन्तुलित दृष्टिकोण जहाँ दोनों की अच्छाई देखता है, वहाँ बुराई की भी समीक्षा करता है। विज्ञान की समालोचना करते हुए वे कहते हैं—“वर्तमान विज्ञान जड़ तत्त्वों की छान-बीन में लगा हुआ है। वह भौतिकवादी दृष्टिकोण के सहारे पनपा है अतः आत्म-अन्वेषण से उदासीन है।” इसी प्रकार धर्म के द्वारे में भी उनका चिन्तन स्पष्ट है—“जिस धर्म के सहारे सुख-सुविधा के साधन जुटाए जाते हैं, प्रतिष्ठा की कृत्रिम भूख को शांत किया जाता है, प्रदर्शन और आडम्बर को प्रोत्साहन दिया जाता है, उस धर्म की शरण से शांति नहीं मिल सकती।”^२

वे इस बात से चिन्तित हैं कि वैज्ञानिक आविष्कारों ने पृथ्वी का अनावश्यक दोहन प्रारम्भ कर दिया है। विश्व को पलक झपकते ही समाप्त किया जा सके, ऐसे अणुशस्त्रों का निर्माण हो चुका है। ऐसी स्थिति में उनका समाधायक मन कहता है कि अध्यात्म ही वह अकुश है, जो विज्ञान पर नियन्त्रण कर सकता है।

धर्म और सम्प्रदाय

साम्प्रदायिकता का उन्माद प्राचीनकाल से ही हिंसा एवं विध्वंस का ताड़व नृत्य प्रस्तुत करता रहा है। इतिहास गवाह है कि एक मुस्लिम शासक ने अपने राज्यकाल के ११ वर्षों में धर्म और प्रान्त के नाम पर खून की नदियाँ ही नहीं बहाईं बल्कि एक ग्रन्थालय का ईधन के रूप में उपयोग किया, जो १० लाख बहुमूल्य ग्रन्थों से परिपूर्ण था। वे पुस्तकें पाँच हजार रसोइयों के लिए छह मास के ईधन के रूप में पर्याप्त थी। इस दुष्कृत्य का तार्किक समाधान करते हुए साम्प्रदायिक अभिनिवेश में रगा वह शासक बोला—“यदि ये पुस्तकें कुरान के अनुकूल हैं तो कुरान ही पर्याप्त है। यदि कुरान के प्रतिकूल हैं तो काफ़िरो की पुस्तकों की कोई आवश्यकता नहीं।” धर्म और मजहब के नाम से ऐसे भीषण अत्याचारों से इतिहास के पृष्ठ भरे पड़े हैं।

१. जैन भारती, १४ सितम्बर १९६९।

२. खोए सो पाए, पृ० ६३।

किसी भी महापुरुष ने धर्म का प्रारम्भ किसी सीमित दायरे में नहीं किया पर उनके अनुगामी संख्या के व्यामोह में सम्प्रदाय के घेरे में बन्ध जाते हैं तथा धर्म के स्वरूप को विकृत कर देते हैं। सम्प्रदाय के सन्दर्भ में आचार्य तुलसी का चिन्तन ब्रह्म स्पष्ट एवं मौलिक है—“मेरी आस्था इस बात में है कि सम्प्रदाय अपने स्थान पर रहे और उसका उपयोग भी है किन्तु वह सत्य का स्थान न ले। सत्य का माध्यम ही बना रहे, स्वयं सत्य न बने।”^१

आचार्य तुलसी के अनुसार संप्रदाय के नाम पर मानव जाति की एकता और अखंडता को बांटना अक्षम्य अपराध है। इस सन्दर्भ में उनका चिन्तन है कि भौगोलिक सीमा, जाति आदि ने मनुष्य जाति को बाटा तो उसका आधार भौतिक था। इसलिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता पर धर्म-सम्प्रदाय ही मानव जाति को विभक्त कर डाले, यह अक्षम्य है।^२ उनका चिन्तन है कि जो लोगो को बांटते हैं, ऐसे तथाकथित धार्मिकों से तो वे नास्तिक ही भले हैं, जो धर्म को नहीं मानते तो धर्म के नाम पर ठगी भी नहीं करते।^३

आचार्य तुलसी का मानना है कि साम्प्रदायिक भावनाओं को प्रश्रय देने वाले संप्रदाय खतरे से खाली नहीं हैं। उनका भविष्य कालिमापूर्ण है।^४ एक धर्म-सम्प्रदाय के आचार्य होते हुए भी वे स्पष्ट कहते हैं—“एक संप्रदाय के लोग दूसरे सम्प्रदाय पर कीचड़ उछालें और यह कहे—धर्म तो हमारे सम्प्रदाय में है अन्य सब भूठे हैं। हमारे सम्प्रदाय में आने से ही मुक्ति होगी यह सकुचित दृष्टि समाज का अहित कर रही है।”^५

आचार्य तुलसी ने अपने साहित्य में साम्प्रदायिकता का जितना विरोध किया है उतना किसी अन्य आचार्य ने किया हो, यह इतिहासकारों के लिए खोज का विषय है। अपने एक प्रवचन में वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं—“संप्रदायवादी बातों से मुझे चिढ़ हो गयी है। फलतः मुझे ऐसा अभ्यास हो गया है कि मैं एक महीने तक निरन्तर प्रवचन करूँ, उसमें धर्म विशेष का नाम लिए बिना मैं नैतिक बातें कह सकता हूँ। मैं अपनी प्रवचन सभाओं में ऐसे प्रयोग करता रहता हूँ, जिससे कट्टरपन्थी विचारकों को भी मुक्तभाव से सोचने का अवसर मिले। इतना ही नहीं, जहाँ साम्प्रदायिक संकीर्णता नहीं, वह समारोह किसी भी जाति का हो, किसी भी सम्प्रदाय द्वारा आयोजित

१. एक वृद्ध : एक सागर, पृ० १७२३।

२. जैन भारती, १६ मई १९५४।

३. वहता पानी निरमला, पृ० ९८।

४. जैन भारती, २० अप्रैल १९५८।

५. दक्षिण के अंचल में, पृ० ७१८।

हो, नैतिक एव आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए मैं सदैव उनके साथ हूँ और रहूँगा ।^१

आचार्य तुलसी का स्पष्ट कथन है कि सम्प्रदायो की अनेकता धर्म की एकता को खंडित नहीं कर सकती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आपसे एक सम्प्रदाय है । सम्प्रदाय को मिटाने का अर्थ है—व्यक्ति के अस्तित्व को मिटाना ।^२ साथ ही वे यह भी कहते हैं कि जिस प्रकार धूप और छाव को किसी घर के अन्दर बन्द नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार धर्म को भी किसी एक संप्रदाय या वर्ग तक सीमित नहीं किया जा सकता । धर्म तो आकाश की तरह व्यापक है, संप्रदाय तो उसमें भाँकने की खिडकिया है ।”

आचार्य तुलसी ने अणुव्रत के मंच पर सब धर्म के वक्ताओं को उन्मुक्त भाव से आमन्त्रित किया है । बम्बई में फादर विलियम अणुव्रत के द्वारे में अपने विचार व्यक्त करने लगे । कार्यक्रम समाप्ति पर एक भाई आचार्यश्री के पास आकर बोला—“आपने फादर विलियम को अपने मंच पर खड़ा करके खतरा मोल लिया है । तेरापन्थी भाई उसके भाषण से प्रभावित होकर ईसाई बन जाएंगे ।” आचार्यश्री ने उस भाई को उत्तर देते हुए कहा—“एक अन्य सम्प्रदाय का व्यक्ति यदि अपने जीवन पर अणुव्रत के प्रभाव को व्यक्त करता है तो इससे अन्य लोगों को भी अणुव्रती बनने की प्रेरणा मिलती है । इस स्थिति में यदि कोई तेरापन्थी ईसाई बनता है तो मुझे कोई चिन्ता नहीं । मैं तो ऐसे अनुयायी देखना चाहता हूँ जो विरोधी तत्त्वों को सुनकर भी अप्रकम्पित रहे ।”^३ इस घटना के आलोक में उनके उदार एव असाम्प्रदायिक विचारों को पढा जा सकता है ।

रायपुर के अशांत एव हिंसक वातावरण में वे सार्वजनिक प्रवचन में स्पष्ट शब्दों में कहते हैं—“यदि मेरे अनुयायी साम्प्रदायिक अशांति में योग देने की भावना रखेंगे तो मैं उनसे यही कहूँगा कि उन्होंने आचार्य तुलसी को पहचाना नहीं है ।” इसी सन्दर्भ में एक पत्रकार के साथ हुई वार्ता को उद्धृत करना भी अप्रासंगिक नहीं होगा । पत्रकार “आचार्यजी ! क्या आप अणुव्रत के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को तेरापन्थी बनाने की दान तो नहीं सोच रहे हैं ? आचार्यश्री—“यदि आप ऐसा सोचते हैं तो समझिए आप अधिकार में हैं, असम्भव कल्पना लेकर चलते हैं ।” अणुव्रत की ओट में सम्प्रदाय बढ़ाने की बात सोचना क्या जनता के साथ धोखा नहीं होगा ? मेरी मान्यता है कि अणुव्रत के प्रकाश में व्यक्ति अपना जीवन देखे और उसे

१ एक वृद्ध · एक सागर, पृ० १७२२ ।

२. जैन भारती, १२ नव० १९६१ ।

३. जैन भारती, १८ नव० ६२ ।

सही पथ पर ले चले । फिर चाहे वह जैन, बौद्ध, मुस्लिम या ईसाई कोई भी हो । किसी भी जाति, दल या समाज का हो ।”

ऐसे हजारों प्रसंगों को उद्धृत किया जा सकता है जो अणुव्रत के व्यापक, असाम्प्रदायिक और सार्वजनीन स्वरूप को प्रकट करते हैं ।

साम्प्रदायिक उन्माद को दूर करने हेतु उनका चिन्तन है कि जितना बल उपासना पर दिया जाता है, उससे अधिक बल यदि क्षमा, सत्य, समय, त्याग आदि पर दिया जाए तो धर्म प्रधान हो सकता है और सम्प्रदाय गौण ।” उनके विशाल चिन्तन का निष्कर्ष यही है कि धर्म वही कुण्ठित होता है, जहाँ धार्मिक या धर्मनेता धर्म की अपेक्षा सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा का ख्याल अधिक रखते हैं ।”

धार्मिक सद्भाव

आचार्य तुलसी ने धर्म के क्षेत्र में एकता और समन्वय का उद्घोष किया है । उन्हें इस बात का आश्चर्य होता है कि जो धर्म एक दिन सभी प्रकार के भगडों का निपटारा करता था, उसी धर्म के लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं ।^१ साम्प्रदायिक उन्माद से होने वाली हिंसा एवं अकृत्य को देखकर वे अनेक बार खेद प्रकट करते हुए कहते हैं “धार्मिक समाज के हीनत्व की बात जब भी मेरे कानों में पडती है, मुझे अत्यन्त पीड़ा की अनुभूति होती है । मैं सहअस्तित्व और समन्वय में विश्वास करता हूँ । इसलिए मैंने सभी समाजों और सम्प्रदायों के साथ समन्वय साधने का प्रयत्न किया है । इस संदर्भ में उनकी निम्न उक्ति मननीय है—“एक धर्माचार्य होते हुए भी मुझे खेद के साथ कहना पडता है कि दो विरोधी राजनेता परस्पर मिल सकते हैं, शांति से विचार-विनिमय कर सकते हैं, किन्तु दो धर्माचार्य नहीं मिल सकते । धर्म गुरुओं की पारस्परिक ईर्ष्या, कलह और विद्वेष को देखकर लगता है पानी में आग लग गई । बधुओं ! मैं इस आग को बुझाना चाहता हूँ । और इसके लिए आप सबका सहयोग चाहता हूँ ।”^२ निम्न दो उद्धरण भी उनके उदार मानस के परिचायक हैं—

“मैं चाहता हूँ कि भारत के सभी धर्म फले-फूले । अपनी बात कहता हूँ कि मैं किसी धर्म पर आक्षेप करता नहीं, करना चाहता नहीं और करने देता नहीं ।”^४

१ क्या धर्म बुद्धिगम्य है ? पृ० १३ ।

२ विवरण पत्रिका, अप्रैल १९४७ ।

३ दक्षिण के अचल में, पृ. ३४५ ।

४. एक बंद : एक सागर, पृ० १७२३ ।

“मैं नहीं मानता कि धर्म का सम्पूर्ण अधिकारी मैं ही हूँ, दूसरे सब अधार्मिक हैं। मैं अपने साथ उन सब व्यक्तियों को धार्मिक मानता हूँ, जिनका विश्वास सत्य में है, अहिंसा में है, मैत्री में है।”^१

जन-जीवन में समन्वय एवं सौहार्द की प्रेरणा भरने हेतु वे अपने साहित्य में अनेक बार इस बात को दोहराते रहते हैं—“एक धार्मिक सम्प्रदाय, इतर धार्मिक सम्प्रदाय के साथ अमानवीय व्यवहार करता है। एक दूसरे पर आक्षेप व छीटाकशी करता है, एक के विचारों को विकृत बनाकर लोगों को भड़काने व वहकाने के लिए प्रचार करता है तो यह अपने आपके साथ धोखा है। अपनी कमजोरी का प्रदर्शन है। अपने दुष्कृत्यों का रहस्योद्घाटन है और अपनी सकीर्ण भावना व तुच्छ मनोवृत्ति का परिचायक है।”^२

उनके असांख्यिक एवं उदार दृष्टि के उदाहरण में निम्न प्रवचनाश को उद्धृत किया जा सकता है—“मुझसे कई बार लोग पूछते हैं—सबसे अच्छा कौन-सा धर्म है? मैं कहा करता हूँ—“सबसे अच्छा धर्म वही है, जो धर्मानुयायियों के जीवन में अहिंसा और सत्य की व्याप्ति लाए। जिसका पालन करने वालों का जीवन त्याग, समय और सदाचरण की ओर झुका हो।”^३ वे स्पष्ट उद्घोषणा करते हैं—“मेरा सम्प्रदाय ही श्रेष्ठ है—यह सोचना धार्मिक उन्माद का प्रतिफल है और चितन शक्ति का दारिद्र्य है।”^४

आचार्य तुलसी धर्म को इतना व्यापक देखना चाहते हैं कि वहाँ तब और मम का भेद ही न रहे। वे अपनी मनोभावना प्रकट करते हैं कि मैं उस समय का इंतजार कर रहा हूँ, जब बिना किसी जातिभेद के मानव-मानव धर्मपथ पर प्रवृत्त होगा।^५

आचार्य तुलसी धार्मिक सद्भाव एवं समन्वय के परिपोषक हैं पर उनकी दृष्टि में धर्म-समन्वय का अर्थ अपने सिद्धांतों को ताक पर रखकर अपने आपका विलय करना कतई नहीं है। पाँचों अंगुलियों को एक बनाने जैसी काल्पनिक एकता को वे बहुमूल्य नहीं मानते। वे मानते हैं कि व्यक्तिगत रुचि, आस्था, मान्यता आदि सदा भिन्न रहेगी, पर उनमें आपसी टकराव न हो, परस्पर सहयोग, सद्भाव एवं सापेक्षता बनी रहे, यह आवश्यक है।^६

१ जैन भारती, ९ नवम्बर १९६९।

२ जैन भारती, २० जून १९५४।

३ जैन भारती, ८ अप्रैल १९५६।

४ एक बूद : एक सागर, पृ. ७६४।

५ १-१२-६४ के प्रवचन से उद्धृत।

६. राजपथ की खोज, पृ. १८२।

समन्वय की व्याख्या उनके शब्दों में इस प्रकार है—“मेरे अभिमत में सद्भाव और समन्वय का अर्थ है—मतभेद रहते हुए, भी मनभेद न रहे, अनेकता में एकता रहे।^१ अपने विचारों को सशक्त भाषा में रखें पर दूसरों के विचारों को काटकर या तिरस्कृत करके नहीं। स्वयं द्वारा स्वीकृत सही मित्रांतो के प्रति दृढ़ विश्वास रहे पर दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता हो।^२ आचार्य तुलसी के विचार में सर्वधर्मसद्भाव का विचार अनाग्रह की पृष्ठभूमि पर ही फलित हो सकता है।

सर्वधर्म एकता के लिए, उन्होंने रायपुर चातुर्मास (सन् १९७०) में त्रिमूर्ती कार्यक्रम की रूपरेखा भी प्रस्तुत की—^३

१. सभी धर्म-सम्प्रदायों के आचार्य या नेता समय-समय पर परस्पर मिलते रहे। ऐसा होने से अनुयायी वर्ग एक दूसरे के निकट आ सकता है और भिन्न-भिन्न संप्रदायों के बीच मैत्री भाव स्थापित हो सकता है।
२. समस्त धर्मग्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन हो। ऐसा होने में धर्म-सम्प्रदायों में वैचारिक निकटता बढ़ सकती है।
३. समस्त धर्मों से कुछ ऐसे मित्रान तैयार किए जाएं जो सर्वसम्मत हों। उनमें संप्रदायवाद की गंध न रहे, ताकि उनका पालन करने में किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति को कठिनाई न हो।

असाम्प्रदायिक धर्म : अणुव्रत

एक धर्मसंघ एवं सम्प्रदाय से प्रतिवद्ध होने पर भी आचार्य तुलसी का दृष्टिकोण असाम्प्रदायिक रहा है। इस बात की पुष्टि के लिए निम्न उद्धरण पर्याप्त होंगे—

- ० जैन धर्म मेरी रग-रग में, नस-नस में समा हुआ है, किन्तु साम्प्रदायिक दृष्टि से नहीं, व्यापक दृष्टि से। क्योंकि मैं सम्प्रदाय में रहता हूँ पर सम्प्रदाय मेरे दिमाग में नहीं रहता।
- ० तेरापंथ किसी व्यक्ति विशेष या वर्गविशेष की थाती नहीं है वल्कि जो प्रभु के अनुयायी हैं, वे सब तेरापंथ के अनुयायी हैं और जो तेरापंथ के अनुयायी हैं, वे सब प्रभु के अनुयायी हैं।^४
- ० मैं मोक्षता हूँ मानव जाति को कुछ नया देना है तो साम्प्रदायिक दृष्टि से नहीं दिया जा सकता, संकीर्ण दृष्टि से नहीं दिया जा सकता, व्यापक

१. जैन भारती, २१ अप्रैल १९६८।

२. अमृत महोत्सव स्मारिका पृ० १३।

३. समाधान की ओर, पृ. ४२।

४. जैन भारती, २६ जून १९५५।

दृष्टि से ही दिया जा सकता है। यही कारण है कि मैंने सम्प्रदाय की सीमा को अलग रखा और धर्म की सीमा को अलग।”

इसी व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर आचार्य तुलसी ने असाम्प्रदायिक धर्म का आंदोलन चलाया, जो जाति, वर्ण, वर्ग, भाषा, प्रांत एवं धर्मगत संकीर्णताओं से ऊपर उठकर मानव-जाति को जीवन-मूल्यों के प्रति आकृष्ट कर सके। इस असाम्प्रदायिक मानव-धर्म का नाम है— ‘अणुव्रत आंदोलन।’ अणुव्रत को असाम्प्रदायिक धर्म के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला उनका निम्न उद्धरण इसकी महत्ता के लिए पर्याप्त है—

“इतिहास में ऐसे धर्मों की चर्चा है, जिनके कारण मानव जाति विभक्त हुई है। जिन्हें निमित्त बनाकर लडाइया लडी गई है किन्तु विभक्त मानव जाति को जोड़ने वाले अथवा सघर्ष को शान्ति की दिशा देने वाले किसी धर्म की चर्चा नहीं है। क्यों? क्या कोई ऐसा धर्म नहीं हो सकता, जो संसार के सब मनुष्यों को एकसूत्र में बांध सके। अणुव्रत को मैं एक धर्म के रूप में देखता हूँ पर किसी संप्रदाय के साथ इसका गठबन्धन नहीं है। इस दृष्टि से मुझे यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि अणुव्रत धर्म है, पर यह किसी वर्ग विशेष का धर्म नहीं है।”^१

अणुव्रत जीवन को अखड बनाने की बात कहता है। अणुव्रत के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति मंदिर में जाकर भक्त बन जाए और दुकान पर बैठकर क्रूर अन्यायी। अणुव्रत कहता है—“तुम मंदिर, मस्जिद, चर्च कहीं भी जाओ या न जाओ, अगर रिश्वत नहीं लेते हो, बेईमानी नहीं करते हो, आवेश के अधीन नहीं होते हो, दहेज की माग नहीं करते हो, व्यसनो को निमंत्रण नहीं देते हो, अस्पृश्यता से दूर हो तो सही माने में धार्मिक हो।”^२

धार्मिकता के साथ नैतिकता की नयी सोच देकर अणुव्रत ने एक नया दर्शन प्रस्तुत किया है। पहले धार्मिकता के साथ वैवल परलोक का भय जुड़ा था। उसे तोड़कर अणुव्रत ने इहलोक सुधारने की बात कही तथा धर्माराधना के लिए कोई खास देश या काल की प्रतिबद्धता निर्धारित नहीं की।

भारत के गिरते नैतिक एवं चारित्रिक मूल्यों को देखकर अणुव्रत ने एक आवाज उठाई—“जिस देश के लोग धार्मिकता का दंभ नहीं भरते, वहाँ अनैतिक स्थिति होती है तो क्षम्य हो सकती है क्योंकि उनके पास कोई

१. वैसाखिया विश्वास की, पृ० ५।

२. एक बूंद : एक सागर, पृ० ४९।

आध्यात्मिक दर्शन नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। किन्तु यह विपम स्थिति महावीर, बुद्ध और गांधी के देण में हो रही है, जहाँ से सारे संसार को चरित्र की शिक्षा मिलती थी। भारत की माटी के कण-कण में महापुरुषों के उपदेश की प्रतिध्वनियाँ हैं। यहाँ गाव-गाव में मंदिर हैं, मठ हैं, धर्मस्थान हैं, धर्मोपदेशक हैं। फिर भी यह चारित्रिक दुर्बलता! एक अनुत्तरित प्रश्न आज भी आकांत मुद्रा में खड़ा है।”

अणुव्रत के माध्यम से आचार्य तुलसी अपने संकल्प की अभिव्यक्ति निम्न शब्दों में करते हैं—“अणुव्रत ने यह दावा कभी नहीं किया है कि वह इन धरती से भ्रष्टाचार की जड़ें उखाड़ देगा। वह सदाचार की प्रेरणा देता है और तब तक देता रहेगा, जब तक हर मुवह का मूरज अन्धकार को चुनीती देकर प्रकाश की वर्षा करता रहेगा।”

अणुव्रत की आचार संहिता से प्रभावित होकर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा राजेन्द्रप्रसाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहते हैं—“अणुव्रत आंदोलन का उद्देश्य नैतिक जागरण और जनसाधारण को मन्मार्ग की ओर प्रेरित करना है। यह प्रयास अपने आपसे इतना महत्त्वपूर्ण है कि इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। आज के युग में जबकि मानव अपनी भौतिक उन्नति से चकाचौंध होता दिखाई दे रहा है और जीवन के नैतिक और आध्यात्मिक तत्त्वों की अवहेलना कर रहा है, वहाँ ऐसे आंदोलनों के द्वारा ही मानव अपने संतुलन को बनाए रख सकता है और भौतिकवाद के विनाशकारी परिणामों से बचने की आशा कर सकता है।”

अणुव्रत आंदोलन ने अपने व्यापक दृष्टिकोण से सभी धर्मों के व्यक्तियों को धर्म एवं नैतिक मूल्यों के प्रति आस्थावान् बनाया है। वह किसी की व्यक्तिगत आस्था या उपासना पद्धति में हस्तक्षेप नहीं करता। व्यक्ति अपने जीवन को पवित्र एवं चरित्र को उन्नत बनाए, यही अणुव्रत का उद्देश्य है।

अणुव्रत आंदोलन का जन-जन में प्रचार करते हुए आचार्य तुलसी अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं—“हिन्दुस्तान की एक विशेषता मैंने देखी कि मुझे इस देश में कोई नास्तिक नहीं मिला। ऐसे लोग, जिन्होंने प्रथम बार में धर्म के प्रति असहमति प्रकट की, किन्तु अणुव्रत धर्म की असाम्प्रदायिक एवं व्यावहारिक व्याख्या सुनकर वे स्वयं को धार्मिक मानने में गौरव की अनुभूति करने लगे।” आचार्य तुलसी के शब्दों में अणुव्रत आंदोलन के निम्न फलित हैं—

१. अनैतिकता की धूप : अणुव्रत की छत्ररी, पृ० १८०।

२. वैसाखियाँ विश्राम की, पृ० ४।

१. मानवीय एकता का विकास
२. सह अस्तित्व की भावना का विकास
३. व्यवहार में प्रामाणिकता का विकास
४. आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति का विकास
५. समाज में सही मानदण्डों का विकास ।

उच्च आदर्शों को लेकर चलने वाला यह आंदोलन जनसम्मत एवं लोकप्रिय होने पर भी आचरणगत एवं जीवनगत नहीं हो सका, इस कमी को वे स्वयं भी स्वीकार करते हैं—“यह बात मैं निःसंकोच रूप से स्वीकार कर सकता हूँ कि अणुव्रत सैद्धान्तिक स्तर पर जितना लोकप्रिय हुआ, आचरण की दिशा में यह इतना आगे नहीं बढ़ सका । इसका कारण है कि किसी भी सिद्धान्त को सहमति देना बुद्धि का काम है और उसे प्रयोग में लाना जीवन के बदलाव से सम्बन्धित है ।”^१

फिर भी आचार्य तुलसी अणुव्रत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति आश्वस्त हैं । इसके उज्ज्वल भविष्य की रूपरेखा उनके शब्दों में यों उतरती है—“इक्कीसवीं सदी के भारत का निर्माता मानव होगा और वह अणुव्रती होगा । अणुव्रती गृह सन्यासी नहीं होगा । वह भारत का आम आदमी होगा और एक नए जीवन-दर्शन को लेकर इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करेगा ।”^२

धार्मिक विकृतियाँ

आचार्य तुलसी के अनुसार धर्मक्षेत्र में विकृति आने का सबसे बड़ा कारण धर्म का पूजा के साथ गठबंधन होना है । वे मानते हैं—“जब-जब धर्म का गठबंधन पूजा के साथ हुआ, तब-तब धर्म अपने विशुद्ध स्थान से खिसका है । खिसकते-खिसकते वह ऐसी डावाडोल स्थिति में पहुँच गया है, जहाँ धर्म को अफीम कहा जाता है ।”^३ धन और धर्म को जब तक अलग-अलग नहीं किया जाएगा तब तक धर्म का विशुद्ध स्वरूप जनता तक नहीं पहुँच सकता । धर्म का धन से सम्बन्ध नहीं है इसको तर्क की कसौटी पर कसकर चेतावनी देते हुए वे कहते हैं—“मैं अनेक बार लोगों को चेतावनी देता हूँ कि यदि धर्म पैसे से खरीदा जाता तो व्यापारी लोग उसे खरीद कर गोदाम भर लेते । यह खेत में उगता तो किसान भारी सग्रह कर लेते ।”^४

जो लोग धर्म के साथ धन की बात जोड़कर अपने को धार्मिक मानते हैं, उन पर तीखा व्यंग्य करते हुए वे कहते हैं—“एक मनुष्य ने लाखों रुपया

१ अनैतिकता की धूप . अणुव्रत की छतरी, पृ १६५ ।

२. एक वृद्ध . एक सागर, पृ. ४८ ।

३. जैन भारती, २६ जून १९५५ ।

४. हस्ताक्षर, पृ ३ ।

दलैक मे कमाया, उसने दो हजार रुपयो से एक धर्मशाला बनवा दी, एक मंदिर बनवा दिया, अब वह सोचता है कि मानो स्वर्ग की मीठी ही नगा दी, यह दृष्टिकोण का मिथ्यात्व है। धर्म, धन से नहीं, त्याग और संयम से होता है।” इसी सद्वर्ष मे उनकी निम्न टिप्पणी भी मननीय है— “एक तरफ लाखो करोड़ों का दलैक तथा दूसरी तरफ लोगो को जूठी पत्तल खिलाकर पुण्य और स्वर्ग की कामना करना सचमुच बड़ी हास्यास्पद बात है।”

धर्मस्थानो मे पूजा की प्रतिष्ठा देखकर उनका हृदय क्रंदन कर उठता है। इस वेमेल मेल को उनका बौद्धिक मानस स्वीकार नहीं करता। धर्मस्थलो मे पूजाकरण के विरुद्ध उनकी निम्न पंक्तियां किननी मटीक हैं— “तीर्थस्थान, जो भजन और उपासना के केन्द्र थे, वे आज आपनी निंदा और अर्थ की चर्चा के केन्द्र हो रहे हैं। मंदिर, मठ, उपाश्रय और धर्मस्थानों में ऊपरी रूप ज्यादा रहता है। जिसके फर्श पर अच्छा पत्थर जटा होता है, मोहरे और हीरे चमकते रहते हैं, वह मंदिर अच्छा कहलाता है। मूर्ति, जो ज्यादा सोने से लदी होती है, बढिया कहलाती है। वह ग्रन्थ, जो सोने के अक्षरो मे लिखा जाता है, अधिक महत्वशील माना जाता है। ऐसा नगना है, मानो धर्म सोने के नीचे दब गया है।”

धर्म के क्षेत्र मे चलने वाली धांधली एवं रिश्वतखोरी पर करारा व्यंग्य करते हुए उनका कहना है— “यदि दर्शनार्थी मंदिर जाकर दर्शन करना चाहे तो पुजारी फौरन टका ना जवाब दे देगा कि अभी दर्शन नहीं हो सकेगे, ठाकुरजी पोढे हुए है। लेकिन यदि उससे घीरे से कहा जाए कि भइया ! दर्शन करके, इतने रुपये कलश मे चढाने है तो फौरन कहेगा— अच्छा ! मैं टोकरी बजाता हूं, देखें, ठाकुरजी जागते है या नहीं ?”

इसी संदर्भ में उनकी निम्न टिप्पणी भी विचारोत्तेजक है— “लोग भगवान् को प्रसन्न रखने के लिए उन्हे कीमती आभूषणो से सजाते है। उनकी सुरक्षा के लिए पहरेदारो को रखा जाता है। मैं नहीं समझता कि जो भगवान् स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वह दूसरो की सुरक्षा कैसे कर सकेगा ?”

महावीर ने अपार वैभव का त्याग करके दिगम्बर एवं अपरिग्रही जीवन जीया पर उनके अनुयायियों ने उन्हें आभूषणो से लाद दिया। दुनिया को अपरिग्रह का सिद्धांत देने वाले महावीर को परिग्रही देखकर वे मृदु

१. प्रवचन पाथेय भाग ९ पृ. १६५।

२. जैन भारती, २९ मार्च १९६४।

३. विवरण पत्रिका, २७ नव० १९५२।

४. जैन भारती, २० मई १९७१।

कटाक्ष करने से नहीं चूके हैं—“कही-कही तो हमने महावीर को इतने ०। वाट से सजा हुआ देखा कि उतना एक सम्राट् भी नहीं सजता। लाख करोड़ों की संपत्ति भगवान के शरीर पर लाद दी जाती है। महावीर स्व अपने इस शरीर को देखकर शायद पहचान भी नहीं सकेंगे, क्या यह मैं हूँ ? यह सदेह उन्हें व्यथित नहीं तो विस्मित अवश्य कर देगा।”^१

धर्म के क्षेत्र में साधन और साध्य की शुद्धि पर आचार्य तुलसी अतिरिक्त बल दिया है। धर्म का गलत उपयोग करने वालों पर उनका व्यंग्य पठनीय है—“तम्बाकू पीने वाला कहता है, चिलम सुलगाने को ज। आग दे दो, बड़ा धर्म होगा। भीख मागने वाला दुआ देता है, एक पैसा दे दो, बड़ा धर्म होगा। इतना ही नहीं हिंसा और शोषण में लगा व्यक्ति भी अपने कार्यों पर धर्म की छाप लगाना चाहता है। स्वार्थान्ध व्यक्ति ने धर्म का कितना भयानक दुरुपयोग किया।”^२

धार्मिक की धर्म और भगवान से ही सब कुछ पाने की मनोवृत्ति उनकी दृष्टि में ठीक नहीं है। इससे धर्म तो बदनाम होता ही है, साथ ही साथ अकर्मण्यता आदि अनेक विकृतियाँ भी पनपती हैं। असत्य और अन्याय की रक्षा के लिए भगवान की स्मृति करने वालों की तीखी आलोचना करते हुए वे कहते हैं—“जब व्यक्ति न्यायालय में जाता है, तब भगवान से आशीर्वाद मागकर जाता है और जब जीत जाता है, तब भगवान की मनीषा करता है। भगवान यदि भूठों की विजय करता है तो वह भगवान कैसे होगा ? भूठ चलाने के लिए जो भगवान की शरण लेता है, वह भक्त कैसे होगा ? धार्मिक कैसे होगा ?”^३

धर्म में विकृति आने का एक कारण उनके अनुसार यह है कि धर्म के अनुकूल अपने को न बनाकर धर्म को लोगो ने अपने अनुकूल बना लिया, इससे धर्म की आत्मा मृतप्राय हो गयी है।

धर्म के क्षेत्र में विकृति के प्रवेश का एक दूसरा कारण उनकी दृष्टि में यह है कि व्यक्ति का उद्देश्य सम्यक् नहीं है। धर्म का मूल उद्देश्य चित्त की निर्मलता और आत्मशुद्धि है पर लोगो ने उसे बाह्य वैभव प्राप्त करने के साथ जोड़ दिया है। गौण को मुख्य बनाने से यह विसर्गति पैदा हुई है। इस बात की प्रस्तुति वे बहुत सटीक शब्दों में करते हैं—“धर्म की शरण पवित्र और शुद्ध बनने के लिए नहीं ली जाती, बुराई का फल यहाँ भी न मिले, अगले जन्म में कभी और कही भी न मिले, इसलिए ली जाती है।

१. वहता पानी निरमला, पृ० ८२।

२. जैन भारती, ६ अप्रैल, १९५८।

३. अनैतिकता की धूप : अणुव्रत की छतरी, पृ० २४०।

तात्पर्य यह है कि वुरा बने रहने के लिए आदमी धर्म का कवच धारण करता है। यही है धर्म के साथ खिलवाड़ और आत्मवंचना।^१

आचार्य तुलसी अनेक बार इस बात को कहते हैं—“ऐश्वर्य सम्पदा धर्म का नहीं, परिश्रम का फल है। धर्म का फल है शांति, धर्म का फल है—पवित्रता, धर्म का फल है—सहिष्णुता और धर्म का फल है—प्रकाश।^२

अशिक्षा, सामाजिक रूढियों एवं विकृतियों की तो जनक है ही, धर्म क्षेत्र में फैलने वाली विकृतियों में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। आचार्य तुलसी ने असाम्प्रदायिक नीति से धर्मक्षेत्र में पनपने वाली विकृतियों की ओर अंगुलिनिर्देश ही नहीं किया, रूपान्तरण एवं परिष्कार का प्रयास भी किया है। काव्य की निम्न पक्तियों में वे रूढ धार्मिकों को चेतावनी दे रहे हैं—

इस वैज्ञानिक युग में ऐसे धर्म न चल पाएंगे।

केवल रूढिवाद पर जो चलते रहना चाहेंगे।।

पदयात्रा के दौरान उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर भी अनेक लोगों ने धार्मिक रूढियों का परित्याग किया है। दिनांक २८ अगस्त १९६९ की घटना है। आचार्य तुलसी कर्नाटक प्रदेश की यात्रा पर थे। एक गाव में उन्होंने देखा कि एक जुलूस निकल रहा है। वह जुलूस राजनैतिक नहीं, अपितु धर्म और भगवान् के नाम पर था। जुलूस के साथ अनेक निरीह प्राणियों का झुंड चल रहा था। जुलूस का प्रयोजन पूछने पर ज्ञात हुआ कि अकाल की स्थिति को दूर करने के लिए भगवान् को प्रसन्न करने के लिए यह उपक्रम किया गया है। आचार्य तुलसी ने सायंकालीन प्रवचन सभा में ग्रामवासियों को प्रतिबोधित करते हुए कहा—“प्राकृतिक प्रकोप से सघर्ष करके उस पर विजय पाना तो बुद्धिगम्य है पर वेचारे निरीह प्राणियों की बलि देकर देवता को प्रसन्न करना तो मेरी समझ के बाहर है..... आज के वैज्ञानिक युग में भी ऐसे क्रूरतापूर्ण कार्य सार्वजनिक रूप से हों, और उसे शिक्षित एवं सभ्य कहलाने वाले लोग देखते रहे, इससे बड़ी चिंता एवं शर्म की बात क्या हो सकती है ?^३ राजस्थान के अनेको गावों में आचार्य तुलसी की प्रेरणा से लोग इस बलि प्रथा से मुक्त हुए हैं।

धर्मक्षेत्र में पनपी विकृतियों को दूर करने के लिए आचार्य तुलसी तीन उपाय प्रस्तुत करते हैं—

१. हमारे विचार शुद्ध, असकीर्ण और व्यापक हों।

२. विचारों के अनुरूप ही हमारा आचार हो।

१ रामराज्य पत्रिका (कानपुर), अक्टू०, १९५८।

२. क्या धर्म बुद्धिगम्य है? पृ० ९।

३ जैन भारती, २३ मार्च १९६९।

३. हम सत्य के पुजारी हों ।^१

पर इसके लिए वे उपदेश को ही पर्याप्त नहीं मानते । इसके साथ शोध, प्रयोग और प्रशिक्षण भी जुड़ना आवश्यक है ।

उनका अनुभव है कि जब तक धर्म में आयी विकृतियों का अंत नहीं होगा, धार्मिकों का धर्मशून्य व्यवहार नहीं बदलेगा, देश की युवापीढ़ी धर्म के प्रति आस्था नहीं रख सकेगी ।^२ वे दृढविश्वास के साथ कहते हैं— “धर्म के क्षेत्र में पनपने वाली विकृतियों को समाप्त कर दिया जाए तो वह अधिकार में प्रकाश बिखेर देता है, विषमता की धरती पर समता की पौध लगा देता है, दुःख को सुख में बदल देता है और दृष्टिकोण के मिथ्यात्व को दूर कर व्यक्ति को यथार्थ के धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है । यथार्थदर्शी व्यक्ति धर्म के दोनो रूपों को सही रूप में समझ लेता है, इसलिए वह कहीं भ्रान्त नहीं होता ।”^३

धर्मक्रांति

भारत की धार्मिक परम्परा में आचार्य तुलसी ऐसे व्यक्तित्व का नाम है, जिन्होंने जड़ उपासना एवं क्रियाकाण्ड तक सीमित मृतप्रायः धर्म को जीवित करने में अपनी पूरी शक्ति लगाई है । बीसवीं सदी में धर्म के नए एवं क्रांतिकारी स्वरूप को प्रकट करने का श्रेय आचार्य तुलसी को जाता है । वे अपने संकल्प की अभिव्यक्ति निम्न शब्दों में करते हैं— “मैं उस धर्म की शुद्धि चाहता हूँ, जो रूढ़िवाद के घेरे में बन्द है, जो एक स्थान, समय और वर्गविशेष में बंदी हो गया है ।”

धर्मक्रान्ति के सदर्थ में एक पत्रकार द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में वे कहते हैं— “आचार को पहला स्थान मिले और उपासना को दूसरा । आज इससे उल्टा हो गया है, उसे फिर उल्टा देने को मैं धर्मक्रान्ति मानता हूँ ।”^४ उनकी क्रांतिकारिता निम्न पक्तियों से स्पष्ट है— “मेरे धर्म की परिभाषा यह नहीं कि आपको तोता रटन की तरह माला फेरनी होगी । मेरी दृष्टि में आचार, विचार और व्यवहार की शुद्धता का नाम धर्म है ।”^५ इसी सदर्थ में उनका निम्न उद्धरण भी विचारोत्तेजक है— “मैं धर्म को जीवन का अभिन्न तत्त्व मानता हूँ । इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ, भले ही आप वर्ष भर में धर्मस्थान में न जाएँ, मैं इसे क्षम्य मान लूँगा । बशर्ते कि आप

१ जैन भारती, २१ जून १९७० ।

२ सफर आधी शताब्दी का, पृ० ८४ ।

३ विज्ञप्ति स० ८०७ ।

४ जैन भारती, ३ मार्च १९६८ ।

५ दक्षिण के अंचल में, पृ० १७६ ।

कार्यक्षेत्र को ही धर्मस्थान बना ले, मंदिर बना लें।”^१

आचार्य तुलसी समय-समय पर अपने क्रांतिकारी विचारों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं, जिससे अनेक आवरणों में छिपे धर्म का विशुद्ध और मौलिक स्वरूप जनता के समक्ष प्रकट हो सके। वे धर्म को प्रभावी, तेजस्वी एवं कामयाबी बनाने के लिए उसके प्रयोगात्मक पक्ष को पुष्ट करने के समर्थक हैं। इस सदर्भ में उनका विचार है—“धर्म को प्रायोगिक बनाए बिना किसी भी व्यक्ति को यथेष्ट लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए थ्योरिकल धर्म को प्रैक्टिकल रूप देकर इसकी उपयोगिता प्रमाणित करनी है क्योंकि धर्म के प्रायोगिक स्वरूप को उपेक्षित करने से ही अवैज्ञानिक परम्पराओं और क्रियाकाण्डों को पोषण मिलता है।”^२ आचार्य तुलसी ने ‘प्रेक्षाध्यान’ के माध्यम से धर्म का प्रायोगिक रूप जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। जिससे हजारों-लाखों लोगों ने तनाव मुक्त जीवन जीने का अभ्यास किया है। ‘चतुर्थ प्रेक्षाध्यान शिविर’ के समापन समारोह पर अपने चिरपीत स्वप्न को आंगिक रूप में साकार देखकर वे अपना मनस्तोप इस भाषा में प्रकट करते हैं—

“मेरा बहुत वर्षों का एक स्वप्न था, कल्पना थी कि जिस प्रकार नाटक, सिनेमा को देखने, स्वादिष्ट पदार्थों को खाने में लोगों का आकर्षण है, वैसा ही या इससे बढ़कर आकर्षण धर्म व अध्यात्म के प्रति जागृत हो। लोगों को धर्म व अध्यात्म की बात सुनने का निमन्त्रण नहीं देना पड़े, बल्कि आंतरिक जिज्ञासावश और आत्मशान्ति की प्राप्ति के लिये वे स्वयं उसे सुनना चाहें, धार्मिक बनना चाहे और धर्म व अध्यात्म को जीना पसंद करें। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि मेरा वह चिर सजोया स्वप्न अब साकार रूप ले रहा है।”^३ आचार्य तुलसी के धर्म सम्बन्धी कुछ स्फुट क्रांतिकारी विचारों को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है—

“केवल परलोक सुधार का मीठा आशवासन किसी भी धर्म को तेजस्वी नहीं बना सकता। इस लोक को विगाड़कर परलोक सुधारने वाला धर्म वासी धर्म होगा, उधार का धर्म होगा। हमें तो नगद धर्म चाहिए। जब भी धर्म करें, हमारा सुधार हो। वह नगद धर्म है—बुराइयों का त्याग।”

केवल भगवान् का गुणगान करने से जीवन में रूपान्तरण नहीं आ सकता। सच्ची भक्ति और उपासना तभी संभव है, जब भगवान् द्वारा

१. एक बूंद : एक सागर, पृ १७११।

२. सफर : आधी गताब्दी का, पृ. ८४।

३. सोचो ! समझो !! भाग ३, पृ० १४१।

प्ररूपित आदर्श जीवन में उतरें। इस प्रसंग में धार्मिकों के स ५१ प्रश्न हैं—

- ० भगवान् का चरणामृत लेने वाले आज बहुत मिल सकते उनकी सवारी पर फूल चढ़ाने वालों की भी कमी नहीं है भगवान् के पथ पर चलने वाले कितने हैं ?
- ० व्यापार में जो अनैतिकता की जाती है, क्या वह मेरी प्रशंसा से धुल जाने वाली है। दिन भर की जाने वाली ईर्ष्या, लो एक दूसरे को गिराने की भावना का पाप, क्या मेरे पैरों में रखने मात्र से साफ हो जाएंगे ? ये प्रश्न मुझे बड़ा बेचैन देते हैं।^१

धर्म मानव-चेतना को विभक्त करके नहीं देखता। इसी बात वे उदाहरण की भाषा में प्रस्तुत करते हैं—

- ० “जिस प्रकार कुएँ आदि पर लेवल लगा दिए जाते हैं ‘हिन्दुओं के लिए’ ‘मुसलमानों के लिए’ ‘हरिजनों के लिए’ आदि-आदि क्या धर्म के दरवाजे पर भी कहीं लेवल मिलता है ? हाँ। ही लेवल मिलता है—“आत्म उत्थान करने वालों के लिए।”^२

धर्म की सुरक्षा के नाम पर हिंसा करने वाले साम्प्रदायिक तत्त्वों को प्रतिबोध देते हुए वे कहते हैं—

- ० “कहा जाता है—**धर्मों रक्षति रक्षितः** “धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा।” इसका तात्पर्य यह नहीं कि धर्म को बचाने के लिए अड़गे करो, हिंसाएँ करो। इसका अर्थ है कि धर्म को ज्यादा से ज्यादा जीवन में उतारो, धर्माचरण करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें पतन से बचाएगा।”^३

इस प्रसंग में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की मार्मिक एवं प्रेरणादायी पक्तियों को उद्धृत करना भी अप्रासंगिक नहीं होगा—

हम आड लेकर धर्म की, अब लीन हैं विद्रोह में,
मत ही हमारा धर्म है, हम पड़ रहे हैं मोह में।
है धर्म बस नि स्वार्थता ही प्रेम जिसका मूल है,
भूले हुए हैं हम इसे, कौसी हमारी भूल है ॥

धर्म के क्षेत्र में बलप्रयोग और प्रलोभन दोनों को स्थान नहीं है। इन दोनों विकृतियों के विरुद्ध आचार्य भिक्षु ने सशक्त स्वरो में क्रान्ति की। धर्म भौतिक प्रलोभन एवं सुख-सुविधा के लिए नहीं, अपितु आत्म-शांति के

१. एक बूद : एक सागर, पृ. १७०४।

२-३. प्रवचन पाथेय, भाग ९ पृ. ८।

लिए आवश्यक है। जो लोग बाह्य आकर्षण से प्रेरित होकर धर्म करते हैं, वे धर्म का रहस्य नहीं समझते। इसी क्रांति को बुलंदी दी आचार्य तुलसी ने। वे कहते हैं—“धर्म के मंच पर यह नहीं हो सकता कि एक धनवान् अपने चंद चांदी के टुकड़ों के बल पर तथा एक बलवान् अपने डण्डे के प्रभाव से धर्म को खरीद ले और गरीब व निर्बल अपनी निराशा भरी आंखों से ताकते ही रह जाएं। धर्म को ऐसी स्वार्थमयी असंतुलित स्थिति कभी मंजूर नहीं है। उसका धन और बलप्रयोग से कभी गठबंधन नहीं हो सकता। उसे उपदेष्टा या शिक्षा द्वारा हृदय-परिवर्तन करके ही पाया जा सकता है।”^१

आचार्य तुलसी ने स्पष्ट शब्दों में धर्मक्षेत्र की कमजोरियों को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा की गयी धर्मक्रान्ति ने प्रचण्ड विरोध की चिनगारियां प्रज्वलित कर दी। पर उनका अडोल आत्मविश्वास किसी भी परिस्थिति में डोला नहीं। यही कारण है कि आज समाज एवं राष्ट्र ने उनका मूल्यांकन किया है। वे स्वयं भी इस सत्य को स्वीकारते हैं—“एक धर्माचार्य धर्मक्रान्ति की बात करे, यह समझ में आने जैसी घटना नहीं थी। पर जैसे-जैसे समय बीत रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, यह बात समझ में आने लगी है। मेरा यह विश्वास है कि शाश्वत से पूरी तरह से अनुबंधित रहने पर भी सामयिक की उपेक्षा नहीं की जा सकती।”^२

जो धार्मिक विकृतियों को देखकर धर्म को समाप्त करने की बात सोचते हैं, उन व्यक्तियों को प्रतिबोध देने में भी आचार्य तुलसी नहीं चूके हैं। इस सदर्भ में वे सहेतुक अपना अभिमत प्रस्तुत करते हैं—“आज तथाकथित धार्मिकों का व्यवहार देखकर एक ऐसा वर्ग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, जो धर्म को ही समाप्त करने का विचार लेकर चलता है। लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि क्या पानी के गंदा होने से मानव पानी पीना ही छोड़ दे ? यदि धर्म बीमार है या संकुचित हो गया है तो उसे विशुद्ध करना चाहिए पर उसे समाप्त करने का विचार ठीक नहीं हो सकता। मेरी ऐसी मान्यता है कि बिना धर्म के कोई जीवित नहीं रह सकता।”^३ धर्म का विरोध करने वालों को भविष्य की चेतावनी के रूप में वे यहां तक कह चुके हैं—“जिस दिन धर्म की मजबूत जड़े प्रकम्पित हो जाएंगी, इस धरती पर मानवता की बिनागलीला का ऐसा दृश्य उपस्थित होगा, जिसे देखने की क्षमता किसी भी आख में नहीं रहेगी।”^३

१. जैन भारती, २० जून १९५४।

२. जैन भारती, ३१ मई १९७०।

३. एक वृंद : एक सागर, पृ. ७२५।

राष्ट्र-चिंतन

किसी भी देश की माटी को प्रणम्य बनाने एव कालखंड को अमरता प्रदान करने में साहित्यकार की अहंभूमिका होती है। धर्मनेता होते हुए भी आचार्य तुलसी राष्ट्र की अनेक समस्याओं के प्रति जागरूक ही नहीं रहे हैं वल्कि उनके साहित्य में वर्तमान भारत की समस्याओं के समाधान का विकल्प भी प्रस्तुत है। इसलिए राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने में उनका साहित्य अपनी अहंभूमिका रखता है।

भारत की स्वतंत्रता के साथ अणुत्रत के माध्यम से देश के नैतिक एव चारित्रिक अभ्युदय के लिए आचार्य तुलसी ने स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दिया। विशेष अवसरों पर अनेक वार वे इस सकल्प को व्यक्त कर चुके हैं—“मैं देश की चप्पा-चप्पा भूमि का स्पर्श करना चाहता हूँ। अपनी पदयात्राओं के द्वारा मैं देश के हर वर्ग, जाति, वर्ण एव सम्प्रदाय के लोगों से इंसानियत और भाईचारे के नाते मिलकर उन्हें जीवन के लक्ष्य से परिचित कराना चाहता हूँ।”^१

राष्ट्रीयता

राष्ट्रीयता का अर्थ राष्ट्र की एकता एव राष्ट्रीय चेतना से है। रामप्रसाद किचलू कहते हैं कि यदि कोई कवि या साहित्यकार अपने साहित्य में देश के गौरव तथा उसकी सांस्कृतिक एव सामाजिक चेतना को जगाने का कार्य करता है तो यह कार्य राष्ट्रीय ही है।^२ आचार्य तुलसी की हर पुस्तक में राष्ट्रीय विचारों की झलक स्पष्टतः देखी जा सकती है। राष्ट्र के प्रति दायित्व बोध कराने वाली उनकी निम्न पक्तियाँ सबसे जोश एव उत्साह भरने वाली हैं—

“प्रत्येक व्यक्ति अपने राष्ट्र से कुछ अपेक्षाएँ रखता है तो उसे यह भी सोचना होगा कि जिस राष्ट्र से मेरी इतनी अपेक्षाएँ हैं, वह राष्ट्र मुझसे भी कुछ अपेक्षाएँ रखेगा। क्या मैं उन अपेक्षाओं को समझ रहा हूँ? अब तक मैंने अपने राष्ट्र के लिए क्या किया? मेरा कोई काम ऐसा तो नहीं है, जिससे राष्ट्रीयता की भावना का हनन हो—चिन्तन के ये कोण राष्ट्रीय दायित्व का बोध कराने वाले हैं।”^३

१ एक बूद : एक सागर, पृ० १७३१।

२. आधुनिक निबन्ध, पृ० १९३।

३ मनहंसा मोती चुगे, पृ० १८६।

आचार्य तुलसी मानते हैं कि राष्ट्र को हम परिवार का महत्व दे, तभी व्यक्ति में राष्ट्र-प्रेम की भावना उजागर हो सकती है। इस प्रसंग में उनका निम्न वक्तव्य कितना श्रेयक बन पड़ा है—“व्यक्ति का अपने परिवार के प्रति प्रेम होता है तो वह पारिवारिक जनों के साथ विश्वासघात नहीं करता है। यदि वैसे ही प्रेम राष्ट्र के प्रति हो जाए तो वह राष्ट्र के साथ विश्वासघात कैसे करेगा? राष्ट्र-प्रेम विकसित हो तो जातीयता, सांप्रदायिकता और राजनैतिक महत्वाकांक्षाएँ दूसरे नम्बर पर आ जाती हैं, राष्ट्र का स्थान सर्वोपरि रहता है।”^१

आचार्य तुलसी ने भारत की स्वतंत्रता के साथ ही जनता के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेजों के चले जाने मात्र से देश की सारी समस्याओं का हल होने वाला नहीं है। वास्तव स्वतंत्रता के साथ यदि आंतरिक स्वतंत्रता नहीं जायेगी तो यह व्यर्थ हो जायेगी। प्रथम स्वाधीनता दिवस पर प्रदत्त प्रवचन का निम्न अंश उनकी जागृत राष्ट्र-चेतना का सबल सबूत है—“कल तक तो अच्छे बुरे की सब जिम्मेदारी एक विदेशी हुकूमत पर थी। यदि देश में कोई अमंगल घटना घटती या कोई अनुत्तरदायित्वपूर्ण बात होती तो उसका दोष, उसका कलक विदेशी सरकार पर मढ़ दिया जाता या गुलामी का अभिशाप बताया जा सकता था। लेकिन आज तो स्वतंत्र राष्ट्र की जिम्मेदारी हम लोगों पर है।स्वतंत्र राष्ट्र होने के नाते अब अच्छे बुरे की सब जिम्मेदारी जनता और उससे भी अधिक जन-सेवको (नेताओं) पर है। अब किसी अनुत्तरदायित्वपूर्ण बात को लेकर दूसरों पर दोष भी नहीं मढ़ सकते। अब तो वह समय है, जबकि आत्मस्वतंत्रता तथा विश्वशांति के प्रसार में राष्ट्र को अपनी आध्यात्मिक वृत्तियों का परिचय देना है और यह तभी संभव है जबकि राष्ट्रनेता और राष्ट्र की जनता दोनों अपने उत्तरदायित्व का ख्याल रखें।”^२

इसी संदर्भ में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के मिलन प्रसंग को उद्धृत करना भी अप्रासंगिक नहीं होगा। पंडित नेहरू जब प्रथम बार दिल्ली में आचार्य तुलसी से मिले तो उन्होंने कहा—आचार्यजी! आपको क्या चाहिए? आचार्यश्री ने उत्तर देते हुए कहा—पंडितजी! हम लेने नहीं, आपको कुछ देने आए हैं। हमारे पास त्यागी एवं पदयात्री साधु कार्यकर्त्ताओं का एक बड़ा समुदाय है। उसे मैं नवोदित देश के नैतिक उत्थान के कार्य में लगाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा ऐसा मानना है

१. तेरापथ टाइम्स, २४ सित. १९९०।

२. सदेश, पृ० २०, २१।

कि आज राष्ट्र राजनैतिक दासता से मुक्त हो गया है पर उसे मानसिक दासता से मुक्त करना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए हम अणुव्रत आंदोलन के माध्यम से देश में स्वस्थ वातावरण बनाना चाहते हैं। अपनी बात जारी रखते हुए आचार्य तुलसी ने कहा—“मैं राष्ट्र का वास्तविक विकास बड़े-बड़े बाघों, पुलों और सड़कों में नहीं देखता। उसका सच्चा विकास उसमें रहने वाले मानवों की चरित्रशीलता, सदाचरण, सचाई और ईमानदारी में मानता हूँ। मेरा मानना है कि नैतिकता के बिना राष्ट्रीय एकता परिपुष्ट नहीं हो सकती। अतः नैतिक आंदोलन अणुव्रत के कार्यक्रम की अवगति देना ही हमारे मिलन का मुख्य उद्देश्य है”। पंडित नेहरू आचार्य तुलसी के इस उत्तर से अवाक् तो थे ही, साथ ही श्रद्धा से नत भी हो गए। तभी से आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन के माध्यम से मानवता की सेवा का व्रत ले लिया। आचार्य तुलसी अनेक बार यह भविष्यवाणी कर चुके हैं—“जब कभी भारत को स्वर्णिम भारत, अच्छा भारत या रामराज्य का भारत बनना है, अणुव्रती भारत बनकर ही वह इस आकांक्षा को पूरा कर सकता है।”^१

आचार्य तुलसी की स्पष्ट अवधारणा है कि यदि व्यक्तित्र, समाज-तत्र या राजतंत्र नैतिक मूल्यों को उपेक्षित करके चलता है तो उसका सर्वांगीण विकास होना असंभव है। कभी-कभी तो वे यहाँ तक कह देते हैं—“मेरी दृष्टि में नैतिकता के अतिरिक्त राष्ट्र की दूसरी आत्मा संभव नहीं है। विशेष अवसरों पर वे अनेक बार यह सकल्प व्यक्त कर चुके हैं—“मैं देश में फैले हुए भ्रष्टाचार और अनैतिकता को देखकर चिंतित हूँ। नैतिकता की लौ किसी न किसी रूप में जलती रहे, मेरा प्रयास इतना ही है।”^२ उनका विश्वास है कि नैतिक आंदोलनों के माध्यम से असत्य से जर्जरित युग में भी सत्यनिष्ठ हरिश्चन्द्र को खड़ा किया जा सकता है, जो जीवन की सत्यमयी ज्योति से एक अभिनव आलोक प्रस्फुटित कर सके।”^३

भारतीय संस्कृति

आचार्य तुलसी का मानना है कि जिस राष्ट्र ने अपनी संस्कृति को भुला दिया, वह राष्ट्र वास्तव में एक जीवित और जागृत राष्ट्र नहीं हो सकता। वे भारतीय संस्कृति की गरिमा से अभिभूत हैं अतः देशवासियों को अनेक बार भारत के विराट् सांस्कृतिक मूल्यों की अवगति देते रहते हैं। उनकी निम्न पक्तियाँ हिंदू संस्कृति के प्राचीन गौरव को उजागर करने वाली हैं—“जो लोग पदार्थ-विकास में विश्वास करते हैं, वे असहिष्णु हो सकते हैं। जो लोग शस्त्रशक्ति में विश्वास करते हैं, वे निरपेक्ष हो सकते हैं।

१ मनहंसा मोती चुगे, पृ० ८७।

२,३. एक वृद्ध : एक सागर, पृ० १७०७, १७३१।

जो लोग अपने लिए दूसरो के अनिष्ट को क्षम्य मानते हैं, वे अनुदार हो सकते हैं पर भारतीय संस्कृति की यह विलक्षणता रही है कि उसने पदार्थ को आवश्यक माना पर उसे आस्था का केन्द्र नहीं माना। शस्त्रशक्ति का सहारा लिया पर उसमें त्राण नहीं देखा। अपने लिए दूसरों का अनिष्ट हो गया पर उसे क्षम्य नहीं माना। यहां जीवन का चरम लक्ष्य विलासिता नहीं, आत्मसाधना रहा; लोभ-लालसा नहीं, त्याग-तितिक्षा रहा।”

अपने प्रवचनों के माध्यम से वे भारतीय जनता के सोए आत्म-विश्वास एवं अध्यात्मशक्ति को जगाने का उपक्रम करते रहते हैं। इस संदर्भ में अतीत के गौरव को उजागर करने वाली उनकी निम्न उक्ति अत्यन्त प्रेरक एवं मार्मिक है—“एक समय भारत अध्यात्म-शिक्षा की दृष्टि से विश्व का गुरु कहलाता था। आज वही भारत भौतिक विद्या की तरह आत्मविद्या के क्षेत्र में भी दूसरो का मुंहताज बन रहा है। इस सदी में भी भारतीय संतो, मनीषियों और वैज्ञानिकों के मौलिक चिंतन एवं अनुसंधान ने संसार को चमत्कृत किया है। समस्या यह नहीं है कि भारतीय लोगों ने अपनी अन्तर्दृष्टि खो दी। समस्या यह है कि उन्होंने अपना आत्मविश्वास खो दिया। ... आज सबसे बड़ी अपेक्षा यह है कि भारत अपना मूल्यांकन करना सीखे और खोई प्रतिष्ठा को पुनः अर्जित करे।”^२ इसी व्यापक एवं गहन चिन्तन के आधार पर उनका विश्वास है कि सही अर्थ में अगर कोई संसार का प्रतिनिधित्व कर सकता है तो भारत ही कर सकता है क्योंकि भारत की आत्मा में आज भी अहिंसा की प्राणप्रतिष्ठा है। मैं मानता हूँ कि यदि भारत आध्यात्मिकता को भुना देगा तो अपनी मौत मर जाएगा।”

छत्तीसवे स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए राष्ट्र-उद्बोधन में उनके क्रांतिकारी एवं राष्ट्रीय विचारों की झलक देखी जा सकती है, जो सुपुष्ट एवं मूर्च्छित नागरिकों को जगाने में संजीवनी का कार्य करने वाला है—“एक स्वतंत्र देश के नागरिक इतने निस्तेज, निराश और कुठित क्यों हो गए, जो अपने विश्वास और आस्थाओं को भी जिंदा नहीं रख पाते! एक बड़ा कालखंड बीत जाने के बाद भी यह सवाल उसी मुद्रा में उपस्थित है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिकों के अरमान पूरे क्यों नहीं हुए? इस अनुत्तरित प्रश्न का समाधान न आंदोलनों में है, न नारेवाजी में है और न अपनी-अपनी डफली पर अपना-अपना राग अलापने में है। इसके लिए तो सामूहिक प्रयास की अपेक्षा है, जो जनता के चिंतन को बदल सके,

१. क्या धर्म बुद्धिगम्य है?, पृ० ५८

२. अणुव्रत, १६ मार्च, १९९१

लक्ष्य को बदल सके और कार्यपद्धति को बदल सके।”^१

आचार्यश्री का चिंतन है कि भारतीय सस्कृति सबसे प्राचीन ही नहीं, समृद्ध और जीवन्त भी है। अतः किसी भी राष्ट्रीय समस्या का हल हमें अपने सांस्कृतिक तत्त्वों के द्वारा ही करना चाहिए अन्यथा मानसिक दासता हमें अपनी सस्कृति के प्रति उतनी गौरवशील नहीं रहने देगी। इसी प्रसंग में उनके एक प्रवचनाश को उद्धृत करना अप्रासंगिक नहीं होगा—“लोग कहते हैं भारत में कम्युनिज्म-साम्यवाद आने से शोषण मिट सकता है। मैं उनसे कहूंगा—वे अपनी भारतीय सस्कृति को न भूले। उसकी पवित्रता में अब भी इतनी ताकत है कि वह शोषण को जड़-मूल से मिटा सकती है, अन्याय का मुकाबला कर सकती है। उसके लिये विदेशवाद की जरूरत नहीं है।”^२

इसी प्रकार निम्न घटना प्रसंग में भी उनकी राष्ट्र के प्रति अपूर्व प्रेम की झलक मिलती है—व्यास गांव में जोरावरसिंह नामक सरदार आचार्यश्री के पास आकर बोला—भारत बदमाशों एवं स्वार्थी लोगों का देश है, अतः मैं इस देश को छोड़कर विदेश जाने की बात सोचता हूँ। इसके लिए आप मुझे क्या परामर्श देंगे ?

आचार्य तुलसी गम्भीर स्वरो में बोले—“तुमको देश बुरा लगा और विदेश अच्छा, वहाँ क्या कुछ नहीं हो रहा है ? मारकाट क्या वहाँ नहीं है ? ईरान में क्या हो रहा है ? वहाँ के कत्लेआम की बात सुनकर तुम पर कोई असर नहीं हुआ ? कम्बोडिया से ४ लाख लोग भाग गए, २० लाख निकम्मे हैं। मैं समझता हूँ कि देश खराब नहीं होता, खराब होता है आदमी।”^३

पवित्र हिन्दू संस्कृति में गलत तत्त्वों के मिश्रण से वे अत्यन्त चिन्तित हैं। ४३ वर्ष पूर्व प्रदत्त उनका निम्न वक्तव्य कितना हृदय-स्पर्शी एवं वेधक है—“भारतीय जीवन से जो सतोष, सहिष्णुता, शौर्य और आत्मविजय की सहज धारा बह रही है वह दूसरों को लाखों यत्न करने पर भी सुलभ नहीं है। यदि इन गुणों के स्थान पर भौतिक सघर्ष, सत्तालोलुपता या पद की आकांक्षा बढ़ती है तो मैं इसे भारत का दुर्भाग्य कहूँगा।”

भारतीय सस्कृति के परिप्रेक्ष्य में उनका दार्तमानिक अनुभव कितना प्रेरणादायी एवं मार्मिक बन पड़ा है—“यह भारत १ मि, उद्द। राम-भरत की

१ वहता पानी निरमला, पृ० २४७।

२ प्रवचन पाथेय भाग ९, पृ० १४३, १४४।

३ सस्मर दातायन, पृ० १-२।

मनुहारो मे चौदह वर्ष पादुकाएं राज-सिंहासन पर प्रतिष्ठित रही, महावीर और बुद्ध जहां व्यक्ति का विसर्जन कर विराट बन गए, कृष्ण ने जहां कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया और गांधीजी संस्कृति के प्रतीक बनकर अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर एक आलोक छोड़ गए, उस देश में सत्ता के लिए, छीना-भपटी, कुर्सी के लिए सिद्धांतों का सौदा, वैभव के लिए अपवित्र प्रतिस्पर्धा और विलासने हाथी राष्ट्र-प्रतिमा का अनावरण हृदय में एक चुभन पैदा करता है।¹

वे पाश्चात्य संस्कृति की अच्छाई ग्रहण करने के विरोधी नहीं हैं पर सभी बातों में उनका अनुकरण राष्ट्र के हित में नहीं मानते। उनका चिंतन है कि पाश्चात्य संस्कृति का आयात हिंदू संस्कृति के पवित्र माथे पर एक ऐसा धब्बा है, जिसे छुड़ाने के लिए पूरी जीवन-शैली को बदलने की अपेक्षा है। वे विदेशी प्रभाव मे रगे भारतीय लोगों को यद्वा तक चिंतावनी दे चुके हैं— “हिन्दू सस्कारों की जमीन छोड़कर आयातित संस्कृति के आसमान में उड़ने वाले लोग दो चार लम्बी उड़ानों के बाद जब अपनी जमीन पर उतरने या चलने का सपना देखेंगे तो उनके सामने अनेक प्रकार की मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी।”²

भारतीय संस्कृति प्रकृति में जीने की संस्कृति है पर विज्ञान ने आज मनुष्य को प्रकृति से दूर कर दिया है। प्रकृति से दूर होने का एक निमित्त वे टेलीविजन को मानते हैं। भारतीय जीवन-शैली में दूरदर्शन के बढ़ते प्रभाव से वे अत्यंत चिन्तित हैं। इससे होने वाले खतरों की ओर समाज का ध्यान आकृष्ट करते हुए उनका कहना है—“टी०वी० इस युग की संस्कृति है। पर इसने सांस्कृतिक मूल्यों पर पर्दा डाल दिया है और पारिवारिक संबंधों की मधुरिमा में जहर घोल दिया है। यह जहर घुली संस्कृति मनुष्य के लिए सबसे बड़ी त्रासदी है।टी०वी० की संस्कृति शोषण की संस्कृति है। यह चुपचाप आती है और व्यक्ति को खाली कर चली जाती है। मैं मानता हूँ कि टी०वी० की संस्कृति से उपजी हुई विकृति मनुष्य को सुखलिप्सु और स्वार्थी बना रही है।”³

इन उद्धरणों से उनके कथन का तात्पर्य यह नहीं निकाला जा सकता कि वे आधुनिक मनोरंजन के साधनों के विरोधी हैं। निम्न उद्धरण के आलोक में उनके सतुलित एवं सटीक विचारों को परखा जा सकता है— आधुनिक मनोरंजन के साधनों की उपयोगिता के आगे प्रश्नचिह्न लगाना

१. राजपथ की खोज, पृ० १३७।
२. एक बूद . एक सागर, पृ० १६८०।
३. कुहासे में उगता सूरज, पृ० ४२, ४३।

मेरा काम नहीं है पर यह निश्चित है कि आधुनिकता के प्रयोग में यदि औचित्य की प्रज्ञा जागृत नहीं रही तो पारम्परिक सस्कारों की इतनी निर्मम हत्या हो जाएगी कि उनके अवशेष भी देखने को नहीं मिलेंगे। सस्कारों का ऐसा हनन किसी व्यक्ति या समाज के लिए नहीं, पूरी मानव-संस्कृति के लिए बड़ा खतरा है।”

भारतीय जीवन-शैली में विकृति एवं अपसंस्कृति की घुसपैठ होने पर भी वे इस संस्कृति को विश्व की सर्वोच्च संस्कृति के रूप में स्वीकार करते हैं। इस संदर्भ में उनका निम्न प्रवचनाग उल्लेखनीय है—“विश्व के दूसरे-दूसरे देशों में छोटी-छोटी बातों को लेकर क्रांतियाँ हो जाती हैं पर हिंदुस्तानी लोग बहुत-कुछ सहकर भी खामोश रहते हैं।”

विवेकानन्द की भाँति भारतीय संस्कृति के गौरव को विदेशों तक फैलाने की उनकी तीव्र उत्कंठा भी समय-समय पर मुखर होती रहती है। १२ दिसं १९८९ को भारत में सोवियत महोत्सव हुआ। उस समय भारत की प्राचीन महिमामण्डित संस्कृति को रूसी युवकों के सामने उजागर करने हेतु सरकार को दायित्वबोध देती हुई उनकी निम्न पंक्तियाँ मार्मिक एवं प्रेरक ही नहीं, उत्कृष्ट राष्ट्र-चेतना का परिचय भी दे रही हैं—“जिस समय सोवियत संघ की सड़को पर एक तिनका भी गिरा हुआ नहीं मिलता, उस समय भारत की राजधानी की सड़को पर घूमने वाले रूसी युवक उन सड़को को किस नजरिए से देखेंगे? मिट्टी, पत्थर, काच, कागज, फलों के छिलके आदि क्या कुछ नहीं बिखरा रहता है यहाँ? और तो क्या, बलगम और श्लेष्म भी सड़को की शोभा बढ़ाते हैं। एक ओर गन्दगी, दूसरी ओर वीमारी के कीटाणु तथा तीसरी ओर केले आदि के छिलकों से फिसलने का भय। क्या हमारे देश के विकास की कसौटियाँ यहीं हैं? . . . भारतीय लोग अपने जीवन के लिए और अपनी भावी पीढ़ी के लिए नहीं तो कम से कम उन आगंतुक यायावरो के मन पर अच्छी छाप छोड़ने के लिए भी सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों की सुरक्षा करें तो देश की छवि उजली रह सकती है। अन्यथा कोई विदेशी दल यहाँ के लोक-जीवन की उजड़ी-उखड़ी शैली को इतिहास के पृष्ठों पर उकेर देगा तो हमारी शताब्दियों-पूर्व की गरिमा खण्ड-खण्ड नहीं हो जाएगी?

... क्या भारत सरकार और राष्ट्रीय एवं सामाजिक संस्थाओं का यह दायित्व नहीं है कि वे अपने आगंतुक अतिथियों को इस देश की मूलभूत संस्कृति से परिचित कराएँ? क्या उनके मन पर ऐसी छाप नहीं छोड़ी जा सकती, जिसे वे रूस पहुँचने के बाद भी पोछ न सकें?”

१. कुहासे में उगता सूरज, पृ० १०७।

२. वही, पृ० ७-८।

आचार्य तुलसी ने भारतीय जनता के समक्ष एक नया जीवन दर्शन एवं नई जीवन-शैली प्रस्तुत की है, जिससे युगीन समस्याओं का समाधान कर सही जीवन-मूल्यों को प्रतिष्ठित किया जा सके। उस जीवन-शैली का नाम है—‘जैन जीवन-शैली’। ‘जैन’ शब्द मात्र से उसे साम्प्रदायिक नहीं माना जा सकता। क्योंकि यह भारतीय सस्कृति के मूल्यों पर आधृत है। इस बात को उनका निम्न उद्धरण के आलोक में भी पढ़ा जा सकता है—“जैन जीवन-शैली में सकलित सूत्रों में न तो साम्प्रदायिकता की गंध है और न अतिवादी कल्पना का समावेश है। जीवन-निर्माण में सहायक मानवीय एवं सांस्कृतिक मूल्यों को आत्मसात् करने वाली यह जीवन-शैली केवल जैन समाज के लिए ही नहीं है, मानव मात्र को मानवता का मंगल पथदर्शन करने वाली है। यह जीवन-शैली जन-जीवन की सर्वमान्य शैली बन जाए, ऐसी मेरी आकांक्षा है।”^१

इस शैली के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु आचार्य तुलसी की सन्निधि में अनेक शिविरो का समायोजन भी किया जा चुका है, क्योंकि वे मानते हैं कि दीपक बोलता नहीं, जलता है और प्रकाश फैलाता है। यह जीवन-शैली भी बोलने की नहीं, जीने की शैली है। यह न कोई आदोलन है, न नियमों का समवाय है, न नारा है और न कोई घोषणा-पत्र है। यह है एक मार्ग, जिस पर चलना है और मनुष्यता के शिखर पर आरोहण करना है।^२

जैन जीवन-शैली के निम्न सूत्र हैं—

- १ सम्यग् दर्शन
- २ अनेकांत
- ३ अहिंसा
- ४ समण संस्कृति—सम, गम, श्रम
- ५ इच्छा परिमाण
- ६ सम्यग् आजीविका
- ७ सम्यक् सस्कार
- ८ आहारशुद्धि और व्यसनमुक्ति
- ९ सार्धमिक वात्सल्य

राष्ट्रीय विकास

आचार्य तुलसी के सम्पूर्ण वाङ्मय में देश की जनता के नाम सैकड़ों प्रेरक उद्बोधन हैं। वे स्वयं को भारत तक ही सीमित नहीं मानते, वरन्

१. लघुता से प्रभता मिले, पृ० १८७।

२. वही, १८७।

जागतिक मानते हैं, फिर भी भारत की पावनभूमि में जन्म लेने के कारण उसके प्रति अपनी विशेष जिम्मेवारी समझते हैं। उनके मुख से अनेक वार ये भाव व्यक्त होते रहते हैं—“यद्यपि किसी देशविशेष से मेरा मोह नहीं है, तथापि मैं भारत में भ्रमण कर रहा हूँ, अतः जब तक श्वास रहेगा, मैं राष्ट्र, समाज व सघ के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करता रहूँगा।”^१ राष्ट्रीय विकास हेतु वे अनुशासन और मर्यादा की प्राण-प्रतिष्ठा को अनिवार्य मानते हैं। उनकी अवधारणा है कि अनुशासन और व्यवस्थाविहीन राष्ट्र को पराजित करने के लिए शत्रु की आवश्यकता नहीं, वह अपने आप पराजित हो जाता है।

राष्ट्र-निर्माण के नाम पर होने वाली विसंगतियों को प्रश्नात्मक शैली में प्रस्तुत करते हुए वे कड़े शब्दों में कहते हैं—“क्या राष्ट्र की दूर-दूर तक सीमा बढ़ा देना राष्ट्र-निर्माण है? क्या सेना बढ़ाना राष्ट्र-निर्माण है? क्या संहारक अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण व सग्रह करना राष्ट्र-निर्माण है? क्या भौतिक व वैज्ञानिक नए-नए आविष्कार करना राष्ट्र-निर्माण है? क्या सोना, चांदी और रुपए-पैसे का संचय करना राष्ट्र-निर्माण है? क्या अन्यान्य शक्तियों व राष्ट्रों को कुचलकर उन पर अपनी शक्ति का सिक्का जमा लेना राष्ट्र-निर्माण है? यदि इन्हीं का नाम राष्ट्र-निर्माण होता है तो मैं जोर देकर कहूँगा, यह राष्ट्र-निर्माण नहीं, बल्कि राष्ट्र का विध्वंस है।”

देश की समस्या को व्यक्त करने वाले प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में उनके राष्ट्र-चिन्तन के गाभीर्य को समझा जा सकता है—“जिस देश में करोड़ों व्यक्तियों को दलित समझा जा रहा है, उन्हें अस्पृश्य माना जा रहा है, उनके सामने भोजन और मकान की समस्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्या है, क्या उस देश में अपने आपको स्वतन्त्र और सुखी मानना लज्जा-स्पद नहीं है?”^२

राष्ट्र के विकास में वे तीन मूलभूत बाधाओं को स्वीकार करते हैं—“जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण का अभाव, आत्म-नियन्त्रण की अक्षमता तथा बढ़ती आकांक्षाएँ—ये ऐसे कारण हैं, जो देश को समस्याओं की धधकती आग में भोक रहे हैं।”

जिस प्रकार गांधीजी ने ‘मेरे सपनों का भारत’ पुस्तक लिखी, वैसे ही आचार्य तुलसी कहते हैं—“मेरे सपनों में हिन्दुस्तान का एक रूप है, वह इस प्रकार है—

१ नैतिक सजीवन, पृ० ९।

२ जैन भारती, ९ दिस० १९७३।

३ १६-११-७४ के प्रवचन से उद्धृत।

- ० देश में गरीबी न रहे ।
- ० किसी प्रकार का धार्मिक सघर्ष न हो ।
- ० कोई किसी को अस्पृश्य मानने वाला न हो ।
- ० कोई मादक पदार्थों का सेवन करने वाला न हो ।^१
- ० खाद्य पदार्थों में मिलावट न हो ।
- ० कोई रिश्वत लेने वाला न हो ।
- ० कोई शोषण करने वाला न हो ।
- ० कोई दहेज लेने वाला न हो ।
- ० वोटों का विक्रय न हो ।^२

नए वर्ष पर सम्पूर्ण मानव-जाति को उनके द्वारा दिए गए हेतु और उपादेय के बोधपाठ राष्ट्र की अनेक समस्याओं को समाहित कर उसे विकास के पथ पर अग्रसर करने वाले हैं—

- १ मनुष्य क्रूरता के स्थान पर करुणा का पाठ पढ़े ।
- २ स्वार्थ के स्थान पर परमार्थ का पाठ पढ़े ।
- ३ अव्रत के स्थान पर अणुव्रत का पाठ पढ़े ।
- ४ धर्म-निरपेक्षता के स्थान पर धर्म-सापेक्षता का पाठ पढ़े ।
- ५ अलगाववाद और जातिवाद के स्थान पर भाईचारे का पाठ पढ़े ।
- ६ प्रान्तवाद और भाषावाद के स्थान पर राष्ट्रीय एकता और मानवीय एकता का पाठ पढ़े ।
- ७ धर्म को राजनीति से पृथक् रखने का पाठ पढ़े ।
- ८ राजनीति पर धर्म के नियन्त्रण का पाठ पढ़े ।
- ९ अपनी ओर से किसी का अहित न करने का पाठ पढ़े ।

मानव को मानवता सिखाने वाले ये पाठ शैशव को सात्त्विक संस्कारों से संवारेगे, यौवन को उद्धत नहीं होने देगे और अनुभवप्रवण बुढ़ापे को भारभूत होने से बचाएंगे ।^२

आचार्य तुलसी ने केवल राष्ट्र की उन्नति एवं उत्कर्ष के ही गीत नहीं गाए, उसकी अधोगति के कारणों का भी विश्लेषण किया है । भारत की वर्तमानिक स्थितियों को देखकर अनेक बार उनके मन में पीडा के भाव उभर आते हैं । उनके साहित्य में अनेक स्थलों पर इस कोटि के विचार पढ़ने को मिलेंगे—“स्टैण्डर्ड ऑफ लाइफ’ के नाम पर भौतिकवाद, सुविधावाद और अपसंस्कारों का जो समावेश हिन्दुस्तानी जीवन-शैली में

१. एक बूढ़ . एक सागर, पृ० १६७७ ।

२. वैसाखिया विश्वास की, पृ० ११ ।

हुआ है या हो रहा है, वह निश्चित रूप से चिन्तनीय है। बीसवीं सदी के हिन्दुस्तानियों द्वारा की गई इस हिमालयी भूल का प्रतिकार या प्रायश्चित्त इस सदी के अन्त तक हो जाए तो बहुत शुभ है, अन्यथा आने वाली शताब्दी की पीढ़ियां अपने पुरखों को कोसे विना नहीं रहेगी।¹

आचार्य तुलसी का निश्चित अभिमत है कि राष्ट्र का विकास पुरुषार्थ-चेतना से ही सम्भव है। देशवासियों की पुरुषार्थ चेतना को जगाने के लिए वे उन्हें अतीत के गौरव से परिचित करवाते हुए कहते हैं—“जो भारत किसी जमाने में पुरुषार्थ एवं सदाचार के लिए विश्व के रगमच पर अपना सिर उठाकर चलता था, आज वही पुरुषार्थहीनता एवं अकर्मण्यता फ़ैल रही है। मेरा तो ऐसा सोचना है कि हिन्दुस्तान को अगर सुखी बनना है, स्वतन्त्र रहना है तो वह विलासी न बने, श्रम को न भूले।” इसी सन्दर्भ में जापान के माध्यम से हिन्दुस्तानियों को प्रतिबोध देती उनकी निम्न पंक्तियां भी देश की पुरुषार्थ-चेतना को जगाने वाली हैं—“हिन्दुस्तानी लोग वाते बहुत करते हैं, पर काम करने के समय निराश होकर बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति में प्रगति के नए आयाम कैसे खुल पाएंगे? जिस देश के लोग पुरुषार्थी होते हैं, वे कहीं-कहीं पहुँच जाते हैं। जापान इसका साक्षी है। पूरी तरह से टूटे जापान को वहाँ के नागरिकों ने कितनी तत्परता से खड़ा कर लिया। क्या भारतवासी इससे कुछ सबक नहीं लेंगे?”²

राजनीति

किसी भी राष्ट्र को उन्नत और समृद्धि की ओर अग्रसर करने में सक्रिय, साफ-सुथरी एवं मूल्यों पर आधारित राजनीति की सर्वाधिक आवश्यकता रहती है। आचार्य तुलसी की दृष्टि में वही राजनीति अच्छी है, जो राज्य को कम-से-कम कानून के घेरे में रखती है। राष्ट्र के नागरिकों को ऐसा स्वच्छ प्रशासन देती है, जिससे वे निश्चिन्तता और ईमानदारी के साथ जीवनयापन कर सकें।³

देश की राजनीति को स्वस्थ एवं स्थिर रूप देने के लिए वे निम्न चिन्तन-विन्दुओं को प्रस्तुत करते हैं—

- १ शासन का लोकतांत्रिक एवं सम्प्रदायनिरपेक्ष स्वरूप अक्षुण्ण रहे। शासन की दृष्टि में यदि हिन्दू, मुसलमान, अकाली आदि भेद-रेखाएँ जन्मेगी तो ‘भारत’ भारत नहीं रहेगा।
२. सत्य एवं अहिंसात्मक आचारभित्ति बनी रहे। हिंसा और दोहरी

१ एक बूद : एक सागर, पृ० १६७८ ।

२ वैसाखियाँ विश्वास की, पृ० ९५ ।

३ अमृत सदेश, पृ० ५१ ।

नीति अन्ततः लोकतन्त्र की विनाशक बनेगी ।

३. व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता एवं सिद्धांतवादी राजनीति का पुनर्स्थापन ।
४. चुनाव-पद्धति एवं परिणाम को देखते हुए शासनपद्धति में भी परिवर्तन ।
५. चरित्र-हनन की घातक प्रवृत्ति का परित्याग ।
६. विधायक आचार-संहिता का निर्माण ।
७. नैतिक शिक्षण एवं साम्प्रदायिक सौहार्द ।^१

राजनीति के क्षेत्र में विद्यार्थियों के गलत उपयोग के वे सख्त विरोधी हैं । क्योंकि इस उम्र में उनकी कोमल भावनाओं को भडकाकर उन्हें स्वसात्मक प्रवृत्तियों में शामिल करने से उनके जीवन की दिशा गलत हो जाती है । इससे न केवल उनका स्वयं का भविष्य ही अधकारमय बनता है, अपितु पूरे राष्ट्र का भविष्य भी धुंधलाता है । इस सन्दर्भ में उनका स्पष्ट कथन है—“जिस देश में विद्यार्थियों को राजनीति का मोहरा बनाकर गुमराह किया जाता है, उनकी शिक्षा में व्यवधान उपस्थित किया जाता है, उस देश का भविष्य कैसा होगा, कल्पना नहीं की जा सकती ।”^२ इसी सन्दर्भ में उनका निम्न वक्तव्य भी मननीय है—“यदि विद्यार्थियों को राजनीति के साथ जोड़ा गया तो भविष्य में यह खतरनाक मोड़ ले सकता है, क्योंकि वच्चो के कोमल मानस को उभारा जा सकता है, किन्तु उसका शमन करना सहज नहीं है ।”^३

संसद

संसद राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था है । आचार्य तुलसी मानते हैं कि देश का भविष्य संसद के चेहरे पर लिखा होता है । यदि वहां भी शालीनता और सभ्यता का भंग होता है तो समस्या सुलभने के बजाय उलभती जाती है । वार्तमानिक संसद की शालीनता भंग करने वाली स्थिति का वर्णन करते हुए वे कहते हैं—“छोटी-छोटी बातों पर अभद्र शब्दों का व्यवहार, हो-हल्ला, छोटाकशी, हंगामा और बहिर्गमन आदि ऐसी घटनाएं हैं, जिनसे संसद जैसी प्रतिनिधि संस्था का गौरव घटता है ।”^४ सांसद जनता के सम्मानित प्रतिनिधि होते हैं । संसद में उनका तभी तक सत्ता पर बने रहने का अधिकार है, जब तक जनता के मन में उनके प्रति सम्मान और विश्वास है ।

संसद में कैसे व्यक्तित्व आने चाहिए, इस बात को आचार्य तुलसी

१ पाँच-पाँच चलने वाला सूरज, पृ० २४३ ।

२ क्या धर्म बुद्धिगम्य है ? पृ० १४४ ।

३. जैन भारती, ३ जन० १९७१ ।

४. तेरापन्थ टाइम्स, ३० जुलाई १९९० ।

स्वयं न कहकर संसद के द्वारा कहलवा रहे हैं। संसद के मुख से उद्गीर्ण उनका वक्तव्य काफी वजनी है—“संसद जनता को चिल्ला-चिल्लाकर कह रही है कि कृपा करके तीन प्रकार के व्यक्तियों को चुनकर संसद में मत भेजिए—पहले वे, जो परदोषदर्शी हैं, जो विपक्ष की अच्छाई में भी बुराई देखने वाले हैं।.....दूसरे वे, जो कुटिल हैं, मायावी हैं, नेता नहीं, अभिनेता हैं, असली पात्र नहीं, विद्वपक की भूमिका निभाने वाले हैं।..... सत्ता-प्राप्ति के लिए अकरणीय जैसा उनके लिए कुछ भी नहीं है। जिस जनता के कंधों पर बैठकर केन्द्र तक पहुँचते हैं, उसके साथ भी धोखा कर सकते हैं। जिस दल के घोषणा-पत्र पर चुनाव जीतकर आए हैं, उसकी पीठ में छुरा भोक सकते हैं।..... तीसरे उन व्यक्तियों को मुझसे दूर रखिए, जो असयमी हैं, चरित्रहीन हैं, जो सत्ता में आकर राष्ट्र से भी अधिक महत्त्व अपने परिवार को देते हैं। देश से भी अधिक महत्त्व अपनी जाति और सम्प्रदाय को देते हैं। सत्ता जिनके लिए सेवा का साधन नहीं, विलास का साधन है।..... भारतीय संसद भारतीय जनता के द्वार पर अपनी मर्मभेदी पुकार लेकर खड़ी है।”^१

चुनाव

जनतंत्र का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू चुनाव है। यह राष्ट्रीय चरित्र का प्रतिबिम्ब होता है। जनतंत्र में स्वस्थ मूल्यों को बनाए रखने के लिए चुनाव की स्वस्थता अनिवार्य है। आचार्य तुलसी का मानना है—“चुनाव का समय देश के भविष्य-निर्धारण का समय है। अभाव और मोह को उत्तेजना देकर लोकमत प्राप्त करना चुनाव की पवित्रता का लोप करना है। जिस देश में वोट बेचे और खरीदे जाते हैं, उस देश का रक्षक कौन होगा? ये दोनों बातें जनतंत्र की दुश्मन हैं।”^२

चुनाव के समय हर प्रत्याशी का चिन्तन रहना चाहिए कि राष्ट्र को नैतिक दिशा में कैसे आगे बढ़ाया जाए? उसकी एकता और अखण्डता को कायम रखने का वातावरण कैसे बनाया जाए? लेकिन आज इसके विपरीत स्थिति देखने को मिलती है। भारतीय सस्कृति के परिप्रेक्ष्य में कुर्सी के लिए होने वाली होड़ की अभिव्यक्ति वे इन शब्दों में करते हैं—“जहा पद के लिए मनुहारे होती थी, कहा जाता था—मैं इसके योग्य नहीं हूँ, तुम्ही संभालो, वहा आज कहा जाता है कि पद का हक मेरा है, तुम्हारा नहीं। पद के योग्य मैं हूँ, तुम नहीं।”^३

आचार्य तुलसी की दृष्टि में चुनाव में नैतिकता अनिवार्य शर्त है।

१. राजपथ की खोज, पृ० १४१-४२।

२. जैन भारती, १८ फरवरी, १९६८।

३. वही, २२ नव० १९६४।

वे कहते हैं—“चुनाव चाहे ससद के हो, विधान सभाओं के हो, महाविद्यालयों के हो या अन्य सभा-संस्थाओं के, जहाँ नीति की बात पीछे छूट जाती है, वहाँ महासमर मच जाता है।”^१

चुनाव के समय हर राजनैतिक दल अपने स्वार्थ की बात सोचता है तथा येन-केन-प्रकारेण ज्यादा-से-ज्यादा वोट प्राप्त करने की तरकीबें निकालता है। आचार्य तुलसी का मतव्य है कि जब तक शासक और जनता को लोकतंत्र के अनुसार प्रशिक्षित एवं दीक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक लोकतंत्र सुदृढ़ नहीं बन सकता। वे अपने विशिष्ट लहजे में कहते हैं कि आश्चर्य तो तब होता है, जब कई अगूठे छाप व्यक्ति भी जनता द्वारा निर्वाचित होकर ससद में पहुँच जाते हैं।”^२

मतदान की प्रक्रिया में शुद्धि न आने के वे तीन कारण स्वीकारते हैं—अज्ञान, अभाव एवं मूढ़ता। इस सन्दर्भ में उनकी निम्न टिप्पणी पठनीय है—“अनेक मतदाताओं को अपने हिताहित का ज्ञान नहीं है, इसलिए वे हित-साधक व्यक्ति या दल का चुनाव नहीं कर पाते। अनेक मतदाता अभाव से पीड़ित हैं। वे अपने मत को रूपों में बेच डालते हैं। अनेक मतदाता मोहमुग्ध हैं, इसलिए उनका मत शराव की बोतलों के पीछे लुढ़क जाता है।”^३

इसी प्रसंग में उनकी निम्न टिप्पणी जनता की आँखों को खोलने वाली है—“जो जनता अपने वोटों को चद चादी के टुकड़ों में बेच देती हो, सम्प्रदाय या जाति के उन्माद में योग्य-अयोग्य की पहचान खो देती हो, वह जनता योग्य उम्मीदवार को संसद में कैसे भेज पाएगी?”^४ उनके विचारों से स्पष्ट है कि स्वच्छ प्रशासन लाने का दायित्व जनता का है। चुनाव के समय वह जितनी जागरूक होगी, उतना ही देश का हित होगा।

आचार्य तुलसी ने अणुव्रत के माध्यम से चुनावी वातावरण को स्वस्थ बनाने का प्रयत्न किया है। उनका मानना है कि चुनाव का माहौल तूफान से भी अधिक भयंकर होता है। उस समय अणुव्रत के माध्यम से नैतिकता का एक छोटा-सा दीप भी जलता है तो कम-से-कम वह प्रकाश के अस्तित्व को तो व्यक्त करता ही है। यदि चुनाव को पवित्र संस्कार नहीं दिया गया तो भारत की त्यागप्रधान परम्परा दुर्बल एवं क्षीण हो जाएगी।”^५

१. विज्ञप्ति सं० ८९९।

२. अणुव्रत, १ फरवरी, १९९१।

३. राजपथ की खोज, पृ० १२८।

४. जैन भारती, १८ फरवरी, १९६८।

५. विज्ञप्ति सं० ९७२।

चुनाव-शुद्धि की दृष्टि से उन्होंने अणुव्रत के माध्यम से मतदाता और उम्मीदवार की एक नैतिक आचार-संहिता तो प्रस्तुत की ही है, साथ ही अपने प्रवचनों एवं निबन्धों में भी अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दों को उठाकर जनता को प्रशिक्षित किया है। चुनावशुद्धि के सन्दर्भ में दिए गए उनके तीन विकल्प अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं—

पहला—हम विजयी बने या न बने, पर चुनाव में भ्रष्ट तरीकों का प्रयोग नहीं करेंगे।

दूसरा—सत्तारूढ़ दल चुनाव-शुद्धि के लिए सकल्पबद्ध हो।

तीसरा—जनमत जागृत हो।^१

सांसद एवं विधायक

लोकतंत्र में शासनतंत्र की बागडोर जनता द्वारा चुने गए सांसदों और विधायकों के हाथों में होती है। लोकतंत्र की यह दुर्बलता है कि (सांसदों) विधायकों का चुनाव अर्हता, गुणवत्ता एवं योग्यता के आधार पर न होकर, दल या सस्था के आधार पर होता है। इससे राजनीति स्वस्थ नहीं बन सकती। आचार्य तुलसी का मानना है कि राष्ट्रीय चरित्र अपने चरित्र को भारतीय मूल्यों एवं आदर्शों के अनुरूप ढाले, यह अत्यन्त आवश्यक है। अतः प्रत्याशियों को प्रतिबोध देते हुए वे कहते हैं—“लोगों में चुनाव के लिए पार्टी का टिकट पाने की जितनी उत्सुकता होती है, उतनी उत्सुकता यदि योग्य बनने की हो तो कितना अच्छा काम हो सकता है।”^२

चुनाव के माहौल में एक पत्रकार द्वारा पूछा गया प्रश्न कि हम किसको वोट दे, का उत्तर देते हुए वे कहते हैं—“इस प्रसंग में पार्टी, पक्ष, विपक्ष, सम्प्रदाय, जाति आदि के लेवल को नजरअदाज कर सही व्यक्ति की खोज करनी चाहिए। अणुव्रत के अनुसार उस व्यक्ति की पहचान यह हो सकती है—जो नैतिक मूल्यों के प्रति आस्थाशील हो, ईमानदार हो, निर्लोभी हो, सत्यनिष्ठ हो, व्यसनमुक्त हो तथा निष्कामसेवी हो।”^३ इसी सन्दर्भ में उनका दूसरा वक्तव्य भी स्वस्थ राजनीतिज्ञ की अनेक विशेषताओं को उजागर करने वाला है—“स्वस्थ राजनीति में ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है, जो निष्पक्ष हो, सक्षम हो, सुदृढ़ हो, स्पष्ट व सर्वजनहिताय का लक्ष्य लेकर चलने वाला हो।”

सांसद और विधायक के रूप में वे ऐसे व्यक्तित्व की कल्पना करते हैं,

१. एक बूढ़ा एक सागर, पृ० ५८५।

२. उद्बोधन, पृ० १२९।

३. जीवन की सार्थक दिशाएँ, पृ० ३६।

जो शिखर पर बैठकर भी तलहटी से जुड़ा रहे। जो देश की समस्याओं से जूझने के हिमालयी सकल्प की पूर्ति के साधन जुटाता रहे और अंतिम पक्ति में खड़े व्यक्ति को भी सड़क पर फेंके गये केले के छिलकों-सी नियति न समझे।

सासदों और विधायकों का सही चयन ही इसके लिए उनका अमूल्य मुभाव है—“राजनीति का चेहरा साफ-सुथरा रहे, इसके लिए अपेक्षित है कि इस क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों के चरित्र का परीक्षण हो। आई क्यू टेस्ट की तरह करेक्टर टेस्ट की कोई नई प्रविधि प्रयोग में आए।”^१

आचार्य तुलसी का विचार है कि लोकतंत्र में सत्ता पाने का प्रयत्न एकान्ततः बुरा नहीं है पर नैतिकता और सिद्धान्तवादिता को दूर रखकर हिंसा, उच्छृंखलता द्वारा केवल सत्ता पाने का प्रयत्न जनतंत्र का कलक है।^२ आज की दूषित राजनीति का आकलन करते हुए वे कहते हैं—“राष्ट्रहित और जनहित की महत्त्वाकांक्षा व्यक्तिहित और पार्टीहित के दबाव से नीचे बैठती जा रही है। सत्ता के स्थान पर स्वार्थ आसीन हो रहा है। जनता के दुःख-दर्द को दूर करने के वायदे चुनाव घोषणा-पत्र की स्याही सूखने से पहले विस्मृति के गले में टंग जाते हैं।”^३ राजनेताओं की सत्तालोलुपता को उन्होंने गांधी के आदर्श के समक्ष कितने तीखे व्यंग्य के साथ प्रस्तुत किया है—“गांधी ने कहा था—‘मेरा ईश्वर दरिद्र-नारायणों में रहता है।’ आज यदि उनके भक्तों से यही प्रश्न पूछा जाए तो संभवतः यही उत्तर मिलेगा कि हमारा ईश्वर कुर्सी में रहता है, सत्ता में रहता है, भोपडी में रहने वाला ईश्वर आज प्रासाद में रहने लगा है। इससे अधिक गांधी के सिद्धान्तों का मजाक और क्या हो सकता है ?”^४

चुनाव के समय होने वाले सघर्ष तथा उसके परिणामों को प्रकट कर विधायकों की ओर अंगुलिनिर्देश करने वाली उनकी निम्न टिप्पणी यथार्थ का उद्घाटन करने वाली है—“ऐसा लगता है राजनीतिज्ञ का अर्थ देश में सुव्यवस्था बनाए रखना नहीं, अपनी सत्ता और कुर्सी बनाए रखना है। राजनीतिज्ञ का अर्थ उस नीतिनिपुण व्यक्तित्व से नहीं, जो हर कीमत पर राष्ट्र की प्रगति, विकास-विस्तार और समृद्धि को सर्वोपरि महत्त्व दे, किन्तु उस विद्वेषक-विशारद व्यक्तित्व से है, जो राष्ट्र के विकास और समृद्धि को अवनति के गर्त में फेंककर भी अपनी कुर्सी को

१. वैसाखिया विश्वास की, पृ० ९७।

२. १-३-६९ के प्रवचन से उद्धृत।

३. जैन भारती, १ फरवरी, १९७०।

४. अणुव्रत : गति प्रगति, पृ० १८७।

सर्वोपरि महत्त्व देता है ।^१

वे इस बात को मानकर चलते हैं कि राजनैतिक लोगो से महात्मा बनने की आशा नहीं की जा सकती, पर वे पशुता पर उतर आएँ, यह ठीक नहीं है। अतः राजनीतिज्ञो को प्रेरणा देते हुए वे कहते हैं—“यदि राजनीतिज्ञ स्थायी शांति चाहते हैं तो उन्हें हिंसा के स्थान पर अहिंसा, प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोगिता और हृदय की वक्रता के स्थान पर सरलता को अपनाना होगा ।”^२

यदि शासक में विलासिता, आलस्य और कदाचार है तो देश को अनुशासन का पाठ कौन पढ़ाएगा ? अतः सत्ताधीशों के विलासी जीवन पर कटाक्ष करने से भी वे नहीं चूके हैं—“देखा जाता है कि एक ओर लोगो के पास चढ़ने की साइकिल भी नहीं है और दूसरी ओर नेता लोग लाखों रूपयों की कीमती कारों में घूमते हैं। एक ओर देश के लाखों-लाखों व्यक्तियों को भोपड़ी भी उपलब्ध नहीं है और दूसरी ओर नेता लोग एयरकंडीशन बगलों में रहते हैं। पिता मिठाई खाएँ और बच्चे भूखे मरे, क्या यह भी कोई न्याय है ?”^३

सत्तादल और प्रतिपक्ष दोनों को ही छीटाकशी एवं विद्वेष को भुलाकर एकता एवं सामंजस्य की प्रेरणा वे कितने तीखे एवं सटीक शब्दों में दे रहे हैं—“दोनों ही दलों को यह चिन्ता कहाँ है कि हमारी आपसी लड़ाई से ५० करोड़ (वर्तमान में ८५ करोड़) जनता का कितना अहित हो रहा है ? विरोधी राष्ट्रों को इससे लाभ उठाने का कौसा अवसर मिल रहा है ?”^४ वे अनेक बार यह दृढ़ विश्वास व्यक्त कर चुके हैं कि यदि चरित्रसम्पन्न व्यक्ति राजनीति के रथ को हाकते रहेगे तो उसके उत्पथ में भटकने की संभावना क्षीण हो जाएगी ।^५

लोकतंत्र

वर्तमान में भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आचार्य तुलसी का मानना है कि लोकतंत्र एक जीवित तंत्र है, जिसमें सबको समान रूप से अपनी-अपनी मान्यताओं के अनुसार चलने की पूरी स्वतंत्रता होती है। लोकतंत्र की नींव जनता के मतों पर टिकी होती है। यदि मत भ्रष्ट हो जाए तो प्रशासन तो भ्रष्ट होगा ही ।^६ इस संदर्भ में उनके निम्न उद्धरण

१-२ एक वृद्ध एक सागर, पृ० ११६२ ।

३ जैन भारती, ५ जुलाई, १९७० ।

४. वही, ३० नव० १९६९ ।

५. वैसाखियां विश्वास की, पृ० ९७ ।

६. राजपथ की खोज, पृ० १२८ ।

लोकतंत्र के हृदय को छूने वाले है—

“वोटो के गलियारे में सत्ता के सिंहासन तक पहुँचने की आकांक्षा और जैसे-तैसे वोट बटोरने का मनोभाव—ये दोनों ही लोकतंत्र के शत्रु हैं। लोकतंत्र में जिस ढंग से वोटो का दुरुपयोग हो रहा है, उसे देखकर इस तंत्र को लोकतंत्र कहने का मन नहीं होता।”

सत्ता और सम्पदा के शीर्ष पर बैठकर यदि जनतंत्र के आदर्शों को भुला दिया जाता है तो वहाँ लोकतंत्र के आदर्शों की रक्षा नहीं हो सकती। इस सदर्थ में उनका मौलिक मतव्य है—“तंत्र के व्यासपीठ पर जो व्यक्ति बैठता है, उसकी दृष्टि जन पर होनी चाहिए, तंत्र या पार्टी पर नहीं। आज जन पीछे छूट गया है तथा तंत्र आगे आ गया है। इसी कारण हिंसा भड़क रही है। मेरी दृष्टि में वही लोकतंत्र अधिक सफल होता है, जिसमें आत्मतंत्र का विकास हो, अन्यथा जनतंत्र में भी एकाधिपत्य, अव्यवस्था और अराजकता की स्थितियाँ उभर सकती हैं।”^१

लोकतंत्र की मूलभूत समस्याओं की ओर इंगित करते हुए आचार्य तुलसी का कहना है—“जब राष्ट्र में हिंसा और आतंक के स्फुलिंग उछलते हैं, सम्प्रदायवाद सिर उठाता है, जातिवाद के आधार पर वोटो का विभाजन होता है, अस्पृश्यता के नाम पर मनुष्य के प्रति घृणा का भाव बढ़ता है, तब लोकतंत्रीय चेतना मूर्च्छित हो जाती है।” लोकतंत्र के प्रासाद को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए वे चार स्तम्भों को आवश्यक मानते हैं—“स्वतंत्रता, सापेक्षता, समानता और सह-अस्तित्व। इनके बिना लोकतंत्र का अस्तित्व टिक नहीं सकता।”^२

स्वतंत्रता के सदर्थ में उनका चिन्तन है कि उसका सही उपयोग होना चाहिए। यदि स्वतंत्रता का दुरुपयोग होता है तो लोकतंत्र की पवित्रता समाप्त हो जाती है। वर्तमान में स्वतंत्रता के नाम पर होने वाली अवाञ्छनीय बातों की ओर सकेत करते हुए वे खुले शब्दों में कहते हैं—“आज लोकतंत्र के नाम पर बोलने की स्वतंत्रता का उपयोग गाली-गलोच में हो रहा है। लिखने की स्वतंत्रता का उपयोग किसी के मर्मोद्घाटन और किसी पर आरोपों की वर्षा से किया जा रहा है। चिन्तन और आचरण की स्वतंत्रता ने लोगों को अपनी संस्कृति, सभ्यता और नैतिक मूल्यों से दूर धकेल दिया है। पीड़क दुश्चक्र तो यह है कि अधिकांश व्यक्तियों को इस स्थिति की चिन्ता भी नहीं है।”^३ लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता

१. मनहसा मोती चुगे, पृ० ८६।

२. जैन भारती, २२ जून, १९८६।

३. एक बूद एक सागर, पृ० ११९५।

४. अणुव्रत पाक्षिक, १ फर, १९९१।

को लिखने, बोलने, सोचने और करने की स्वतंत्रता होती है। जनता के स्वतंत्र अधिकारों का हनन करने वाले शासकों के समक्ष आचार्य तुलसी चैतावनी की भाषा में प्रश्न उपस्थित करते हैं—“जिस देश के शासक यह कहते हैं कि जनता को सोचने की जरूरत नहीं है, सरकार उसके लिए देखेगी। जनता को बोलने की अपेक्षा नहीं है, सरकार उसके लिए बोलेंगी और जनता को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सरकार उसके लिए करेगी। क्या शासक इन घोषणाओं के द्वारा जनता को पगु, अशक्त और निष्क्रिय बनाकर लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रहे हैं ?”

समानता लोकतंत्र का हृदय है। आचार्य तुलसी कहते हैं—“कुछ लोग कोठियों में रहे, कुछ को फुटपाथ पर रात बितानी पड़े, यह विषमता आज के विश्व को मान्य नहीं हो सकती क्योंकि इसकी अंतिम परिणति हिंसा और संघर्ष है।”^१ लोकतंत्र के सदर्थ में समानता को स्पष्ट करने वाली डा० अम्बेडकर की निम्न पक्तियाँ उल्लेखनीय हैं—“प्रत्येक बालिग स्त्री पुरुष को मतदान का अधिकार देकर संविधान ने राजनीतिक समता तो ला दी किंतु आर्थिक और सामाजिक समता अभी आयी नहीं है। यदि इस दिशा में भारत ने सफल प्रयत्न नहीं किया तो राजनीतिक समता निकम्मी सिद्ध होगी, संविधान टूट जाएगा।”

आचार्य तुलसी अनेक बार इस चिंतन को अभिव्यक्ति दे चुके हैं कि यदि देश के लोकतंत्र को मजबूत और सगठित बनाना है तो मत्रियों, सांसदों और विधायकों को प्रशिक्षित करना होगा। इसी बात की प्रस्तुति व्यंग्यात्मक शैली में पठनीय है—“भुक्त बड़ा आश्चर्य होता है कि इन मत्रियों, विधायकों आदि को कोई प्रशिक्षण नहीं मिलता, जबकि एक वकील, इंजीनियर या डाक्टर को पहले प्रशिक्षण लेना पड़ता है। मैं सोचता हूँ कि विधायकों के लिए भी एक प्रशिक्षण केन्द्र होना आवश्यक है।” बिना प्रशिक्षण चुनाव में कोई उम्मीदवार के रूप में खड़ा न हो। मेरा विश्वास है—अणुव्रत यह प्रशिक्षण देने में समर्थ है।”

राष्ट्रीय एकता

अनेकता में एकता भारतीय सस्कृति का आदर्श रहा है। यहाँ अनेक धर्म, सम्प्रदाय, जाति, वर्ण, प्रान्त एवं राजनैतिक पार्टियाँ हैं, पर भिन्नता और अनेकता होने मात्र से सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय एकता को विघटित नहीं किया जा सकता। आचार्य तुलसी का मतव्य है कि भिन्नताओं का लोप कर

१ सफर - आधी शताब्दी का, पृ० ९८ ।

२. एक बूद - एक सागर, पृ० १२७२ ।

३. जैन भारती, ३० नवम्बर, १९६९ ।

सबको एक कर देना असंभव है। ऐसी एकता में विकास के द्वार अवरुद्ध हो जाते हैं। अनेकता भी वही कीमती है, जो हमारी मौलिक एकता को किसी प्रकार का खतरा पैदा न करे।^{११} इसी बात को उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुति देते हुए वे कहते हैं—“एक वृक्ष की अनेक शाखाओं की भांति एक राष्ट्र के अनेक प्रांत हो सकते हैं, पर उनका विकास राष्ट्रीयता की जड़ से जुड़कर रहने में है, जब भेद में अभेद को मूल्य देने की बात व्यावहारिक बनेगी, उसी दिन राष्ट्रीय एकता की सम्यक् परिणति होगी।”^{१२} वे कहते हैं—“जहां विविधता एकता को विघटित करे, उसमें बाधक बने, उस विविधता को समाप्त करना आवश्यक हो जाता है। शरीर में कोई अवयव शरीर को नुकसान पहुंचाने लगे तो उसे काटने या कटवाने की मानसिकता हो जाती है।”^{१३}

राष्ट्र की विपम स्थितियों एवं विघटनकारी तत्त्वों के विरुद्ध आचार्य तुलसी ने सशक्त आवाज उठाई है। राष्ट्रीय एकता को उन्होंने अपनी श्रम की बूंदों से सींचा है। अपने अठहत्तरवें जन्मदिन पर वे लाडलू में देश की हिंसक स्थितियों को अहिंसक नेतृत्व प्रदान करने हेतु अपने दायित्व-बोध का उच्चारण इन शब्दों में करते हैं—“मैं राष्ट्रीय एकता परिपद् के एक सदस्य के नाते अपना दायित्व समझता हूँ कि अपनी शक्ति देश की समस्याओं को मुलभाने में लगाऊँ। मुझे लगता है कि हिंसा, आतंक, अपहरण और क्रूरता आदि समस्याओं से भी बड़ी समस्या है—मानवीय मूल्यों के प्रति अनास्था। इस दिशा में मुझे अणुव्रत के माध्यम से लोकतंत्र की शुद्धि हेतु और भी तीव्र गति से कार्य करना है।” उनकी इसी सेवा का मूल्यांकन करते हुए भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय एकता परिपद् के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है।

राष्ट्रीय एकता के अनेक घटकों में एक घटक है—भाषा। इस संदर्भ में आचार्य तुलसी का मतव्य है—“यदि देश की एक भाषा होती है तो हर प्रांत के व्यक्ति का दूसरे प्रांत के व्यक्ति के साथ सम्पर्क जुड़ सकता है। मैं मानता हूँ कि देश की एकता के लिए राष्ट्र में एक भाषा का होना अत्यन्त आवश्यक है।”^{१४}

आचार्य तुलसी इस सत्य से परिचित हैं कि केवल भौगोलिक एकता के नाम पर राष्ट्रीय एकता को चिरजीवी नहीं बनाया जा सकता, फिर भी प्रांतवाद देश की अखंडता को विघटित करने में मुख्य कारण बनता है। वे अलगाववादी तत्त्वों को स्पष्ट शब्दों में कहते हैं—“हरेक प्रांत जब अपने

१. विज्ञप्ति सं० १९३।

२-३. अणुव्रत पाक्षिक, १६ मई १९९०।

४. रश्मिया, पृ० ८।

ही हित की बात सोचता है, तब राष्ट्र की एकता खतरे में पड़ जाती उत्तर के लोग उत्तर की चिन्ता करते हैं, दक्षिण के लोग दक्षिण की, ले भारत की चिन्ता कौन करे ? भारत सलामत है तो सब सलामत है । म ही नहीं रहा तो उत्तर और दक्षिण का क्या होगा ?^१ आचार्य तुलसी ; है कि प्रांतीय व्यवस्था देश के शासनसूत्र में स्थिरता लाने के लिए थी आज चर्चे-स्वार्थों के पीछे एक जटिल पहली बनकर रह गयी है । जब राष्ट्र के लिए स्वतन्त्र को विसर्जित करने की भावना पुष्ट नहीं हो राष्ट्रीय एकता का नारा सार्थक नहीं हो सकता ।^२

आचार्य तुलसी जब दक्षिण यात्रा पर थे तब दो प्रांतों के^३ च। वैपम्य में समन्वय करती निम्न उक्ति उनके गंभीर चिंतन की साक्षी है “केरल और तमिलनाडु एक-दूसरे से सटे हुए होने पर भी प्रकृति से म है । एक भक्तिप्रधान है तो दूसरा तर्कप्रधान । तमिलनाडु में तर्क है ही , और केरल में भक्ति है ही नहीं, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ । मैं दोनों के हूँ । दोनों का समन्वय करना चाहता हूँ ।^४”

साम्प्रदायिक उन्माद में उन्मत्त व्यक्ति कृत्य-अकृत्य के विवेक को देता है । इस सदर्भ में आचार्य तुलसी का सापेक्ष चिन्तन है—“व्यक्ति अपने अपने मजहब की उपासना में विश्वास करे, इसमें कोई बुराई नहीं, पर जब एक सम्प्रदाय के लोग दूसरे सम्प्रदाय के प्रति द्वेष और घृणा का प्रचार कर है, वहा देश की मिट्टी कलकित होती है, राष्ट्र शक्तिहीन होता है तथा व्यक्त का मन अपवित्र बनता है ।^५” धर्मगुरु होते हुए भी वे साम्प्रदायिकता कोसो दूर हैं । वे अनेक बार इस बात की अभिव्यक्ति दे चुके हैं कि मैं जैन शब्द को भी वही तक पकड़े रहना चाहता हूँ, जहां तक वह सम्पूर्ण मान-हितो से विसर्ग नहीं होता ।^६”

साम्प्रदायिक उन्माद के बारे में वे स्पष्ट उद्घोषणा करते हैं— “साम्प्रदायिक उन्माद को बढ़ाने में असामाजिक तत्त्वों का तो हाथ रहता ही है, कहीं-कहीं धर्मगुरु भी इस आग में ईंधन डाल देते हैं ।^७” आचार्य तुलसी कभी-कभी तो साम्प्रदायिकता फैलाने वाले लोगों को यहा तक बह देते हैं—“काच के महल में बैठकर पत्थर फेंकने वाला क्या कभी मुग्धिन रह सकता है ?^८”

१ जैन भारती, २३ मार्च १९६९ ।

२ वही, १० मार्च १९६३ ।

३ त्रिवेन्द्रम्, १५-३-६९ के प्रवचन से उद्धृत ।

४ विज्ञप्ति सं० ९८८ ।

५ एक बूढ़ : एक सागर, पृ० १५६५ ।

६. मनहंसा मोती चुगे, पृ० ८५ ।

धर्म और राजनीति की समस्या को मुलभाने के लिए वे राजनयिकों को भी अनेक वार सुझाव दे चुके हैं—“यदि धर्मनिरपेक्षता को सम्प्रदाय-निरपेक्षता के रूप में मान्यता देकर मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया जाय तो राष्ट्रीय एकता की नींव सशक्त हो सकती है। मेरा विश्वास है कि हिंदुस्तान सम्प्रदायनिरपेक्ष होकर अपनी एकता बनाए रख सकता है किंतु धर्महीन होकर अपनी एकता को सुरक्षित नहीं रख सकता।”^१

राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा खतरा उन स्वार्थी राष्ट्र-नेताओं से भी है, जो केवल अपने हित की बात सोचते हैं। देश-सेवा के नाम पर अपना घर भरते हैं; तथा धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग आदि के नाम पर जनता को वांटने का प्रयत्न करते हैं। इस सदर्भ में आचार्य तुलसी का उन लोगों के लिए सदेश है—

- ० पूरे विश्व को चरित्र की शिक्षा देने वाला भारत आज इतना धर्महीन क्यों होता जा रहा है? स्वार्थ का कौन सा ऐसा दैत्य उसे इस प्रकार नचा रहा है? क्या इस देश की जनता परार्थ और परमार्थ की भूमिका पर खड़ी होकर नहीं सोच सकती?^२
- ० राष्ट्रीय धरा से जुड़कर रहने में ही सबकी अस्मिता सुरक्षित रह सकती है तथा सबको विकास का अवसर मिल सकता है।^३

राष्ट्रीय एकता परिपद् की दूसरी सगोष्ठी के अवसर पर प्रेषित अपने एक विशेष सदेश में वे खुले शब्दों में कहते हैं—दलगत राजनीति और चुनाव समस्याओं को उभारने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अपने-अपने दल की सत्ता स्थापित करने के लिए कभी-कभी वे काम भी हो जाते हैं, जो राष्ट्र के हित में नहीं हैं। . . . सत्ता को हथियाने की स्पर्धा होना अस्वाभाविक नहीं है पर स्पर्धा के वातावरण में जैसे-तैसे बहुमत और सत्ता पाने पर ही ध्यान केन्द्रित रहता है। यह एक समस्या है, जो राष्ट्रीय एकता की बहुत बड़ी बाधा है।”^४ वे भारत के राजनैतिक दलों की बदतर स्थिति का जिक्र करते हुए कहते हैं—“भारत में एक-दो दल नहीं, दल में भी उपदल है। उपदल में भी और दलदल हैं। सभी में ऐसे दुर्दान्त कलह पनप रहे हैं कि भाड में चने की भांति एक एक ओर भागता है तो दूसरा दूसरी ओर। . . . कभी-कभी तो वे वच्चों के खेल से भी ज्यादा घटिया हो जाते हैं।”^५ इस प्रकार अपने ही

१. युवादृष्टि, फर० १९९४।

२. वैसाखिया विश्वास की, पृ० ८७।

३. अणुव्रत पाक्षिक, १६ मई १९९०।

४. वैसाखिया विश्वास की, पृ० १०५।

५. विज्ञप्ति सं० ९४४।

हित का चश्मा चढ़ाकर चारों ओर देखने वाले व्यक्ति राष्ट्रीय चरित्र से कोसों दूर है। ऐसे लोग ही देश की भावात्मक एकता में दरार डालते हैं।

राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वे जनता को प्रतिबोध देते हुए कहते हैं—“राष्ट्रीय एकता की शुभ शुरुआत हर व्यक्ति अपने से करे, यह अपेक्षित है। यदि राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक यह सकल्प कर ले कि वह अपने किसी भी आचरण और व्यवहार से राष्ट्रीय एकता को नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो यह उसका इस क्षेत्र में बहुत बड़ा सहयोग होगा।”^१ साथ ही वे कुछ आचरणीय विदु एवं विकल्प भी प्रस्तुत करते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्वों को अलग कर एकता एव अखंडता को सुदृढ़ किया जा सके—

“१ भारतीय जनता के बड़े भाग में राष्ट्रीयता की कमी महसूस हो रही है। राष्ट्रीयता के बिना राष्ट्रीय एकता की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय चेतना को जगाने की दिशा में शक्ति का नियोजन हो।

२. राष्ट्रीयता के प्रशिक्षण-शिविरों की आयोजना तथा शिक्षा के साथ राष्ट्रीयता के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो।

३. लोकतंत्र में सबको समान अवसर और अधिकार प्राप्त है। इस स्थिति में बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक जैसी विभक्त करने वाली व्यवस्थाओं पर पुनर्विचार किया जाए।

४. जातीयता तथा साम्प्रदायिकता को राष्ट्रीयता के साथ न जोड़ा जाए।

५. केन्द्रित अर्थ-व्यवस्था और केन्द्रित शासन-व्यवस्था अव्यवस्था और सघर्ष को जन्म देती हैं। इसलिए उनके विकेन्द्रीकरण पर चिन्तन किया जाए।”^२

इन विकल्पों के अतिरिक्त वे तीन मुख्य विदुओं पर सबका ध्यान केन्द्रित करना चाहते हैं—“मैं मानता हूँ अध्यात्म का अभाव, अर्थ की प्रधानता और मौलिक चिन्तन की कमी—इन तीन विदुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाए तो देश की अखंडता और स्वतंत्रता सार्थक हो सकती है तथा देश के भविष्य को स्थिरता दी जा सकती है।”^३

राष्ट्र की एकता में भेद डालने वाली स्थितियों को समाहित करने के लिए आचार्य तुलसी राजनेताओं को आह्वान करते हुए कहते हैं—“कानून के

१ विज्ञप्ति स० ९८८।

२. वैसाखिया विश्वास की, पृ० १०५, १०६।

३. जीवन की सार्थक दिशाएं, पृ० ४६।

नियमों द्वारा एकता प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। इसके लिए हृदय-परिवर्तन, समता और मैत्री तो अपेक्षित है ही, साथ ही यह भी आवश्यक है कि सत्ता से अलिप्त कोई ऐसा पराक्रम जागे, जो राष्ट्र का मार्गदर्शन कर सके तथा जनता को वास्तविक स्वतन्त्रता का अहसास करा सके।

डा० के. के. शर्मा ने 'हिन्दी साहित्य के राष्ट्रीय काव्य' में राष्ट्रीय भावनाओं से सम्बन्धित निम्न विषयों का वर्णन किया है^१—

१. जन्मभूमि के प्रति प्रेम।
२. स्वर्णिम अतीत के चित्र।
३. प्रकृति प्रेम।
४. विदेशी शासन की निन्दा।
५. वर्तमान दशा पर क्षोभ।
६. सामाजिक सुधार—भविष्य निर्माण।
७. वीर पुरुषों या नेताओं की स्तुति।
८. पीडित जनता का चित्रण।
९. भाषा-प्रेम।

आचार्य तुलसी के साहित्य में लगभग इन सभी विषयों का विस्तृत विवेचन हुआ है। अनेक वक्तव्य एवं निबंध तो इतने भावपूर्ण हैं कि पढ़कर व्यक्ति के मन में राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर करके उसके उमके नव-निर्माण की भावना जाग जाती है।

आचार्य तुलसी की राष्ट्रीय भावनाएँ भौगोलिक सीमा में आवद्ध नहीं हैं। यद्यपि वे अपने को सार्वजनीन मानते हैं, अतः उनके विचार विशाल एवं व्यापक हैं, फिर भी भारत में जन्म लेने को वे अपना सौभाग्य मानते हैं। अपने सौभाग्य एवं दायित्वबोध को वे निम्न शब्दों में प्रकट करते हैं—“मैं सौभाग्यशाली हूँ कि भारत जैसे पवित्र देश में मुझे जन्म मिला, उसमें भ्रमण किया, उसके अन्न-जल का उपयोग किया और श्रद्धा एवं स्नेह को पाया। इसलिए मेरा फर्ज है कि समस्याओं के निदान और समाधान में त्याग और बलिदान द्वारा जितना बन सके, मानवता का कार्य करूँ। मैंने अपने सम्पूर्ण सम्प्रदाय को इस दिशा में मोड़ने का प्रयास किया है।”^२ सचमुच, जिस महाविभूति का हर श्वास, हर वाणी राष्ट्रभक्ति के भावों से अनुप्राणित हो, उनके द्वारा किए जा रहे राष्ट्रीय एकता के कार्यों का सम्पूर्ण आकलन अनेकों लेखनियों से भी संभव नहीं है।

१. हिन्दी साहित्य में राष्ट्रीय काव्य, पृ० १९।

२. एक वृद्ध : एक सागर, पृ. १७१५।

समाज-दर्शन

साहित्य समाज की चेतना में सास लेता है, अतः साहित्यकार समाज की चेतना को तो प्रतिध्वनित करता ही है, साथ ही साथ वह अपने मौलिक एव क्रांत चिन्तन से समाज को नया विचार एव नया दिशादर्शन भी देता है। डॉ० वी० डी० वैश्य कहते हैं—“समाज का यथार्थ ऊपर-ऊपर नहीं तैरता, उसकी कई परतें होती हैं। साहित्यकार की सूक्ष्म दृष्टि ही परतों को भेदकर उस यथार्थ को जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है।”

प्राचीन मनीषियों ने भी साहित्य और समाज का घनिष्ठ सम्बन्ध माना है। नरेन्द्र कोहली कहते हैं—“यदि साहित्य में दुःख, वेदना या निराशा होगी तो समाज में भी निराशा एव दुःख की वृद्धि होगी। साहित्य में उच्च गुणों की प्रशंसा होगी तो समाज में भी उसका सम्मान बढ़ेगा। साहित्य समाज से कहीं अधिक शक्तिशाली है क्योंकि समाज का निर्माण साहित्यकार के हाथों होता है। अतः साहित्यकार समाज का महत्त्वपूर्ण सदस्य है।”

समाज धनी-निर्धन, पूजीपति-मजदूर, शिक्षित-अशिक्षित आदि अनेक वर्गों में बटा हुआ है। इन दोनों वर्गों में सन्तुलन का कार्य साहित्यकार ही कर सकता है।

प्रेमचन्द इस बात को स्वीकार करते हैं कि समाज स्वयं नहीं चल सकता। उसका नियन्त्रण करने वाली सदा ही कोई अन्य शक्ति रही है। उसमें धर्माचार्य और साहित्यकार महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

आचार्य तुलसी धर्माचार्य के साथ साहित्यकार भी है अतः उनके साथ सहज ही मणिकाचन योग हो गया है। जिस प्रकार कवीर ने जो कुछ लिखा वह किताबी ज्ञान से नहीं, अपितु आखों देखी बात लिखी, वैसे ही आचार्य तुलसी ने सामाजिक चेतना को अपनी अनुभव की आखों से देखकर उसे सवारने का प्रयत्न किया है। उनके समाजदर्शन की विशेषता है कि उन्होंने सब कुछ स्वीकारा नहीं है, गलत मान्यताओं को फटकार एवं चुनौती भी दी है तथा उसके स्थान पर नए मूल्य-निर्माण का संदेश दिया है।

धर्माचार्य होने के नाते वे स्पष्ट शब्दों में अपने सामाजिक दायित्व को स्वीकारते हैं—“धर्मगुरुओं का काम सामायिक, ध्यान, तपस्या, कीर्तन

आदि की प्रेरणा देना ही नहीं है। समाज के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के साथ सामाजिक मूल्यों के परिष्कार का दायित्व भी उन्हीं पर होता है क्योंकि किसी भी समाज में धर्मगुरु के निर्देश का जितना पालन होता है, अन्य किसी का नहीं होता।^{११}

आचार्य तुलसी के उद्बोधन से समाज ने एक नयी करवट ली है तथा उसने युग के अनुसार अपने को बदलने का प्रयास भी किया है। दक्षिण यात्रा की एक घटना इसका बहुत बड़ा निदर्शन है—कन्याकुमारी के बाद जब आचार्य तुलसी केरल जाने लगे तब उन्होंने सोचा कि केरल में साम्यवादी सरकार है। यात्रा में इतनी बहिनें घूँघट और आभूषणों से लदी हैं, यह ठीक नहीं होगा। कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है अतः रात्री में यात्रा-सघ की गोष्ठी बुलाई गई। महिलाओं को निर्देश दिया गया कि या तो घूँघट और आभूषणों का मोह त्यागें अथवा मंगलपाठ सुनकर राजस्थान की ओर रवाना हो जाएं। बहिनो के मन में उथल-पुथल मच गयी। वपों के संस्कार को एक क्षण में छोड़ना कठिन था। आचार्यश्री को भी विश्वास नहीं था कि बहिनें वैसा कर पाएंगी क्या? पर आश्चर्य! दूसरे ही दिन सभी बहिनें अपने धर्मगुरु के एक आह्वान पर परिवर्तन कर चुकी थी। उनके उद्बोधनो ने समाज की अनेक रूढ़ियों को इसी प्रकार विदाई दी है।

समाज के सम्यक् विकास एवं गति हेतु वे नारी जाति को उचित सम्मान देने के पक्षपाती हैं। उन्होंने अनेक बार इस स्वर को मुखर किया है—“जो समाज नारी को सम्मानपूर्वक जीने, स्वतन्त्र चिंतन करने और अपनी अस्मिता को पहचानने का अधिकार नहीं देता, वह विकास नहीं कर सकता।”^{१२} वे समाज को प्रतिबोध देते हैं कि स्त्री होने के कारण महिला जाति की क्षमताओं का समुचित अंकन और उपयोग न हो। इस चिंतन के साथ मेरी सहमति नहीं है।

समाज में उचित व्यवस्था एवं सामंजस्य बनाए रखने के लिए आचार्य तुलसी नारी और पुरुष—समाज के इन दोनों वर्गों को सावधान करते हुए कहते हैं—“यदि पुरुष नारी बनने की कोशिश करेगा एव नारी पुरुष बनने का प्रयत्न करेगी तो समाज और परिवार रूग्ण बने बिना नहीं रह सकेगा।” उसकी स्वस्थता का एक ही आधार है कि दोनों की विशेषताओं का पूरा-पूरा समादर किया जाए।^{१३}

प्रगतिशील एव आधुनिक कहलाने का दम्भ भरने वाले नारी समाज

१. दोनों हाथ : एक साथ, पृ० ४२ ।

२. एक बूद : एक सागर, पृ० १४९५ ।

३. अणुव्रत अनुशास्ता के साथ, पृ० २७ ।

को वे विशेष रूपसे प्रतिबोध देते हैं—“नारी के मुख से जब मैं समानाधिकार की बात सुनता हू तो मुझे जचता नहीं। कैसा समानाधिकार? नारी के तो अपने अधिकार ही बहुत बड़े हैं। वह परिवार, समाज और राष्ट्र की निर्मात्री है। वह समान अधिकार की नहीं, स्व-अधिकार की अधिकारिणी है। कभी-कभी मुझे लगता है नारी पुरुष के बराबर ही नहीं, उसके विरोध में खड़ी होने का प्रयत्न कर रही है पर यह प्रतिक्रिया है, उसके विकास में बाधा है।”^१ आचार्य तुलसी के इस चिंतन का यही निष्कर्ष है कि समाज तभी विकसित, गतिशील एवं सचेतन रह सकता है, जब स्त्री और पुरुष दोनों अपनी-अपनी सीमाओं में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे।

परिवार

परिवार समाज की महत्त्वपूर्ण एवं बुनियादी इकाई है। पाश्चात्य देशों में परिवार पति-पत्नी पर आधारित है पर भारतीय परिवारों के मुख्य केन्द्र बालक, माता-पिता एवं दादा-दादी होते हैं। आचार्य तुलसी संयुक्त परिवार के पक्षपाती हैं क्योंकि इसमें निश्चिन्तता और स्थिरता रहती है। उनका मानना है कि परिवार के टूटने का प्रभाव केवल वर्तमान पीढ़ी पर ही नहीं पड़ता उससे भावी पीढ़ियाँ भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहती।

वर्तमान पीढ़ी की थोड़ी-सी असावधानी आने वाली कई पीढ़ियों को मानसिक दृष्टि से अपाहिज या सकीर्ण बना सकती है।^२

आज संयुक्त परिवारों में तेजी से विखराव आ रहा है। समाज-शास्त्रियों ने पारिवारिक विघटन के अनेक कारणों की भीमासा की है। आचार्य तुलसी की दृष्टि में व्यक्तिवादी मनोवृत्ति, असहिष्णुता, सन्देह, अहंकार, औद्योगीकरण, मकान तथा यातायात की समस्या आदि तत्त्व परिवार-विघटन में मुख्य निमित्त बनते हैं। पर सबसे बड़ा कारण वे पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव को मानते हैं—“पश्चिमी सभ्यता की घुसपैठ ने परिवार में विखराव तो ला दिया, पर अकेलेपन की समस्या का समाधान नहीं किया।”^३

पारिवारिक विघटन से उत्पन्न कठिनाइयों को प्रस्तुत करते उनके ये सटीक प्रश्न आज की असहिष्णु पीढ़ी को कुछ सोचने को मजबूर कर रहे हैं—“स्वतन्त्र परिवार में कुछ सुविधाएँ भले ही हों, पर उनकी तुलना में कठिनाइयाँ अधिक हैं। सबसे बड़ी कठिनाई है विरासत में प्राप्त होने वाले

१. जैन भारती, १६ मार्च १९५८।

२. वीति ताहि विसारि दे, पृ० ६८।

३. मनहसा मोती चुगे, पृ० १०३।

सस्कारो की। लड़की ससुराल जाते ही सास-ससुर आदि के साथे से दूर रहने लगेगी तो उसे संस्कार कौन देगा ? पति के ऑफिस चले जाने पर सुबह से शाम तक अकेली स्त्री क्या करेगी ? बीमारी आदि की परिस्थिति में सहयोग किसका मिलेगा ? कहीं आने-जाने के प्रसंग में घर और बच्चों का दायित्व कौन ओढ़ेगा ? ऐसे ही कुछ और सवाल हैं, जो संयुक्त परिवार से मिलने वाली सुविधाओं को उजागर कर रहे हैं।^१

अच्छे संस्कारो का सक्रमण सयुक्त परिवार की सबसे बड़ी उपयोगिता है। इस तथ्य को आचार्य तुलसी अनेक बार भारतीय जनता के समक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं। भारत की प्राचीन सस्कृति की अवगति देते हुए वे आज की युवापीढी को प्रतिबोध दे रहे हैं—“प्राचीनकाल में बूढ़ी नानियो-दादियों के पास सस्कारो का अखूट खजाना हुआ करता था। सूर्यास्त के बाद बच्चो का जमघट उन्ही के आस-पास रहता था। वे मीठी-मीठी कहानियां सुनाती, लोरिया गाती, बच्चो के साथ संवाद स्थापित करती और बातों ही बातों में उन्हे संस्कारो की अमूल्य धरोहर सौंप जाती। जिन लोगो को अपना बचपन नानियो-दादियो के साथे में विताने का मौका मिला है, वे आज भी उच्च सस्कारों से सम्पन्न है।”^२

अलगाववादी मनोवृत्ति वाली युवापीढी को रूपान्तरण का प्रतिबोध देते हुए उनका कहना है—“जो व्यक्ति परिवार में बढ़ते हुए भगड़ो के कारण अलग रहने का निर्णय लेते हैं, उन्हे स्थान के बदले स्वभाव बदलने की बात सोचनी चाहिए।”^३ इसी प्रकार परिवार की बुजुर्ग महिलाओं को भी मनोवैज्ञानिक तरीके से स्वभाव-परिवर्तन एवं व्यवहार परिष्कार की बात सुझाते हैं—“जिस प्रकार महिलाएं अपनी वेटी की गलती को शांति से सह लेती हैं, उसी प्रकार बहू को भी सहन करना चाहिए। अन्यथा उनके जीवन में दोहरे संस्कार और दोहरे मानदण्ड सक्रिय हो उठेंगे।”^४

परिवार में शान्त सहवास का होना अत्यन्त अपेक्षित है। आचार्य तुलसी तो यहा तक कह देते हैं—“जहां एक सदस्य दूसरे के जीवन में विघ्न बने बिना रहता है, जहा सापेक्षता बहुत स्पष्ट होती है, वही सही अर्थ में परिवार बनता है।”^५ सयुक्त परिवार में शांत एवं सौहार्दपूर्ण सहवास के लिए आचार्य तुलसी चार गुणो का होना अनिवार्य मानते हैं—१. सहनशीलता,

१. दोनो हाथ . एक साथ, पृ० ५ ।

२. आह्वान, पृ० ४ ।

३. वीती ताहि विसारि दे, पृ० ६७ ।

४. अतीत का विसर्जन . अनागत का स्वागत, पृ० १४२ ।

५. क्या धर्म बुद्धिगम्य है ? , पृ० ६६ ।

२ स्नेहशीलता, ३. श्रमशीलता, ४ पारस्परिक विश्वास । उनका विश्वास है कि ये चार तत्त्व जिस परिवार के सदस्यों में हैं, वहाँ सैकड़ों सदस्यों का उपस्थिति में भी विघटन एवं तनाव की स्थिति घटित नहीं हो सकती ।

पाष्चात्य विद्वान् मैकेजी कहते हैं—“यदि परिवार को छोटा कहे तो शिशु उसका वास्तविक सम्राट् है ।” बालको के निर्माण में पिता की अहभूमिका रहती है । जिस परिवार में बच्चों के सम्स्कार-निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, कालान्तर में उस परिवार में सुख समृद्धि एवं विकास के द्वार अवरुद्ध हो जाते हैं । आज समाज शास्त्री यह सुझाव उद्घोषणा कर चुके हैं कि जैसा परिवार होगा, वैसा ही बालक का व्यक्तित्व निर्मित होगा । आचार्य तुलसी की निम्न प्रेरणा अभिभावकों को दायित्वबोध कराने में सक्षम है—“आश्चर्य है कि रोटी कपड़े के लिए मनुष्य जब इतने कष्ट सह सकता है तो सन्तान को सम्स्कारी बनाने की ओर उसका ध्यान क्यों नहीं जाता ?”^१

सामाजिक रूढ़ियाँ

अधविश्वास और रूढ़ियाँ किसी न किसी रूप में सर्वत्र रहेगी । यदि उसके विरोध में आवाज उठती रहे तो समाज जड़ नहीं बनता । आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी कहते हैं—“साहित्य सामाजिक मंगल का विधायक है । यह सत्य है कि वह व्यक्ति विशेष की प्रतिभा से रचित होता है किन्तु और भी अधिक सत्य यह है कि प्रतिभा सामाजिक प्रगति की ही उपज है ।”^२

आचार्य तुलसी ने समाज से पराङ्मुख होकर अपनी लेखनी एवं वाणी का उपयोग नहीं किया । समाज की किसी भी रूढ़ि या गलत परम्परा को अनदेखा नहीं किया । यही कारण है कि उनके पूरे साहित्य में समाज के सभी वर्गों की सामाजिक एवं धार्मिक कुरूढ़ियों पर प्रहार करने वाले हजारों वक्तव्य हैं । समाज की समस्याओं के बारे में आचार्य तुलसी नवीन सन्दर्भ में सोचने, देखने व परखने में सिद्धहस्त हैं । उन्होंने समाज की इस विवेक दृष्टि को खोलने का प्रयत्न किया कि सभी पूर्व मान्यताओं को नवीन कसौटियों पर नहीं कसा जा सकता । पुरानी चौखट पर नवीन तस्वीर को नहीं मढ़ा जा सकता । उसमें भी कुछ युगीन एवं अपेक्षित सशोधन आवश्यक है । कहा जा सकता है कि उनके साहित्य में प्राचीन परम्परा और युगचेतना एक साथ साकार देखी जा सकती है ।

सामाजिक परम्पराओं के बारे में उनका चिन्तन स्पष्ट है कि

१. एक बूढ़ . एक सागर, पृ० १४१९ ।

२. विचार और तर्क, पृ० २४४ ।

सामाजिक परम्पराएं एवं रीति-रिवाज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संप्रांत होते हैं और समाज को जोड़कर रखते हैं। पर जब उन परम्पराओं और रीति-रिवाजों में अपसंस्कृति का मिश्रण होने लगे, आटम्वर और प्रथमन होने लगे तो वे अपनी सांस्कृतिक गरिमा खो देते हैं।^{११} इन प्रांत विचारों के कारण आचार्य तुलसी की रूढ़ि किमी भी धोत्र में प्रिय नहीं है। अच्छी से अच्छी बात में भी उनको यह आशंका हो जाए कि यह आगे जाकर रूढ़ि या देखादेखी का रूप ले सकती है तो वे स्थिति धारण में पूर्व ही समाज को सावचेत कर उसमें नया उन्मेष लाने की बात गुना देते हैं।

आचार्य तुलसी हर परम्परा को अंधविश्वास या रूढ़ि नहीं मानते, क्योंकि वे मानते हैं कि सत्य अत्यन्त है अतः बुद्धिगम्य भाग को छोड़कर शेष विपुल सत्य को अंधविश्वास कहना उचित नहीं है। पर जब उसमें अवांछनीय तत्त्व प्रवेश कर जाते हैं, तब समाज को दिशादर्शन देते हुए उनका कहना है—“जिस परम्परा की अर्थवत्ता समाप्त हो जाए, जो रूढ़ि का रूप ले ले, जिसके कारण व्यक्ति या समाज पर आर्थिक दबाव पड़े और जो बुद्धि एवं आस्था के द्वारा भी समझ का विषय न बने, उस परम्परा का मूल्य एक शव से अधिक नहीं हो सकता।”

परिवर्तन एवं अनुकरण के द्वारे में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की निम्न उक्ति अत्यन्त मार्मिक है—“लज्जा प्रकाश ग्रहण करने में नहीं, अन्धानुकरण में होनी चाहिए। अविवेक पूर्ण ढंग से जो भी सामने पड़े गया उसे सिर माथे चढा लेना, अन्धभाव से अनुकरण करना आतिगत हीनता का परिणाम है। जहाँ मनुष्य विवेक को ताक पर रखकर सब कुछ ही अंधभाव से नकल करता है, वहाँ उसका माननिक दैन्य और सांस्कृतिक दारिद्र्य प्रकट होता है। जहाँ सोच समझकर ग्रहण करता है.....वहाँ वह अपने जीवन्त स्वभाव का परिचय देता है।”^{१२} आचार्य तुलसी की निम्न उक्ति रूढ़ एवं अन्धविश्वासी चेतना को परिवर्तन की प्रेरणा देने में पर्याप्त है—“समाज सदा परिवर्तनशील है अतः समय-समय पर उपयुक्त परिवर्तन के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए अन्यथा जीवन रुट बन जाएगा और अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।”^{१३}

आचार्य तुलसी समाज को अनेक बार चुनौती दे चुके हैं—सामाजिक कुरूपि एवं अन्धविश्वासों से समाज इतना जर्जर, दुःखी, निष्क्रिय, जट और सत्त्वहीन हो जाता है कि वह युग की किरती चुनौती को भेन नहीं

१. एक वृद्ध : एक सागर, पृ० ८५२ ।

२. हजारीप्रसाद द्विवेदी-ग्रन्थावली-भाग ७, पृ० १३८ ।

३. जैन भारती, १६ अग० १९६९ ।

सकता। यही कारण है कि वे समाज में व्याप्त दुर्बलता, कुरीतियाँ एवं कमजोरी की तीखी आलोचना करते हैं पर उस आलोचना के पीछे उनका प्रगतिशील एवं सुधारवादी दृष्टिकोण रहता है, जो कम लोगों में मिलता है। निम्न वार्तालाप उनके व्यक्तित्व की उसी छवि को अंकित करता है—

एक कवि ने आचार्य तुलसी से पूछा—आप धर्मगुरु हैं ? राजनीतिज्ञ हैं या समाज सुधारक ? आचार्य तुलसी ने उत्तर दिया—“धर्मगुरु तो आप मुझे कहे या नहीं, पर मैं साधक हूँ, समाज सुधारक भी हूँ।” साधक होने के कारण उनका सुधारवादी दृष्टिकोण किसी कामना या लालसा से संपृक्त नहीं है, यही उनके सुधारवादी दृष्टिकोण का महत्त्वपूर्ण पहलू है।

दहेज

दहेज की परम्परा समाज के मस्तक पर कलंक का अमिट धब्बा है। इस विकृत परम्परा से अनेक परिवार क्षत-विक्षत एवं प्रताड़ित हुए हैं। अनेक कन्याओं एवं महिलाओं को असमय में ही कुचल दिया गया है। आचार्य तुलसी की प्रेरणा ने लाखों परिवारों को इस मर्यादात्मक पीड़ा से मुक्त ही नहीं किया वरन् सैकड़ों कन्याओं के स्वाभिमान को भी जागृत करने का प्रयत्न किया है, जिससे समाज की इस विपैली प्रथा के विरुद्ध वे अपनी विनम्र एवं शालीन आवाज उठा सके। राणावास में मेवाड़ी बहिनों के सम्मेलन में कन्याओं के भीतर जागरण का सिंहनाद करते हुए वे कहते हैं—
“दहेज वह कैंसर है, जिसने समाज को जर्जर बना दिया है। इस कण्टसाध्य बीमारी का इलाज करने के लिए बहिनों को कुर्बानी के लिए तैयार रहना होगा। आप लोगों में यह जागृति आए कि जहाँ दहेज की मांग होगी, ठहराव होगा, वहाँ हम शादी नहीं करेगी। आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर जीवन व्यतीत करेगी, तभी वाञ्छित परिणाम आ सकता है।”

दहेजलोलुप लोगों की विवेक चेतना जगाते हुए आचार्य तुलसी कहते हैं—“कहा तो कन्या का गृहलक्ष्मी के रूप में सर्वोच्च सम्मान और कहा विवाह जैसे पवित्र सस्कार के नाम पर मोल-तोल। यह कुविचार ही नहीं, कुकर्म भी है।”

आचार्य तुलसी ने समाज की इस कुप्रथा के विविध रूपों को पैनपन के साथ उकेरकर वेधक प्रश्नचिह्न भी उपस्थित किए हैं—“दहेज की खुली मांग, ठहराव, मांग पूरी करने की बाध्यता, प्राप्त दहेज का प्रदर्शन और टीका-टिप्पणी—इससे आगे बढ़कर देखा जाए तो नवोढ़ा के मन को व्यग्र वाणों से छलनी बना देना, उसके पितृपक्ष पर टोट कसना, बात-बात में उसका अपमान करना आदि क्या किसी शिष्ट और सयत मानसिकता की

उपज है ? दहेज की इस यात्रा का अन्त इसी विन्दु पर नहीं होता.... अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक यातनाएं, मार-पीट, घर से निकाल देना और जिन्दा जला देना, क्या एक नारी की नियति यही है”

पिशाचिनी की भाति मुह वाए खड़ी इस समस्या के उन्मूलन के प्रति आचार्य तुलसी आस्थावान् है। दहेज उन्मूलन हेतु प्रतिकार के लिए समाज को दिशाबोध देते हुए वे कहते हैं—“जहा कही, जब कभी दहेज को लेकर कोई अवाछनीय घटना हो, उस पर अंगुलिनिर्देश हो, उसकी सामूहिक भर्त्सना हो तथा अहिंसात्मक तरीके से उसका प्रतिकार हो। ऐसे प्रसंगों को परस्मैपद की भाषा न देकर आत्मनेपद की भाषा में पढा जाए, तभी इस असाध्य बीमारी से छुटकारा पाने की सम्भावना की जा सकती है।”

जातिवाद

“मेरा अस्पृश्यता मे विश्वास नहीं है। यदि कोई अवतार भी आकर उसका समर्थन करे तो भी मैं इसे मानने को तैयार नहीं हो सकता। मेरा मनुष्य की एक जाति मे विश्वास है”—आचार्य तुलसी की यह क्रांतवाणी जातिवाद पर तीखा व्यंग्य करने वाली है। आचार्य तुलसी समता के पोषक है अतः उन्होंने पूरी शक्ति के साथ इस प्रथा पर प्रहार कर मानवीय एकता का स्वर प्रखर किया है। लगभग ४५ वर्षों से वे समाज की इस विषमता के विरोध मे अपना आंदोलन छेडे हुए है। इस बात की पुष्टि निम्न घटना प्रसंग से होती है—

सन १९५४, ५५ की बात है। आचार्यश्री के मन में विकल्प उठा कि मानव-मानव एक है, फिर यह भेद क्यों ? यह विचार मुनिश्री नथमलजी (युवाचार्य महाप्रज्ञ) के समक्ष रखा। उन्होंने एक पुस्तिका लिखी, जिसमे जातिवाद की निरर्थकता सिद्ध की गयी। पुस्तिका को देखकर आचार्यप्रवर ने कहा—अभी इसे रहने दो, समाज इसे पचा नहीं सकेगा। दो क्षण बाद फिर दृढ़ विश्वास के साथ उन्होंने कहा—“जब इन तथ्यों की स्थापना करनी ही है तो फिर भय किसका है ? ऊहापोह होगा, होने दो। कित्ताब को समाज के समक्ष आने दो। इससे मानवता की प्रतिष्ठा होगी। हमारे सामने उन लाखों-करोड़ों लोगों की तस्वीरे हैं, जिन्हे पददलित एव अस्पृश्य कहकर लोगों ने ठुकरा दिया है। ऐसे लोगों को हमे ऊचा उठाना है, सहारा देना है।” इस घटना मे आचार्य तुलसी का अप्रतिम साहस बोल रहा है।

उच्चता और हीनता के मानदंडों को प्रकट करने वाली उनकी ये

१. अनैतिकता की धूप : अणुव्रत की छतरी, पृ० १७७।

२. अमृत सन्देश, पृ० ७०।

व्यक्तियों जितनी सतीक बनकर भीमतीं और महाजनों को अंतर में स्थापने को प्रेरित कर रही है— 'जाति के आधार पर किसी को दीव, हीन और अस्पृश्य मानना, उसको मौलिक अधिकारों से वंचित करना सामाजिक विषमता एवं वर्गसंघर्ष को बढ़ावा देना है। म तो मानता हूँ जाति से स्पृश्य नीच, भ्रष्ट या घृणारूप नहीं होता। जिनके आचरण खराब है, जायते धुरी हैं, जो शराबी है, जुआरी है, वे भ्रष्ट है, चाहे वे किसी जाति के हों।'

जातिवाद पतन के एक बहुत बड़ा कारण ने रूढ़ धर्माचार्यों को मानते है। समय आने पर सामाजिक वैषम्य धैराजे वाले धर्माचार्यों को ललकारने से भी ने नहीं सूके है— 'देश में लगभग पन्द्रह करोड़ परिवार हैं। उनका सम्बन्ध हिन्दू समाज के साथ है। उनकी जो दुर्दशा हो रही है, उसका मुख्य कारण है—धर्मान्धता। ये धर्मांध लोग कभी सचक भक्ति-प्रवेश पर रोक लगाते है और कभी जग्य नहाना बताकर अकारण ही उन्हें सजाते है। क्या ऐसा कर उन्हें धर्म-परिवर्तन की ओर धकेला नहीं जा रहा है? क्या ऐसा होना समाज के हित में होगा? कुछ धर्मगुरु भी बेवर्गिवादी धारों को प्रश्रय देते हैं, जातिवाद का विप भीतते है और हिन्दू-समाज को आपस में लड़ाकर अपनी अहंवादी गंजावृत्ति का परिचय देते है।' समाज गुरु कथन इस बात का संकेत है कि सभी धर्माचार्य और धर्मनेता आदि को ने समाज को टूटन और निखराव की स्थिति से प्रहार सफल है। धर्मगुरुओं को ने विनम्र आह्वान करते हुए कहते है— 'देश के धर्मगुरुओं और धर्मनेताओं को मेरा विनम्र शुभाव है कि वे अपने अनुयायियों को नीचक भुल्या नहीं और अग्रसर करें। उन्हें हिंसा, श्रुआकृत एवं शारप्रदायिकता से बचना। पारस्परिक सौहार्द एवं सद्भावना बढ़ाने की प्रेरणा दें तथा अन्धविश्वास को सुरक्षित स्थिति का प्रयत्न करें। जो अनेक समस्याओं का समाधान ही सफल है।'

आचार्य मुन्शी ने जातिवाद के विरुद्ध आवाज ही नहीं उठाई, जीवन के अनेक उदाहरणों से समाज को सक्षय प्रभावण की दिया है। सन १९५१ के आसपास की घटना है। आचार्यवर कुछ माधु-माधवियों को आमजन अन्धक रहे थे। सदस्या प्रवचन सभा में उन्होंने जाति के वर्गीकरण को नहीं छोड़े देने को कहे अन्धक से कहा गया, दलन ही देवता— 'दलन ही देवता' की निकाय की गयी। आचार्यजी का यह यह ज्ञान श्रुति से लब्ध अथवा अथवा का कहे श्रुतक... पर पत्रों और कहे अन्धक से समाज का अन्धकारों हुए कहा... की उंचा पालन जति अथवा सौध...

१. दलन अथवा श्रुति

१३१

२. दैर्घ्यविमर्श

१३१

१७१

सही ऐसा कौन-सा मानव है, जिसका सृजन हाड-मांस या रक्त से न हुआ हो ? ऐसी कौन-सी माता है, जिसने बच्चे की सफाई में हरिजनत्व न स्वीकारा हो ? भाइयो ! मनुष्य अछूत नहीं होता, अछूत दुष्प्रवृत्तियां होती हैं।”^१ ऐसे ही एक विषेय प्रसंग पर लोक-चेतना को प्रबुद्ध करते हुए वे कहते हैं—“मैं समझ नहीं पाया, यह क्या मर्ज़ाल है ? जिस घृणा को मिटाने के लिए धर्म है, उसी के नाम पर घृणा और मनुष्य जाति का विघटन ! मन्दिर में आप लोग हरिजनो का प्रवेश निषिद्ध कर देंगे पर यदि उन्होंने घर बैठे ही भगवान् को अपने मनमंदिर में बिठा लिया तो उसे कौन रोकेगा ?”^२

लम्बी पदयात्राओं के दौरान अनेक ऐसे प्रसंग उपस्थित हुए, जबकि आचार्यश्री ने उन मंदिरो एवं महाजनो के स्थान पर प्रवास करने से इन्कार कर दिया, जहां हरिजनो का प्रवेश निषिद्ध था। १ जुलाई १९६८ की घटना है। आचार्य तुलसी दक्षिण के वेलोर गांव में विराज रहे थे। अचानक वे मकान को छोड़कर बाहर एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। पूछने पर मकान छोड़ने का कारण बताते हुए उन्होंने कहा—“मुझे जत्र पता चला कि कुछ हरिजन भाई मुझसे मिनने नीचे खड़े हैं, उन्हें ऊपर नहीं आने दिया जा रहा है, यह देखकर मैं नीचे मकान के बाहर असीम आकाश के नीचे आ गया। इस विषम स्थिति को देखकर मेरे मन में विकल्प उठता है कि समाज में कितनी जड़ता है कि एक कुत्ता मकान में आ सकता है, साथ में खाना खा सकता है किंतु एक इन्सान मकान में नहीं आ सकता, यह कितने आश्चर्य की बात है ?”^३ आचार्य तुलसी मानते हैं—“जाति, रंग आदि के मद से सामाजिक विक्षोभ पैदा होता है इसलिए यह पाप की परम्परा को बढ़ाने वाला पाप है।”

आचार्य तुलसी के इन सघन प्रयासों से समाज की मानसिकता में इतना अन्तर आया है कि आज उनके प्रवचनों में विना भेदभाव के लोग एक दरी पर बैठकर प्रवचन का लाभ लेते हैं।

सामाजिक क्रांति

देश में अनेक क्रांतियां समय-समय पर घटित होती रही हैं, उनमें सामाजिक क्रांति की अनिवार्यता सर्वोपरि है क्योंकि रूढ़ परम्पराओं में जकड़ा समाज अपनी स्वतंत्र पहचान नहीं बना सकता। आचार्य तुलसी को सामाजिक क्रांति का सूत्रधार कहा जा सकता है। समाज को संगठित करने, उसे नई दिशा देने, जागृत करने तथा अच्छा-बुरा पहचानने में उनका

१. जैन भारती, ३० अप्रैल १९६१।

२. २४-९-६५ के प्रवचन से उद्धृत।

३. जैन भारती, २१ जुलाई १९६८।

क्रांतिकारी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आया है। क्रांति के संदर्भ में आचार्य तुलसी का निजी मंतव्य है कि क्रांति की सार्थकता तब होती है, जब व्यक्ति-चेतना में सत्य या सिद्धांत की सुरक्षा के लिए गलत मूल्यों या गलत तत्त्वों को निरस्त करने का मनोभाव जागता है।¹¹ वे रूढ़ सामाजिक मान्यताओं के परिवर्तन हेतु क्रांति को अनिवार्य मानते हैं पर उसका साधन शुद्ध होना आवश्यक मानते हैं।

आचार्य तुलसी सामाजिक क्रांति की सफलता में मुख्य केन्द्र-बिन्दु युवा समाज को स्वीकारते हैं। इस सन्दर्भ में उनकी निम्न टिप्पणी पठनीय है—“क्रांति का इतिहास युवाशक्ति का इतिहास है। युवको के सहयोग और असहयोग पर ही वह सफल एव असफल होती है।”¹² युवको को अतिरिक्त महत्त्व देने पर भी उनका सतुलित एव समन्वित दृष्टिकोण इस तथ्य को भी स्वीकारता है—“मैं मानता हूं समाज की प्रगति एव परिवर्तन के लिए वृद्धों का अनुभव तथा युवको की कर्तृत्व शक्ति दोनों का उपयोग है। मैं चाहता हूं वृद्ध अपने अनुभवों से युवको का पथदर्शन करे और युवक वृद्धों के पथदर्शन में अपने पौरुष का उपयोग करे।”¹³

आचार्य तुलसी की दृष्टि में सामाजिक क्रांति का प्रारम्भ व्यक्ति से होना चाहिए, समाज से नहीं। वे अनेक वार इस तथ्य को अभिव्यक्ति दे चुके हैं कि व्यक्ति-परिवर्तन के माध्यम से किया गया समाज-परिवर्तन ही चिरस्थायी होगा। व्यक्ति-परिवर्तन की उपेक्षा कर थोपा गया समाज-परिवर्तन भविष्य में अनेक समस्याओं का उत्पादक बनेगा।¹⁴ आचार्य तुलसी व्यक्ति-सुधार के माध्यम से समाज-सुधार करने में अधिक लाभ एवं स्थायित्व देखते हैं। ‘अणुव्रत गीत’ में भी वे इसी सत्य का सगान करते हैं—

सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से, राष्ट्र स्वयं सुधरेगा।

‘तुलसी’ अणुव्रत सिंहनाद सारे जग में पसरेगा ॥

सामाजिक क्रांति की सफलता के संदर्भ में आचार्य तुलसी का मानना है कि जब तक परिवर्तन और अपरिवर्तन का भेद स्पष्ट नहीं होगा तब तक सामाजिक क्रांति का चिरस्वप्न साकार नहीं होगा।¹⁵

सामाजिक संकट की विभीषिका को उनका दूरदर्शी व्यक्तित्व समय में पहले पहचान लेता है। इसी दूरदृष्टि के कारण वे परिवर्तन और स्थिरता

१. सफर . आधी शताब्दी का, पृ० ८३।

२. भोर भई, पृ० २०।

३. धर्मचक्र का प्रवर्तन, पृ० २१७।

४. एक बूद : एक सागर, पृ० १४९७।

५. वही, पृ० १५५९।

के बीच सेतु का काम करते रहते हैं। आचार्य तुलसी ने अपने साहित्य में अंधरूढियों के विरोध में क्रांति की आवाज ही बुलन्द नहीं की अपितु उनके संशोधन एवं परिवर्तन की प्रक्रिया एवं प्रयोग भी प्रस्तुत किए हैं क्योंकि उनकी मान्यता है कि परिवर्तन और क्रांति के साथ यदि नया विकल्प या नई परम्परा समाज के समक्ष प्रकट नहीं की जाए तो वह क्रांति या परिवर्तन सफल नहीं हो पाता है।

आचार्य तुलसी के क्रांतिकारी व्यक्तित्व का अंकन करते हुए राममनोहर त्रिपाठी कहते हैं—“क्रांति की बात करना आसान है पर करना बहुत कठिन है। इसके लिए समग्रता से प्रयत्न करने की अपेक्षा रहती है। आचार्य तुलसी जैसे तपस्वी मानव ही ऐसा वातावरण निर्मित कर सकते हैं।”

आचार्य तुलसी के समक्ष यह सत्य स्पष्ट है कि परम्परा का व्यामोह रखने वाले और विरोध की आग में डरने वाले कोई महत्त्वपूर्ण कार्य मपन्न नहीं कर सकते।¹¹ जब आचार्य तुलसी ने सड़ी-गली मान्यताओं के विरोध में अपनी सशक्त आवाज उठाई, तब समाज में होने वाली तीव्र प्रतिक्रिया उनकी स्वयं की भाषा में पठनीय है—“मैंने समाज को मादगीपूर्ण एवं सक्रिय जीवन जीने का सूत्र तब दिया, जब आडम्बर और प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहन मिल रहा था। इससे समाज में गहरा ऊहापोह हुआ। धर्माचार्य के अधिकारों की चर्चा चली। सामाजिक दायित्व का विश्लेषण हुआ और मुझे परम्पराओं का विघटक घोषित कर दिया गया। मेरा उद्देश्य स्पष्ट था इसलिए समाज की आलोचना का पात्र बनकर भी मैंने समय-समय पर प्रदर्शनमूलक प्रवृत्तियों, अधपरम्पराओं और अधानुकरण की वृत्ति पर प्रहार किया।”¹²

वे प्रवचनों एवं निबन्धों में स्पष्ट कहते रहते हैं—“मैं रूढियों का विरोधी हूँ, न कि परम्परा का। समाज में उसी परम्परा को जीवित रहने का अधिकार है, जो व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र की धारा से जुड़कर उसे गतिशील बनाने में निमित्त बनती है। पर मैं इतना रूढ़ भी नहीं हूँ कि अर्थहीन परम्पराओं को प्रश्रय देता रहूँ।”¹³ वे इस सत्य को जीवन का आदर्श मानकर चल रहे हैं—“मैं परिवर्तन के समय में स्थिरता में विश्वास बनाए रखना चाहता हूँ और स्थिरता के लिए परिवर्तन में विश्वास करता हूँ। वह परिवर्तन मुझे मान्य नहीं, जहाँ सत्य की विस्मृति हो जाए।”¹⁴

१. एक बूद : एक सागर, पृ० ८५१।

२. राजपथ की खोज, पृ० २०१।

३. एक बूद : एक सागर, पृ० ८५२, ८५३।

४. वही, पृ० ८६१।

सामाजिक क्रांति को घटित करने के कारण वे युगप्रवर्तक एवं युगप्रधान के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। उन्होंने सदैव युग के साथ आवश्यकतानुसार स्वयं को बदला है तथा दूसरों को भी बदलने की प्रेरणा दी है।

जया मोड़

आडम्बर, प्रदर्शन एवं दिखावे की प्रवृत्ति से सामाजिक परम्पराएँ इतनी बोझिल हो जाती हैं कि उन्हें निभाते हुए सामान्य व्यक्ति की तो आर्थिक रीढ़ ही टूट जाती है और न चाहते हुए भी उसके कदम अनैतिकता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आचार्य तुलसी सामाजिक कुरीतियों को जीवन-विकास का सबसे बड़ा बाधक तत्त्व मानते हैं।

समाज के बढ़ते हुए आर्थिक बोझ तथा सामाजिक विकृतियों को दूर करने हेतु उन्होंने सन् १९५८ के कलकत्ता प्रवास में अणुव्रत आंदोलन के अन्तर्गत 'नए मोड़' का सिंहानाद फूका।

आचार्य तुलसी के शब्दों में 'नए मोड़' का तात्पर्य है—“जीवन दिशा का परिवर्तन। आडम्बर और कुरूपियों के चक्रव्यूह को भेदकर संयम, सादगी की ओर अग्रसर होना। विपमता और शोषण के पजे से समाज को मुक्त करना। अहिंसा और अपरिग्रह के माध्यम से जीवन-विकास का मार्ग प्रस्तुत करना। जीवन की कुण्ठित धारा को गतिशील बनाना।”

दहेज प्रथा को मान्यता देना, शादी के प्रसंग में दिखावा करना, मृत्यु पर प्रथा रूप से रोना, पति के मरने पर वर्षों तक स्त्री का कोने में बैठे रहना, विधवा स्त्री को कलक मानना, उसका मुख देखने को अपशकुन कहना—आदि ऐसी रूढ़ियाँ हैं, जिनको आचार्य तुलसी ने इस नए अभिक्रम में उनको ललकारा है। आज ये कुरूपियाँ उनके प्रयत्न से अपनी अन्तिम सासें ले रही हैं।

इस नए अभिक्रम की विधिवत् शुरुआत राजनगर में तेरापथ की द्विशताब्दी समारोह (१९५९) की पुनीत वेला में हुई। आचार्य तुलसी ने 'नए मोड़' को जन-आंदोलन का रूप देकर नारी जाति को उन्मुक्त आकाश में सांस लेने की बात समझाई। बहिनों में एक नयी चेतना का संचार किया। नए मोड़ के प्रारम्भ होने से राजस्थानी बहिनों का अपूर्व विकास हुआ। जो स्त्री पदों में रहती थी, शिक्षा के नाम पर जिसे एक अक्षर भी नहीं पढ़ाया जाता था, यात्रा के नाम पर जो स्वतन्त्र रूप से घर की दहलीज भी नहीं लाघ सकती थी, उस नारी को सार्वजनिक मंच पर उपस्थित कर उसे अपनी शक्ति और अस्तित्व का अहसास करवा दिया।

अपने प्रयाण गीत में वे क्रांतिकारी भावनाओं को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं—

“नया मोड़ हो उसी दिशा में, नयी चेतना फिर जागे,
तोड़ गिराएं जीर्ण-शीर्ण जो अंधरूढियों के धागे ।

आगे बढ़ने का अब युग है, बढ़ना हमको सबसे प्यारा ॥”

जन्म, विवाह एव मृत्यु के अवसर पर लाखों-करोड़ों रूपयों को पानी की भाँति बहाया जाता है । इन झूठे मानदंडों को प्रतिष्ठित करने से समाज की गति अवरुद्ध हो जाती है । ‘नए मोड़’ अभियान के माध्यम से आचार्य तुलसी ने समाज की प्रदर्शनप्रिय एव आडम्बरप्रधान मनोवृत्ति को संयम, सादगी एव शालीनता की ओर मोड़ने का भागीरथ प्रयत्न किया है ।

आचार्य तुलसी का चिन्तन है कि मानव अपनी आंतरिक रिक्तता पर आवरण डालने के लिए प्रदर्शन का सहारा लेता है । उन्होंने समाज में होने वाले तर्कहीन एव खोखले आडम्बरों का यथार्थ चित्रण अपने साहित्य में अनेक स्थलों पर किया है । यहां उसके कुछ विन्दु प्रस्तुत हैं, जिससे समाज वास्तविकता के धरातल पर खड़ा होकर अपने आपको देख सके । निम्न विचारों को पढ़ने से समझा जा सकता है कि वे समाज की हर गतिविधि के प्रति कितने जागरूक हैं ?

जन्म दिन पर होने वाली पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण आचार्य तुलसी की दृष्टि में सम्यक् नहीं है । इस पर प्रश्नचिह्न उपस्थित करते हुए वे कहते हैं—“केक काटना, मोमवत्तियां जलाना या बुझाना आदि जैन क्या भारतीय संस्कृति के भी अनुकूल नहीं है । फिर भी आधुनिकता के नाम पर सब कुछ चलता है । कहा चला गया मनुष्य का विवेक ? क्या यह आख मूढ़कर चलने का अभिनय नहीं है ?”

शादी आज सादी नहीं, वर्वादी बनती जा रही है । विवाह के अवसर पर होने वाले आडम्बरों एव रीति-रिवाजों की एक लम्बी सूची प्रस्तुत करते हुए वे समाज को कुछ सोचने को मजबूर कर रहे हैं—

“विवाह से पूर्व सगाई के अवसर पर बड़े-बड़े भोज, साते या वीटी में लेन-देन का असीमित व्यवहार, वारात ठहराने एवं प्रीतिभोजों के लिए फाइव स्टार (पंचसितारा) होटलों का उपयोग, घर पर और सड़क पर समूहनृत्य, मण्डप और पण्डाल की सजावट में लाखों का व्यय, कार से उतरने के स्थान से लेकर पण्डाल तक फूलों की सघन सजावट, विजली की अतिरिक्त जगमगाहट, कुछ मनचले लोगों द्वारा वारात में शराब का प्रयोग, एक-एक खाने में सैकड़ों किस्म के खाद्य, अनेक प्रकार के पेय, प्रत्येक दस मिनट के

वाद नए-नए खाद्य-पेय की मनुहार—क्या यह सब धार्मिक कहलाने वाले परिवारो मे नही हो रहा है ? समाज का नेतृत्व करने वाले लोगो मे नही हो रहा है ? “एक ओर करोड़ो लोगो को दो समय का पूरा भोजन मयस्सर नही होता, दूसरी ओर भोजन-व्यवस्था मे लाखो-करोड़ो की बर्बादी । समझ मे नही आता, यह सब क्या हो रहा है ?”^१

शादी की वर्षगांठ को धूमधाम से मनाना आधुनिक युग की फैशन बनती जा रही है । इसकी तीखी आलोचना करते हुए वे समाज का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं—

“प्राचीनकाल मे एक बार विवाह होता और सदा के लिए छुट्टी हो जाती । पर अब तो विवाह होने के बाद भी बार-बार विवाह का रिहर्सल किया जाता है । विवाह की सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, षष्टिपूर्ति आदि न जाने कितने अवसर आते हैं, जिन पर होने वाले समारोह प्रीतिभोज आदि देखकर ऐसा लगता है मानो नए सिरे से शादी हो रही है ।”^२

मृतक प्रथा पर होने वाले आडम्बर और अपव्यय पर उनका व्यंग्य कितना मार्मिक एवं वेधक है—“आश्चर्य है कि जीवनकाल मे दादा, पिता और माता को पानी पिलाने की फुरसत नही और मरने के बाद हलुआ, पूड़ी खिलाना चाहते है, यह कैसी विडम्बना और कितना अधविश्वास है ।”^३

इसके अतिरिक्त ‘नए मोड’ के माध्यम से उन्होंने विधवा स्त्रियो के प्रति होने वाली उपेक्षा एवं दयनीय व्यवहार को भी बदलने का प्रयत्न किया है । इस सदर्थ मे उन्होने समाज को केवल उपदेश ही नही दिया, बल्कि सक्रिय प्रयोगात्मक प्रशिक्षण भी दिया है । हर मंगल कार्य मे अपशकुन समझी जाने वाली विधवा स्त्रियो का उन्होने प्रस्थान की मंगल वेला मे अनेक बार शकुन लिया है तथा समाज की भ्रात धारणा को बदलने का प्रयत्न किया है । विधवा स्त्रियो की दयनीय स्थिति का चित्रण करती हुई उनकी ये पत्किया समाज को चिन्तन के लिए नए विन्दु प्रस्तुत करने वाली है—“विधवा को अपने ही घर मे नौकरानी की तरह रहना पडता है । क्या कोई पुरुष अपनी पत्नी के वियोग मे ऐसा जीवन जीता है ? यदि नही तो स्त्री ने ऐसा कौन-सा अपराध किया, जो उसे ऐसी हृदय-विदारक वेदना भोगनी पडे । समाज का दायित्व है कि ऐसी वियोगिनी योगिनियो के प्रति सहानुभूतिपूर्ण वातावरण का निर्माण करे और उन्हें सचेतन जीवन जीने का अवसर दे ।”

१ आह्वान, पृ० ११, १२ ।

२ वही, पृ० १३ ।

३ एक बूद . एक सागर, पृ० ९ ।

मनी प्रथा के विरोध में भी उन्होंने अपना स्वर प्रखर किया है। वे स्पष्ट कहते हैं—“समाज और धर्म के कुछ ठेकेदारों ने मनी प्रथा को धार्मिक परम्परा का नामा पहना कर प्रतिष्ठित कर दिया। यह अपराध है, मातृ जाति का अपमान है और विधवा स्त्रियों के शोषण की प्रक्रिया है।”

समाज ही नहीं, धार्मिक स्थलों पर होने वाले आडम्बर और प्रदर्शन के भी वे खिलाफ हैं। धार्मिक समारोहों को भी वे रूढ़ि एवं प्रदर्शन का रूप नहीं लेने देते। उदयपुर चातुर्मास प्रवेश पर नागरिक अभिनन्दन का प्रत्युत्तर देते हुए वे कहते हैं—“मैं नहीं चाहता कि मेरे स्वागत में वैड वाजे बजाए जाएं, प्रवचन पंडाल को कृत्रिम फूलों से मचाया जाए। यह धर्मसभा है या महफिल? कितना आडम्बर! कितनी फिजूल खर्ची!! मैं यह भी नहीं चाहता कि स्थान-स्थान पर मुझे अभिनन्दन-पत्र मिलें। हार्दिक भावनाएं मौखिक रूप से भी व्यक्त की जा सकती हैं, सैकड़ों की संख्या में उनका प्रकाशन करना धन का अपव्यय है। माना, आपसे उरसाह है पर इसका मतलब यह नहीं कि आप धर्म को आडम्बर का रूप दें।”¹¹

बगड़ी में प्रदत्त निम्न प्रवचनांश भी उनकी महान् साधकता एवं आत्मलक्ष्यी वृत्ति की ओर इंगित करता है—“...प्रवचन पंडालों में अनावश्यक विजली की जगमगाहट का क्या अर्थ है? प्रत्येक कार्यक्रम के वीडियो कैसेट की क्या उपयोगिता है?”¹² वे कहते हैं—“धार्मिक समाज ने यदि इस सन्दर्भ में गम्भीरता से चिन्तन नहीं किया तो अनेक प्रकार की जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है।”¹³

आचार्य तुलसी समाज की मानसिकता को बदलना चाहते हैं पर बलात् या दबाव से नहीं, अपितु हृदय-परिवर्तन से। यही कारण है कि अनेक स्थलों पर उन्हें मध्यस्थ भी रहना पड़ता है। अपनी दक्षिण यात्रा का अनुभव वे इस भाषा में प्रकट करते हैं—“मेरी दक्षिण-यात्रा में ऐसे कई प्रसंग उपस्थित हुए, जिनमें वैड वाजों में स्वागत किया गया। हरियाली के द्वार बनाए गए। तोरणद्वार सजाए गए। फूलों, फूलों और फूल-मालाओं में स्वागत की रस्म अदा की गई। चावलों के साथिए बनाए गए। कन्याओं द्वारा कच्चे नारियल के जगमगाते दीपों से आरती उतारी गई। कुंकुम-कैमर चरचे गए। शंखनाद के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण हुआ। स्थान-स्थान पर मेरी अगवानी में सड़क पर घड़ों भर पानी छिड़का गया। उन लोगों को समझाने का प्रयास हुआ, पर उन्हें मना नहीं सके। वे हर मूल्य

१. जैन भारती, १० जून १९६२।

२. जीवन की सार्थक दिशाएं, पृ० ८८।

३. आह्वान, पृ० १६।

पर अपनी परम्परा का निर्वाह करना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में मैं अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर सकता हूँ, किन्तु किसी पर दवाव नहीं डाल सकता।^१

सामाजिक क्रांति से आचार्य तुलसी का स्पष्ट अभिमत है—“जहाँ क्रांति का प्रश्न है, वहाँ दवाव या भय से काम तो हो सकता है, पर उस स्थिति को क्रांति नाम से रूपायित करने में मुझे सकोच होता है।^२ उनकी दृष्टि में क्रांति की सफलता के लिए जनमत को जागृत करना आवश्यक है। हजारीप्रसाद द्विवेदी का मतव्य है—“सिर्फ जानना या अच्छा मानना ही काफी नहीं होता, जानते तो बहुत से लोग हैं, परन्तु उसको ठीक-ठीक अनुभव भी करा देना साहित्यकार का कार्य है।^३”

आचार्य तुलसी के सत्प्रयासों एवं ओजस्वी वाणी से समाज ने एक नई अगड़ाई ली है, युग की नब्ज को पहचानकर चलने का सकल्प लिया है तथा अपनी शक्ति का नियोजन रचनात्मक कार्यों में करने का अभिक्रम प्रारम्भ किया है।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आचार्य तुलसी द्वारा की गयी सामाजिक क्रांति का यदि लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाए तो एक स्वतंत्र शोधप्रवध तैयार किया जा सकता है।^४

नारी

पुरुष हृदय पाषाण भले ही हो सकता है,
नारी हृदय न कोमलता को खो सकता है।
पिघल-पिघल अपने अन्तर को धो सकता है,
रो सकता है, किन्तु नहीं वह सो सकता है ॥

आचार्य तुलसी द्वारा उद्गीत इन काव्य-पक्तियों में नारी की मूल्यवत्ता एवं गुणात्मकता की स्पष्ट स्वीकृति है। आचार्य तुलसी मानते हैं कि महिला वह धुरी है, जिसके आधार पर परिवार की गाड़ी सम्यक् प्रकार से चल सकती है। धुरी मजबूत न हो तो कहीं भी गाड़ी के अटकने की सभावना बनी रहती है।^४ उनकी दृष्टि में सयम, गालीनता, समर्पण, सहिष्णुता की सुरक्षा पक्तियों में रहकर ही नारी गौरवशाली इतिहास का सृजन कर सकती है।

आचार्य तुलसी के दिल में नारी की कितनी आकर्षक तस्वीर है,

१. राजपथ की खोज, पृ० २०२।

२. अनैतिकता की धूप . अणुव्रत की छतरी, पृ० १९३।

३. हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रन्थावली भाग ७, पृ० २०६।

४. दोनों हाथ एक साथ, पृ० ४६।

इस बात की भांकी निम्न पंक्तियों में देखी जा सकती है—“मैं महिला को ममता, समता और क्षमता की त्रिवेणी मानता हूँ। उसके ममता भरे हाथों से नई पीढ़ी का निर्माण होता है, समता से परिवार में संतुलन रहता है और क्षमता से समाज एवं राष्ट्र को संरक्षण मिलता है।”^१ आचार्य तुलसी की प्रेरणा से युगों से आत्मविस्मृत नारी को अपनी अस्मिता और कर्तृत्वशक्ति का तो अहसास हुआ ही है, साथ ही उसकी चेतना में क्रांति का ऐसा ज्वालामुखी फूटा है, जिससे अंधविश्वास, रूढ़संस्कार, मानसिक कुंठा और अशिक्षा जैसी बुराइयों के अस्तित्व पर प्रहार हुआ है। आचार्य तुलसी अनेक बार महिला सम्मेलनों में अपने इस संकल्प को मुखर करते हैं—“शताब्दियों से अशिक्षा के कुहरे से आच्छन्न महिला-समाज को आगे लाना मेरे अनेक स्वप्नों में से एक स्वप्न है। ... मैं महिला-समाज के अतीत को देखता हूँ तो मुझे लगता है, उसने बहुत प्रगति की है। भविष्य की कल्पना करता हूँ तो लगता है कि अभी बहुत विकास करना है।”^२

यह कहना अत्युक्ति या प्रशस्ति नहीं होगा कि यह सदी आचार्य तुलसी को और अनेक रूपों में तो याद करेगी ही पर नारी उद्धारक के रूप में उनकी सदैव अभिवन्दना करती रहेगी।

नारी के भीतर पनपने वाली हीनता एवं दुर्बलता की ग्रंथि को आचार्य तुलसी ने जिस मनोवैज्ञानिक ढंग से सुलझाया है, वह इतिहास के पृष्ठों में अमर रहेगा। वे नारी को संबोधित करते हुए कहते हैं—“पुरुष नारी का सम्मान करे, इससे पहले यह आवश्यक है कि नारी स्वयं अपना सम्मान करना सीखे। महिलाएँ यदि प्रतीक्षा करती रहेंगी कि कोई अवतार आकर उन्हें जगाएगा तो समय उनके हाथ से निकल जाएगा और वे जहाँ खड़ी हैं, वही खड़ी रहेगी।”^३

इसी संदर्भ में उनकी निम्न प्रेरणा भी नारी को उसकी अस्मिता का अहसास कराने वाली है—“पुरुषवर्ग नारी को देह रूप में स्वीकार करता है, किंतु वह उसके सामने मस्तिष्क बनकर अपनी क्षमताओं का परिचय दे, तभी वह पुरुषों को चुनौती दे सकती है।”^४

नारी जाति में अभिनव स्फूर्ति एवं अटूट आत्मविश्वास भरने वाले निम्न उद्धरण कितने सजीव एवं हृदयस्पर्शी बन पड़े हैं—

० केवल लक्ष्मी और सरस्वती बनने से ही महिलाओं का काम नहीं

१. एक वृद्ध : एक सागर, पृ० १०६६।

२. वही, पृ० १७३२।

३. वही, पृ० १०६६।

४. दोनो हाथ : एक साथ, पृ० ८५।

चलेगा, उन्हें दुर्गा भी बनना होगा। दुर्गा बनने से मेरा मतलब हिंसा या आतक फैलाने से नहीं, शक्ति को सजोकर रखने से है।^{११}

- नारी अबला नहीं, सबला बने। बोझ नहीं, शक्ति बने। कलहकारिणी नहीं, कल्याणी बने।
- आज का क्षण महिलाओं के हाथ में है। इस समय भी अगर महिलाएँ सोती रही, घड़ी का अलार्म सुनकर भी प्रमाद करती रही तो भी सूरज को तो उदित होना ही है। वह उगेगा और अपना आलोक बिखेरेगा।
- स्त्री में सृजन की अद्भुत क्षमता है। उस क्षमता का उपयोग विश्वशांति या समस्याओं के समाधान की दिशा में किया जाए तो वह सही अर्थ में विश्व की निर्मात्री और संरक्षिका होने का सार्थक गौरव प्राप्त कर सकती है।^{१२}

आचार्य तुलसी ने नारी जाति को उसकी अपनी विशेषताओं से ही नहीं, कमजोरियों से भी अवगत कराया है, जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। महिला-अधिवेशनों को संबोधित करते हुए नारी समाज को दिशा-दर्शन देते हुए वे अनेक बार कह चुके हैं—“मैं बहिनो को सुझाना चाहता हूँ कि यदि उन्हें सघर्ष ही करना है तो वे अपनी दुर्बलताओं के साथ सघर्ष करें। उनके साहित्य में नारी जाति से जुड़ी कुछ अर्थहीन रूढ़ियों एवं दुर्बलताओं का खुलकर विवेचन ही नहीं, उन पर प्रहार भी हुआ है तथा उसकी गिरफ्त से नारी-समाज कैसे बचे, इसका प्रेरक संदेश भी है।

सौन्दर्य-सामग्री और फैशन की अधी दौड़ में नारी ने अपने आचार-विचार एवं सस्कृति को भी ताक पर रख दिया है। इस संदर्भ में उनके निम्न उद्धरण नारी जाति को कुछ सोचने, समझने एवं बदलने की प्रेरणा देते हैं—

- मातृत्व के महान् गौरव से महनीय, कोमलता, दयालुता आदि अनेक गुणों की स्वामिनी स्त्री पता नहीं भीतर के किस कोने से खाली है, जिसे भरने के लिए उसे ऊपर की टिपटॉप से गुजरना पड़ता है। मैं मानता हूँ कि फैशनपरस्ती, दिखावा और विलासिता आदि दुर्गुण स्त्री समाज के अन्तर् सौन्दर्य को ढकने वाले आवरण हैं।^{१३}
- अपने कृत्रिम सौन्दर्य को निखारने के लिए पशु-पक्षियों की निर्मम

१ दोनों हाथ : एक साथ, पृ० २१।

२ एक बूद : एक सागर, पृ० १९१४।

३. वही, पृ० १६१३।

हत्या को किस प्रकार वर्दाशत किया जा सकता है, यह प्रश्नचिह्न मेरे अंत करण को वेचैन बना रहा है।”^{१९}

उनका चिंतन है कि यदि वैज्ञानिक संवेदनशील यंत्रों के माध्यम से वायुमंडल में विकीर्ण उन वेजुवान प्राणियों की करुण चीत्कारों के प्रकम्पनों को पकड़ सके और उनका अनुभव करा सके तो कृत्रिम सौन्दर्य सम्बन्धी दृष्टि बदल सकती है।

आज कन्याभ्रूणों की हत्या का जो सिलसिला बढ़ रहा है, इसे वे नारी-शोषण का आधुनिक वैज्ञानिक रूप मानते हैं तथा उसके लिए महिला समाज को ही दोषी ठहराते हैं। नारी जाति को भारतीय संस्कृति से परिचित कराती हुई उनकी निम्न प्रेरणादायिनी पक्तियाँ पठनीय ही नहीं, मननीय भी हैं—

“भारतीय मा की ममता का एक रूप तो वह था, जब वह अपने विकलाग, विक्षिप्त और बीमार बच्चे का आखिरी सास तक पालन करती थी। परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा की गई उसकी उपेक्षा से माँ पूरी तरह से आहत हो जाती थी। वही भारतीय मा अपने अजन्मे, अवोल शिशु को अपनी सहमति से समाप्त करा देती है। क्यों? इसलिए नहीं कि वह विकलाग है, विक्षिप्त है, बीमार है पर इसलिए कि वह एक लड़की है। क्या उसकी ममता का स्रोत सूख गया है? कन्याभ्रूणों की बढ़ती हुई हत्या एक ओर मनुष्य को नृशंस करार दे रही है, तो दूसरी ओर स्त्रियों की संख्या में भारी कमी से मानविकी पर्यावरण में भारी असंतुलन उत्पन्न कर रही है।”^{२०}

वे नारी जाति के विकास हेतु उचित स्वातंत्र्य के ही पक्षधर हैं, क्योंकि सावधानी के अभाव में स्वतंत्रता स्वच्छंदता में परिणत हो जाती है तथा प्रगति का रास्ता नापने वाले पग उत्पथ में बढ़ जाते हैं। विकास के नाम पर अवाञ्छित तत्त्व भी जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। इस दृष्टि से वे भारतीय नारी को समय-समय पर जागरूकता का दिशाबोध देते रहते हैं।

आचार्य तुलसी पोस्टरो तथा पत्र-पत्रिकाओं में नारी-देह की अश्लील प्रस्तुति को नारी जाति के गौरव के प्रतिकूल मानते हैं। इसमें भी वे नारी जाति को ही अधिक दोषी मानते हैं, जो धन के प्रलोभन में अपने शरीर का प्रदर्शन करती है तथा सामाजिक शिष्टता का अतिक्रमण करती है। नारी के अश्लील रूप की भर्त्सना करते हुए वे कहते हैं—

“मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यवसायी को अपना व्यवसाय चलाने

१. विचार वीथी, पृ० १७०।

२. कुहासे में उगता सूरज, पृ० ९७।

की जितनी आकाक्षा होती है, शायद उससे भी अधिक आकाक्षा उन महिलाओं के मन में ढेर सारा धन बटोरने की पल रही होगी, जो समाज के मूल्य-मानकों को ताक पर रखकर कैमरे के सामने प्रस्तुत होती हैं।^{११}

आचार्य तुलसी ने अनेक बार इस सत्य को अभिव्यक्त किया है कि पुरुष नारी के विकास में अवरोधक बना है, इसमें सत्याश हो सकता है पर नारी स्वयं नारी के विकास में बाधक बनती है, यह वास्तविकता है। दहेज की समस्या को बढ़ाने में नारी जाति की अहभूमिका रही है, इसे नकारा नहीं जा सकता। इसी बात को आश्चर्यमिश्रित भाषा में प्रखर अभिव्यक्ति देते हुए वे कहते हैं—“आश्चर्य इस बात का है कि दहेज की समस्या को बढ़ाने में पुरुषों का जितना हाथ है, महिलाओं का उससे भी अधिक है। दहेज के कारण अपनी बेटी की दुर्दशा को देखकर भी एक माँ पुत्र की शादी के अवसर पर दहेज लेने का लोभ सवरण नहीं कर सकती। अपनी बेटी की व्यथा से व्यथित होकर भी वह बहू की व्यथा का अनुभव नहीं करती।”^{१२}

इसी संदर्भ में उनका दूसरा उद्बोधन भी नारी-चेतना एवं उसके आत्मविश्वास को जागृत करने वाला है—“दहेज के सवाल को मैं नारी से ही शुरू करना चाहता हूँ। माँ, सास तथा स्वयं लड़की जब दहेज को अस्वीकार करेगी तभी उसका सम्मान जागेगा। इस तरह एक सिरे से उठा आत्मसम्मान धीरे-धीरे पूरी समाज-व्यवस्था में अपना स्थान बना सकता है।”^{१३}

एक धर्माचार्य होने पर भी नारी जाति से जुड़ी ऐसी अनेक रूढ़ियों एवं कमजोरियों की जितनी स्पष्ट अभिव्यक्ति आचार्य तुलसी ने अपने साहित्य में दी है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। नारी जाति को विकास का सूत्र देते हुए उनका कहना है—“विकास के लिए बदलाव एवं ठहराव दोनों जरूरी हैं। मौलिकता स्थिर रहे और उसके साथ युगीन परिवर्तन भी आते रहे, इस क्रम से विकास का पथ प्रशस्त होता है।”^{१४}

आचार्य तुलसी नारी की शक्ति के प्रति पूर्ण आश्वस्त हैं। उनका इस बात में विश्वास है कि अगर नारी समाज को उचित पथदर्शन मिले तो वे पुरुषों से भी आगे बढ़ सकती हैं। वे कहते हैं—“मेरे अभिमत से ऐसा कोई कार्य नहीं है, जिसे महिलाएँ न कर सकें।”^{१५} अपने विश्वास को

१. कुहासे में उगता सूरज, पृ० ११३।

२. अनैतिकता की धूप - अणुव्रत की छतरी, पृ० १७८।

३. अणुव्रत अनुशास्ता के साथ, पृ० २९।

४. दोनों हाथ : एक साथ, पृ० ४५।

५. बहता पानी निरमला, पृ० २८१।

महिला समाज के समक्ष वे इस भाषा में रखते हैं—“महिलाओं की शक्ति पर मुझे पूरा भरोसा है। जिस दिन मेरे इस भरोसे पर महिलाओं को पूरा भरोसा हो जाएगा, उस दिन सामाजिक चेतना में क्रान्ति का एक नया विस्फोट होगा, जो नवनिर्माण की पृष्ठभूमि के रूप में सामने आएगा।” नारी जाति के प्रति अतिरिक्त उदारता की अभिव्यक्ति कभी-कभी तो इन शब्दों में प्रस्फुटित हो जाती है—“मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ, जब स्त्री-समाज का पर्याप्त विकास देखकर पुरुष वर्ग उसका अनुकरण करेगा।” एक पुरुष होकर नारी जाति के इस उच्च विकास की कामना उनके महिमा-मंडित व्यक्तित्व का महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है।

युवक

युवक शक्ति का प्रतीक और राष्ट्र का भावी कर्णधार होता है पर उचित मार्गदर्शन के अभाव में जहाँ वह शक्ति विध्वंसक बनकर सम्पूर्ण मानवता का विनाश कर सकती है, वहाँ वही शक्ति कुशल नेतृत्व में सृजनात्मक एवं रचनात्मक ढंग से कार्य करके देश का नक्शा बदल सकती है। आचार्य तुलसी ने युवकों की सृजन चेतना को जागृत किया है। उनका विश्वास है कि देश की युवापीढ़ी तोड़-फोड़ एवं अपराधों के दौर से तभी गुजरती है, जब उसके सामने कोई ठोस रचनात्मक कार्य नहीं होता है। आचार्यश्री ने युवापीढ़ी के समक्ष करणीय कार्यों की एक लम्बी सूची प्रस्तुत कर दी है, जिससे उनकी शक्ति को सृजन की धारा के साथ जोड़ा जा सके। उनकी अनुभवी, हृदयस्पर्शी और ओजस्वी वाणी ने सैकड़ों धीर, वीर, गभीर, तेजस्वी, मनीषी और कर्मठ युवकों को भी तैयार किया है। आचार्य तुलसी ने अपने जीवन से युवकत्व को परिभाषित किया है। वे कहते हैं—

० युवक वह होता है, जिसकी आँखों में सपने हों, होठों पर उन सपनों को पूरा करने का सकल्प हो और चरणों में उस ओर अग्रसर होने का साहस हो, विचारों में ठहराव हो, कार्यों में अंधानुकरण न हो।”^१

० जहाँ उल्लास और पुरुषार्थ अठखेलियाँ करे, वहाँ बुढ़ापा कैसे आए ? वह युवा भी बूढ़ा होता है, जिसमें उल्लास और पौरुष नहीं होता। आचार्य तुलसी की युवकों के नवनिर्माण की वेचैनी को निम्न शब्दों में देखा जा सकता है—“मुझे युवकों के नवनिर्माण की चिन्ता है, न कि उन्हें शिष्य बनाए रखने की। मैं युवापीढ़ी के बहुआयामी विकास को देखने के लिए वेचैन हूँ। मेरी यह वेचैनी एक-एक युवक के भीतर उतरे, उनकी ऊर्जा का केन्द्र प्रकम्पित हो और उस प्रकम्पन द्वारा का उपयोग सकारात्मक काम

में हो तो उनके जीवन में विशिष्टता का आविर्भाव हो सकता है।”^१

उन्होंने अपने साहित्य में आज की दिग्भ्रान्त युवापीढ़ी की कमजोरियों का अहसास कराया है तो विशेषताओं को कोमल शब्दों में सहलाया भी है। कहीं उन्हें दायित्व-बोध कराया है तो कहीं उनसे नई अपेक्षाएं भी व्यक्त की हैं। कहीं-कहीं तो उनकी अन्तःवेदना इस कदर व्यक्त हुई है, जो प्रत्येक मन को आदोलित करने में समर्थ है—“यदि भारत का हर युवक शक्ति सम्पन्न होता और उत्साह के साथ शक्ति का सही नियोजन करता तो भारत की तस्वीर कुछ दूसरी ही होती।”

आचार्य तुलसी अपने साहित्य में स्थान-स्थान पर अकर्मण्य, आलसी और निरुत्साही युवकों को भकभोरते रहते हैं। औपमिक भाषा में युवकों की अन्तःशक्ति जगाते हुए वे कहते हैं—“जिस प्रकार दिन जैसे उजले महानगरो में मिलो के कारण शाम उतर आती है, वैसे ही सकल्पहीन युवक पर बुढापा उतर आता है।”

वे आज की युवापीढ़ी से तीन अपेक्षाएं व्यक्त करते हैं—

- १ युवापीढ़ी का आचार-व्यवहार, खान-पान तथा रहन-सहन सादा तथा सात्त्विक हो।
- २ युवापीढ़ी विघटनमूलक प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर अपने संगठन-पथ को सुदृढ़ बनाए।
३. युवापीढ़ी समाज की उन जीर्ण-शीर्ण, अर्थहीन एवं भारभूत परंपराओं को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हो, जिसका संबन्ध युवकों से है।”^२

युवापीढ़ी में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति से आचार्य तुलसी अत्यन्त चिंतित हैं। वे मानते हैं—“किसी भी समाज या देश को सत्यानाश के कगार पर ले जाकर छोड़ना हो तो उसकी युवापीढ़ी को नशे की लत में डाल देना ही काफी है।”^३

वे भारतीय युवकों के मानस को प्रशिक्षित करते हुए कहते हैं—प्रारम्भ में व्यक्ति शराब पीता है, कालांतर में शराब उसे पीने लगती है।शराब जिस घर में पहुँच जाती है, वहाँ सुख, शांति और समृद्धि पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं।”^४

आचार्य तुलसी का मानना है कि मादक पदार्थों की बढ़ती हुई घुसपैठ

१ दोनो हाथ एक साथ, पृ० १०१।

२ समाघन की ओर, पृ० १०।

३. कुहासे में उगता सूरज, पृ० १२५।

४. एक बूद : एक सागर, पृ० १३२०।

को नहीं रोका गया तो भविष्य हमारे हाथ से निकल जाएगा। राष्ट्र के नाम अपने एक विशेष सन्देश में समाज को सावचेत करते हुए वे अपने उद्गार प्रकट करते हुए कहते हैं—“पशु अज्ञानी होता है, उसमें विवेक नहीं होता फिर भी वह नशा नहीं करता। मनुष्य ज्ञानी होने का दम्भ भरता है। विवेक की रास हाथ में लेकर चलता है, फिर भी नशा करता है। क्या उसकी ज्ञान-चेतना सो गयी? जान-बूझकर अश्रेयस् की यात्रा क्यों?” उनके द्वारा रचित काव्य की ये पक्तिया आज की दिग्भ्रमित युवापीढी को जागरण का नव सन्देश दे रही हैं—

यदि सुख से जीना है तो, त्यागो मदिरा की बोटल।

यदि अमृत पीना है तो त्यागो यह जहर हलाहल ॥

सोचो यह इन्द्रधनुष सा जीवन है कसा चंचल।

फिर तुच्छ तृप्ति के खातिर क्यों है व्यसनों की हलचल ॥

आचार्य तुलसी ने निषेध की भाषा में नहीं, अपितु वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से युवा-समाज के मन में नशीले पदार्थों के प्रति वितृष्णा पैदा की है। अणुव्रत के माध्यम से उन्होंने देशव्यापी नशामुक्ति अभियान चलाया है, जिससे लाखों युवकों ने व्यसनमुक्त जीवन जीने का संकल्प अभिव्यक्त किया है।

आदर्श युवक के लिए आचार्य तुलसी पांच कसौटिया प्रस्तुत करते हैं—

- श्रद्धाशील—श्रद्धा वह कवच है, जिसे धारण करने वाला व्यक्ति भ्रातियों और अफवाहों के नुक़ीले तीरों से आविद्ध नहीं हो सकता।
- सहनशील—सहनशीलता वह मरहम है, जो मानसिक आघातों से वने घावों को अविलम्ब भर सकती है।
- विचारशील—विचारशीलता वह सेतु है, जो पारस्परिक दूरियों को पाटकर एक समतल धरातल का निर्माण करती है।
- कर्मशील—कर्मशीलता वह पुरुषार्थ है, जो अधिकार की भावना समाप्त कर कर्तव्यबोध की प्रेरणा देती है।
- चरित्रशील—चरित्रशीलता वह निधि है, जो सब रिक्तताओं को भरकर व्यक्ति को परिपूर्ण बना देती है।”

आचार्य तुलसी ने युवापीढी का विश्वास लिया ही नहीं, मुक्त मन से विश्वास किया भी है। यही कारण है कि उनके हर मिशन से युवक जुड़े हुए हैं और उसे सफल करने का प्रयत्न करते हैं। युवापीढी पर विश्वास व्यक्त

करने वाली निम्न पक्तियाँ उनके सार्वजनिक एव आत्मीय व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति हैं—“युवापीढी सदा से मेरी आशा का केन्द्र रही है, चाहे वह मेरे दिखाए मार्ग पर कम चल पायी हो या अधिक चल पाई हो, फिर भी मेरे मन में उनके प्रति कभी भी अविश्वास और निराशा की भावना नहीं आती। मुझे युवक इतने प्यारे लगते हैं, जितना कि मेरा अपना जीवन। मैं उनकी अद्भुत कार्यजा शक्ति के प्रति पूर्ण विश्वस्त हूँ।”^१

समाज और अर्थ

समाज से अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि सामाजिक जीवन में यह विनियोग का साधन है। अपरिग्रही एव अकिञ्चन होने पर भी आचार्य तुलसी ने अपने साहित्य में समाज के सभी विषयों पर सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया है। अर्थ के बारे में उनका चिंतन है कि सामाजिक प्राणी के लिए धन जीवन चलाने का साधन हो सकता है, पर जब उसे जीवन का साध्य मान लिया जाता है, तब शोषण, उत्पीड़न, अनाचरण, अप्रामाणिकता, हिंसा और भ्रष्टाचार से व्यक्ति बच नहीं सकता।

अर्थशास्त्री उत्पादन-वृद्धि के लिए इच्छा-तृप्ति एव इच्छा-वृद्धि की बात कहते हैं। पर आचार्य तुलसी इच्छा-तृप्ति के स्थान पर इच्छा-परिमाण एवं इच्छा-रूपान्तरण की बात सुझाते हैं, क्योंकि इच्छाओं का क्षेत्र इतना विशाल है कि उनकी पूर्ण तृप्ति असंभव है। उनके इच्छा-परिमाण का अर्थ वस्तु-उत्पादन बन्द करना या गरीब होना नहीं, अपितु अनावश्यक संप्रदायों के प्रति आकर्षण कम करना है। आचार्य तुलसी का चिंतन है कि निस्सीम इच्छाएँ व्यक्ति को आनंदोपलब्धि की विपरीत दिशा में ले जाती हैं अतः इच्छाओं का परिष्कार ही समाज-विकास या जीवन-विकास है।

राष्ट्र-विकास के संदर्भ में वे इच्छा-परिमाण को व्याख्यायित करते हुए कहते हैं—“इच्छाओं का अल्पीकरण विलासिता को समाप्त करने के लिए है। अनन्त आसक्ति और असीम दौडधूप से बचने के लिए है, न कि देश की अर्थव्यवस्था का अवमूल्यन करने के लिए।” वे इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि ससारी व्यक्ति भौतिक सुखों से सर्वथा विमुक्त बन जाए, यह आकाश-कुसुम जैसी कल्पना है किंतु अन्याय के द्वारा धन-संग्रह न हो, अनर्थ में अर्थ का प्रयोग न हो, यह आवश्यक है।

समाज के आर्थिक वैपम्य को दूर करने हेतु वे नई सोच प्रस्तुत करते हैं—“आर्थिक वैपम्य मिटाओ” इसकी जगह हमारा विचारमूलक प्रचार कार्य यह होना चाहिए कि ‘आर्थिक दासता मिटाओ’।^२ इसके लिए आचार्य

१. एक बूद : एक सागर, पृ० १७११।

२. एक बूद : एक सागर, पृ० ३८९।

तुलसी विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था के पक्षधर हैं। क्योंकि अधिक संग्रह उपभोक्ता संस्कृति को जन्म देता है। इस संदर्भ में उनका मतव्य है कि जिस प्रकार वहता हुआ पानी निर्मल रहता है, उसी प्रकार चलता हुआ अर्थ ही ठीक रहता है। “अर्थ का प्रवाह जहा कहीं रुकता है, वह समाज के लिए अभिशाप और पीडा बन जाता है।”^१ अतः स्वस्थ, संगठित, व्यवस्थित एवं सवेदनशील समाज में अर्थ के प्रवाह को रोकना सामाजिक विकास में बाधा है।

संग्रह के बारे में आचार्य तुलसी का चिंतन है— “मेरी दृष्टि में संग्रह भीतर ही भीतर जलन पैदा करने वाला फोड़ा है और वही जब नासूर के रूप में रिसने लगता है तो अपव्यय हो जाता है।”^२

संग्रह के कारण होने वाले सामाजिक वैषम्य का यथार्थ चित्र उपस्थित करते हुए वे समाज को सावधान करते हुए कहते हैं— “एक ओर जनता के दुःख-दर्द से वेखबर विलासिता में आकठ डूबे हुए लोग और दूसरी ओर जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से भी वंचित अभावों से घिरे लोग। सामाजिक विषमता की इस धरती पर समस्याओं के नए-नए झण्ड उगते ही रहेंगे।”^३

आर्थिक वैषम्य की समस्या के समाधान में वे अपना मौलिक चिंतन प्रस्तुत करते हैं— “मेरा चिंतन है कि अतिभाव और अभाव के मध्य से गुजरने वाला समाज ही तटस्थ चिंतन कर सकता है, अन्यथा वहां विलासिता और पीडा जन्म लेती रहती है।” इसी बात को कभी-कभी वे इस भाषा में भी प्रस्तुत कर देते हैं— “गरीबी स्वयं बुरी स्थिति है, अमीरी भी अच्छी स्थिति नहीं है। इन दोनों से परे जो त्याग या सयम है, इच्छाओं और वासनाओं की विजय है, वही भारतीय जीवन का मौलिक रूप है और इसी ने भारत को सब देशों का सिरमीर बनाया था।”^४

अपरिग्रह के प्रबल पक्षधर होने पर भी वे पूजापतियों के विरोधी नहीं हैं। पर पूजावादी मनोवृत्ति पर समय-समय पर प्रहार करते रहते हैं— “पूजावादी मनोवृत्ति ने जहां एक ओर मानव के वैयक्तिक और पारिवारिक जीवन को विघटित कर डाला है, व्यक्ति को भाई-भाई के खून का प्यासा बना दिया है, पिता पुत्र के बीच वैमनस्य और रोष की भयावह दरार पैदा कर दी है, वहां सामाजिक और सार्वजनिक जीवन पर भी इसने करारी

१. एक बूद : एक सागर, पृ० १९१।

२. अणुव्रत के आलोक में, पृ० ९३।

३. एक बूद : एक सागर, पृ. १५६२।

४. २१-११-५४ के प्रवचन से उद्धृत।

चोट पहुंचाई है। . . . जिस आवश्यकता से दूसरे का अधिकार छीना जा है या उसमें बाधा पहुंचती है, वह आवश्यकता नहीं, अनधिकार चेष्टा जाती है।” . . . यदि पूजोपति लोग अपने आपको नहीं बदलेंगे तो संभावित भीषण परिणाम भी उन्हें अतिशीघ्र भोगने होंगे।”

जीवन के यथार्थ सत्य को वे अनुभूति के साथ जोड़कर मने वैन भाषा में कहते हैं—“मैं पर्यटक हूं। मुझे गरीब-अमीर सभी तरह के लोग हैं, पर जब उन कोट्याधीश धनवानों को देखता हूं तो वे मुझे अन्न व के स्थान पर हीरे-पन्ने खाते नजर नहीं आते। मुझे आश्चर्य होता है तब फिर क्यों वे धन के पीछे शोषण और अत्याचारों से अपने आपको के गड्ढे में गिराते हैं।”

वे अनेक वार इस बात को अभिव्यक्ति देते हैं—“जागृत समाज है, जिसके प्रत्येक सदस्य के पास अपने मूलभूत अधिकार हो, आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन हो और सुख दुःख में एक-दूसरे के समभागिता हो।”

समाज की इस विपन्न स्थिति में परिवर्तन लाने हेतु वे ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता महसूस करते हैं, जिसमें पैसे का नहीं, अपितु त्याग का महत्त्व रहे।” इसके लिए वे मार्क्स की आर्थिक क्रांति को असफल मानते बल्कि ऐसी आध्यात्मिक क्रांति की अपेक्षा महसूस करते हैं, जो समाज में विना किसी रक्तपात एवं हिंसा के सन्तुलन बनाए रख सके। उस आ क्रांति के महत्त्वपूर्ण सूत्र के रूप में उन्होंने समाज को विसर्जन का दिया। वे खुले शब्दों में समाज को प्रतिबोध देते रहते हैं—“विसर्जन के विना अर्जन दुःखदायी और नुकसान पहुंचाने वाला होगा। विसर्जन की चेतना विकसित होते ही अनैतिक और अमानवीय ढंग से किए जाने वाले संग्रह पर स्वतः रोकथाम लग जाएगी।”

अर्थ के सम्यक् उपयोग एवं नियोजन के बारे में भी आचार्य तुलसी ने समाज को नई दृष्टि दी है। वे लोगों की विसंगतिपूर्ण मानसिकता पर व्यंग्य करते हैं—“समाज के अभावग्रस्त जहरतमद लोगों के लिए कहीं अर्थ का नियोजन करना होता है तो दस वार सोचा जाता है और वहाने बनाए जाते हैं, जबकि विवाह आदि प्रसंगों में मुक्त मन से अर्थ का व्यय किया जाता है।” . . . फौशन के नाम पर होने वाली वस्तुओं की खरीद-फरोख्त में कितना ही पैसा लग जाए, कभी चिन्तन नहीं होता और धार्मिक साहित्य लेना हो तो कीमतें आसमान पर चढ़ी हुई लगती हैं। क्या यह चिन्तन का

१. एक वृंद . एक सागर, पृ० १४९३।

२. जैन भारती, २६ जून १९५५।

दारिद्र्य नहीं है ?” उक्त उद्धरण का अर्थ यह नहीं कि वे समाज में सभी को संन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करने का संदेश देते हैं। निम्न वक्तव्य उनके सन्तुलित एवं सटीक चिन्तन का प्रमाणपत्र कहा जा सकता है—“मैं सामाजिक जीवन में आमोद-प्रमोद की समाप्ति की बात नहीं कहता, न उसमें रुकावट डालता हूँ, किन्तु यदि हमने युग की धारा को नहीं समझा तो हम पिछड़ जाएंगे।”^२

व्यवसाय

सामाजिक प्राणी के लिए आजीविका हेतु व्यवसाय करना आवश्यक है। क्योंकि उसके विना जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। आचार्य तुलसी व्यवसाय में नैतिकता को अनिवार्य मानते हैं। इस सन्दर्भ में उनका निम्न सम्बोध अत्यन्त प्रेरक है—“व्यवसाय में नैतिक मूल्यों की अवहेलना जघन्य अपराध है। शस्त्रास्त्र द्वारा मनुष्य का विनाश कब होगा, निश्चित नहीं है, लेकिन मानव यदि नैतिक और प्रामाणिक नहीं बना तो वह स्वयं अपनी नजरों में गिर जाएगा, यह स्थिति विनाश से भी अधिक खतरनाक होगी।”^३ सम्पूर्ण व्यापारी समाज को उनका प्रतिबोध है—“जाए लाख पर रहे साख’ इस आदर्श की मीनार पर खड़े व्यक्ति कभी नैतिक मूल्यों का अतिक्रमण नहीं कर सकते। नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों की खोज करने वाला समाज प्रकाश की खोज करता है, अमृत की खोज करता है और आनन्द की खोज करता है।”^४

व्यापार के क्षेत्र में चलने वाली अनैतिकता एवं अप्रामाणिकता को देख-सुनकर उनका मानस कभी-कभी वेचैन हो जाता है। इसलिए वे समय-समय पर प्रवचन-सभाओं में इस विषय में अपने प्रेरक विचारों से समाज को लाभान्वित करते रहते हैं। दक्षिण यात्रा के दौरान एक सभा को सम्बोधित करते हुए वे कहते हैं—“आप व्यापार करते हैं, पैसा कमाते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। किन्तु व्यापार में जो बुराई है, धोखा है, उसे छुड़ाने के लिए मैं उपदेश नहीं दूँ, समाज को नई सूझ न दूँ, यह कैसे सम्भव है ? मैं आपके विरोध के भय से नैतिकता की आवाज बन्द नहीं कर सकता। शोषण और अमानवीय व्यवहार के विरोध में मैं जीवन भर आवाज उठाता रहूँगा।”^५

१. आह्वान, पृ० १२, १३।

२. एक वृद्ध एक सागर, पृ० १७२७।

३. वही, पृ० ८२४।

४. वही, पृ० ८३३।

५. २-७-१९६८ के प्रवचन से उद्धृत।

कभी-कभी वे मनोवैज्ञानिक तरीके से व्यापारियों की विशेषताओं को सहलाकर उन्हें नैतिकता की प्रेरणा देते हैं—“व्यापारी वर्ग को साहूकार का जो खिताब मिला है, वह किसी राष्ट्रपति या सम्राट् को भी नहीं मिला, इसलिए इस शब्द को सार्थक करने की अपेक्षा है।”

अर्थार्जन के साधन की शुद्धता पर भगवान् महावीर ने विस्तृत विवेक दिया है। आचार्य तुलसी ने उसे आधुनिक परिवेश एवं आधुनिक सन्दर्भों में व्याख्यायित करने का प्रयत्न किया है। उनके साहित्य में हिंसाबहुल एवं उत्तेजक व्यवसायों की खुले शब्दों में भर्त्सना है।

आचार्य तुलसी खाद्य पदार्थों में मिलावट के सख्त विरोधी हैं। वे इसे हिंसा एवं अक्षम्य अपराध मानते हैं। ‘अमृत महोत्सव’ के अवसर पर अपने एक विशेष सन्देश में वे कहते हैं—“मिलावट करने वाले व्यापारी समाज एवं राष्ट्र के तो अपराधी हैं ही, यदि वे ईश्वरवादी हैं तो भगवान् के भी अपराधी हैं। .. मिलावट ऐसी छेनी है, जो आदर्श की प्रतिमा को खंड-खंड कर खंडहर में बदल देती है।”^१

आचार्य तुलसी उस व्यवसाय एवं व्यापार को समाज के लिए घातक मानते हैं, जो हमारी सस्कृति की शालीनता एवं सयम पर प्रहार करते हैं, मानव की अस्मिता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करते हैं। विज्ञापन-व्यवसाय के वारे में उनकी निम्न टिप्पणी अत्यन्त मार्मिक है—“विज्ञापन एक व्यवसाय है। अन्य व्यवसायों की तरह ही यह व्यवसाय होता तो टिप्पणी करने की अपेक्षा नहीं थी। किन्तु जब इससे व्यक्ति के चरित्र और सूझ-बूझ दोनों पर प्रश्नचिह्न खड़े होने लगे, तो सचेत होना पड़ेगा। .. साड़ियों के विज्ञापन में एक युवा लड़की का चित्र देकर लिखा जाता है कि मैं शादी दिल्ली में ही करूंगी क्योंकि यहाँ मुझे उत्तम साड़ियाँ पहनने को मिलेंगी। पर्यटन एजेंसियों का विज्ञापनदाता विवाह योग्य कन्या के मुख से कहलवाता है कि वह उसी व्यक्ति के साथ गादी करेगी, जो उसे विदेश यात्रा करा सके। इस प्रकार के विज्ञापन युवा मानसिकता को गुमराह कर देते हैं।”^२

इसी सन्दर्भ में उनका निम्न वक्तव्य भी अत्यन्त मार्मिक एवं प्रेरक है—“महिलाओं के लिए खासतौर से सिगरेट बनाना और उसे दिज्ञापनी चमक से जोड़ना महिलाओं को पतन के गर्म में धकेलना है। सिगरेट बनाने वाली कम्पनी को उससे आर्थिक लाभ हो सकता है, पर देश की सस्कृति का इससे कितना नुकसान होगा, यह अनुमान कौन लगाएगा ?”^३

१ अनैतिकता की धूप : अणुव्रत की छतरी, पृ० १७९।

२ दोनों हाथ : एक साथ, पृ० ८४, ८५।

३ अणुव्रत, १ अप्रैल १९९०।

विज्ञापन व्यवसाय से होने वाली हानियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण वे इन शब्दों में करते हैं—“यह मानवीय दुर्बलता है कि मनुष्य किसी घटना के अच्छे पक्ष को कम पकड़ता है और गलत प्रवाह में अधिक बहता है। बच्चे तो नासमझ होते हैं अतः विज्ञापन की हर चीज की मांग कर बैठते हैं। खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने अथवा किसी अन्य काम में आने वाली नई चीज का विज्ञापन देखते ही वे उसे पाने के लिए मचल उठते हैं। ऐसी स्थिति में माता-पिता के लिए समस्या खड़ी हो जाती है।”

फिल्म-व्यवसाय को वे राष्ट्र के चरित्रबल को क्षीण करने का बहुत बड़ा कारण मानते हैं। यद्यपि वे फिल्म-व्यवसाय पर सर्वथा प्रतिबन्ध लगाने की बात अव्यावहारिक और अमनोवैज्ञानिक मानते हैं, फिर भी उनका सुभाव है—“एक उन्नत विशेष तक फिल्म देखने पर यदि प्रतिबन्ध हो तो मैं इसमें लाभ ही लाभ देखता हूँ। ... भारत की युवापीढ़ी इस प्रतिबन्ध के लिए कहां तक तैयार है, यह अवश्य ही शोचनीय प्रश्न है। किन्तु इसके सुखद परिणाम सुनिश्चित है।”^१ फिल्म व्यवसाय से होने वाले दुष्परिणामों की चर्चा करते हुए वे कहते हैं—“फिल्म के कामोत्तेजक दृश्य और गाने, वासना को उभारने वाले पोस्टर, अंग प्रत्यंगों को उभारकर दिखाने वाली या अधनंगी पोशाकें—ये सब युवापीढ़ी के चरित्र को गुमराह करती हैं। मैं मानता हूँ, फिल्म-व्यवसाय राष्ट्र के चारित्रिक पतन का मुख्य कारण है।”^२

बढ़ती बेरोजगारी का कारण आचार्य तुलसी विज्ञान द्वारा आविष्कृत नए-नए यन्त्रों को मानते हैं। यद्यपि आचार्य तुलसी यन्त्रों के विरोधी नहीं हैं पर उनके सामने चेतन प्राणी का अस्तित्व शून्य हो जाए, वह निष्क्रिय और अकर्मण्य बन जाए, इसके वे विरोधी हैं। इस सन्दर्भ में उनकी निम्न टिप्पणियां वैज्ञानिकों को भी कुछ सोचने को मजबूर कर रही हैं—“यन्त्र का अपना उपयोग है पर यन्त्र का निर्माता और नियंता स्वयं यन्त्र बन गया तो इस दिशा में नए आयाम कैसे खुलेंगे ?^३ “.....प्रश्न होता है कि क्या करेंगे इतने यन्त्र मानव ? मनुष्य तो वैसे भी निकम्मा होता जा रहा है। मशीनों की कार्यक्षमता इतनी बढ़ रही है कि एक मशीन सैकड़ों-सैकड़ों मनुष्यों का काम कुछ ही समय में निपटा देती है। मशीनी मानवों के सामने इतना कौन-सा काम रहेगा, जो उनको निरन्तर व्यस्त रख सके अन्यथा ये यत्र मानव निकम्मे होकर आपस में लड़ेंगे, मनुष्यों को तंग करेंगे या और कुछ

१. कुहासे में उगता सूरज, पृ० ४९।

२. अणुव्रत · गति प्रगति, पृ० १७२।

३. वही, पृ० १७१।

४. वैसाखिया विश्वास की, पृ० १८, १९।

करेगे। इनमें कुछ पार्ट्स गलत लग गए अथवा इनके उपयोग में कहीं प्रमाद रह गया तो ये मनुष्यों को मारने पर उतारू हो जाएंगे। यह क्रम शुरू भी हो चुका है। समाचार पत्रों में तो यह आशका व्यक्त की गई है कि ये अलग देश की माँग करेंगे या इन्सान पर राज करेंगे। ऐसा कुछ न भी हो, फिर भी यह तो सम्भव लगता है कि ये उत्पात मचाए बिना नहीं रहेंगे।”

इस उद्धरण का तात्पर्य उनकी भाषा में इन शब्दों में रखा जा सकता है—“भौतिक विकास एवं यन्त्रों का विकास कभी दुःखद नहीं होगा यदि वह संयम शक्ति के विकास से सन्तुलित हो।”^१

रवश्य समाज-निर्माण

आचार्य तुलसी के महान् एव ऊर्जस्वल व्यक्तित्व को समाज-सुधारक के सीमित दायरे में बाधना उनके व्यक्तित्व को सीमित करने का प्रयत्न है। उन्हें नए समाज का निर्माता कहा जा सकता है। आचार्य तुलसी जैसे व्यक्ति दो-चार नहीं, अद्वितीय होते हैं। उनका गहन चिन्तन समाज के आधार पर नहीं, वरन् उनके चिन्तन में समाज अपने को खोजता है। उन्होंने साहित्य के माध्यम से स्वस्थ मूल्यों को स्थापित करके समाज को सजीव एव शक्तिसम्पन्न बनाने का प्रयत्न किया है। समाज-निर्माण की कितनी नयी-नयी कल्पनाएँ उनके मस्तिष्क में तरंगित होती रहती हैं, इसकी पुष्टि निम्न उद्धरण से हो जाती है—“मेरा यह निश्चित विश्वास है कि यदि हम समाज को अपनी कल्पना के अनुरूप ढाल पाते तो आज उसका स्वरूप इतना भव्य और सुघड होता कि मैं बता नहीं सकता।”^२

आचार्य तुलसी केवल व्यक्तियों के समूह को समाज मानने को तैयार नहीं हैं। उनकी दृष्टि में समाज के सदस्यों में निम्न विशेषताओं का होना आवश्यक है—“जिस समाज के सदस्यों में इस्पात सी दृढता, संगठन में निष्ठा, चारित्रिक उज्ज्वलता, कठिन काम करने का साहस और उद्देश्य पूर्ति के लिए स्वयं को भोकने का मनोभाव होता है, वह समाज अपने निर्धारित लक्ष्य तक बहुत कम समय में पहुँच जाता है।”^३

आचार्य तुलसी समाज-निर्माण की आधारशिला के रूप में मर्यादा और अनुशासन को अनिवार्य मानते हैं। उनका निम्न वक्तव्य इसका स्वयंभू साक्ष्य है—“समाज हो और मर्यादा न हो, वह समाज अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। समाज हो और मर्यादा न हो तो विकास के नए

१. वैसाखिया विश्वास की, पृ० १८, १९।

२. मेरा धर्म केन्द्र और परिधि, पृ० ३२।

३. आह्वान, पृ० २१।

४. एक वृद्ध एक सागर, पृ० १३८६।

रास्ते नहीं खुलते। समाज ही और मर्यादा न हो तो न्याय और नमविभाग नहीं मिल सकता। समाज को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए मर्यादा की अहंभूमिका रहती है।^१

स्वस्थ समाज-संरचना के लिए वे सुविधावाद और विनाशिता को बहुत बड़ा घतरा मानते हैं। वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं—“विनाश का अन्त विनाश में होता है - पानी में गे घी निकल सके तो विनाशिता में निपट रहकर दुनिया सुख पा सकती है।” कभी-कभी तो वे इतने भावपूर्ण शब्दों में यह तथ्य जनता के गले उतारते हैं कि देखते ही बनता है—“मैं आपको यह कैसे समझाऊं कि विलास में सुख नहीं है। यह कोई पदार्थ होता तो आपके सामने रख देता पर यह तो अनुभव है। अनुभव विना स्वर्ग के आनन्द के प्राप्त नहीं हो सकता।”

आज मानव श्रम को भूलकर यंत्राश्रित हो रहा है, उसे वे उज्ज्वल समाज के भविष्य का प्रतीक नहीं मानते। उनका मानना है कि जीवन की धरती पर सत्य, शिव और सौन्दर्य की धाराएं प्रवाहित करने के लिए यंत्रों पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा।^२

गांधीजी ने आदर्श समाज के लिए रामराज्य की कल्पना प्रस्तुत की। आचार्य तुलसी ने आदर्श, निर्द्वन्द्व, स्वस्थ एवं शोषणमुक्त समाज-संरचना के लिए अणुव्रत समाज की संकल्पना की। वे कहते हैं—“मेरे मस्तिष्क में जिस आदर्श समाज की कल्पना है, वह समूचे विश्व के लिए नए मृजल की दिशा में वर्तमान युग और युवापीढी के लिए उदाहरण बन सकती है पर उस आदर्श तक पहुंचने के लिए केवल वरपना के ताने-बाने बुनने में काम नहीं होगा। उसके लिए तो दृढ़ संकल्प और निष्ठा में आगे बढ़ने की जरूरत है।”^३ पदयात्रा के दौरान एक प्रवचन में वे अपने मसलप को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं—“स्वस्थ समाज की संरचना के लिए कार्य करना मेरी जीवन-चर्या का अंग है। इसलिए जब-तक वैयक्तिक साधना के साथ-साथ ये सारी बातें नहीं होती, तब तक मेरी यात्रा गम्पत्र कैसे हो सकती है ?

स्वस्थ समाज की कल्पना आचार्य तुलसी के शब्दों में यों उतरती है—“मेरी दृष्टि में वह समाज स्वस्थ है, जिसमें व्यसन न हो, क्रुद्धिया न हो, जिसकी जीवन-शैली सात्त्विक, सादगीपूर्ण और श्रम पर आधारित हो। दूसरे शब्दों में ज्ञान-दर्शन व चारित्र्य की त्रिवेणी से आप्लावित समाज, स्वस्थ समाज है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का प्रतिनिधि शब्द है—धर्म वा

१. एक बूढ़ : एक सागर, पृ० १४९६।

२. वैसाखिया विश्वास की, पृ० १८।

३. जैन भारती २८ अक्टूबर, १९६२।

अध्यात्म । जहा धर्म विकसित होता है, वहां जीवन का निर्माण होता है और समाज स्वस्थ रहता है ।”^{११} उनकी दृष्टि में वह समाज रुग्ण है, जहा संग्रह, शोषण, चोरी एव छीनाभूषण चलती है । अतः जहा सब अपने अधिकारो में सन्तुष्ट तथा सहयोग और सामजस्य की भावना लिए चलते हो, वही स्वस्थ एव आदर्श समाज हो सकता है ।

अणुव्रत द्वारा वे एक ऐसे समाज का स्वप्न देखते हैं, जहा हिंसा व संग्रह न हो । न कानून हो और न दण्ड देने वाला कोई सत्ताधीण हो । न कोई अमीर हो न गरीब । एक का जातिगत अह और दूसरे की हीनता समाज में वैषम्य पैदा करती है । अतः अणुव्रत प्रेरित समाज समान धरातल पर विकसित होगा । इसके लिए वे अनुशासन और सयम की शक्ति को अनिवार्य मानते हैं ।

अणुव्रत के द्वारा शोषण-विहीन स्वस्थ समाज-रचना के कुछ करणीय विन्दु प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं—

“१. वह समाज अल्पेच्छा और अपरिग्रह को पहला स्थान देगा । अल्पेच्छा से तात्पर्य है कि उसकी आकाक्षाएं निरंकुश नहीं होगी । आकाक्षाओं का विस्तार संग्रह या परिग्रह का कारण बनता है और संग्रह शोषण का कारण बनता है । इच्छा-सयम के साथ संग्रह-सयम स्वयं हो जाएगा ।

२. अणुव्रत अर्थ और सत्ता के केन्द्रीकरण को, फिर चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर, प्रश्रय नहीं देगा । अर्थ और सत्ता का केन्द्रीकरण ही शोषण और संग्रह की समस्याओं को जन्म देता है ।

३. उस समाज में श्रम और स्वावलम्बन की प्रतिष्ठा होगी । व्यक्ति आत्मनिर्भर बने और श्रम का मूल्यांकन सामाजिक स्तर पर हो, यह प्रयत्न किया जाएगा ।

४. संग्रह करने वाले को उसमें सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी । मनुष्य बहुधा अधिक संग्रह प्रतिष्ठा पाने के लिए ही करता है । आवश्यकता पूर्ति के लिए मनुष्य को अधिक धन अपेक्षित नहीं होता । फिर भी धन के प्रति उसकी जो लालसा देखी जाती है, उसका एक मात्र कारण प्रतिष्ठा ही है । यही कारण है कि वह सब प्रकार के छल, प्रपंच, रचकर भी पैसा कमाना चाहता है । आज यदि से सामाजिक प्रतिष्ठा को निकाल लिया जा ग्रह का महल ढह जाएगा ।

५. उस समाज के आधार में अहिंसा होगी । उसका यह विश्वास होगा—
समस्या का सही समाधान अहिंसा में ही है । अपनी हर समस्या को
वह अहिंसा के माध्यम से ही मुलभाने का प्रयत्न करेगा ।^{११}

अणुव्रत जिस आदर्श एवं शोपणविहीन समाज की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, साम्यवाद के सामने भी वही कल्पना है पर इन दोनों की प्रक्रिया में भिन्नता है । इस भेदरेखा को स्पष्ट करते हुए आचार्य तुलसी कहते हैं—
“शोपण-विहीन और स्वतन्त्र समाज की रचना साम्यवाद और अणुव्रत दोनों का उद्देश्य है पर दोनों की प्रक्रिया भिन्न है । साम्यवाद व्यवस्था देता है और अणुव्रत वृत्तियों को परिमार्जित करता है । व्यवस्था की गति तीव्र हो सकती है किंतु वह उत्तरोत्तर लक्ष्य से प्रतिकूल होती जाती है । अणुव्रत की गति मंद है पर वह उत्तरोत्तर लक्ष्य के अनुकूल है । त्वरित गति का उतना महत्त्व नहीं है, जितना लक्ष्य-प्रतिबद्ध गति का है । साम्यवादी देशों का व्यक्तिवाद की ओर बढ़ता हुआ झुकाव देखकर यह सहज ही जाना जा सकता है कि व्यवस्था-परिवर्तन की अपेक्षा वृत्ति-परिवर्तन का क्रम प्रशस्त है ।^{१२}

समग्र मानव समाज के लिए गहन एवं हितावह चिन्तन करने वाले युगद्रष्टा आचार्य तुलसी ने अपने आध्यात्मिक आंदोलनों द्वारा जिस शोपण-विहीन एवं मुखसमृद्धि से परिपूर्ण अणुव्रत समाज की कल्पना की है, उस कल्पना की पूर्ति सभी समस्याओं का निदान बनेगी, ऐसा विश्वास है ।

कहा जा सकता है कि आचार्य तुलसी के समाज-चिन्तन में जो क्रांतिकारिता, परिवर्तन एवं नए दिशाबोध हैं, वे समाजशास्त्रियों को भी चिन्तन की नयी खुराक देने में समर्थ हैं ।

१ अणुव्रत : गति-प्रगति, पृ० १३६ ।

२ अणुव्रत के आन्दोक में, पृ० २२ ।

साहित्य-परिचय

“उत्तम पुस्तक महान् आत्मा की प्राणशक्ति होती है”—मिल्टन की इस उक्ति को आचार्य तुलसी की प्रत्येक पुस्तक में चरितार्थ देखा जा सकता है। आचार्य तुलसी ने सलक्ष्य कुछ लिखा हो, ऐसा नहीं लगता पर सहज रूप से जो भी परिस्थिति उनके सामने आई, जो भी प्रसंग उनके सामने उपस्थित हुए या जिन भावों ने उन्हें उद्वेलित किया, वही सब कुछ कलम की नोक से या वाणी की शक्ति से मुखर हो गया। यह सब इतना स्वाभाविक एवं मार्मिक ढंग से चित्रित हुआ है कि किसी भी सवेदनशील पाठक का हृदय तरंगित एवं स्पन्दित हुए बिना नहीं रह सकता।

सन १९५६ में जब आचार्य तुलसी दिल्ली पहुँचे, तब उनके प्रवचन को सुनकर बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’ ने अपनी अनुभूति को शब्दों का जामा पहनाते हुए कहा—“आचार्य तुलसी का प्रवचन सुनकर मेरे हृदय में श्रद्धा का स्रोत बह चला। उनके प्रवचन में मुझे द्रष्टा की वाणी सुनाई दी। जो केवल पढ़ लेता है, वह ऐसा भाषण नहीं कर सकता। अनुभूति से ही ऐसा बोला जा सकता है। साधारण व्यक्ति आँखों देखी बात कहता है, इसलिए उसकी वाणी का कोई महत्त्व नहीं होता। अनुभूत वाणी में वेग होता है, उसका असर भी होता है। अनुभव तपस्या का फल है। आचार्यश्री का जीवन तपस्वी का जीवन है।”

शरच्चंद्र कहते थे—“सबसे जीवत और उत्प्रेरक रचना वही है, जिसे पढ़ने से लगे कि ग्रन्थकार अपने अन्दर की उर्वरा से सब कुछ बाहर फूल की भाँति खिला रहा हो”—यह उक्ति आचार्य तुलसी के साहित्य की सफल कसौटी कही जा सकती है।

आचार्य तुलसी की पुस्तकों का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य यह है कि वे वृहत्तर मानव समाज की चेतना को भ्रूत करके उनमें सांस्कृतिक मूल्यों को संप्रेषित करने में शत-प्रतिशत सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त विचारों की नवीनता के बिना कोई भी कृति अपनी अहमियत स्थापित नहीं कर सकती। आचार्य तुलसी ने लगभग सभी विषयों पर अपना मौलिक चिंतन प्रस्तुत किया है अतः उनके द्वारा लिखित पुस्तकों के अक्षरों के भीतर जो तथ्य उद्गीर्ण हुए हैं, उसे काल की अनेक परतों में आवृत या घूमिल नहीं कर सकती।

महर्षि अरविन्द मानते थे—“किसी भी सद्ग्रन्थ की पहचान दो बातों

से होती है—प्रथम उसमें सामयिक, नश्वर, देशविशेष और कालविशेष से सबंध रखने वाली बातों का उल्लेख हो तथा दूसरी शाश्वत, अविनश्वर सब कालों तथा सब देशों के लिए समान रूप से उपयोगी और व्यवहार्य हो।”¹ आचार्य तुलसी ने शाश्वत एवं सामयिक का समायोजन इतनी कुशलता से किया है कि उसकी दूसरी मिशाल मिलना मुश्किल है।

वेकन की प्रसिद्ध उक्ति है—“कुछ पुस्तकें चखने की होती हैं, कुछ निगलने की तथा कुछ चवाने एव पचा जाने की।” आचार्य तुलसी की प्रत्येक पुस्तक चखने योग्य, निगलने योग्य तथा चवाकर पचाने योग्य है—ऐसा कथन अत्युक्तिपूर्ण नहीं होगा।

यहां हम उनकी गद्य साहित्य की कृतियों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे पाठक उनके साहित्य का विहंगावलोकन और रसास्वादन कर सकें।

पुस्तक-परिचय में हमने संक्षेप सभी पुस्तकों का परिचय दिया है चाहे वे पुनर्मुद्रण में नाम-परिवर्तन के साथ प्रकाशित हुई हों। यदि पुनर्मुद्रण में पुस्तक का नाम परिवर्तित हुआ है तो उसका हमने उल्लेख कर दिया है, जिससे पाठकों को भ्रांति न हो। किन्तु अणुव्रत की आचार-संहिता से सम्बन्धित अनेक पुस्तकों अनेक नामों से प्रकाशित हुई हैं। जैसे—‘अणुव्रत आचार-संहिता’, ‘अणुव्रत : नैतिक विकास की आचार-संहिता’, ‘अणुव्रत आदोलन’, ‘अणुव्रत’, ‘अणुव्रत आदोलन : एक दृष्टि’ आदि पर हमने केवल अणुव्रत आदोलन का ही परिचय दिया है।

पुस्तकों के साथ कुछ विशेष संदेशों की पुस्तिकाओं का परिचय भी हमने इसमें समाविष्ट कर दिया है। ‘अशांत विश्व को शांति का संदेश’ आदि कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण संदेश हैं, जिनका अंग्रेजी एव संस्कृत में भी रूपान्तरण मिलता है।

अणुव्रत आंदोलन

अणुव्रत एक ऐसी मानवीय आचार-संहिता है, जिसका किसी उपासना या धर्म विशेष के साथ संबंध न होकर सत्य, अहिंसा आदि मूल्यों से है। “अणुव्रत एक क्षण में करोड़ों का नुकसान कर सकता है तो अणुव्रत करोड़ों का उद्धार कर सकता है”—आचार्य तुलसी की यह उक्ति अणुव्रत आंदोलन के महत्त्व को उजागर कर रही है। इस आंदोलन ने भारत की नैतिक-चेतना को प्रभावित कर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एव राष्ट्रीय मूल्यों की सुरक्षा करने का प्रयत्न किया है।

‘अणुव्रत आदोलन’ पुस्तिका में अणुव्रत की आचार-संहिता एवं उसके मौलिक आधार की चर्चा की गयी है। सामान्य रूप से अणुव्रत

की पृष्ठभूमि को समझने में यह पुस्तिका सफल मार्गदर्शन करती है।

अणुव्रत के आलोक में

“अणुव्रत ने अब तक क्या किया ? कितना किया ? और कैसे किया ? इसका पूरा लेखा-जोखा एकत्रित करना दुःसम्भव है। किंतु इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मानवीय मूल्यों के सदर्थ में वैचारिक क्रांति की दृष्टि से भारत के घरातल पर यह एक प्रथम उपक्रम है। अणुव्रत भारत की जनता के लिए सजीवनी का कार्य करने वाला है, इस तथ्य से आज किसी को सहमति हो या न हो, पर कोई इतिहासकार जब नव भारत का इतिहास लिखेगा, तब अणुव्रत का नाम स्वर्णाक्षरो में अंकित होगा।” लगभग ५० साल पूर्व अभिव्यक्त आचार्य तुलसी का यह आत्मविश्वास इसके उज्ज्वल भविष्य का द्योतक है। अणुव्रत ने देश के अनैतिक वातावरण के विरोध में सशक्त आवाज उठाई है।

अणुव्रत दर्शन को स्पष्ट करने के लिए प्रचुर साहित्य का निर्माण हुआ। उसमें “अणुव्रत के आलोक में” पुस्तक का अपना विशिष्ट स्थान है। आलोच्य कृति में नैतिकता का सर्वांगीण विश्लेषण हुआ है। यह विश्लेषण सैद्धांतिक ही नहीं, व्यवहारिक भी है। इसमें यह भी प्रतिपादित है कि नैतिकता देश, काल, परिवेश, वर्ग एवं संप्रदाय से परिच्छिन्न नहीं, अपितु सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक है।

इसमें विषयो का स्पष्टीकरण वार्ताओं के रूप में हुआ है। साध्वी-प्रमुखा श्री कनकप्रभाजी की जिज्ञासाएँ इतनी सामयिक और सटीक हैं कि हर पाठक यह अनुभव करता है मानो उसकी भीतरी समस्या को ही यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रस्तुत कृति अणुव्रत की राजनैतिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक महत्ता को तो स्पष्ट करती ही है साथ ही इनसे सम्बन्धित समस्याओं का समाधान भी करती है। लगभग ५१ वार्ताओं को अपने भीतर समेटे हुए यह पुस्तक अणुव्रत की आचार-सहिता एवं उसके इतिहास का विस्तृत एवं वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है, साथ ही समाज की विविध विसगतियों की ओर अगुलिनिर्देश करके उमें दूर करने की प्रेरणा भी देती है।

भारत के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को नए स्वरूप एवं नए परिवेश में प्रस्तुत करने वाली यह कृति आज की भटकती युवापीढी को नयी दिशा दे सकेगी, ऐसा विश्वास है।

अणुव्रत के संदर्भ में

अणुव्रत एक साधना है, मानवीय आचार सहिता है पर आचार्य तुलसी

ने उसे युगबोध के साथ इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि वह दिग्भ्रात मानस के लिए पुष्ट आलम्बन बन सकता है। 'अणुव्रत के सदर्थ मे' पुस्तक अणुव्रत के विविध पक्षों पर प्रश्नोत्तर शैली में प्रकाश डालती है। इसमें राष्ट्र, धर्म, नैतिकता और विज्ञान सम्बन्धी अनेक जिज्ञासाओं का अणुव्रत के परिप्रेक्ष्य में उत्तर दिया गया है तथा प्राचीन एवं अर्वाचीन, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अनेक समस्याओं पर अणुव्रत-दर्शन का समाधान प्रस्तुत है। अणुव्रत दर्शन को जन-भोग्य बनाने का यह सार्थक प्रयत्न है। आज नैतिक मूल्यों में जो गिरावट आ रही है, उसे रोकने एवं जीवन-मूल्यों के प्रति आस्था जगाने में इस प्रकार का साहित्य अपनी अहभूमिका रखता है।

यह पुस्तक अपने अगले संस्करण में कुछ सशोधन एवं परिवर्धन के साथ 'अणुव्रत . गति प्रगति' शीर्षक से प्रकाशित है।

अणुव्रत : गति-प्रगति

किसी भी वैचारिक क्रांति को व्यापक बनाने में साहित्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर अणुव्रत से सम्बन्धित आचार्य तुलसी की अनेक पुस्तकें प्रकाश में आई हैं। 'अणुव्रत : गति-प्रगति' में 'अणुव्रत' पाक्षिक पत्र में स्थायी स्तम्भ "अणुव्रत के सदर्थ मे" आयी वाताए तथा अन्य भी कुछ महत्त्वपूर्ण लेखों का संकलन है।

इस पुस्तक में नैतिकता के विविध रूपों की बहुत सुन्दर व्याख्या की गई है। कुछ लेखों में अणुव्रत आंदोलन का इतिहास एवं आचार-सहिता तथा कुछ वाताओं में सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं का अणुव्रत द्वारा सटीक समाधान की चर्चा की गई है। 'अणुव्रत ग्राम' की सुन्दर परिकल्पना भी इसमें सन्निहित है। इसके अतिरिक्त प्रश्नोत्तरों के माध्यम से आंदोलन के अनेक वैचारिक एवं व्यावहारिक पक्ष भी आधुनिक शैली में इस पुस्तक में गुम्फित हैं। 'समाज व्यवस्था और अहिंसा' आदि कुछ वाताए अहिंसा विषयक नवीन एवं मौलिक अवधारणाओं की अवगति देती हैं।

इसमें कुल ६१ लेख हैं, जिनमें १९ प्रवचन तथा ४२ वाताए हैं। इस पुस्तक के प्रश्न जितने सटीक, आधुनिक और मौलिक हैं, उत्तर भी उतने ही सजीव, क्रांतिकारी और मौलिकता लिए हुए हैं। पूरी पुस्तक का मुख्य विषय अणुव्रत और नैतिकता है। अणुव्रत प्रेमी एवं अध्यात्मजिज्ञासुओं के लिए यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुस्तक है।

अणुव्रत की क्यों बने ?

आज के अनैतिक एवं भ्रष्ट वातावरण में अणुव्रत सजीवनी बूटी है। अणुव्रत के माध्यम से आचार्य तुलसी ने हर धर्म के व्यक्तियों को सही मानव बनने की प्रेरणा दी है तथा जीर्ण-शीर्ण मानवता का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न

किया है। इस पुस्तिका में अणुव्रत-अधिवेशन पर दिए गए एक महत्त्वपूर्ण प्रवचन का संकलन है।

समीक्ष्य आलेख समय एवं सादगी की पृष्ठभूमि पर आधारित अणुव्रत आंदोलन की महत्ता स्पष्ट करता है।

अणुव्रती संघ

“जो देश, काल की सीमा को लाघकर जीवन के शाश्वत मूल्यों का उद्घाटन करती है, वह श्रेष्ठ पुस्तक है”—‘अणुव्रती संघ’ पुस्तिका इसका एक उदाहरण है। इस कृति में ‘अणुव्रत आंदोलन’, जो अपने प्रारम्भिक काल में ‘अणुव्रती संघ’ के रूप में प्रसिद्ध था, उसके विधान एवं नियमावलियों की जानकारी दी गयी है। पुस्तक के आवरण पृष्ठ पर भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद के अणुव्रत के बारे में विचार अंकित हैं। उसका कुछ अंश इस प्रकार है—

“अणुव्रती संघ की स्थापना करके और उसके काम को बढ़ाने के लिए अपना समय लगाकर आचार्यजी देश के लिए कल्याणकारी काम कर रहे हैं।यह सतोप की बात है कि आचार्यजी काल और देश की परिस्थिति को हमेशा सामने रखकर कार्यक्रम निर्धारित करते हैं और जो भिन्न-भिन्न श्रेणी के लोग हैं, उनकी भिन्न-भिन्न समस्याएं होती हैं, उन सबमें घुसकर भिन्न-भिन्न रीति से सगठित रूप से सदाचार और चरित्र को प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं।”

इसमें अणुव्रती संघ के ८३ नियमों का उल्लेख है, जिनका समाहार आज ११ नियमों में हो गया है। अणुव्रत के नियमों की ऐतिहासिक जानकारी देने में इस पुस्तक का महत्त्वपूर्ण स्थान है। अन्त में “अणुव्रत और अणुव्रती संघ” नामक एक लेख भी प्रकाशित है। यह लेख ‘अखिल भारतीय प्राच्य विद्या परिषद् के सतरहवें अधिवेशन के ‘जैनदर्शन एवं प्राकृत विभाग’ में प्रेषित किया गया था। इस महत्त्वपूर्ण लेख में अणुव्रती संघ की स्थापना का उद्देश्य तथा उसकी महत्ता का सर्वांगीण विवेचन है।

मैत्री, समय, समन्वय और त्याग पर आधारित अणुव्रत आंदोलन की सक्षिप्त जानकारी देने में इस पुस्तक का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

अतीत का अनावरण

भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक आचार्य तुलसी एवं युवाचार्य महाप्रज्ञजी की संयुक्त कृति है। इसमें आगम एवं उपनिषदों के आधार पर २५ शोधपूर्ण निबंधों का संकलन है। आलोच्य ग्रंथ में इतिहास एवं भूगोल से सम्बन्धित अनेक महत्त्वपूर्ण एवं खोजपूर्ण लेखों का समाहार है। श्रमण संस्कृति की ऐतिहासिकता एवं महावीर के वंश के बारे में अनेक नयी

स्थापनाओं का प्रस्तुतीकरण इस ग्रन्थ में हुआ है। इस पुस्तक में अनेक संदर्भ ग्रन्थों का भी उपयोग हुआ है। अतः शोध विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है।

अतीत का विसर्जन : अनागत का स्वागत

तनावमुक्त, सार्थक एवं सफल जीवन का सूत्र है—अतीत की स्मृति एवं भविष्य की कल्पना से मुक्त होकर वर्तमान में जीना। आचार्य तुलसी ने इस सूत्र को प्रायोगिक रूप में अपने जीवन में उतारा है। इस सूत्र को जनता तक पहुंचाने के विशेष उद्देश्य से लिखे गये निबंधों का संकलन है—‘अतीत का विसर्जन : अनागत का स्वागत’। इस पुस्तक में एक ओर युवापीढी को जैन दर्शन व संस्कृति से परिचित कराया गया है तो दूसरी ओर अहिंसा के विविध रूपों को भी मौलिक सोच के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसमें भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग को जहां रचनात्मक दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा है तो वहां समाज एवं राष्ट्र की चेतना को झकझोरने का सफल एवं सार्थक प्रयत्न भी है।

प्रस्तुत पुस्तक के प्रारम्भिक लेख भगवान् महावीर एवं अणुव्रत आंदोलन की जानकारी देते हैं तथा जेप लेखों में अनेक सामयिक विषयों पर ऊहापोह किया गया है। ‘समस्या के बीज : हिंसा की मिट्टी’ तथा ‘लोकतंत्र और अहिंसा’ जैसे कुछ लेख अहिंसक विश्व व्यवस्था का आधार प्रस्तुत करते हैं एवं युद्ध, हिंसा तथा आणविक नरसंहार से समूची दुनिया को बचाने के लिए एक नयी सोच तथा नया दिशादर्शन देते हैं।

प्रस्तुत पुस्तक के ४२ लेखों में युगबोध एवं नैतिक अवधारणाओं को युगीन संदर्भ में अभिव्यक्ति दी गयी है। इसी कारण सोच एवं व्यवहार को संस्कारों एवं आदर्श मूल्यों से अनुप्राणित करने में यह पुस्तक अच्छी भूमिका अदा करती है। हर वर्ग के पाठकों को नयी सामग्री परोसने वाली यह कृति वैचारिक क्रांति घटित करने में सक्षम है।

अनैतिकता की धूप : अणुव्रत की छतरी

नैतिक आंदोलनों में अणुव्रत का अपना महत्त्वपूर्ण एवं सर्वोपरि स्थान है। इस आंदोलन ने व्यक्ति-चेतना और समूह-चेतना को समान रूप से प्रभावित किया है। इसे जनता तक पहुंचाने तथा नैतिक-मूल्यों का अवबोध कराने के लिए प्रश्नोत्तरो एवं निबंधों का एक संकलन ‘अनैतिकता की धूप : अणुव्रत की छतरी’ के नाम से प्रकाशित हुआ है। इस पुस्तक में प्राच्य एवं पाश्चात्य आचारशास्त्र विषयक चिंतन की धाराओं में कितना भेद और अभेद है, उसका सूक्ष्म विश्लेषण तथा दोनों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। यह पुस्तक आचारशास्त्र और नीतिशास्त्र का तुलनात्मक

अध्ययन प्रस्तुत करती है। समीक्ष्य ग्रन्थ में प्रायः प्रश्न पाश्चात्य दर्शन से प्रभावित है पर आचार्य तुलसी ने उनमें भारतीय दर्शन के अनुसार सामञ्जस्य विठाने का प्रयत्न किया है तथा कहीं-कहीं उन विचारों के प्रति विरोध भी प्रकट किया है। फिर भी सम्पूर्ण पुस्तक में उत्तर देते हुए लेखक ने अनैकान्तिक दृष्टि को नहीं छोड़ा है। सामान्यतः आचार्य तुलसी सहज, सुबोध एवं सरल शैली में बोलते अथवा लिखते हैं पर इस पुस्तक में नैतिकता, आचारशास्त्र, पाश्चात्य-दर्शन तथा अणुव्रत के विविध पक्षों का अत्यन्त गूढ़ एवं गभीर विवेचन हुआ है। नैतिकता की नई व्याख्या एवं परिकल्पना जिस रूप से इस पुस्तक में उकेरी गई है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है।

प्रारम्भिक ४२ लेखों में प्रश्नोत्तरो के माध्यम से भारतीय एवं पाश्चात्य आचार-विज्ञान का विश्लेषण है तथा द्वितीय खण्ड 'जीवन मूल्यों की तलाश' में २४ निबंधों के माध्यम से अणुव्रत एवं उससे सम्बन्धित नैतिक मूल्यों का विवेचन है। इस प्रकार अणुव्रत-दर्शन को तुलनात्मक रूप से गभीर एवं प्राञ्जल भाषा में प्रस्तुत करने का सफल एवं स्तुत्य प्रयास यहाँ हुआ है।

अमृत-संदेश

आचार्य तुलसी के आचार्यकाल के ५० वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समाज ने अमृत महोत्सव की आयोजना कर उनका अभिनंदन किया क्योंकि आचार्य तुलसी ने स्वयं विष पीकर भी देश, समाज और राष्ट्र को अमृत ही बाटा है।

आलोच्य कृति का प्रारम्भ अमृत-संदेश से होता है, जो लेखक ने अपने जन्मदिन पर सम्पूर्ण देश की जनता के नाम दिया था। पुस्तक में अमृत वर्ष के अवसर पर दिए गए विशेष पाथेय, दिशाबोध एवं संदेश समाविष्ट है। इन विशिष्ट आलेखों में मानवीय मूल्यों को उजागर करने के साथ-साथ सांप्रदायिकता, कट्टरता एवं जातिवाद की जड़ों को भी काटने का सफल उपक्रम हुआ है।

'एक मर्मन्तिक पीड़ा : दहेज' 'व्यवसाय जगत् की बीमारी : मिलावट' आदि लेखों में रचनात्मक एवं सृजनात्मक वातावरण निर्मित करने का सफल अभियान छेड़ा गया है। 'समाधान का मार्ग हिंसा नहीं' आलेख में लेखक ने लोगोवालजी से मिलन के प्रसंग को अभिव्यक्ति दी है। मजहब के नाम पर विकृत साहित्य लिखने वालों के सामने यह कृति एक नया आदर्श प्रस्तुत करती है तथा समाज में व्याप्त विकृतियों को धू-धूकर जलाने की शक्ति रखती है। विश्व के क्षितिज पर मानवधर्म के रूप में अणुव्रत आंदोलन का प्रतिष्ठापन करके आचार्य तुलसी ने अध्यात्म का नया सूर्य उगाया है। अणुव्रत आंदोलन के विविध रूपों को स्पष्ट करने हेतु दिए गए दिशाबोधों का

महत्त्वपूर्ण सकलन इस पुस्तक में है। इन लेखों में भारतीय मानसिकता में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों, विकृतियों एवं विसंगतियों पर भी प्रभावी ढंग से प्रहार किया गया है।

३६ आलेखों में लेखक ने सामयिक एवं शाश्वत सत्यों के समन्वय का सुन्दर एवं सार्थक प्रयास किया है। यह कृति लोगों को पुरुषार्थी बनकर शक्तिशाली बनने का आह्वान करती है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं वैचारिक खुराक की दृष्टि से साहित्य-जगत् में यह कृति अपना विशिष्ट स्थान रखती है तथा समस्या के तमसू को समाधान के आलोक में बदलने का सामर्थ्य रखती है। अगले संस्करण में इसके प्रायः लेख 'सफर : आधी शताब्दी का' पुस्तक में समाविष्ट कर दिए गए हैं।

अर्हत् वंदना

महावीर के प्रत्येक शब्द में वह शक्ति है, जो सोए मानस को जगा सके, घोर तिमिर में आलोक प्रदान कर सके तथा लड़खड़ाते कदमों को अस्खलित गति दे सके। आचार्य तुलसी महावीर की परम्परा के कीर्तिधर एवं यशस्वी पट्टधर हैं। उन्होंने अनेक माध्यमों से महावीर-वाणी को दिग-दिगन्तों तक फैलाने का कार्य किया है। उसी का एक लघु एवं सशक्त उपक्रम है—'अर्हत् वंदना'।

प्रायः सभी धर्म-सम्प्रदायों में प्रार्थना का महत्त्व स्वीकृत है। इस युग के महापुरुष महात्मा गांधी कहते थे—“प्रार्थना के बिना मैं कब का पागल हो गया होता। मैं कोई काम बिना प्रार्थना नहीं करता। मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना उतनी ही अनिवार्य है, जितना शरीर के लिए भोजन”—ये पंक्तियाँ प्रार्थना के महत्त्व को स्पष्ट उजागर कर रही हैं। आचार्य तुलसी ने जैन दर्शन के आत्मकर्तृत्व के सिद्धांत के अनुरूप प्रार्थना शब्द को स्वीकृत नहीं किया क्योंकि उसमें याचना का भाव होता है। अतः इसका नाम दिया—'अर्हत् वंदना'। अर्हत् अनन्त शक्तिसम्पन्न आत्मा का वाचक शब्द है। उनके प्रति वंदना या श्रद्धा की अभिव्यक्ति व्यक्ति के भीतर भी शक्ति जगाने में निमित्त बन सकती है। आचार्य तुलसी कहते हैं—“व्यक्तित्व के निर्माण एवं रूपांतरण में इसकी शक्ति अमोघ है। शक्ति से शक्ति का जागरण, यही है अर्हत् वंदना की एक मात्र प्रेरणा।”

अर्हत् वंदना आचार्य तुलसी की स्वोपज्ञ कृति नहीं है। महावीर-वाणी का संकलन है, पर आज लाखों-लाखों कंठ प्रतिदिन इसका सगान कर आध्यात्मिक संबल प्राप्त करते हैं। यह अपने आपको देखने तथा शांति प्राप्त करने का सशक्त उपक्रम है। इसका प्रत्येक पद व्यक्ति को भङ्कृत करता है तथा मानसिक एवं भावनात्मक पोषण देता है।

अर्हत् वंदना पुस्तक की महत्ता इसलिए बढ़ गयी है कि इसका

सरल हिंदी एवं अंग्रेजी अनुवाद कर दिया गया है। साथ ही आचार्यश्री ने सब सूक्तों एवं पदों की इतनी सरस एवं सरल व्याख्या प्रस्तुत कर दी है कि सामान्य व्यक्ति भी उनका हार्दिक समझ कर उसमें तन्मय हो सकता है।

लघु होते हुए भी यह कृति अध्यात्मरसिक लोगों को अध्यात्म के नए रहस्यों का उद्घाटन कर उन्हें आत्मदर्शन की प्रेरणा देती रहेगी।

अशांत विश्व को शांति का संदेश

यह संदेश २९ ६ ४५ को सरदारशहर से लंदन में आयोजित 'विश्व धर्म सम्मेलन' के अवसर पर प्रेषित किया गया था। इस ऐतिहासिक संदेश में आज की विपन्न स्थिति का चित्रण करते हुए प्राचीन एवं अर्वाचीन युद्ध के कारणों पर प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही शांति की व्याख्या और उसकी प्राप्ति के उपायों का विवेचन भी बहुत मार्मिक शैली में हुआ है। अतः विश्वशांति के सार्वभौम १३ उपायों की चर्चा है। इस कृति में करुणा, शांति, संवेदना एवं अहिंसा की सजीव प्रस्तुति हुई है।

आचार्य तुलसी के इस प्रेरक और हृदयस्पर्शी लेख को पढ़कर महात्मा गांधी ने अपनी टिप्पणी व्यक्त करते हुए कहा—“क्या ही अच्छा होता, जब सारी दुनिया इस महापुरुष के बताए हुए मार्ग पर चलती।”

यह संदेश निश्चित रूप से अशांति से पीड़ित मानव को शांति की राह दिखा सकता है तथा अणुअस्त्रों की विभीषिका से त्रस्त मानवता को त्राण दे सकता है।

अहिंसा और विश्वशांति

हिंसा और अहिंसा का द्वन्द्व सनातन है। आदमी हिंसा के दुष्परिणामों से परिचित होते हुए भी हिंसा के नए-नए आविष्कारों/उपक्रमों का ओर अभिमुख होता जा रहा है, यह बहुत बड़ा विपर्यास है। आचार्य तुलसी ने 'अहिंसा और विश्वशांति' पुस्तिका में अहिंसा के वैज्ञानिक स्वरूप को प्रकट किया है तथा शांति प्राप्त करने के उपक्रमों को व्याख्यायित किया है। जो व्यक्ति अहिंसा को कायरों का अस्त्र मानते हैं, उनकी भ्रांति का निराकरण करते हुए वे कहते हैं—“कायरता अहिंसा का अचल तक नहीं छू सकती। सोने के थाल बिना भला सिंहनी का दूध कब और कहा रह सकता है? अहिंसा का वास वीर हृदय को छोड़कर और कहीं नहीं होता। वीर वह नहीं होता, जो मारे, वीर वह है, जो मर सके पर न मारे”। अहिंसक ही सच्चा वीर होता है, वह स्वयं मरकर दूसरे की वृत्ति को बदल देता है।”

अहिंसा के अमृत का रसास्वादन वही कर सकता है, जो उसके परिणाम को जानता है। लेखक की दृष्टि में सद्भावना, मैत्री, निष्कपटवृत्ति, हृदय की स्वच्छता—ये सब अहिंसा देवी के अमर वरदान हैं। इस पुस्तिका

में अहिंसा के प्रभाव को नए संदर्भ में प्रस्तुत करते हुए लेखक का कहना है—
“दूसरे की सम्पत्ति, ऐश्वर्य और सत्ता को देखकर मुंह में पानी नहीं भर आता, यह अहिंसा का ही प्रभाव है।”

सम्पूर्ण लेख में अहिंसा को नए परिवेश के साथ प्रस्तुत किया गया है। आज के हिंसा-संकुल वातावरण में यह लेख अहिंसा की सशक्त भूमिका तैयार करने में अपनी अहम भूमिका रखता है।

आगे की सुधि लेइ

प्रवचन-साहित्य जन-साधारण को नैतिकता की ओर प्रेरित करने का सफल उपक्रम है। ‘आगे की सुधि लेइ’ प्रवचन पाथेय ग्रन्थमाला का तेरहवा पुष्प है। यह १९६६ में गंगाशहर (राज०) में प्रदत्त आचार्य तुलसी के प्रवचनों का संकलन है। प्रवचनकार श्रोता, समय एवं परिस्थिति को देखकर अपनी बात कहते हैं, अतः उसमें विषय-वैविध्य और पुनरुक्ति होना स्वाभाविक है। पर प्रवचनकार आचार्य तुलसी का मानना है कि भिन्न-भिन्न दृष्टियों से प्रतिपादित एक ही बात अपनी उपयोगिता के आगे प्रश्नचिह्न नहीं लगने देती।

इन प्रवचनों में जागरण का संदेश है, आत्मोत्थान की प्रेरणा है तथा व्यक्ति से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरने वाली समस्याओं का समाधान भी गुफित है। प्रवचन-साहित्य की कडी में यह एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक है, जो अज्ञान के अंधेरे में भटकते मानव को सही मार्गदर्शन देने में सक्षम है। पुस्तक के अंत में तीन परिशिष्ट जोड़े गए हैं, जिससे यह ग्रन्थ अधिक उपयोगी बन गया है।

आज से २७ वर्ष पूर्व के ये ५४ प्रवचन अपनी उपयोगिता के कारण आज भी ताजापन लिए हुए हैं।

आचार्य तुलसी के अमर संदेश

प्रसिद्ध विद्वान् विद्याधर शास्त्री कहते हैं—“आचार्य तुलसी के अमर संदेश पुस्तक विश्व दर्शन की उच्चतम पुस्तक है।” यह सर्वोदय ज्ञानमाला का चौथा पुष्प है। इसमें चारित्रिक बल को जागृत कर आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने की चर्चा है। प्रस्तुत पुस्तक में विशिष्ट अवसरों पर दिए प्रवचनों एवं महत्त्वपूर्ण आयोजनों में प्रेषित संदेशों का संकलन है। जैसे—लंदन में आयोजित ‘विश्व-धर्म सम्मेलन’ के अवसर पर भेजा गया महत्त्वपूर्ण लेख—‘अज्ञात विश्व को शांति का संदेश’ आदि।

राजनीति और धर्म के अनेक अनछुए एवं महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर प्रस्तुत पुस्तक नए विचारों की प्रस्तुति देती है साथ ही अन्तश्चेतना को झकझोरने में भी पर्याप्त सहायक बनती है। ये प्रवचन पुराने होते हुए भी

वर्तमान के काल में बरते ही सामाजिक, लक्ष्मणी, सांकेतिक एवं पारलौकिक जीवन होते हैं। इनके लक्ष्मणीकरण आज भी चलते ही हैं, अिलेकी शुरुवाती ही। अिलेकी और लक्ष्मणी के बिना सौन्दर्य के साथ दूसरे पुरतक में प्रस्तुत किया गया है, यह प्रतीति है।

ये नव नवोदय अिलेकी समाज एक देश के आसपास भूमती समसमाजों को हनारे सामने रखते हैं, साथ ही राष्ट्रीय समाधान भी प्रस्तुत करती हैं।

आत्मनिर्माण तने इकातीय रूपा

सन् १९०० का भारतीय समाजी नवप्रयोग में हुआ। भारतवासियों के दौरान भारतवर्ष अिलेकी से पूर्णता तक सात दिन के लिए आत्मनिर्माण सप्ताह का आयोजन किया गया। इस सप्ताह में अिलेकी आचार्य तुलसी द्वारा उद्घोषित आत्म-कर्मों का संकल्प इस प्रसिद्धि में किया गया है। इसमें अहिसा, सत्य, अरोग, ब्रह्मचर्य एवं अविश्रम का आधिक पालन करने के निर्णयों का उल्लेख है। एक सुदृढ़ अपने जीवन में अहिसा आदि का पालन किस प्रकार कर सकता है, इसका सूक्ष्म विभावर्णन इस प्रसिद्धि में मिलता है।

आकार में राष्ट्र छोटे हुए भी यह प्रसिद्धि मानवीय आचार-संहिता का प्रस्तुत करने वाली है। ये ११ सूत्र नैतिक मूल्यों से तो गहनपूर्ण हैं ही, सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर को समन्वित बनाने के भी प्रथम महत्त्वपूर्ण स्थान है।

आत्मनिर्माण

आचार्य तुलसी का प्रथम नाम प्रेरक और मार्गदर्शी होता है, पर उनके कुछ विशेष उद्घोषण करने महत्त्वपूर्ण हैं कि काम का निर्माण भी अनेक धर्मिक नहीं कर सकता। एक मार्गदर्शक होने हुए भी आचार्य नृसिंही समाज के अनेक परिणामों का प्राण जानक हैं। इसी उद्घोषण, अर्थान्त है, पर्याप्त पण जीवन की मार्गदर्शकता को समझने एवं समझ करके भी अविश्रम समाज अनेक सुदृढ़ मूल्यों हैं।

व्यक्त हुई है, पर घुटन नहीं है। इसमें उनके हृदय की वेदना बोल रही है, पर निराशा नहीं है।

आचार्यश्री ने सफलता की अनेक सीढ़ियों को पार किया है, पर सफलता के मद ने उनकी अग्रिम सफलता को प्राप्त करने वाले रास्ते को अवरुद्ध नहीं किया। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे अपनी असफलता को भी देखते रहते हैं। इस दृष्टि से लेख का निम्न अंश पठनीय है—“धर्मसंघ की सफलता का व्याख्यान मिक्के का एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू है—उन बिन्दुओं को देखना, जहाँ हम असफल रहे हैं अथवा जिन बातों की ओर अब तक हमारा ध्यान नहीं गया है। इसके लिए हमारे पास एक ऐसी आख होनी चाहिये, जो हमारी कमियों को, असफलताओं को देख सके और हमें अपने करणीय के प्रति सचेत कर सके। संघ के एक-एक सदस्य का दायित्व है कि वह उस पृष्ठ को देखे, जो अब तक खाली है। जिन लोगों के पास चिन्तन, सूझबूझ और काम करने की क्षमता है, वे उस खाली पृष्ठ को भरने के लिए क्या करेंगे, यह भी तय करें।”

ऐश्वर्य के उच्च शिखर पर आरूढ़ प्रदर्शन एवं आडम्बरप्रिय व्यक्तियों को यह संदेश त्याग, संयम, सादगी एवं बलिदान का उपदेश देने वाला है।

उद्बोधन

अणुव्रत-आंदोलन किसी सामयिक परिस्थिति में प्रभावित तात्कालिक क्रान्ति करने वाला आन्दोलन नहीं, अपितु शाश्वत दर्शन की पृष्ठभूमि पर टिका हुआ है। इस आंदोलन के माध्यम से आचार्य तुलसी ने केवल विभिन्न वार्तमानिक समस्याओं को ही नहीं उठाया, बल्कि सटीक समाधान भी प्रस्तुत किया है। सामयिक सदर्थों पर ‘अणुव्रत’ पत्रिका में प्रकाशित संक्षिप्त विचारों का संकलन ही ‘उद्बोधन’ है। इसमें नैतिकता के विषय में नए दृष्टिकोण से विचार किया गया है। अतः प्रस्तुत कृति व्यक्ति को प्रामाणिकता के सांचे में ढालने हेतु अनेक उदाहरणों, सुभाषितों एवं घटनाओं को माध्यम बनाकर विषय की सरस एवं सरल प्रस्तुति करती है। यह पुस्तक साम्प्रदायिकता, प्रान्तीयता आदि विकृत मूल्यों को बदलकर समन्वय एवं समानता के मूल्यों की प्रस्थापना करने का भी सफल उपक्रम है।

इसमें अणुव्रत-दर्शन को अध्यात्म, संस्कृति, समाज और मनोविज्ञान के साथ जोड़ने का सार्थक प्रयत्न किया गया है। परिवर्धित रूप में इसका नवीन संस्करण ‘समता की आंख : चरित्र की पाख’ के नाम से प्रकाशित है।

‘कुहासे में उगता सूरज’

‘कुहासे में उगता सूरज’ १०१ आलेखों का महत्वपूर्ण संकलन है। ये

विचार समय-समय पर साप्ताहिक बुलेटिन 'विज्ञप्ति' में छपते रहे हैं। इस पुस्तक में केवल धर्म और अध्यात्म की ही चर्चा नहीं है, अपितु दूरदर्शन, सांविध्यत महोत्सव, सयुक्तपरिवार, दक्षेससम्मेलन तथा पर्यावरण आदि अनेक सम-सामयिक विषयों पर मार्मिक एवं सटीक प्रस्तुति हुई है। ये आलेख लेखक के चौतरफ़ी ज्ञान को तो प्रस्तुत करते ही हैं, साथ ही उनके समाधायक दृष्टिकोण को भी उजागर करने वाले हैं। इस कृति में भौतिकवाद से उत्पन्न खतरे के प्रति समाज को सावधान किया गया है। पुस्तक में समाविष्ट विषयों के बारे में स्वयं प्रश्नचिह्न उपस्थित करते हुए आचार्य तुलसी कहते हैं—“प्रश्न हो सकता है कि धर्माचार्यों को सामयिक प्रसंगों से क्यों जुड़ना चाहिए? उनका तो काम होता है शाश्वत को उजागर करना।.....पर मेरा विश्वास है कि शाश्वत के साथ पूरी तरह अनुबंधित रहने पर भी सामयिक की उपेक्षा नहीं की जा सकती। शाश्वत से वर्तमान को निकाला भी नहीं जा सकता। यदि धर्मगुरु के माध्यम से समाज को पथदर्शन न मिले, दिशाबोध न मिले, गतिशील रहने की प्रेरणा न मिले तो जागरण का संदेश कौन देगा? जनता को जगाने का दायित्व कौन निभाएगा?” इसी उद्देश्य से इस पुस्तक में अनेक जागतिक समस्याओं के संदर्भ में चिन्तन किया गया है। यह पुस्तक भौतिकता की चकाचौंध में अपनी मौलिक संस्कृति को भूलने वाली पीढ़ी को एक नया दिशादर्शन देगी तथा असंयम और हिंसा के कुहासे में संयम और अहिंसा के तेज से युक्त नए मूरज को उगाने में भी सहयोगी बन सकेगी।

इस पुस्तक में चिंतन की मौलिकता, विवेचन की गभीरता, विश्लेषण की सूक्ष्मता एवं शैली की प्रौढ़ता सर्वत्र दृग्गोचर हैं। इसका प्रत्येक आलेख सक्षिप्त, सारगर्भित और अन्तःकरण को छूने वाला है। समाज एवं देश प्रत्येक क्षेत्र के अन्धकार की चर्चा कर आचार्यश्री ने भारतीय संस्कृति अनुरूप अध्यात्म की लौ प्रज्वलित करने का प्रशस्त प्रयत्न किया है। इस पुस्तक के शीर्षक को भी सार्थकता मिली है।

क्या धर्म बुद्धिगम्य है ?

साहित्य ऐसा होना चाहिए, जिसके आकलन से दूरदर्शिता बढ़े को तीव्रता प्राप्त हो, हृदय में एक प्रकार की संजीवनी शक्ति की ज्वाला लगे, मनोवेग परिष्कृत हो जाए तथा आत्मगौरव की उद्भावना तक पहुंच जाए—महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा दी गई साहित्य की पर आचार्य तुलसी की कृति 'क्या धर्म बुद्धिगम्य है?' को पढ़ना है।

धर्म का सम्बन्ध प्रायः परलोक से जोड़ दिया जाता है।

श्रद्धालु व्यक्ति के लिए गम्य है। एक तार्किक और बौद्धिक व्यक्ति धर्म के इस रूप को रवीकार करने में हिचकता है। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत के माध्यम से धर्म को व्यवहार के साथ जोड़कर उसे बुद्धिगम्य बनाने का प्रयत्न किया है। पुस्तक के आत्म-वक्तव्य में वे इस बात की पुरजोर पुष्टि करते हैं—“जिस धर्म से इस जन्म में मोक्ष का अनुभव नहीं होगा, उस धर्म से भविष्य में मोक्ष-प्राप्ति की कल्पना का क्या आधार हो सकता है ?”

पुस्तक में ४१ आलेखों के माध्यम से धर्म का क्रान्तिकारी स्वरूप, अणुव्रत आंदोलन, जैन-सिद्धान्त तथा लोकतंत्र से सम्बन्धित अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है।

सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें धर्म, संस्कृति एवं परम्परा के विषय में एक नया दृष्टिकोण एवं नई सोच से विचार किया गया है तथा धर्म का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत कर नयी मान्यताओं को भी जन्म दिया गया है। इस पुस्तक के माध्यम से आचार्य तुलसी ने सभी धर्माचार्यों को पुनः एक बार धर्म के बारे में सोचने के लिए बाध्य कर दिया है कि धर्म का शुद्ध स्वरूप क्या है ? लेखक का स्पष्ट मन्तव्य है कि चरित्र की प्रतिष्ठा ही धर्म का सक्रिय स्वरूप है।

सम्प्रदाय को ही धर्म मानकर संघर्ष करने वालों को इसमें नया प्रतिबोध दिया गया है। यह पुस्तक निश्चय ही धर्मप्रेमी लोगों को धर्म के बौद्धिक और वैज्ञानिक स्वरूप का बोध कराने में सफल है। साथ ही धार्मिक जगत् के समक्ष एक ऐसा स्वप्न प्रस्तुत करती है, जिसको साकार करने में मानव-समुदाय पुरुषार्थ और लगन से जुट जाए।

खोए सो पाए

वर्तमान युग की व्यस्त दिनचर्या में आकार छोटा और निष्कर्ष बड़ा, ऐसे साहित्य की नितान्त आवश्यकता है। आचार्य तुलसी ने युगीन मानसिकता को समझा और ‘खोए सो पाए’ पुस्तक द्वारा इस अपेक्षा की पूर्ति की। इस पुस्तक में नैतिकता एवं जीवन-मूल्यों की मार्मिक अभिव्यक्ति देने के साथ ही साधनापरक अनुभवों को भी नई भाषा दी गई है।

सहज ग्राह्य शैली में लिखी गयी इस पुस्तक के ८० लेखों में नैतिकता जीवन्त होकर मुखर हुई है, ऐसा प्रतीत होता है। साथ ही भारत की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना को एक विशेष अभिव्यक्ति मिली है।

आचार्य तुलसी एक महान साधक हैं। उन्होंने अपने जीवन में साधना के अनेक प्रयोग किए हैं। हिसार चातुर्मास १९६३ में उन्होंने एकात-वास के साथ साधना के कुछ नए प्रयोग भी किए। उस अनुष्ठान के दौरान हुए अनेक अनुभवों को उन्होंने अपनी डायरी में लिखा। उसी डायरी के कुछ

पृष्ठ इस पुस्तक में प्रतिबिम्बित है। प्रस्तुत कृति में अनुभवों की इतनी सहज अभिव्यक्ति हुई है कि पाठक पढ़ते ही उससे तादात्म्य स्थापित कर लेता है। पुस्तक के प्रायः सभी शीर्षक साधनापरक हैं।

आचार्यश्री स्वयं इस पुस्तक के प्रयोजन को अभिव्यक्ति देते हुए कहते हैं—‘खोए सो पाए’ को पढ़ने वाला साधक अपने आपको पूर्ण रूप से खोना, विलीन करना सीख ले, यह उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है।’ संक्षेप में प्रस्तुत कृति अपने घर को देखने, सवारने और निरन्तर उसमें रह सकने का सामर्थ्य भरती है।

गृहस्थ को भी अधिकार है धर्म करने का

भगवान् महावीर ने साधु-संस्था को जितना महत्त्व दिया, उतना ही महत्त्व गृहस्थवर्ग को भी दिया तथा उनके लिए धार्मिक आचार-सहिता भी प्रस्तुत की है। इस पुस्तक के प्रारम्भिक लेखों में अहिंसा, सत्य आदि पाच व्रतों का विवेचन है, तत्पश्चात् धर्म और दर्शन के अनेक विषयों का संक्षेप में विम्लेषण किया गया है। साधारणतः तात्त्विक एवं दार्शनिक साहित्य जन-सामान्य के लिए रुचिकर नहीं होता क्योंकि इनका विषय जटिल और गम्भीर होता है लेकिन आचार्य तुलसी की तत्त्व-प्रतिपादन शैली इतनी सरस, सरल और रुचिकर है कि वह व्यक्ति को उबाती नहीं। इतने संक्षिप्त पाठों में गम्भीर विषयों का प्रतिपादन लेखक की विशिष्ट शैली का निदर्शन है। जहाँ विषय विस्तृत लगा उसको उन्होंने अनेक भागों में बांट दिया है— जैसे—‘श्रावक के विश्राम’, ‘श्रावक के मनोरथ’ आदि।

आचार्य तुलसी अपने स्वकथ्य में इस कृति के प्रतिपाद्य को सटीक एवं रोचक भाषा में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं—“कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि धर्माचरण और तत्त्वज्ञान करने का ठेका साधुओं का है। गृहस्थ अपनी गृहस्थी संभाले, इससे आगे उनको कोई अधिकार नहीं है। इस धारणा को तोड़ने के लिए तथा गृहस्थ समाज को इसकी उपयोगिता समझाने के लिए अब ‘गृहस्थ को भी अधिकार है धर्म करने का’ पुस्तक पाठकों के हाथों में पहुँच रही है। जैन दर्शन के सैद्धांतिक तत्त्वों की अवगति पाने के लिए, श्रावक की चर्या को विस्तार से जानने के लिए तथा बच्चों को धार्मिक संस्कार देने के लिए इसका उपयोग हो, यही इसके संकलन की सार्थकता है।”

इस कृति में १११ लघु पाठों का समावेश है। प्रत्येक पाठ अपने आपमें पूर्ण है तथा ‘गागर में सागर’ भरने के समान प्रतीत होता है। जैनतर पाठकों के लिए जैनधर्म एवं उसके सिद्धांतों को सरलता से जानने तथा कलात्मक जीवन जीने के सूत्रों का ज्ञान कराने हेतु यह पुस्तक बहुत उपयोगी

है। समग्रदृष्टि से प्रस्तुत कृति तत्त्वज्ञान एवं जीवन-विज्ञान का जुड़वां स्वाध्याय ग्रंथ है। इस पुस्तक का प्रथम संस्करण 'मुक्तिपथ' शीर्षक से प्रकाशित है।

घर का रास्ता

'घर का रास्ता' प्रवचन पाथेय ग्रंथमाला की शृंखला में सतरहवां पुष्प है। यह श्रीचन्दजी रामपुरिया द्वारा संपादित प्रवचन-ढायरी भाग-३ में संकलित सन् ५७ के प्रवचनों का ही परिवर्धित एवं परिष्कृत संस्करण है। ९८ प्रवचनों से युक्त इस नए संस्करण में अनेको विषयों पर सशक्त एवं प्रभावी विचाराभिव्यक्ति हुई है। युग की अनेक समस्याओं पर गम्भीर चिन्तन एवं प्रभावी समाधान है। साथ ही भारतीय संस्कृति के प्रमुख पहलुओं— धर्म, अध्यात्म, योग, संयम आदि की सुन्दर चर्चा है।

निःसन्देह घर के रास्ते से वेखवर दर-दर भटकते मानव का पथ-दर्शन करने में यह पुस्तक आलोक-दीप का कार्य करेगी और पथ-भटके मानव के लिए मार्गदर्शक बनकर उसके पथ में आलोक बिखेरती रहेगी।

इन प्रवचनों की भाषा सरल, सहज एवं अन्तःकरण का स्पर्श करने वाली है। इसमें घटनाओं, रूपों एवं कथाओं के माध्यम से शाश्वत घर तक पहुंचने के लिए कटीले पथ को साफ किया गया है। अध्यात्मचेता पाठक इस पुस्तक के माध्यम से नैतिक और आध्यात्मिक चेतना का विकास कर सकेगा, ऐसा विश्वास है।

जन-जन से

आचार्य तुलसी ने अपने प्रवचनों में उन सब बातों का जीवन्त चित्रण किया है, जो उन्होंने अनुभव किया है, देखा एव सोचा-समझा है। 'जन-जन से' पुस्तक में आचार्य तुलसी के १९ क्रांतिकारी युग-सन्देश समाविष्ट हैं। इन संदेशों में समाज के विभिन्न वर्गों की त्रुटियों की ओर अंगुलिनिर्देश है, साथ ही जीवन को प्रेरक और आदर्श बनाने के सूत्र भी समाविष्ट हैं।

'सुधारवादी व्यक्तियों से' 'धर्मगुरुओं से' 'जातिवाद के समर्थकों से' तथा 'विश्वशांति के प्रेमियों से' आदि ऐसे सन्देश हैं, जिनको पढ़कर ऐसा लगता है कि एक अत्यन्त तपा तथा मंजा हुआ आत्मनिष्ठ और मनोवली योगी ही इस भाषा में दूसरों को प्रेरणा दे सकता है।

आकार में लघु होते हुए भी इस पुस्तक की महत्ता इस बात में है कि ये प्रवचन या सन्देश हर वर्ग के मर्म को छूने वाले तथा रूपांतरण की प्रेरणा देने वाले हैं। सुधारवादी व्यक्तियों को इसमें कितने स्पष्ट शब्दों में प्रेरणा दी गयी है—“जिस बात पर स्वयं अमल नहीं कर सकें, जिसे अपने

व्यावहारिक जीवन में स्थान नहीं दे सके, उसका आँरो के लिए प्रवचन करना, क्या विडम्बना या धोखा नहीं है ?”

पुस्तक नवसमाज के निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य करने वाली अमूल्य सन्देशवाहिका है ।

जब जागो, तभी सवेरा

योगक्षेम वर्ष आध्यात्मिक-वैज्ञानिक व्यक्तित्व निर्मित करने का एक हिमालयी प्रयत्न था, जिसमें अन्तर्मुखता प्रकट करने तथा विधायक भावों को जगाने के अनेक प्रयोग किए गए । समीक्ष्य वर्ष में प्रज्ञा-जागरण के अनेक उपक्रमों में एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम था—प्रवचन । ‘जब जागो, तभी सवेरा’ योगक्षेम वर्ष में हुए प्रवचनों का द्वितीय संकलन है । इसमें मुख्यतः ‘उत्तराध्ययन मूत्र’ पर हुए ५१ प्रवचनों का समावेश है, साथ ही तेरापथ, प्रेक्षाध्यान तथा कुछ तुलनात्मक विषयों पर विगिण्ट सामग्री भी इस कृति में देखी जा सकती है । आज के प्रमादी, आलसी और दिशाहीन मानव के लिए यह पुस्तक पथ-दर्शक का काम करती है । व्यक्तित्व-निर्माण के साथ-साथ जीवन को समग्रता से कैसे जिया जाए, इसका समाधान भी इस ग्रन्थ में है ।

‘शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ता प्रदूषण’ आदि कुछ लेख आज की शिक्षा-प्रणाली पर करारा व्यंग्य करते हैं । निष्कर्षतः यह अपनी संस्कृति एवं सभ्यता से जुड़ी एक जीवन्त रचना है । लेखक ने हजारों किलोमीटर की पदयात्रा करके इस देश की स्थितियों को बहुत नजदीकी से देखा है और उनको समाधान की रोशनी भी दी है ।

इन लेखों/प्रवचनों में प्रवचनकार ने अनेक संस्कृत श्लोकों, हिन्दी के दोहों तथा सोरठों आदि का भी भरपूर उपयोग किया है तथा प्रतिपाद्य को स्पष्ट करने हेतु अनेक रोचक कथाओं तथा सस्मरणों का समावेश भी इस ग्रन्थ में किया गया है । कहा जा सकता है कि भगवान् महावीर द्वारा प्रतिपादित तथ्यों को आज के साचे में ढालने का सार्थक प्रयत्न इन आलेखों में किया गया है ।

जागो ! निद्रा त्यागो !!

मानव जीवन को सूक्ष्मता से देखने, समझने और नया बल देने की परिष्कृत दृष्टि आचार्य तुलसी के पास है । यही कारण है कि उनके प्रवचन-साहित्य में सामाजिक, नैतिक एवं मानवीय पहलुओं के साथ गभीर दार्शनिक चिंतन के स्वर भी हैं । प्रस्तुत पुस्तक ऐसे ही ५८ प्रवचनों का संकलन है ।

जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह पाठक को जागरण का सदेश देती है । इसमें विविध भावों का समाहार है । आचार, संस्कार, राष्ट्रीय-भावना, साधना, शिक्षा तथा धर्म आदि विषयों से युक्त यह पुस्तक पाठक

की दृष्टि को विशाल एव ज्ञानयुक्त बनाने में सक्षम है। जीवन और मृत्यु इन दोनों को कलात्मक कैसे बनाया जाए, इसके विविध गुर भी इस कृति में गुफित हैं।

इसमें अनेक छोटे-छोटे दृष्टांत, उदाहरण, कथानक, रूपक तथा गाथाओं के द्वारा गहन विषय को सरल शैली में स्पष्ट करने का सुंदर प्रयत्न हुआ है। सैद्धांतिक दृष्टि से भी यह पुस्तक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बन पड़ी है क्योंकि इसमें सरल भाषा में क्रिया, गुणस्थान, पर्याप्ति आदि का सुंदर विवेचन मिलता है।

आलोच्य पुस्तक प्रवचन-साहित्य की कड़ी में वारहवा पुष्प है। तत्त्वज्ञानसु पाठक इससे जैन तत्त्व एव सिद्धांत के कुछ प्रत्ययों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा विश्वास है।

जीवन की सार्थक दिशाएं

‘जीवन अनन्त संभावनाओं की कच्ची मिट्टी है’—आचार्य तुलसी के ये विचार जीवन के बारे में एक नयी सोच पैदा करते हैं। जीवन सभी जीते है, पर सार्थक जीवन जीने की कला बहुत कम व्यक्ति जान पाते हैं। प्रस्तुत पुस्तक सामाजिक, राष्ट्रीय और वैयक्तिक जीवन की अनेक सार्थक दिशाएं उद्घाटित करती है। ३३ आलेखों के माध्यम से प्रस्तुत कृति में व्यापक सदर्भों में नवीन आध्यात्मिक मूल्यों का प्रकटीकरण हुआ है।

इस पुस्तक में कुछ आलेख व्यक्तिगत अनुभूतियों से संबन्धित हैं तो कुछ समाज, परिवार एवं राष्ट्र से जुड़ी विसंगतियों एवं विकृतियों पर भी मार्मिक प्रहार करते हैं। ‘धर्मसंघ के नाम खुला आह्वान’ लेख विस्तृत होते हुए भी आधुनिकता के नाम पर पनप रही भोगविलास एवं ऐश्वर्यवादी मनोवृत्ति पर करारा व्यंग्य करता है तथा लेखक की मानसिक पीड़ा का सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है।

प्रस्तुत कृति मानव जीवन से जुड़ी सच्चाइयों की सच्ची अभिव्यक्ति है। इसे पढ़ते समय व्यक्ति अपना चरित्र सामने महसूस करता है। समीक्ष्य कृति में लीक से हटकर कुछ कहने का तथा लोगों की मानसिकता को झकझोरने का सघन प्रयत्न हुआ है। यह कृति हर वर्ग के पाठक को कुछ सोचने, समझने एवं बदलने के लिए उत्प्रेरित करेगी तथा अहिंसक समाज-संरचना की दिशा में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगी, यह विश्वास है।

जैन तत्त्व प्रवेश भाग-१,२

जैन दर्शन के सिद्धांत रूढ़ नहीं, अपितु विज्ञान पर आधारित हैं। इसकी तत्त्व-मीमांसा भी समृद्ध है। इसमें जहां विश्व-व्यवस्था पर गहन चिंतन है, वहां आत्म-विकास के लिए उपयोगी तत्त्वों का भी गहन विवेचन

हुआ है। 'जैन तत्त्व प्रवेश भाग-१,२' में नवतत्त्व, कर्मवाद, भाव, आत्मा आदि की प्राथमिक जानकारी मिलती है तथा अन्य स्फुट विषयो का ज्ञान भी इसमें प्राप्त होता है।

इसके दूसरे भाग में—लेश्या, भाव, गुणस्थान आदि का विवेचन है। साथ ही आचार्य भिक्षु के मौलिक सिद्धांत दान, दया आदि को भी आधुनिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है।

जैन तत्त्व ज्ञान में प्रवेश पाने के लिए ये दोनों कृतियाँ प्रवेश द्वार कही जा सकती हैं। दार्शनिक और तात्त्विक विवेचन को भी इसमें सरल एवं सहज भाषा में प्रस्तुत किया गया है। ये कृतियाँ आचार्य भिक्षु द्वारा रचित 'तेरह द्वार' के आधार पर निर्मित की गयी हैं। आज भी सैकड़ों मुमुक्षु और तत्त्वजिज्ञासु इन दोनों कृतियों को सस्कृत श्लोकों की भाँति शब्दशः कठस्थ करते हैं तथा इनका पारायण करते हैं।

जैन तत्त्व विद्या

तत्त्वज्ञान जहाँ हमारी दृष्टि को परिमार्जित करता है, वहाँ जीवन रूपांतरण में भी सहयोगी बनता है। आचार्य तुलसी का मतव्य है कि बड़े-बड़े सिद्धांतों का मूल्य बौद्धिक समुदाय तक सीमित रह जाता है किंतु 'जैन तत्त्व विद्या' पुस्तक में सामान्य तत्त्वज्ञान को बहुत सरल और सुबोध शैली में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत कृति शिक्षित और अल्पशिक्षित दोनों वर्गों के पाठकों के लिए उपयोगी है।

यह कृति 'कालू तत्त्व शतक' की व्याख्या के रूप में लिखी गयी है। जैन विद्या के लगभग १०० विषयों का विश्लेषण इस ग्रन्थ में है। आकार में छोटी होते हुए भी यह कृति ज्ञान का आकर है, इसमें कोई सदेह नहीं है। जैन विद्या का प्रारम्भिक ज्ञान कराने में यह पुस्तक बहुत उपयोगी है।

जैन दीक्षा

भारतीय सस्कृति में सन्यस्त जीवन की विशेष प्रतिष्ठा है। बड़े-बड़े चक्रवर्तियों ने भी भौतिक सुखों को तिलाञ्जलि देकर साधना के वीहड पथ पर चरण बढाए हैं। जैन परम्परा में तो दीक्षित जीवन का विशेष महत्त्व रहा है। कुछ भौतिकवादी व्यक्ति दीक्षा को पलायन मानते हैं पर आचार्य तुलसी ने इस पुस्तिका के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि दीक्षा कोई पलायन या कर्त्तव्यविमुखता नहीं, अपितु स्वयं, समाज व राष्ट्र के प्रति अधिक जागरूक होने का एक महान् उपक्रम है।

पुस्तिका में दीक्षा का स्वरूप, दीक्षा ग्रहण के कारण, दीक्षा-ग्रहण की अवस्था आदि अनेक विषयों का स्पष्टीकरण है। इस पुस्तिका में मूलतः बालदीक्षा के विरोध में उठने वाली शंकाओं का समाधान देने वाले विचारों

का संकलन है। यह पुस्तिका अनेक महत्त्वपूर्ण तथ्यों को अपने में समेटे हुए है।

ज्योति के कण

अणुव्रत आंदोलन के माध्यम से आचार्य तुलसी ने भारतीय जनता को रचनात्मक एवं सृजनात्मक जीवन का प्रेरक एवं उपयोगी संदेश दिया है। यह आंदोलन जहाँ गरीब की झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक पहुँचा, वहाँ सामान्य अनपढ़ ग्रामीण से लेकर प्रबुद्ध शिक्षाविद् भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। 'ज्योति के कण' पुस्तिका अणुव्रत के स्वरूप एवं उसके विभिन्न पक्षों का सुन्दर विश्लेषण करती है। यह लघु कृति अणुव्रत की ज्योति को जन-जन तक पहुँचाने में समर्थ रही है।

ज्योति से ज्योति जले

“शरीर पर जितने रोम हैं, उससे भी अधिक आशा और उम्मीद युवापीढी से की जा सकती है। उसे पूरा करने के लिए युवकों को इच्छाशक्ति और सकल्पशक्ति का जागरण करना होगा”—आचार्य तुलसी का यह उद्बोधन आज की दिशाहीन और अकर्मण्य युवापीढी को एक नया बोधपाठ पढ़ाता है। ऐसे ही अनेक बोधपाठों से युक्त समय-समय पर युवकों को प्रतिबोध देने के लिए दिए गए वक्तव्यों एवं निबन्धों का संकलन ग्रन्थ है—'ज्योति से ज्योति जले।' यह पुस्तक युवकों के आत्मवल और नैतिकवल को जगाने की प्रेरणा तो देती ही है साथ ही 'श्रमण संस्कृति की मौलिक देन' तथा 'चंद्रयात्रा : एक अनुचिन्तन' आदि कुछ लेख सैद्धांतिक एवं आगमिक ज्ञान भी प्रदान करते हैं। पुस्तक में गुम्फित छोटे-छोटे प्रेरक उद्बोधनों से प्रेरणा पाकर युवासमाज निश्चित ही रचनात्मक एवं सृजनात्मक दिशा में गति कर सकता है।

तत्त्व क्या है ?

'तत्त्व क्या है ?' 'ज्ञानकण' की शृंखला में प्रकाशित होने वाला महत्त्वपूर्ण पुष्प है। इसमें धर्म के संदर्भ में फैली कई भ्रांतियों का निराकरण है। प्रस्तुत पुस्तिका में धर्म का क्रान्तिकारी स्वरूप अभिव्यक्त हुआ है। इसमें अध्यात्म को भौतिकता से सर्वथा भिन्न तत्त्व स्थापित किया गया है। लेखक का मानना है—“भौतिकता स्वार्थमूलक है, स्वार्थ-साधना में संघर्ष हुए बिना नहीं रहते। आध्यात्मिकता का लक्ष्य परमार्थ है—इसलिए वहाँ संघर्षों का अन्त होता है।” उनका यह कथन अनेक भ्रांतियों को दूर करने वाला है।

धर्म और राजनीति को सर्वथा पृथक् नहीं किया जा सकता अतः धर्म के विविध पक्षों को उजागर करते हुए आचार्य तुलसी राजनीतिज्ञों को

चेतावनी देते हुए कहते हैं—“मैं राजनीतिज्ञों को भी एक चेतावनी देता कि हिंसात्मक क्रान्ति ही सब समस्याओं का समुचित साधन है, इस को निकाल फेंके अन्यथा उन्हें कटु परिणाम भोगना होगा। आज हिंसक से कल का हिंसक अधिक क्रूर होगा, अधिक सुख-लोलुप होगा।” यह प्रेरक वाक्य इस ओर इंगित करता है कि राजनीति पर धर्म का अंकुश अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रकार आकार में छोटी होते हुए भी पुस्तिका वैचारिक खुराक की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

तत्त्व-चर्चा

भारतीय संस्कृति में तत्त्वज्ञान का महत्त्वपूर्ण स्थान है। महावीर ने मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी के रूप में तत्त्वज्ञान को स्वीकार किया है।

आचार्य तुलसी महान् तत्त्वज्ञ ही नहीं, वरन् तत्त्व-व्याख्याता भी है। समय-समय पर अनेक पूर्वी एवं पाश्चात्य विद्वान् आपके चरणों में तत्त्व-जिज्ञासा लिये आ जाते हैं। हर प्रश्न का सही समाधान आपकी औत्पत्तिकी बुद्धि में पहले से ही तैयार रहता है।

तत्त्वचर्चा पुस्तक में दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डा० के० जी० रामाराव व आस्ट्रिया के यशस्वी पत्रकार डा० हर्वर्ट टिसि की जिज्ञासाओं का समाधान है। इसमें दोनों विद्वानों ने आत्मा, जीव, कर्म, पुद्गल, पुण्य आदि के बारे में तो प्रश्न उपस्थित किए ही हैं, साथ ही साधु-जीवन की चर्चा से संबंधित भी अनेक प्रश्नों का उत्तर है।

यह पुस्तिका जैन तत्त्वज्ञान की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अतः तत्त्वज्ञान में रुचि रखने वालों के लिये पठनीय एवं मननीय है।

तीन संदेश

‘तीन संदेश’ पुस्तिका में आचार्य तुलसी के तीन महत्त्वपूर्ण संदेश संकलित हैं। प्रथम ‘आदर्श राज्य’ जो एशियाई कांफ्रेंस के अवसर पर प्रेषित किया गया था। दूसरा ‘धर्म संदेश’ अहमदाबाद में आयोजित ‘धर्म परिषद्’ में पढ़ा गया था तथा तीसरा ‘धर्म रहस्य’ दिल्ली में एशियाई कांफ्रेंस के अवसर पर ‘विश्व धर्म सम्मेलन’ में प्रेषित किया गया। लगभग ४७ वर्ष पूर्व लिखित ये तीनों संदेश आज भी धर्म और राजनीति के बारे में अनेक नई धारणाओं और विचारों को अभिव्यक्त करने वाले हैं। इन संदेशों में कुछ ऐसी नवीनताएं हैं, जो पाठकों को यह अहसास करवाती हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं सोच पाए? प्रस्तुत कृति युग की ज्वलंत समस्याओं का समाधान है तथा हठ-मोक्ष-चेतना को भाकभोरने में भी कामयाब रही है।

य दर्शन एवं संस्कृति के विषय में नया दृष्टिकोण

तथा गाधीजी के रामराज्य की आदर्श कल्पना का प्रायोगिक रूप प्रस्तुत करने वाली है।

तेरापथ और मूर्तिपूजा

तेरापथ मूर्तिपूजा में विश्वास नहीं करता। वह किसी भी व्यक्तिगत उपासना-पद्धति का खंडन या आलोचना नहीं करता, पर सही तथ्य जनता तक पहुंचाने में उसका एव उसके नेतृत्व का विश्वास रहा है। समय-समय आचार्य तुलसी के पास मूर्तिपूजा को लेकर अनेक प्रश्न उपस्थित होते रहते हैं। उन सब प्रश्नों का सटीक एव तार्किक समाधान इस पुस्तिका में दिया गया है। आगमिक आधार पर अनेक नए तथ्यों को प्रकट करने के कारण यह पुस्तिका अत्यन्त लोकप्रिय हुई है तथा लोगों के समक्ष धर्म का सही स्वरूप प्रस्तुत करने में सफल रही है।

दायित्व का दर्पण : आरथा का प्रतिबिम्ब

यह पुस्तक दूधालेश्वर महादेव (मेवाड़) में युवको को संबोधित कर प्रेषित किए गए सात प्रवचनों का सकलन है। युवक अपनी क्षमता को पहचानकर शक्ति का सही नियोजन कर सके इसी दृष्टि से दूधालेश्वर में साप्ताहिक शिविर का आयोजन हुआ। आचार्यश्री की प्रत्यक्ष सन्निधि न मिलने के कारण वाचिक सन्निधि को प्राप्त कराने के लिए सात प्रवचनों को ध्वनि-मुद्रित किया गया। वे ही सात प्रवचन इस कृति में सकलित हैं।

ये प्रवचन भारतीय संस्कृति, जैनदर्शन, तेरापथसंघ तथा श्रावक की आचार-सहिता की विशद जानकारी देते हैं। आकार-प्रकार में छोटी होने पर भी यह कृति भाषा, भाव एव शैली की दृष्टि से काफी समृद्ध है। इसमें आधुनिक विकृत जीवन-शैली तथा पाश्चात्य संस्कृति के अधानुकरण पर तो प्रहार किया ही है, साथ ही चरित्रहीनता एव आस्थाहीनता को समाप्त कर नैतिक एव प्रामाणिक जीवन जीने का संदेश भी दिया गया है।

अहिंसा के परिप्रेक्ष्य में कई मौलिक एव आधुनिक प्रश्नों का सटीक समाधान भी इस कृति में प्रस्तुत है। उदाहरण के लिए इसकी कुछ पक्तियां पठनीय हैं—“कई बार भावावेश में आकार युवावर्ग कह बैठता है—“नहीं चाहिए हमें ऐसी अहिंसा और शांति, जो समाज को दबू और कायर बनाती है युवावर्ग ही क्यों, मैं भी कहता हूँ मुझे भी नहीं चाहिए ऐसी अहिंसा और शांति, जो समाज को कायर बनाती है।”

यह कृति युवापीढी की उखडती आस्था को पुनःस्थापित करने में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाती है।

दीया जले अगम का

‘दीया जले अगम का’ ठाण सूत्र के आधार पर दिए गए प्रवचनों का सकलन है। यह योगक्षेम वर्ष में हुए प्रवचन-साहित्य की शृंखला में चौथा पुष्प है। इस पुस्तक के ४१ आलेखों में सैद्धांतिक, दार्शनिक, व्यावहारिक, मनोवैज्ञानिक आदि अनेक दृष्टियों से नए तथ्य प्रकट हुए हैं। आचार्य तुलसी के शब्दों में — “इस पुस्तक में कहीं धर्म और राजनीति की चर्चा है तो कहीं पर्यावरण-विज्ञान का प्रतिपादन है, कहीं क्रियावाद और अक्रियावाद जैसे दार्शनिक विषय हैं तो कहीं स्वास्थ्य की आचार संहिता है। कहीं चक्षुष्मान का स्वरूपबोध है तो कहीं व्यक्तित्व की कसौटियों का निर्धारण है। कहीं अहिंसा की मीमांसा है तो कहीं मरने की कला का अवबोध है। कुल मिलाकर मुझे लगा कि इस पुस्तक की सामग्री जीवन को अनेक कोणों से समझने में सहयोगी बन सकती है। महावीर-वाणी के आधार पर प्रज्वलित यह अगम का दीया चेतना की सत्ता को आवृत करने वाले अंधेरे से लड़ता रहे, यही इस पुस्तक के सकलन, संपादन और प्रकाशन की सार्थकता है।”

प्रस्तुत कृति निपेधात्मक भावों के स्थान पर विधायक भाव, भौतिक शक्तियों के स्थान पर आध्यात्मिक शक्तियों का साक्षात्कार कराने में सार्थक भूमिका निभाती है। इसके आलेख हैवान से इन्सान तथा इन्सान से वेहतर इन्सान बनाने की दिशा में अपना सफर जारी रखेंगे, ऐसा विश्वास है।

दोनों हाथ : एक साथ

आचार्य तुलसी ने अपने आचार्यकाल में नारी-जागरण के अनेक प्रयत्न किए हैं। उनका मानना है कि स्त्री को उपेक्षा या सकीर्ण दृष्टि से देखना रूढिगत मानसिकता का द्योतक है। महिला जाति को दिशादर्शन देने के साथ-साथ उन्होंने युवाशक्ति को भी प्रतिबोध देकर उसे रचनात्मक दिशा में अग्रसर किया है। ‘दोनों हाथ : एक साथ’ पुस्तक में आचार्य तुलसी द्वारा समय-समय पर युवकों एवं महिलाओं को सम्बोधित कर लिखे गए लेखों का संकलन है।

पुस्तक के प्रथम खंड में २३ निबंध नारी-शक्ति से सम्बन्धित हैं। तथा दूसरे खंड के २२ निबंधों में युवाशक्ति को दिए गए प्रेरक उद्बोधन समाविष्ट हैं।

प्रथम खंड में नारी जीवन से जुड़ी पर्दाप्रथा, दहेज, अशिक्षा जैसी विसंगतियों एवं विकृतियों पर करारा प्रहार किया गया है। नारी की आंतरिक शक्ति को जागृत करने की प्रेरणा देते हुए लेखक यहां तक कह देते हैं—“समाज में लक्ष्मी और सरस्वती का जितना महत्त्व है, दुर्गा का भी

उससे कम महत्त्व नहीं है। केवल लक्ष्मी और सरस्वती बनने से महिलाओं का काम नहीं चलेगा, उन्हें दुर्गा भी बनना होगा।” इस खंड के सभी लेख नारी-जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूने वाले हैं तथा उसकी सोयी अस्मिता को जगाने वाले हैं।

यह पुस्तक स्वस्थ समाज-सरचना में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। पुस्तक में प्रतिपादित क्रांतिकारी विचार आने वाली शताब्दियों तक भी युवापीढी को दिशादर्शन देते रहेंगे, ऐसा विश्वास है।

धर्म : एक कसौटी : एक रेखा

भारतीय सस्कृति के कण-कण में धर्म की चर्चा है, इसलिए यहाँ अनेक धर्म और धर्माचार्य प्रादुर्भूत हुए। समय के अंतराल में धर्म जैसे निखालिस तत्त्व में भी कुछ अन्यथा तत्त्वों का समावेश हो जाता है, इसलिए उसकी कसौटी की आवश्यकता हो जाती है।

आचार्य तुलसी ने धर्म को बुद्धि, तर्क और श्रद्धा की कसौटी पर कसकर उसका शुद्ध रूप जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। ‘धर्म : एक कसौटी : एक रेखा’ पुस्तक में उन्होंने इसी परिप्रेक्ष्य में चिंतन किया है। इसकी प्रस्तुति में वे कहते हैं—“धर्म की कसौटी है—मानवीय एकता की अनुभूति। हृदय और मस्तिष्क पर अभेद की रेखा खचित होते ही धर्म परीक्षित हो जाता है। अहिंसा का आधार अभेद बुद्धि है। मानवीय एकता की अनुभूति इसी की एक लय है। इसी लय में मैंने अनेक समस्याओं का समाधान देखा है।”

सम्पूर्ण पुस्तक तीन अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में अध्यात्म के विविध परिप्रेक्ष्यों की चर्चा है। दूसरा अध्याय जैन धर्म से संबंधित है तथा तीसरा अध्याय ‘विविधा’ के रूप में है। इसके प्रथम खंड में ‘पत्र एवं प्रतिनिधि’ शीर्षक के अन्तर्गत अनेक गहरो में हुई पत्रकार-वार्ताओं का समावेश है। द्वितीय खंड ‘व्यक्ति’ में अनेक गणमान्य एवं प्रसिद्ध व्यक्तियों, श्रावकों के बारे में आचार्यश्री के उद्गार संकलित हैं। तृतीय ‘मत-अभिमत’ में लगभग ११ पुस्तकों के बारे में लेखक की सम्मति प्रकाशित है। चतुर्थ ‘संस्थान’ खंड में विभिन्न संस्थानों एवं सम्मेलनों के लिए दिए गए सदेशों एवं विचारों का संकलन है। इनमें कुछ सदेश संस्कृत भाषा में भी हैं।

पंचम ‘पर्व’ खंड में कुछ विशेष उत्सवों के बारे में तथा अंतिम ‘नैतिक संदर्भ’ खंड में एक, दो आदि शीर्षकों से नैतिक विचारों का समावेश है। पुस्तक में समाविष्ट लेखों में वेधकता तो है ही, कुछ नया सोचने की प्रेरणा भी है।

मुनि दुलहराजजी द्वारा संपादित इस पुस्तक में विविध विधाओं में

विचारो का प्रस्तुतीकरण हुआ है। यह पुस्तक दक्षिण यात्रा के परिव्रजन काल की कुछ सामग्री हमारे सामने प्रस्तुत करती है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह पुस्तक अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। क्योंकि अनेक व्यक्तियों के बारे में इस पुस्तक में आचार्य तुलसी के विचारों का सकलन है।

अहिंसा में आस्था रखने वाले पाठकों को यह पुस्तक नया आलोक देगी, ऐसा विश्वास है।

धर्म और भारतीय दर्शन

आचार्य तुलसी की इस पुस्तिका में 'भारतीय दर्शन परिषद्' के रजत जयंती समारोह के अवसर पर कलकत्ते में पठित एक विशेष लेख का सकलन है। यह लेख धर्म के शुद्ध स्वरूप का बोध तो कराता ही है साथ ही धर्म क्यों, इस पर भी दार्शनिक दृष्टि से विवेचन प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत निबन्ध तथाकथित धार्मिकों को कुछ नए सिरे से सोचने को मजबूर करता है।

धर्म : सब कुछ है, कुछ भी नहीं

इस पुस्तिका में दिल्ली में जनवरी, सन् १९५० में हुए 'सर्वधर्म सम्मेलन' में आचार्य तुलसी का प्रेषित प्रवचन संकलित है। इस लेख का शीर्षक ही आकर्षक नहीं है अपितु इसमें वर्णित धर्म का स्वरूप भी मार्मिक, हृदयस्पर्शी और नवीनता लिए हुए है। आचार्य तुलसी का मतव्य है कि यदि धर्म इस जन्म में शांति और सुख नहीं देता है तो उससे पारलौकिक शांति की कल्पना व्यर्थ है। इसलिए उन्होंने उपासना-परक और क्रियाकांडयुक्त धर्म को महत्त्व न देकर धर्म के सदेश को जीवन में उतारने की बात जनता के समक्ष रखी है। इसी तथ्य की पुष्टि प्रवचन के उपसंहार में इन शब्दों में होती है—“मैं तो यही कहूंगा कि यदि धर्म का आचरण किया जाए तो वह विश्व को सुखी करने के लिए सर्वशक्तिमान् है और यदि धर्म का आचरण न किया जाए तो वह कुछ भी नहीं कर सकता है।”

धर्म-सहिष्णुता

अणुव्रत के माध्यम से धर्मक्रांति का जो स्वर आचार्य तुलसी ने बुलन्द किया है, वह भारत के इतिहास में अविस्मरणीय है। उनके ओजस्वी विचारों ने मृतप्रायः धार्मिक क्रियाकांडों को नवीनता प्रदान कर उन्हें जीवत करने का प्रयत्न किया है। सांप्रदायिकता एवं धार्मिक असहिष्णुता को मिटा कर सर्वधर्मसमन्वय का वातावरण बनाया है।

धार्मिक सकीर्णता के दुष्परिणामों को देखकर अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति लेखक ने पुस्तिका की भूमिका में इन शब्दों में की है—“सब धर्मों

का समन्वय मेरा प्रिय विषय है। जब मैं धर्मों में परस्पर टकराव देखता हूँ तो मुझे वेदना होती है। धर्म की पृष्ठभूमि मैत्री है, अहिंसा है और करुणा है।”

इसमें आचार्य तुलसी ने साहित्यिक शैली में अनेक रूपकों द्वारा धार्मिक उदारता को प्रस्तुति दी है। उसका एक निदर्शन द्रष्टव्य है—
“समुद्र मेरे लिए है पर वह केवल मेरे लिए नहीं है क्योंकि वह महान् है, असीम है। मेरा घडा केवल मेरा हो सकता है, क्योंकि वह लघु है, सीमित है।”

इस पुस्तक में अठारहवें अखिल भारतीय अणुव्रत सम्मेलन का दीक्षांत प्रवचन भी समाविष्ट है। इस अवसर पर प्रदत्त मोरारजी देसाई का भाषण भी इसमें सम्मिलित है। इस प्रकार यह पुस्तिका अहिंसा के विषय में नए विचारों को प्रकट करने वाली महत्त्वपूर्ण कृति है।

धवल समारोह

जैन परम्परा की प्रभावक आचार्य-शृंखला में आचार्य तुलसी का आचार्यकाल एक कीर्तिमान् है। उनका नेतृत्व ही दीर्घकालीन नहीं, अपितु उस काल में हुये नवोन्मेषों की शृंखला भी बहुत लम्बी है। उनके आचार्यकाल के २५ वर्ष पूरे होने पर समाज ने ‘धवल समारोह’ की आयोजना की। इस अवसर पर उनका एक विशिष्ट प्रवचन ‘धवल समारोह’ के नाम से प्रकाशित हुआ। इस लेख का तेरापथ इतिहास की दृष्टि से ही महत्त्व नहीं, वरन् सम्पूर्ण मानवजाति को भी इसमें नया मार्गदर्शन दिया गया है। वे समाज से क्या अपेक्षा रखते हैं, इसका निर्देश इस आलेख में स्पष्ट भाषा में है। लेख के अन्त में वे स्वयं अपने संकल्प की अभिव्यक्ति इन शब्दों में करते हैं—“मैं सकल्प करता हूँ कि मैंने जो किया, उससे और अधिक करूँ। मैंने जो पाया, उससे और अधिक पाऊँ। मुझसे जनता को जो मिला, उससे और अधिक मिले। मेरा जीवन अपने गण, राष्ट्र और समूचे विश्व के लिये हितकर हो, यही मेरी मंगलकामना है।”

सम्पादित होने के बाद इस ऐतिहासिक प्रवचन का कथ्य इतना सशक्त हो गया है कि दर्पण की भाँति तेरापथ समाज इसमें अपने चहुँमुखी विकास का दर्शन कर सकता है। ३५ साल पूर्व दिया गया यह प्रवचन आज भी उतना ही प्रासंगिक एवं महत्ता लिये हुये है। इस विस्तृत प्रवचन में एक युग, एक जीवन और एक राष्ट्र अपने आपमें पूर्ण रूप से विद्यमान है।

नया मोड़

अणुव्रत आंदोलन के अन्तर्गत नए मोड़ के द्वारा आचार्य तुलसी

ने समाज में एक नयी क्रांति लाने का प्रयास किया है। एक हाथ के घूघट में रहने वाली महिलाओं ने 'नए मोड़' के माध्यम से नयी करवट लेकर समाज में अपनी नयी पहचान बनायी है।

'नया मोड़' पुस्तिका में आचार्य तुलसी ने सामाजिक कुरूपियों की ओर समाज का ध्यान आकृष्ट किया है तथा जन्म, विवाह, मृत्यु के अवसर पर होने वाले आयोजन को जैन सस्कृति के अनुसार समय से कैसे मनाए, इसका दिशानिर्देश दिया है। इस पुस्तक में सामाजिक परम्पराओं में आई जड़ता को तोड़कर उनमें नवप्राण फूंकने का कार्य किया गया है।

पुस्तक का वैशिष्ट्य है कि यह केवल उपदेश ही नहीं देती, बल्कि जन्म-संस्कार, विवाह-संस्कार एवं मृत्यु-संस्कार का प्रायोगिक रूप भी प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक से प्रेरणा पाकर समाज आडम्बर एवं प्रदर्शनमुक्त जीवन जीने की प्रेरणा ले सकेगा तथा नए समाज की संरचना हो सकेगी, ऐसा विश्वास है।

नयी पीढ़ी : नए संकेत

आचार्य तुलसी की आशाओं का केन्द्रबिन्दु है—'युवा समाज'। उनका मानना है कि युवकों के हाथ में यदि मशाल प्रज्वलित हो तो सामाजिक जीवन चमत्कृत हो उठता है। युवापीढ़ी को अनुशासित और सयमी बनाए रखने के लिए वे समय-समय पर दिशाबोध देते रहते हैं। 'नयी पीढ़ी नए संकेत' पुस्तक दिल्ली में आयोजित युवक-प्रशिक्षण शिविर में प्रदत्त वक्तव्यों का संकलन है। इसमें ७ वक्तव्यों के अन्तर्गत धर्म, तेरापथ, मानसिक शांति, ईश्वर, अनेकांत, विसर्जन आदि विषयों का विश्लेषण हुआ है। आकार-प्रकार में लघु होते हुए भी यह पुस्तक धर्म, दर्शन एवं सिद्धांत के बारे में नवीन सामग्री के साथ प्रस्तुत है।

नवनिर्माण की पुकार

आचार्य तुलसी धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महापुरुष हैं। अणुव्रत के माध्यम से उन्होंने सांस्कृतिक चेतना को जागृत कर मानव के नवनिर्माण का बीड़ा उठाया है। राजधानी दिल्ली से लेकर छोटे-बड़े गांवों तक हजारों किलोमीटर की पदयात्राएं उन्होंने की हैं। 'नवनिर्माण की पुकार' पुस्तक में दिल्ली यात्रा के अनुभवों एवं कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण है। कई यात्रा-संस्मरण भी पुस्तक में अनायास ही जुड़ गए हैं। अनेक महान् राष्ट्रीय व्यक्तित्वों के विचारों एवं उनके साथ हुए आचार्यश्री के वार्तालापों का समावेश भी इसमें कर दिया गया है।

आचार्य तुलसी के अनेक प्रवचनों का संकलन इसमें ऐतिहासिक क्रम

से हुआ है, अतः आचार्यप्रवर के बहुमूल्य विचारों के साथ-साथ ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस पुस्तक का अपना महत्वपूर्ण स्थान है ।

सम्पूर्ण पुस्तक तीन प्रकरणों में विभाजित है । प्रथम प्रकरण 'आयोजन' में अनेक महत्वपूर्ण विद्वद् गोष्ठियों की रिपोर्टों का है एवं आचार्य श्री के मौलिक विचारों का सकलन है । दूसरा प्रकरण 'प्रवचन' नाम से प्रकाशित है । इसमें लगभग उन्नीस विषयों पर आचार्यश्री के प्रेरक विचारों एवं उद्बोधनों का सकलन है । तथा तीसरे प्रकरण 'मंथन' में पंडित नेहरू, दलाईलामा जैसे ३४ अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय व्यक्तियों के साथ हुए वार्तालापों की संक्षिप्त प्रस्तुति हुई है । परिशिष्ट में आचार्यश्री से सम्बन्धित अनेक प्रेरक संस्मरणों का समावेश है । ३५ साल पूर्व मुद्रित होने पर भी यह पुस्तक साहित्यिक दृष्टि से अपना विशेष महत्व रखती है ।

नैतिकता के नए चरण

यह 'अणुव्रत विचार माला' का चौथा पुष्प है । इसमें ७ लघु प्रवचनों का संकलन है । इन प्रवचनों/लेखों में अणुव्रत के विविध पक्षों का नैतिक सदर्थ में चिंतन किया गया है । आचार्य तुलसी ने अणुव्रत के माध्यम से नैतिक क्रांति की अलख जगाई है । उनकी उदग्र उत्कंठा है कि धर्म और नैतिकता का गठवधन हो । यदि धार्मिक होकर व्यक्ति नैतिक नहीं है तो वह भुलावामात्र है । अपनी इसी उत्कंठा को वे इस पुस्तक में इन शब्दों में व्यक्त करते हैं—“नैतिक पुनर्निर्माण की परिकल्पना मुझे बहुत प्रिय है । उसकी क्रियान्विति को मैं अपने ही लक्ष्य की क्रियान्विति मानता हूँ ।”

अंतिम 'भयमुक्ति' प्रवचन में भय से मुक्त होने के ९ उपाय निर्दिष्ट हैं । वे उपाय आध्यात्मिक होने के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक भी हैं । लघुकाय होते हुए भी यह पुस्तिका अणुव्रत और नैतिकता की संक्षिप्त भांकी प्रस्तुत करने में समर्थ है ।

नैतिक-संजीवन भाग-१]

सूचिष्ठ मानव के लिए सजीवनी प्राणदायिनी होती है, वैसे ही सूचिष्ठ मानवता नैतिक-संजीवन से ही पुनरुज्जीवित हो सकती है । आचार्य तुलसी ने अणुव्रत के माध्यम से मानवता के पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया है । 'नैतिक सजीवन' पुस्तक इसी की फलश्रुति है । आचार्य तुलसी अपने आत्मकथ्य में इस पुस्तक की प्रस्तुति इन शब्दों में प्रकट करते हैं—नैतिक ऊर्ध्व संचार के लिए जो एक संयमप्रधान आचार संहिता प्रस्तुत की गई, उसे लोगो ने 'अणुव्रत आंदोलन' कहा और उसी उद्देश्य से जो प्रेरक विचार मैं देता रहा, वह 'नैतिक संजीवन' बन गया ।”

प्रस्तुत कृति में अणुव्रत आंदोलन के वार्षिक अधिवेशनो पर प्रदत्त मंगल प्रवचन एवं समापन-समारोह के उद्बोधन संकलित हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रवचनों का संकलन भी है, जो अणुव्रत के विशेष समारोहों के अवसर पर दिये गए हैं। इस छोटी-सी कृति में आंदोलन के इतिहास, रूपरेखा, उद्देश्य तथा उसकी निष्पत्तियों का ज्ञान हो जाता है। प्राचीन होने पर भी यह पुस्तक भाषा, भाव एवं शैली की दृष्टि से उत्कृष्ट कोटि की है।

इस कृति के सभी आलेख आज की विपन्न परिस्थितियों में भी आशा, विश्वास, रचनात्मकता एवं मानवता का संदेश देते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन हजारों पृष्ठ स्याही से रंग देते हैं, जिनमें दूढ़ने पर भी जीवन-त्त्व नहीं मिलता, उन लोगों के लिए आचार्य तुलसी की यह कृति प्रेरणा-दीप का कार्य करेगी तथा जीवन की उर्वर भूमि में आध्यात्मिक वर्षा कर चरित्र की पौध लहलहा सकेगी।

प्रगति की पगडंडियां

लगभग ३७ साल पूर्व दिए गए प्रवचनों का एक लघु संस्करण है— 'प्रगति की पगडंडियां'। इस पुस्तिका के १३ आलेखों में नैतिकता, शांति, अनुशासन और अहिंसा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, साथ ही इन्हें जीवन में उतारने की प्रेरणा भी है। इसमें औपदेशिक भाषा का प्रयोग अधिक है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्धितत्त्व और हृदयतत्त्व दोनों का समन्वित रूप प्रस्तुत हुआ है।

प्रज्ञापर्व

आचार्य तुलसी प्रायोगिक जीवन जीने में विश्वास करते हैं। उनके जीवन का एक बहुत बड़ा सामूहिक प्रयोग का वर्ष था—'योगक्षेमवर्ष' जिसे 'प्रज्ञापर्व' के रूप में मनाया गया। इस वर्ष का प्रयोजन था—मौलिकता की सुरक्षा के साथ धर्मसंघ को आधुनिकता के साथ जोड़ना तथा आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करना। इस पूरे वर्ष में सैकड़ों माधु-साधिव्यों एवं श्रावक-श्राविकाओं को प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण देने की दृष्टि से प्रशिक्षुओं को अनेक वर्गों में बाटा गया। जैसे—स्नातक वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग, तत्त्वज्ञ वर्ग तथा बोधार्थी वर्ग आदि। पूरे वर्ष में साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक प्रशिक्षण का क्रम भी चला, जिसमें अनेक कार्यकर्ताओं तथा प्रेक्षाध्यान के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी रखा गया। इस वर्ष का प्रतीक था—'पण्णा समिक्खए'—प्रज्ञा में देखो। साप्ताहिक बुलेटिन विज्ञप्ति में 'पण्णा समिक्खए' स्तम्भ के अन्तर्गत आचार्य तुलसी के विशेष संदेश एवं विचार प्रकाशित होते रहे। उन्हीं विचारों को

सुरक्षित रखा गया है—‘प्रज्ञापर्व’ पुस्तक में। इसमें अनेक सामयिक विषयों पर सुन्दर प्रकाश डाला गया है।

इन निबन्धों का सकलन मुनिश्री सुखलालजी ने तैयार किया है। पुस्तक के परिशिष्ट में इस वर्ष के सम्पूर्ण इतिहास को भी सुरक्षित कर दिया है। लगभग १५ शीर्षकों में ‘योगक्षेमवर्ष’ के पूरे इतिहास का लेखा-जोखा इसमें प्रस्तुत है। यह पुस्तक आचार्यवर के नाम से प्रकाशित है अतः यह परिशिष्ट कुछ अलग-थलग सा लगता है।

४५ लघु निबन्धों से युक्त यह पुस्तक अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। प्रत्येक लेख आधुनिक संदर्भ में जीवन की समस्याओं से जूझता-सा प्रतीत होता है। यह पुस्तक निःसंदेह दीर्घकाल तक लोगों को प्रज्ञापर्व की स्मृति दिलाती रहेगी तथा अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय की सार्थक प्रतीति कराती रहेगी।

प्रज्ञापुरुष जयाचार्य

तेरापथ की तेजस्वी आचार्य-परम्परा में जयाचार्य चतुर्थ आचार्य थे। उन्होंने अपने नेतृत्वकाल में अनुशासन और मर्यादा के विविध प्रयोग किए। राजस्थानी भाषा में इतने विशाल साहित्य का निर्माण उनकी अनूठी प्रयुत्पन्न मेधा का परिचायक है। जयाचार्य का जीवन बहुमुखी प्रवृत्तियों का केन्द्र था। उनके विशाल व्यक्तित्व को शब्दों की परिधि में बाँधना असंभव नहीं, तो दुःसंभव अवश्य है। पर आचार्य श्री की उदग्र आकाक्षा ने उनकी जीवन-यात्रा को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया और वह ‘प्रज्ञापुरुष जयाचार्य’ के रूप में रूपायित हो गई।

लगभग ४४ अध्यायों में विभक्त यह जीवनी-ग्रंथ जयाचार्य के समग्र व्यक्तित्व की सक्षिप्त प्रस्तुति देने वाला है। जयाचार्य ने अपने धर्मसंघ को सविभाग और अनुशासन का उदाहरण कैसे बनाया, इसके विविध प्रयोग भी इसमें दिए गए हैं। इस ग्रंथ में उनकी योग-माधना, साहित्य-साधना और संघ-साधना की त्रिवेणी बही है। यह त्रिवेणी निश्चय ही पाठकों की मानसिक शुद्धि में उपयोगी बनेगी।

यह पुस्तक आचार्य तुलसी और युवाचार्य महाप्रज्ञ की संयुक्त कृति है। संपादन-कला में कुशलहस्त मुनि दुलहराजजी इसके संपादक हैं। यह कृति जयाचार्य निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष्य में लिखी गयी है। जयाचार्य के योगदान की भूलक को प्रस्तुत करने वाली यह कृति जीवनी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती है तथा जयाचार्य के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व को समझने में अहम भूमिका निभाती है।

प्रवचन डायरी भाग १-३

आचार्य तुलसी एक तेजस्वी धर्मसंघ के अनुशास्ता है। उनके लाखों अनुयायी हैं। लगभग ६० वर्षों से वे अनवरत प्रवचन दे रहे हैं। पदयात्रा के दौरान तो दिन में चार-चार बार भी जनता को उद्बोधित किया है। यदि उन सबका सकलन किया जाता तो आज एक विशाल वाङ्मय तैयार हो जाता। फिर भी सकलित प्रवचन-साहित्य विशाल मात्रा में उपलब्ध है।

सन् ५३ से ५७ तक के प्रवचनों का संपादन श्री श्रीचदजी रामपुरिया ने 'प्रवचन डायरी' के रूप में किया है। आचार्य तुलसी ने इन प्रवचनों में अन्तरात्मा की आवाज को मानवता के हित में नियोजित करने का सत्प्रयास किया है। उनके विचारों का मूल है कि व्यक्ति-सुधार ही समष्टि-सुधार का मूल है अतः व्यक्ति-सुधार की विविध प्रेरणाएँ इन प्रवचनों में निहित हैं।

प्रवचन डायरियों में अणुव्रत आंदोलन के विविध पक्षों का वर्णन भी बड़े प्रभावी ढंग से किया गया है। विषय का स्पष्टीकरण अनेक उद्बोधक कथाओं से हुआ है अतः ये प्रवचन अधिक सरस बन गए हैं। आचार्य तुलसी ने अपने प्रवचनों में धर्म के सार्वभौम स्वरूप को उजागर किया है। इन प्रवचनों में वर्णित धर्म किसी सम्प्रदाय की सीमा में बन्धा हुआ नहीं है। 'प्रवचन डायरी' में संकलित अनेक प्रवचन स्कूल एवं कालेजों में हुए हैं अतः इनमें शिक्षा से जुड़ी विसंगतियों तथा धर्म एवं अध्यात्म के नाम पर पनपती विकृतियों की तस्वीर को यथार्थ रूप से प्रस्तुत कर उनका स्थायी समाधान भी प्रस्तुत किया गया है।

इन प्रवचनों में भारतीय सस्कृति की आत्मा छिपी हुई है, इसलिए इस साहित्य की मौलिकता एवं महत्ता पर कभी प्रश्नचिह्न नहीं लग सकता। जब कभी इनको पढ़ा जायेगा, पाठक नयी प्रेरणा एवं आध्यात्मिक खुराक प्राप्त करेगा। आचार्य तुलसी ने इनमें तर्क को नहीं, अपितु श्रद्धा और आंतरिक प्रतिध्वनि को अभिव्यक्ति दी है। इसलिए ये प्रवचन सीधे अंतर्मन को छूते हैं।

प्रवचन डायरी के प्रथम भाग में सन् ५३ एवं ५४ के, द्वितीय भाग में सन् ५५, ५६ के तथा तृतीय भाग में सन् ५७ के प्रवचनों का संकलन है।

द्वितीय संस्करण में प्रवचन डायरी की सामग्री 'प्रवचन-पाथेय' भाग-९ तथा ११, 'भोर भई,' 'सूरज ढल ना जाए,' 'सभल सयाने !' एवं 'घर का रास्ता' में परिवर्धित एवं परिष्कृत रूप में प्रकाशित हुई है।

प्रवचन-पाथेय भाग १-११

प्रवचन साहित्य जनमानस को नैतिकता एवं अध्यात्म की ओर प्रेरित करने का सफल उपक्रम है। आचार्य तुलसी के प्रवचन किसी पूर्वाग्रह या सकीर्णता से बंधे हुए नहीं होते हैं, अतः उनमें सत्य, शिवं, सुन्दरं की समन्विति सहज ही हो जाती है। इन प्रवचनों में ऐसी शक्ति निहित है, जो मोहाविष्ट चेतना को जगाने में सक्षम है।

आचार्य तुलसी के प्रवचन-साहित्य की एक लम्बी शृंखला जैन विश्व भारती लाडनू (राज०) से प्रकाशित हुई है, जो प्रवचन-पाथेय के नाम से संकलित है। महाश्रमणी साध्वीप्रमुखा कनकप्रभाजी उनके प्रवचनों के बारे में अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करते हुए कहती हैं—“उनके प्रवचनों में एक ओर सत्य की गहराई रहती है तो दूसरी ओर व्यवहार का धरातल भी बहुत प्रशस्त रहता है। आचार्यश्री की बहुश्रुतता हर प्रवचन में झंकाती है।”

यह प्रवचन-साहित्य जीवन के विविध पहलुओं से सम्बन्धित समस्याओं को उठाता ही नहीं, बल्कि समाधान भी देता है। पहले उनके प्रवचनों का संकलन ‘बूद बूद से घट भरे’, भाग-१,२ ‘मजिल की ओर’ भाग-१,२ ‘सोचो समझो’ भाग १-३ इन नामों से प्रकाशित हुआ था। प्रवचन साहित्य को एकरूपता देने के लिए इन्हें “प्रवचन-पाथेय” नाम से कई भागों में प्रकाशित किया गया, जिसकी सूची इस प्रकार है—

प्रवचन-पाथेय भाग-१	बूद-बूद से घट भरे भाग-१
प्रवचन-पाथेय भाग-२	बूद-बूद से घट भरे भाग-२
प्रवचन-पाथेय भाग-३	मजिल की ओर भाग-१
प्रवचन-पाथेय भाग-४	सोचो ! समझो !! भाग-१
प्रवचन-पाथेय भाग-५	सोचो ! समझो !! भाग-२
प्रवचन-पाथेय भाग-६	सोचो ! समझो !! भाग-३
प्रवचन-पाथेय भाग-७	मजिल की ओर भाग-२
प्रवचन-पाथेय भाग-८	स्वतंत्र
प्रवचन-पाथेय भाग-९	प्रवचन डायरी भाग-१
प्रवचन-पाथेय भाग-१०	स्वतंत्र
प्रवचन-पाथेय भाग-११	प्रवचन डायरी भाग-१

आचार्यश्री ने इन प्रवचनों में उन अनछूए पहलुओं का स्पर्श किया है, जिनका सम्बन्ध आज समग्र विश्व में व्याप्त व्यक्तिगत, पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याओं से है। लेखक की पैनी दृष्टि से शायद ही कोई मुद्दा छूटा हो, जिन पर उनके विचार प्रवचन के माध्यम से हमारे सामने न आए हों। किसी भी विषय का विश्लेषण करते समय वे जहाँ अतीत में खो जाते हैं, वही उन्हें वर्तमान का भी भान रहता है, साथ ही भविष्य के

प्रति भी सावधान रहते हैं। निःसंदेह प्रवचन-साहित्य की यह लम्बी शृंखला हर घर में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित कर 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' का संदेश देती है। प्रवचन साहित्य की यह लम्बी शृंखला जीवन की विमगतियों को दूर करके व्यक्ति-चेतना को जगाने में महत्त्वपूर्ण कड़ी का कार्य करेगी, ऐसा विश्वास है।

प्रश्न और समाधान

प्रश्नोत्तरो के माध्यम से दिया गया बोध पाठक के लिए अधिक सहज एवं हृदयग्राही होता है। 'प्रश्न और समाधान' पुस्तक में जिज्ञासा करने वाले हैं—मुनिश्री सुखलालजी तथा समाधानकर्ता है—आचार्य तुलसी। इसमें प्रश्नोत्तरो के माध्यम से अहिंसा, सत्य आदि व्रतों का स्वरूप विश्लेषित हुआ है। लगभग प्रश्न अणुव्रत आंदोलन के नियमों को व्याख्यायित करते हैं।

यह कृति साम्प्रदायिक मनोभूमिका से दूर हटकर घृणा, हिंसा आदि के दलदल से उबार कर मानव जाति को अखण्ड आत्मविश्वास और मैत्री के साम्राज्य में ले जाती है। इस पुस्तक में समाज के सच्चे चित्र को उकेरकर समष्टिगत चेतना को जगाने के उपाय निर्दिष्ट हैं।

प्रेक्षा : अनुप्रेक्षा

प्रेक्षा अपने द्वारा अपने को देखने की ध्यान की विशिष्ट पद्धति है। यह अशांत विश्व को शांति की राह बताने का महान उपक्रम है। प्रेक्षा की प्राथमिक जानकारी देने हेतु आचार्य तुलसी ने 'प्रेक्षासंगान' की सरचना की, जिसमें ३०० पद्यों के माध्यम से प्रेक्षाध्यान की विधि, स्वरूप तथा महत्त्व को स्पष्ट किया है। इन पद्यों पर प्रश्नोत्तरो के माध्यम से व्याख्या लिखी गई, वही 'प्रेक्षा: अनुप्रेक्षा' पुस्तक के रूप में रूपायित हुई है। इसमें लगभग ५१ आलेखों में प्रेक्षाध्यान के उदभव का इतिहास, उसका आधार लक्ष्याध्यान आदि का विस्तार से वर्णन है तथा अन्त में 'पुलिस अकादमी', जयपुर में हुए कुछ प्रवचनों का सकलन है।

पूरी पुस्तक प्रेक्षाध्यान की परिक्रमा करते हुए चलती है। प्रश्नोत्तरो का क्रम भी सरल एवं सुबोध है। 'प्रेक्षासंगान' के पद्यों की अनुप्रेक्षा करते समय ऐसा महसूस होता है, मानो गागर में सागर भर दिया गया हो।

प्रस्तुत कृति अस्तित्व को समझने का नया दृष्टिकोण प्रस्तुत कर आत्मशक्ति को जगाने के सूत्रों को व्याख्यायित करती है। साथ ही यह आज के परिवेश में व्याप्त तनाव, अशांति एवं कुण्ठा की सलवटों को दूर करने तथा भौतिक एवं पदार्थवादी मनोवृत्ति के अन्धकार को प्रकाश में रूपान्तरित करने का एक रचनात्मक, सृजनात्मक एवं प्रायोगिक उपक्रम है।

प्रेक्षाध्यान : प्राणविज्ञान

प्रेक्षाध्यान के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए “जीवन विज्ञान ग्रथ माला” की शृंखला में अनेक पुष्प प्रकाशित हुए हैं। उन्हीं पुष्पों में एक पुष्प है—‘प्रेक्षाध्यान : प्राणविज्ञान’। इसमें प्राणशक्ति का महत्त्व तथा उसको जगाने के विविध प्रयोगों की चर्चा हुई है। आकार में लघु होते हुए भी यह पुस्तिका अनेक नए रहस्यों को प्रकट करने वाली है।

वीति ताहि विसारि दे

आचार्य तुलसी की यह उदग्र आकांक्षा है कि संसार को अध्यात्म का एक ऐसा आलोक मिले, जिससे संपूर्ण मानव जाति आलोकित हो उठे। आज हर व्यक्ति अतीत के भूले में भूल रहा है। इसका फलित है—तनाव। मानव को इस दुविधा से मुक्त करने के लिए ‘वीति ताहि विसारि दे’ पुस्तक अनुपम पाथेय बन कर सामने आई है। जिनका अथक श्रम इस पुस्तक के संपादन में लगा है, वे महाश्रमणी साध्वीप्रमुखाजी पुस्तक की प्रस्तुति में कहती हैं—‘वीति ताहि विसारि दे’ आचार्यश्री द्वारा समय-समय पर प्रदत्त और लिखित प्रवचनों एवं निबंधों का संकलन है। इसमें युवकों और महिलाओं के सम्बन्ध में जो सामग्री है, वह सोद्देश्य तैयार की गयी है। यह युवापीढ़ी को दिशाबोध देने वाली है और महिला जाति को उसकी अस्मिता की पहचान करवाकर उसके पुरुषार्थ की लौ को प्रज्वलित करने वाली है... परिश्रम के पसीने से पनपी ध्यान की सुनहरी वाली जितनी मोहक होती है, उतनी ही मोहक है आचार्यश्री की यह कृति, जिसमें नैतिक और आध्यात्मिक विचारों का अखूट पाथेय भरा पडा है।”

इसमें योगसाधना, धर्म, भगवान् महावीर, युवक, नारी आदि अनेक विषयों पर मार्मिक एवं हृदयस्पर्शी प्रस्तुति हुई है। ३८ आलेखों से संयुक्त यह कृति सत्य का साक्षात्कार कराने तथा महान् बनने की दिशा में एक अनुपम प्रेरणा-पाथेय है।

बूद-बूद से घट भरे, भाग—१,२

आज के वैज्ञानिक युग में वक्ताओं की कमी नहीं है, पर प्रवचनकार दुर्लभ है। आचार्य तुलसी धर्माचार्य हैं, पर रूढ़ प्रवक्ता नहीं। उनके प्रवचनों में धर्म, दर्शन, विज्ञान, समाज, राजनीति एवं मनोविज्ञान आदि अनेक विषयों का समावेश होता है। सन् ६० में ‘प्रवचन डायरी’ के प्रकाशन के बाद प्रवचन-साहित्य की प्रथम कड़ी ‘बूद-बूद से घट भरे’ भाग १ और २ प्रकाश में आईं।

इन पुस्तकों में सन् ६५ और ६६ के प्रवचनों का संकलन है। इन प्रवचनों में विषयों की विविधता है पर लक्ष्य एक ही है कि व्यक्ति की

चेतना को अध्यात्म की ओर उन्मुख किया जाए।

“सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से, राष्ट्र स्वयं सुधरेगा” आचार्यश्री द्वारा दिया गया यह उद्धोप पुस्तक के नाम की सार्थकता प्रकट करता है, जैसे बूद-बूद से घट भरता है, वैसे ही व्यक्ति-सुधार से समाज, राष्ट्र एवं विश्व का सुधार अवश्यंभावी है।

लगभग प्रवचन जैन आगमो की परिक्रमा करते हुए प्रतीत होते हैं, अतः इनको महावीर-वाणी का आधुनिक प्रस्तुतीकरण कहा जा सकता है। इसमें भृगुपुरोहित आदि आगमिक आख्यानों के माध्यम से त्याग, समय, अनासक्ति और सादगी आदि भावों को जागृत करने की प्रेरणा दी गयी है।

पुस्तक में समाविष्ट आध्यात्मिक सामग्री इतनी सरल एवं सरस शैली में गुम्फित है कि पाठक कभी भी इसे पढकर अपने अशांत मन को शांति की राहों पर अग्रसर कर सकता है। सपादिका महाश्रमणी साध्वीप्रमुखाजी का विश्वास भी इन शब्दों को दोहराता है कि “जिस प्रकार एक-एक बूद को सोखता सहेजता माटी का घड़ा एक दिन पूरा भर जाता है, वैसे ही आचार्यप्रवर के उपदेशामृत की इन बूदों को पीते-पीते हमारे जीवन का घट भी भर जाएगा।” इसके प्रथम भाग में ५३ तथा द्वितीय भाग में ५१ प्रवचनों का समाहार है। प्रवचन-पाथेय की शृंखला में भी ये भाग १ एवं भाग २ के नाम से प्रसिद्ध हैं।

बूद भी : लहर भी

कथा वह माध्यम है, जिसके द्वारा आम जीवन से जुड़ी बात सहज और सरल ढंग से कही जा सकती है। कथा सुनने में जितनी सुखद है, समझने में उतनी ही सहज होती है। सुप्त चैतन्य के जागरण में कथा का प्रभाव विलक्षण है। आचार्य तुलसी का यह कथा-सकलन जीवन-मूल्यों एवं नैतिक प्रेरणाओं से सवलित है।

ऐतिहासिक, पौराणिक, काल्पनिक, सामाजिक एवं आगमिक कथाओं से युक्त यह कथाग्रंथ जीवन के समग्र परिवेश को प्रस्तुति देने वाला है। ये कथाएँ लोक-संस्कृति को उजागर करने वाली तथा नई प्रेरणा एवं आदर्श भरने वाली हैं। मानव को मानव होने का बार-बार अहसास करवाकर व्यस्त जीवन में भी अध्यात्म की ओर प्रेरित करती हैं।

प्रस्तुत कहानी-संग्रह आज की कथाओं की भांति केवल भावनाओं को जगाने वाला या सस्ता प्रेम-प्रदर्शन करने वाला नहीं, अपितु त्याग, स्नेह, सहानुभूति, स्वावलम्बन और सहिष्णुता का स्पर्श करने वाला है।

आचार्यश्री द्वारा कही गयी कथाओं की शब्दों का परिधान महाश्रमणी साध्वीप्रमुखा कनकप्रभाजी ने दिया है। वे इस पुस्तक के बारे में आश्वस्त

है कि इस कृति के माध्यम से पाठक सत्य की राह में गतिशील बनेंगे और स्वयं सत्य का साक्षात्कार कर सकेंगे ।

वैसाखियां विश्वास की

आज के यात्रिक युग में मानव जिस भाग-दौड़ की जिदगी जी रहा है, उसमें ऐसे उद्बोधनों की अपेक्षा है, जिसमें संक्षेप में गंभीर एवं उपयोगी तत्त्व का निरूपण हो । 'वैसाखियां विश्वास की' पुस्तक में लेखक ने गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया है । अतः यह पुस्तक उन लोगों के लिए विशेष उपयोगी है, जिनके पास समय की समस्या है ।

आज देश में ऐसे धर्माचार्यों की सख्या नगण्य है, जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की समस्याओं पर चिन्तन करते हैं और समस्या का मूल पकड़कर उसको समाहित करने का प्रयत्न करते हैं । यह पुस्तक इस बात की साक्षी है कि हममें विविध समस्याओं को उठाकर उसका आधुनिक संदर्भ में समाधान दिया गया है ।

इस कृति में राष्ट्रीय, सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन में नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करने की बात बार-बार दोहरायी गयी है । आज जन-जीवन में जो अनैतिकता, अप्रामाणिकता, चरित्रहीनता और भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है, उसे अणुव्रत के माध्यम से मिटाकर व्यक्ति के जीवन को सृजनात्मक एवं रचनात्मक रूप में बदलने का आह्वान किया गया है । इसके अधिकांश लेख सम-सामयिक हैं ।

पुस्तक में समाविष्ट प्रायः सभी शीर्षक आकर्षक एवं रहस्यमय हैं । शीर्षक पढ़कर ही पाठक लेख पढ़ने के लोभ का संवरण नहीं कर सकता । जैसे—'सपना . एक नागरिक का, एक नेता का', 'देश की वागडोर थामने वाले हाथ' 'फूट आईने की या आसपास की' आदि ।

आचार्य तुलसी ने अपने जीवन से आत्मविश्वास की एक नई मशाल प्रस्तुत की है । यही कारण है कि उनके जीवन के शब्दकोश में असम्भव जैसा कोई शब्द है ही नहीं । उनके लेखों में आत्मविश्वास की जो ज्योति विकीर्ण हुई है, वह पग-पग पर देखी जा सकती है । ये लेख निराशा से प्रताडित व्यक्ति में भी नयी आशा का संचार करने वाले हैं ।

आचार्य तुलसी स्वयं इस पुस्तक के प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए कहते हैं—'अनैतिकता बढ़ रही है, यह चिन्ता का विषय है । इससे भी बड़ी चिन्ता है, नैतिक मूल्यों के प्रति विश्वास समाप्त होता जा रहा है । लोक-जीवन में उस विश्वास को उच्छ्वसित रखने के लिए समय-समय पर कुछ छोटे-छोटे आलेख लिखे गए । उन्हीं आलेखों का संकलन है—वैसाखियां विश्वास की । इस संकलन को पढ़कर कुछ लोग भी यदि नैतिक मूल्यों के प्रति

अपना विश्वास जगा पाए तो इसमें लगे क्षणों की सार्थकता है

इन आलेखों में आध्यात्मिक मूल्यों को पुनरुज्जीवित की तड़प दर्शनीय है। ये प्रेरक सन्देश भटके व्यक्तियों को भी पर ले जाने में सक्षम है तथा आज की भ्रष्ट राजनीति को दबाने वाले हैं।

११३ आलेखों का यह संकलन जन-जन के विश्वास को ही, साथ ही साथ शाश्वत और सम-सामयिक विषयों पर हमारी की वृद्धि भी करेगा।

भगवान् महावीर

महापुरुष देश, काल की सीमा से परे होते हैं। वे समय साथ बहाकर ले जाने की क्षमता रखते हैं तथा अपने दर्शन से जन एक नई स्फूर्ति भरने का कार्य करते हैं। भगवान् महावीर भारत अवतरित एक ऐसे महापुरुष थे, जिनके व्यक्तित्व में विकास की अच विचारों की गहराई एक साथ संक्रांत थी। उनका अपार्थिव चिन्तन आ हिंसा से आक्रांत भूली-भटकी मानवता को नया दिशा-दर्शन दे रहा है

भगवान् महावीर के जीवन पर आज तक अनेकों ग्रन्थ प्रकाशित आ चुके हैं। उसी शृंखला में जन्म से परिनिर्वाण तक की जीवन संक्षिप्त शैली में 'भगवान् महावीर' पुस्तक में उभारा गया है। यह बहुत सीधी-सरल भाषा में महावीर के जीवन-दर्शन को प्रस्तुत करती हज़ारों पृष्ठों में जो बात नहीं समझाई जा सकती, वह इस पुस्तक के १ पृष्ठों में समझा दी गयी है। अतः महावीर के तेजस्वी व्यक्तित्व और कर्तृत्व को समझने में यह जीवनीग्रंथ आबालवृद्ध के लिए उपयोगी है।

भोर भई

श्रीचन्द्र रामपुरिया को आचार्यश्री के प्रवचनों का प्रथम संकलनकर्ता कह सकते हैं। उन्होंने सन् ५३ से ५७ में हुए प्रवचनों को 'प्रवचन डायरी, भाग-१, २, ३' में संकलित किया है। 'भोर भई' प्रवचन डायरी भाग-२ का द्वितीय संस्करण है। इस द्वितीय संस्करण में प्रवचन के शीर्षकों में भी अनेक परिवर्तन हुए हैं तथा सामग्री को भी परिवर्धित एवं परिष्कृत कर समय के अनुरूप बनाया गया है। यह पुस्तक 'प्रवचन-पाथेय' की शृंखला का चौदहवा पुष्प है।

इन प्रवचनों में जो सजीवता, कलात्मकता एवं सुबोधता उभरी है, उसका कारण है—उनकी गहरी साधना, अनुभूति की क्षमता एवं जन्मजान संबेदनशील मानस।

आचार्य तुलसी के चिन्तन में भारत की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना प्रतिबिम्बित है, इसलिए उनके प्रवचन अध्यात्म की परिक्रमा करते रहते हैं। विविध विषयो से सम्बन्धित ये ८३ प्रवचन लोगों के आंतरिक शक्ति-जागरण में निमित्त बन सकेंगे तथा मनुष्य के खोए देवत्व को पुनः स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाएंगे।

भ्रष्टाचार की आधारशिलाएं

मन में उत्पन्न विचार जब भाषा का परिधान पहनकर जनता के समक्ष उपस्थित होते हैं, तब वे प्रवचन, लेख या निबन्ध का रूप धारण कर लेते हैं। भिन्न-भिन्न विषयो पर आचार्य तुलसी की चिन्तनधारा कभी मौखिक रूप से तो कभी लिखित रूप से जनता के समक्ष अभिव्यक्त होती रही है। 'भ्रष्टाचार की आधारशिलाएं' उनका ऐसा कालजयी हस्ताक्षर है, जिसकी उपयोगिता कभी धूमिल नहीं हो सकती। क्योंकि हर युग में भ्रष्टाचार अपना रूप बदलता है और विविध रूपों में अपना प्रभाव बतता है।

इस आलेख में समाज, राष्ट्र एवं व्यक्तिगत जीवन में नैतिक मूल्यों की स्थापना एवं उसकी उपयोगिता पर खुलकर चर्चा हुई है। समाज एवं देश में जो जड़ता है, भ्रष्टाचार है उसे दूर कर सुन्दर समाज की कल्पना का चित्र इस आलेख में प्रस्तुत किया गया है। अतः यह पुस्तिका राष्ट्र को सवारने, समाज को दिशादर्शन देने एवं व्यक्ति को नई सोच देने में समर्थ है।

मंजिल की ओर, भाग-१,२

मजिल की खोज हर व्यक्ति को अभीष्ट है पर उसके लिए कुशल-मार्गदर्शक, सही राह तथा सही चाह की आवश्यकता रहती है। 'मंजिल की ओर' भाग-१,२ सचमुच मजिल की ओर ले जाने वाली महत्त्वपूर्ण कृतियां हैं। ये दोनों पुस्तकें विवेक-जागृत कराने में मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। आचार्य तुलसी कुशल प्रवचनकार हैं। उनके प्रवचन केवल औपचारिक नहीं, अपितु अनुभव की गहराई लिए हुए होते हैं, इसीलिए उनके प्रवचन में एक सामान्य व्यक्ति जितना आनन्दविभोर होता है, उतना ही एक विद्वान् भी। वच्चे यदि प्रसन्न होते हैं तो वृद्ध भी भाव-विभोर हो उठते हैं।

'मजिल की ओर, भाग-१' में १०४ तथा द्वितीय भाग में ८८ प्रवचनों का सकलन है। समाज, धर्म, नीति, राजनीति आदि विविध विषयो से सम्बन्धित आलेख इनमें समाविष्ट हैं। इन दोनों पुस्तकों में आगम के अनेक सूक्तों तथा आख्यानो की सरल, सुबोध एवं सरस शैली में व्याख्या हुई है।

'तीन लोक से मथुरा न्यारी' इस लोकोक्ति के पीछे छिपे नए इतिहास

को नए परिप्रेक्ष्य में जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तात्त्विक ज्ञान की दृष्टि से भी ये दोनों पुस्तकें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बन पड़ी हैं। इन पुस्तकों में सन् ७६ से ९८ तक के प्रवचन संकलित हैं। ये दोनों पुस्तकें धर्म और अध्यात्म की नई दिशाएं उद्घाटित कर हरेक व्यक्ति को मजिल की ओर ले जाने में सक्षम हैं। इन दोनों पुस्तकों का संपादन साध्वीश्री जिनप्रभाजी ने किया है।

मनहंसा मोती चुगे

साहित्य प्रकाश का रूपांतर है। अन्तःप्रकाश को प्रकट करने वाली "मनहंसा मोती चुगे" पुस्तक योगक्षेम वर्ष के प्रवचनों की शृंखला में पाचवीं और अन्तिम पुस्तक है। इसमें ४६ प्रवचनों का संकलन है। प्रारम्भ के कुछ प्रवचन नमस्कार मंत्र का दार्शनिक विवेचन प्रस्तुत करते हैं। कुछ लेख जीवन के व्यावहारिक विषयों का प्रशिक्षण देने वाले हैं। तो कुछ अणुव्रत एवं प्रेक्षाध्यान की पृष्ठभूमि को अभिव्यक्त करते हैं। कुछ अध्यात्म की नई दिशाएं उद्घाटित करते हैं तो कुछ समाज की बुराइयों की ओर भी इंगित करते हैं। कुल मिलाकर इस कृति में पाठक को मिलेगा सत्य का साक्षात्कार तथा जीवन को सजाने-संवारने के मौलिक सूत्र।

पुस्तक का नाम जितना आकर्षक एवं नवीन है, तथ्यों का प्रतिपादन भी उतनी ही सरल एवं नवीन-शैली में हुआ है। व्यक्तित्व रूपान्तरण एवं विधायक दृष्टिकोण का निर्माण करने के इच्छुक पाठकों के लिए यह कृति दीपशिखा का कार्य करेगी।

महामनस्वी आचार्यश्री कालूगणी : जीवनवृत्त

साहित्यिक विधाओं में जीवनी-साहित्य का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है। जीवनी साहित्य पढ़ने में तो सरस होता ही है, साथ ही जीवनतः प्रेरणा भी देता है। आचार्य तुलसी ने अपने दीक्षागुरु के जीवन-पसंग को सस्मरणात्मक शैली में लिखा है, जिसका नाम है—'महामनस्वी आचार्यश्री कालूगणी जीवनवृत्त'।

कालूगणी का जीवन ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की त्रिवेणी में अभिस्नात था। उनका बाह्य व्यक्तित्व जितना आकर्षक और चुम्बकीय था, आंतरिक व्यक्तित्व उससे हजार गुणा अधिक निर्मल और पवित्र था। वे व्यक्तित्व-निर्माता थे। तेरापन्थ में उन्होंने सैकड़ों व्यक्तित्वों का निर्माण किया। यही कारण है कि वे तेरापन्थ धर्मसंघ को आचार्य तुलसी जैसा महनीय एवं ऊर्जस्वल व्यक्तित्व दे पाए।

इस पुस्तक में आचार्यश्री ने सर्वत्र इस बात का ध्यान रखा है कि भाषा कहीं जटिल नहीं होने पाए। इसके अध्याय भी इतने छोटे हैं कि

पाठक कहीं ऊबता नहीं। पुरतक का प्रकाशकीय दस ग्रंथ की महत्ता इन शब्दों में प्रकट करता है—“प्रस्तुत पुस्तक एक महापुरुष के जीवन के विविध पक्षों का सक्षिप्त लेखा-जोखा है, जिसमें अध्यात्म की ज्योत्स्ना, साधना की आभा और ज्ञान की ज्योति सर्वत्र अनुस्यूत है। ‘होनहार विरवान के होत चीकने पात’ के अनुसार शैशव से ही निखरता आचार्यश्री कालूगणी का असाधारण व्यक्तित्व किस प्रकार उत्तरोत्तर विराट् बनता गया, युगप्रधान आचार्यश्री तुलसी ने अपनी सिद्ध लेखनी द्वारा प्रस्तुत किया है।” जीवनी साहित्य में उस ग्रंथ का महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योंकि अनेक दिलचस्प घटनाओं के कारण यह ग्रन्थ उतना रोचक बन गया है कि पाठक बार-बार इसको पढ़ने की उच्छ्वासे रोगी।

मुक्ति : इसी क्षण में

“मोक्ष केवल पारलौकिक ही नहीं है, वर्तमान जीवन में भी जितनी शांति, जितना आनन्द और जितना चैतन्य स्फुरित होता है, वह सब मोक्ष का ही अनुभव है”। इन विचारों को अभिव्यक्ति देने वाली लघुकाय पुस्तक है—‘मुक्ति : इसी क्षण में।’

यह कृति शारीरिक, मानसिक और वैचारिक कुठारों, तनावों एवं विकृतियों को दूर करने का सक्षम माध्यम बनी है। इससे सत्य में साक्षात्कार तथा मोक्ष से तादात्म्य स्थापित करने के लिए सहज मार्गदर्शन प्राप्त होता है।

द्वितीय संस्करण में इस कृति के अधिकांश अन्वेष ‘मंजिल की ओर’ भाग २ पुस्तक में समाविष्ट कर दिए गए हैं। २३ प्रवचनों/लिखों में युक्त यह लघुकाय पुस्तक जीवन की अनेक सार्थक दिशाओं का उद्घाटन करती है।

मुक्तिपथ

साहित्य मनुष्य को जीवन की खुराक देता है। जो साहित्य केवल शब्दजाल में गुम्फित होता है, वह जीवन को विशेष रूप में प्रभावित नहीं कर सकता पर जो जीवन-चर्या को रूपांतरण की प्रेरणा देकर जीवन के सही आचार का वर्णन करता है, वही साहित्य जनभोग्य हो सकता है। ‘मुक्तिपथ’ एक ऐसी ही कृति है, जो गृहस्थ जीवन के सामने आगमिक धरातल पर ऐसे छोटे-छोटे आदर्शों को प्रस्तुत करती है, जिससे वह सफल एवं शांत जीवन जी सके।

वर्तमान के स्वच्छदताप्रिय युग में यह कृति व्रतों का नया आलोक फैलाने वाली है तथा अहिंसा, सत्य आदि का आधुनिक सन्दर्भ में विश्लेषण करती है। यह जैन तत्त्व के अनेक पहलू जैसे अनेकात, रत्नत्रयी, सप्तभंगी, आत्मा, भाव आदि का सहज, सरल एवं सक्षिप्त शैली में विवेचन करती है।

पुनर्मुद्रण में यही पुस्तक 'गृहस्थ को भी अधिकार है धर्म करने का' इस नाम से प्रकाशित हुई है। इसके नाम-परिवर्तन के वारे में आचार्य तुलसी कहते हैं—'मुक्तिपथ' नाम अच्छा ही था पर नाम पढते ही यह ज्ञात नहीं होता था कि यह पुस्तक गृहस्थ समाज को तत्त्व-बोध देने की दृष्टि से लिखी गयी है। अतः पुनर्मुद्रण में इसका नाम रखा गया है 'गृहस्थ को भी अधिकार है धर्म करने का।'

मुखड़ा क्या देखे दरपन में

अपने जीवन के ७५वें वर्ष के उपलक्ष्य में आचार्य तुलसी ने किसी बड़े समारोह का आयोजन न करके अन्तर्मुखता जगाने, दृष्टिकोण का परिमार्जन करने तथा आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करने हेतु साधु-साध्वियों, श्रावक-श्राविकाओं को प्रशिक्षित करने का सजीव उपक्रम चलाया। 'मुखड़ा क्या देखे दरपन में' पुस्तक में योगक्षेम वर्ष में हुए ७१ प्रवचनों का सकलन है, जिसमें अन्त चेतना जगाने के लिए दिए गये दिशा-बोध एवं दिशादर्शन है।

आचार्य तुलसी की यह कृति व्यक्ति को भापा और तर्क में न उलझाकर भावों की गहराई में ले जाने में सक्षम है। प्रस्तुत पुस्तक व्यक्ति को अपने वारे में सोचने, अन्तःकरण में झाकने एवं स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए विवश करती है। इसमें सहनशीलता एवं सवेदनशीलता का ऐसा स्रोत वहा है, जो समाज के सभी कूड़े-ककट को वहा ले जाने में सक्षम है।

पुस्तक में महावीर के जीवन एवं दर्शन के सम्बन्ध में भी महत्त्वपूर्ण जानकारी दी गयी हैं। लेखक ने आध्यात्मिक और वैज्ञानिक इन दो धाराओं को जोड़ने का जो प्रयत्न किया है, वह नि सन्देह भारत के सांस्कृतिक एवं चिन्तन के क्षितिज पर एक नया सूर्य उगाएगा। आज मूल्यांकन का हर पैमाना वैज्ञानिक है। इस परिप्रेक्ष्य में विज्ञान को अध्यात्म से जोड़ने का सशक्त प्रयास वास्तव में स्तुत्य है, दूरदर्शिता का परिचायक है और वर्तमान के अनुकूल है। यह कृति हर वर्ग के पाठक को अभिभूत और चमत्कृत करने में सक्षम है।

मेरा धर्म : केन्द्र और परिधि

आचार्य तुलसी ऐसे साहित्यकार हैं, जिन्होंने देश और काल की सीमा से परे होकर सार्वभौम सत्य की प्रतिष्ठा करके मानवता का पथ आलोकित किया है। वे सुलझे हुए चिन्तक हैं। उन्हें समाज में

जो बात ठीक नहीं लगती, उसका वे बेहिचक प्रतिवाद करते हैं। फिर चाहे उन्हें कितना ही विरोध सहना पड़े। 'मेरा धर्म : केन्द्र और परिधि' कृति धर्म के उस रूप को प्रकट करती है, जो क्रियाकाठों एवं जट उपासना पद्धति से अनुबंधित नहीं, अपितु जीवन को भौतिकता की चकाचौध से निकालकर अध्यात्म की गहराइयों में ले जाने में सक्षम है। सांप्रदायिकता का जहर आज मानवता को मृतप्रायः बना रहा है। उम सांप्रदायिक समस्या को समाधान देते हुए आचार्य तुलसी इस पुस्तक में कहते हैं "सम्प्रदाय उपयोगी है यदि वह धर्म का प्रतिबिम्बनाही हो। जब सम्प्रदाय कोरा सप्रदाय रह जाये, उसमें धर्म का प्रतिबिम्ब ग्रहण करने की क्षमता न रहे तो वह अनिष्टकर हो जाता है।" इस प्रकार सांप्रदायिकता और धर्मान्धता के विरुद्ध यह कृति ऐसा वातावरण तैयार करती है, जो धर्म या मजहब के नाम पर मानवीय एकता को तोड़ने वाली शक्तियों को सबक दे सके।

अड़तीस लेखों के इस संकलन में लेखक ने धर्म और सम्प्रदाय के सम्बन्ध में न केवल अपनी अवधारणाओं को स्पष्ट किया है। बल्कि पाठकों के बीच बनी धर्म एवं सम्प्रदाय सम्बन्धी भ्रातियों का निराकरण भी किया है। इसके अतिरिक्त "हिन्दू : नया चिन्तन, नयी परिभाषा" में हिन्दू शब्द की नयी व्याख्या प्रस्तुत की है, जो हमारी राष्ट्रीय अखण्डता को बनाए रखने में सक्षम है।

"धार्मिक समस्याएं . एक अनुचिन्तन" लेख में धर्म के नाम पर फैली अज्ञानता, अन्धविश्वास एवं रुढ़िवादिता पर करारा व्यंग्य किया है। तेरापन्थ में सम्बन्धित अनेक लेख तेरापन्थ के इतिहास एवं उसके दर्शन की समग्र जानकारी देते हैं। इसके अतिरिक्त विग्वशांति, निःशस्त्रीकरण जैसे अन्य सामयिक विषयों का भी इसमें सुन्दर आकलन किया गया है। यह पुस्तक नास्तिक व्यक्ति को भी धर्म एवं अध्यात्म की ओर उन्मुख करने में समर्थ एवं सक्षम है।

निःसन्देह कहा जा सकता है कि इसमें समझदार, संवेदनशील एवं सस्कारवान् पाठकों को जीवन की नई दिशा देने का सार्थक एवं रचनात्मक प्रयास हुआ है।

राजधानी में आचार्यश्री तुलसी के सन्देश

आचार्य तुलसी का दिल्ली में प्रथम प्रवास सन् १९५० में हुआ। यह प्रवास अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक और प्रभावकारी रहा। आचार्य तुलसी ने इस प्रवास में अपने उपदेशों द्वारा अहिंसक क्रांति उत्पन्न करने का अभिनव प्रयास किया। अणुबस्त्रों में ही शांति का दर्शन करने वाले विश्व-मानस का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया कि अणुबम और उद्‌जनवम के

सहार का प्रतिकार करने वाली महाशक्ति बाहरी साधनों में नहीं, मानव के अन्तर् में ही निहित है। उसको उसी में से जगाना होगा। इस दिव्य ध्वनि ने संसार को अपनी ओर आकृष्ट किया और ससार को कुछ सोचने के लिए मजबूर किया।

अणुवम की विभीषिका से त्रस्त मानव को अणुव्रत के सजीवन से पुनरुज्जीवित करने का सत्प्रयास आचार्य तुलसी ने किया है। दिल्ली के दो मास के अल्पप्रवास में उन्होंने अज्ञान की निद्रा में सोते मानव को झकझोर कर खड़ा कर दिया। इस छोटे से प्रवास में आचार्यश्री के सैकड़ों प्रवचन हुए पर इस पुस्तक में केवल सात क्रांतिकारी एवं महत्त्वपूर्ण प्रवचनों को संकलित किया गया है। इन सात प्रवचनों में प्रथम एवं अन्तिम प्रवचन स्वागत एवं विदाई का है। इस पुस्तक के सपादक सत्यदेव विद्यालंकार कहते हैं—“राजधानी के पहले भाषण की प्रभात वेला में यदि आचार्य तुलसी ने अपने काम की रूपरेखा उपस्थित की थी तो अन्तिम विदाई के भाषण की पुण्यवेला में अपने कर्त्तव्य का प्रतिपादन किया। आदि और अन्त तथा मध्य में दिए गए समस्त भाषणों का समन्वय किसी एक शब्द में किया जा सकता है तो वह है ‘अहिंसा।’

आज से ४४ साल पूर्व प्रदत्त इन प्रवचनों में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सभी समस्याओं का हल है। आचार्य तुलसी के प्रवचनों का यह प्रथम लघु प्रवचन सकलन है। पुस्तक की भाषा प्रवचन की शैली में न होकर साहित्यिक शैली में गुम्फित है। ये सातों प्रवचन आचार्य तुलसी के अमर सदेश कहे जा सकते हैं। इनको जब कभी पढ़ा जाएगा, दिग्भ्रमित मानव समाज एक नई प्रेरणा-प्राप्त करेगा।

राजपथ की खोज

समय-समय पर लिखे गए ५४ लेखों एवं ७ वार्ताओं से युक्त यह पुस्तक वैचारिक दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध और ज्ञानवर्धक है। प्रस्तुत पुस्तक चार खण्डों में विभाजित है। इसके प्रथम खण्ड ‘महावीर : जीवन सौरभ’ में भगवान् महावीर के जीवन एवं उनके शाश्वत विचारों से सम्बन्धित १३ लेख संकलित हैं। ये लेख महावीर के सिद्धांत को नवीन परिप्रेक्ष्य में अभिव्यक्ति देते हैं। दूसरे ‘शाश्वत स्वर’ खण्ड में १४ लेखों के अन्तर्गत अहिंसा, अनेकांत तथा गांधीजी के जीवन-दर्शन के बारे में अमूल्य विचारों को संकलित किया गया है। ‘जीवन-मूल्य’ नामक तृतीय खण्ड लोकतन्त्र-चुनाव, अध्यात्म और धर्म आदि के विषय में नई सोच उपस्थित करता है। अंतिम खंड ‘प्रश्न और समाधान’ में दर्शन और सिद्धांत सम्बन्धी अनेक प्रश्नों का सटीक समाधान दिया गया है।

प्रस्तुत कृति आज की धिनीनी राजनीति पर तो व्यंग्य करती ही है साथ ही लोकतन्त्र को स्वस्थ एवं तेजस्वी बनाने के सूत्रों का भी विण्लेपण करती है। सत्ता के इर्द-गिर्द विकृतियों को दूर कर राजनीति के क्षितिज को रचनात्मक दिशा देने का सार्थक प्रयास प्रस्तुत कृति में हुआ है। साथ ही ऐंमे स्वच्छ एवं प्रेरक राजनैतिक व्यक्तित्व की छवि उकेरी गयी है, जो लोकतन्त्र के सुदृढ़ आधार बन सके।'

बहुविध विषयों को अपने भीतर समेटे हुए यह पुस्तक एक विशिष्ट कृति के रूप में उभरी है। क्योंकि इसमें वर्तमान ही नहीं, आने वाला कल भी प्रतिबिम्बित है अतः ऐंमी कृतियों की महत्ता मामयिक नहीं, अपितु त्रैकालिक है।

यह पुस्तक 'विचार दीर्घा' एवं 'विचार वीथी' में मुद्रित मामग्री का ही नया संस्करण है।

लघुता से प्रभुता मिले

हर व्यक्ति प्रभुता सम्पन्न बनना चाहता है। आचार्य तुलसी कहते हैं—“प्रभुता पाने का रास्ता है—प्रभुता पाने की लालसा का विसर्जन। क्योंकि जब तक यह लालसा मनुष्य पर हावी रहती है, वह अपने करणीय के प्रति सचेत नहीं रह सकता।” अतः लघुता ही एकमात्र उपाय है—प्रभुता पाने का। प्रस्तुत पुस्तक में प्रभुता सम्पन्न बनने की अनेक दिशाओं एवं प्रयोगों का उद्घाटन हुआ है। समीक्ष्य ग्रंथ में पुराने सन्दर्भों, मूल्यों एवं आदर्शों को नए सन्दर्भों एवं नए मूल्यों के साथ प्रकट किया गया है।

इस पुस्तक में आचाराग के मूक्तों की गम्भीर एवं सरस व्याख्या है। सम्पादन-कुशलता के कारण इन प्रवचनों ने निबन्ध का रूप ले लिया है। 'आयारो' ग्रन्थ पर आधारित ये ५१ प्रवचन विविध विषयों को अपने भीतर ममंटे हुए हैं। ये सभी प्रवचन वार्तमानिक समस्याओं से सम्बद्ध हैं तथा आगमों के आलोक में समाधान की नई दिशा प्रस्तुत करते हैं।

इस कृति के वारे में महाश्रमणी साध्वीप्रमुखाजी का विचार है कि इस पुस्तक के द्वारा आचार्यवर ने जन-साधारण और प्रबुद्ध—दोनों वर्गों को ममान रूप से उपकृत किया है ... । ऐंमी भास्वर कृतियों के अध्ययन-मनन से हमारे अज्ञान तिमिर की उम्र कुछ तो घटेगी ही।

यह पुस्तक योगक्षेम वर्ष में हुए प्रवचनों का तृतीय संकलन है, साथ ही साहित्यिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक लेखों का उपयोगी संग्रह है।

विचार दीर्घा

'विचार दीर्घा' कृति आचार्यश्री के विभिन्न सन्दर्भों में व्यक्त विचारों का संकलन है। इस पुस्तक में राजनैतिक परिवेश में व्याप्त अनैतिक स्थितियों

पर खुलकर चर्चा के साथ-साथ मर्यादा एवं अनुशासन की आवश्यकता पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इसमें भगवान् महावीर के विचारों का आधुनिक सन्दर्भ में प्रस्तुतीकरण है और जैन-दर्शन के कुछ प्रमुख-सिद्धांतों को मूल्यों के सन्दर्भ में व्याख्यायित किया गया है। इस प्रकार ४७ निबन्धों से युक्त यह संकलन अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। इसकी भाषा सहज, सरल एवं स्पष्ट है। सामान्य पाठक भी इसमें अवगाहन कर असूय्य रत्नों को प्राप्त कर सकता है।

विचार-वीथी

वैचारिक क्रांति में साहित्य अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आचार्य तुलसी समय-समय पर प्रवचनों और लेखों के माध्यम से अपने क्रांतिकारी विचार जनता तक पहुंचाते रहते हैं। उनके साहित्य की लम्बी कड़ी में बहुरंगी विषयों से युक्त 'विचार वीथी' पुस्तक अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। विध्वंसात्मक कार्यों की ओर बढ़ते मानव को संरचनात्मक दृष्टिकोण देने व शक्ति को सही दिशा में नियोजित करने में यह पुस्तक काफी उपयोगी है। इसमें भगवान् महावीर, अणुव्रत, महिला समाज तथा तेरापन्थ आदि अनेक विषयों पर संक्षिप्त एवं मार्मिक ५१ लेख समाविष्ट हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करने एवं नैतिकता से ओत-प्रोत जीवन जीने की प्रेरणा देने वाली इस पुस्तक में आधुनिक समस्याओं के सदर्भ में नए सिरे से चिन्तन किया गया है। दूसरे संस्करण में 'विचारदीर्घा' एवं 'विचार वीथी' के अधिकांश लेख 'राजपथ की खोज' में सम्मिलित कर दिए गए हैं।

विश्वशांति और उसका मार्ग

यह ऐतिहासिक लेख शांति निकेतन में होने वाले 'विश्व शांति सम्मेलन' (१९४९) में प्रेषित किया गया था। इस लेख में अशांति के हेतु और उसके निराकरण पर महत्त्वपूर्ण चर्चा की गयी है। इसके साथ ही सुधार का केन्द्र व्यक्ति है या समाज, इस पर गम्भीर चिन्तन प्रस्तुत किया गया है। अन्त में शांति प्राप्त करने के १३ उपाय इस पुस्तिका में निर्दिष्ट हैं, जो आज के अशांत मानस को शांति की राह दिखाने में सक्षम है।

इस आलेख में कम शब्दों में समाज, देश और राष्ट्र को अध्यात्म की नई स्फुरणा एवं विश्वशांति के महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा मिलती है।

व्रतदीक्षा

व्रत मानव समाज की रीढ़ है अतः भगवान् महावीर ने श्रावक के लिए व्रती जीवन की महत्ता प्रतिष्ठित की। उन्होंने श्रावक के लिए १२ व्रत

तथा उनके खण्डित होने के कारणों का भी वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। 'व्रत दीक्षा' पुस्तिका में आचार्य तुलसी ने २५०० वर्ष पूर्व दिए गए इन व्रतों को विस्तार से आधुनिक भाषा में प्रकट करने का प्रयत्न किया है तथा वच्चो को भी व्रत-दीक्षा से दीक्षित करने की विधि का संकेत किया है।

यह लघु पुस्तिका समय की महत्ता को प्रकट कर बालकों को आत्मानुशासन का बोधपाठ देने वाली है।

शांति के पथ पर (दूसरी मंजिल)

'शांति के पथ पर' (दूसरी मंजिल) सर्वोदय ज्ञानमाला का पाचवा पुष्प है। ५८ छोटे-छोटे आलेखों एवं प्रवचनों से युक्त यह पुस्तक विविध विषयों का संस्पर्श करती है। लगभग ४० साल पूर्व हुए प्रवचनों को इस पुस्तक में सकलित कर सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं साहित्यिक परम्पराओं का सुन्दर प्रस्तुतीकरण किया गया है। यह पुस्तक त्याग और संयम की सस्कृति को उज्जीवित रखने की प्रेरणा देती है, साथ ही आज के अशांत वातावरण में शांतिपूर्ण जीवन कैसे जीया जा सके, इसका अवबोध भी हमें इससे मिलता है। प्रवचनों में प्रयुक्त दोहे, श्लोक सुग्राह्य एवं गहरे अर्थ लिए हुए हैं।

इस कृति के विचार बौद्धिक स्तर पर ही नहीं, अनुभूति के स्तर पर लिखे एवं बोले गए हैं इसलिए यह और अधिक मूल्यवान् कृति बन गई है।

श्रावक आत्मचिन्तन

आचार्य तुलसी आत्मद्रष्टा ऋषि हैं। वे चाहते हैं कि उनके अनुयायी भीतिकता में रहकर भी आत्मा की परिधि में रहे। आत्मद्रष्टा बनने के लिए आत्म-चिन्तन अनिवार्य है। 'श्रावक आत्मचिन्तन' कृति में आत्म-चिन्तन के कुछ महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं का निर्देश है। ये चिन्तन-बिन्दु आध्यात्मिक, नैतिक व लौकिक इन तीन भागों में विभक्त हैं। यदि इन प्रेरक बिन्दुओं पर व्यक्ति प्रतिदिन आत्म-चिन्तन करे तो मुख और शांति स्वतः जीवन में अवतरित हो जाएगी।

इस कृति में आत्म-चिन्तन के साथ-साथ व्यसन, मास, मदिरा वेश्यागमन, निरपराध हिंसा, चोरी, परस्त्रीगमन आदि विषयों पर प्रेरक सूक्तियाँ भी सकलित हैं। ये सूक्तियाँ सप्तव्यसनों से मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं।

इस लघुकाय पुस्तिका में नवसूत्री तथा तेरहसूत्री योजना का उल्लेख भी है, जो चरित्रनिष्ठ जीवन जीने के आदर्श सूत्र हैं। अन्त में कुछ प्रेरक गीत भी पुस्तिका में संकलित हैं।

श्रावक सम्मेलन में

‘श्रावक सम्मेलन में’ पुस्तिका आचार्य तुलसी के क्रांतिकारी विचारों का महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है। यह आचार्यश्री का ऐतिहासिक प्रवचन है, जो लगभग ४००० श्रावकों के मध्य हांसी में दिया गया। इसमें तेरापन्थ धर्मसंघ में किए गए अनेक परिवर्तनों का स्पष्टीकरण है तथा उनकी युगीन महत्ता को स्पष्ट किया गया है। तेरापन्थ के विकास-क्रम का इतिहास इस पुस्तिका के माध्यम से भलीभांति जाना जा सकता है। मौलिक सिद्धांतों को सुरक्षित रखते हुए लेखक ने जिन युगीन परिवर्तनों का सूत्रपात किया है, वह क्रांतिकारी एवं सामयिक है।

इस प्रवचन में एक धर्मनेता का अमित आत्मबल और साहस मुखर हो रहा है। चूहे-विल्ली के रूप में प्रसिद्ध तेरापन्थ आज जैन धर्म का पर्याय बन गया है, इसका राज भी इसमें विश्लेषित है। आचार्यश्री ने धर्मसंघ में किए गए महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों का स्पष्टीकरण भी इसमें किया है।

संदेश

‘सन्देश’ आत्मदर्शन माला का दूसरा पुष्प है। इसमें तत्त्वज्ञान तथा भारतीय संस्कृति के तत्त्वों को उजागर किया गया है। इस कृति में धर्म के कुछ मौलिक सिद्धांतों का विश्लेषण भी है। पुस्तक के परिशिष्ट में कवि सम्मेलन में हुआ आचार्य तुलसी का उद्घाटन भाषण तथा अन्य साधु-साध्वियों की संस्कृत आशु कविताएँ हिंदी अर्थ के साथ प्रकाशित हैं। अतः संस्कृत भाषा के प्रेमी लोगों के लिए भी यह पुस्तक विशेष महत्त्व रखती है। अन्त में स्वाधीनता दिवस पर गाए गए गीतों का सकलन है।

आकार में लघु होने पर भी यह कृति हमारी ज्ञान-पिपासा को शांत करने में सक्षम है।

संभल सयाने !

आचार्य तुलसी के प्रवचन ज्ञान और भावना - इन दोनों गुणों से समन्वित हैं। ज्ञानप्रधान प्रवचन जहाँ कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य, उचित-अनुचित का बोध कराते हैं, वहाँ भावनाप्रधान प्रवचन पाठक के मन में बल और पौरुष का संचार करते हैं।

‘संभल सयाने !’ एक ऐसा ही प्रवचन सकलन है, जिसमें बुद्धि और हृदय का समन्वय हुआ है। इसमें सन् १९५४ में ववई में हुए प्रवचनों का सकलन है। यह कृति अपने प्रथम संस्करण में प्रवचन डायरी, भाग-२ के रूप में प्रकाशित थी।

समीक्ष्य कृति में समाज, देश एवं राष्ट्र को नया दिशाबोध तथा

अनेक विषयो पर चिन्तन-मनन प्रस्तुत किया गया है। प्रवचनों का संकलन होने के कारण पुस्तक की शैली औपदेशिक अधिक है तथा ढाकार में भी कई प्रवचन अत्यन्त लघु और कई अत्यन्त विस्तृत हैं। अधिकांश प्रवचनों में स्थान एवं दिनांक का निर्देश है, इस कारण ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस कृति का विशेष महत्त्व है।

११५ प्रवचनों से सवलित यह कृति समाज के विभिन्न वर्गों का मार्ग-दर्शन करने में सक्षम है। विशेष रूप से इसमें अणुव्रत आंदोलन का स्वर अधिक मुखरित हुआ है, क्योंकि इसी आंदोलन के माध्यम से आचार्यश्री ने देश के आध्यात्मिक एवं नैतिक उत्थान का बीड़ा उठाया है। ४० साल पुराने होते हुए भी ये प्रवचन आज भी समीचीन एवं पाठक की चेतना को उद्बुद्ध करने में उपयोगी बने हुए हैं।

सफर : आधी शताब्दी का

‘सफर : आधी शताब्दी का’ पुस्तक में आचार्य तुलसी ने अपनी पचास वर्ष की उपलब्धियों एवं अनुभूतियों का सरम आकलन किया है। इसके अतिरिक्त सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक एवं राजनैतिक अनेक समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत किया है। ‘रचनात्मक प्रवृत्तियाँ’ जैसे कुछ लेखों में उन्होंने अपने भावी कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त युवकों एवं महिलाओं को लक्ष्य करके लिखे गये कुछ प्रेरक लेख भी इसमें समाविष्ट हैं। इस पुस्तक में ‘राजस्थान की जनता के नाम’ शीर्षक आलेख एक नए समाज एवं राज्य की संरचना के सूत्र प्रस्तुत करता है तथा राजस्थान की जनता की मुप्त चेतना को जागृत करने की अर्हता रखता है।

यह पुस्तक लेखक के जीवन, चिंतन, दर्शन एवं उपलब्धियों का महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें कुल ३७ लेखों में जैन-धर्म के मूलभूत सिद्धांत तथा भारतीय संस्कृति के अनेक महत्त्वपूर्ण तथ्यों का अनावरण हुआ है। संक्षेप में कहें तो इसका सिंहावलोकन वर्तमान का पर्यालोचन एवं भविष्य का दिशानिर्धारण है। ‘अमृत-सदेश’ के प्रायः सभी लेखों का समाहार इस पुस्तक में कर दिया गया है।

समण दीक्षा

‘समण दीक्षा’ आचार्य तुलसी के क्रांतिकारी अवदानों की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। इसे आधुनिक युग का नया सन्यास कहा जा सकता है। सन् १९८० में आचार्य तुलसी ने विलक्षण दीक्षा देने की उद्घोषणा की। इस नए पथ पर चलने का साहस छह बहिनो ने किया। दीक्षा के अवसर पर इस श्रेणी का नाम ‘समण श्रेणी’ रखा गया। ‘समण दीक्षा’ पुस्तिका में

समण दीक्षा की पृष्ठभूमि, उसका इतिहास तथा आचार-संहिता का वर्णन है। इसके परिशिष्ट में मुमुक्षु श्रेणी की आचार-संहिता भी संलग्न है।

लघुकाय होते हुए भी यह पुस्तिका समण दीक्षा के प्रारम्भिक इतिहास की जानकारी देने में पर्याप्त है। इस पुस्तक में समण दीक्षा का स्वरूप साहित्यिक शैली में प्रस्तुत किया गया है। इसके कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

- समण दीक्षा है, अपने आप की पहचान का एक अमोघ सकल्प।
- समण दीक्षा है, मन को निर्ग्रन्थ बनाने का एक छोटा-सा उपक्रम।
- समण दीक्षा है, जीवन का वह विराम, जहाँ से एक नए छंद का प्रारम्भ होता है।
- समण दीक्षा है, अध्यात्मविद्या को सीखने और मुक्तभाव से वाटने का एक नया अभिक्रम।
- समण दीक्षा है, समय के भाल पर उदीयमान नये निर्माण का एक संकेत।

अनेक ऐतिहासिक चित्रों से युक्त यह कृति आचार्य तुलसी की नयी सोच एवं क्रियान्विति की साक्षी बनी रहेगी।

समता की आंख : चरित्र की पांख

‘उद्बोधन’ का तृतीय संस्करण ‘समता की आंख . चरित्र की पांख’ के रूप में प्रकाशित है। नए संस्करण में कुछ लेखों को और जोड़ दिया गया है। इस पुस्तक में अति सक्षिप्त शैली में छोटी-छोटी घटनाओं, स्मरणों, रूपकों या कथाओं के माध्यम से अणुव्रत के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया गया है तथा नैतिक सन्दर्भों का समाज के साथ कैसे सामंजस्य विधायक जा सकता है, इसका सरस और व्यावहारिक विवेचन है। पुस्तक में प्रयुक्त प्रायः कथाएं और घटनाएं ऐतिहासिक, सामाजिक एवं लोक-जीवन से जुड़ी हुई हैं। अनेक कथाओं में जीवन की किसी समस्या एवं उसके समाधान का निरूपण है। इन कथाओं का उपयोग केवल मनोरंजन हेतु नहीं, अपितु सरलता से तत्त्वबोध कराने के लिए हुआ है। ये जीवन्त कथाएं व्यक्ति को नए सिरे से सोचने के लिए बाध्य करती हैं।

पुस्तक को पढ़कर ऐसा लगता है कि आचार्यश्री ने मौखिक या विस्तार की अपेक्षा मॉन को अधिक महत्व दिया है। इसे अभिव्यक्ति का समय कहा जा सकता है। इसमें कम शब्दों में बहुत कुछ कहने का अद्भुत कौशल प्रकट हुआ है। सम्पूर्ण कृति विविध शीर्षकों में गुम्फित होते हुए भी अणुव्रत-दर्शन से प्रभावित है तथा उसे ही व्याख्यायित करती है।

समाधान की ओर

जिज्ञासा व्यक्ति को सत्य की यात्रा करवाती है और समाधान लक्ष्य-प्राप्ति का साधन है। 'समाधान की ओर' पुस्तक में युवको की जिज्ञासाएं एवं आचार्यश्री तुलसी के सटीक समाधान गुम्फित हैं। यह पुस्तक युवापीढी से जुडी समस्त समस्याओ के समाधान का अभिनव उपक्रम है। प्रश्नोत्तरों में धर्म की वैज्ञानिक परिभाषा एवं आज के सन्दर्भ में उसकी उपयोगिता पर भी खुलकर चर्चा की गई है। समाधायक आचार्य तुलसी ने उत्तर में सर्वत्र अनेकात शैली का प्रयोग किया है अतः समाधान में कही भी एकात्मिकता का दोष नहीं दिखाई पड़ता।

आचार्य तुलसी का मंतव्य है कि समस्याएँ मनुष्य की सहजात हैं। अतः समस्याएँ रहेंगी, पर उनका रूप बदलता रहेगा। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है, जिसका समाधान प्रस्तुत न किया जा सके। 'समाधान की ओर' पुस्तक इसी बात की पुष्टि करती हुई केवल व्यक्तिगत ही नहीं, सम्पूर्ण मानव जाति के सामने खड़ी समस्याओ का समाधान करती है। इसमें जीवन के व्यावहारिक पथ को समाधान की वर्णमाला में पिरोने का प्रशस्य प्रयत्न किया है अतः बहुविध समस्याएँ समाधानों को अपने भीतर समेटे हुए यह पुस्तक विशिष्ट कृति के रूप में समाज को प्रकाश दे सकेगी।

साधु जीवन की उपयोगिता

देश के नैतिक और चारित्रिक उत्थान में साधु-संस्था का विशेष योगदान रहता है। वह देश सम्पन्न होते हुए भी विपन्न है, जहाँ साधु-संस्था के प्रति जन-मानस में सम्मान का भाव नहीं होता। पुस्तक में साधु-संस्था का सामाजिक और राष्ट्रीय महत्त्व प्रतिपादित है, साथ ही वैयक्तिक स्तर पर जीवन-निर्माण की बात भी साधु-संस्था द्वारा ही संभव है, यह तथ्य भी स्पष्ट हुआ है।

इस कृति में आचार्य तुलसी ने साधु-संस्था को भार समझने वाले लोगों के समक्ष यह स्पष्ट किया है कि देश के विकास में केवल कृषि उत्पादन ही महत्त्वपूर्ण नहीं, चरित्रबल का उत्थान अधिक आवश्यक है। साधु देश के चरित्रबल को ऊँचा उठाते हैं। अतः देश में उनकी सर्वाधिक आवश्यकता है। एक सच्चा साधु मौन रहकर भी अपने आभामण्डल के शुद्ध परमाणुओं से जगत् के विकृत वातावरण को शुद्ध बना सकता है अतः साधु-संस्था की उपयोगिता के सामने कभी प्रश्नचिह्न नहीं लग सकता।

सूरज ढल ना जाए

आचार्य तुलसी ने राजनेता की भाँति केवल बाह्य परिस्थितियों

को ही अभिव्यक्ति नहीं दी अपितु 'गहरे पानी पैठ' इस आदर्श के साथ विचारों को प्रस्तुति दी है। 'सूरज ढल ना जाए' ऐसे ही १४८ महत्त्वपूर्ण प्रवचनों का संकलन है।

यह पुस्तक सन् १९५५ में विविध स्थानों में दिए गए प्रवचनों/वक्तव्यों का संकलन है। आचार्य तुलसी यायावर हैं अतः प्रतिदिन नए-नए श्रोताओं के लिए उनके प्रवचन विविधता लिए हुए होते हैं। प्रस्तुत संकलन में अणुव्रत से सम्बन्धित लेख अधिक हैं। आचार्य तुलसी ने गाव-गाव, नगर-नगर घूमकर अणुव्रत आंदोलन द्वारा देश के कोने-कोने में व्याप्त अन्धभक्ति, व्यसन, दुराचार, भ्रष्टाचार आदि विकृतियों को दूर कर स्वस्थ समाज-सरचना की प्रेरणा दी है। इस प्रकार प्रस्तुत कृति में भारतीय सस्कृति एवं आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन्त बनाए रखने का भरसक प्रयास किया गया है।

ये प्रवचन आध्यात्मिक क्षितिज पर खड़े होकर समूची दुनिया और उससे जुड़ी परिस्थितियों को गम्भीरता से समझने में सहयोगी बनते हैं। प्रवचन अति प्राचीन होने पर भी सीधे हृदय का स्पर्श करते हैं।

यह ग्रन्थ प्रवचन डायरी, भाग २ का नवीन संस्करण है तथा प्रवचन पाथेय के १५ वें पुष्प के रूप में प्रकाशित है।

सोचो ! समझो !! भाग-१-३

मानव और पशु के बीच एक महत्त्वपूर्ण भेदरेखा है— सोचना और समझना। प्रकृति द्वारा प्रदत्त इस क्षमता को पाकर भी व्यक्ति उसका सही उपयोग नहीं करता। सोचो ! समझो !! के तीनों भाग व्यक्ति की दृष्टि को परिमार्जित कर उसे नए ढंग से सोचने-समझने एवं करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन को उन्नत बनाने वाले मूल्यों का जीवन में अवतरण कैसे करे, इसका सुन्दर विवेचन इन कृतियों में मिलता है।

द्वितीय संस्करण में सोचो ! समझो !! भाग १ प्रवचन-पाथेय भाग ४ के रूप में, सोचो ! समझो !! भाग दो प्रवचन पाथेय भाग ५ के रूप में तथा सोचो ! समझो !! भाग तीन स्वतंत्र रूप से भी प्रकाशित है तथा प्रवचन-पाथेय की शृंखला में यह भाग ६ के रूप में प्रसिद्ध है।

अनेक प्रवचनों से संचलित ये कृतियाँ अनेक कथाओं एवं रूपकों से संचित होने के कारण बालक, युवा एवं वृद्ध सबके लिए पठनीय बन गयी हैं।

संकलित एवं संपादित साहित्य

आचार्य तुलसी के साहित्य से सकलन किया गया साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यहां हम उन पुस्तकों का परिचय दे रहे हैं, जो निबंध या प्रवचन के रूप में प्रकाशित नहीं हैं, वरन् दूसरों के द्वारा संकलित संपादित हैं। साथ ही आचार्यश्री के नाम से प्रकाशित उन पुस्तकों का परिचय भी दिया जा रहा है, जिनमें विचारों की अभिव्यक्ति स्फुट रूप से हुई है जैसे हस्ताक्षर, सप्त व्यसन आदि। शैक्षशिक्षा आचार्यश्री की स्वोपज्ञ कृति नहीं है, वरन् सकलन के रूप में इसका प्रणयन किया गया है अतः इसे मूल साहित्य के परिचय के अन्तर्गत नहीं दिया है।

अणुव्रत अनुधारता के साथ

इसमें मुनि सुखलालजी ने २६ विषयों पर आचार्य तुलसी के साथ हुई वार्ताओं का संकलन किया है। इसमें प्रश्नकर्ता मुनि सुखलालजी हैं। उत्तर आचार्य तुलसी के हैं पर उनको भाषा मुनिश्री ने दी है अतः संकलित एवं संपादित ग्रंथ सूची में इसका परिचय दे रहे हैं।

समाज, राष्ट्र, धर्म, शिक्षा एवं संस्कृति आदि से सम्बन्धित अनेक व्यावहारिक जिज्ञासाओं का सटीक समाधान इसमें प्रस्तुत है। प्रश्नोत्तरों के माध्यम से आचार्यश्री के मौलिक विचारों की अवगति देने वाली यह पुस्तक अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है।

अनमोल बोल आचार्य तुलसी के

मुनि मधुकरजी द्वारा संकलित इस लघु पुस्तिका में यद्यपि सूक्तों की संख्या बहुत कम है पर इन सुभाषितों में एक वक्रता है, जिससे उनमें मर्म-भेदन की कला प्रकट हो गयी है। उक्ति-वैचित्र्य के कारण ये सभी वाक्य मानव को कुछ सोचने, समझने एवं बदलने को मजबूर करते हैं।

लघु आकार की इस पुस्तिका को हर क्षण अपना साथी बनाया जा सकता है तथा तनाव से बोझिल मन को शांत करने के लिए कभी भी पढ़कर शांति प्राप्त की जा सकती है।

एक बूँद : एक सागर (भाग १-५)

साहित्य के मूल्यपरक, दिशासूचक एवं सारपूर्ण वाक्य का नाम सूक्ति है। सूक्तियों में मर्म का स्पर्श करने की शक्ति होती है। सूक्ति साहित्य का प्राचीन काल से अपना विशिष्ट महत्त्व रहा है, क्योंकि इसमें नीति और

उपदेश की प्रेरणा गागर में सागर की भांति निहित रहती है। सूक्त/सुभाषित की एक बूंद में भी चेतना का अथाह सागर लहराता है, जो अन्तर् एवं बाह्य को आमूलचूल बदलने की क्षमता रखता है। रामप्रताप त्रिपाठी का मतव्य है कि विघाता की इस मानव-सृष्टि में सूक्तियां कल्पतरु के समान हैं। इनकी सुविस्तृत सघन छाया में जीवनपथ की थकान को ही दूर करने की शक्ति नहीं, प्रत्युत् भविष्य की दुर्गम यात्रा को सुखपूर्वक सम्पन्न करने का अक्षय तथा दैवी सम्बल इनमें निहित रहता है।

आचार्य तुलसी अभीक्षण ज्ञानोपयोग की दिव्य मशाल है। उन्होंने प्रयत्नपूर्वक सूक्तियां नहीं लिखी पर उनकी तपःपूत एवं अनुभवपूत वाणी ने स्वतः ही सूक्तियों का रूप धारण कर लिया है। इनमें उनके जीवन के अनुभवों का अमृत निहित है। वे ६० वर्षों से अनवरत प्रवचन दे रहे हैं। अनेक संदेश एवं पत्र भी उन्होंने प्रदत्त किए हैं। उन सब प्रवचनों/लेखों/संदेशों एवं काव्यों का स्वाध्याय कर पाच खंडों में लगभग २२०० पृष्ठों में सूक्तियों का संकलन तैयार गया किया है, जिसका नाम है—एक बूद : एक सागर। आज के तीव्रगामी युग में इतने विशाल वाङ्मय का समग्र अध्ययन सबके लिए संभव नहीं है अतः पाच खंडों में प्रकाशित यह सूक्ति-संकलन पाठकों की इस समस्या का हल करने वाला है। इसकी हर बूद में पाठकों को अस्तित्व की पूर्णता का अनुभव होगा तथा साथ ही आचार्यवर की बहुश्रुतता का दिग्दर्शन भी।

किसी अन्य लेखक ने ४००० से अधिक विषयों पर ज्ञानामृत की वर्षा की हो, विषय की आत्मा का स्पर्श कर उसे जनभोग्य एवं विद्वद्भोग्य बनाया हो, यह शोध का विषय है। किसी एक ही लेखक की २५ हजार सूक्तियों का संकलन भी आश्चर्य का विषय है।

इसके प्रत्येक खंड में मूर्धन्य विद्वान् एवं समालोचक का मंतव्य भी प्रकाशित है। इसके प्रथम खंड में विजयेन्द्र स्नातक कहते हैं—“आचार्य तुलसी के सार्थक प्रयोगों को संकलित करने का समणी कुसुमप्रज्ञाजी ने स्तुत्य प्रयास किया है। यह प्रयास असाधारण है, श्रमसाध्य है, मंगलमय है, स्थायी महत्त्व का है। यह ग्रंथ केवल पढ़ने और मनोरंजन का विषय न होकर मननीय, विचारणीय, वदनीय, संग्रहणीय और दैनन्दिन जीवन के पग-पग पर हमारा पथ प्रशस्त करने वाला है। मैंने इस ग्रंथ की एक-एक बूद में जीवन-ज्योति का प्रकाश विकीर्ण होते देखा है। एक-एक बिन्दु में अमृत-बिन्दु का आह्लाद रस पाया है। जीवन-जागृति, बल और बलिदान की भावना का जैसा आलोक इस ग्रंथ की पक्ति-पंक्ति में समाया हुआ है, वैसा मुझे अन्यत्र सुलभ नहीं हुआ।”

दूसरे खंड में आचार्य विद्यानदजी तथा डा० रामप्रसाद मिश्र, तीसरे

मे पंडित दलसुखभाई मालवणिया, चौथे खंड में विश्वम्भरनाथ पांडे तथा पांचवें खंड में डा० नागेन्द्र तथा डा० निजामुद्दीन की समालोचना संलग्न है।

ये पांचो खंड सभी वर्गों के व्यक्तियों को जीवन की खुराक दे सकेंगे, ऐसा विश्वास है।

तुलसी-वाणी

आचार्य तुलसी के प्रवचनों से मुनिश्री दुलीचंदजी ने एक सकलन तैयार किया, जिसका नाम है—'तुलसी वाणी'। इस पुस्तक में लगभग ६८ शीर्षकों पर विचार मकलित हैं। सकलयिता ने न इसे सूक्ति का आकार दिया है और न पूरे प्रवचन का, पर विचारों की दृष्टि से यह पुस्तक छोटी होते हुए भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। इन प्रवचनाशों में विष्णुद्ध अध्यात्म की पुट है तो साथ ही सामयिक समस्याओं का समाधान भी है।

पथ और पाथेय

पथ पर चलने वाले हर पथिक को पाथेय की अपेक्षा रहती है। छोटी सी यात्रा में भी पथिक अपने पाथेय के साथ चलता है फिर ससार के अनंत पथ को पार करने के लिए तो पाथेय की अनिवार्यता स्वतः सिद्ध हो जाती है।

'पथ और पाथेय' पुस्तक मुनिश्री श्रीचंदजी द्वारा सकलित की गयी है। इसमें लगभग २३ विषयों पर आचार्य तुलसी की सूक्तियों एवं प्रेरक वाक्यों का संकलन है। पॉकेट बुक के रूप में इस पुस्तक को पाठक हर वक्त अपना साथी बनाकर प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। आचार्य तुलसी की आध्यात्मिक गगरी से छलकने वाली ये वूदें पाठक के लिए पाथेय का कार्य करती रहेंगी।

सप्त व्यसन

व्यसन जीवन के लिए अभिजाप है। एक व्यसन भी जीवन के सारे मुखों को लील जाता है फिर सात व्यसनो से ग्रस्त मनुष्य का तो कहना ही क्या ? आचार्य तुलसी पिछले ६० सालों से व्यसनमुक्ति का अभियान छेड़े हुए हैं और उसमें कामयाबी भी हासिल की है।

'सप्त व्यसन' नामक लघु पुस्तिका में सात व्यसनो के ऊपर प्रेरक सूक्तियों का संकलन है। यह निबन्ध के रूप में स्वतंत्र रचना नहीं, अपितु संकलनात्मक है। अत्यन्त प्राचीन संग्रह होने पर भी इसके वाक्य भाषा की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध एवं प्रेरक हैं। उदाहरण के लिए निम्न सूक्तों को प्रस्तुत किया जा सकता है—

१. व्यसन आत्मा का अभिजाप है।

२. जुआ एक अग्नि है, उसकी ज्वाला व्यक्ति को साय-साय कर जला देती है ।
३. मांस-भक्षण आत्मदुर्बलता का सूचक है ।
४. शराब एक व्यसन है, जिससे मनुष्य अपने ज्ञान और चेतना सब कुछ खो देता है ।

सीपी सूक्त

साहित्य जीवन के अनुभवों की सरस अभिव्यक्ति है । आचार्य तुलसी के साहित्य में अनेक ऐसे वाक्य हैं, जिन्हें प्रेरक, मर्मस्पर्शी और जीवन्त कहा जा सकता है । उनके साहित्य से सूक्ति-संकलन का कार्य अनेक रूपों में प्रकाशित हुआ है । उन्हीं में एक प्राचीन संकलन है—सीपी सूक्त ।

ये सूक्तियाँ किसी एक विषय से सम्बन्धित नहीं, पर समय-समय पर सन्त-मन में उठने वाले विचारों की अभिव्यक्तियाँ हैं । इन वाक्यों में मानवता का दिव्य सदेश है । ये विचार पाठक की संवेदनाओं को तो जागृत करते ही हैं साथ ही जनता को उद्बोधित करने का व्यग्र भी इनमें समाहित है ।

हरताक्षर

‘हस्ताक्षर’ आचार्य तुलसी के विचारों का नवनीत है । इसमें प्रतिदिन लिखे गए प्रेरक वाक्यों का संकलन है । ये विचार दिनांक एवं स्थान के साथ प्रस्तुत हैं, इसलिए इस पुस्तक का ऐतिहासिक महत्त्व भी बढ़ जाता है । इसमें मुख्यतः सन् ७०, ७१, ८३, ८४ एव ८५ में लिखे गए अनुभूत वाक्यों का समाहार है । अनेक वाक्य महावीर एव आचार्य भिक्षु की वाणी के अनुवाद हैं—

खण जाणाहि—क्षण को पहचानो (वालोतरा ९ अग १९८३)

तिण्णो हु सि अण्णवं महं, किं पुण चिद्धिसि तीरमागओ ?

महान् समुद्र को तर गया तो फिर तीर पर आकर क्यों रुका ?

(रायपुर, १० सित० १९७०)

कही कही संस्कृत के सुभाषितों को भी प्रतिदिन के विचार में लिख दिया गया है । जैसे—

अग्निदाहे न मे दुःखं, न दुःखं लोहताडने ।

इदमेव महद्दुःखं, गुञ्जया सह तोलनम् ॥

(पर्वतसर १८ जन० १९७१)

अवर वस्तु में भेल हूँ, दया में हिंसा रो नहीं भेलो ।

पूरब नै पश्चिम रो मारग, किणविध खाबं भेलो रे ॥

(भादलिया, २१ जन० १९७१)

इस प्रकार इसमें विविधमुखी सूक्तियों का सकलन है। इस कृति का महत्त्व इसलिए अधिक बढ़ जाता है चूँकि यह आचार्यप्रवर के हाथ से लिखे गए सूक्तों का सकलन है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चयनित सूक्त उसमें नहीं है।

शैक्षशिक्षा

आचार्य तुलसी एक जागरूक अनुशास्ता है। अपने अनुयायियों को विविध प्रेरणाएं देने के लिए वे नई-नई विधाओं में साहित्य-सर्जना करते रहते हैं। उन्होंने लगभग १००० व्यक्तियों को अपने हाथों से संन्यास के मार्ग पर प्रस्थित किया है। अतः नवदीक्षित साधु-साधवियों को सयम, अनुशासन, सहिष्णुता आदि जीवन-मूल्यों की प्रेरणा देने हेतु उनकी एक महत्त्वपूर्ण सकलित कृति है—'शैक्षशिक्षा'।

सोलह अध्यायों में विभक्त इस कृति में आगम तथा आगमेतर अनेक ग्रंथों के पद्यों का सानुवाद उद्धरण है तथा आचार्य भिक्षु, जयाचार्य द्वारा रचित महत्त्वपूर्ण गेय गीतों का समावेश भी है। इस ग्रंथ में अनेक विषयों से सम्बन्धित जानकारी भी एक ही स्थान पर मिल जाती है। जैसे स्वाध्याय से सम्बन्धित प्रकरण में स्वाध्याय, उसके भेद, स्वाध्याय का महत्त्व आदि। अनेक महत्त्वपूर्ण तथ्यों का समाहार होने से यह संकलित कृति प्रवचनकारों के लिए भी महत्त्वपूर्ण बन गयी है।

यह अप्रकाशित कृति जीवन को सुन्दर बनाने एवं मानवीय मूल्यों को लोकचित्त में संचरित करने में अपना विशिष्ट स्थान रखती है।

पद्य एवं संस्कृत साहित्य

(इस पुस्तक में हमने आचार्य तुलसी के गद्य साहित्य का ही परिचय एवं पर्यवेक्षण प्रस्तुत किया है। किंतु आचार्य तुलसी उत्कृष्ट कोटि के कवि ही नहीं, मधुर संगायक भी है। चरित काव्य एव गीति काव्य की दृष्टि से इस शताब्दी के कवियों में उनका नाम शीर्ष पर रखा जा सकता है। विभिन्न प्रसंगों पर आशुकवित्व के रूप में निःसृत हजारों पद्य तो अभी अप्रकाशित ही पड़े हैं। यहां हम पाठकों की जानकारी हेतु उनकी काव्य कृतियों एवं संस्कृत-भाषा में लिखित ग्रंथों का नामोल्लेख मात्र कर रहे हैं।)

पद्य-साहित्य

अग्नि परीक्षा	नंदन निकुंज ^१ /
अणुव्रत गीत	पानी में मीन पियासी
अतिमुक्तक आख्यान (अप्रकाशित)	भरत मुक्ति
आचार बोध	मगन चरित्र
कालूयशोविलास	मा वदना
चदन की चुटकी भली	माणक महिमा
चदनवाला आख्यान (अप्रकाशित)	योगक्षेम वर्ष व्याख्यान
जागरण (सकलित)	शासन सगीत (अप्रकाशित)
डालिम चरित्र	श्रद्धेय के प्रति
तेरापथ प्रबोध	श्री कालू उपदेश वाटिका
थावच्चापुत्र आख्यान (अप्रकाशित)	संस्कार बोध
	सेवाभावी
	सोमरस ^२

संस्कृत साहित्य

कर्त्तव्य षट्त्रिंशिका	भिक्षुन्यायकणिका
कालूकल्याणमन्दिर	मनोनुशासनम्
जैन सिद्धान्त दीपिका	शिक्षाषण्णवतिः
पंचसूत्रम्	सद्यषट्त्रिंशिका

१. श्री कालू उपदेशवाटिका का परिवर्धित एवं परिष्कृत संस्करण ।

२. 'श्रद्धेय के प्रति' का परिवर्धित एवं परिष्कृत संस्करण ।

आचार्य तुलसी के जीवन की कुछ महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

- २० अक्टूबर १९१४ : जन्म, लाडनूँ (राज०)
- ५ दिसम्बर १९२५ : दीक्षा, लाडनूँ (राज०)
- २१ अगस्त १९३६ : युवाचार्यपद, गंगापुर (राज०)
- २७ अगस्त १९३६ : आचार्यपद, गंगापुर (राज०)
- २ मार्च १९४९ : अणुन्नत-प्रवर्त्तन, सरदारशहर (राज०)
- १२ अप्रैल १९४९ : अणुन्नत यात्रा-प्रारंभ, रतनगढ़ (राज०)
- ८ जुलाई १९६० : तेरापंथ द्विशताब्दी समारोह, केलवा (राज०)
- १८ सितम्बर १९६१ : धवल-समारोह, वीकानेर (राज०)
- ८ फरवरी १९६५ : मर्यादा महोत्सव शताब्दी, बालोतरा (राज०)
- ४ फरवरी १९७१ : युगप्रधान आचार्य के रूप में सम्मान, वीदासर (राज०)
- १९७२ : प्रेक्षाध्यान का शुभारंभ, जयपुर (राज०)
- १३ जनवरी १९७२ : साध्वीप्रमुखा मनोनयन, गंगागहर (राज०)
- १६ नवम्बर १९७४ : षष्टिपूर्ति समारोह, दिल्ली
- १८ नवम्बर १९७४ : महावीर पचीसवीं निर्वाण शताब्दी, दिल्ली
- २३ दिसम्बर १९७५ : पचासवा दीक्षा-कल्याणक, लाडनूँ (राज०)
- २० फरवरी १९७७ : कालू जन्म शताब्दी, छापर (राज०)
- ४ फरवरी १९७९ : उत्तराधिकारी का मनोनयन, राजलदेसर (राज०)
- ९ नवम्बर १९८० : जैन शासन में संन्यास की अभिनव श्रेणी—समण-दीक्षा,
- ११ फरवरी १९८१ : जयाचार्य निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष में अनुशासन वर्ष का प्रारम्भ, सरदारशहर (राज०)
- २६ अगस्त १९८१ : जयाचार्य निर्वाण शताब्दी समारोह, दिल्ली
- २२ सितम्बर १९८५ : अमृत महोत्सव
- १४ फरवरी १९८६ : भारत ज्योति अलंकरण, राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह द्वारा राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर का सर्वोच्च अलंकरण
- २१ फरवरी १९८९ से ११ जनवरी १९९० : योगक्षेमवर्ष, लाडनूँ (राज०)
- १९९२-९३ : भिक्षु चेतना वर्ष
- १४ जून १९९३ : वाक्पति अलंकरण
- ३१ अक्टूबर १९९३ : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार
- १९९३-९४ : अणुन्नत चेतना वर्ष
- १८ फरवरी १९९४ : आचार्यपद का विसर्जन, नए आचार्य की नियुक्ति

पुरतक संकेत-सूची

प्रयुक्त संदर्भ-ग्रंथ-सूची

- अणुविभा (स-सोहनलाल गाधी, अणुव्रत विश्व भारती, १९८९)
- अणुव्रत (पाक्षिक) (अखिल भारतीय अणुव्रत समिति)
- अणुव्रत अनुशास्ता के साथ (मुनि सुखलाल, आदर्श साहित्य संघ)
- अमरित वरसा अरावली मे (साध्वी प्रमुखा कनकप्रभा, आदर्श साहित्य संघ)
- अमृत महोत्सव, स्मारिका (सं०-महेन्द्र कर्णावट, अमृत महोत्सव राष्ट्रीय समिति)
- आचार्य तुलसी अभिनन्दन ग्रन्थ (श्री जैन श्वेतावर तेरापथी महासभा)
- आधुनिक गद्य एव गद्यकार (जेकब पी० जार्ज, कानपुर ग्रथम्, रामवाग)
- आधुनिक निबध (रामप्रसाद किचल्, द्वादश स १९७४ राजकिशोर प्रकाशन)
- आह्वान (आचार्य तुलसी, जैन विश्व भारती, लाडनू)
- एक बूद · एक सागर (सं०- समणी कुमुमप्रज्ञा, जैन विश्व भारती, लाडनू)
- कवीर (आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, राजकमल प्रकाशन. दिल्ली)
- कवीर साहित्य का सास्कृतिक अध्ययन (डा० आर्या प्रसाद त्रिपाठी, किताव घर-दिल्ली)
- कला और सस्कृति (डाँ० वासुदेवशरण अग्रवाल, साहित्य भवन, प्रयाग)
- जव महक उठी मरुधर माटी (सा० प्रमुखा कनकप्रभा, आदर्श साहित्य संघ)
- जैन भारती^१ (पत्रिका) (श्री जैन श्वेतावर तेरापथी महासभा)
- तुलसीदास (डाँ० माताप्रसाद गुप्त, हिंदी परिपद्, प्रयाग विश्वविद्यालय)
- तेरापथ टाइम्स (समाचार पत्र) (अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिपद्)
- तेरापंथ दिग्दर्शन (सं०-मुनि सुमेरमल, जैन विश्व भारती)
- दिनकर के पत्र (सं०-कन्हैयालाल फूलफगर, दिनकर शोध सस्थान)
- दक्षिण के अंचल मे (साध्वी प्रमुखा कनकप्रभा, आदर्श साहित्य संघ)
- धर्म और भारतीय दर्शन (श्री जैन श्वेतावर तेरापथी महासभा)
- धर्मचक्र का प्रवर्त्तन (युवाचार्य महाप्रज्ञ, अमृत महोत्सव राष्ट्रीय समिति)
- पथ और पाथेय (सं०-मुनि श्रीचंद, अजंता प्रिंटर्स, जयपुर)
- पाव-पाव चलने वाला सूरज (साध्वीप्रमुखा कनकप्रभा, आदर्श साहित्य संघ)
- प्रवचन डायरी (आचार्य तुलसी, श्री जैन श्वेतावर तेरापंथी महासभा)

१ सन् १९८४ तक यह पत्रिका साप्ताहिक थी, किंतु अब यह है।

प्रेमचंद (नरेन्द्र कोहली, वाणी प्रकाशन, दिल्ली)

प्रेमचंद के कुछ विचार (प्रेमचंद)

Problems of style (M. Murre)

वहता पानी निरमला (साध्वी प्रमुखा कनकप्रभा, आदर्श साहित्य संघ)

भरतमुक्ति (आचार्य तुलसी, आदर्श साहित्य संघ, द्वितीय स० १९९०)

मा वदना (आचार्य तुलसी, आदर्श साहित्य संघ)

मेरे सपनों का भारत (महात्मा गांधी)

युवादृष्टि (पत्रिका) (अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद्)

रश्मियां (मुनि श्रीचंद 'कमल', आदर्श साहित्य संघ)

रसज्ञ रजन (महावीरप्रसाद द्विवेदी)

रामराज्य (पत्रिका) (कानपुर से प्रकाशित)

विचार और तर्क (आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी)

विचार और विवेचन (डॉ० नगेन्द्र)

विज्ञप्ति (समाचार बुलेटिन) (आदर्श साहित्य संघ)

विवरणपत्रिका (पत्रिका) (श्री जैन श्वेतांबर तेरापन्थी महासभा)

व्यावहारिक शैली विज्ञान (डॉ० भोलानाथ तिवारी, शब्दकार, दिल्ली)

सस्मरणों का वातायन (साध्वी कल्पलता, आदर्श साहित्य संघ)

समीक्षात्मक निबंध (विजयेन्द्र स्नातक, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली)

साहित्य और समाज (सं० जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी, राज्यपाल एण्ड सन्स)

साहित्य का उद्देश्य (प्रेमचंद)

साहित्य का मर्म (आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी)

साहित्य का श्रेय और प्रेय (जैनेन्द्र कुमार)

साहित्य विवेचन (क्षेमचन्द्र सुमन तथा योगेन्द्र कुमार मल्लिक)

साहित्य - समाज शास्त्रीय संदर्भ (सं०-डा० विश्वम्भरदयाल गुप्ता)

साहित्यालोचन (डा० श्यामसुन्दरदास इंडियन प्रेस लि० प्रयाग)

सिद्धांत और अध्ययन (बाबू गुलावराय)

हजारीप्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली भाग-७ (राजकमल प्रकाशन, दिल्ली)

हस्ताक्षर (आचार्य तुलसी, आदर्श साहित्य संघ)

हिंदी साहित्य का इतिहास (आचार्य रामचंद्र शुक्ल)

हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय काव्य (डा० के० के० शर्मा)

